



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे
(खण्ड I)
2017-18



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वित्त लेखे
(खण्ड I)

वर्ष 2017-2018 के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
खण्ड I	
◆ विषय सूची	i-iii
◆ भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	iv-v
◆ वित्त लेखे का मार्गदर्शन	vii-xii
विवरण 1. वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
विवरण 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण	4-6
विवरण संख्या 2 का अनुबंध	7-9
विवरण 3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	10-14
विवरण 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)	
क: कार्यकलाप के अनुसार व्यय	15-21
ख: प्रकृति के अनुसार व्यय	22-27
विवरण 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	28-34
विवरण 6. उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण	
(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण	35-37
(ii) ऋण सेवा	38-39
विवरण 7. सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण	
खण्ड: 1 कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: कर्जदार समूहवार	40
खण्ड: 2 कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: खण्डवार	41
खण्ड: 3 बकाया रही वसूलियां	42-44
विवरण 8. सरकार के निवेशों का विवरण	45
विवरण 9. सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण	46
विवरण 10. सरकार द्वारा दी गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण	
(i) वर्ष 2017-18 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण	47-51
(ii) पण्य में सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य का ब्यौरा तथा पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान के मूल्य का विवरण	52
विवरण 11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	53-54
विवरण 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्त्रोतों एवं आवेदन का विवरण	55-58
विवरण 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	59-60
◆ अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियाँ	61-92

विषय सूची - (क्रमशः)

पृष्ठ

खण्ड II

भाग I

विवरण 14.	लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण	94-151
विवरण 15.	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण	152-239
	विवरण संख्या 15 का अनुबंध	240-244
विवरण 16.	लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण	245-329
विवरण 17.	उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण	
	(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण	330-338
	(ख) परिपक्व रूपरेखा	339-341
	(ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा	342-343
	विवरण संख्या 17 का अनुबंध	344-360
विवरण 18.	सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण	
	मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण	361-407
	अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण	408-410
विवरण 19.	सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण	
	खण्ड 1: 2017-18 तक के निवेशों का विवरण	411-431
	खण्ड 2: वर्ष के दौरान मुख्य तथा लघु शीर्षवार निवेश का विवरण	432
विवरण 20.	सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण	
	(क) वर्गवार गारन्टियों का विवरण	433
	(ख) गारन्टियों का विवरण	434-440
विवरण 21.	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण	441-452
	विवरण संख्या 21 का अनुबंध	453-458
विवरण 22.	पृथक आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण	459-474

विषय सूची – (समाप्त)

पृष्ठ

खण्ड II – (समाप्त)

भाग II

परिशिष्ट I	संवेतन पर तुलनात्मक व्यय	476-496
परिशिष्ट II	सहाय्य पर तुलनात्मक व्यय	497-507
परिशिष्ट III	राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता/ सहायतार्थ अनुदान (संस्थावार तथा योजनावार)	508-560
परिशिष्ट IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे	561-562
परिशिष्ट V	आयोजनागत योजना व्यय	
	(क) केन्द्रीय योजनाएं	563-599
	(केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)	
	(ख) राज्य आयोजनागत योजनाएं	600-651
परिशिष्ट VI	राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (गैर अंकेक्षित आंकड़े)	652-661
परिशिष्ट VII	शेषों की स्वीकृति तथा समाधान (विवरण संख्या 18 में दर्शाये अनुसार)	
	अनुबंध क	662
	अनुबंध ख	663
परिशिष्ट VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	664-668
परिशिष्ट IX	सरकार की वचनबद्धता- अधूरे पूंजी निर्माण कार्यों की सूची	669-704
परिशिष्ट X	संवेतन एवं गैर संवेतन भाग को पृथक करते हुए रखरखाव व्यय	705-725
परिशिष्ट XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं	726
परिशिष्ट XII	सरकार के वचनबद्ध दायित्व	727

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया जाता है खंड I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खंड II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें राजस्थान सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणों {7(3), 8, 9, 10(ii), 19 तथा 20}, व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विवरण संख्या 14 के नीचे बिन्दु संख्या 2 तथा परिशिष्ट संख्या VIII के नीचे बिन्दु संख्या 3) और परिशिष्ट (IX तथा XI) को राजस्थान सरकार जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है। परिशिष्ट VI महालेखा नियंत्रक के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम पोर्टल से ली गई सूचना के अनुसार तैयार किया गया है।

राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ-साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हक) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अर्थार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं से टिप्पणियां' के साथ पठित वित्त लेखे वर्ष 2017-18 के लिए राजस्थान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली राजस्थान सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल है।



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक : नवम्बर 19, 2018

स्थान : नई दिल्ली,

वित्त लेखे का मार्गदर्शन

क. सरकारी लेखों के ढाँचे का विस्तृत विश्लेषण

1. राजस्थान राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिये सरकार की प्राप्ति तथा खर्च के लेखे साथ ही राजस्व एवं पूंजी लेखों द्वारा प्रकट किये गये वित्तीय परिणाम, लोक ऋण के लेखे तथा लेखों में दर्ज शेषों से निकाले गये राज्य सरकार के दायित्वों एवं सम्पत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।
2. सरकारी लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग-I : समेकित निधि: यह निधि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उगाये गये सभी कर्ज (बाजार कर्ज, बंधपत्र, केन्द्रीय सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुर्नभुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सभी धन को समाहित करती है। इस निधि से कानून एवं उद्देश्य के अनुसार तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त तरीके के अतिरिक्त धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय के निश्चित संवर्ग (उदाहरण के लिये संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुर्नभुगतान इत्यादि) राज्य की संचित निधि (भारत व्यय) पर एक भार बनाती है तथा विधान मण्डल द्वारा मताधिकार का विषय नहीं है। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान सभा द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग शामिल हैं: राजस्व तथा पूंजी (लोक ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)। ये आगे "प्राप्तियां" एवं "व्यय" में वर्गीकृत हैं। राजस्व प्राप्तियां वर्ग तीन खण्डों में विभक्त है, अर्थात् "कर राजस्व", "करेत्तर राजस्व" तथा "सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान"। ये तीनों खण्ड आगे उपखण्डों में विभक्त होते हैं जैसे "आय तथा व्यय पर कर", "राजकोषीय सेवाएं", इत्यादि। पूंजीगत प्राप्तियां भाग में कोई खण्ड अथवा उपखण्ड नहीं होता है। राजस्व व्यय वर्ग चार खण्डों में विभक्त हैं अर्थात् "सामान्य सेवाएं", "सामाजिक सेवाएं", "आर्थिक सेवाएं" तथा "सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान"। राजस्व व्यय वर्ग में ये खण्ड आगे उपखण्डों में विभक्त हैं जैसे "राज्य के अंग", "शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति" इत्यादि। पूंजीगत व्यय वर्ग सात खण्डों में विभक्त है अर्थात् "सामान्य सेवाएं", "सामाजिक सेवाएं", "आर्थिक सेवाएं", "लोक ऋण", "कर्ज तथा पेशगियां", "अन्तरराज्यीय निपटान" तथा "आकस्मिकता निधि में अंतरण"।

भाग-II : आकस्मिकता निधि: यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसकी स्थापना विधि के तहत राज्य विधान मण्डल द्वारा की जाती है तथा ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत लम्बित हो, की पूर्ति हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती है। निधि को राज्य की संचित निधि से सम्बन्धित कार्यकारी मुख्य शीर्ष को व्यय नामे करते हुए पूरित किया जाता है। वर्ष 2017-18 के लिये राजस्थान सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 500 करोड़ है।

भाग-III : लोक लेखा: सरकार द्वारा अथवा की ओर से प्राप्त अन्य समस्त लोक धनराशियां, जहां सरकार एक बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा होती है। लोक लेखा में पुर्नदेयताएं जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियां, जमाएं (ब्याज वाली एवं बिना ब्याज वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली एवं बिना ब्याज वाली), प्रेषण तथा उचन्त शीर्ष (दोनों जो अनित्य शीर्ष हैं, अन्तिम लेखांकन देय) शामिल होती है। सरकार का उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखे के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखे में छः खण्ड सम्मिलित हैं अर्थात् "अल्प बचत, भविष्य निधि आदि", "आरक्षित निधियां", "जमा एवं अग्रिम", "उचन्त तथा विविध", "प्रेषण" तथा "रोकड़ शेष"। ये खण्ड आगे उपखण्डों में विभक्त होते हैं। लोक लेखा विधान मण्डल के मत का विषय नहीं है।


वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (क्रमशः)

- सरकारी लेखे छह स्तरीय वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं, अर्थात् मुख्य शीर्ष (चार अंक), उपमुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप शीर्ष (दो अंक), समूह शीर्ष (दो अंक) तथा विस्तृत शीर्ष (दो अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों का द्योतक है, उपमुख्य शीर्ष उपकार्यों, लघु शीर्ष कार्यक्रम/कार्यकलापों, उपशीर्ष योजनाओं, समूह शीर्ष उपयोजनाओं तथा विस्तृत शीर्ष व्यय के अभिप्राय/उद्देश्य का द्योतक है।
- लेखों में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग तरीका शामिल है (31 मार्च 2018 तक संशोधित मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार):-

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियां
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियां
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, कर्जे तथा पेशगियां सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

- वित्त लेखे, सामान्यतया (कुछ अपवादों के साथ), लघु शीर्ष तक संव्यवहार दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर पर दिखाये जाते हैं, अर्थात् खर्चों की कटौती के रूप में वसूलियों के लेखांकन के बाद। यह तरीका विधान मण्डल को प्रस्तुत अनुदान की मांगों तथा विनियोग लेखों में दर्शाने से भिन्न है जहां व्यय सकल स्तर पर दिखाये जाते हैं।
- सरकारी लेखे के ढांचे का सचित्र प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:

सरकारी लेखे का ढांचा



वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (क्रमशः)

ख. वित्त लेखे में क्या शामिल है

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत होते हैं।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे का मार्गदर्शन, तैरह विवरण जो चालू वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा सव्यंवाहारां की सारांशीकृत सूचना देते हैं, लेखाओं से टिप्पणियां तथा लेखाओं से टिप्पणियां का परिशिष्ट सम्मिलित है। **खण्ड I** के **तेरह** विवरणों का विवरण नीचे दिया गया है:

- 1. वित्तीय स्थिति का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के वर्ष के अन्त में विद्यमान संचयी आकड़ों तथा पिछले वर्ष के अन्त की स्थिति से तुलना को दर्शाता है।
- 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण :** यह विवरण सभी तीन भागों, अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, में वर्ष के दौरान राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक अनुबन्ध शामिल है जो सरकार के रोकड़ शेष (निवेशों को शामिल करते हुए) को अतिरिक्त रूप में दर्शाता है। अनुबन्ध सरकार की अर्थोपाय स्थिति को भी विस्तृत रूप में दर्शाता है।
- 3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** यह विवरण राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों, उधार तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों के पुर्नभुगतान को सम्मिलित करता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड-II में विस्तृत विवरण 14, 17 तथा 18 के समतुल्य है।
- 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि) :** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर तक के सामान्य वर्णन से अलग यह विवरण गतिविधि की प्रकृति के अनुसार (व्यय का उद्देश्य) भी व्यय का विवरण देता है। यह विवरण खण्ड-II में विस्तृत विवरण 15, 16, 17 तथा 18 के समतुल्य है।
- 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण:** यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के समतुल्य है।
- 6. उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण:** सरकार की उधारों में इसके द्वारा उगाये गए बाजार कर्जे (आन्तरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम समाहित हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'अल्प बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधियां' तथा 'जमा' समाहित है। विवरण में ऋण सेवा पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है तथा खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के समतुल्य है।
- 7. सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ऋणी जैसे संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत गृहीता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिये गये सभी कर्जे तथा पेशगियों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के समतुल्य है।
- 8. सरकार के निवेशों का विवरण:** यह विवरण संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूंजी में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के समतुल्य है।
- 9. सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जे का मूल तथा ब्याज के पुर्नभुगतान पर दी गयी गारन्टियों का सार प्रस्तुत करता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के समतुल्य है।

वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (क्रमशः)

10. **सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ अनुदान का विवरण** : यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदान प्रहीता जैसे, संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा वैयक्तिक को दिये गये समस्त सहायतार्थ अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण उपलब्ध कराता है।
11. **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण** : यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आंकड़ों का विनियोग लेखों में प्रदर्शित सकल आंकड़ों के साथ सादृश्य करने में सहायता करता है।
12. **राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं आवेदन का विवरण** : यह विवरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से चुकाने का अनुमान किया जाता है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय राजस्व अधिशेष, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरू में रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित किया जाता है।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सांराशः** यह विवरण लेखों की यथार्थता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के समतुल्य है।

वित्त लेखे के खण्ड II में 2 भाग सम्मिलित है- भाग I में 9 सांराशीकृत विवरण तथा भाग II में 12 परिशिष्ट।

खण्ड II का भाग I

14. **लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 3 के समतुल्य है।
15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 4 के समतुल्य है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को आयोजना (राज्य आयोजना, राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) तथा आयोजना-भिन्न के अन्तर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय पृथक से प्रदर्शित किये जाते हैं।
16. **लघुशीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के समतुल्य है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा प्रगामी) को आयोजना (राज्य आयोजना, राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) तथा आयोजना-भिन्न के अन्तर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय को पृथक से प्रदर्शित किया जाता है पूंजीगत व्यय को लघुशीर्ष स्तर तक प्रस्तुत करने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में यह विवरण उपशीर्ष स्तर तक भी ब्यौरे दर्शाता है।
17. **उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 का समतुल्य है, राज्य सरकार द्वारा उगाये गये सभी ऋण (बाजार कर्जे, बंध पत्र, केन्द्रीय सरकार से कर्जे, वित्तीय संस्थाओं से कर्जे, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाये गये अर्थोपाय अग्रिम को शामिल करता है। यह विवरण तीन वर्गों में ऋण की सूचना को प्रस्तुत करता है: (क) व्यक्तिगत कर्जे के ब्यौरे; (ख) परिपक्व रूपरेखा अर्थात् विभिन्न वर्षों में प्रत्येक वर्ग के ऋणों से सम्बन्धित देय राशि; तथा (ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा; तथा बाजार कर्जों को दर्शाने वाला अनुबन्ध।
18. **सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 का समतुल्य है।
19. **सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण हस्ती अनुसार निवेशों के ब्यौरे तथा विवरण 16 तथा 19 के बीच, यदि कोई हो, मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार विसंगति के ब्यौरे दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I में विवरण 8 के समतुल्य है।
20. **सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण सरकारी गारन्टियों के हस्ती अनुसार ब्यौरे दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I में विवरण 9 के समतुल्य है।

वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (क्रमशः)

21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण : यह विवरण आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत अपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अन्त में बकाया शेषों को लघु शीर्ष स्तर पर दर्शाता है।

22. पृथक आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण : यह विवरण आरक्षित निधियों तथा जमाओं (लोक लेखा) से किये गये निवेश के ब्यौरे को दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग II में वेतन, सहाय्य, सहायतार्थ अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं के सम्बन्ध में योजनावार व्यय, इत्यादि को सम्मिलित करते हुए विभिन्न मदों पर **बारह परिशिष्ट** सम्मिलित है। लेखाओं में ब्यौरे उपशीर्ष स्तर अथवा नीचे तक (अर्थात् लघु शीर्ष स्तर से नीचे) प्रस्तुत किये जाते हैं तथा ऐसे सामान्यतः वित्त लेखों में नहीं दर्शाया जाता है। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड I एवं II में विषय सूची पर दिखायी गयी है। विवरणों के साथ परिशिष्ट राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की सम्पूर्ण तस्वीर देता है।

ग. सुलभ मार्गदर्शन

नीचे दिया वर्ग खण्ड I में प्रकट संक्षिप्त विवरणों को खण्ड II में विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से मिलाता है (परिशिष्ट, जिनका संक्षिप्त विवरण के साथ सीधा मिलान नहीं है, को नीचे नहीं दिखाया गया है)।

मापदण्ड	सांराशीकृत विवरण (खण्ड I एवं II)	विस्तृत विवरण (खण्ड II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियां (अनुदान प्राप्ति सहित), पूँजीगत प्राप्तियां	2,3	14	
राजस्व व्यय	2,4	15	I (संवेतन), II (सहाय्य)
सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ अनुदान	2,10	..	III (सहायतार्थ अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1,2,4,5,12	16	I (संवेतन)
सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम	1,2,7	18	
कर्ज की स्थिति/उधार	1,2,6	17	
सरकार का कम्पनियों, निगमों इत्यादि में निवेश	8	19	
रोकड़	1,2,12,13	..	
लोक लेखे में शेष तथा उसका निवेश	1,2,12,13	21,22	
गारन्टियां	9	20	
योजनाएं			IV (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं), V (आयोजनागत योजना व्यय)

वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (समाप्त)

घ. आवधिक समायोजन तथा बुक समायोजन

कुछ निश्चित संव्यवहार जो लेखे में प्रकट होते हैं, में पुस्तांकन के समय रोकड़ का वास्तविक चलन शामिल नहीं होता है। इस प्रकार के कुछ संव्यवहार लेखा भेजने वाली इकाइयों (जैसे कोषालय, विभाग इत्यादि) द्वारा उनके स्तर पर होते हैं। उदाहरण के लिये, वेतन से सभी कर्तवियों के समायोजन को शामिल करते हुए संव्यवहार (सामान्य भविष्य निधि, दिये गये अग्रिमों की वसूलियां, इत्यादि) को कार्यात्मक मुख्य शीर्ष (सम्बन्धित विभाग को इंगीत करते हुए) को डेबिट करते हुए तथा राजस्व प्राप्ति/कर्ज/लोक लेखे को बुक समायोजन से दर्ज किया जाता है इसी प्रकार 'शून्य' बिल, जहां धन समेकित निधि एवं लोक लेखा के मध्य हस्तांतरित होता है, लेखा भेजने वाली इकाई स्तर पर हुए बिना रोकड़ के संव्यवहार को प्रस्तुत करते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राज्य सरकार के लेखाओं में निम्न प्रकृति के आवधिक समायोजन व बुक समायोजन करता है, जिनका विवरण लेखाओं से टिप्पणियों के अनुबन्ध (खण्ड I) तथा सम्बन्धित विवरण की पाद टिप्पणियों में दिखाया गया है।

आवधिक समायोजन तथा बुक समायोजन के उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

- (1) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखा में निधियों का सृजन/निधियों को अंशदान का समायोजन, उदाहरणार्थ राज्य आपदा मोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, आरक्षित निधियां, मोचन निधि इत्यादि।
- (2) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखों में लेखे के जमा शीर्षों को जमा करना।
- (3) सामान्य भविष्य निधि तथा राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन जहां ब्याज मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियां तथा मुख्य शीर्ष 8009- राज्य भविष्य निधि तथा 8011- बीमा तथा पेंशन निधि को जमा द्वारा समायोजित किया जाता है।
- (4) केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंषाओं पर आधारित भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत ऋण माफी का समायोजन। ये समायोजन (जहां केन्द्रीय कर्ज मुख्य शीर्ष 0075- विविध सामान्य सेवाएं को जमा करते हुए मुख्य शीर्ष 6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम में विपरीत प्रविष्टि से अपलिखित किये जाते हैं) दोनों राजस्व प्राप्तियां तथा लोक ऋण शीर्षों को असर डालती है।

ङ. पूर्णांक

₹ 0.01 लाख/ करोड़ का अन्तर, जहां कहीं हो, पूर्णांक के कारण है।

संक्षिप्त विवरण

विवरण संख्या 1 – वित्तीय

सम्पत्तियां ¹	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च	31 मार्च
	लेखाओं से टिप्पणियां	विवरण संख्या	2018 को	2017 को
(₹ करोड़ में)				
रोकड़				
(i) खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	..	21	(-) 6.46	0.12
(ii) विभागीय शेष	..	21	1.03	1.13
(iii) स्थायी रोकड़ अग्रदाय	..	21	2.90	2.93
(iv) रोकड़ शेष निवेश	..	21	64,01.72	55,85.10
(v) भारतीय रिजर्व बैंक से जमा	..	21	11.09	(-) 2.28
(vi) पृथक आरक्षित निधियों से निवेश ²	..	21 एवं 22	29,66.71	25,25.46
पूंजीगत व्यय				
(i) निगमों, कम्पनियों आदि के अंशों में निवेश	पैरा सं. 3 (iv)	5, 8 एवं 19	4,57,80.60	4,17,33.94
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय	..	5 एवं 16	12,27,10.16	10,61,50.15
आकस्मिकता निधि (अपूर्ति)
कर्ज तथा अग्रिम	पैरा सं. 3 (iii)	7 एवं 18	3,73,07.81	5,11,07.20
विभागीय अधिकारियों की अग्रिम	..	21	3.21	4.71
उचन्त तथा विविध शेष ³	पैरा सं. 3 (vi)	21	1,49.83	1,22.54
प्रेषण शेष	..	21	11.47	21.66
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य ⁴	..	12	6,93,08.69	5,07,74.35
योग			28,46,48.76	25,80,27.01

1. सम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी हैं। कृपया 'लेखाओं से टिप्पणियां' खण्ड में टिप्पणी 1 (ii) भी देखें।

2. राज्य सरकार के अनुसार पृथक आरक्षित निधियों में से कम्पनियों की अंश पूंजी आदि में कोई निवेश नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने पृथक आरक्षित निधियों में से केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया।

स्थिति का विवरण

दायित्व ¹	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च	31 मार्च
	लेखाओं से टिप्पणियां	विवरण संख्या	2018 को	2017 को
(₹ करोड़ में)				
उधार (लोक ऋण)				
(i) आन्तरिक ऋण	..	6 एवं 17	20,02,43.86	18,42,84.58
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम				
योजनेतर कर्ज	..	6 एवं 17	28.63	33.64
राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6 एवं 17	1,04,89.18	1,10,95.76
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6 एवं 17	0.29	0.29
केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6 एवं 17	4.28	4.28
विधानमण्डल योजनाओं के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कर्ज	..	6 एवं 17	15,35.22	..
अन्य कर्ज	..	6 एवं 17	5.40	5.40
आकस्मिकता निधि (कॉरपस)	पैरा सं. 3 (viii)	21	5,00.00	5,00.00
लोक लेखे पर दायित्व				
(i) अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	..	6, 17 एवं 21	4,20,95.22	3,88,94.45
(ii) जमायें	..	21 एवं 22	2,47,62.22	1,90,60.56
(iii) आरक्षित निधियां	पैरा सं. 3 (v)	21 एवं 22	49,84.46	41,48.05
(iv) प्रेषण शेष	..	21
(v) उचन्त तथा विविध शेष
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य
योग			28,46,48.76	25,80,27.01

3. इस विवरण में पंक्ति मद "उचन्त तथा विविध शेष" में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थायी रोकड़ अग्रदाय' को सम्मिलित नहीं करता है जो अलग से ऊपर सम्मिलित है, यद्यपि बाद वाला इन लेखों में इस खण्ड के अन्य स्थान पर हिस्सा बनता है।

4. प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य चालू वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटे से अलग है।

विवरण संख्या 2- प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण

प्राप्तियां	2017-18	2016-17	संवितरण	2017-18	2016-17
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)	
भाग I- समेकित निधि					
अनुभाग- अ : राजस्व					
राजस्व प्राप्ति (सन्दर्भ विवरण 4 एवं 14)	12,73,07.18	10,90,26.00	राजस्व व्यय (सन्दर्भ विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	14,58,41.52	12,71,40.14
कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाही गयी) (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)	5,06,05.41	4,43,71.66	संवैतन (क) (सन्दर्भ विवरण 4-ख एवं परिशिष्ट-1)	3,70,54.87	2,94,69.77
			सहाय्य (क) व # (सन्दर्भ परिशिष्ट-II)	2,36,74.31	1,72,07.67
			सहायतार्थ अनुदान (सन्दर्भ विवरण 4-ख, 10 एवं परिशिष्ट-III)	3,49,85.03	3,28,92.17
			सहायतार्थ अनुदान (गैर संवैतन) (क) व (ख)	2,87,70.91	2,29,37.97
			सहायतार्थ अनुदान (वेतन)	51,16.24	85,72.07
			पूँजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान	10,97.88	13,82.13
			सामान्य सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4 एवं 15)		
			ब्याज अदायगियां तथा ऋण शोधन (सन्दर्भ विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	1,97,19.99	1,76,76.94
करेत्तर राजस्व (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)			पेंशन (सन्दर्भ विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	1,39,25.23	1,22,95.67
ब्याज प्राप्तियां (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)	48,58.90	19,33.37	अन्य (सन्दर्भ विवरण 4-ख)	18,28.87	14,91.92
अन्य (सन्दर्भ विवरण 3)	1,08,74.82	96,82.20			
योग (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)	1,57,33.72	1,16,15.57	योग (सन्दर्भ विवरण 4-क एवं 15)	3,54,74.09	3,14,64.53
संघ करों/शुल्कों का हिस्सा (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)	3,70,28.01	3,35,55.86	सामाजिक सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क एवं 15)	99,48.39 (ग)	1,15,51.04
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)	2,39,40.04	1,94,82.91	आर्थिक सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क एवं 15)	47,04.76	45,54.93
			स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन (सन्दर्भ विवरण 4-क एवं 15)	0.07 *	0.03
राजस्व घाटा	1,85,34.34 (घ)	1,81,14.14	राजस्व अधिशेष

- (क) संवैतन तथा सहाय्य के सभी क्षेत्रों के आकड़ों को एक साथ जोड़कर एक समेकित आंकड़े के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस विवरण में "सामाजिक", "सामान्य" तथा "आर्थिक" सेवाएं क्षेत्रों के अन्तर्गत दिखाये गये व्यय में वेतन, सहाय्य तथा सहायतार्थ अनुदान पर किया गया व्यय सम्मिलित नहीं है (पाद टिप्पणी (ख) में व्याख्या की गई है)।
- (ख) (i) सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान, सांविधिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत्तशासी निकायों, स्थानीय निकायों, इत्यादि को दिया जाता है जिसे उपरोक्त में पंक्तिबद्ध मद की तरह सम्मिलित किया जाता है। यह अनुदान, करों की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन एवं स्थानीय निकायों को शुल्क से भिन्न है जिसे अलग से पंक्तिबद्ध 'स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन' के रूप में दर्शाया गया है।
- (ii) इसमें लघुशीर्ष "191,192,193,196,197 तथा 198" के अंतर्गत हुआ समस्त व्यय सम्मिलित है (समर्पित विस्तृत शीर्ष 01-संवैतन, 91-सहाय्य, 92-सहायतार्थ अनुदान (संवैतन) तथा 93-पूँजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान के अतिरिक्त) सिवाय पाँच विभागों का व्यय अर्थात् प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास तथा कृषि। राज्य सरकार द्वारा इन पाँच विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा चुका है, लेकिन इन विभागों का व्यय, बजाए इनको अनुदान जारी करने के, पूर्व की भांति कोषालयों के माध्यम से आहरित किया जा रहा है।
- (ग) इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर व्यय से सम्बन्धित ₹ 40,57.11 करोड़ सम्मिलित है जो "सामान्य सेवाएं" के अन्तर्गत दर्शाये गये सिविल पेंशन से अलग हैं।
- # इसमें केवल बाह्य सहाय्य सम्मिलित है। * वेतन से संबंधित ₹ 0.04 करोड़ सम्मिलित नहीं है जो कि ऊपर संवैतन के अंतर्गत सम्मिलित है।
- (घ) इसमें उदय के अन्तर्गत कर्ज को अनुदान में रूपांतरण के लिए डिस्कों को दिया गया ₹ 1,20,00.00 करोड़ का सहाय्य सम्मिलित है।

विवरण संख्या 2- (क्रमशः)

प्राप्तियां	2017-18	2016-17	संवितरण	2017-18	2016-17
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)	
भाग I- समेकित निधि (समाप्त)					
अनुभाग- ब : पूंजी					
पूंजीगत प्राप्तियां (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)	16.61	27.84	पूंजीगत व्यय (सन्दर्भ विवरण 4-क, 4-ख एवं 16)	2,06,23.28 (क)	1,69,79.72
			सामान्य सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क एवं 16)	5,27.14	4,36.52
			सामाजिक सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क एवं 16)	72,21.37	62,14.29
			आर्थिक सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क एवं 16)	1,28,74.77	1,03,28.91
कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां (सन्दर्भ विवरण 3, 7 एवं 18)	1,51,33.41	17,13.53	कर्ज तथा अग्रिमों का वितरण (सन्दर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)	13,34.02	1,29,65.45
			सामान्य सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)
			सामाजिक सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)	2,09.42	2,18.95
			आर्थिक सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)	11,24.60	1,27,46.50
			अन्य (सन्दर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)	.. @	..
लोक ऋण प्राप्तियां (सन्दर्भ विवरण 3, 6 एवं 17)	2,85,56.57	4,38,88.85	लोक ऋण का पुनर्भुगतान (सन्दर्भ विवरण 4-क, 6 एवं 17)	1,16,73.66	50,14.57
आंतरिक ऋण (बाजार कर्ज इत्यादि) (सन्दर्भ विवरण 3, 6 एवं 17)	2,69,99.67 (ख)	4,04,33.50	आंतरिक ऋण (बाजार कर्ज इत्यादि) (सन्दर्भ विवरण 4-क, 6 एवं 17)	1,10,40.39 (ग)	44,40.66
भारत सरकार से कर्ज (सन्दर्भ विवरण 3, 6 एवं 17)	15,56.90	34,55.35	भारत सरकार से कर्ज (सन्दर्भ विवरण 4-क, 6 एवं 17)	6,33.27	5,73.91
			आकस्मिकता निधि को अंतरण (सन्दर्भ विवरण 21)
कुल प्राप्तियां-समेकित निधि (सन्दर्भ विवरण 3)	17,10,13.77	15,46,56.22	कुल व्यय-समेकित निधि (सन्दर्भ विवरण 4)	17,94,72.48	16,20,99.88
समेकित निधि में घाटा	84,58.71	74,43.66	समेकित निधि में अधिशेष
भाग II - आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि (सन्दर्भ विवरण 21)	आकस्मिकता निधि (सन्दर्भ विवरण 21)

@ ₹ 23,307 मात्र ।

(क) इसमें संवेतन पर ₹ 79.53 करोड़, तथा स्थानीय निकायों को जारी की गई निधियों पर ₹ 14,43.24 करोड़ का व्यय सम्मिलित है।

(ख) वर्ष 2017-18 के दौरान "राष्ट्रीय अल्प बचत निधि" के अन्तर्गत कर्ज प्राप्ति नहीं हुई ।

(ग) इसमें वर्ष 2017-18 के दौरान "राष्ट्रीय अल्प बचत निधि" के अन्तर्गत कर्ज पुनर्भुगतान से सम्बन्धित ₹ 15,35.76 करोड़ सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 2- (समाप्त)

प्राप्तियां	2017-18	2016-17	संवितरण	2017-18	2016-17
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)	
भाग III- लोक लेखे (क)					
अल्प बचत (सन्दर्भ विवरण 21)	93,45.61	86,20.13	अल्प बचत (सन्दर्भ विवरण 21)	61,44.84	52,40.13
आरक्षित तथा निक्षेप निधियां (सन्दर्भ विवरण 21)	58,20.77	48,85.13	आरक्षित तथा निक्षेप निधियां (सन्दर्भ विवरण 21)	54,25.61	47,63.19
जमाएं (सन्दर्भ विवरण 21)	14,26,01.88	14,42,89.23	जमाएं (सन्दर्भ विवरण 21)	13,69,00.22	14,10,49.60
अग्रिम (सन्दर्भ विवरण 21)	1.51	2.84	अग्रिम (सन्दर्भ विवरण 21)	0.01	1.00
उचन्त तथा विविध (सन्दर्भ विवरण 21)	17,33,67.56	14,83,06.48	उचन्त तथा विविध (ख) (सन्दर्भ विवरण 21)	17,42,11.34	14,80,94.80
प्रेषण (सन्दर्भ विवरण 21)	13,45.05	1,31.63	प्रेषण (सन्दर्भ विवरण 21)	13,34.86	1,34.50
कुल प्राप्तियां-लोक लेखे (सन्दर्भ विवरण 21)	33,24,82.38	30,62,35.44	कुल व्यय-लोक लेखे (सन्दर्भ विवरण 21)	32,40,16.88	29,92,83.22
लोक लेखे में घाटा	लोक लेखे में अधिशेष	84,65.50	69,52.22
प्रारंभिक रोकड़ शेष	(-) 2.16	4,89.28	अन्तिम रोकड़ शेष	4.63	(-) 2.16
रोकड़ शेष में वृद्धि	6.79	..	रोकड़ शेष में कमी	..	4,91.44

(क) ब्योरे के लिये कृपया खण्ड II में विवरण संख्या 21 देखें ।

(ख) "उचन्त तथा विविध" में 'अन्य लेखे' जैसे रोकड़ शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि सम्मिलित है । इन अन्य लेखों की वजह से आंकड़े अत्यधिक दिखाई दे सकते हैं । ब्योरे के लिये कृपया खण्ड II में विवरण संख्या 21 देखें ।

विवरण संख्या 2 का अनुबन्ध

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
	(₹ करोड़ में)	
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
1. खजानों में रोकड़	0.05	0.05
2. रिजर्व बैंक में जमा	11.09 *	(-) 2.28
3. स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण	(-) 6.51	0.07
योग	4.63	(-) 2.16
रोकड़ शेष निवेश लेखा में हुए निवेश	64,01.72	55,85.10
योग (क)	64,06.35	55,82.94
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
1. विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ यथा लोक निर्माण एवं वन विभाग के खण्डीय अधिकारी	1.03	1.13
2. विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थायी पेशगियां	2.90	2.93
3. पृथक आरक्षित निधियों में निवेश	29,66.71 *	25,25.46
योग (ख)	29,70.64	25,29.52
योग (क) और (ख)	93,76.99	81,12.46

रोकड़ व रोकड़ तुल्य : रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य के अन्तर्गत कोषालयों में रोकड़, भारतीय रिजर्व बैंक की जमा, अन्य बैंकों तथा मार्गस्थ प्रेषण जैसा कि ऊपर दिखाया गया, सम्मिलित हैं। शीर्ष 'रिजर्व बैंक की जमा' के अन्तर्गत शेष, वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाता है। सम्पूर्ण रोकड़ स्थिति, कोषालयों में रोकड़ शेष, विभागीय तथा रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों इत्यादि में से निवेश को "भारतीय रिजर्व बैंक की जमा" के शेष में जोड़ने पर ज्ञात होती है।

* इस अनुबन्ध के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणी का पैरा क्रमशः (च) तथा (छ) देखें।

विवरण संख्या 2 का अनुबन्ध - (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणी

- (क) **प्रतिदिन रोकड़ शेष** :- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार के अधीन, राज्य सरकार को 01-03-1999 से समस्त दिवसों को ₹ 2.34 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बैंक में बनाये रखना होगा। यदि यह शेष राशि अनुबन्ध के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी दिन नीचे आती है, तब कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष लेकर की जाती हैं। 31 मार्च 2018 तक न्यूनतम रोकड़ शेष की इस सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

दैनिक रोकड़ शेष बनाये रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष को मंजूर करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लिये प्रतिवेदित लेन-देन (भारतीय रिजर्व बैंक काउण्टर पर, अंतर सरकार लेन-देन तथा खजाना लेन-देन एजेंसी बैंक द्वारा प्रतिवेदित) के साथ 14 दिवसीय कोषालय देयकों की धारिता का मूल्यांकन करता है। 14 दिवसीय कोषालय देयक की परिपक्वता पर यदि कोई हो, जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उसे जोड़ा जाता है तथा आधिक्य शेष यदि कोई हो, न्यूनतम रोकड़ शेष को बनाये रखने के पश्चात उसे खजाना बिलों में पुनर्निवेशित किया जाता है। यदि निकाला गया कुल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है या जमा अवशेष में आता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषालय देयक परिपक्व नहीं हो रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय कोषालय देयक की धारिता की कटौती करती है और कमी को पूरा कर दिया जाता है। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना देयक की धारिता नहीं है, राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम / अधिविकर्ष के लिये आवेदन करती है।

- (ख) 27.01.2016 को राज्य सरकार को साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा बढ़ाकर ₹ 16,30.00 करोड़ कर दी गयी, उक्त सीमा 31 मार्च 2018 तक प्रचलित थी। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने पर भी सहमत हो गयी। बैंक द्वारा समय-समय पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा संशोधित की गयी। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2017 को ₹ 23,68.71 करोड़ तथा 31 मार्च 2018 को ₹ 27,87.90 करोड़ थी।

बढ़ी हुई सीमा जहां तक सरकार ने 2017-18 के दौरान रिजर्व बैंक में न्यूनतम रोकड़ शेष का संधारण किया वह नीचे दी गई है :-

रिजर्व बैंक में न्यूनतम रोकड़ शेष का विवरण	दिवसों की संख्या
उन दिनों की संख्या जब बिना कोई अग्रिम प्राप्त किये न्यूनतम शेष बनाये रखा गया	365
उन दिनों की संख्या जब विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने के उपरान्त न्यूनतम शेष बनाये रखा गया	शून्य
उन दिनों की संख्या जब साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेने के उपरान्त न्यूनतम शेष बनाये रखा गया	शून्य
उन दिनों की संख्या जब उपरोक्त अग्रिमों को प्राप्त करने के बाद न्यूनतम शेष में कमी थी, किन्तु कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया	शून्य
उन दिनों की संख्या जब ओवरड्राफ्ट लिये गये	शून्य

(i) **विशेष अर्थोपाय अग्रिम** :- 1 अप्रैल 2017 को विशेष अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत शेष शून्य था। वर्ष 2017-18 के दौरान कोई विशेष अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया गया। वर्ष 2017-18 के अंत में भी शेष शून्य था।

(ii) **साधारण अर्थोपाय अग्रिम** :- 1 अप्रैल 2017 को साधारण अर्थोपाय अग्रिम का शेष शून्य था। वर्ष 2017-18 के दौरान कोई साधारण अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया गया। वर्ष 2017-18 के अंत में भी शेष शून्य था।

(iii) **अधिविकर्ष** :- गत वर्ष अर्थात् 2016-17 की समाप्ति पर शून्य अधिविकर्ष बकाया था। वर्ष 2017-18 के दौरान कोई अधिविकर्ष नहीं लिया गया। वर्ष 2017-18 के अन्त में भी शेष शून्य था।

31 मार्च 2006 तक अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष पर ब्याज की दर बैंक दर के अनुरूप देय थी। बैंक दर के विरुद्ध 1 अप्रैल 2006 से रेपो दर लागू की गयी। 04 अक्टूबर 2016 से रेपो दर 6.25 प्रतिशत। यह आगे 2017-18 में संशोधित की गयी अर्थात् 02 अगस्त 2017 से 6.00 प्रतिशत। उक्त सीमा 31 मार्च 2018 तक प्रचलित थी।

साधारण अर्थोपाय अग्रिम के संबंध में ब्याज 90 दिन तक रेपो दर के समान तथा 90 दिन से अधिक के लिए रेपो दर से 1 प्रतिशत अधिक देय था।

विशेष अर्थोपाय अग्रिमों पर लागू ब्याज दर 1 अप्रैल 2006 से प्रभावी रेपो दर से 1 प्रतिशत कम भारित किया गया। यह अब तक लागू है।

अधिविकर्ष पर ब्याज के संबंध में साधारण अर्थोपाय अग्रिम की 100 प्रतिशत सीमा तक रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक तथा साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 100 प्रतिशत से अधिक पर रेपो दर से पांच प्रतिशत अधिक होगा।

विवरण संख्या 2 का अनुबन्ध - (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणी - (समाप्त)

2017-18 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान साधारण अर्थोपाय अग्रिमों, विशेष अर्थोपाय अग्रिमों और अधिविकर्षों पर भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान किया गया ब्याज निम्न प्रकार है :-

वर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16	शून्य
2016-17	शून्य
2017-18	शून्य

(ग) वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 17,41,32.68 करोड़ की राशि के भारत सरकार के कोषालय बिल 156 अवसरों में खरीदे गये तथा 285 अवसरों में ₹ 17,3316.06 करोड़ पुनः बट्टे करवाये गये।

(घ) 31 मार्च 2018 को नकद शेष निवेश लेखे में हुए निवेशों का विश्लेषण निम्न प्रकार है :-

	राशि (₹ करोड़ में)
(i) भारत सरकार के कोषालय बिल	64,01.55
(ii) भारत सरकार की प्रतिभूतियां	0.01
(iii) राजस्थान सरकार की प्रतिभूतियां	0.03
(iv) स्टर्लिंग प्रतिभूतियां	0.05
(v) बैंकों के पास अल्पावधि जमा तथा अन्य लेखे	0.08
योग	64,01.72

(ङ) वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के कोषालय बिलों की खरीद से रोकड़ शेष के निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज ₹ 3,65.84 करोड़ था।

(च) 'रिजर्व बैंक के साथ जमा' के समक्ष शेष सरकारी लेखों के अनुसार शेष के द्योतक है जिसमें 15 अप्रैल 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये गये अन्तर सरकार मौद्रिक परिशोधन शामिल है। लेखों में दर्शाये गये आंकड़े [₹ 11,09,51,597.62 (नामे)] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित [₹ 1,17,53,83,707.03 (नामे)] के मध्य ₹ 1,28,63,35,304.65 (जमा) का निवल अन्तर था। ₹ 1,28,56,83,519.65 का मिलान किया गया तथा समाशोधित किया गया। ₹ 6,51,785 का अन्तर मिलान के अन्तर्गत है।

(छ) भारत सरकार की प्रतिभूतियों में राशि ₹ 1,70.55 करोड़ निवेशित किये गये। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 27,96.16 करोड़ गारन्टी मोचन निधि से निवेशित किये गये। पृथक आरक्षित निधि में से किये गये निवेश का ब्यौरा, विवरण संख्या 22 में दिये गये हैं।

विवरणसंख्या 3 – प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

विवरण	वास्तविक	
	2017-18	2016-17
(₹ करोड़ में)		
I -समेकित निधि		
क. कर राजस्व		
क.1 स्वयं का कर राजस्व		
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	1,21,37.02	..
भू-राजस्व	3,63.86	3,14.69
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	36,74.78	30,53.25
राज्य उत्पाद शुल्क	72,75.83	70,53.68
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,90,08.24	2,85,58.42
माल तथा यात्रा पर कर	3,40.78	8,03.28
वाहन कर	43,62.97	36,22.83
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	1.33	7.10
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	63.93	2,20.08
विद्युत पर कर तथा शुल्क	33,76.67	7,38.24
अन्य (₹1 करोड़ से कम)	.. @	0.09
योग-क.1 स्वयं का कर राजस्व	5,06,05.41	4,43,71.66
क.2 कर के निवल आगम का भाग		
केन्द्र वस्तु एवं सेवा कर	5,20.04	..
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	37,36.48	..
निगम कर	1,13,34.29	1,07,39.39
निगम कर से भिन्न आय पर कर	95,71.00	74,63.91
सम्पदा शुल्क	(-) 0.34 (क)	24.59
सीमा शुल्क	37,35.30	46,19.67
संघ उत्पाद शुल्क	39,04.50	52,75.26
सेवाकर	42,26.75	54,32.95
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	(-) 0.01 (क)	0.09
अन्य
योग-क. 2 कर के निवल आगम का भाग	3,70,28.01	3,35,55.86
योग-क. कर राजस्व	8,76,33.42	7,79,27.52

विवरण संख्या 3 - (क्रमशः)

विवरण	वास्तविक	
	2017-18	2016-17
	(₹ करोड़ में)	
I -समेकित निधि-(क्रमशः)		
ख. करेतर राजस्व		
ब्याज प्राप्तियां	48,58.90	19,33.37
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	45,21.52	42,33.74
पेट्रोलियम	25,79.08	23,31.73
विविध सामान्य सेवाएं	7,62.36	6,60.70
जलपूर्ति तथा सफाई	6,24.38	5,47.21
श्रम एवं रोजगार	3,61.96	3,55.42
पुलिस	2,96.56	1,90.78
मुख्य सिंचाई	2,67.60	1,06.21
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2,45.44	73.54
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,07.55	2,10.51
वानिकी एवं वन्य जीव	1,82.26	1,13.00
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1,61.78	1,69.05
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1,30.67	1,25.39
लोक निर्माण कार्य	1,09.26	84.31
लाभांश तथा लाभ	66.76	67.80
सहकारिता	63.11	44.10
मछली पालन	61.16	57.59
बिजली	53.98	0.46
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूलियां	34.67	35.89
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22.46	87.66
फसल कृषि कर्म	20.64	5.29
पशु पालन	17.18	11.23
ग्राम एवं लघु उद्योग	11.58	10.00
मध्यम सिंचाई	10.12	6.56
अन्य सामाजिक सेवाएं	9.83	14.27
लघु सिंचाई	9.63	9.84
अन्य कृषि कार्यक्रम	9.01	8.58
आवास	8.45	6.71
शहरी विकास	6.94	18.18
सड़क एवं सेतु	6.82	6.56

विवरण संख्या 3 - (क्रमशः)

विवरण	वास्तविक	
	2017-18	2016-17
(₹ करोड़ में)		
I -समेकित निधि-(समाप्त)		
ख. करेतर राजस्व - (समाप्त)		
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	4.94	4.15
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2.51	2.54
लोक सेवा आयोग	1.19	79.71
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.05	0.87
पर्यटन	0.97	0.76
उद्योग	0.73	0.22
जेल	0.32	1.20
परिवार कल्याण	0.18	0.26
सूचना एवं प्रसारण	0.14	0.12
भूमि सुधार	0.03	0.06
योग- ख. करेतर राजस्व	1,57,33.72	1,16,15.57

II - भारत सरकार से अनुदान**ग. अनुदान****केन्द्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान****योजनेतर अनुदान ***

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान

राज्य आपदा मोचन निधि को अंशदान के अन्तर्गत अनुदान

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में अनुदान

अन्य अनुदान

राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान *

एक मुश्त अनुदान:

सामान्य केन्द्रीय सहायता

ई. ए. पी. के लिए केन्द्रीय सहायता

राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान

केन्द्रीय सड़क निधि के लिए अनुदान

अन्य अनुदान

..	34,71.49
..	8,68.50
..	9,90.82
..	5,97.03
..	..
..	71.46
..	1,23,59.20
..	2,15.14
..	8,15.83
..	..

* भारत सरकार द्वारा नये शीर्ष खोलने के कारण वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान को लेखे के नये शीर्षों के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 3 - (क्रमशः)

विवरण	वास्तविक	
	2017-18	2016-17
(₹ करोड़ में)		
II - भारत सरकार से अनुदान-(समाप्त)		
ग. अनुदान-(समाप्त)		
केन्द्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान-(समाप्त)		
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान *	(-) 0.12 (क)	1,08.11
केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान *	..	(-) 14.67
विशेष योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान *
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
केन्द्रीय सहायता/हिस्सा	1,52,52.69	..
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को अनुदान	1.46	..
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	2,59.75	..
केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	5,89.58	..
वित्त आयोग अनुदान		
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	26,57.47	..
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	6,92.93	..
राज्य आपदा प्रबन्धन निधि को सहायतार्थ अनुदान	9,12.00	..
अन्य स्थानान्तरण/विधानमण्डल वाले राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए अनुदान		
राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन निधि को अंशदान के लिए अनुदान	6,07.77	..
संसाधनों में अन्तर को नियंत्रित करने के लिए अनुदान	55.14	..
विशेष सहायता	84.52	..
जी.एस.टी. के कियान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति	25,98.00 (ख)	..
अन्य अनुदान	2,28.85	..
योग-ग. अनुदान	2,39,40.04	1,94,82.91
योग-राजस्व प्राप्ति (क+ख+ग)	12,73,07.18	10,90,26.00
III -पूंजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियां		
घ. पूंजीगत प्राप्तियां		
विनिवेश आगम	16.61	27.84
अन्य
योग- घ. पूंजीगत प्राप्तियाँ	16.61	27.84

(क) ऋण राशि राजस्व की वापसी के कारण है।

(ख) वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के लागू होने के बावजूद मार्च 2018 के राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में भारत सरकार से मई 2018 में ₹ 3,01.00 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह 2018-19 के लेखों में लेखांकित की जायेगी।

* भारत सरकार द्वारा नये शीर्ष खोलने के कारण वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान को लेखे के नये शीर्षों के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 3 - (समाप्त)

विवरण	वास्तविक	
	2017-18	2016-17
(₹ करोड़ में)		
III -पूँजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियां- (समाप्त)		
ख. लोक ऋण प्राप्तियां		
आंतरिक ऋण		
बाजार कर्ज	2,49,13.98	1,60,53.78
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बन्ध पत्र	..	2,23,72.20
भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम
वित्तीय संस्थानों से कर्ज	20,20.92	20,07.52
केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति
अन्य कर्ज	64.77	..
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		
योजनेतर कर्ज
राज्य योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	..	34,55.35
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज
केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज
राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	15,56.90	..
अन्य कर्ज
योग -ख. लोक ऋण प्राप्तियां	2,85,56.57	4,38,88.85
च. राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम (वसूलियां)*		
	1,51,33.41	17,13.53
योग-च. राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम (वसूलियां)	1,51,33.41	17,13.53
योग-समेकित निधि में प्राप्तियां (क+ख+ग+घ+ङ+च)	17,10,13.77	15,46,56.22

* ब्यौरे खण्ड 1 के विवरण संख्या 7 एवं खण्ड II के विवरण संख्या 18 में दिए गए हैं।

विवरण संख्या 4 - व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
	(₹ करोड़ में)			
क. सामान्य सेवाएं				
क.1 राज्य के अंग				
संसद/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	58.43	58.43
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	13.78	13.78
मंत्रि परिषद्	11.79	11.79
न्याय प्रशासन	8,44.09	8,44.09
चुनाव	98.04	98.04
योग क.1 राज्य के अंग	10,26.13	10,26.13
क.2 राजकोषीय सेवाएं				
भू-राजस्व	6,53.05	6,53.05
मुद्रांक एवं पंजीयन	71.90	71.90
राज्य उत्पादन शुल्क	1,41.82	1,41.82
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	9,99.69	9,99.69
वाहनों पर कर	1,17.72	1,17.72
राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण शुल्क	87.65	87.65
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	23.01	23.01
अन्य राजकोषीय सेवाएं	2.48	0.20	..	2.68
ब्याज अदायगियां *	1,97,19.99	1,97,19.99
योग क. 2 राजकोषीय सेवाएं	2,18,17.31	0.20	..	2,18,17.51
क.3 प्रशासनिक सेवाएं				
लोक सेवा आयोग	43.74	43.74
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1,91.06	1,91.06
जिला प्रशासन	4,43.67	4,43.67
खजाना तथा लेखा प्रशासन	2,52.27	2,52.27
पुलिस	46,59.62	1,59.67	..	48,19.29

* ब्याज अदायगियां राजकोषीय सेवाओं का भाग नहीं हैं ।

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (क्रमशः)

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
		(₹ करोड़ में)		
क. सामान्य सेवाएं—(समाप्त)				
क.3 प्रशासनिक सेवाएं—(समाप्त)				
जेल	1,69.89	1,69.89
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	29.79	0.09	..	29.88
लोक निर्माण कार्य	59.06	3,52.14	..	4,11.20
सर्तकता	8.26	8.26
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,51.38	15.04	..	2,66.42
योग क. 3 प्रशासनिक सेवाएं	61,08.74	5,26.94	..	66,35.68
क.4 पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं				
पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ	1,39,25.23	1,39,25.23
विविध सामान्य सेवाएं	5,72.95	5,72.95
योग क.4 पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	1,44,98.18	1,44,98.18
योग क. सामान्य सेवाएं	4,34,50.36	5,27.14	..	4,39,77.50
ख. सामाजिक सेवाएं				
ख.1 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति				
सामान्य शिक्षा	2,62,88.91	5,14.62 *	..	2,68,03.53
तकनीकी शिक्षा	1,69.25	1,69.25
खेलकूद तथा युवा सेवाएं	1,08.21	1,08.21
कला एवं संस्कृति	1,01.71	1,01.71
योग ख.1 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	2,66,68.08	5,14.62	..	2,71,82.70
ख.2 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	66,96.97	6,57.53	0.10	73,54.60
परिवार कल्याण	26,45.15	(-) 0.09 (क)	..	26,45.06
योग ख.2 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	93,42.12	6,57.44	0.10	99,99.66

* इसमें तकनीकी शिक्षा, खेलकूद तथा युवा सेवाएं तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत व्यय सम्मिलित हैं।
(क) ऋण आंकड़े गत वर्षों की अवशेष राशि जमा कराने के कारण हैं।

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (क्रमशः)

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
(₹ करोड़ में)				
ख. सामाजिक सेवाएं – (क्रमशः)				
ख.3 जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास				
जलपूर्ति तथा सफाई	30,06.87	45,90.43	..	75,97.30
आवास	55.94	20.38	..	76.32
शहरी विकास	41,66.63	9,15.59	1,22.53	52,04.75
योग ख.3 जलपूर्ति, सफाई , आवास तथा शहरी विकास	72,29.44	55,26.40	1,22.53	1,28,78.37
ख.4 सूचना तथा प्रसारण				
सूचना तथा प्रचार	69.21	2.48	..	71.69
योग ख.4 सूचना तथा प्रसारण	69.21	2.48	..	71.69
ख.5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	13,27.99	2,77.44	1.79	16,07.22
योग ख.5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	13,27.99	2,77.44	1.79	16,07.22
ख.6 श्रमिक तथा श्रम कल्याण				
श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	5,48.71	5,48.71
योग ख.6 श्रमिक तथा श्रम कल्याण	5,48.71	5,48.71
ख.7 समाज कल्याण तथा पोषण				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	47,96.82	8.68	80.00	48,85.50
पोषण	14,77.86	19.88	..	14,97.74
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	15,25.13	15,25.13
योग ख.7 समाज कल्याण तथा पोषण	77,99.81	28.56	80.00	79,08.37

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (क्रमशः)

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
(₹ करोड़ में)				
ख. सामाजिक सेवाएं – (समाप्त)				
ख. 8 अन्य				
अन्य सामाजिक सेवाएं	53.86	2,14.43	5.00	2,73.29
सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	24.85	24.85
योग ख. 8 अन्य	78.71	2,14.43	5.00	2,98.14
योग ख. सामाजिक सेवाएं	5,30,64.07	72,21.37	2,09.42	6,04,94.86
ग. आर्थिक सेवाएं				
ग.1 कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया कलाप				
फसल कृषि-कर्म	25,67.35	1,81.52	22.10	27,70.97
मृदा तथा जल संरक्षण	62.25	62.25
पशु-पालन	9,97.43	29.03	..	10,26.46
डेयरी विकास	1.77	1.77
मछली पालन	12.11	2.94	..	15.05
वानिकी तथा वन्य प्राणी	7,16.70	1,60.58	..	8,77.28
खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार	70.00	70.00
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2,39.92	2,39.92
सहकारिता	5,06.18	16.94	5,53.03	10,76.15
अन्य कृषि कार्यक्रम	9.84	9.84
योग ग.1 कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	51,13.55	3,91.01	6,45.13	61,49.69
ग.2 ग्राम विकास				
ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	9,22.10	9,22.10
ग्राम रोजगार	55,73.85	55,73.85
अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	85,18.99	6,53.00	..	91,71.99
योग ग.2 ग्राम विकास	1,50,14.94	6,53.00	..	1,56,67.94
ग.3 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.74	3,86.28	..	3,88.02
योग ग.3 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.74	3,86.28	..	3,88.02

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (क्रमशः)

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
(₹ करोड़ में)				
ग. आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः)				
ग.4 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण				
मुख्य सिंचाई	15,76.06	14,08.11	..	29,84.17
मध्यम सिंचाई	3,19.09	1,73.76	..	4,92.85
लघु सिंचाई	1,43.74	3,99.49	..	5,43.23
सिंचित क्षेत्र विकास	18.18	1,33.14	..	1,51.32
बाढ़ नियंत्रण तथा निकास	..	73.88	..	73.88
योग ग.4 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	20,57.07	21,88.38	..	42,45.45
ग.5 ऊर्जा				
बिजली	2,34,42.56	38,49.92	3,41.57	2,76,34.05
पेट्रोलियम	1.18	66.30	..	67.48
नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा	11.99	11.99
योग ग.5 ऊर्जा	2,34,55.73	39,16.22	3,41.57	2,77,13.52
ग.6 उद्योग तथा खनिज				
ग्राम तथा लघु उद्योग	52.24	1.76	..	54.00
उद्योग	88.24	88.24
अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	2,07.77	2.87	..	2,10.64
उपभोक्ता उद्योग	..	(-) 0.09 (क)	0.25	0.16
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	..	8.62	..	8.62
योग ग. 6 उद्योग तथा खनिज	3,48.25	13.16	0.25	3,61.66
ग.7 परिवहन				
सड़क तथा सेतु	15,93.36	45,39.32	..	61,32.68
सड़क परिवहन	5,84.05	..	42.50	6,26.55
अन्य परिवहन सेवाएं	95.15	95.15
योग ग. 7 परिवहन	21,77.41	45,39.32	1,37.65	68,54.38

(क) ऋण आंकड़े गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, जयपुर में विनिवेश के कारण हैं।

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (क्रमशः)

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
(₹ करोड़ में)				
ग. आर्थिक सेवाएं – (समाप्त)				
ग.9 विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	17.48	3.04	..	20.52
परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	2.36	2.36
योग ग. 9 विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	19.84	3.04	..	22.88
ग.10 सामान्य आर्थिक सेवाएं				
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	2,33.14	2,33.14
पर्यटन	1,35.35	30.92	..	1,66.27
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	4,10.34	4,10.34
सिविल पूर्ति	3,18.52	3,18.52
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	41.10	7,53.44	..	7,94.54
योग ग. 10 सामान्य आर्थिक सेवाएं	11,38.45	7,84.36	..	19,22.81
योग ग. आर्थिक सेवाएं	4,93,26.98	1,28,74.77	11,24.60	6,33,26.35
घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान				
स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षति पूर्ति तथा समनुदेशन	0.11	0.11
योग घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	0.11	0.11
ड. लोक ऋण				
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	1,10,40.39	1,10,40.39
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	6,33.27	6,33.27
योग ड लोक ऋण	1,16,73.66	1,16,73.66

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (समाप्त)

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
		(₹ करोड़ में)		
च. कर्ज तथा अग्रिम #				
सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि*	..
योग च. कर्ज तथा अग्रिम
योग - समेकित निधि में व्यय (क+ख+ग+घ+ङ+च)	14,58,41.52	2,06,23.28	1,30,07.68	17,94,72.48

मुख्य शीर्ष के आंकड़े जिन्हें राजस्व एवं पूंजी में शामिल नहीं किया गया है, इस वर्ग के अन्तर्गत दिखाये गये हैं ।

* मात्र ₹ 23,307

व्यय का उद्देश्य	2017-18		
	राजस्व	पूंजी	योग
	(₹ करोड़ में)		
संवेतन	3,70,54.87	79.53	3,71,34.40
सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	2,87,70.77	..	2,87,70.77
सहाय्य	2,36,74.31	..	2,36,74.31
ब्याज/ लाभांश	1,97,24.87	..	1,97,24.87
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	1,28,41.98	..	1,28,41.98
मुख्य कार्य	..	88,92.66	88,92.66
सड़क एवं पुल का निर्माण	..	52,54.23	52,54.23
सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	51,16.24	..	51,16.24
पेंशन एवं उपदान	41,02.09	..	41,02.09
पूंजीगत निवेश	..	40,63.27	40,63.27
निधि को स्थानान्तरण	37,56.27	..	37,56.27
विद्युत खर्च तथा जल खर्च	17,95.37	74.59	18,69.96
पूंजी लेखे पर ब्याज	14,32.16	..	14,32.16
लघु कार्य	5.60	11,81.21	11,86.81
पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान	10,97.88	..	10,97.88
अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान	10,83.29	..	10,83.29
संचार, सूचना एवं तकनीकी उपकरणों पर व्यय	4,42.96	6,36.69	10,79.65
मरम्मत एवं रखरखाव	9,99.10	45.86	10,44.96
छात्रवृत्ति एवं वजीफा	10,44.04	..	10,44.04
जोड़िए-आनुपातिक व्यय	1,13.76	8,56.90	9,70.66
विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय	8,82.07	10.18	8,92.25
उन्नयन एवं मानदेय पर व्यय	8,83.20	..	8,83.20
खाद्य सामग्री	7,75.39	..	7,75.39
मजदूरी	5,56.45	60.24	6,16.69
कार्यालय व्यय	3,87.75	1.99	3,89.74
संविदा पर व्यय	3,40.63	0.80	3,41.43
मशीनरी तथा साज सामान/ औजार तथा संयंत्र	1,42.09	1,76.24	3,18.33
परिवहन, संग्रहण एवं वितरण व्यय	2,79.11	11.82	2,90.93
विविध व्यय	2,42.62	0.01	2,42.63
विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय	1,99.65	0.20	1,99.85
भेषज और औषधियां	1,69.34	..	1,69.34

4 - (क्रमशः)

अनुसार व्यय

2016-17			2015-16		
राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
2,94,69.77	81.73	2,95,51.50	2,53,38.21	85.85	2,54,24.06
2,20,86.52	1.54	2,20,88.06	2,10,51.57	2.69	2,10,54.26
1,72,07.67	..	1,72,07.67	1,04,61.00	..	1,04,61.00
1,76,81.87	..	1,76,81.87	1,20,13.15	..	1,20,13.15
1,15,96.11	..	1,15,96.11	1,03,46.39	..	1,03,46.39
..	76,26.31	76,26.31	0.10	69,02.90	69,03.00
..	30,18.63	30,18.63	..	30,77.80	30,77.80
85,72.07	..	85,72.07	81,19.02	..	81,19.02
39,22.53	..	39,22.53	35,95.11	..	35,95.11
..	43,44.16	43,44.16	..	95,32.37	95,32.37
37,38.83	..	37,38.83	36,38.08	..	36,38.08
14,87.75	66.32	15,54.07	13,70.09	52.28	14,22.37
12,90.08	..	12,90.08	11,93.34	..	11,93.34
62.83	10,65.03	11,27.86	55.27	9,72.69	10,27.96
13,82.13	..	13,82.13	13,73.83	..	13,73.83
6,99.56	..	6,99.56	5,17.64	..	5,17.64
4,45.23	4,56.24	9,01.47	3,80.84	4,44.86	8,25.70
5,64.54	43.95	6,08.49	5,78.42	58.59	6,37.01
9,53.07	..	9,53.07	8,11.05	..	8,11.05
97.59	6,02.02	6,99.61	52.56	7,44.38	7,96.94
5,98.28	4.22	6,02.50	5,34.71	9.97	5,44.68
8,19.09	..	8,19.09	7,89.00	..	7,89.00
7,23.40	..	7,23.40	6,96.10	..	6,96.10
5,46.26	56.51	6,02.77	5,33.34	50.11	5,83.45
3,08.91	1.74	3,10.65	3,03.91	1.93	3,05.84
3,02.30	0.77	3,03.07	2,70.22	0.68	2,70.90
2,00.70	69.63	2,70.33	1,90.47	28.75	2,19.22
4,32.80	17.75	4,50.55	2,46.10	19.43	2,65.53
3,39.13	13.95	3,53.08	3,85.94	2.21	3,88.15
1,50.72	0.12	1,50.84	1,14.78	0.96	1,15.74
1,58.56	..	1,58.56	1,02.87	..	1,02.87

व्यय का उद्देश्य	2017-18		योग
	राजस्व	पूंजी	
	(₹ करोड़ में)		
आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन व्यय	..	1,64.12	164.12
यात्रा व्यय	1,21.04	1.43	1,22.47
जल धाराएं तथा भूमिगत नालियां	..	1,01.18	1,01.18
प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	95.59	0.67	96.26
पुस्तकालय एवं पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय	94.20	..	94.20
वृत्तिक और विशिष्ठ सेवाएं	87.40	5.02	92.42
सामग्री और प्रदाय	86.05	..	86.05
कार्य कलाप संबंधी वाहनों का संधारण	82.99	0.90	83.89
चिकित्सा व्यय	78.62	0.79	79.41
स्कन्ध एवं भंडारण (विकलन)	1.11	76.13	77.24
वाहनों का किराया	74.59	1.01	75.60
निर्माण कार्यों में राज्यांश	74.46	0.01	74.47
नहरें	..	70.60	70.60
वितरण व्यवस्था में सुधार	62.16	..	62.16
त्यौहार एवं प्रदर्शनी	61.96	..	61.96
अनुसंधान मूल्यांकन	58.73	1.06	59.79
वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	59.30	0.15	59.45
डिक्रीटल व्यय	55.82	0.46	56.28
वानिकी	13.13	41.66	54.79
कार्यकलाप वाहनों का चालू रखना एवं संधारण	35.44	0.03	35.47
वाहनों का क्रय	16.51	8.91	25.42
रसायनिक व्यय	20.15	..	20.15
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	19.08	..	19.08
किराया, दर और कर/ रायल्टियां	17.85	0.47	18.32
बिस्तर एवं कपड़े	14.11	..	14.11
उत्पादन लेखा (विकलन)	12.89	1.07	13.96
वापसी राशि पर देय ब्याज	13.50	..	13.50
छपाई व्यय	12.01	..	12.01
सार्वजनिक निर्माण कार्य लेखा (विकलन)	1.02	9.59	10.61
मेस व्यवस्था	9.88	..	9.88
लेखन सामग्री	9.17	..	9.17

4 - (क्रमशः)

अनुसार व्यय - (क्रमशः)

2016-17			2015-16		
राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
47.32	36.93	84.25	17.48	77.46	94.94
1,20.75	1.34	1,22.09	1,16.31	1.29	1,17.60
..	88.23	88.23	..	73.47	73.47
89.91	0.35	90.26	76.89	0.15	77.04
1,82.26	..	1,82.26	1,29.39	..	1,29.39
1,13.49	0.41	1,13.90	90.52	2.90	93.42
66.53	..	66.53	79.01	..	79.01
64.59	0.95	65.54	60.43	1.10	61.53
74.05	0.57	74.62	70.51	0.65	71.16
1.44	84.67	86.11	1.45	1,18.54	1,19.99
70.67	0.81	71.48	56.08	0.80	56.88
70.97	0.02	70.99	71.45	0.03	71.48
..	1,08.19	1,08.19	..	83.42	83.42
58.07	..	58.07	71.98	..	71.98
39.04	..	39.04	13.65	..	13.65
61.89	2.33	64.22	8.71	0.21	8.92
58.52	0.13	58.65	57.90	0.13	58.03
35.90	0.75	36.65	7.68	0.16	7.84
9.77	7.84	17.61	10.86	12.65	23.51
31.57	0.04	31.61	28.17	0.04	28.21
36.71	0.13	36.84	55.09	0.01	55.10
14.74	..	14.74	12.82	..	12.82
17.18	..	17.18	14.05	..	14.05
20.03	0.87	20.90	18.91	0.35	19.26
18.93	..	18.93	8.28	..	8.28
15.66	1.12	16.78	16.18	2.57	18.75
6.42	..	6.42	8.44	..	8.44
9.91	..	9.91	10.93	..	10.93
1.46	13.59	15.05	1.07	20.53	21.60
9.82	..	9.82	9.20	..	9.20
9.08	..	9.08	9.77	..	9.77

व्यय का उद्देश्य	2017-18		योग
	राजस्व	पूंजी	
	(₹ करोड़ में)		
इनाम तथा क्षतिपूर्ति	3.85	3.62	7.47
प्रकाशन	6.69	..	6.69
प्राकृतिक जल पर व्यय	6.25	..	6.25
विशेष क्रय	6.14	..	6.14
जैव चिकित्सा कचरा	5.06	..	5.06
शाखायें	..	3.04	3.04
गुप्त सेवाओं पर व्यय	2.73	..	2.73
श्रम तथा रोजगार	2.61	0.01	2.62
सत्कार व्यय	2.59	..	2.59
प्रयोगशालाएं	1.51	..	1.51
रखरखाव-सामग्री	1.12	..	1.12
अंशदान	0.04	..	0.04
वित्तिकाएं	..	0.04	0.04
संधारण-स्थापना
घटाइये-शीर्ष:			
निधि से स्थानान्तरण	(-) 22,66.50	(-) 11,29.07	(-) 33,95.57
घटाइये-वसूलियां	(-) 11,18.58	(-) 9.85	(-) 11,28.43
स्कन्ध एवं संग्रहण (आंकलन)	(-) 1.13	(-) 64.45	(-) 65.58
निर्माण लेखा (आंकलन)	(-) 12.65	(-) 1.64	(-) 14.29
सार्वजनिक निर्माण कार्य लेखा (आंकलन)	(-) 0.88	(-) 9.33	(-) 10.21
मशीनरी एवं उपकरण (आंकलन)	..	(-) 0.77	(-) 0.77
अन्य - 1 करोड़ से कम	0.05	..	0.05
योग	14,58,41.52	2,06,23.28	16,64,64.80

4 - (समाप्त)

अनुसार व्यय - (समाप्त)

2016-17			2015-16		
राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
3.97	..	3.97	2.91	46.75	49.66
4.23	..	4.23	5.35	..	5.35
5.43	..	5.43	5.16	..	5.16
4.72	..	4.72	6.51	..	6.51
4.44	..	4.44	4.16	..	4.16
..	2.77	2.77	..	3.69	3.69
3.17	..	3.17	3.25	..	3.25
2.62	..	2.62	2.48	..	2.48
3.28	..	3.28	2.06	..	2.06
1.74	..	1.74	1.87	..	1.87
2,90.48	..	2,90.48	3,81.44	..	3,81.44
28,26.28	..	28,26.28	31,59.80	..	31,59.80
..	27.30	27.30	..	22.08	22.08
..	8.08	..	8.08
(-) 23,47.49	(-) 7,60.75	(-) 31,08.24	(-) 25,74.64	(-) 2,89.60	(-) 28,64.24
(-) 8,45.23	(-) 9.46	(-) 8,54.69	(-) 9,41.12	(-) 11.63	(-) 9,52.75
(-) 1.32	(-) 79.89	(-) 81.21	(-) 1.68	(-) 1,27.91	(-) 1,29.59
(-) 10.30	(-) 0.29	(-) 10.59	(-) 22.13	(-) 1.90	(-) 24.03
(-) 1.40	(-) 19.25	(-) 20.65	(-) 1.26	(-) 39.13	(-) 40.39
..	(-) 0.60	(-) 0.60	..	(-) 2.04	(-) 2.04
0.54	.. *	0.54	0.68	0.04	0.72
12,71,40.14	1,69,79.72	14,41,19.86	10,62,39.24	2,19,85.26	12,82,24.50

* मात्र ₹ 24,816.

विवरण संख्या 5- प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण

मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक का प्रगामी व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में
<i>(₹ करोड़ में)</i>						
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4047.	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	1,81.64	0.20	1,81.84	(+) 0.11
4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	96.79	8,36.82	1,59.67	9,96.49	(+) 19.08
4058.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.09	8.66	0.09	8.75	(+) 1.04
4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3,22.41	25,90.72	3,52.14	29,42.86	(+) 13.59
4070.	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	17.22	47.27	15.04	62.31	(+) 31.82
योग-क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा		4,36.52	36,65.11	5,27.14	41,92.25	(+) 14.38
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
<i>(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा</i>						
4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,19.07	12,62.73	5,14.62	17,77.35	(+) 40.75
योग-(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा		1,19.07	12,62.73	5,14.62	17,77.35	(+) 40.75
<i>(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा</i>						
4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	5,15.35	29,34.50	6,57.53	35,92.03	(+) 22.41
4211.	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	(-) 1.05	1,15.06	(-) 0.09 (क)	1,14.97	(-) 0.08
योग-(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा		5,14.30	30,49.56	6,57.44	37,07.00	(+) 21.56

(क) ऋण आंकड़े गत वर्षों की अनुपयोजित राशि जमा कराने के कारण हैं।

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक का प्रगामी व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में
(₹ करोड़ में)						
ख . सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा						
4215.	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	41,94.24	3,35,83.57	45,90.43	3,81,74.00	(+) 13.67
4216.	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	7.18	5,14.67	20.38	5,35.05	(+) 3.96
4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	8,77.17	97,51.77	9,15.59	1,06,67.36	(+) 9.39
	योग - (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	50,78.59	4,38,50.01	55,26.40	4,93,76.41	(+) 12.60
(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा						
4220.	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	1.93	14.85	2.48	17.33	(+) 16.70
	योग - (घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा	1.93	14.85	2.48	17.33	(+) 16.70
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा						
4225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	3,03.28	24,32.89	2,77.44	27,10.33	(+) 11.40
	योग - (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	3,03.28	24,32.89	2,77.44	27,10.33	(+) 11.40
(च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा						
4235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	9.00	1,96.61	8.68	2,05.29	(+) 4.41
4236.	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	38.42	2,82.91	19.88	3,02.79	(+) 7.03
	योग - (च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा	47.42	4,79.52	28.56	5,08.08	(+) 5.96

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक का प्रगामी व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में
(₹ करोड़ में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)						
(छ) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4250.	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,49.70	4,59.03	2,14.43	6,73.46	(+) 46.71
	योग - (छ) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	1,49.70	4,59.03	2,14.43	6,73.46	(+) 46.71
	योग - ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	62,14.29	5,15,48.59	72,21.37	5,87,69.96	(+) 14.01
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा						
4401.	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	2,54.12	15,39.51	1,81.52	17,21.03	(+) 11.79
4402.	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	3,64.01	..	3,64.01	..
4403.	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4.50	63.66	29.03	92.69	(+) 45.60
4404.	डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	7.47	..	7.47	..
4405.	मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय	1.03	13.03	2.94	15.97	(+) 22.56
4406.	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	1,73.74	17,27.54	1,60.58	18,88.12	(+) 9.30
4408.	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.46	..	0.46	..
4415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	..	16.00	..	16.00	..
4425.	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	28.45	3,89.29	16.94	3,89.62 (क)	(+) 0.08
4435.	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	..	46.90	..	46.90	..
	योग - (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा	4,62.09	41,67.87	3,91.01	45,42.27	(+) 8.98

(क) पूंजी विनिवेश के कारण राशि ₹ 16,60,93,648 वर्ष के अंत तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किया गया है।

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक का प्रगामी व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में
(₹ करोड़ में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा						
4515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	5,47.13	55,80.20	6,53.00	62,33.20	(+) 11.70
	योग-(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	5,47.13	55,80.20	6,53.00	62,33.20	(+) 11.70
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा						
4575.	अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3,16.56	24,39.20	3,86.28	28,25.48	(+) 15.84
	योग -(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा	3,16.56	24,39.20	3,86.28	28,25.48	(+) 15.84
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा						
4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	11,95.28	1,25,79.81	14,08.11	1,39,87.92	(+) 11.19
4701.	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,09.89	20,31.69	1,73.76	22,05.45	(+) 8.55
4702.	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5,05.64	40,83.95	3,99.49	44,83.44	(+) 9.78
4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,24.43	21,61.04	1,33.14	22,94.18	(+) 6.16
4711.	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	24.21	2,65.60	73.88	3,39.48	(+) 27.82
	योग - (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	19,59.45	2,11,22.09	21,88.38	2,33,10.47	(+) 10.36
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा						
4801.	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	41,15.71	3,77,45.35	38,49.92	4,15,95.27	(+) 10.20
4802.	पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.01	66.30	66.31	663000.00
4810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	..	1.22	..	1.22	..
	योग -(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	41,15.71	3,77,46.58	39,16.22	4,16,62.80	(+) 10.38

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक का प्रगामी व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में
(₹ करोड़ में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा						
4851.	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.92	77.06	1.76	78.82	(+) 2.28
4852.	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.02	..	0.02	..
4853.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	5.95	1,95.66	2.87	1,98.53	(+) 1.47
4857.	रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	1.15	..	1.15	..
4858.	इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.24	..	0.24	..
4860.	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	2,22.91	(-) 0.09 (क)	2,22.82	(-) 0.04
4875.	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.11	..	0.11	..
4885.	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	1.40	3,90.44	8.62	3,99.06	(+) 2.21
योग -(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा		9.27	8,87.59	13.16	9,00.75	(+) 1.48
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा						
5002.	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय * *	..
5053.	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	..	4.49	..	4.49	..
5054.	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	24,20.87	1,80,34.38	45,39.32	2,25,73.70	(+) 25.17
5055.	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	..	6,13.17	..	6,13.17	..
योग -(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		24,20.87	1,86,52.04	45,39.32	2,31,91.36	(+) 24.34

* मात्र ₹ 23,465।

(क) ऋण आंकड़े, गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड में विनिवेश के कारण हैं।

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक का प्रगामी व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में
(₹ करोड़ में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)						
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा						
5425.	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	3.65	17.54	3.04	20.58	(+) 17.33
	योग - (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	3.65	17.54	3.04	20.58	(+) 17.33
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
5452.	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	27.46	3,88.32	30.92	4,19.24	(+) 7.96
5465.	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	..	76.11	..	76.11	..
5475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4,66.72	15,92.85	7,53.44	23,46.29	(+) 47.30
	योग - (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	4,94.18	20,57.28	7,84.36	28,41.64	(+) 38.13
	योग - ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	1,03,28.91	9,26,70.39	1,28,74.77	10,55,28.55 (क)	(+) 13.88
	कुल योग	1,69,79.72	14,78,84.09	2,06,23.28	16,84,90.76 (क)	(+) 13.93

(क) कृपया पृष्ठ संख्या 30 पर पाद टिप्पणी (क) देखें।

विवरण संख्या 5- (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिफल :- निम्नलिखित योजनाओं के प्रोफार्मा लेखे विभागों द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं :-

विभाग तथा उनके उपक्रमों का नाम	वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	अभ्युक्तियां
भू-जल विभाग		
(1) जोधपुर में पम्पिंग सैटों के क्रय और विक्रय की योजना	1975-76 से 1987-88 (नवम्बर 1987 तक)	योजना दिसम्बर, 1987 से गैर-वाणिज्यिक घोषित कर दी गई लेकिन इस अवधि से पूर्व की लेखापरीक्षा से मुक्त नहीं किया गया। लेखे प्रतीक्षित हैं।
(2) राजस्थान भू-जल विभाग, जोधपुर	1974-75 से 1987-88 (नवम्बर 1987 तक)	योजना दिसम्बर, 1987 से गैर-वाणिज्यिक घोषित कर दी गई लेकिन इस अवधि से पूर्व की लेखापरीक्षा से मुक्त नहीं किया गया। लेखे प्रतीक्षित हैं।

2. सरकार के निवेश:- वर्ष 2017-18 में सरकार ने सरकारी कम्पनियों (₹ 40,46.33 करोड़) तथा सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 0.33 करोड़) की अंश पूंजी में ₹ 40,46.66 करोड़ (निवल) निवेश किये। ब्यौरे विवरण संख्या 19 में दिये गये हैं।

2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के अंत में विभिन्न संस्थाओं की अंश पूंजी में सरकारी निवेश क्रमशः ₹ 3,74,17.62 करोड़, ₹ 4,17,33.94 करोड़ तथा ₹ 4,57,80.60 करोड़ था। उनसे प्राप्त लाभांश और ब्याज क्रमशः ₹ 97.41 करोड़ (0.26 प्रतिशत), ₹ 67.80 करोड़ (0.16 प्रतिशत) तथा ₹ 66.76 करोड़ (0.15 प्रतिशत) था। ब्यौरे विवरण संख्या 8 तथा 19 में दिये गये हैं।

3. कतिपय सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम परिशिष्ट संख्या -VIII में दिये गये हैं।

विवरण संख्या – 6 उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण

ऋण का स्वरूप	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2018 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)		कुल दायित्व का प्रतिशत
					राशि	%	
(₹ करोड़ में)							
क. लोक ऋण *							
6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण							
बाजार कर्ज	8,95,17.76	2,49,13.98	39,86.96	11,04,44.78	(+) 2,09,27.02	23.38	39.28
प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र	6,75,67.96	..	41,50.18	6,34,17.78	(-) 41,50.18	6.14	22.55
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	86,27.27	20,20.92	13,66.51	92,81.68	(+) 6,54.41	7.59	3.30
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,85,04.04	..	15,35.76	1,69,68.28	(-) 15,35.76	8.30	6.04
अन्य कर्ज	67.55	64.77	0.98	1,31.34	(+) 63.79	94.43	0.05
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम							
योजनेत्तर कर्ज	33.64	..	5.01	28.63	(-) 5.01	14.89	0.01
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज	1,10,95.76	..	6,06.58	1,04,89.18	(-) 6,06.58	5.47	3.73
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज	0.29	0.29
केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिये कर्ज	4.28	4.28
1984-85 से पूर्व के कर्ज	5.40	5.40
राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	..	15,56.90	21.68	15,35.22	(+) 15,35.22	..	0.55
योग-क. लोक ऋण	19,54,23.95	2,85,56.57	1,16,73.66	21,23,06.86	(+) 1,68,82.91	8.64	75.51

* विस्तृत लेखा खण्ड II के विवरण संख्या 17 में दिया गया है।

विवरण संख्या 6 - (क्रमशः)

(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का स्वरूप	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2018 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)		कुल दायित्व का प्रतिशत
					राशि	%	
(₹ करोड़ में)							
ख. अन्य दायित्व *							
लोक लेखे							
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	3,88,94.45	93,45.61	61,44.84	4,20,95.22	(+) 32,00.77	8.23	14.97
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	3,94.01	15,67.74	18,11.01	1,50.74	(-) 2,43.27	61.74	0.05
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	12,28.58	42,53.03	36,14.60	18,67.01	(+) 6,38.43	51.96	0.66
ब्याज वाली जमा	46,87.85	15,14.83	11,22.23	50,80.45	(+) 3,92.60	8.37	1.81
बिना ब्याज वाली जमा	1,43,72.71	14,10,87.05	13,57,77.99	1,96,81.77	(+) 53,09.06	36.94	7.00
योग-ख अन्य दायित्व	5,95,77.60	15,77,68.26	14,84,70.67	6,88,75.19	(+) 92,97.59	15.61	24.49
कुल योग	25,50,01.55	18,63,24.83	16,01,44.33	28,11,82.05	(+) 2,61,80.50	10.27	100.00

* विस्तृत लेखा खण्ड II के विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

राज्य विधान मण्डल द्वारा "राजस्थान राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016" पारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार कुल बकाया ऋण को वित्तीय वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 35.50 प्रतिशत तक सीमित रखेगी। 2017-18 के दौरान राज्य का वास्तविक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 33.46 प्रतिशत (केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन तथा आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ₹ 8,40,263 करोड़ अनुमानित अग्रिम घोषित) था।

विवरण संख्या 6- (क्रमशः)

(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण - (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1. परिशोधन व्यवस्था -

(क) खुले बाजार से कर्ज - वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) जागीर बाण्ड्स और भारत सरकार से लिए गए कर्ज - इन बाण्डों और ऋणों के परिशोधन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

2. अल्प बचत निधि से कर्ज - डाकघरों में "अल्प बचत योजनाएं" तथा "लोक भविष्य निधि" में संग्रहित राशि में से कर्ज राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार में 3:1 के अनुपात में बांटे गये हैं। वर्ष 1999-2000 में लघु बचत संग्रहण में से कर्ज जारी करने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" के नाम से एक अलग निधि की स्थापना की गयी। वर्ष 2017-18 के दौरान निधि से कर्ज नहीं लिया गया एवं वर्ष के दौरान ₹ 15,35.76 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 1,69,68.28 करोड़ का शेष बकाया था जो 31 मार्च 2018 को राज्य सरकार के कुल लोक ऋण का 7.99 प्रतिशत था।

3. भारत सरकार से लिए गए कर्ज तथा अग्रिम- ऋण भार में वृद्धि - 2017-18 के दौरान भारत सरकार से लिए गये कर्ज तथा अग्रिम के शेष में ₹ 9,23.63 करोड़ से वृद्धि हुई जो मुख्यतः राज्य/संघ राज्य, विधानमंडल योजनाओं सहित के लिए अधिक कर्ज प्राप्त होने के कारण रही।

31 मार्च 2018 को भारत सरकार से प्राप्त कर्ज उसी तिथि में राज्य सरकार के कुल लोक ऋण के 5.68 प्रतिशत के संगठक रहा।

4. राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण - ब्याज वाले बाजार कर्ज - इनके अन्तर्गत खुले बाजार से लिये गये लम्बी अवधि के कर्ज और भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजे और पुनर्वास अनुदानों के भुगतान हेतु जारी किए बाण्ड आते हैं जिन्हें दस वर्ष में चुकाना होता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 2,49,14.00 करोड़ के 19 कर्ज लिये गये थे। इन कर्जों पर ब्याज क्रमशः 7.23, 7.22, 7.51, 7.40, 7.45, 7.55, 7.64, 7.65, 7.65, 7.86, 7.88, 8.07, 8.28, 8.33, 8.13, 8.28, 8.44, 7.22 तथा 7.23 प्रतिशत है और 2027, 2028 तथा 2032 तक समतुल्य पर मोच्य है।

31 मार्च 2018 तक सरकार द्वारा लिये गये कर्जों एवं बकायों का ब्योरा, विवरण संख्या 17 के अनुबंध में दिया गया है। बाजार कर्जों का बकाया शेष राज्य सरकार के कुल लोक ऋण का 52.02 प्रतिशत था।

नितान्त अस्थायी प्रकृति के कोई उधार नहीं थे।

5. अन्य कर्ज- वित्तीय संस्थाओं से लिये गये कर्ज जैसे कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक (₹ 20,20.92 करोड़) से कर्ज हैं। ₹ 64.77 करोड़ का कर्ज राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड से लिया गया। ये कर्ज वर्ष के दौरान उधार के संघटक हैं। अन्य कर्जों का कुल बकाया शेष राज्य सरकार के लोक ऋण का 34.31 प्रतिशत था।

6. परिपक्व रूपरेखा-लोक ऋणों की परिपक्व रूपरेखा, पुनर्भुगतान समयावधि तथा बकाया ऋणों के ब्याज दर, विवरण संख्या 17 में दी गई है।

7. ऋण घटाने या उसके परिहार के लिए विनियोजन-निक्षेप निधि अस्तित्व में नहीं है।

विवरण संख्या 6--(क्रमशः)

(ii) ऋण सेवा

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज :- 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान बकाया सकल ऋण तथा अन्य दायित्वों और राजस्व से पूरित ब्याज प्रभार की कुल निवल राशि नीचे दर्शायी गयी है :-

	2017-18	2016-17	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) या कमी (-)
(₹ करोड़ में)			
(i) वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण तथा अन्य दायित्व			
(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर	25,44,02.08	23,43,18.40	(+) 2,00,83.68
(ख) अन्य दायित्वों पर	2,67,79.97	2,06,83.15	(+) 60,96.82
योग- (i)	28,11,82.05	25,50,01.55	(+) 2,61,80.50
(ii) सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज			
(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर	1,95,65.04 @	1,75,68.75	(+) 19,96.29
(ख) अन्य दायित्वों पर	1,54.95	1,08.19	(+) 46.76
योग- (ii)	1,97,19.99	1,76,76.94	(+) 20,43.05
(iii) घटाइए			
(क) सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और उधारों पर प्राप्त ब्याज	30,20.34	1,71.57	(+) 28,48.77
(ख) रोकड़ शेषों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	3,65.84	4,60.86	(-) 95.02
योग - (iii)	33,86.18	6,32.43	(+) 27,53.75

@ इसमें ऋण प्रबंध से संबंधित ₹ 36.47 करोड़ सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 6--(समाप्त)

(ii) ऋण सेवा -(समाप्त)

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज-(समाप्त)

	2017-18	2016-17	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) या कमी (-)
	(₹ करोड़ में)		
(iv) ब्याज प्रभारों की निवल राशि (ii) - (iii)	1,63,33.81	1,70,44.51	(-) 7,10.70
(v) सकल ब्याज का प्रतिशत -मद (ii) का कुल राजस्व प्राप्तियों पर	15.49	16.21	(-) 0.72
(vi) निवल ब्याज का प्रतिशत -मद (iv) का कुल राजस्व प्राप्तियों पर	12.83	15.63	(-) 2.80

इनके अतिरिक्त कतिपय अन्य प्राप्तियां और समायोजन भी थे, जिनका योग ₹ 14,72.72 करोड़ था, जैसे वाणिज्यिक विभागों से प्राप्त ब्याज, राजस्व की बकाया पर ब्याज तथा 'विविध' खाते पर ब्याज। यदि इन्हें भी घटा दिया जाये तो, राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 1,48,61.09 करोड़ होगा, जो कि राजस्व का 11.67 प्रतिशत है।

वर्ष के दौरान सरकार ने विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर ₹ 66.76 करोड़ लाभांश के रूप में भी प्राप्त किये।

विवरण संख्या 7- सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण

खण्ड 1: कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: कर्जदार समूहवार

कर्जदार समूह	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान की गई	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये कर्ज तथा उधार	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि/ कमी	भुगतान योग्य बकाया ब्याज
	(₹ करोड़ में)						
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं	1,50.70	22.10	5.56	..	1,67.24	(+) 16.54	उपलब्ध नहीं
सरकारी कम्पनियां	4,88,13.93	3,43.70	1,50,63.06	..	3,40,94.57	(-) 1,47,19.36	उपलब्ध नहीं
नगर पालिकाएं/नगर परिषद/नगर निगम	1,89.89	8.19	1.68	..	1,96.40	(+) 6.51	उपलब्ध नहीं
आवासन मंडल	4.66	..	0.10	..	4.56	(-) 0.10	उपलब्ध नहीं
पंचायती राज संस्थाएं	1.81	1.81	..	उपलब्ध नहीं
शहरी विकास प्राधिकरण	7,13.34	1,14.34	2.78	..	8,24.90	(+) 1,11.56	उपलब्ध नहीं
सांविधिक निगम	5,25.16	42.50	3.13	..	5,64.53	(+) 39.37	उपलब्ध नहीं
सहकारी समितियां/सहकारी निगम/बैंक	4,20.87	5,53.03	53.46	..	9,20.44	(+) 4,99.57	उपलब्ध नहीं
अन्य	2,86.84	2,50.16	3.64	..	5,33.36	(+) 2,46.52	उपलब्ध नहीं
योग	5,11,07.20	13,34.02	1,51,33.41	..	3,73,07.81	(-) 1,37,99.39	उपलब्ध नहीं

विवरण संख्या 7- (क्रमशः)

खण्ड2: कर्ज तथा पेशगियों का सारांश: खण्डवार *

कर्जदार समूह	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान की गई	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बढ़े खाते डाले गये कर्ज तथा उधार	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि/ कमी	भुगतान योग्य बकाया ब्याज
	(₹ करोड़ में)						
सामान्य सेवाएं	0.04	..	0.04	(-) 0.04	उपलब्ध नहीं
सामाजिक सेवाएं	13,04.04	2,09.42	14.34	..	14,99.12	(+) 1,95.08	उपलब्ध नहीं
आर्थिक सेवाएं	4,98,04.63	11,24.60	1,51,19.59	..	3,58,09.64	(-) 1,39,94.99	उपलब्ध नहीं
सरकारी कर्मचारी	(-) 1.83	.. (ख)	(-) 0.56	..	(-) 1.27 (क)	(+) 0.56	उपलब्ध नहीं
विविध प्रयोजन	0.32	0.32	..	उपलब्ध नहीं
योग - कर्ज तथा उधार	5,11,07.20	13,34.02	1,51,33.41	..	3,73,07.81	(-) 1,37,99.39	उपलब्ध नहीं

* ब्यौरे के लिये खण्ड II का विवरण संख्या 18 देखें।

(क) ऋणात्मक शेष विचाराधीन हैं।

(ख) ₹ 23,307 मात्र।

विवरण संख्या -7 (क्रमशः)

खण्ड 3: बकाया रही वसूलियां

(क) महालेखाकार कार्यालय द्वारा संधारित विस्तृत कर्ज लेखे : उर्जा क्षेत्र से सम्बन्धित निकायों के अतिरिक्त विभिन्न निकायों को दिये गये कर्ज, जिनके ब्यौरेवार लेखे, लेखा कार्यालय में रखे जाते हैं, के सम्बन्ध में वर्ष 2017-18 के अन्त तक कुल मूल राशि ₹ 9,98.40 करोड़ बकाया थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	31 मार्च 2018 को बकाया राशि (₹ करोड़ में)
1. 6216-80-800(01)	औद्योगिक आवास योजना	0.02
2. 6217	शहरी विकास के लिये कर्ज	9,83.61
3. 6235-60-800(01) [01]	जागीरदारों को उधार	0.11
4. 6885-60-800(01) [01]	उद्योगों व उद्योगपतियों को उधार	0.98
5. 6885-60-800(01) [02]	उद्योगों व उद्योगपतियों को उधार	13.36
6. 7615-200	विविध कर्ज	0.32
योग		9,98.40

(ख) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 12,36.38 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 1,38.14 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,12,77.85 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,02,77.40 करोड़) और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,06,27.07 करोड़) को मार्च 2018 के अन्त तक कुल ₹ 3,35,56.84 करोड़ कर्ज के बकाया थे।

विवरण संख्या 7-(क्रमशः)

खण्ड 3: बकाया रही वसूलियां-(क्रमशः)

(ग) राज्य सरकार द्वारा संधारित विस्तृत कर्ज लेखे :- निश्चित श्रेणी के कर्जों (2017-18 के अन्त तक कुल बकाया राशि ₹ 27,52.57[@] करोड़)के ब्यौरेवार लेखे राज्य सरकार के 25 नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं। सरकार के आदेशों के अधीन कर्जों की किश्तों और ब्याज की बकाया वसूली के ब्यौरे महालेखाकार को प्रतिवर्ष जून तक भेजने के लिये नियंत्रक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है।

2017-18 के लिये देय 123 विवरणों में से 30 जून 2018 तक केवल 58 विवरण प्राप्त हुए। इन विवरणों में 31 मार्च 2018 को ब्याज सहित ₹ 11,33.56 करोड़ वसूली के बकाया प्रकट हुए। विश्लेषण निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	31 मार्च 2018 को बकाया राशि	बकाया रही वसूलियां	
			मूलधन	ब्याज
			(₹ करोड़ में)	
1.	6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिये कर्ज	0.95	0.95	..
2.	6210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिये कर्ज	0.10	0.10	..
3.	6245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज	0.69	0.69	..
4.	6250. अन्य समाज सेवाओं के लिये कर्ज	1.38	1.38	..
5.	6401. फसल कृषि- कर्म के लिए कर्ज	.. *	.. *	..
6.	6404. डेयरी विकास के लिये कर्ज	31.60	31.60	..
7.	6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये कर्ज	0.05	0.05	..
8.	6425. सहकारिता के लिए कर्ज	8,85.25	8,85.25	..
9.	6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज	12.57	12.57	..
10.	6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	1,54.76	1,54.76	..
11.	6885. उद्योग और खनिज के लिये कर्ज	13.16	13.16	..
12.	7452. पर्यटन के लिए कर्ज	33.00	33.00	..
13.	7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज	0.05	0.05	..
योग		11,33.56	11,33.56	..

@ इसमें सरकारी कर्मचारियों को दिये गये कर्ज [₹(-)1.27 करोड़] शामिल है, जिनके विस्तृत लेखे राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं, किन्तु वसूलियों को अतिदेय नहीं बताया गया है।

* ₹ 21,300 मात्र।

विवरण संख्या 7 –(समाप्त)

खण्ड 3: बकाया रही वसूलियां –(समाप्त)

(घ) कर्जों से सम्बन्धित मूलधन तथा ब्याज के बीतकाल बकाया के विवरण अभी तक निम्नलिखित विभागों/प्राधिकारियों से प्रतीक्षित है (अगस्त 2018):-

क्रम संख्या	विभाग/ प्राधिकारी वर्ग का नाम	बकाया विवरणों की संख्या	पूर्व के वर्ष से बकाया
1.	निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर	14	2015-16
2.	उप शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर	5	2007-08
3.	क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, कोटा	3	2014-15
4.	उप शासन सचिव, डेयरी विकास विभाग, जयपुर	2	2007-08
5.	निदेशक, खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, जयपुर	1	2016-17
6.	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	2	2008-09
7.	निदेशक, उच्च शिक्षा, जयपुर	3	2013-14
8.	आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर	1	2015-16
9.	जागीर आयुक्त, जयपुर	1	2007-08
10.	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर	3	2016-17
11.	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, जयपुर	3	2012-13
12.	निदेशक, पेंशन तथा पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर	1	2016-17
13.	आयुक्त, पुर्नवास विभाग, जयपुर	2	2007-08
14.	पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर	1	2015-16
15.	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	7	2009-10
16.	आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर	1	2017-18
17.	आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	5	2016-17
18.	शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर	9	2009-10
19.	निदेशक, जल ग्रहण और भू-संरक्षण विभाग, जयपुर	1	2016-17
योग		65	

विवरण संख्या 8 – सरकार के निवेशों का विवरण

वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए विभिन्न संस्थाओं की अंशपूजी तथा ऋण-पत्रों में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश *

संस्था का नाम	2017-18			2016-17		
	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज की प्राप्ति	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज की प्राप्ति
		(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)	
1. सांविधिक निगम	7	7,64.34	1.39	7	7,64.34	1.19
2. ग्रामीण बैंक	2	73.69	..	2	73.69	..
3. सरकारी कम्पनियां	52	4,42,92.46	64.46	49	4,02,46.13	65.05
4. संयुक्त पूंजी कम्पनियां और साझेदारी संस्थाएं	25	1,40.65	0.01	25	1,40.65	0.03
5. सहकारी बैंक तथा समितियां	*	5,09.46	0.90	**	5,09.13	1.53
योग	86	4,57,80.60	66.76	83	4,17,33.94	67.80

* ब्यौरे के लिए खण्ड II का विवरण संख्या 19 का भाग 1 देखें।

** सहकारी बैंकों तथा समितियों की संख्या से संबंधित सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।

विवरण संख्या – 9 सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्ज आदि के पुर्नभुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दी गई गारन्टियां तथा

31 मार्च 2018 को विभिन्न क्षेत्रों में बकाया गारन्टियों का योग

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि *	वर्ष	वर्ष के	घटत*	वर्ष के दौरान		वर्ष	गारन्टी कमीशन		अन्य आवश्यक विवरण
		2017-18	वर्ष के	(वर्ष के दौरान	याचिका	2017-18	अथवा फीस			
		के	दौरान	की गई	चुकाई गई	नहीं चुकाई	के अन्त	प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
		प्रारम्भ में	बढ़त*	याचिका के			में			
		बकाया *		अतिरिक्त)			बकाया *			
(₹ करोड़ में)										
वर्ग (1)										
ऊर्जा (5)	9,77,72.32	4,32,18.50	1,50,14.74	49,86.55	5,32,46.69	4,16.64	4,16.64	..
सहकारी समितियाँ (7)	32,02.97	17,04.91	5,58.84	6,17.13	16,46.62	5.60	5.86 #	..
सड़क तथा परिवहन (1)	34,46.25	21,90.77	1,56.89	87.34	22,60.32	21.89	21.89	..
राज्य वित्तीय निगम (1)	3,00.00	3,00.00	3,00.00	3.00	3.00	..
नगरीय विकास और आवासन (3)	64,50.69	30,05.29	8,72.84	3,06.95	35,71.18	6.50	9.31 @	..
अन्य कोई (5)	8,84.75	7,39.38	9.00	12.25	7,36.13	7.34	7.34	..
योग	11,20,56.98	5,11,58.85	1,66,12.31	60,10.22	6,17,60.94	4,60.97	4,64.04 (क)	..

* गारन्टी में ब्याज, यदि कोई हो, सम्मिलित है।

इसमें जनवरी से मार्च 2018 की अवधि के ₹ 0.26 करोड़ सम्मिलित है।

@ इसमें जनवरी से मार्च 2018 की अवधि के ₹ 3.12 करोड़ सम्मिलित है तथा वर्ष के दौरान ₹ 0.31 करोड़ बकाया थे।

(क) इसमें जनवरी से मार्च 2018 की अवधि के ₹ 3.38 करोड़ सम्मिलित है तथा वर्ष के दौरान ₹ 0.31 करोड़ बकाया थे।

विवरण संख्या 10 – सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ अनुदान का विवरण

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ करोड़ में)						
1. स्थानीय शहरी निकाय						
(i) नगर निगम	13,52.18	73.94	14,26.12
(ii) नगर पालिकाएं/नगर परिषदें	21,20.69	1,48.67	22,69.36
योग – स्थानीय शहरी निकाय	34,72.87	2,22.61	36,95.48
2. पंचायती राज संस्थाएं						
(i) जिला परिषदें	45,62.20	51,07.73	96,69.93	2,38.95	..	2,38.95
(ii) पंचायत समितियां	41,43.07	..	41,43.07
(iii) ग्राम पंचायतें	47,37.27	..	47,37.27
योग- पंचायती राज संस्थाएं	1,34,42.54	51,07.73	1,85,50.27	2,38.95	..	2,38.95
3. राजकीय क्षेत्र उपक्रम						
(i) सांविधिक निगम	5,06.68	..	5,06.68
(ii) सरकारी कम्पनियां	6,54.79	..	6,54.79
योग – राजकीय क्षेत्र उपक्रम	11,61.47	..	11,61.47

विवरण संख्या 10 - (क्रमशः)

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण- (क्रमशः)

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ करोड़ में)						
4. गैर सरकारी संगठन						
अन्य	57.20	3.09	60.29	42.41	..	42.41
योग - गैर सरकारी संगठन	57.20	3.09	60.29	42.41	..	42.41
5. स्वायत्तशासी निकाय						
विश्वविद्यालय/ शैक्षिक संस्थाएं	11,42.74	1,40.55	12,83.29	1,92.67	3.56	1,96.23
योग - स्वायत्तशासी निकाय	11,42.74	1,40.55	12,83.29	1,92.67	3.56	1,96.23
6. सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं						
सहकारी संस्थाएं	4,39.82	20.92	4,60.74	14.75	..	14.75
योग - सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं	4,39.82	20.92	4,60.74	14.75	..	14.75
7. सांविधिक निकाय तथा विकास प्राधिकरण						
विकास प्राधिकरण	9.99	1.69	11.68	1.72	..	1.72
योग - सांविधिक निकाय तथा विकास प्राधिकरण	9.99	1.69	11.68	1.72	..	1.72

विवरण संख्या 10 - (क्रमशः)

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण- (क्रमशः)

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ करोड़ में)						
8. अन्य						
(i) राज्य विधान मंडल	0.20	..	0.20
(ii) बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,00.77	..	6,00.77
(iii) सचिवालय-सामान्य सेवाएं	0.95	..	0.95
(iv) पुलिस	2.88	..	2.88
(v) जेल	0.46	..	0.46
(vi) अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.66	..	0.66
(vii) विविध सामान्य सेवाएं	0.71	..	0.71
(viii) शिक्षा	6,18.48	7,21.05	13,39.53
(ix) खेल एवं युवा सेवाएं	76.46	..	76.46	0.55	..	0.55
(x) कला एवं संस्कृति	58.93	..	58.93	24.67	..	24.67
(xi) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	8,66.48	52.48	9,18.96
(xii) परिवार कल्याण	9,44.57	10,60.78	20,05.35	1,36.40	1,41.97	2,78.37
(xiii) जलापूर्ति तथा मल जल निकास	0.50	..	0.50
(xiv) शहरी विकास	2,54.66	2,05.00	4,59.66	2,54.00	..	2,54.00
(xv) सामाजिक न्याय	82.98	1,23.00	2,05.98
(xvi) श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	3,45.41	7.62	3,53.03	0.22	0.51	0.73
(xvii) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	94.92	24.43	1,19.35

विवरण संख्या 10 - (क्रमशः)

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण- (क्रमशः)

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ करोड़ में)						
8. अन्य - (क्रमशः)						
(xviii) एकीकृत बाल विकास सेवाएं	6.43	3.39	9.82
(xix) प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	17,20.29	0.02	17,20.31
(xx) अन्य सामाजिक सेवाएं	37.59	..	37.59	7.34	..	7.34
(xxi) फसल कृषि कर्म	9,65.97	1,95.04	11,61.01
(xxii) पशु पालन	1,87.38	2.33	1,89.71
(xxiii) मछली पालन	0.06	..	0.06
(xxiv) वन	1,01.20	1.40	1,02.60	28.28	1.40	29.68
(xxv) इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	0.85	..	0.85
(xxvi) मुख्य सिंचाई	5.01	..	5.01
(xxvii) मध्यम सिंचाई	10.55	..	10.55	4.67	..	4.67
(xxviii) ग्राम एवं लघु उद्योग	38.44	..	38.44
(xxix) उद्योग	32.91	..	32.91	3.81	..	3.81
(xxx) अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	29.90	..	29.90
(xxxi) सड़क परिवहन	67.10	..	67.10
(xxxii) अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	6.17	..	6.17

विवरण संख्या 10 - (क्रमशः)

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण- (समाप्त)

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ करोड़ में)						
8. अन्य - (समाप्त)						
(xxxiii) पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	0.30	..	0.30
(xxxiv) सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	2,00.59	..	2,00.59
(xxxv) पर्यटन	1.26	..	1.26
(xxxvi) नागरिक आपूर्ति	3.25	..	3.25
(xxxvii) देवस्थान	0.07	..	0.07*
योग - अन्य	73,65.34	23,96.54	97,61.88	4,59.94	1,43.88	6,03.82
कुल योग	2,70,91.97	78,93.13	3,49,85.10	9,50.44	1,47.44	10,97.88

* पंचायती राज संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान के अलावा जारी निधियां, जिसे विवरण संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन के अन्तर्गत अलग से दिखाया गया है।

विवरण संख्या 10 - (समाप्त)

(ii) पण्य में सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य का ब्यौरा तथा पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान के मूल्य का विवरण*

ग्रंटी नाम/श्रेणी	पण्य सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान का मूल्य
	(₹ करोड़ में)	
1. स्थानीय शहरी निकाय		
(i) नगर निगम
(ii) नगर पालिकाएं/नगर परिषद
2. पंचायती राज संस्थाएं		
(i) जिला परिषद
(ii) पंचायत समिति
(iii) ग्राम पंचायत
3. राजकीय क्षेत्र उपक्रम		
(i) सांविधिक निगम
(ii) सरकारी कम्पनियां
4. गैर सरकारी संगठन		
अन्य
5. स्वायत्तशापी निकाय		
विश्वविद्यालय/ शैक्षिक संस्थाएं
6. सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं		
सहकारी संस्थाएं
7. सांविधिक निकाय तथा विकास प्राधिकरण		
विकास प्राधिकरण
8. अन्य		
अन्य
कुल योग

* राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया।

विवरण संख्या 11- दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण

विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	प्रभारित	दत्तमत	योग
	(₹ करोड़ में)					
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	1,99,66.74	12,58,74.78	14,58,41.52	1,78,97.43	10,92,42.71	12,71,40.14
व्यय शीर्ष (पूंजी लेखा)	0.46	2,06,22.82	2,06,23.28	0.75	1,69,78.97	1,69,79.72
लोक ऋण, कर्ज तथा उधार के अंतर्गत संवितरण और आकस्मिकता निधि को अन्तरण #	1,16,73.66	13,34.02	1,30,07.68	50,14.57	1,29,65.45	1,79,80.02
योग	3,16,40.86	14,78,31.62	17,94,72.48	2,29,12.75	13,91,87.13	16,20,99.88
# आंकड़े निम्न प्रकार निकाले गये हैं :-						
ड. लोक ऋण *						
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	1,10,40.39	..	1,10,40.39	44,40.66	..	44,40.66
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	6,33.27	..	6,33.27	5,73.91	..	5,73.91
च. कर्ज तथा उधार *						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	..	2,09.42	2,09.42	..	2,18.95	2,18.95
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	..	11,24.60	11,24.60	..	1,27,46.50	1,27,46.50
सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज
विभिन्न प्रयोजनो हेतु कर्ज
छ. अन्तर्राज्यीय समायोजन						
अन्तर्राज्यीय समायोजन
ज. आकस्मिकता निधि को अंतरण						
आकस्मिकता निधि को अंतरण
योग	1,16,73.66	13,34.02	1,30,07.68	50,14.57	1,29,65.45	1,79,80.02

* विस्तृत लेखे खण्ड II के विवरण संख्या क्रमशः 17 एवं 18 में दिये गये हैं ।

विवरण संख्या 11- (समाप्त)

वर्ष 2017-18 तथा 2016-17 के दौरान कुल व्यय पर प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय का प्रतिशत नीचे दिये अनुसार है :-

	कुल व्यय का प्रतिशत	
	प्रभारित व्यय	दत्तमत व्यय
2017-18	17.63	82.37
2016-17	14.13	85.87

**विवरण संख्या 12 – राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए
निधियों के स्रोतों एवं आवेदन का विवरण**

विवरण	1 अप्रैल 2017 को	2017-18 के दौरान (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2018 को
पूँजीगत तथा अन्य व्यय			
पूँजीगत व्यय-			
सामान्य सेवाएं	36,65.11	5,27.14	41,92.25
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	12,62.73	5,14.62	17,77.35
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	30,49.56	6,57.44	37,07.00
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	4,42,06.25	55,26.89 (क)	4,97,33.14
सूचना तथा प्रसारण	14.85	2.48	17.33
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	24,32.89	2,77.44	27,10.33
समाज कल्याण तथा पोषण	4,79.52	28.56	5,08.08
अन्य सामाजिक सेवाएं	4,59.03	2,14.43	6,73.46
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	41,67.87	3,91.01	45,42.27 (ख)
ग्राम विकास	55,80.20	6,53.00	62,33.20
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	24,39.20	3,86.28	28,25.48
सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	2,11,22.09	21,88.38	2,33,10.47
ऊर्जा	3,77,46.58	39,16.22	4,16,62.80
उद्योग तथा खनिज	9,01.71	73.71 (ग)	9,75.42
परिवहन	2,29,50.36	56,07.36 (घ)	2,85,57.72
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	17.54	3.04	20.58
सामान्य आर्थिक सेवाएं	20,57.28	7,84.36	28,41.64
योग-पूँजीगत व्यय	15,25,52.77	2,17,52.36	17,42,88.52 (ङ)

- (क) इसमें ₹ 0.49 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे मुख्य शीर्ष 4215-01-902(01) को ऋण नामे करते हुए मूल्य हास/ नवीनीकरण आरक्षित निधि (मुख्य शीर्ष 8115) से पूरित किया गया।
- (ख) पूँजी विनिवेश के कारण ₹ 16.61 करोड़ वर्ष के अंत में व्यय से प्रोफोर्मा द्वारा कम किये गये।
- (ग) इसमें ₹ 60.55 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे मुख्य शीर्ष 4853-902 को ऋण नामे करते हुए खनन क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि (मुख्य शीर्ष 8229) से पूरित किया गया।
- (घ) इसमें ₹ 10,68.04 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे क्रमशः शीर्ष 5054-03-337(06), (08), 789(05), (08), 796 (05),(08) तथा 5054-04-789 (07), 796 (09), 800 (15) को ऋण नामे करते हुए केन्द्रीय सड़क निधि (मुख्य शीर्ष 8449) तथा राज्य सड़क तथा पुल निधि (मुख्य शीर्ष 8225) से पूरित किया गया।
- (ङ) इसमें ₹ 57,97.76 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे विकास निधि, आरक्षित निधियों आदि से पूरित किया गया।

विवरण संख्या 12 - (क्रमशः)

विवरण	1 अप्रैल 2017 को	2017-18 के दौरान (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2018 को
पूंजीगत तथा अन्य व्यय - (समाप्त)			
<i>विभिन्न सेवाओं के लिये कर्ज तथा उधार</i>			
सामान्य सेवाएं	0.04	(-) 0.04	..
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	26.79	(-) 4.80	21.99
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	31.09	(-) 4.86	26.23
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	11,86.18	1,17.97	13,04.15
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	10.26	1.79	12.05
समाज कल्याण तथा पोषण	48.34	79.98	1,28.32
अन्य	1.38	5.00	6.38
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	7,79.43	5,86.78	13,66.21
ग्राम विकास	0.06	..	0.06
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	0.12	..	0.12
ऊर्जा	4,82,72.34	(-) 1,47,15.50	3,35,56.84
उद्योग तथा खनिज	1,95.72	(-) 0.79	1,94.93
परिवहन	5,23.91	1,34.52	6,58.43
सामान्य आर्थिक सेवाएं	33.05	..	33.05
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	(-) 1.83	0.56	(-) 1.27 (क)
विविध प्रयोजनों के लिए कर्ज	0.32	..	0.32
योग-विभिन्न सेवाओं के लिए कर्ज तथा उधार	5,11,07.20	(-) 1,37,99.39	3,73,07.81
आकस्मिकता निधि में अन्तरण
योग-पूंजीगत तथा अन्य व्यय	20,36,59.97	79,52.97	21,15,96.33

(क) ऋण शेष जाँच के अधीन है।

विवरण संख्या 12 - (क्रमशः)

विवरण	1 अप्रैल 2017 को	2017-18 के दौरान (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2018 को
घटाएं-			
आकस्मिकता निधि से अंशदान	5,00.00	..	5,00.00
पूंजीगत प्राप्तियां	12.13	..	12.13
विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंशदान	1,28.60	16.61 (क)	1,45.21
विकास निधि, आरक्षित निधि आदि से अंशदान	46,68.68	11,29.08	57,97.76
निवल-पूंजीगत तथा अन्य व्यय	19,83,50.56	68,07.28	20,51,41.23
निधियों के प्रधान स्रोत			
2017-18 के लिये राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)		(-) 1,85,34.34	
जोड़िये-निवृत्ति/विनिवेश के कारण समायोजन ^(ख)	(-) 1,28.60	..	(-) 1,45.21
ऋण-			
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	18,42,84.58	1,59,59.28	20,02,43.86
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,11,39.37	9,23.63	1,20,63.00
अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आदि	3,88,94.45	32,00.77	4,20,95.22
योग-ऋण	23,43,18.40	2,00,83.68	25,44,02.08

(क) सहकारी समितियों/बैंकों इत्यादि में विनिवेश से प्राप्ति ।

(ख) पंक्ति मद में राशि विवरण को तुल्य करने के लिये सम्मिलित की गई है ।

विवरण संख्या 12 - (समाप्त)

विवरण	1 अप्रैल 2017 को	2017-18 के दौरान (₹ करोड़में)	31 मार्च 2018 को
निधियों के प्रधान स्रोत-(समाप्त)			
अन्य दायित्व			
आरक्षित निधियां	16,22.59	3,95.16	20,17.75
जमा और पेशगियां	1,90,55.85	57,03.16	2,47,59.01
उचंत तथा विविध (सरकारी लेखों की संवृत राशि एवं रोकड़ शेष निवेश लेखा के बगैर)	(-) 1,26.60	(-) 27.16	(-) 1,53.76
प्रेषण	(-) 21.66	10.19	(-) 11.47
योग -अन्य दायित्व	2,05,30.18	60,81.35	2,66,11.53
योग-ऋण तथा अन्य दायित्व	25,48,48.58	2,61,65.03	28,10,13.61
घटाएं-रोकड़ शेष	(-) 2.16	6.79	4.63
घटाएं-निवेश	55,85.10	8,16.62	64,01.72
जोड़ें- 2017-18 के दौरान सरकारी लेखा की संवृत राशि
निधियों का निवल प्रावधान	24,91,37.04	68,07.28	27,44,62.05 (क)

(क) ₹ 25,59,44.32 करोड़ (₹ 24,91,37.04 करोड़ + ₹ 68,07.28 करोड़) से ₹ 1,85,17.73 करोड़ का अंतर [(₹ 1,85,34.34 करोड़) राजस्व घाटे का निवल तथा (₹ 16.61 करोड़) निवृत्ति/विनिवेश के कारण समायोजन] है। 31 मार्च 2018 को "पूँजी तथा अन्य व्यय" के निवल और उसके लिए "निधियों के प्रावधान" के निवल के बीच ₹ 6,93,20.82 करोड़ का अन्तर भी था, जो कि संचयी राजस्व घाटा और सरकारी लेखों को संवृत राशि का द्योतक है।

विवरण संख्या 13 - समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश

क. 31 मार्च 2018 को शेषों का सारांश निम्न प्रकार है :-

नामे शेष	सामान्य लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
		समेकित निधि	
23,77,99.45*	क से घ तथा ठ का भाग (मु.शी. 8680 केवल)	सरकारी लेखे	
	ङ	लोक ऋण	21,23,06.86
3,73,07.81	च	कर्ज तथा उधार	
		आकस्मिकता निधि	5,00.00
		लोक लेखा	
	झ	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	4,20,95.22
	ञ	आरक्षित निधि	
		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	1,50.74
		(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां :	
		सकल शेष	48,33.72
29,66.71		निवेश	
	ट	जमा तथा अग्रिम	
		(i) ब्याज वाली जमा	50,80.45
		(ii) बिना ब्याज वाली जमा	1,96,81.77
3.21		(iii) अग्रिम	
	ठ	उचन्त तथा विविध	
64.01.72		निवेश	
1,53.76		अन्य मदें (निवल)	
11.47	ड	प्रेषण	..
4.63 (क)	ढ	रोकड़ शेष	..
28,46,48.76	योग		28,46,48.76

* इस राशि को समझने के लिए कृपया नीचे पृष्ठ संख्या 60 पर 'ख' देखें ।

(क) रिजर्व बैंक की जमा, जो कि सरकार के रोकड़ शेष का संघटक है, में लेखों में दर्शायी गयी एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित की गयी राशि में अन्तर था। विस्तृत विवरण के लिए विवरण संख्या 2 के परिशिष्ट के पृष्ठ सं. 9 पर पाद टिप्पणी (च) देखें ।

विवरण संख्या 13 - (समाप्त)

ख. सरकारी लेखे:- सरकारी लेखों में अनुसरित बही खाता पद्धति के अधीन राजस्व, पूंजी तथा अन्य सरकारी लेन-देनों के अन्तर्गत पुस्तांकित राशियों की, जिनके शेषों को लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं ले जाया जाता, एक ही शीर्ष सरकारी लेखे को संवितरित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत शेष, ऐसे समस्त लेन-देनों के संचित परिणाम द्योतक हैं।

उसमें जोड़ने के बाद लोक ऋण, कर्जे और पेशगियां, अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखों के अतिरिक्त) प्रेषण और आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत रहे शेषों को जोड़ने से वर्ष के अन्त में रहने वाला अन्त रोकड़ शेष निकाला तथा सिद्ध किया जा सकता है।

इस सारांश के अन्य शीर्षकों में सरकारी खाता बहियों में समाप्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत रहे ऐसे शेष जिनके सम्बन्ध में सरकार प्राप्त की हुई धन राशियों के चुकारे का दायित्व रखती है अथवा देय राशियों को वसूल करने का दावा रखती है तथा प्रेषण लेन-देनों के समायोजन के लिए खाता बहियों से खोले गये शीर्ष भी आते हैं।

यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि इन शेष राशियों को सरकार की वित्तीय स्थिति का लेखा-जोखा नहीं माना जा सकता क्योंकि न तो इनमें राज्य की सम्पूर्ण भौतिक परिसम्पत्तियों जैसे - भूमि, भवनों संचार साधनों आदि को और न ही इनमें किसी प्रकार की देयताओं अथवा ऐसे बकाया दायित्वों को दिखाया जाता है जिनका लेखा सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली रोकड़ पर आधारित लेखा विधि के अंतर्गत नहीं रखा जाता।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखे के नामे निवल राशि इस प्रकार निकाली गई है :-

नामे	विवरण	जमा
(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)
19,86,58.44	क. 1 अप्रैल 2017 को सरकारी लेखे में नामे राशि	
	ख. प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	12,73,07.18
	ग. प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	16.61
14,58,41.52	घ. व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
2,06,23.28	ङ. व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	
..	च. आकस्मिकता निधि को अन्तरण	
	छ. 31 मार्च 2018 को सरकारी लेखे में नामे राशि	23,77,99.45
36,51,23.24	योग	36,51,23.24

- अनेक मामलों में विवरण ' आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण' (विवरण संख्या-21) में दिखाए गए अन्त शेषों एवं लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में इस प्रयोजन के लिये संधारित पृथक-पृथक रजिस्ट्रों या अन्य अभिलेखों में दिखाये गए अन्त शेषों में असमाहित अन्तर है। इन अंसगतियों को दूर करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।
- संबंधित अधिकारियों को सत्यापन तथा स्वीकृति के लिए प्रति वर्ष शेष संसूचित किए जाते हैं। काफी मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं।
- जिन मामलों में शेषों की स्वीकृति में देरी हुई है एवं विचाराधीन सम्मिलित राशि खण्ड II के परिशिष्ट VII के 'क' में दर्शाई गयी है।
- जिन मामलों में विवरण/प्रलेख शेषों के मिलान के सम्बन्ध में प्रतीक्षित है उनका विस्तृत ब्यौरा खण्ड II के परिशिष्ट VII के परिशिष्ट 'ख' में दिया है।

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां

1. अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियों का सारांश

- (i) **अस्तित्व तथा लेखा अवधि:** ये लेखे राजस्थान सरकार के 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के संव्यवहारों को प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के लेखे 41 जिला कोषालयों द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समायोजन सूचना के आधार पर संकलित किये गये हैं। सार्वजनिक निर्माण तथा वन खण्डों से सम्बन्धित प्राप्ति तथा भुगतान को एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) के अधीन अप्रैल 2016 से कोषालयों के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिये इन खण्डों के लेखे कोषालयों द्वारा संकलित एवं प्रस्तुत किये जाते हैं। लेखे, कोषालयों एवं अन्य लेखा भेजने वाली ईकाइयों के द्वारा भेजे गये प्रारम्भिक एवं पूरक लेखों से संकलित किये गये हैं तथा लेखों की प्राप्ति का कोई भी मामला बकाया नहीं है।
- (ii) **लेखे का आधार :** कुछ पुस्तकीय समायोजनों (**अनुबंध - क**) के अपवाद के साथ, 'लेखे' लेखा अवधि के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों एवं वितरणों को प्रस्तुत करते हैं। भौतिक सम्पत्तियां तथा वित्तीय सम्पत्तियां जैसे, सरकारी निवेश इत्यादि, ऐतिहासिक लागत अर्थात् अधिग्रहण/खरीद वर्ष के मूल्य पर दिखाये गये हैं। भौतिक सम्पत्तियां मूल्य ह्रासित अथवा परिशोधित नहीं की गयी है। भौतिक सम्पत्तियों की हानियां उनकी जीवन अवधि की समाप्ति पर व्यतीत अथवा प्रमाणित भी नहीं की गयी है।
- लेखा अवधि के दौरान वितरित सेवानिवृत्ति हित लाभों को लेखों में विवरण 15 में दर्शाया गया है, लेकिन सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्व, अर्थात् कर्मचारियों की पूर्व तथा वर्तमान सेवाओं के लिए सेवानिवृत्ति हित लाभ के भुगतान के दायित्व को लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- (iii) **लेखे जिस मुद्रा में रखे जाते हैं:** राजस्थान सरकार के लेखे भारतीय रुपये (₹) में संधारित किये जाते हैं।
- (iv) **लेखे का प्रारूप:** संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे उस प्रारूप में रखे जाते हैं जिसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की राय पर राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द "प्रारूप" व्यापक अर्थ रखता है जिससे कि लेखों से निर्धारण में केवल वृहद प्रारूप जिनमें कि लेखे रखे जाने हैं, बल्कि उपयुक्त शीर्षों के चयन के लिए आधार, जिसके अन्तर्गत संव्यवहार वर्गीकृत किये जाने हैं, को भी सम्मिलित किया जा सके।
- (v) **राजस्व तथा पूंजी के मध्य वर्गीकरण:** राजस्व व्यय आवृत्ति प्रकृति का होता है तथा राजस्व प्राप्तियों से पूरित होना चाहिये। पूंजी व्यय को सम्पत्ति सृजन वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है जो सामग्री के रूप में है तथा स्थायी प्रकृति अथवा स्थायी दायित्वों में कमी वाली है। सहायतार्थ अनुदान पर व्यय अनुदान देने वाले की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्राप्त करने वाले की पुस्तकों में यह राजस्व प्राप्ति के रूप में लिया जाता है।

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां—(क्रमशः)

2. लेखाओं से टिप्पणियां

- (i) **अविभाजित समेकित वस्तु एवं सेवा कर का अग्रिम बटवारा तथा हस्तान्तरण:** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृतियों के अनुसार समेकित वस्तु एवं सेवा कर के अग्रिम बटवारे के पेटे राशि ₹ 751.00 करोड़ प्राप्त हुए तथा चोदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान सरकार को राशि ₹ 3,736.48 करोड़ हस्तान्तरित की जा चुकी है, वर्णित किया गया।
- (ii) **लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्ति' तथा '800-अन्य व्यय' के तहत लेखांकन:** लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्ति'/'अन्य व्यय' को तब संचालित किया जाना चाहिये जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं हो। लघु शीर्ष 800 के सामान्य प्रयोग को निरूत्साहित किया जाना चाहिये क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है। 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 10,927.16 करोड़ (राजस्व: ₹ 7,228.95 करोड़ + पूंजी : ₹ 3,698.21 करोड़) का व्यय कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 1,66,464.80 करोड़) का 6.56 प्रतिशत, 53 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत सर्वग्राही लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' में वर्गीकृत किये गये। लघु शीर्ष '800' के अन्तर्गत दर्ज व्यय का वर्गीकरण गत वर्ष की तुलना में सम्बन्धित वर्ष के कुल राजस्व तथा पूंजी व्यय का 7.02 प्रतिशत से 6.56 प्रतिशत की मामूली कमी हुई। इसी प्रकार ₹ 4,384.66 करोड़ का राजस्व कुल राजस्व एवं विविध पूंजीगत प्राप्ति (₹ 1,27,323.79 करोड़) का 3.44 प्रतिशत 45 मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्ति' में वर्गीकृत किये गये। लघु शीर्ष '800' के अन्तर्गत प्राप्ति का वर्गीकरण गत वर्ष की तुलना में 3.96 प्रतिशत से 3.44 प्रतिशत कम हुआ। ऐसे महत्वपूर्ण व्यय एवं प्राप्ति का विवरण (सम्बन्धित शीर्ष के अन्तर्गत 10 प्रतिशत से अधिक) अनुबंध-ख पर दिया गया है।
- (iii) **सारांश आकस्मिक (ए.सी.) बिल:** आहरण एवं वितरण अधिकारी अतिआवश्यक उद्देश्यों हेतु सारांश आकस्मिक बिल तैयार कर सेवा शीर्षों को नामे करते हुए अग्रिम राशि आहरित करने के लिए अधिकृत है। तत्पश्चात् सारांश आकस्मिक बिल तैयार होने के एक माह के भीतर तथा विशेष मामले में तीन माह से अधिक नहीं में, समर्थित दस्तावेजों के साथ विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिये। समर्थित विस्तृत आकस्मिक बिल देरी से प्रस्तुत करना अथवा लम्बे समय तक प्रस्तुत नहीं करना, सारांश आकस्मिक बिल के तहत किये गये व्यय को अपारदर्शी बनाता है। इसके अलावा विस्तृत आकस्मिक बिल प्राप्त नहीं होने की सीमा तक, वित्त लेखे में दिखाए गये व्यय को सही अथवा अन्तिम समपुष्ट नहीं किया जा सकता है।

2017-18 के दौरान 813 सारांश आकस्मिक बिल द्वारा ₹ 476.10 करोड़ आहरित किये गये उसमें से राशि ₹ 387.61 करोड़ (81.41 प्रतिशत) के 95 सारांश आकस्मिक बिल (11.69 प्रतिशत) मार्च 2018 में आहरित किये गये थे, जिसमें वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन आहरित किये गये राशि ₹ 81.72 करोड़ के 26 सारांश आकस्मिक बिल सम्मिलित है। इन सारांश आकस्मिक बिल के विरुद्ध, राशि ₹ 219.80 करोड़ के 704 विस्तृत आकस्मिक बिल प्राप्त हो चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से सम्बन्धित राशि ₹ 256.30 करोड़ के 109 विस्तृत आकस्मिक बिल को शामिल करते हुए कुल 134 विस्तृत आकस्मिक बिल राशि ₹ 429.19 करोड़ समायोजन हेतु बकाया है (अगस्त 2018), { बकाया विस्तृत आकस्मिक बिल की राशि ₹ 371.75 करोड़ (2016-17) से बढ़कर ₹ 429.19 करोड़ (2017-18) हुई } जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

2. लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

(iii) सारांश आकस्मिक (ए.सी.) बिल: -(समाप्त)

वर्ष	बकाया डी.सी.बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16 तक	15	11.38
2016-17	10	161.51
2017-18	109	256.30
योग	134	429.19

राशि ₹ 429.19 करोड़ के कुल बकाया सारांश आकस्मिक बिलों में से सहायता विभाग {20 ए.सी. बिल राशि ₹ 373.52 करोड़ (87.03%)}, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर {10 ए.सी. बिल राशि ₹ 26.38 करोड़ (6.15%)}, डॉ. सम्पूर्णानन्द मेडिकल कॉलेज, उदयपुर {6 ए.सी. बिल राशि ₹ 6.88 करोड़ (1.60%)}, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला {7 ए.सी. बिल राशि ₹ 6.23 करोड़ (1.45%)}, खान एवं भू-विज्ञान विभाग {4 ए.सी. बिल राशि ₹ 5.80 करोड़ (1.35%)}, भू-प्रबंध विभाग {1 ए.सी. बिल राशि ₹ 2.92 करोड़ (0.68%)}, पुलिस विभाग {4 ए.सी. बिल राशि ₹ 2.55 करोड़ (0.59%)}, तथा आयुर्वेदिक विभाग {2 ए.सी. बिल राशि ₹ 1.82 करोड़ (0.42%)} मुख्य दोषी विभाग है जिन्होंने विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत नहीं किये।

(iv) सहायतार्थ अनुदान के लिये उपयोगिता प्रमाण-पत्र: राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, 2012 के अधीन, विशिष्ट प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कराये गये अनुदान के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये जिनको सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर जब तक अन्यथा निर्धारित न हो, महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये। निर्दिष्ट समय के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र वांछित उद्देश्य के लिए अनुदान की उपयोगिता के आश्वासन के अभाव को इंगित करता है। इसके अलावा अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र की सीमा तक लेखों में दिखाये गये व्यय को अन्तिम नहीं माना जा सकता और सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि राशि स्वीकृत उद्देश्य के लिये खर्च की गयी थी। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 51.46 करोड़ से 2017-18 में ₹ 2.34 करोड़ कम हुई। उपयोगिता प्रमाण-पत्र की बकाया स्थिति इस प्रकार है:

वर्ष (देय)	वांछित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16 तक	48	1.49
2016-17	8	0.13
2017-18	6	0.72
योग	62	2.34

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग {56 उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि ₹ 1.51 करोड़ (64.53%)}, समेकित बाल विकास विभाग {1 उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि ₹ 0.65 करोड़ (27.78%)}, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग {2 उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि ₹ 0.14 करोड़ (5.99%)}, महिला अधिकारिता विभाग {2 उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि ₹ 0.02 करोड़ (0.85%)} तथा विशेष योग्यजन विभाग {1 उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि ₹ 0.02 करोड़ (0.85%)} से अपेक्षित है। 2017-18 के दौरान ₹ 51.31 करोड़ के 307 अनुदान दिये गये जिनके लिये उपयोगिता प्रमाण पत्र 2018-19 में देय होंगे।

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

2. लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

- (v) **निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते:** कुल 1,666 पी.डी. खाते थे जिसमें से 31 मार्च 2018 को 20 अप्रचलित थे। सरकार निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते खोलने के लिये अधिकृत है जिसमें निधियां समेकित निधि से हस्तान्तरित की जाती है। राजस्थान कोषालय नियम के अनुसार, एक पी.डी. खाता अन्तिम लेनदेन के वर्ष के पश्चात् पांच पूर्ण वित्तीय वर्ष से अधिक अप्रचलित होने पर बन्द कर दिया जाना चाहिये तथा अवशेष राशि को समेकित निधि में जमा करा देना चाहिये।

वर्ष 2017-18 के दौरान, राशि ₹ 30,295.29 करोड़ पी.डी. खातों को हस्तान्तरित/जमा की गयी, जिसमें से ₹ 20,949.12 करोड़ (69.14 प्रतिशत) राज्य की संचित निधि को नामे करते हुए हस्तान्तरित किये गये। 2017-18 के दौरान राज्य की संचित निधि से पी.डी. खाते में जमा ₹ 20,949.12 करोड़ में से, ₹ 4,035.89 करोड़ (13.32 प्रतिशत) मार्च 2018 में हस्तान्तरित किये गये। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने 163 नये पी.डी. खाते खोले तथा 25 (12 अप्रचलित + 13 प्रचलित में से) पी.डी. खाते बंद किये।

राजस्थान सरकार ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क जैसी प्राप्तियों को समेकित निधि के माध्यम के बिना सीधे ही विभिन्न निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित करने हेतु कोषालयों को अधिकृत किया हुआ है। इन निजी निक्षेप खातों के प्रशासक लेखों से नियतकालीन आहरण करते हैं। चूंकि ऐसी प्राप्तियां एवं आहरण महालेखाकार (लेखा एवं हक) को भेजे गये लेखों का हिस्सा नहीं बनते हैं, वित्त लेखों में दिखाये गये चिकित्सा विभाग के आकड़ों को पूर्ण रूप में पुष्ट नहीं किया जा सकता है।

पी.डी. खाते के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बन्द		अन्तिम शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्रचलित: 1513	5,182.88	163 (वर्ष के दौरान खोले गये) 3 (अप्रचलित से हस्तान्तरित)	449.93 (0.79) 29,845.36 (1005 विद्यमान खातों को जमा)	13 (वर्ष के दौरान बन्द किये गये) 20 (अप्रचलित को हस्तान्तरित)	4.68 (1.98) 25,935.71 (1116 विद्यमान खातों से वितरित)	प्रचलित: 1646	9,536.59
अप्रचलित: 15	13.57	20 (प्रचलित से हस्तान्तरित)	(1.98)	3 (प्रचलित को हस्तान्तरित) 12 (वर्ष के दौरान बन्द किये गये)	(0.79) 12.78	अप्रचलित: 20	1.98

कोष्ठक में आंकड़े वास्तविक प्राप्ति तथा वितरण नहीं हैं। ये अप्रचलित से प्रचलित तथा विपरीतता से शेषों को हस्तान्तरण से सम्बन्धित हैं।

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

2. लेखाओं से टिप्पणियां- (समाप्त)

- (vi) **व्यय तथा प्राप्तियों का अंकमिलान:** राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (2012 तक संशोधित) के पैरा 11(3) के अनुसार, सभी नियंत्रक अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का मिलान करना आवश्यक है। वर्ष 2017-18 के लिये सभी 401 नियंत्रक अधिकारियों द्वारा ₹ 1,79,472.48 करोड़ (निवल) के कुल व्यय का यह मिलान कार्य पूर्ण किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्ति शीर्ष के लिये सभी 174 नियंत्रण अधिकारियों ने ₹ 1,27,323.79 करोड़ की कुल प्राप्ति (विविध पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित करते हुए) का मिलान किया गया।
- (vii) **स्वायत्तशासी निकायों आदि को निधियों का अंतरण:** राज्य सरकार, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्तशासी निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि को निधियां उपलब्ध कराती है। चूंकि निधियां, सामान्यतया कार्यकारी अभिकरणों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण खर्च नहीं की जाती है, अनुपयोजित शेष इन कार्यकारी अभिकरणों के बैंक खाते में पड़ा रहता है। कार्यकारी अभिकरणों के लेखों में सरकारी खातों (बैंक खाते में) से बाहर रहे अनुपयोजित शेष की कुल राशि सहज ज्ञात नहीं की जा सकती है। इसलिये सरकारी व्यय जो लेखों में दिखाया गया है उस सीमा तक अंतिम नहीं है।

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें

- (i) **सेवानिवृत्ति हित लाभ से सम्बन्धित दायित्व:** 31 दिसम्बर 2003 को अथवा उससे पूर्व नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों पर वर्ष के दौरान "पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ" पर व्यय ₹ 12,841.98 करोड़ (₹ 1,45,841.52 करोड़ के कुल राजस्व व्यय का 8.81 प्रतिशत) था। 1 जनवरी 2004 से नियुक्त राज्यकर्मियों नयी पेंशन योजना के लिये योग्य है जो निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है जो राज्य सरकार द्वारा अनुरूपित किया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि शीर्ष 8342 अन्य जमा-117 निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत लोक लेखा को हस्तान्तरित की जाती है तथा इसके पश्चात् नेशनल सिक्वोरिटीज डीपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) / ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

राजस्थान सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के अंशदान के सम्बन्ध में मुख्य शीर्ष 8342-117 तथा सभी अन्य सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में मुख्य शीर्ष 8011-बीमा तथा पेंशन निधियां परिचालित करती है।

8011-106 बीमा तथा पेंशन निधियों के तहत लीगेसी शेष, मय ₹ 7.34 करोड़ ब्याज के, ₹ 128.17 करोड़ है। इसमें से ₹ 65.04 करोड़ एन.एस.डी.एल. / ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं दोनों के अंशदान का एन.एस.डी.एल. / ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरण की स्थिति नीचे दी गयी है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	कर्मचारियों का अंशदान	सरकारी अंशदान	ब्याज	योग (2+3+4+5)	एन.एस.डी. एल. को हस्तान्तरित	अन्तिम शेष
1	2	3	4	5	6	7	8
8011 (अन्य कर्मचारी)	62.92	1,156.63	1,081.97	..	2,301.52	2,163.94	137.58
8342 (अखिल भारतीय सेवा अधिकारी)	0.11	1.51	1.32	..	2.94	2.64	0.30
लीगेसी	120.83	7.34	128.17	65.04	63.13

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 31 मार्च 2018 को कुल राशि ₹ 201.01 करोड़ (₹ 137.58 करोड़ + ₹ 0.30 करोड़ + ₹ 63.13 करोड़) निधि को हस्तान्तरण के लिये बकाया थे।

- (ii) **गारन्टियां:** विवरण संख्या 9 तथा 20 (विस्तृत विवरण) में बताई गई गारन्टियां राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित हैं जो विभिन्न राज्य सरकार इकाइयों जैसे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि को ऐसी गारन्टी देने के लिए प्राधिकृत है। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 1,12,056.98 करोड़ की अधिकतम गारण्टी दी गयी तथा 31 मार्च 2018 को राशि ₹ 61,760.94 करोड़ की गारन्टियां बकाया थी।

राजस्थान स्टेट ग्रान्ट ऑफ गारण्टी रेगुलेशन्स 1970 (1997 में संशोधित) की दिशाओं के अनुसार गारन्टी कमीशन, जहां मेरिट के आधार पर पूर्ण या आंशिक माफ हो के अतिरिक्त, सरकारी गारन्टी के विरुद्ध ऋण उपभोग की राशि तथा वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अन्तिम दिन के बकाया पर 1 प्रतिशत की दर से वसूल किया जायेगा। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार ने

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

(ii) गारन्टियां:-(समाप्त)

0.01 प्रतिशत से लेकर 1.00 प्रतिशत की गारण्टी कमीशन की दरें प्रयुक्त की। गारन्टीयों के लिये कुल प्राप्य राशि ₹ 460.97 करोड़ के विरुद्ध ₹ 464.04 करोड़ (जनवरी से मार्च 2018 की समयावधि के लिये अग्रिम प्राप्त ₹ 3.38 करोड़ सम्मिलित करते हुए) प्राप्त हुआ। यद्यपि वर्ष के दौरान ₹ 0.31 करोड़ का गारन्टी कमीशन राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत निगम लिमिटेड से बकाया था। वर्ष के दौरान कोई गारन्टी याचित नहीं हुई।

(iii) **कर्जें तथा अग्रिम:** कर्जें तथा अग्रिम पर सूचना विवरण 7 एवं 18 (आई.जी.ए.एस. 3 की आवश्यकतानुसार) में दी गयी है। सभी कर्जें तथा अग्रिमों के सम्बन्ध में सूचना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा संधारित किया जाता है, राज्य सरकार के विभागों, जो ऐसे लेखों के संधारण के लिये उत्तरदायी है, द्वारा आंशिक रूप से उपलब्ध करायी गयी है। परिणामतः इन विवरणों में उपलब्ध सूचना अन्तिम नहीं है।

(iv) **निवेश:** राज्य सरकार संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं की अंश तथा हिस्सा पूंजी में निवेश करती है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 4,063.27 करोड़ निवेशित एवं ₹ 16.61 करोड़ विनिवेशित किये। इन आंकड़ों का यद्यपि, इकाइयों के साथ, जहां निवेश किया गया है से मिलान होना चाहिये। 31 मार्च 2018 को इन सरकारी निवेश के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

सरकारी निवेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ग	वर्ष 2017-18 के अन्त तक निवेश
1.	संवैधानिक निगम	764.34
2.	ग्रामीण बैंक	73.69
3.	सरकारी कम्पनियां	44,292.46
4.	संयुक्त पूंजी कम्पनियां और साझेदारी संस्थाएं	140.65
5.	सहकारी बैंक तथा समितियां	509.46
	योग	45,780.60 (निवल)

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

(v) **आरक्षित निधियां एवं जमाएं:** आरक्षित निधियां समेकित निधि से अंशदान में निद्विष्ट प्रयोजनों के लिये सृजित की जाती हैं। आरक्षित निधियों ("ब्याज वाली" तथा "गैर ब्याज" दोनों) तथा पृथक निधि से निवेश क्रमशः विवरण 21 तथा 22 में उपलब्ध हैं। 31 मार्च 2018 को ₹ 4,984.46 करोड़ के संचित शेष के साथ 25 आरक्षित निधियां थी जिसमें से ₹ 4,980.22 करोड़ के संचित शेष के साथ 20 प्रचलित थी। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दो नयी निधियां खोली गयी।

क. अप्रचलित आरक्षित निधियां: ₹ 4.24 करोड़ के संचित शेष के साथ 5 अप्रचलित निधियां थी। ब्यौरे अनुबंध-ग में है।

ख. ब्याज दायित्व का संपादन न करना: लोक लेखों के खण्ड क्रमशः ज तथा ट के अन्तर्गत ब्याज वाली आरक्षित निधियां एवं ब्याज वाली जमाओं के सम्बन्ध में ब्याज दायित्व वार्षिक दायित्व है जिसे राज्य सरकार द्वारा संपादित किया जाना है। राज्य सरकार ने ब्याज वाली आरक्षित निधियां/ब्याज वाली जमाओं के मामले में निम्न निधियों एवं जमाओं को छोड़ते हुए ब्याज दायित्व को सम्पादित किया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2017 को मौजूद शेष के लिये मुख्य शीर्ष 2049 के अधीन कोई प्रावधान नहीं किया गया :

आरक्षित निधि एवं जमाओं के अन्तर्गत शेषों का विवरण

(₹ करोड़ में)

खण्ड	उपखण्ड	ब्याज की दर	2017-18 के प्रारम्भ में शेष	देय ब्याज
ज-आरक्षित निधि	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां (वाटर वर्क्स तथा झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना)	7.50 प्रतिशत (मार्गोपाय अग्रिम की औसत ब्याज दर)	67.97	5.10
ज-अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	अन्य लेखे (निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना)	7.80 प्रतिशत (सामान्य भविष्य निधि में शेषों पर देय ब्याज दर)	62.92	4.91
ट-जमा तथा अग्रिम	ब्याज वाली जमाएं (निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना)	7.80 प्रतिशत (सामान्य भविष्य निधि में शेषों पर देय ब्याज दर)	0.11	0.01
योग				10.02

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

(v) आरक्षित निधियां एवं जमाएं- (क्रमशः)

महत्वपूर्ण आरक्षित निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

ग. गारंटी मोचन निधि: दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार ने 1999-2000 में गारंटी मोचन निधि गठित की। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने गारंटी कमीशन के रूप में ₹ 464.04 करोड़ प्राप्त किये। वर्ष 2017-18 में निधि को हस्तान्तरणीय कुल गारन्टी कमीशन ₹ 573.85 करोड़ (₹ 109.81 करोड़ 2016-17 के तथा ₹ 464.04 करोड़ 2017-18 के) में से राज्य सरकार ने हस्तान्तरण योग्य ₹ 3.92 करोड़ का शेष छोड़ते हुए, ₹ 569.93 करोड़ हस्तान्तरित किये। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि को संचालित करता है, के दिशा निर्देशों के अनुसार निधि के कॉरपस को बकाया गारन्टियों के 5 प्रतिशत के आवश्यक स्तर तक बढ़ाना है। 31 मार्च 2018 को ₹ 3,088.05 करोड़ (₹ 61,760.94 करोड़ की कुल बकाया गारन्टियों का 5 प्रतिशत) के आवश्यक स्तर के विरुद्ध गारंटी मोचन निधि का शेष ₹ 3,366.68 करोड़ (5.45 प्रतिशत) था। निधि से कोई भी राशि गारंटियों की याचना के लिये नहीं चुकाई गई।

घ. राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ): तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य ने 2010-11 में राज्य आपदा मोचन निधि का संचालन शुरू किया। चोदहवें वित्त आयोग ने एस.डी.आर.एफ. को यथावत रखा। दिशा निर्देशों के अनुसार, केन्द्र तथा राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपात में अंशदान किया जाना आवश्यक है। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 1,216.00 करोड़ (₹ 912.00 करोड़ केन्द्र हिस्सा तथा ₹ 304.00 करोड़ राज्यांश) राज्य आपदा मोचन निधि में जमा कराये। राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान अविनियोजित राशि पर ब्याज के रूप में भी ₹ 50.08 करोड़ चुकाये। यद्यपि राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान 2017-18 के लिये अविनियोजित राशि पर ₹ 31.75 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया जो वित्त आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार नहीं था।

भारत सरकार ने वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से ₹ 607.77 करोड़ की अतिरिक्त सहायता जारी की। यद्यपि राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान निधि को ₹ 306.12 करोड़ का शेष छोड़ते हुए, केवल ₹ 301.65 करोड़ हस्तान्तरित किये। राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2018 में बताया गया कि शेष राशि मई 2018 में निधि को हस्तान्तरित कर दी गयी।

वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर ₹ 1,810.51 करोड़ का व्यय, निधि में ₹ 83.27 करोड़ का शेष छोड़ते हुए, मुख्य शीर्ष 2245-05 को प्रतिदावा किया गया।

2017-18 के दौरान, राज्य सरकार के विभिन्न आहरण वितरण अधिकारियों ने पिछले वर्षों से सम्बन्धित अनुपयोजित राशि ₹ 31.50 करोड़ शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा के लिये सहायता के तहत कटौती के स्थान पर चालान के माध्यम से प्राप्ति शीर्ष "0075-800-08 आपदा राहत निधि का अनुपयोजित शेष" में जमा कराया। इसके कारण, राज्य सरकार ने कृत्रिम रूप से अपना राजस्व ₹ 31.50 करोड़ तक बढ़ाया तथा उस सीमा तक निधि को समाप्त कर दिया।

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

(v) आरक्षित निधियां एवं जमाएं- (क्रमशः)

ड. राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि (आर.एस.आर.डी. एफ): राज्य सरकार ने विधान द्वारा 2004 में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के विकास, निर्माण, मरम्मत, उन्नयन तथा रख-रखाव के लिये पेट्रोल तथा हाइस्पीड डीजल पर ₹ 0.50 प्रति लीटर का एक उपकर लगा कर राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि का गठन किया ।

लोक लेखा में गैर ब्याजु खाते के रूप में निधि गठित की गयी तथा राज्य सरकार के लेखों में शीर्ष "8225-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि " के अधीन वर्गीकृत किया गया। उपकर राशि का संग्रहण राजस्व शीर्ष "0040-800(03) डीजल तथा पेट्रोल पर सैस" के अधीन वर्गीकृत किया गया। प्रावधान के अनुसार उपकर राशि का संग्रहण सेवा शीर्ष 3054-80-797 को नामे करते हुए मुख्य शीर्ष 8225 को स्थानान्तरित किया जायेगा। वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिये किया गया व्यय 3054/5054 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है जो वर्ष के अन्त में शीर्ष 3054/5054 को ऋणात्मक नामे करते हुए निधि से पूरित करने योग्य है।

राज्य सरकार ने 2004-05 से 2016-17 तक डीजल तथा पेट्रोल पर उपकर के रूप में ₹ 4,541.49 करोड़ एकत्रित किये गये। इन वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 1,538.18 करोड़ छोड़ते हुए आर.एस.आर.डी.एफ. को केवल ₹ 3,003.31 करोड़ हस्तान्तरित किये गये। निधि की स्थिति नीचे दी गयी है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर संग्रहण	प्रारम्भिक शेष	जमा	नामे	अन्तिम शेष (3+4-5)	कॉलम 2 व 4 के बीच अन्तर
1	2	3	4	5	6	7
2016-17 तक	4,541.49	..	3,003.31	2,404.88	598.43	1,538.18
2017-18	1,394.37	598.43	466.68 [#]	299.46	765.65	969.37
योग	5,935.86		3,469.99[#]	2,404.88		2,507.55

इसमें 2017-18 के दौरान राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी द्वारा जमा कराये गये ₹ 41.68 करोड़ सम्मिलित है। यह राशि पूर्व में वर्ष 2013-14 में, राज्य सरकार द्वारा राज्य लेखों में लिये बिना सीधे आरक्षित निधि से ऋण के रूप में जारी की गयी थी।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2018 को निधि में ₹ 765.65 करोड़ अवशेष पड़े थे। राज्य सरकार को सम्बन्धित वर्ष के अन्त में उपकर की सम्पूर्ण राशि आर.एस.आर.डी.एफ. को स्थानान्तरित करनी थी, यद्यपि 2017-18 के अन्त तक ₹ 2,507.55 करोड़ निधि के हस्तान्तरित होना बकाया था जिसमें से ₹ 969.37 करोड़ 2017-18 से सम्बन्धित थे।

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

(v) आरक्षित निधियां एवं जमाएं- (समाप्त)

च. खनन क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि: राज्य सरकार ने, 2008-09 में, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां खनिज खनन होता है, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के बचाव व सुधार तथा पारिस्थितिक संतुलन संधारण के लिये खनिज अधिकारों पर पर्यावरण तथा स्वास्थ्य उपकर लगाना प्रस्तावित किया। इसके अनुसार वित्त अधिनियम, 2008 के सेक्शन 16 के अधीन राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों में 2008-09 से पर्यावरण तथा स्वास्थ्य उपकर लगाने के लिये शामिल किया गया। विधान का सेक्शन 17 उपलब्ध कराता है कि लगाये गये उपकर का आगम राज्य की संचित निधि को जमा किया जायेगा तथा यदि राज्य विधान सभा द्वारा इस सम्बन्ध में विधि द्वारा विनियोजन बना कर उपलब्ध कराती है अन्यथा, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के बचाव तथा पारिस्थितिक संतुलन के रख-रखाव, विशेष रूप से राज्य के खनन क्षेत्रों में, के लिये उपयोग में लिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, राजस्थान पर्यावरण तथा स्वास्थ्य सैस नियम 2008 के नियम 13(2) के अनुसार उपकर के पेटे वसूली गयी राशि समय समय पर लोक लेखे के अधीन राजस्थान पर्यावरण तथा स्वास्थ्य निधि को स्थानान्तरित की जानी है। इस उपकर की प्राप्ति शीर्ष '0853-800(02)' के अधीन वर्गीकृत की जानी है तथा लोक लेखे में शीर्ष '8229-200(07)' के अधीन सेवा शीर्ष '2853-80-797' को नामे करते हुए स्थानान्तरित की जाती है।

उपकर एकत्रीकरण, स्थानान्तरण तथा इसमें से किये गये व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर संग्रहण	प्रारम्भिक शेष	निधि को स्थानान्तरण	निधि से पूरित व्यय	अन्तिम शेष (3+4-5)	राशि जो अभी स्थानान्तरित होनी है। (2-4)
1	2	3	4	5	6	7
2016-17 तक	544.50	..	360.21	99.95	260.26	184.29
2017-18	5.67	260.26	101.45	112.92	248.79	- 95.78
योग	550.17		461.66	212.87	248.79	88.51

31 मार्च 2018 तक ₹ 550.17 करोड़ के कुल संग्रह मे से, ₹ 461.66 करोड़ निधि को स्थानान्तरित किये गये। राज्य सरकार ने उपकर की शेष राशि ₹ 88.51 करोड़ निधि को स्थानान्तरित नहीं की। 2017-18 के अन्त में निधि में ₹ 248.79 करोड़ का शेष था।

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

- (vi) **उचन्त तथा प्रेषण:** वित्त लेखे में 'उचन्त तथा प्रेषण' शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष प्रतिबिंबित होते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों, विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से नामे तथा जमा बकाया शेषों को जोड़कर निकाला जाता है। मुख्य उचन्त तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत गत तीन वर्षों के लिये सकल आंकड़ों की स्थिति को **अनुबन्ध-घ** के रूप में दिया गया है।
- (vii) **व्यय की प्रचुरता:** राशि ₹ 11,588.59 करोड़ (वचनबद्ध व्यय अर्थात् वेतन, मजदूरी, ब्याज अदायगियां, सेवानिवृत्ति दायित्व, सहाय्य तथा वेतन के लिए सहाय्यतार्थ अनुदान को छोड़ते हुए) का राजस्व व्यय, ₹ 41,687.42 करोड़ (वचनबद्ध व्यय को छोड़ते हुए) के कुल राजस्व व्यय का 27.80 प्रतिशत, माह मार्च 2018 में खर्च हुआ। इसी प्रकार ₹ 7,356.79 करोड़ का पूंजीगत व्यय, ₹ 20,483.51 करोड़ के कुल पूंजीगत व्यय का 35.92 प्रतिशत, माह मार्च 2018 में खर्च हुआ। ₹ 1,557.02 करोड़ का राजस्व व्यय तथा ₹ 775.58 करोड़ का पूंजीगत व्यय (क्रमशः राजस्व तथा पूंजीगत व्यय का 3.73 प्रतिशत एवं 3.79 प्रतिशत) मार्च 2018 के अन्तिम दिन में खर्च किया गया। आगे, राशि ₹ 4,035.89 करोड़ कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 6.49 प्रतिशत मार्च 2018 में निजी निक्षेप खाते में स्थानान्तरित किया गया।
- (viii) **आकस्मिकता निधि से अग्रिम:** राजस्थान की आकस्मिकता निधि का कारपस ₹ 500 करोड़ है। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया।
- (ix) **केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एक मुश्त अनुदान छोड़कर):** राज्य सरकार को राज्य में केन्द्रीय आयोजना तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, जिसके लिये भारत सरकार से अनुदान जारी की जाती है, का निष्पादन सौंपा गया है। भारत सरकार ने इन केन्द्रीय आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को पुनर्गठित किया तथा इन राशियों को अब 'राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान सरकार ने अपने आय-व्ययक दर्शाव को संशोधित किया है तथा सी.एस.एस./ए.सी.ए. के लिये केन्द्रीय सहायता को भारत सरकार की अम्ब्रेला योजनाओं के तहत सम्बन्धित राज्य योजनागत योजनाओं के साथ समाहित कर दिया है। 2017-18 में राजस्थान में 53 केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं संचालित थीं।
- 2017-18 में राजस्थान सरकार की राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता के रूप में महानियंत्रक लेखा के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल में ₹ 15,337.75 करोड़ दिखाये गये। यद्यपि, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर से क्लियरेंस मीमो तथा सम्बन्धित मंत्रालयों से समर्थित स्वीकृतियों के अनुसार ₹ 15,252.69 करोड़ प्राप्त हुए तथा राज्य सरकार के लेखों में मुख्य शीर्ष 1601 केन्द्र सरकार से सहाय्यतार्थ अनुदान के अन्तर्गत दर्ज किये गये। वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर कुल व्यय ₹ 27,854.75 करोड़ (₹ 21,620.93 करोड़ : राजस्व व्यय तथा ₹ 6,233.82 करोड़ : पूंजीगत व्यय) था जिसमें राज्य निधि में से किया गया व्यय सम्मिलित था। 2017-18 में केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं पर हुए व्यय के ब्यौरे विवरण 15 के अनुबंध में दिखाये गये हैं।

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

(x) **भारत सरकार द्वारा निधियों का सीधा हस्तान्तरण:** भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को, कार्यकारी अभिकरणों को नहीं, सी एस एस/ए सी ए के अन्तर्गत सहायता जारी करने के निर्णय के उपरान्त भी 2017-18 के दौरान (महानियंत्रक लेखा के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार) राजस्थान में कार्यकारी अभिकरणों को 2016-17 में ₹ 3,799.71 करोड़ के विरुद्ध ₹ 3,946.78 करोड़ जारी किये गये जो कि 3.87 प्रतिशत अधिक है। ब्यौरे परिशिष्ट VI पर हैं। इन सीधे हस्तान्तरण की बहुलता महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (₹ 3,189.65 करोड़) के तहत थी। परिणामतः ऐसे हस्तान्तरण तथा तदनुसार कार्यकारी अभिकरणों द्वारा व्यय राज्य सरकार के लेखों में प्रतिबन्धित नहीं होते हैं।

(xi) **केन्द्रीय कर्जों का अपलेखन:** तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रोत्साहन में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने, आदेशों की श्रृंखला में (सभी दिनांक 29 फरवरी 2012 को) विभिन्न मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय स्वयं द्वारा दिये गये अग्रिम के अलावा) द्वारा राज्य सरकार को 31 मार्च 2010 तक दिये गये केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के सभी कर्जों को अपलिखित किया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को आदेशों के प्रभावी दिनांक (31 मार्च 2010) से मूलधन के अधिक पुनर्भुगतान तथा उस पर दिये गये ब्याज को वित्त मंत्रालय के भविष्य में किये जाने वाले पुनर्भुगतान से समायोजन की अनुमति दी गयी। उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन में, 2013-14 के दौरान, वित्त मंत्रालय केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय के अलावा मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार को दिये गये ₹ 135.75 करोड़ के ऋणों के अपलेखन की सहमति दी गयी। 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 48.31 करोड़ (मूल: ₹ 28.47 करोड़ तथा ब्याज: ₹ 19.84 करोड़) का अधिक भुगतान किया, उसमें से वित्त मंत्रालय के ऋण एवं उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान के विरुद्ध ₹ 24.33 करोड़ (मूल: ₹ 9.07 करोड़ तथा ब्याज: ₹ 15.26 करोड़) 2013-14 के दौरान समायोजित किये गये। फिर भी, ₹ 23.98 करोड़ (मूल: ₹ 19.40 करोड़ तथा ब्याज: ₹ 4.58 करोड़) का समायोजन अभी भी बकाया है।

(xii) **उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय):** ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने नवम्बर 2015 में राज्य डिस्कॉम की कार्यकारी तथा वित्तीय गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य के साथ विद्युत् वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव के लिये एक योजना उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना) को अनुमोदित किया इस योजना के तहत दो वर्षों में 30 सितम्बर 2015 को डिस्कॉम ऋण के 75 प्रतिशत के अधिग्रहण के वास्ते राजस्थान सरकार की सुगमता के लिये ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार तथा राज्य डिस्कॉम के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन निष्पादित हुआ।

योजना के अनुसार, राजस्थान सरकार ने डिस्कॉम के ₹ 83,229.89 करोड़ (30 सितम्बर 2015 को) के कुल बकाया दायित्व में से ₹ 62,421.96 करोड़ (₹ 40,049.77 करोड़ 2015-16 में तथा ₹ 22,372.19 करोड़ 2016-17 में) का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बॉण्ड जारी कर डिस्कॉम में ऋण, सरकारी निवेश तथा डिस्कॉम को सहाय्य के रूप में अधिग्रहित किया।

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

(xii) उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय): -(समाप्त)

राज्य सरकार द्वारा 2015-16 एवं 2016-17 में डिस्कॉम को किया गया पूरा हस्तान्तरण अनुदान/सहाय्य के रूप में नहीं था। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया गया कि उदय में दी गयी छूट के अनुसार डिस्कॉम को दिया गया ऋण आगामी तीन वर्षों अर्थात् 2019-20 तक अनुदान तथा अंश पूंजी में परिवर्तित किया जायेगा। इस अनुरूप 2017-18 के दौरान राजस्थान सरकार ने ₹ 15,000 करोड़ (₹ 44,721.96 करोड़ के कुल ऋण में से) का ऋण अंश (₹ 3,000 करोड़) तथा सहाय्य (₹ 12,000 करोड़) में परिवर्तित किया। आगे, 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने ऋण को सहाय्य तथा पूंजी निवेश में परिवर्तित करने के लिये ₹ 15,000 करोड़ का प्रावधान किया है। 2017-18 के अन्त में डिस्कॉम को अंश पूंजी समर्थन राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कुल दायित्व का 18.74% था जो कि योजना की दिशानिर्देशों में निर्धारित 25% की सीमा में था। विवरण नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निवेश	ऋण	सहाय्य	योग
2015-16	5,700.00	34,349.77	..	40,049.77
2016-17	3,000.00	10,372.19	9,000.00	22,372.19
योग	8,700.00	44,721.96	9,000.00	62,421.96
2017-18	3,000.00	- 15,000.00	12,000.00	..
31.3.2018 को स्थिति	11,700.00 (18.74%)	29,721.96 (47.62%)	21,000.00 (33.64%)	62,421.96

(xiii) श्रमिक सैस के आगम का राजस्थान भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को स्थानान्तरण नहीं होना: भारत सरकार ने भवन तथा अन्य निर्माण कामगार (रोजगार की नियमावली तथा सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया है जो निर्माण कामगारों के लिये विभिन्न कल्याण योजनाएं बनाने तथा लागू करने के लिये राज्य भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन उपलब्ध कराता है। बोर्ड के संसाधनों को बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण सैस अधिनियम, 1996 व भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण सैस नियम, 1998 अधिनियमित किया है सैस अधिनियम का सेक्शन 3 परियोजना की लागत पर कम से कम 1 प्रतिशत तथा अधिकतम 2 प्रतिशत सैस लगाने की उपलब्धता देता है। उपकर सभी स्थापनाओं, चाहे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विभाग/संगठन अथवा अर्द्धसरकारी अथवा निजी संगठन हो, पर लागू होगा।

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

(xiii) श्रमिक सैस के आगम का राजस्थान भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को स्थानान्तरण नहीं होना:-(समाप्त)

राजस्थान सरकार ने 30.04.2009 को राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार नियमावली तथा सेवा शर्तें) नियम 2009 अधिसूचित किया। उपरोक्त नियमों के अधीन 'राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड' को विधान तथा भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों के लिये कल्याण मापक भी अधिसूचित किये गये। बोर्ड ने 'राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण निधि' का गठन किया जिसमें अनुदान अथवा ऋण अथवा अग्रिम, लाभार्थियों का अशदान तथा ऐसे अन्य स्रोत जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये जाये, से बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी प्राप्तियां जमा की जायेगी। श्रम तथा रोजगार विभाग के परिपत्र दिनांक 09 जुलाई 2010 के अनुसार, उपकर से संग्रहित राशि संग्रह के 30 दिनों के भीतर बोर्ड को हस्तान्तरित होनी चाहिये।

वर्ष 2010-11 से 2017-18 की अवधि के दौरान, निर्माण परियोजनाओं पर सैस के रूप में {शीर्ष 0230-800(06) के अधीन} चालू वर्ष के संग्रह ₹ 338.60 करोड़ को सम्मिलित करते हुए ₹ 1,947.81 करोड़ संग्रहित हुए। इसमें से, ₹ 1,609.46 करोड़ राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2018 तक बोर्ड के पी.डी. खाते में {शीर्ष 2230-01-103(07) के माध्यम से} ₹ 338.35 करोड़ के शेष छोड़ते हुए जो अभी तक स्थानान्तरित होना है, स्थानान्तरित किये गये। 31 मार्च 2018 को बोर्ड के पी.डी. खाते में ₹ 64.33 करोड़ अनउपयोजित पड़े थे।

₹ 338.35 करोड़ की अहस्तान्तरित राशि योजना के तहत राज्य सरकार के दायित्व को इंगित करता है।

(xiv) वचनबद्ध दायित्व: जब तक कि वचनबद्ध दायित्वों से सम्बन्धित आंकड़ों को भी प्रदर्शित नहीं किया जाता है, लेखे अपूर्ण हैं।

चूंकि राज्य सरकार द्वारा यह सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है, वित्त लेखे 2017-18 में वचनबद्ध दायित्वों पर परिशिष्ट शामिल नहीं किया जा सका।

(xv) राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम: राज्य सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन

अधिनियम, 2005 कानून बनाया तथा 2006 में संबंधित नियम अधिसूचित किये। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 को 2011 में संशोधित किया गया। इस संशोधन के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा 2017-18 के बजट के साथ मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण तथा राजकोषीय नीति योजना विवरण शामिल किये गये। अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रस्तुतीकरणों को बनाया गया है।

लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्न प्रकार है:

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (क्रमशः)

3. अन्य मदें- (क्रमशः)

(xv) राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम: -(समाप्त)

क्र.स.	लक्ष्य	वर्ष 2016-17 के दौरान उपलब्धियां
1.	वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटे को खत्म कर और उसके बाद इसे बनाये रखने या राजस्व अधिशेष को प्राप्त करना	2011-12 तथा 2012-13 में राज्य में राजस्व अधिशेष एवं 2013-14 से 2016-17 में राजस्व घाटा था। 2017-18 के दौरान ₹ 18,534.34 करोड़ का राजस्व घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 2.21 प्रतिशत था।
2.	वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत या कम करने और उसके बाद राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत या इससे कम स्तर पर बनाये रखना	2017-18 में राजकोषीय घाटा (₹ 25,341.62 करोड़) राज्य घरेलू उत्पाद का 3.02 प्रतिशत था जो निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य से थोड़ा अधिक है।
3.	वित्तीय वर्ष 2017-18 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 35.50 प्रतिशत तक कम करना	लक्ष्य पूरा किया गया। वर्ष 2017-18 के अन्त में बकाया दायित्व (₹ 2,81,182.05 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 33.46 प्रतिशत था।

* राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 2017-18 के लिए अग्रिम अनुमान ₹ 8,40,263 करोड़ का घोषित किया गया।

(xvi) गलत/अपर्याप्त लेखांकन का राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे पर प्रभाव: गलत/अपर्याप्त लेखांकन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व घाटे तथा राजकोषीय पर प्रभाव (ब्यौरे पिछले अनुच्छेदों में दिये गये हैं) नीचे दिये गये हैं :

अनुच्छेद संख्या	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिक दर्शाया गया	कम दर्शाया गया	अधिक दर्शाया गया	कम दर्शाया गया
3 (i)	निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों को सरकार की ओर से कम अंशदान	..	137.88	..	137.88
3(v) ख	ब्याज वाली आरक्षित निधियां तथा जमाओं पर ब्याज जमा नहीं दिया जाना	..	10.02	..	10.02

अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियां- (समाप्त)

3. अन्य मदें- (समाप्त)

(xvi) गलत/अपर्याप्त लेखांकन का राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे पर प्रभाव: -(समाप्त)

अनुच्छेद संख्या	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिक दर्शाया गया	कम दर्शाया गया	अधिक दर्शाया गया	कम दर्शाया गया
3(v) ग	गारन्टी कमीशन का गारन्टी शोधन निधि में हस्तान्तरण नहीं किया जाना	..	3.92	..	3.92
3(v) घ	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि का राज्य आपदा मोचन निधि में हस्तान्तरण नहीं किया जाना	..	306.12	..	306.12
3(v) ड.	डीजल एवं पेट्रोल पर सैस का राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि को हस्तान्तरण नहीं किया जाना	..	969.37	..	969.37
3(xiii)	लेबर सैस का राजस्थान भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को हस्तान्तरण नहीं किया जाना	..	338.35	..	338.35
कम दर्शाया गया योग (शुद्ध)		1,765.66		1,765.66	

अनुबन्ध - क
{ टिप्पणी 1(ii) में सन्दर्भित }
पुस्तकीय समायोजन
(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
1.	केन्द्रीय सड़क निधि				
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान का समायोजन	3054-80-797(03) केन्द्रीय सड़क निधि से/को अंतरण (100% केन्द्रीय)	8449-103 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	5,89.58	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान का हस्तान्तरण जैसा कि भारत सरकार द्वारा राज्य सड़कों के संधारण हेतु जारी की गयी ।
	केन्द्रीय सड़क निधि से पूरित व्यय	8449-103 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान (नामे)	5054-03-337(06) मुख्य शीर्ष 8449 "केन्द्रीय सड़क निधि" से अंतरण (घटाइये नामे)	5,48.04	केन्द्रीय सड़क निधि से सड़कों पर हुए व्यय की पूर्ति ।
		8449-103 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान (नामे)	5054-03-789(08) मुख्य शीर्ष 8449 "केन्द्रीय सड़क निधि" से अंतरण (घटाइये नामे)	1,44.00	
8449-103 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान (नामे)		5054-03-796(08) मुख्य शीर्ष 8449 "केन्द्रीय सड़क निधि" से अंतरण (घटाइये नामे)	76.54		
2.	राज्य सड़क विकास निधि				
	निधियों का समायोजन	3054-80-797(02) राज्य सड़क विकास निधि को/से अंतरण	8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि	4,25.00	निधि को उपकर का हस्तान्तरण ।
	निधि से पूरित सड़कों पर व्यय	8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे)	5054-03-337(08) "राज्य सड़क विकास निधि" मुख्य शीर्ष 8225 से अंतरण (घटाइये नामे)	1,61.80	निधि से पूरित व्यय ।
		8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे)	5054-03-789(05) "राज्य सड़क विकास निधि" मुख्य शीर्ष 8225 से अंतरण (घटाइये नामे)	38.33	
		8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे)	5054-03-796(05) "राज्य सड़क विकास निधि" मुख्य शीर्ष 8225 से अंतरण (घटाइये नामे)	30.35	
		8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे)	5054-04-789(07) "राज्य सड़क विकास निधि" मुख्य शीर्ष 8225 से अंतरण (घटाइये नामे)	19.52	
		8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे)	5054-04-796(09) "राज्य सड़क विकास निधि" मुख्य शीर्ष 8225 से अंतरण (घटाइये नामे)	4.72	
		8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे)	5054-04-800(15) "राज्य सड़क विकास निधि" मुख्य शीर्ष 8225 से अंतरण (घटाइये नामे)	44.74	

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
3.	राज्य आपदा मोचन निधि				
	राज्य आपदा मोचन निधि का समायोजन	2245-05-101 आरक्षित निधि तथा जमा लेखों को अंतरण- राज्य आपदा मोचन निधि	8121-122 राज्य आपदा मोचन निधि	15,17.65	मुख्य शीर्ष 2245 को नामे करते हुए ₹ 9,12.00 करोड़ का केन्द्रीय अंश एवं ₹ 3,04.00 करोड़ का राज्यांश तथा भारत सरकार से एन.डी.आर.एफ. हेतु प्राप्त ₹ 3,01.65 करोड़ का हस्तान्तरण।
	निधि से पूरित व्यय	8121-122 राज्य आपदा मोचन निधि (नामे)	2245-05-901 घटाइये - राज्य आपदा मोचन निधि से पूरित राशि (घटाइये नामे)	18,10.51	राज्य आपदा मोचन निधि से पूरित सूखा तथा बाढ़ आदि पर व्यय।
4.	मूल्य हास नवीनीकरण आरक्षित निधि				
	निधि से पूरित व्यय	8115-103-01 जलदाय विभाग (नामे)	4215-01-902 (01) घटाइये - मद 8115-103 (01) मूल्य हास नवीनीकरण आरक्षित निधि से पूरित व्यय (घटाइये नामे)	0.49	निधि से पूरित व्यय
5.	वानिकी और बायोडायवर्सिटी निधि				
	निधि से पूरित व्यय	8235-200 (06) राजस्थान वानिकी एवं बायोडायवर्सिटी परियोजना के तहत प्राप्त राशि (नामे)	2406-01-001(04)[02] मद 8235-200(06) राजस्थान फोरेस्ट्री एण्ड बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त राशि को उपयोग में लेने के कारण प्राप्त राशि से पूरित (घटाइये नामे)	1.61	निधि से पूरित व्यय
6.	पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि				
	निधि को हस्तान्तरण	2853-02-797(01) लेखा मद 8229-200(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि को अन्तरण	8229-200(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि	1,01.45	निधि को हस्तान्तरण
	निधि से पूरित व्यय	8229-200(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि (नामे)	2853-02-902(01) लेखा मद 8229-200(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	52.38	निधि से पूरित व्यय
8229-200(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि (नामे)		4853-01-902(01) लेखा मद 8229-200(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	45.82		

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
6.	पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि- (समाप्त)				
	निधि से पूरित व्यय	8229-200(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि (नामे)	4853-01-902(02) लेखा मद 8229-200(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	7.24	निधि से पूरित व्यय
		8229-200(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि (नामे)	4853-01-902 (03) लेखा मद 8229-200(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	7.48	
7.	जल संरक्षण सेस निधि				
	निधि को हस्तान्तरण	2040-797(01) से जल संरक्षण सेस निधि को अन्तरण	8229-200(11) जल संरक्षण सेस निधि	2,89.56	निधि को हस्तान्तरण
	निधि से पूरित व्यय	8229-200(11) जल संरक्षण सेस निधि (नामे)	2501-05-902(01) 2501-05-196(08) [01] में हुए व्यय का शीर्ष 8229-200(11) जल संरक्षण सेस निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	1,50.92	निधि से पूरित व्यय
8.	राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि				
	निधि को हस्तान्तरण	2403-797(01) [01] से राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि को अन्तरण	8229-104(02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि	1,73.68	निधि को हस्तान्तरण
	निधि से पूरित व्यय	8229-104(02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि (नामे)	2403-902(01) 2403-102(02) [03] में हुए व्यय का शीर्ष 8229-104 (02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	1,24.59	निधि से पूरित व्यय
		8229-104(02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि (नामे)	2403-902(01) 2403-789(03) [01] में हुए व्यय का शीर्ष 8229-104(02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	27.96	

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
8.	राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि- (समाप्त)				
	निधि से पूरित व्यय	8229-104(02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि (नामे)	2403-902(01) 2403-796(04) [01] में हुए व्यय का शीर्ष 8229-104(02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	21.00	निधि से पूरित व्यय
9.	राजस्थान शहरी विकास निधि				
	निधि से पूरित व्यय	8229-200(10) राजस्थान शहरी विकास निधि (नामे)	2217-80-902(01) में हुए व्यय का शीर्ष 2217-80-191(29) तथा 2217-80-192(33) से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	42.00	निधि से पूरित व्यय
10.	समर्पित सड़क सुरक्षा निधि				
	निधि को हस्तान्तरण	3055-797(01) [01] से समर्पित सड़क सुरक्षा निधि को अन्तरण	8229-200(12) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि	89.43	निधि को हस्तान्तरण
	निधि से पूरित व्यय	8229-200(12) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि (नामे)	3055-902(01) [01] में हुए व्यय का शीर्ष 3055-800(01) [01] से शीर्ष 8229-200(12) से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	37.14	निधि से पूरित व्यय
11.	सरकारी कर्मचारियों की बीमा योजना	8011-105(01) जीवन बीमा योजनाएं (नामे)	2235-60-105(02) घटाइये-8011 बीमा तथा पेंशन निधियों 105-राज्य सरकारी बीमा निधि (01) जीवन बीमा योजनाओं से हस्तान्तरित राशि	51.13	निधि के प्रबंधन की सावधि लागत प्रारम्भिक रूप से 2235 के अन्तर्गत नामे किया तथा 8011-105(01) से पूरित किया गया ।
		8011-105(02) साधारण बीमा योजना (नामे)	2235-60-110(02) घटाइये-8011 बीमा तथा पेंशन निधि 105-राज्य सरकारी बीमा निधि (02) साधारण बीमा योजनाओं से हस्तान्तरित राशि	3.22	निधि के प्रबंधन की सावधि लागत प्रारम्भिक रूप से 2235 के अन्तर्गत नामे किया तथा अन्त में 8011-105(02) से पूरित किया गया ।

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
12.	सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल का समायोजन	1601-01-800(05) युद्धावश्यक सीमावर्ती सड़कें	3054-02-337(01)[01] संधारण एवं जीर्णोद्धार	1,82.62	सीमावर्ती सड़कों पर व्यय का समायोजन जैसा कि चेतक परियोजना, बीकानेर से प्राप्त हुआ। भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सीमा सड़कों के निर्माण तथा संधारण हेतु इस परियोजना को सीधे ही अनुदान जारी करती है। यह एक बुक समायोजन है जो राज्य लेखों में प्रतिवर्ष मुख्य शीर्ष 1601 तथा 3054/ 5054 में किया जाता है।
			5054-02-337(03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से	24.70	
13.	जल संसाधन विभाग के सम्बन्ध में निदेशन तथा प्रशासन पर प्रोरेटा चार्ज का वार्षिक समायोजन	2701-80-001 निदेशन तथा प्रशासन	2700 मुख्य सिंचाई (विभिन्न परियोजनाएं)	3.40	जल संसाधन विभाग के निदेशन तथा प्रशासन पर व्यय का समायोजन प्रारम्भ में मुख्य शीर्ष 2701-80-001 के अन्तर्गत नामे कर तथा अंत में कार्य परिव्यय के अनुसार संबंधित कार्य पर भारित किया जाता है।
			2701 मध्यम सिंचाई (विभिन्न परियोजनाएं)	4.21	
			2702 लघु सिंचाई (विभिन्न परियोजनाएं)	10.64	
			4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (विभिन्न परियोजनाएं)	19.79	
			4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (विभिन्न परियोजनाएं)	22.06	
			4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (विभिन्न परियोजनाएं)	41.49	
			4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय (विभिन्न परियोजनाएं)	12.11	

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
14.	वाणिज्यिक परियोजनाओं पर ब्याज का समायोजन	2700- मुख्य सिंचाई (समस्त सिंचाई परियोजनाएं)	0049-04-103(04) वृहद और मध्यम सिंचाई	12,26.34	जल संसाधन विभाग की वाणिज्यिक परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय पर ब्याज का समायोजन
		2701- मध्यम सिंचाई (समस्त सिंचाई परियोजनाएं)	0049-04-103(04) वृहद और मध्यम सिंचाई	2,05.82	
15.	निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन				
	सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि	2049-03-104(01) सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज	8009-01-101(01) कर्मचारियों की जमा	18,59.82	कार्यरत कर्मचारियों के राज्य भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन
8009-01-101(02) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जमा			64.12	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के राज्य भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन	
8338-104(01) सामान्य भविष्य निधियों की जमा			41.90	कार्यरत कर्मचारियों के राज्य भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन	
2049-03-104(02) अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज		8338-104(02) अंशदायी भविष्य निधियों की जमा	82.22	अंशदायी भविष्य निधि की जमाओं के शेषों पर ब्याज का समायोजन	
2049-03-104(03) अखिल भारतीय सेवाएं भविष्य निधियों पर ब्याज		8009-01-104(01) भविष्य निधि	4.49	अखिल भारतीय सेवाओं की भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन	
2049-03-104(04) कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज		8009-60-103 अन्य विविध भविष्य निधि	78.28	कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन	
2049-03-104(06) कामगारों के सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज		8009-60-101 कामगार अंशदायी भविष्य निधि	35.85	कामगार अंशदायी भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन	
राज्य सरकार जीवन बीमा निधियां		2049-03-108(01) राज्य सरकार की जीवन बीमा निधि पर ब्याज	8011-105(01)[01] राज्य सरकार की बीमा निधि	10,95.32	जीवन बीमा निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन
वाहन अग्रिम	2049-03-108(02) जोखिम निधि	8011-106(01)[01] वाहन अग्रिम	1.17	वाहन अग्रिम के शेषों पर ब्याज का समायोजन	
भवन निर्माण अग्रिम	2049-03-108(02) जोखिम निधि	8011-106(01)[02] भवन निर्माण अग्रिम	1.92	भवन निर्माण अग्रिम के शेषों पर ब्याज का समायोजन	
उपदान निधियां	2049-03-108(03) नगरपालिका/नगर परिषद की उपदान (ग्रेच्युटी) निधियों पर ब्याज	8338-104(03)[01] नगरपालिकाओं/नगर परिषदों की उपदान निधियों की जमा	2.02	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों उपदान निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन	

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
15.	निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन--(क्रमशः)				
	उपदान निधियां - (समाप्त)	2049-03-108(05) नगर विकास न्यास/नगर सुधार न्यास की उपदान (ग्रेच्युटी) निधियों पर ब्याज	8338-104(03)[02] शहरी विकास न्यासों/शहरी सुधार न्यासों उपदान निधियों की जमा	0.61	नगर विकास न्यास/नगर सुधार न्यास की उपदान निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
	पेंशन निधियां	2049-03-108(06) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(05)[03] नगरपालिकाओं/नगर परिषदों की अन्य निधियों की जमाएं	0.10	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(08) राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम	8338-104(04)[06] राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम की पेंशन निधियों की जमाएं	5.72	राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(09) जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(04)[07] जयपुर विकास प्राधिकरण की पेंशन निधियों की जमाएं	7.93	जयपुर विकास प्राधिकरण की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(11) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(04)[04] राजस्थान राज्य भंडारण निगम की पेंशन निधियों की जमाएं	0.09	राजस्थान राज्य भंडारण निगम की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(12) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(04)[01] राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की पेंशन निधियों की जमाएं	0.01	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(13) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(04)[03] माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पेंशन निधियों की जमाएं	5.95	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(16) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(04)[14] जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की पेंशन निधियों की जमाएं	0.10	जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(17) कृषि उपज मण्डी समिति के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(04)[16] कृषि उपज मण्डी समिति की पेंशन निधियों की जमाएं	2.32	कृषि उपज मण्डी समिति की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(18) राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों की पेंशन निधि पर ब्याज	8338-104(04)[12] राजस्थान आवासन मंडल की पेंशन निधियों की जमाएं	3.72	राजस्थान आवासन मण्डल की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(19) राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की पेंशन निधि पर ब्याज	8338-104(04)[10] राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की पेंशन निधियों की जमाएं	5.54	राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन

अनुबन्ध क - (समाप्त)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (समाप्त)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
15.	निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन - (समाप्त)				
	पेंशन निधियां - (समाप्त)	2049-03-108(20) राजस्थान राज्य खेल परिषद की पेंशन निधि पर ब्याज	8338-104(04)[11] राजस्थान राज्य खेल परिषद की पेंशन निधियों की जमाएं	0.96	राजस्थान राज्य खेल परिषद की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(21) शहरी विकास न्यास/शहरी सुधार न्यास की पेंशन निधि पर ब्याज	8338-104(04)[13] शहरी विकास न्यास/शहरी सुधार न्यास पेंशन निधियों की जमाएं	2.14	शहरी विकास न्यास/शहरी सुधार न्यास की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
	साधारण बीमा योजना	2049-03-108(15) साधारण बीमा योजना से सम्बन्धित निधियों पर ब्याज	8011-105(02) सामान्य बीमा योजना	29.88	सामान्य बीमा योजना के शेषों पर ब्याज का समायोजन
	कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना	2049-03-108(23) राज्य कर्मचारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित ब्याज	8011-107(01) राज्य सरकार की कर्मचारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	11.81	कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के शेषों पर ब्याज का समायोजन
	नवीन अंशदान पेंशन योजना	2049-03-117(01) सरकारी कर्मचारियों के लिए	8011-106(03) [01] सरकारी कर्मचारियों के लिए	7.23	नवीन अंशदायी पेंशन योजना की लीगेसी राशि (एन एस डी एल को हस्तान्तरित नहीं) पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-117(03) समितियों, आयोगों, राजकीय उपक्रमों व अन्य संस्थाओं के लिए	8011-106(03) [03] समितियों, आयोगों, राजकीय उपक्रमों व अन्य संस्थाओं के लिए	0.11	
	राज्य आपदा मोचन निधि	2049-05-105(01) राज्य आपदा मोचन निधि की जमाओं पर ब्याज	8121-122(01) [04] निधि से ब्याज की प्राप्ति	50.08	राज्य आपदा मोचन निधि की 2016-17 से सम्बन्धित अनिवेशित राशि पर ब्याज का समायोजन
	विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना - परियोजना 2600	2049-60-101(05)[02] परियोजना 2600 के निक्षेपों पर ब्याज	8342-120(05)[02] परियोजना 2600 के निक्षेपों पर ब्याज	0.01	विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना- परियोजना 2600 के शेषों पर ब्याज का समायोजन

(ii) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	तक		
1.	गारंटी शुल्क	2075-797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को अंतरण	8235-117 गारंटी मोचन निधि	5,69.93	गारंटी शुल्क का गारंटी मोचन निधि को स्थानान्तरण जैसा कि राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटी के विरुद्ध प्राप्त हुआ।

अनुबन्ध - ख
{ टिप्पणी 2(i) में सन्दर्भित }
लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
1.	2013. मंत्री परिषद	4.26	11.79	36.13
2.	2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,47.47	9,99.69	54.76
3.	2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं	2.48	2.48	100.00
4.	2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन	44.14	2,52.27	17.50
5.	2211. परिवार कल्याण	13,29.77	26,45.15	50.27
6.	2217. शहरी विकास	4,75.24	41,66.63	11.41
7.	2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	11,66.24	15,25.13	76.47
8.	2250. अन्य सामाजिक सेवाएं	28.97	53.86	53.79
9.	2401. फसल कृषि-कर्म	4,04.23	25,67.35	15.75
10.	2425. सहकारिता	2,06.15	5,06.18	40.73
11.	2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.50	1.74	28.74
12.	2700. मुख्य सिंचाई	11,38.50	15,76.06	72.24
13.	2701. मध्यम सिंचाई	2,22.94	3,19.09	69.87
14.	2702. लघु सिंचाई	74.48	1,43.74	51.82
15.	2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	52.38	2,07.77	25.21
16.	3054. सड़क तथा सेतू	3,87.37	15,93.36	24.31
17.	3055. सड़क परिवहन	68.05	5,84.05	11.65
18.	3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	16.20	17.48	92.68
19.	3452. पर्यटन	84.70	1,35.35	62.58
20.	4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.20	0.20	100.00
21.	4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	2,88.86	9,15.59	31.55

अनुबन्ध – ख – (क्रमशः)

लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय-(समाप्त)

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
22.	4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	29.45	2,77.44	10.61
23.	4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4.56	8.68	52.53
24.	4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	18.37	19.88	92.40
25.	4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	1,35.07	1,81.52	74.41
26.	4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	16.23	1,60.58	10.11
27.	4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	1,62.18	3,86.28	41.99
28.	4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	8.45	8.62	98.03
29.	5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	24,44.17	45,39.32	53.84
30.	5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	3.04	3.04	100.00
31.	5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	20.26	30.92	65.52
32.	5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4,85.40	7,53.44	64.42

अनुबन्ध ख- (क्रमशः)

लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
1.	0029. भू-राजस्व	1,62.92	3,63.86	44.78
2.	0030. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	6,10.04	36,74.78	16.60
3.	0035. कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	1.33	1.33	100.00
4.	0043. विद्युत कर तथा शुल्क	4,46.77	33,76.67	13.23
5.	0051. लोक सेवा आयोग	0.15	1.19	12.61
6.	0056. जेल	0.32	0.32	100.00
7.	0058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण	2.96	4.94	59.92
8.	0059. लोक निर्माण कार्य	22.65	1,09.26	20.73
9.	0070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,18.31	2,07.55	57.00
10.	0071. पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूली	4.59	34.67	13.24
11.	0075. विविध सामान्य सेवाएं	1,69.87	7,62.36	22.28
12.	0202. शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति	81.58	1,61.78	50.43
13.	0210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	50.39	1,30.67	38.56
14.	0211. परिवार कल्याण	0.18	0.18	100.00
15.	0215. जलपूर्ति तथा सफाई	66.68	6,24.38	10.68
16.	0217. शहरी विकास	6.94	6.94	100.00
17.	0220. सूचना तथा प्रचार	0.14	0.14	100.00
18.	0230. श्रम तथा रोजगार	3,51.17	3,61.96	97.02
19.	0235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	22.44	22.46	99.91
20.	0250. अन्य सामाजिक सेवाएं	2.91	9.83	29.60
21.	0401. फसल कृषि-कर्म	20.29	20.64	98.30
22.	0403. पशु पालन	4.64	17.18	27.01

अनुबन्ध ख- (समाप्त)

लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्तियां- (समाप्त)

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
23.	0406. वानिकी तथा वन्य प्राणी	63.20	1,82.26	34.68
24.	0425. सहकारिता	58.71	63.11	93.03
25.	0435. अन्य कृषि कार्यक्रम	8.92	9.01	99.00
26.	0515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	0.47	2.51	18.73
27.	0700. मुख्य सिंचाई	2,14.41	2,67.60	80.12
28.	0701. मध्यम सिंचाई	7.78	10.12	76.88
29.	0702. लघु सिंचाई	0.99	9.63	10.28
30.	0801. बिजली	53.98	53.98	100.00
31.	0851. ग्राम तथा लघु उद्योग	11.58	11.58	100.00
32.	0852. उद्योग	0.73	0.73	100.00
33.	1054. सड़क तथा सेतु	1.00	6.82	14.66
34.	1452. पर्यटन	0.97	0.97	100.00

अनुबन्ध - ग
{ टिप्पणी 3(v) क में सन्दर्भित }
अप्रचलित आरक्षित निधियों का विवरण

लेखा शीर्ष	प्रारम्भिक शेष	अन्तिम शेष
	(₹ करोड़ में)	
8115 मूल्यहास/ नवीकरण आरक्षित निधियां		
.		
103. मूल्यहास आरक्षित निधि –सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम		
(07) झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना	0.20	0.20
8229 विकास तथा कल्याण निधि		
.		
103. कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि		
(01) कृषक सुधार निधि	0.01	0.01
104. पशुपालन प्रयोजनों के लिए विकास निधि		
(01) विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता से गहन अंडा तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधि	0.01	0.01
8235 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधिया		
.		
200. अन्य निधियां		
(03) राज्य सड़क सुधार विकास निधि	4.02	4.02
(05) राजकीय प्रतिभूति मुक्ति निधि	..*	..*
कुल निवेश	4.24	4.24

* ₹ 0.18 लाख मात्र ।

अनुबन्ध - घ
{ टिप्पणी 3(vi) में सन्दर्भित }
उचन्त तथा प्रेषण शेषों के ब्यौरे

8658. उचन्त लेखे

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101. वेतन तथा लेखा कार्यालय-उचन्त	42.12	0.51	61.93	0.84	1,20.99	1.76
निवल	(नामे) 41.61		(नामे) 61.09		(नामे) 1,19.23	
102. उचन्त लेखा (सिविल)	1.58	42.00	1.48	(-) 0.02	0.77	0.01
निवल	(जमा) 40.42		(नामे) 1.50		(नामे) 0.76	
110. आर.बी.आई. उचन्त (सी.ए.ओ.)	0.04	(-) 0.02
निवल	(नामे) 0.06		
112. स्त्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचन्त	..	52.48	..	26.69	..	77.05
निवल	(जमा) 52.48		(जमा) 26.69		(जमा) 77.05	
123. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	..	0.17	..	0.17	..	0.16
निवल	(जमा) 0.17		(जमा) 0.17		(जमा) 0.16	
129. सामग्री क्रय समाधान उचन्त लेखा	..	(-) 1.25	..	(-) 3.16	..	(-) 3.18
निवल	(जमा) (-) 1.25		(जमा) (-) 3.16		(जमा) (-) 3.18	

8782. उसी लेखाधिकारी को लेखे भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
102. लोक निर्माण प्रेषण	60.33	43.99	55.76	36.63	42.65	34.28
निवल	(नामे) 16.34		(नामे) 19.13		(नामे) 8.37	
103. वन प्रेषण	1.95	0.37	1.90	0.19	1.76	0.14
निवल	(नामे) 1.58		(नामे) 1.71		(नामे) 1.62	
108. अन्य विभागीय प्रेषण	0.03	..	0.03	..	0.03	..
निवल	(नामे) 0.03		(नामे) 0.03		(नामे) 0.03	
129. इन्दिरा गांधी नहर परियोजनाओं के अन्तर्गत अन्तरण	77.41	76.67	77.41	76.67	77.41	76.67
निवल	(नामे) 0.74		(नामे) 0.74		(नामे) 0.74	

अनुबन्ध घ- (समाप्त)
उचंत तथा प्रेषण शेषों के ब्यौरे- (समाप्त)

8793. अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101. अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	0.10	..	0.05	..	0.71	..
निवल	(नामे) 0.10		(नामे) 0.05		(नामे) 0.71	

© भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
2018

www.cag.gov.in

agaerajasthan@cag.gov.in



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे
(खण्ड II)
2017-18



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वित्त लेखे
(खण्ड II)

वर्ष 2017-2018 के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
खण्ड I	
◆ विषय सूची	i-iii
◆ भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	iv-v
◆ वित्त लेखे का मार्गदर्शन	vii-xii
विवरण 1. वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
विवरण 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण	4-6
विवरण संख्या 2 का अनुबंध	7-9
विवरण 3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	10-14
विवरण 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)	
क: कार्यकलाप के अनुसार व्यय	15-21
ख: प्रकृति के अनुसार व्यय	22-27
विवरण 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	28-34
विवरण 6. उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण	
(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण	35-37
(ii) ऋण सेवा	38-39
विवरण 7. सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण	
खण्ड: 1 कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: कर्जदार समूहवार	40
खण्ड: 2 कर्जे तथा पेशगियों का सारांश: खण्डवार	41
खण्ड: 3 बकाया रही वसूलियां	42-44
विवरण 8. सरकार के निवेशों का विवरण	45
विवरण 9. सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण	46
विवरण 10. सरकार द्वारा दी गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण	
(i) वर्ष 2017-18 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण	47-51
(ii) पण्य में सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य का ब्यौरा तथा पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान के मूल्य का विवरण	52
विवरण 11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	53-54
विवरण 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्त्रोतों एवं आवेदन का विवरण	55-58
विवरण 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	59-60
◆ अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियाँ	61-92

विषय सूची - (क्रमशः)

पृष्ठ

खण्ड II

भाग I

विवरण 14.	लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण	94-151
विवरण 15.	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण	152-239
	विवरण संख्या 15 का अनुबंध	240-244
विवरण 16.	लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण	245-329
विवरण 17.	उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण	
	(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण	330-338
	(ख) परिपक्व रूपरेखा	339-341
	(ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा	342-343
	विवरण संख्या 17 का अनुबंध	344-360
विवरण 18.	सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण	
	मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण	361-407
	अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण	408-410
विवरण 19.	सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण	
	खण्ड 1: 2017-18 तक के निवेशों का विवरण	411-431
	खण्ड 2: वर्ष के दौरान मुख्य तथा लघु शीर्षवार निवेश का विवरण	432
विवरण 20.	सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण	
	(क) वर्गवार गारन्टियों का विवरण	433
	(ख) गारन्टियों का विवरण	434-440
विवरण 21.	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण	441-452
	विवरण संख्या 21 का अनुबंध	453-458
विवरण 22.	पृथक आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण	459-474

विषय सूची – (समाप्त)

पृष्ठ

खण्ड II – (समाप्त)

भाग II

परिशिष्ट I	संवेतन पर तुलनात्मक व्यय	476-496
परिशिष्ट II	सहाय्य पर तुलनात्मक व्यय	497-507
परिशिष्ट III	राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता/ सहायतार्थ अनुदान (संस्थावार तथा योजनावार)	508-560
परिशिष्ट IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे	561-562
परिशिष्ट V	आयोजनागत योजना व्यय	
	(क) केन्द्रीय योजनाएं	563-599
	(केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)	
	(ख) राज्य आयोजनागत योजनाएं	600-651
परिशिष्ट VI	राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (गैर अंकेक्षित आंकड़े)	652-661
परिशिष्ट VII	शेषों की स्वीकृति तथा समाधान (विवरण संख्या 18 में दर्शाये अनुसार)	
	अनुबंध क	662
	अनुबंध ख	663
परिशिष्ट VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	664-668
परिशिष्ट IX	सरकार की वचनबद्धता- अधूरे पूंजी निर्माण कार्यों की सूची	669-704
परिशिष्ट X	संवेतन एवं गैर संवेतन भाग को पृथक करते हुए रखरखाव व्यय	705-725
परिशिष्ट XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं	726
परिशिष्ट XII	सरकार के वचनबद्ध दायित्व	727

भाग I

विवरण संख्या 14 – लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखे)			
क. कर राजस्व			
(वापसियों को लेखों में सम्मिलित करने के बाद आंकड़े निवल हैं)			
(क) वस्तु एवं सेवा कर			
0005. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	5,20,04.00
योग -0005	5,20,04.00
0006. राज्य वस्तु एवं सेवा कर			
101. कर	62,28,89.91
102. ब्याज	4,26.90
103. शास्ति	34.29
104. शुल्क	26,55.49
105. राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत आगत कर साख का प्रति उपयोग	46,34,21.50
106. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का बंटवारा-कर अंश का एस जी एस टी में हस्तान्तरण	4,91,59.67
110. आई जी एस टी से अग्रिम बंटवारा	7,51,00.00
500. प्राप्ति जिनका हस्तांतरण अन्य लघु शीर्ष में होना है	1.98
800. अन्य प्राप्ति	12.49
योग -0006	1,21,37,02.23

विवरण संख्या 14-(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व --(क्रमशः)			
(क) वस्तु एवं सेवा कर --(समाप्त)			
0008. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर			
01. वस्तु एवं सेवाओं के आयात/निर्यात पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	37,36,48.00
	योग -0008	37,36,48.00	..
	योग-(क) वस्तु एवं सेवा कर	1,63,93,54.23	..
(ख) आय तथा व्यय पर कर			
0020. निगम कर			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	1,13,34,29.00	1,07,39,39.00	(+) 5.54
	योग -0020	1,13,34,29.00	(+) 5.54
0021. आय पर निगम कर से भिन्न कर			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	95,71,00.00	74,63,91.00	(+) 28.23
	योग-0021	95,71,00.00	(+) 28.23
0022. कृषि आय पर कर			
101. कर संग्रहण	0.02	.. *	..
	योग-0022	0.02	..

* मात्र ₹ 202.

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व –(क्रमशः)			
(ख) आय तथा व्यय पर कर–(समाप्त)			
0028. आय तथा व्यय पर अन्य कर			
107. व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	0.15	8.83	(-) 98.30
योग-0028	0.15	8.83	(-) 98.30
योग-(ख) आय तथा व्यय पर कर	2,09,05,29.17	1,82,03,38.83	(+) 14.84
(ग) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर			
0029. भू-राजस्व			
101. भू –राजस्व/कर	7,13.55	7,76.66	(-) 8.13
103. भूमि पर पौरकर और उपकर	15.54	6.62	(+) 134.74
104. जमींदारी रहित सम्पदाओं के प्रबन्ध से प्राप्तियां	0.06	2.36	(-) 97.46
105. सरकारी सम्पदाओं की बिक्री से प्राप्तियां	1,91,26.24	1,49,79.24	(+) 27.68
107. परती भूमि की बिक्री से आगमन और भू-कर का प्रतिदान	2,39.54	14,45.93	(-) 83.43
800. अन्य प्राप्तियां	1,62,91.53 (क)	1,42,58.04	(+) 14.26
योग-0029	3,63,86.46	3,14,68.85	(+) 15.63

(क) इसमें कृषि भूमि को आवासीय में रूपान्तरण करने बाबत शुल्क सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर- (क्रमशः)			
0030. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क			
01. स्टाम्प-न्यायिक			
101. स्टाम्प से उगाहा गया न्यायालय शुल्क	95.27	1,77.08	(-) 46.20
102. स्टाम्पों की बिक्री	56,96.85	70,31.23	(-) 18.98
800. अन्य प्राप्ति	1,85.95	1,85.40	(+) 0.30
योग -01	59,78.07	73,93.71	(-) 19.15
02. स्टाम्प - न्यायिकेतर			
102. स्टाम्पों की बिक्री	19,96,84.21	17,51,36.98	(+) 14.02
103. दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना	5,30,79.13	4,63,59.54	(+) 14.49
800. अन्य प्राप्ति	5,43,15.64 (क)	2,87,89.41	(+) 88.67
योग -02	30,70,78.98	25,02,85.93	(+) 22.69
03. पंजीकरण शुल्क			
104. दस्तावेजों को पंजीकृत करने का शुल्क	4,79,18.14	4,24,08.65	(+) 12.99
800. अन्य प्राप्ति	65,02.66	52,36.57	(+) 24.18
योग-03	5,44,20.80	4,76,45.22	(+) 14.22
योग-0030	36,74,77.85	30,53,24.86	(+) 20.36

(क) इसमें आधारभूत विकास एवं गो संरक्षण के लिए स्टॉम्प शुल्क पर अधिभार सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)	
	2017-18	2016-17		
	(₹ लाख में)			
क. कर राजस्व - (क्रमशः)				
(ग) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर - (समाप्त)				
0032. धन कर				
60. कृषि भूमि से इतर भूमि				
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	(-) 34.00 (क)	24,59.00	(-) 101.38	
	योग-0032	(-) 34.00	24,59.00	(-) 101.38
0035. कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर				
101. साधारण संग्रहण	0.03	2,91.00	(-) 99.99	
800. अन्य प्राप्तियां	1,32.63 (ख)	4,19.32	(-) 68.37	
	योग-0035	1,32.66	7,10.32	(-) 81.32
	योग-(ग) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	40,39,62.97	33,99,63.03	(+) 18.83
(घ) वस्तु और सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर				
0037. सीमा शुल्क				
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	37,35,30.00	46,19,67.00	(-) 19.14	
	योग-0037	37,35,30.00	46,19,67.00	(-) 19.14

(क) ऋण आंकड़े भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सा के समायोजन के कारण हैं।

(ख) भूमि पर कर से संबंधित प्राप्तियां।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व - (क्रमशः)			
(घ) वस्तु और सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर - (क्रमशः)			
0038. संघ उत्पाद शुल्क			
01. शेयर करने योग्य शुल्क			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	39,04,50.00	52,75,26.00	(-) 25.98
योग-0038	39,04,50.00	52,75,26.00	(-) 25.98
0039. राज्य उत्पाद शुल्क			
101. देशी स्पिरिट	21,10,23.06	19,26,40.23	(+) 9.54
103. यवरस (माल्ट लिकर)	15,78,69.87	13,97,89.77	(+) 12.93
105. विदेशी लिकर और स्पिरिट	31,15,50.42	27,74,47.85	(+) 12.29
106. वाणिज्यिक और विकृत स्पिरिट तथा औषध युक्त मदिरा	9,62.43	9,16.46	(+) 5.02
107. अल्कोहल, अफीम आदि सहित औषधीय और प्रसाधन निर्मिति	6,34.08	25,04.34	(-) 74.68
108. अफीम, गांजा और अन्य स्वापक	34,22.81	27,80.96	(+) 23.08
150. अर्थदण्ड और समपहरण	25,86.38	10,52.07	(+) 145.84
501. सेवाएं तथा सेवा शुल्क	3,19,84.81	8,30,31.44	(-) 61.48
800. अन्य प्राप्तियां	75,49.55 (क)	52,04.53	(+) 45.06
योग-0039	72,75,83.41	70,53,67.65	(+) 3.15

(क) इसमें दुकानों के हस्तान्तरण से आय, लेवल अनुमोदन शुल्क तथा बकाया आय की वसूली सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व –(क्रमशः)			
(घ) वस्तु और सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर – (क्रमशः)			
0040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
101. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां	7,22,80.34	14,06,87.62	(-) 48.62
111. मूल्य संवर्धित कर (वैट) प्राप्तियां	1,68,83,67.73	2,58,13,24.79	(-) 34.59
800. अन्य प्राप्तियां	14,01,76.04 (क)	13,38,29.62	(+) 4.74
	योग-0040	2,85,58,42.03	(-) 33.44
0041. वाहन कर			
102. राज्य मोटर यान कराधान अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियां	43,36,91.65	36,03,59.45	(+) 20.35
800. अन्य प्राप्तियां	26,05.01 (ख)	19,23.58	(+) 35.43
	योग-0041	36,22,83.03	(+) 20.43
0042. माल तथा यात्री कर			
106. माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर	3,40,77.93	8,03,28.19	(-) 57.58
	योग-0042	8,03,28.19	(-) 57.58
0043. विद्युत कर तथा शुल्क			
101. विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर	29,29,83.70	2,71,41.15	(+) 979.48
103. सिनेमा के विद्युतीय निरीक्षण के लिए फीस	6.24	5.61	(+) 11.23

(क) इसमें पेट्रोल तथा डीजल पर उपकर तथा जुर्माना सम्मिलित है ।

(ख) इसमें विशेष टोल टेक्स पर ब्याज तथा जुर्माने से प्राप्तियां सम्मिलित हैं ।

विवरण संख्या 14-(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व - (समाप्त)			
(घ) वस्तु और सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर - (समाप्त)			
0043. विद्युत कर तथा शुल्क - (समाप्त)			
800. अन्य प्राप्तियां	4,46,76.88 (क)	4,66,77.00	(-) 4.29
योग-0043	33,76,66.82	7,38,23.76	(+) 357.40
0044. सेवा शुल्क			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	42,26,75.00	54,32,95.00	(-) 22.20
योग-0044	42,26,75.00	54,32,95.00	(-) 22.20
0045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
101. मनोरंजन कर	40,15.72	1,22,06.36	(-) 67.10
105. विलासिता कर	23,77.32	98,02.08	(-) 75.75
112. अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत उपकरणों से प्राप्तियां	.. #	.. *	..
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	(-) 1.00 (ख)	9.00	(-) 111.11
योग-0045	63,92.04	2,20,17.44	(-) 70.97
योग-(घ) वस्तु तथा सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	4,62,94,95.97	5,63,24,50.10	(-) 17.81
योग -क. कर राजस्व	8,76,33,42.34	7,79,27,51.96	(+) 12.46

(क) इसमें नगरीय उपकरण ₹ 2,06,23.59 लाख तथा जल संरक्षण उपकरण ₹ 2,17,50.80 लाख सम्मिलित हैं।
(ख) ऋण आकड़े भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सा के समायोजन के कारण हैं।

₹ 45 मात्र । * ₹ 151 मात्र ।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व			
(ख) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ			
0049. ब्याज प्राप्तियां			
04. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां			
103. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज	14,53,92.41 (क)	13,16,72.39	(+) 10.42
107. कृषकों से ब्याज	0.93	1.62	(-) 42.59
110. नकद शेषों के निवेश पर उगाहा गया ब्याज	3,65,84.27	4,60,85.85	(-) 20.62
190. सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज	29,93,64.45	81,07.66	(+) 3592.37
191. स्थानीय निकायों से ब्याज	0.01	0.02	(-) 50.00
195. सहकारी समितियों से ब्याज	10,83.46	16,96.20	(-) 36.12
800. अन्य प्राप्तियां	34,64.69	57,72.95	(-) 39.98
योग - 0049	48,58,90.22	19,33,36.69	(+) 151.32
0050. लाभांश तथा लाभ			
101. सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश	65,86.05	66,26.73	(-) 0.61
200. अन्य निवेशों से लाभांश	90.33	1,53.54	(-) 41.17
योग -0050	66,76.38	67,80.27	(-) 1.53
योग -(ख) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	49,25,66.60	20,01,16.96	(+) 146.14

(क) इसमें पूंजी लेखे पर ब्याज (₹ 14,32,16,28,397) का कल्पित समायोजन सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व			
(i) सामान्य सेवाएं			
0051. लोक सेवा आयोग			
105. राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा-शुल्क	1,89.72	79,65.68	(-) 97.62
800. अन्य प्राप्तियां	14.59	5.23	(+) 178.97
900. घटाईये-वापसियां	(-) 85.51
योग -0051	1,18.80	79,70.91	(-) 98.51
0055. पुलिस			
101. अन्य सरकारों को भेजी गयी पुलिस	1,26,20.62	96,61.40	(+) 30.63
102. अन्य दलों को भेजी गयी पुलिस	77,45.50	70,80.80	(+) 9.39
103. फीस, अर्धदण्ड और समपरहण	1,07.96
104. शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां	4,62.36	1,08.62	(+) 325.67
105. राज्य मुख्यालय पुलिस की प्राप्तियां	62,31.10	96.43	(+) 6361.79
800. अन्य प्राप्तियां	24,88.37 (क)	21,30.57	(+) 16.79
योग-0055	2,96,55.91	1,90,77.82	(+) 55.45
0056. जेल			
800. अन्य प्राप्तियां	32.47	1,19.94	(-) 72.93
900. घटाईये-वापसियां	(-) 0.09
योग -0056	32.38	1,19.94	(-) 72.93

(क) इसमें अप्रयुक्त वाहनों के निस्तारण तथा चरित्र प्रमाणित फीस की प्राप्तियां सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(i) सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)			
0058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
102. राज-पत्रों आदि की बिक्री	68.61	51.20	(+) 34.00
200. अन्य मुद्रणालय प्राप्ति	1,29.63	1,54.14	(-) 15.90
800. अन्य प्राप्ति	2,95.91	2,09.94	(+) 40.95
योग-0058	4,94.15	4,15.28	(+) 18.99
0059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
011. किराया	1,62.92	1,09.01	(+) 49.45
102. मशीन और उपस्कर का भाड़ा	57.21	43.42	(+) 31.76
103. प्रतिशतता प्रभारों की वसूली	84,40.38	64,32.49	(+) 31.21
800. अन्य प्राप्ति	22,65.29 (क)	18,46.35	(+) 22.69
योग-0059	1,09,25.80	84,31.27	(+) 29.59
0070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
01. न्याय प्रशासन			
102. अर्थ दण्ड और समपहरण	45,28.51	54,54.20	(-) 16.97
501. सेवाएं और सेवा शुल्क	40.41	1,06.46	(-) 62.04

(क) इसमें सड़क कट की प्राप्ति सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(i) सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)			
0070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं - (क्रमशः)			
01. न्याय प्रशासन - (समाप्त)			
800. अन्य प्राप्तियां	43,90.62	27,72.87	(+) 58.34
900. घटाइये- वापसियां	(-) 2,69.14	(-) 2.93	(+) 9085.67
योग-01	86,90.40	83,30.60	(+) 4.32
02. चुनाव			
101. चुनाव फार्मों और दस्तावेजों की बिक्री से आगम	2.86	5.76	(-) 50.35
104. शुल्क, अर्थदण्ड और सम्पहरण	9.42	4.19	(+) 124.82
800. अन्य प्राप्तियां	49,40.80 (क)	61,21.69	(-) 19.29
योग-02	49,53.08	61,31.64	(-) 19.22
60. अन्य सेवाएं			
101. केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिये केन्द्र सरकार से प्राप्तियां	24.22	19.72	(+) 22.82
103. विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां	24.50	22.46	(+) 9.08
106. सिविल रक्षा	85.78	1,96.28	(-) 56.30
110. सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क	7,61.74	8,49.12	(-) 10.29
113. प्रतिलिप्याधिकार शुल्क	.. *	0.04	(-) 100.00

(क) इसमें भारत सरकार से चुनावों से सम्बन्धित प्राप्तियां सम्मिलित है।

* ₹ 45 मात्र ।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)	
	2017-18	2016-17		
	(₹ लाख में)			
ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः)				
(ग) अन्य करेतर राजस्व- (क्रमशः)				
(i) सामान्य सेवाएं- (क्रमशः)				
0070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं - (समाप्त)				
60. अन्य सेवाएं- (समाप्त)				
114. मोटर गैराज आदि से प्राप्तियां	23,62.79	20,29.74	(+) 16.41	
115. अतिथि गृहों, सरकारी होस्टलों आदि से प्राप्तियां	11,27.56	9,86.88	(+) 14.26	
116. पारपत्र शुल्क (पासपोर्ट फीस)	0.09	0.43	(-) 79.07	
118. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्तियां	37.39	20.41	(+) 83.19	
501. सेवाएं और सेवा शुल्क	1,88.03	1,33.54	(+) 40.80	
800. अन्य प्राप्तियां	24,99.37 (क)	23,30.32	(+) 7.25	
	योग -60	71,11.47	65,88.94	(+) 7.93
	योग-0070	2,07,54.95	2,10,51.18	(-) 1.41
0071. पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली				
01. सिविल				
101. अभिदान और अंशदान	30,08.20	31,86.99	(-) 5.61	
800. अन्य प्राप्तियां	4,59.06 (ख)	4,01.57	(+) 14.32	
	योग -0071	34,67.26	35,88.56	(-) 3.38

(क) इसमें पासपोर्ट सेवाओं से सम्बन्धित भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,47.24 लाख, पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 95.33 लाख, राजस्थान कृषि साख संचालन नियम, 1974 के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 9,40.06 लाख एवं वैज्ञानिक सेवाएं व अनुसंधान परियोजनाओं से सम्बन्धित ₹ 2,59.23 लाख की प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय लेखा अभिकरण द्वारा अंतिम समायोजन से प्राप्त राशि सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(i) सामान्य सेवाएं- (समाप्त)			
0075. विविध सामान्य सेवाएं			
101. अदावाकृत जमा राशि	46,28.99	24,82.69	(+) 86.45
105. भूमि और सम्पत्ति की बिक्री	85,37.96	1,47,07.59	(-) 41.95
108. गारन्टी फीस	4,64,04.45	3,86,28.95	(+) 20.13
791. विनिमय से लाभ	0.02
800. अन्य प्राप्ति	1,69,86.53 (क)	1,04,41.03	(+) 62.69
900. घटाइये - वापसियां	(-) 3,21.68	(-) 1,89.88	(+) 69.41
योग -0075	7,62,36.27	6,60,70.38	(+) 15.39
योग-(i) सामान्य सेवाएं	14,16,85.52	12,67,25.34	(+) 11.81
(ii) सामाजिक सेवाएं			
0202. शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति			
01. सामान्य शिक्षा			
101. प्रारम्भिक शिक्षा	17,35.84	32,43.18	(-) 46.48
102. माध्यमिक शिक्षा	33,81.33	27,39.50	(+) 23.43
103. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा	27,57.58	29,50.17	(-) 6.53
600. सामान्य	52.01	77.97	(-) 33.29
योग-01	79,26.76	90,10.82	(-) 12.03

(क) इसमें विभिन्न नगर सुधार न्यासों द्वारा जमा नगरीय कर के 60 प्रतिशत सरकारी अंश, गत वर्षों की आपदा राहत निधि की अवशेष राशि तथा राजस्थान सरकार स्टॉक पर प्रीमियम सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ii) सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)			
0202. शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति - (समाप्त)			
02. तकनीकी शिक्षा			
101. शिक्षण और अन्य शुल्क	27.85	34.36	(-) 18.95
800. अन्य प्राप्तियां	18,50.40 (क)	16,37.89	(+) 12.97
योग-02	18,78.25	16,72.25	(+) 12.32
04. कला और संस्कृति			
101. अभिलेखागार और संग्रहालय	64.08	96.83	(-) 33.82
102. सार्वजनिक पुस्तकालय	0.99	1.43	(-) 30.77
800. अन्य प्राप्तियां	63,07.43 (ख)	61,23.29	(+) 3.01
योग-04	63,72.50	62,21.55	(+) 2.43
योग-0202	1,61,77.51	1,69,04.62	(-) 4.30
0210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
020. अस्पताल और औषधालय सेवाओं के लिए रोगियों से प्राप्तियां	68.71	63.10	(+) 8.89
101. कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियां	76,60.21	67,46.34	(+) 13.55
107. औषधी निर्माण से प्राप्तियां	3.12	1.48	(+) 110.81

(क) इसमें तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबंधित प्राप्तियां सम्मिलित है।

(ख) इसमें आमेर विकास प्राधिकरण तथा संग्रहालय से संबंधित प्राप्तियां सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ii) सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)			
0210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - (समाप्त)			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - (समाप्त)			
800. अन्य प्राप्ति	5,41.51	7,53.26	(-) 28.11
योग-01	82,73.55	75,64.18	(+) 9.38
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
101. आयुर्वेद	11.05	41.91	(-) 73.63
105. एलोपैथी	2,84.82	2,80.42	(+) 1.57
800. अन्य प्राप्ति	0.01	0.43	(-) 97.67
योग-03	2,95.88	3,22.76	(-) 8.33
04. लोक स्वास्थ्य			
105. सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं से प्राप्ति	0.03	.. *	..
800. अन्य प्राप्ति	44,97.99 (क)	46,51.65	(-) 3.30
योग-04	44,98.02	46,51.65	(-) 3.30
योग-0210	1,30,67.45	1,25,38.59	(+) 4.22

* ₹ 300 मात्र ।

(क) इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत वारण्ट शुल्क से सम्बन्धित प्राप्ति तथा जन स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्राप्ति सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ii) सामाजिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0211. परिवार कल्याण			
800. अन्य प्राप्ति	17.89	26.44	(-) 32.34
योग-0211	17.89	26.44	(-) 32.34
0215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं से प्राप्ति	1,17,21.17	88,49.37	(+) 32.45
103. शहरी जलपूर्ति योजनाओं से प्राप्ति	4,25,35.00	4,05,61.91	(+) 4.86
501. सेवाएं और सेवा शुल्क	95.97	46.09	(+) 108.22
800. अन्य प्राप्ति	4,78.26	9,25.06	(-) 48.30
योग-01	5,48,30.40	5,03,82.43	(+) 8.83
02. मल-जल और सफाई			
103. मल-जल योजनाओं से प्राप्ति	14,17.21	6,74.14	(+) 110.22
800. अन्य प्राप्ति	61,89.89	36,64.72	(+) 68.90
योग-02	76,07.10	43,38.86	(+) 75.32
योग-0215	6,24,37.50	5,47,21.29	(+) 14.10

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)	
	2017-18	2016-17		
	(₹ लाख में)			
ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः)				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(ii) सामाजिक सेवाएं- (क्रमशः)				
0216. आवास				
01. सरकारी रिहायशी भवन				
106. साधारण पूल आवास	7,53.14	6,62.70	(+) 13.65	
700. अन्य आवास	92.64	1.81	(+) 5018.23	
800. अन्य व्यय	0.21	6.81	(-) 96.92	
900. घटाईयें- वापसियां	(-) 0.71	
	योग-0216	8,45.28	6,71.32	(+) 25.91
0217. शहरी विकास				
02. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र				
800. अन्य प्राप्तियां	..	1,88.20	(-) 100.00	
	योग-02	..	1,88.20	(-) 100.00
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं				
800. अन्य प्राप्तियां	6,94.31 (क)	16,29.38	(-) 57.39	
	योग-60	6,94.31	16,29.38	(-) 57.39
	योग-0217	6,94.31	18,17.58	(-) 61.80

(क) इसमें राजस्थान शहरी विकास सुधार विकास परियोजना की प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14-(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व-(क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व-(क्रमशः)			
(ii) सामाजिक सेवाएं-(क्रमशः)			
0220. सूचना तथा प्रचार			
01. फिल्म			
800. अन्य प्राप्ति	13.83	11.85	(+) 16.71
योग-0220	13.83	11.85	(+) 16.71
0230. श्रम तथा रोजगार			
102. व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए शुल्क	0.56	0.71	(-) 21.13
103. वाष्प बायलरों के निरीक्षण के लिए शुल्क	2,68.79	2,51.12	(+) 7.04
104. फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत उगाहा गया शुल्क	6,13.28	4,70.76	(+) 30.27
106. ठेका श्रमिक के अन्तर्गत शुल्क (विनियमन और उन्मूलन नियम)	1,96.23	62.68	(+) 213.07
800. अन्य प्राप्ति	3,51,16.95 (क)	3,47,56.61	(+) 1.04
योग-0230	3,61,95.81	3,55,41.88	(+) 1.84
0235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
01. पुनर्वास			
200. अन्य पुनर्वास योजनाएं	2.44	10.06	(-) 75.75
800. अन्य प्राप्ति	11,73.33 (ख)	76.36	(+) 1436.58
योग-01	11,75.77	86.42	(+) 1260.53

(क) इसमें भवन तथा अन्य संनिर्माण में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु उपकर से सम्बन्धित ₹ 3,38,59.92 लाख सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें भारतीय नाविकों, सैनिकों तथा विमानिकों के बोर्ड से अंशदान सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ii) सामाजिक सेवाएं- (समाप्त)			
0235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण – (समाप्त)			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
800. अन्य प्राप्ति	10,70.33 (क)	86,79.72	(-) 87.67
योग-60	10,70.33	86,79.72	(-) 87.67
योग-0235	22,46.10	87,66.14	(-) 74.38
0250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
102. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	6,91.52	11,29.40	(-) 38.77
800. अन्य प्राप्ति	2,91.21 (ख)	2,97.76	(-) 2.20
योग-0250	9,82.73	14,27.16	(-) 31.14
योग-(ii) सामाजिक सेवाएं	13,26,78.41	13,24,26.87	(+) 0.19
(iii) आर्थिक सेवाएं			
0401. फसल कृषि-कर्म			
103. बीज	0.52	1.04	(-) 50.00
107. वनस्पति रक्षण सेवाओं से प्राप्ति	33.88	5.91	(+) 473.27

(क) इसमें पेंशन से सम्बन्धित वसूलियां एवं पेंशन मनी ऑर्डर/बैंकों इत्यादि से प्राप्ति सम्मिलित है।

(ख) यह धार्मिक संस्थाओं की जमा से सम्बन्धित है।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः)			
0401. फसल कृषि-कर्म - (समाप्त)			
110. आई.सी.ए.आर. द्वारा अनुदान	0.54	0.53	(+) 1.89
119. बागवानी और वनस्पति फसलों से प्राप्तियां	0.11	0.07	(+) 57.14
800. अन्य प्राप्तियां	20,29.17 (क)	5,21.09	(+) 289.41
योग-0401	20,64.22	5,28.64	(+) 290.48
0403. पशुपालन			
102. मवेशी और भैंस पालन के विकास से प्राप्तियां	8,44.49	6,70.97	(+) 25.86
103. मुर्गी पालन के विकास से प्राप्तियां	0.52	2.36	(-) 77.97
104. भेड़ पालन और ऊन के विकास से प्राप्तियां	0.03	0.36	(-) 91.67
105. सूअर पालन के विकास से प्राप्तियां	2.31	0.88	(+) 162.50
106. चारा और चारा विकास से प्राप्तियां	0.15
108. अन्य पशुधन के विकास से प्राप्तियां	0.22	0.23	(-) 4.35
501. सेवाएं और सेवा शुल्क	4,06.65	2,30.97	(+) 76.06
800. अन्य प्राप्तियां	4,63.52 (ख)	2,17.01	(+) 113.59
योग-0403	17,17.89	11,22.78	(+) 53.00

(क) इसमें अधिक भुगतान की वसूलियों से प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें जे.के. न्यास, मुम्बई को उत्पादों की आपूर्ति हेतु दिये गये अग्रिम पर ब्याज से प्राप्तियां, निदेशालय में चालक की भर्ती हेतु प्राप्त राशि, अधिक भुगतान की वसूलियां तथा विभागीय योजनान्तर्गत क्रय की गयी दवाईयों का टीकाकरण शुल्क सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)	
	2017-18	2016-17		
	(₹ लाख में)			
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)				
(iii) आर्थिक सेवाएं– (क्रमशः)				
0405. मछली पालन				
011. किराया	58,22.08	55,54.81	(+) 4.81	
102. अनुज्ञापन शुल्क, अर्थ दण्ड आदि	42.81	20.87	(+) 105.13	
103. मछली, मछली बीज आदि की बिक्री	17.47	17.46	(+) 0.06	
800. अन्य प्राप्ति	2,34.03	1,65.79	(+) 41.16	
	योग-0405	61,16.39	57,58.93	(+) 6.21
0406. वानिकी तथा वन्य प्राणी				
01. वानिकी				
101. लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री	1,11,85.20	50,85.88	(+) 119.93	
800. अन्य प्राप्ति	32,95.63 (क)	28,94.16	(+) 13.87	
	योग-01	1,44,80.83	79,80.04	(+) 81.46
02. पर्यावरणीय वानिकी और वन्य प्राणी				
111. प्राणी उद्यान	5,83.81	5,22.04	(+) 11.83	
112. सार्वजनिक उद्यान	1,36.99	2,00.18	(-) 31.57	

(क) इसमें गैर वन भूमि को वनारोपण के लिए अधिग्रहण करने हेतु क्षतिपूर्ति तथा अवैधानिक खनन, अवैधानिक शिकार तथा जंगली लकड़ियों को काटने शास्ति की प्राप्ति सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः)			
0406. वानिकी तथा वन्य प्राणी - (समाप्त)			
02. पर्यावरणीय वानिकी और वन्य प्राणी- (समाप्त)			
800. अन्य प्राप्ति	30,24.54 (क)	25,98.24	(+) 16.41
योग-02	37,45.34	33,20.46	(+) 12.80
योग-0406	1,82,26.17	1,13,00.50	(+) 61.29
0425. सहकारिता			
101. लेखापरीक्षा शुल्क	4,39.98	3,18.30	(+) 38.23
800. अन्य प्राप्ति	58,71.18	40,91.64	(+) 43.49
योग-0425	63,11.16	44,09.94	(+) 43.11
0435. अन्य कृषि कार्यक्रम			
104. मृदा और जल संरक्षण	8.58	10.79	(-) 20.48
800. अन्य प्राप्ति	8,92.06 (ख)	8,47.17	(+) 5.30
योग-0435	9,00.64	8,57.96	(+) 4.97

(क) इसमें बाघ परियोजना, रणथम्भोर तथा सरिस्का के माध्यम से पर्यटन तथा ईको डवलपमेन्ट से प्राप्ति सम्मिलित है।

(ख) इसमें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्ति सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः)			
0506. भूमि सुधार			
101. जोत और काश्तकारी के विनियम/चकबन्दी से प्राप्ति	2.63	5.61	(-) 53.12
योग-0506	2.63	5.61	(-) 53.12
0515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
101. पंचायती राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्ति	2,03.73	24.53	(+) 730.53
800. अन्य प्राप्ति	47.30	2,29.78	(-) 79.42
योग-0515	2,51.03	2,54.31	(-) 1.29
0575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			
60. अन्य			
101. क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से प्राप्ति	1,04.64	86.76	(+) 20.61
योग-0575	1,04.64	86.76	(+) 20.61
0700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा बांध सिंचाई शाखा (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	7,00.24	8,36.30	(-) 16.27
102. घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	27.10	52.22	(-) 48.10
103. अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	0.10	4.51	(-) 97.78

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः)			
0700. मुख्य सिंचाई- (क्रमशः)			
01. भाखरा बांध सिंचाई शाखा (वाणिज्यिक) - (समाप्त)			
104. नहर बागानों से विक्रय आगम	12.83	5.20	(+) 146.73
108. अप्रत्यक्ष प्राप्तियां	17,41.67	17.34	(+) 9944.23
800. अन्य प्राप्तियां	2,02.40	3,75.77	(-) 46.14
योग-01	26,84.34	12,91.34	(+) 107.87
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	1,42.56	1,05.97	(+) 34.53
103. अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	1,80.77	2,88.44	(-) 37.33
108. अप्रत्यक्ष प्राप्तियां	17.35	9.75	(+) 77.95
800. अन्य प्राप्तियां	1,48.13	5,26.02	(-) 71.84
योग-02	4,88.81	9,30.18	(-) 47.45
03. इंदिरा गांधी नहर (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री	12,64.24	11,61.41	(+) 8.85
800. अन्य प्राप्तियां	48.37	51.66	(-) 6.37
योग-03	13,12.61	12,13.07	(+) 8.21

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः)			
0700. मुख्य सिंचाई – (क्रमशः)			
04. इंदिरा गांधी नहर (वाणिज्यिक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	5,71.74	8,24.65	(-) 30.67
102. घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	28.09	28.23	(-) 0.50
108. अप्रत्यक्ष प्राप्तियां	0.32	0.21	(+) 52.38
800. अन्य प्राप्तियां	3,32.16	5,08.50	(-) 34.68
योग-04	9,32.31	13,61.59	(-) 31.53
05. गुडगाँव नहर (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	0.34	1.11	(-) 69.37
योग-05	0.34	1.11	(-) 69.37
06. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	11.08	11.12	(-) 0.36
800. अन्य प्राप्तियां	14.02	8.32	(+) 68.51
योग-06	25.10	19.44	(+) 29.12
07. नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	0.23
800. अन्य प्राप्तियां	2,00,61.96	46,13.86	(+) 334.82
योग-07	2,00,62.19	46,13.86	(+) 334.82

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः)			
0700. मुख्य सिंचाई – (समाप्त)			
08. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	1,04.38	2,07.99	(-) 49.81
योग-08	1,04.38	2,07.99	(-) 49.81
09. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	7.25	0.97	(+) 647.42
योग-09	7.25	0.97	(+) 647.42
10. गंग नहर (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	4,39.69	5,39.13	(-) 18.44
102. घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	25.00	9.92	(+) 152.02
103. अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	39.06	5.57	(+) 601.26
104. नहर बागानों से विक्रय आगम	4.90	1.68	(+) 191.67
800. अन्य प्राप्तियां	2,62.10	3,27.77	(-) 20.04
योग-10	7,70.75	8,84.07	(-) 12.82
80. सामान्य (वाणिज्यिक)			
800. अन्य प्राप्तियां	3,71.42	97.93	(+) 279.27
योग-80	3,71.42	97.93	(+) 279.27
योग-0700	2,67,59.50	1,06,21.55	(+) 151.94

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः)			
0701. मध्यम सिंचाई			
02. जवाई नहर (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से)	..	3.06	(-) 100.00
102. घरेलू कार्य के लिए जल की बिक्री	28.78	34.31	(-) 16.12
104. नगर बागानों से विक्रय आगम	..	0.14	(-) 100.00
800. अन्य प्राप्ति	6.10	1,14.62	(-) 94.68
योग-02	34.88	1,52.13	(-) 77.07
03. मेजा परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से)	5.63
102. घरेलू कार्य के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से)	3.97	4.00	(-) 0.75
104. नगर बागानों से विक्रय आगम	..	0.90	(-) 100.00
800. अन्य प्राप्ति	0.80	5.38	(-) 85.13
योग-03	10.40	10.28	(+) 1.17
04. पारबती परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से)	0.61	0.39	(+) 56.41

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं– (क्रमशः)			
0701. मध्यम सिंचाई – (क्रमशः)			
04. पारबती परियोजना (वाणिज्यिक)– (समाप्त)			
104. नहर बागानों से विक्रय आगम	..	0.22	(-) 100.00
800. अन्य प्राप्तियां	0.03	0.44	(-) 93.18
योग-04	0.64	1.05	(-) 39.05
05. गुढ़ा परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से)	..	4.80	(-) 100.00
योग -05	..	4.80	(-) 100.00
06. मोरेल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से)	1.67	2.31	(-) 27.71
योग-06	1.67	2.31	(-) 27.71
07. अलनिया परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य प्राप्तियां	0.66	6.06	(-) 89.11
योग-07	0.66	6.06	(-) 89.11

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः)			
0701. मध्यम सिंचाई - (क्रमशः)			
08. पश्चिमी बनास परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से)	1.98	5.73	(-) 65.45
800. अन्य प्राप्तियां	0.66	0.47	(+) 40.43
योग-08	2.64	6.20	(-) 57.42
09. बडगांव पाल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से)	0.81
योग-09	0.81
10. ओराई परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से)	0.01	0.01	..
योग-10	0.01	0.01	..
11. वेगन डाइवर्जन परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से)	0.96	0.30	(+) 220.00
योग-11	0.96	0.30	(+) 220.00

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0701. मध्यम सिंचाई – (समाप्त)			
12. परवन लिफ्ट परियोजना (अवाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से)	12.75	4.99	(+) 155.51
योग-12	12.75	4.99	(+) 155.51
13. हरिश चन्द्र सागर परियोजना (अवाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	2.15	4.38	(-) 50.91
योग-13	2.15	4.38	(-) 50.91
14. अन्य परियोजनायें (अवाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री (राजस्व मंडल के माध्यम से)	70.61	72.47	(-) 2.57
102. घरेलू कार्य के लिए जल की बिक्री	15.83	11.29	(+) 40.21
103. अन्य कार्य के लिए जल की बिक्री	86.81	89.16	(-) 2.64
104. नहर बागानों से विक्रय आगम	1.27	9.06	(-) 85.98
800. अन्य प्राप्तियां	13.05	9.62	(+) 35.65
योग-14	1,87.57	1,91.60	(-) 2.10
80. सामान्य (अवाणिज्यिक)			
800. अन्य प्राप्तियां	7,56.45	2,72.12	(+) 177.98
योग-80	7,56.45	2,72.12	(+) 177.98
योग-0701	10,11.59	6,56.23	(+) 54.15

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः)			
0702. लघु सिंचाई			
01. सतह जल			
800. अन्य प्राप्तियां	96.75	1,78.61	(-) 45.83
योग-01	96.75	1,78.61	(-) 45.83
02. भू-जल			
101. ट्यूब वेलों से प्राप्तियां	8,64.86	8,38.93	(+) 3.09
800. अन्य प्राप्तियां	2.36	2.14	(+) 10.28
900. घटाइए- वापसियां	(-) 1.11	(-) 35.95	(-) 96.91
योग-02	8,66.11	8,05.12	(+) 7.58
योग-0702	9,62.86	9,83.73	(-) 2.12
0801. बिजली			
80. सामान्य			
800. अन्य प्राप्तियां	53,97.56 (क)	45.65	(+) 11723.79
योग-0801	53,97.56	45.65	(+) 11723.79
0802. पेट्रोलियम			
103. रायल्टी	25,79,08.16	23,31,73.25	(+) 10.61
योग-0802	25,79,08.16	23,31,73.25	(+) 10.61

(क) इसमें राजस्थान विद्युत् नियामक आयोग के माध्यम से ऊर्जा कम्पनियों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क तथा डिस्कॉम द्वारा संग्रहित कम्पाउंडिंग शुल्क सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14-(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः)			
0851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
800. अन्य प्राप्तियां	11,57.72	9,99.59	(+) 15.82
योग-0851	11,57.72	9,99.59	(+) 15.82
0852. उद्योग			
04. पेट्रो रसायनिक उद्योग			
800. अन्य प्राप्तियां	0.03	0.12	(-) 75.00
योग-04	0.03	0.12	(-) 75.00
05. रसायनिक उद्योग			
800. अन्य प्राप्तियां	4.42	4.84	(-) 8.68
योग-05	4.42	4.84	(-) 8.68
80. सामान्य			
800. अन्य प्राप्तियां	68.89	16.83	(+) 309.33
योग-80	68.89	16.83	(+) 309.33
योग-0852	73.34	21.79	(+) 236.58

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः)			
0853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
102. खनिज रियायत शुल्क, किराया और स्वत्व शुल्क	45,07,53.73	41,84,20.39	(+) 7.73
800. अन्य प्राप्तियां	13,97.97 (क)	49,53.58	(-) 71.78
योग-0853	45,21,51.70	42,33,73.97	(+) 6.80
1054. सड़क तथा सेतु			
102. सड़कों पर पथ-कर	5,81.97	5,22.26	(+) 11.43
800. अन्य प्राप्तियां	1,00.37	1,34.27	(-) 25.25
योग- 1054	6,82.34	6,56.53	(+) 3.93
1452. पर्यटन			
800. अन्य प्राप्तियां	97.48	75.94	(+) 28.36
योग- 1452	97.48	75.94	(+) 28.36
1475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
012. सांख्यिकी	2,19,91.41	1,60.81	(+) 13575.40
106. बाटों और मापों के मुद्रांकन के लिए शुल्क	14,68.76	12,13.17	(+) 21.07
113. सीमित दायित्व साझेदारी	0.02
200. अन्य कारोबार उपक्रमों के विनिमय	4,19.04	4,22.16	(-) 0.74

(क) इसमें पर्यावरण तथा स्वास्थ्य सुधार उपकर तथा खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रबन्धन से प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (समाप्त)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (समाप्त)			
(iii) आर्थिक सेवाएं- (समाप्त)			
1475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं- (समाप्त)			
800. अन्य प्राप्ति	6,64.82 (क)	54,99.01	(-) 87.91
900. घटाइए- वापसियां	0.12	58.42	(-) 99.79
योग- 1475	2,45,44.17	73,53.57	(+) 233.77
योग-(iii) आर्थिक सेवाएं	80,64,41.19	70,22,87.23	(+) 14.83
योग-(ग) अन्य करेतर राजस्व	1,08,08,05.12	96,14,39.44	(+) 12.42
योग-ख. करेतर राजस्व	1,57,33,71.72	1,16,15,56.40	(+) 35.45
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान *			
01. योजनेतर अनुदान			
104. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान			
(03) योजनेतर राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान	..	3,81,36.00	(-) 100.00
(15) स्थानीय निकायों हेतु अनुदान			
[01] पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान	..	23,05,52.00	..
[02] नगर निकायों हेतु अनुदान	..	7,76,73.00	..
(21) यूनिट पहचान पत्र जारी करने हेतु अनुदान	..	7,88.26	..
योग- 104	..	34,71,49.26	..

(क) इसमें कैरोसीन की अन्तर राशि, परिवहन समानीकरण, नागरिक खाद्य विभाग से प्राप्ति तथा पोश मशीन की लागत के लेखे से प्राप्ति सम्मिलित हैं।

* भारत सरकार द्वारा उप मुख्य शीर्ष 06 से 08 नये शीर्ष खोलने के कारण भारत सरकार द्वारा 2017-18 के दौरान जारी की गयी अनुदान को लेखों के नये शीर्षों के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान- (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - (क्रमशः)			
01. योजनेतर अनुदान - (समाप्त)			
109. राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	..	8,68,50.00	..
110. राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अनुदान	..	9,90,82.00	..
800. अन्य अनुदान			
(01) पुलिस दल का आधुनिकीकरण	..	30,94.13	..
(05) युद्धावश्यक सीमावर्ती सड़कें	..	2,32,33.45	..
(07) विविध प्राप्तियां	..	42.69	..
(12) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं हथलन तथा उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों का मार्जिन	..	3,33,32.90	..
	योग-800	5,97,03.17	..
	योग-01	59,27,84.43	..
02. राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान			
101. एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान			
(04) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई ए पी) हेतु केन्द्रीय सहायता			
[15] सेक्टर पालिसी सपोर्ट प्रोग्राम स्टेट पार्टनरशिप (बैंक टू बैंक) ई.सी.	..	70,44.08	..
[16] पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन (बैंक टू बैंक) विश्व बैंक	..	1,02.04	..
	योग-(04)	71,46.12	..

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)	
	2017-18	2016-17		
(₹ लाख में)				
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः)				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः)				
02. राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान – (क्रमशः)				
101. एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान – (क्रमशः)				
(05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता *				
[01] राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	सामान्य	..	2,61,98.00	..
[02] निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.)	सामान्य	..	8,01,87.60	..
	ज.जा.उ.यो.	..	77,87.23	..
	अ.जा.उ.यो.	..	2,01,23.99	..
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)	सामान्य	..	7,07,79.02	..
	ज.जा.उ.यो.	..	1,48,20.90	..
	अ.जा.उ.यो.	..	2,16,91.99	..
[04] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)	सामान्य	..	7,30,56.74	..
	ज.जा.उ.यो.	..	1,92,89.17	..
	अ.जा.उ.यो.	..	2,67,11.65	..
[07] एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	सामान्य	..	1,50,41.22	..
	ज.जा.उ.यो.	..	10,00.00	..
	अ.जा.उ.यो.	..	40,54.00	..
[10] महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (मनरेगा)	सामान्य	..	16,46,62.71	..
[11] राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	सामान्य	..	1,75,94.63	..
[12] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)	सामान्य	..	5,59,41.00	..

* योजनाओं की राशि को अलग करने के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है:

“ज.जा.उ.यो. – जनजाति उप-योजना”

“अ.जा.उ.यो. – अनुसूचित जाति उप-योजना” ।

विवरण संख्या 14-(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
(₹ लाख में)			
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान - (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - (क्रमशः)			
02. राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान - (क्रमशः)			
101. एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान - (क्रमशः)			
(05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता - (क्रमशः)			
[13] राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	47,94.37 2,44.78 3,38.04
[14] मिड डे मील (एम.डी.एम.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,95,48.00 68,49.53 90,53.93
[15] सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	11,12,52.98 2,48,00.65 4,65,24.85
[17] एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	3,15,25.02 1,41,16.68 1,84,02.26
[19] राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (एन.ई.जी.ए.पी.)	सामान्य	..	99.00
[20] सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)	सामान्य	..	1,23,72.00
[21] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	63,72.00 13,03.36 26,68.79
[22] राष्ट्रीय बागवानी मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	30,19.10 5,60.69 7,33.21
[23] राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	18,71.22 2,82.50 4,45.70

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
(₹ लाख में)			
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः)			
02. राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान – (क्रमशः)			
101. एक मुश्त (ब्लाक) अनुदान – (क्रमशः)			
(05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता – (क्रमशः)			
[24] राष्ट्रीय तिलहन एवं आर्यल पाम मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	20,07.43 2,02.00 2,67.00
[25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	24,56.15 3,16.44 5,77.03
[27] राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	सामान्य अ.जा.उ.यो.	17,00.83 3,01.15
[28] राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	सामान्य अ.जा.उ.यो.	7,60.74 1,11.41
[31] राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन)	सामान्य	..	1,74.22
[32] प्राकृतिक संसाधन एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण	सामान्य	..	13,56.00
[33] वन्य जीवन हेतु समेकित विकास	सामान्य	..	4,69.72
[34] बाघ परियोजना	सामान्य	..	3,81.30
[35] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा में मानव संसाधन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,09,40.47 26,74.39 42,33.24
[36] राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं औषधीय पादपों हेतु मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	18,62.54 1,67.32 1,63.90

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)		
	2017-18	2016-17			
(₹ लाख में)					
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः)					
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः)					
02. राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान – (क्रमशः)					
101. एक मुश्त (ब्लाक) अनुदान – (क्रमशः)					
(05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता – (क्रमशः)					
[38]	राष्ट्रीय पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बल आधुनिकीकरण योजना	सामान्य	..	17,19.00	..
[39]	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	सामान्य	..	5,46.36	..
		अ.जा.उ.यो.	..	2,45.20	..
[41]	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	सामान्य	..	2,72,73.52	..
		ज.जा.उ.यो.	..	33,55.69	..
		अ.जा.उ.यो.	..	53,38.98	..
[42]	अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा विकास सहायता	सामान्य	..	18,46.03	..
		ज.जा.उ.यो.	..	16.37	..
		अ.जा.उ.यो.	..	8,86.69	..
[45]	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	सामान्य	..	53,10.74	..
		ज.जा.उ.यो.	..	5,13.95	..
		अ.जा.उ.यो.	..	10,27.89	..
[46]	कौशल विकास मिशन	सामान्य	..	14,19.36	..
[48]	ग्राम न्यायालय सहित न्यायपालिका हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास	सामान्य	..	43,74.00	..
[49]	अल्पसंख्यकों के बहु आयामी विकास कार्यक्रम	सामान्य	..	38,73.10	..
[51]	अनुसूचित जातियों के लिए विकास योजना	अ.जा.उ.यो.	..	2,31,25.52	..
[52]	अन्य पिछड़ा वर्ग, घूमंतू तथा अर्द्ध घूमंतू जनजाति की विकास योजना	सामान्य	..	57,57.60	..
[53]	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु विकास योजना	सामान्य	..	5,09.07	..
[59]	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला योजना	ज.जा.उ.यो.	..	1,03,95.35	..

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)	
	2017-18	2016-17		
(₹ लाख में)				
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान - (क्रमशः)				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - (क्रमशः)				
02. राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान - (क्रमशः)				
101. एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान - (समाप्त)				
(05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता - (समाप्त)				
[60]	राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन मय इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	सामान्य	90.37	..
[62]	राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (एस.ए.बी.एल. ए.)	सामान्य	14.23	..
[67]	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	सामान्य	88,88.00	..
		ज.जा.उ.यो.	17,06.00	..
		अ.जा.उ.यो.	23,06.00	..
[69]	प्रधानमंत्री आवास योजना	सामान्य	96,20.90	..
		ज.जा.उ.यो.	1,19.23	..
		अ.जा.उ.यो.	3,65.45	..
[70]	स्मार्ट सिटी योजना	सामान्य	2,25,80.00	..
[71]	अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एवं अर्बनट्रांसफारमेशन (अमृत योजना)	सामान्य	2,56,35.47	..
[73]	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	सामान्य	3,59,51.39	..
		ज.जा.उ.यो.	3,43,42.63	..
		अ.जा.उ.यो.	1,68,59.08	..
[74]	श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन	सामान्य	26,65.00	..
	योग- (05)	..	1,23,59,19.96	..
	योग- 101	..	1,24,30,66.08	..

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः)			
02. राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान – (समाप्त)			
104. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान			
(01) केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्ति	..	1,04,41.39	..
(02) जनजाति क्षेत्र उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	..	1,10,72.90	..
	योग-104	2,15,14.29	..
105. केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	..	8,15,83.00	..
	योग-105	8,15,83.00	..
	योग-02	1,34,61,63.37	..
03. केन्द्रीय योजनान्तर्गत स्कीमों के लिए अनुदान			
800. अन्य अनुदान			
शिक्षा			
अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मेट्रीक छात्रवृत्ति योजना	सामान्य	1,03.24	..
परिवार कल्याण			
अन्य सेवाएं तथा आपूर्ति	सामान्य	11,39.91	..
शहरी विकास			
शहरी परिवहन योजना एवं शहरी परिवहन क्षमता निर्माण क्षमता निर्माण	सामान्य	15.39	..
अनुसूचित जातियों का कल्याण (आर्थिक विकास)			
अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	अ.जा.उ.यो.	14,41.22	..

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)	
	2017-18	2016-17		
(₹ लाख में)				
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः)				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः)				
03. केन्द्रीय योजनान्तर्गत स्कीमों के लिए अनुदान – (क्रमशः)				
800. अन्य अनुदान – (क्रमशः)				
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण				
विशेष रूप से संवेदनशील जनजातिय समूह का विकास (पी.टी.जी.)	ज.जा.उ.यो.	..	13,31.00	..
जनजातिय उत्पादों/उत्पादित के विकास एवं विपणन के लिए संस्थागत सहायता	ज.जा.उ.यो.	..	43.43	..
श्रम एवं रोजगार				
राष्ट्रीय केरियर सेवाएं	सामान्य	..	2,26.00	..
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण				
निर्भया स्कीम डब्ल्यू.सी.डी.	सामान्य	..	29,22.30	..
महिला सशक्तिकरण और संरक्षण	सामान्य	..	2,83.22	..
फसल कृषि-कर्म				
कृषि सांख्यिकी एकीकृत योजना तथा कृषि गणना	सामान्य	..	4,46.13	..
पशुपालन				
बोवाइन उत्पादकता पर राष्ट्रीय मिशन	सामान्य	..	1,50.00	..
प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी (पशुधन गणना एवं एकीकृत नमूना परीक्षण)	सामान्य	..	1,72.47	..
मछली पालन				
अंतर्देशीय मत्स्य पालन	सामान्य	..	2,62.10	..
लघु सिंचाई				
जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	सामान्य	..	1,70.23	..

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)		
	2017-18	2016-17			
(₹ लाख में)					
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान –(क्रमशः)					
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान –(क्रमशः)					
03. केन्द्रीय योजनान्तर्गत स्कीमों के लिए अनुदान –(समाप्त)					
800. अन्य अनुदान –(समाप्त)					
जनगणना सर्वे एवं सांख्यिकी					
भारतीय सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना (आई.एस.एस.पी.)	सामान्य	..	(-) 87.54		
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सहित आरजीआई की योजना	सामान्य	..	14,70.00		
नागरिक आपूर्ति					
उपभोक्ता संरक्षण	सामान्य	..	27.24		
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन को मजबूत बनाना	सामान्य	..	6,94.36		
अन्य	सामान्य	(-) 12.16 (क)	..		
		योग-03	(-) 12.16	1,08,10.70	..
04. केन्द्रीय समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान					
800. अन्य अनुदान	सामान्य	..	(-) 14,67.17	..	
		योग-04	..	(-) 14,67.17	..

(क) ऋण राशि राजस्व की वापसी के कारण हैं।

विवरण संख्या 14-(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
(₹ लाख में)			
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान - (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - (क्रमशः)			
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम			
101. केन्द्रीय सहायता/भाग			
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता			
[01] राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,61,23.00 32,58.00 41,16.00
[02] निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	7,91,36.06 1,36,65.56 2,38,59.90
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	4,25,45.93 1,17,50.43 1,71,27.63
[04] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एस.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	8,95,97.83 2,01,34.89 3,31,60.82
[07] एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	सामान्य अ.जा.उ.यो.	1,87,54.34 56,55.00
[10] महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	सामान्य	15,38,63.32	..
[11] राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	सामान्य	4,17,65.77	..
[12] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)	सामान्य	11,20,25.83	..
[13] राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,09,37.88 31,28.00 43,19.62
[14] मिड डे मिल (एम डी एम)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,67,23.68 61,94.83 81,88.54

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2017-18	2016-17	
(₹ लाख में)			
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान - (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - (क्रमशः)			
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम - (क्रमशः)			
101. केन्द्रीय सहायता/भाग - (क्रमशः)			
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता - (क्रमशः)			
[15] सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	12,86,17.84 3,04,21.71 3,99,33.45
[17] एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	5,38,96.81 88,33.83 1,22,83.65
[19] राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (एन.ई.जी.ए.पी.)	सामान्य	91.28	..
[20] सीमा क्षेत्र विकास योजना (बी.ए.डी.पी.)	सामान्य	1,16,00.00	..
[21] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	65,89.46 4,73.26 14,67.14
[22] राष्ट्रीय बागवानी मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	36,60.00 10,94.00 10,46.00
[23] राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	10,63.99 2,89.48 2,59.05
[24] राष्ट्रीय तिलहन एवं आइलपाम मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो.	19,27.21 1,79.18
[25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	44,91.80 3,60.40 7,46.24
[27] राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	सामान्य अ.जा.उ.यो.	11,00.37 2,40.82

विवरण संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)	
	2017-18	2016-17		
(₹ लाख में)				
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान - (क्रमशः)				
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - (क्रमशः)				
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम - (क्रमशः)				
101. केन्द्रीय सहायता/भाग - (क्रमशः)				
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता - (क्रमशः)				
[28]	राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	सामान्य अ.जा.उ.यो.	12,02.64 5,35.13
[31]	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन)	सामान्य ज.जा.उ.यो.	2,38.70 6.21
[32]	प्राकृतिक संसाधन एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण	सामान्य	1,54.00	..
[33]	वन्य जीव हेतु समेकित विकास	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	6,15.03 14.20 7.65
[34]	बाघ परियोजना	सामान्य	7,73.09	..
[35]	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा में मानव संसाधन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	3,65,16.00 64,01.00 1,17,77.00
[36]	राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं औषधीय पादों हेतु	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	61,93.07 2,44.31 4,55.88
[38]	राष्ट्रीय पुलिस एवं अन्य सुरक्षाबल आधुनिकीकरण योजना	सामान्य	97,08.77	..
[39]	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	20,65.55 72.70 7,12.75
[41]	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,62,52.29 54,09.37 1,07,40.11

विवरण संख्या 14-(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
(₹ लाख में)			
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान - (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - (क्रमशः)			
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम - (क्रमशः)			
101. केन्द्रीय सहायता/भाग - (क्रमशः)			
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता - (क्रमशः)			
[42] शिक्षक प्रशिक्षण तथा प्रोढ़ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास हेतु योगदान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	32,79.84 4,44.29 11,39.32
[44] अल्पसंख्यक हेतु मदरसा एवं विशेष योग्यजन के लिए शिक्षा योजना	सामान्य	6.50	..
[45] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	41,61.75 4,02.75 8,05.50
[46] कौशल विकास मिशन	सामान्य	22.04	..
[48] ग्राम न्यायालय सहित न्यायपालिका हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास	सामान्य	17,34.00	..
[49] अल्पसंख्यक के बहु आयामी विकास कार्यक्रम	सामान्य	43,36.13	..
[51] अनुसूचित जातियों के लिए विकास योजना	सामान्य	3,60,09.72	..
[52] अन्य पिछड़ा वर्ग, धूमंतु तथा अर्द्ध धूमंतु जनजाति की विकास योजना	सामान्य	69,10.47	..
[55] विशेष योग्यजनों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	28,33.31 3,31.09 6,48.60
[59] अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला योजना	ज.जा.उ.यो.	2,44,04.93	..
[60] राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन मय इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	सामान्य	3,28.33	..
[61] एकीकृत बाल सुरक्षा कार्यक्रम (आई.सी.पी.एस.)	सामान्य	47,52.30	..
[66] अन्य योजनाएं	सामान्य	46.00	..
[67] प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,00,17.47 10,42.77 12,38.50

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
(₹ लाख में)			
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः)			
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों – (क्रमशः)			
101. केन्द्रीय सहायता/भाग – (समाप्त)			
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता – (समाप्त)			
[68]	स्वाधार गृहों के संचार हेतु योजना सामान्य	75.72	..
[69]	प्राधनमंत्री आवास योजना सामान्य	22,58.29	..
	ज.जा.उ.यो.	5,27.26	..
	अ.जा.उ.यो.	13,31.56	..
[70]	स्मार्ट सिटी योजना सामान्य	2,05,00.00	..
[71]	अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एवं अर्बनट्रांसफारमेशन (अमृत योजना) सामान्य	2,64,54.27	..
[73]	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सामान्य	7,94,23.12	..
	ज.जा.उ.यो.	7,35,70.30	..
	अ.जा.उ.यो.	3,65,72.81	..
[74]	श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन सामान्य	24,10.00	..
[75]	नील कान्ति सामान्य	66.27	..
	अ.जा.उ.यो.	17.01	..
[77]	उज्जवला योजना सामान्य	1,41.62	..
[80]	ई-प्रावधान परियोजना के लिए सहायता सामान्य	2,30.00	..
	योग- 101	1,52,52,69.12	..

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः)			
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – (समाप्त)			
102. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं-केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान			
(01) बाह्य सहायता-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[05]	पश्चिमी राजस्थान गरीबी उन्मूलन	4.47	..
[07]	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1,28.88	..
[08]	सिटी बस सर्विस प्रोजेक्ट (आई बी आर डी)	12.78	..
	योग-102	1,46.13	..
103. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अधीन अनुदान			
(01) केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्ति			
(01)	केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्ति	1,02,40.58	..
(02)	विशेष केन्द्रीय सहायता जन जाति क्षेत्र उपयोग	1,00,51.83	..
(03)	विशेष केन्द्रीय अनुसूचित जाति योजना	56,83.00	..
	योग-103	2,59,75.41	..
104. केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान			
(01) केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता			
	योग-104	5,89,57.50	..
	योग-06	1,61,03,48.16	..

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
(₹ लाख में)			
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः)			
07. वित्त आयोग अनुदान			
102. ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान			
(01) ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए सहायता	26,57,47.00
	योग-102	26,57,47.00	..
103. शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान			
(01) शहरी स्थानीय निकायों के लिए सहायता	6,92,93.00
	योग-103	6,92,93.00	..
104. राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अनुदान			
(01) राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता	9,12,00.00
	योग-104	9,12,00.00	..
	योग-07	42,62,40.00	..
08. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान			
106. राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) को अंशदान के लिए अनुदान			
(01) राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि हेतु सहायता	6,07,77.00
	योग-106	6,07,77.00	..

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः)			
08. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान – (क्रमशः)			
110. संसाधनों के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए अनुदान			
(02) जी. एस. टी .लागू करने से राज्यों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	55,14.00
योग- 110	55,14.00
113. विशेष सहायता			
(02) केन्द्रीय योजनाओं हेतु विशेष सहायता			
[01] हरित क्रांति-कृषि जनगणना एवं एकीकृत योजनाएं	5,73.75
[02] श्वेत क्रांति-पशुधन जनगणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	1,25.30
[03] होमगार्ड/पुलिस बलों हेतु पुनर्भरण सहायता	11,38.03
[05] विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी हेतु सहायता	61,74.32
[06] साइबर अपराध नियंत्रण के विरुद्ध महिलाओं तथा बच्चों को निर्भय निधि से सहायता	4,41.07
योग- 113	84,52.47

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान –(समाप्त)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान –(समाप्त)			
08. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान – (समाप्त)			
114. जी. एस. टी .लागू करने से हुए राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति			
(01) जी. एस. टी .लागू करने से हुए राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	25,98,00.00 (क)
योग-114	25,98,00.00
800. अन्य अनुदान			
(05) युद्धावश्यक सीमावर्ती सड़कें	2,07,32.31
(07) विविध अनुदान	11,47.61
(08) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न के अन्तर्राज्यीय संचलन एवं हथलन तथा उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों का मार्जिन	10,04.72
योग-800	2,28,84.64
योग-08	35,74,28.11
योग-1601	2,39,40,04.11	1,94,82,91.33	(+) 22.88
योग-ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	2,39,40,04.11	1,94,82,91.33	(+) 22.88
योग - प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	12,73,07,18.17	10,90,25,99.69	(+) 16.77

(क) वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के लागू होने के बाबत माह मार्च 2018 के राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में भारत सरकार से मई 2018 में ₹ 3,01,00.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह 2018-19 के लेखों में लेखांकित की जायेगी।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2017-18	2016-17	
	(₹ लाख में)		
प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)			
4000. विविध पूंजीगत प्राप्तियां			
01. सिविल			
105. सहकारी समितियां/बैंकों की पूंजी/विनिवेश की निवृत्ति	16,60.94	27,84.31	(-) 40.35
योग-4000	16,60.94	27,84.31	(-) 40.35
योग - प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	16,60.94	27,84.31	(-) 40.35
कुल योग - प्राप्ति शीर्ष	12,73,23,79.11	10,90,53,84.00	(+) 16.75

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. राजस्व लेखे पर प्राप्ति:- 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उत्थित राजस्व (₹ 6,63,39,13.06 लाख) 2016-17 में उत्थित राजस्व (₹ 5,59,87,22.36 लाख) से ₹ 1,03,51,90.70 लाख अधिक था जो मुख्यतः ब्याज प्राप्ति, बिजली पर कर तथा शुल्क, ब्रिकी कर के स्थान पर लगाये गये राज्य वस्तु तथा सेवा कर, वाहन कर, पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क इत्यादि से अधिक प्राप्ति के कारण था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से अनुदान और कतिपय करों से निवल प्राप्ति के हिस्से के रूप में प्राप्ति में ₹ 79,29,27.78 लाख (2016-17 में ₹ 5,30,38,77.33 लाख से 2017-18 में ₹ 6,09,68,05.11 लाख) की वृद्धि मुख्यतः केन्द्र सरकार से अधिक सहायतार्थ अनुदान प्राप्त होने, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर पर निवल आगमों का हिस्सा, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, आय पर निगम कर से भिन्न कर, निगम कर आदि के कारण थी।

वे लेखा शीर्ष जिनमें गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति में सार्वभूत वृद्धि/कमी हुई, नीचे दिये गये हैं:-

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
वृद्धि		
0006. राज्य वस्तु एवं सेवा कर	1,21,37,02.23	जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के कारण।
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायतार्थ अनुदान	44,57,12.78	राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अधिक प्राप्ति तथा भारत सरकार से वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति की प्राप्ति के कारण।
0008. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	37,36,48.00	जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के कारण।
0049. ब्याज प्राप्ति	29,25,53.53	गत वर्ष की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों से अधिक ब्याज प्राप्ति के कारण।
0043. विद्युत् कर तथा शुल्क	26,38,43.06	विद्युत् की बिक्री तथा उपभोग पर कर के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण।
0021. आय पर निगम कर से भिन्न कर	21,07,09.00	“राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण।
0041. वाहन कर	7,40,13.63	राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण।
0030. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	6,21,52.99	स्टाम्पों की ब्रिकी तथा दस्तावेजों पर अंकन शुल्क से अधिक प्राप्ति के कारण।
0020. निगम कर	5,94,90.00	“राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण।
0005. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	5,20,04.00	जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के कारण।
0853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	2,87,77.73	खनिज रियायती शुल्क, किराया और रायल्टी की अधिक प्राप्ति के कारण।
0802. पेट्रोलियम	2,47,34.91	रायल्टी से अधिक प्राप्ति के कारण।
0039. राज्य उत्पाद शुल्क	2,22,15.76	देशी शराब, माल्ट शराब, विदेशी लिकर तथा शराब की बिक्री से अधिक प्राप्ति के कारण।
1475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,71,90.60	मद “आर्थिक तथा सांख्यिकी” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण।
0700. मुख्य सिंचाई	1,61,37.95	भाखड़ा बांध सिंचाई शाखा तथा नर्बदा परियोजना से अधिक प्राप्ति के कारण।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ –(क्रमशः)

1. राजस्व लेखे पर प्राप्ति – (क्रमशः)

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
वृद्धि – (समाप्त)		
0055. पुलिस	1,05,78.09	“अन्य सरकारों तथा अन्य पक्षों को” पुलिस आपूर्ति तथा “ राज्य मुख्यालय पुलिस की प्राप्तियां ” के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण ।
0075. विविध सामान्य सेवाएं	1,01,65.89	गत वर्ष की तुलना में गारन्टी शुल्क की अधिक प्राप्ति तथा आपदा मोचन निधि की अवशेष राशि जमा कराने के कारण ।
0215. जलपूर्ति तथा सफाई	77,16.21	शहरी/ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत अधिक प्राप्तिओं के कारण ।
0406. वानिकी तथा वन्य प्राणी	69,25.67	लकड़ियों तथा अन्य वनीय उत्पादों की बिक्री से अधिक प्राप्ति के कारण ।
0801. बिजली	53,51.91	राजस्थान विद्युत् नियामक आयोग के माध्यम से बिजली कम्पनियों से लाइसेंस शुल्क तथा डिस्कॉम द्वारा कम्पाउंडिंग शुल्क एकत्र करने से प्राप्ति के कारण ।
0029. भू-राजस्व	49,17.61	सरकारी सम्पदा के विक्रय से अधिक प्राप्ति के कारण ।
0059. लोक निर्माण	24,94.53	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता व्यय की अधिक वसूली के कारण ।
0425. सहकारिता	19,01.22	मद “अन्य प्राप्तियां” के अंतर्गत अधिक प्राप्तिओं के कारण ।
0401. फसल कृषि कर्म	15,35.58	मद “अन्य प्राप्तियां” के अंतर्गत अधिक प्राप्तिओं के कारण ।
0230. श्रम तथा रोजगार	6,53.93	मद “अन्य प्राप्तियां” के अंतर्गत अधिक प्राप्तिओं के कारण ।
0403. पशु पालन	5,95.11	मद “सेवाये तथा सेवाएं शुल्क ” तथा “अन्य प्राप्तियां” के अंतर्गत अधिक प्राप्तिओं के कारण ।
0210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5,28.86	“राज्य कर्मचारी बीमा योजना” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण ।
0701. मध्यम सिंचाई	3,55.36	मद “अन्य प्राप्तियां” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण ।
कमी		
0040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	95,50,17.92	वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के कारण वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत कम प्राप्ति के कारण ।
0038. संघ उत्पाद शुल्क	13,70,76.00	वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से “राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा” के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण ।

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ –(क्रमशः)

1. राजस्व लेखे पर प्राप्ति – (समाप्त)

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
कमी – (समाप्त)		
0044. सेवा कर	12,06,20.00	वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से "राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा" के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0037. सीमा शुल्क	8,84,37.00	वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से "राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा" के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0042. यात्री तथा माल पर कर	4,62,50.26	वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से "राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा" के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1,56,25.40	मनोरंजन कर तथा विलासिता कर के अन्तर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0051. लोक सेवा आयोग	78,52.11	परीक्षा शुल्क की कम प्राप्ति के कारण।
0235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	65,20.04	मद "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण।
0032. धन कर	24,93.00	"राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा" के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0217. शहरी विकास	11,23.27	मद "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	7,27.11	"प्रारम्भिक शिक्षा" के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0035. कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	5,77.66	भूमि तथा भवन पर कर से कम प्राप्ति के कारण।

विवरण संख्या 14 –(समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ – (समाप्त)

2. वर्ष के दौरान कराधान में परिवर्तन :- बजट प्रस्ताव में कराधान में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित थे :-

(क) कर से मुक्त :-

- (i) ₹ 80.00 तक के कॉम्बीनेशन प्लायर,
- (ii) इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइडर के माध्यम से सिनेमा टिकट बुक करवाने पर ऑनलाइन बुकिंग सेवाओं के लिए मनोरजन कर,
- (iii) जयपुर मेट्रो रेल सेवाओं के संचालन एवं रख-रखाव से संबंधित कार्यों में प्रयुक्त विद्युत् ऊर्जा पर देय बिजली शुल्क, जल रूपान्तरण अधिभार तथा शहरी अधिभार,
- (iv) भूमि रूपान्तरण शुल्क पर 100% छूट,
- (v) शहरी विकास कर जमा कराये जाने पर देय ब्याज तथा शुल्क की राशि में 100% छूट ।

(ख) कर में कटौती :-

- (i) पुश्तैनी सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर को 5% से घटाकर 3% तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क की दर को 1% से घटाकर 0.25% तथा अधिकतम ₹ 10,000,
- (ii) पंजीयन शुल्क 1% से घटाकर 0.25% अधिकतम ₹ 10,000,
- (iii) यार्न पर प्रवेश कर पर 2% की छूट ।

(ग) प्रस्तावित कर :-

- (i) भारत सरकार की आर सी एस के अंतर्गत राज्य में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आर सी एस) के लिए ए.टी.एफ. की ब्रिकी पर 1% कर,
- (ii) सभी प्रकार की सिगरेटो पर वेट की वर्तमान दर में 15% वृद्धि किया जाना ।

विवरण संख्या 15-लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण

तिरछे अंक प्रभारित व्यय के द्योतक हैं

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं					
(क) राज्य के अंग					
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल					
<i>02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल</i>					
101. विधान सभा	46.15 27,28.01	..	27,74.16	24,14.21	(+) 14.91
103. विधान मण्डल सचिवालय	30,68.44	..	30,68.44	28,50.09	(+) 7.66
योग - 2011	46.15 57,96.45	..	58,42.60	52,64.30	(+) 10.99
2012.राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक					
<i>03. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक</i>					
090. सचिवालय	6,58.97	..	6,58.97	5,73.73	(+) 14.86
101. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों की परिलब्धियां और भत्ते	13.20	..	13.20	13.20	..
102. विवेकाधीन अनुदान	47.56	..	47.56	52.20	(-) 8.89
103. पारिवारिक स्थापना	5,17.83	..	5,17.83	4,67.82	(+) 10.69
104. आतिथ्य भत्ता	24.00	..	24.00	24.91	(-) 3.65
105. चिकित्सा सुविधाएं	31.97	..	31.97	32.18	(-) 0.65
106. मनोरंजन खर्च	15.92	..	15.92	11.00	(+) 44.73
107. संविदा भत्ते से व्यय	12.90	..	12.90	9.98	(+) 29.26
108. दौरा खर्च	30.25	..	30.25	18.31	(+) 65.21
110. राजकीय वाहन तथा मोटर कार	24.99	..	24.99	22.98	(+) 8.75
योग - 2012	13,77.59	..	13,77.59	12,26.31	(+) 12.34

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(क) राज्य के अंग - (क्रमशः)					
2013. मंत्रि परिषद्					
101. मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन	4,33.79	..	4,33.79	2,33.64	(+) 85.67
102. आतिथ्य और अन्य भत्ते	4.95	..	4.95	4.44	(+) 11.49
104. मनोरंजन और सत्कार खर्च	2,35.91	..	2,35.91	2,95.12	(-) 20.06
105. मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	30.44	..	30.44	26.71	(+) 13.96
108. दौरा खर्च	48.12	..	48.12	1,53.14	(-) 68.58
800. अन्य व्यय	4,26.05	..	4,26.05 (क)	3,73.49	(+) 14.07
	योग - 2013	..	11,79.26	10,86.54	(+) 8.53
2014. न्याय प्रशासन					
102. उच्च न्यायालय	1,34,97.54	..	1,34,97.54	91,18.82	(+) 48.02
105. सिविल और सेशन न्यायालय	5,54,52.36	5,38.74	5,59,91.10	5,28,30.32	(+) 5.98
110. महाप्रशासक और शासकीय न्यासी	16.86	..	16.86	14.76	(+) 14.23
114. विधि सलाहकार और परामर्शदाता	1,10,74.22	..	1,10,74.22	98,64.94	(+) 12.26
116. राज्य प्रशासनिक अधिकरण	11,45.59	..	11,45.59	10,42.66	(+) 9.87
117. परिवार न्यायालय	22,30.23	..	22,30.23	17,01.56	(+) 31.07

(क) मंत्रियों के आवास पर टेलीफोन, जल तथा विद्युत प्रभार पर व्यय, मंत्रियों के लिए वाहनों का संधारण।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(क) राज्य के अंग - (समाप्त)					
2014. न्याय प्रशासन - (समाप्त)					
789. अनुसूचित जातियों हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,82.57	..	1,82.57	1,35.89	(+) 34.35
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	2,71.28	..	2,71.28	2,52.80	(+) 7.31
	1,34,97.54				
योग-2014	7,03,73.11	5,38.74	8,44,09.39	7,49,61.75	(+) 12.60
2015. निर्वाचन					
102. निर्वाचन अधिकारी	27,89.10	..	27,89.10	16,37.42	(+) 70.34
103. निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण	50,04.49	..	50,04.49	42,95.22	(+) 16.51
105. संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार	14,87.35	..	14,87.35	4.03	(+) 36806.95
106. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार	2,76.56	..	2,76.56	6.49	(+) 4161.33
108. मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करना	2,46.55	..	2,46.55	1,81.05	(+) 36.18
	98,04.05	..	98,04.05	61,24.21	(+) 60.09
योग - (क) राज्य के अंग	1,49,21.28	5,38.74	10,26,12.89	8,86,63.11	(+) 15.73

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(ख) राजकोषीय सेवाएं					
(ii) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण					
2029. भू-राजस्व					
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य	45,44.93	..	45,44.93	47,99.09	(-) 5.30
103. भू-अभिलेख	6,05,74.06 0.15	..	6,05,74.21	5,80,12.88	(+) 4.42
105. भूतपूर्व जमींदारी सम्पदाओं का प्रबन्ध	13.02	..	13.02	11.09	(+) 17.40
789. अनुसूचित जातियों हेतु विशिष्ट संघटक योजना	6,39.31	(-) 100.00
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	4,85.47	(-) 100.00
800. अन्य व्यय	0.49	1,71.99	1,72.48	1,05.49	(+) 63.50
योग - 2029	6,51,32.50 0.15	1,71.99	6,53,04.64	6,40,53.33	(+) 1.95
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण					
01. स्टाम्प-न्यायिक					
001. निदेशन तथा प्रशासन	42.28	..	42.28	29.81	(+) 41.83
101. स्टाम्पों की लागत	2,43.07	..	2,43.07	1,25.00	(+) 94.46
102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	66.98	..	66.98	63.93	(+) 4.77
योग - 01	3,52.33	..	3,52.33	2,18.74	(+) 61.07
02. स्टाम्प-न्यायिकेतर					
001. निदेशन तथा प्रशासन	52.85	..	52.85	37.26	(+) 41.84
101. स्टाम्पों की लागत	12,00.00	..	12,00.00	14,99.91	(-) 20.00

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(ख) राजकोषीय सेवाएं - (क्रमशः)					
(ii) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण- (समाप्त)					
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण- (समाप्त)					
02. स्टाम्प-न्यायिकेतर- (समाप्त)					
102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	20,03.95	..	20,03.95	14,83.51	(+) 35.08
योग -02	32,56.80	..	32,56.80	30,20.68	(+) 7.82
03. पंजीकरण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	2.96 35,77.38	..	35,80.34	32,28.67	(+) 10.89
योग - 03	2.96 35,77.38	..	35,80.34	32,28.67	(+) 10.89
योग - 2030	2.96 71,86.51	..	71,89.47	64,68.09	(+) 11.15
योग (ii) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	3.11 7,23,19.01	1,71.99	7,24,94.11	7,05,21.42	(+) 2.80
(iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण					
2039. राज्य उत्पाद शुल्क					
001. निदेशन तथा प्रशासन	0.50 1,41,81.86	..	1,41,82.36	1,31,04.60	(+) 8.22
योग- 2039	0.50 1,41,81.86	..	1,41,82.36	1,31,04.60	(+) 8.22

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः :)					
(ख) राजकोषीय सेवाएं- (क्रमशः)					
(iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण - (क्रमशः)					
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
001. निदेशन तथा प्रशासन	33,82.39	..	33,82.39	66,09.59	(-) 48.83
	0.88				
101. संग्रहण प्रभार	75,53.27	..	75,54.15	1,22,73.81	(-) 38.45
789. अनुसूचित जातियों हेतु विशिष्ट संघटक योजना	39,30.00	..	39,30.00	6,91.33	(+) 468.47
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	13,99.36	..	13,99.36	3,12.00	(+) 348.51
797. आरक्षित निधि/जमा लेखा को अन्तरण	2,89,56.00	..	2,89,56.00	1,70,92.00	(+) 69.41
800. अन्य व्यय	5,47,47.18	—	5,47,47.18 (क)	8,63,89.90	(-) 36.63
	0.88				
योग - 2040	9,99,68.20	..	9,99,69.08	12,33,68.63	(-) 18.97
2041. वाहन कर					
001. निदेशन तथा प्रशासन	9,98.50	..	9,98.50	8,83.88	(+) 12.97
	1.95				
101. संग्रहण प्रभार	69,06.37	..	69,08.32	71,04.96	(-) 2.77
102. मोटर वाहनों का निरीक्षण	30,13.62	..	30,13.62	26,45.14	(+) 13.93
789. अनुसूचित जातियों हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4,57.95	..	4,57.95	4,68.36	(-) 2.22
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	3,43.37	..	3,43.37	3,38.47	(+) 1.45

(क) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अंतर्गत मजदूरी/रोजगार अनुदान (₹ 4,83.17 लाख), ब्याज अनुदान (₹ 1,76.65 लाख), निवेश सहाय्य (₹ 3,69,76.54 लाख) तथा रोजगार सृजन सहाय्य (₹ 20,32.25 लाख), निवेश सहाय्य (आर.आइ.पी.एस.-2014)(₹ 19,98.64 लाख), रोजगार सृजन सहाय्य (आर.आइ.पी.एस.-2014) (₹ 2,12.96 लाख), उद्योग विभाग द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन पैकेज (₹ 56,40.75 लाख), ब्याज अनुदान (₹ 71,25.81 लाख) तथा अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के तहत वैंट का पुर्नभरण (₹ 1,00.41 लाख) से सम्बन्धित व्यय ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(ख) राजकोषीय सेवाएं - (क्रमशः)					
(iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण - (समाप्त)					
2041. वाहन कर - (समाप्त)					
800. अन्य व्यय	49.90	..	49.90	59.35	(-) 15.92
योग - 2041	1,17,69.71	1.95	1,17,71.66	1,15,00.16	(+) 2.36
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार					
001. निदेशन एवं प्रशासन	40,07.12	..	40,07.12
101. संग्रहण प्रभार	47,57.79	..	47,57.79
योग - 2043	87,64.91	..	87,64.91
2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क					
101. संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर	21.11	..	21.11	79.12	(-) 73.32
103. संग्रहण प्रभार-विद्युत् शुल्क	22,79.95	..	22,79.95	6,99.59	(+) 225.90
योग - 2045	23,01.06	..	23,01.06	7,78.71	(+) 195.50
योग - (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	13,69,85.74	3.33	13,69,89.07	14,87,52.10	(-) 7.91

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(ख) राजकोषीय सेवाएं - (समाप्त)					
(iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं					
2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं					
800. अन्य व्यय	2,47.76	..	2,47.76 (क)	1,96.29	(+) 26.22
योग - 2047	2,47.76	..	2,47.76	1,96.29	(+) 26.22
योग - (iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं	2,47.76	..	2,47.76	1,96.29	(+) 26.22
योग- (ख) राजकोषीय सेवाएं	20,95,52.51 6.44	1,71.99	20,97,30.94	21,94,69.81	(-) 4.44
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन					
2049. ब्याज अदायगियां					
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज					
101. बाजार कर्जों पर ब्याज	77,15,49.64	..	77,15,49.64	65,75,90.92	(+) 17.33
123. राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	18,06,50.27	..	18,06,50.27	21,23,72.34	(-) 14.94
200. अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज	62,38,73.01	..	62,38,73.01	52,63,43.58	(+) 18.53
305. ऋण प्रबन्ध	36,47.40	..	36,47.40	39,44.07	(-) 7.52
योग - 01	1,57,97,20.32	..	1,57,97,20.32	1,40,02,50.91	(+) 12.82

(क) व्यय राजस्व आसूचना विभाग से संबंधित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन					
2049. ब्याज अदायगियां					
<i>03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज</i>					
104. राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज	21,66,67.78	..	21,66,67.78	20,70,99.16	(+) 4.62
108. बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज	11,77,31.10	..	11,77,31.10	10,49,16.97	(+) 12.21
117. निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	7,34.17	..	7,34.17	9,52.96	(-) 22.96
योग- 03	33,51,33.05	..	33,51,33.05	31,29,69.09	(+) 7.08
<i>04. केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज</i>					
101. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज	2,47,25.44	..	2,47,25.44	2,43,58.82	(+) 1.51
104. योजनेतर योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज	3,77.13	..	3,77.13	4,32.35	(-) 12.77
109. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत समेकित आयोजना कर्जों पर ब्याज	1,65,48.21	..	1,65,48.21	1,88,63.48	(-) 12.27
योग - 04	4,16,50.78	..	4,16,50.78	4,36,54.65	(-) 4.59
<i>05. आरक्षित निधियों पर ब्याज</i>					
105. सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज	50,08.40 (क)	..	50,08.40
योग - 05	50,08.40	..	50,08.40

(क) यह वर्ष 2016-17 के राज्य आपदा मोचन निधि की अनिवेशित राशि पर ब्याज से संबंधित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन - (समाप्त)					
2049. ब्याज अदायगियां - (समाप्त)					
60. अन्य दायित्वों पर ब्याज					
101. जमाओं पर ब्याज	1,01,77.30	..	1,01,77.30	1,05,19.04	(-) 3.25
701. विविध	3,09.34	..	3,09.34	2,99.80	(+) 3.18
योग - 60	1,04,86.64	..	1,04,86.64	1,08,18.84	(-) 3.07
योग - 2049	1,97,19,99.19	..	1,97,19,99.19	1,76,76,93.49	(+) 11.56
योग-(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन	1,97,19,99.19	..	1,97,19,99.19	1,76,76,93.49	(+) 11.56
(घ) प्रशासनिक सेवाएं					
2051. लोक सेवा आयोग					
102. राज्य लोक सेवा आयोग	36,47.39	..	36,47.39	64,54.18	(-) 43.49
103. कर्मचारी चयन आयोग	7,27.07	..	7,27.07	19,81.55	(-) 63.31
योग - 2051	36,47.39 7,27.07	..	43,74.46	84,35.73	(-) 48.14
2052. सचिवालय - सामान्य सेवाएं					
090. सचिवालय	1,61,74.46	..	1,61,74.46	1,43,73.75	(+) 12.53
092. अन्य कार्यालय	2,81.86	..	2,81.86	2,67.63	(+) 5.32
099. राजस्व बोर्ड	26,49.70	..	26,49.70	23,80.73	(+) 11.30
योग- 2052	1,91,06.02	..	1,91,06.02	1,70,22.11	(+) 12.24

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं - (क्रमशः)					
2053. जिला प्रशासन					
093. जिला स्थापनाएं	1,11,68.67	..	1,11,68.67	1,18,69.38	(-) 5.90
094. अन्य स्थापनाएं	3,17,60.19	9.88 ..	3,17,70.07	2,87,64.68	(+) 10.45
101. आयुक्त	11,62.91	..	11,62.91	10,97.77	(+) 5.93
800. अन्य व्यय	2,65.78	..	2,65.78 (क)	2,20.90	(+) 20.32
योग - 2053	4,43,57.55	9.88 ..	4,43,67.43	4,19,52.73	(+) 5.76
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन					
095. लेखा तथा खजाना निदेशालय	15,46.89	0.36 ..	15,47.25	13,07.56	(+) 18.33
097. खजाना स्थापना	1,65,09.58	..	1,65,09.58	1,36,00.57	(+) 21.39
098. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा	27,55.72	..	27,55.72	25,25.84	(+) 9.10
800. अन्य व्यय	44,13.91	..	44,13.91 (ख)	26,28.98	(+) 67.89
योग - 2054	2,52,26.10	0.36 ..	2,52,26.46	2,00,62.95	(+) 25.74

(क) इसमें गुड गवर्नेंस प्रणाली पर व्यय सम्मिलित है।

(ख) व्यय पेंशन तथा पेंशनर्स कल्याण विभाग (₹ 18,72.33 लाख), निरीक्षण विभाग (₹ 12,43.67 लाख) तथा राजस्थान में सुदृढ़ सार्वजनिक वित्त प्रबंधन परियोजना (₹ 12,97.91 लाख) के संस्थापन पर हुआ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं - (क्रमशः)					
2055. पुलिस					
001. निदेशन तथा प्रशासन	43,99.88	..	43,99.88	30,26.48	(+) 45.38
003. शिक्षा और प्रशिक्षण	85,15.07	..	85,15.07	82,81.31	(+) 2.82
004. शोध	71.07	..	71.07	92.51	(-) 23.18
101. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता	2,65,88.97	..	2,65,88.97	2,38,22.32	(+) 11.61
104. विशेष पुलिस	7,74,88.53	..	7,74,88.53	6,83,44.66	(+) 13.38
	76.80				
109. जिला पुलिस	33,25,32.75	..	33,26,09.55	31,88,84.95	(+) 4.30
111. रेलवे पुलिस	65,41.20	..	65,41.20	59,78.61	(+) 9.41
113. पुलिस कर्मियों का कल्याण	5,04.72	..	5,04.72	5,59.54	(-) 9.80
114. बेतार तथा कम्प्यूटर	64,09.85	..	64,09.85	62,09.84	(+) 3.22
115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण	1,36.11	2,02.37	3,38.48	58,81.95	(-) 94.25
116. न्यायालयिक विज्ञान	19,73.60	..	19,73.60	17,85.81	(+) 10.52
800. अन्य व्यय	5,21.62	..	5,21.62 (क)	7,14.52	(-) 27.00
	76.80				
योग - 2055	46,56,83.37	2,02.37	46,59,62.54	44,35,82.50	(+) 5.05

(क) पुलिस विकास निधि (₹ 4,77.65 लाख) एवं अन्य विभागों को पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति (₹ 43.97 लाख) पर व्यय ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं - (क्रमशः)					
2056. जेल					
001. निदेशन तथा प्रशासन	18,13.84	..	18,13.84	9,23.43	(+) 96.42
101. जेल	1,48,57.61	..	1,48,57.61	1,29,52.62	(+) 14.71
102. जेल उत्पाद	75.09	..	75.09	70.15	(+) 7.04
800. अन्य व्यय	2,41.98	..	2,41.98 (क)	2,27.64	(+) 6.30
योग - 2056	1,69,88.52	..	1,69,88.52	1,41,73.84	(+) 19.86
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,50.47	..	1,50.47	90.69	(+) 65.92
103. सरकारी मुद्रणालय	27,98.53	..	27,98.53	26,93.55	(+) 3.90
104. अन्य साधनों से मुद्रण की लागत	29.49	..	29.49	22.58	(+) 30.60
योग - 2058	29,78.49	..	29,78.49	28,06.82	(+) 6.12
2059. लोक निर्माण-कार्य					
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	10,83.46 4.60	..	10,88.06	72,58.49	(-) 85.01
004. योजना तथा अनुसंधान	16,40.44	..	16,40.44	14,78.89	(+) 10.92
051. निर्माण	7,73.76	(-) 100.00
052. मशीनरी तथा उपस्कर	(-) 61,28.76	..	(-) 61,28.76 (ख)	(-) 22,06.42	(+) 177.77

(क) जेल प्रशिक्षण विद्यालय (₹ 89.29 लाख), किशोर सुधार गृह (₹ 5.44 लाख) तथा महिला बन्दी सुधार गृह (₹ 1,47.25 लाख) पर व्यय ।

(ख) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं - (क्रमशः)					
2059. लोक निर्माण-कार्य - (समाप्त)					
80. सामान्य- (समाप्त)					
053. रखरखाव तथा मरम्मत	93,06.58	..	93,06.58	79,07.69	(+) 17.69
799. उच्चन्त	(-) 0.23	..	(-) 0.23 (क)
योग - 80	4.60 59,01.49	..	59,06.09	1,52,12.41	(-) 61.18
योग - 2059	4.60 59,01.49	..	59,06.09	1,52,12.41	(-) 61.18
2062. सतर्कता					
103. लोकायुक्त/उप लोकायुक्त	8,26.02	..	8,26.02	7,09.40	(+) 16.44
योग - 2062	8,26.02	..	8,26.02	7,09.40	(+) 16.44
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं					
003. प्रशिक्षण	20,04.01	..	20,04.01	19,45.52	(+) 3.01
106. सिविल रक्षा	12,90.34	..	12,90.34	10,44.63	(+) 23.52
107. होमगार्ड	55,05.07	79.78	55,84.85	53,21.93	(+) 4.94
114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव	12.05 1,10,41.01	..	1,10,53.06	96,06.51	(+) 15.06

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं - (समाप्त)					
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं - (समाप्त)					
115. अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि	52,00.19	..	52,00.19	49,18.66	(+) 5.72
800. अन्य व्यय	5.51	..	5.51	5.39	(+) 2.23
	12.05				
योग- 2070	2,50,46.13	79.78	2,51,37.96	2,28,42.64	(+) 10.05
	37,51.08				
योग - (घ) प्रशासनिक सेवाएं	60,68,40.76	2,82.15	61,08,73.99	58,68,01.13	(+) 4.10
(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं					
2071. पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति हित लाभ					
<i>01. सिविल</i>					
101. अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते	70,36,13.02	..	70,36,13.02 (क)	60,70,10.35	(+) 15.91
102. पेंशन का सारांशीकृत मूल्य	7,56,25.70	..	7,56,25.70	7,36,23.62	(+) 2.72
104. उपदान	16,45,98.46	..	16,45,98.46	17,36,78.34	(-) 5.23
105. परिवार पेंशन	18,50,41.65	..	18,50,41.65 (क)	16,33,29.61	(+) 13.29
106. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में पेंशन सम्बन्धी प्रभार	5,29.80	..	5,29.80 (क)	16,79.24	(-) 68.45
108. भविष्य निधि के लिए अंशदान	19.58	..	19.58	19.58	..
110. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन	4,02,24.59	..	4,02,24.59 (क)	3,52,11.40	(+) 14.24
111. विधायकों को पेंशन	22,80.66	..	22,80.66 (क)	15,25.64	(+) 49.49
115. अवकाश नगदीकरण लाभ	11,13,83.51	..	11,13,83.51	10,29,17.56	(+) 8.23

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित की गयी पेंशनरों की संख्या कोष्ठक में दर्शायी गई है: शीर्ष 2071-01-101 (2,56,672), 105 (1,22,842), 106 (614), 110 (21,691) तथा 111 (625)।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (समाप्त)					
(ड) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं - (समाप्त)					
2071. पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति हित लाभ - (समाप्त)					
01. सिविल - (समाप्त)					
117. निश्चित अंशदान की पेंशन योजना में सरकारी अंशदान	10,83,29.01	..	10,83,29.01	6,99,56.44	(+) 54.85
200. अन्य पेंशन	7,92.48	..	7,92.48	4,35.55	(+) 81.95
800. अन्य व्यय	84.89	..	84.89 (क)	1,79.70	(-) 52.76
	5,29.80				
योग-2071	1,39,19,93.55	..	1,39,25,23.35	1,22,95,67.03	(+) 13.25
2075. विविध सामान्य सेवाएं					
104. विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार	1,12.38	..	1,12.38	94.96	(+) 18.34
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तर्गण	5,69,93.25	..	5,69,93.25 (ख)	2,78,19.22	(+) 104.87
800. अन्य व्यय	1,89.28	..	1,89.28 (ग)	2,17.21	(-) 12.86
	5,72,94.91				
योग-2075	5,72,94.91	..	5,72,94.91	2,81,31.39	(+) 103.67
	5,29.80				
योग-(ड) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	1,44,92,88.46	..	1,44,98,18.26	1,25,76,98.42	(+) 15.28
	1,99,12,07.79				
योग - क. सामान्य सेवाएं	2,35,28,34.60	9,92.88	4,34,50,35.27	3,92,03,25.96	(+) 10.83

(क) पेंशनरी हित लाभों के भुगतान में देरी हेतु ब्याज के भुगतान पर व्यय से संबंधित है।

(ख) गारन्टी फीस मुख्य शीर्ष "8235-117- गारन्टी मोचन निधि" को हस्तान्तरित की गई।

(ग) इसमें जनानी ड्योडी (₹ 21.73 लाख), भूतपूर्व शासकों के परिवारों एवं आश्रितों को भत्ते (₹ 94.82 लाख) पर व्यय एवं विधानसभा अल्पाहार गृह के लिए राजस्थान होटल निगम (₹ 71.30 लाख) को अनुदान शामिल है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति					
2202. सामान्य शिक्षा					
01. प्रारंभिक शिक्षा					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,04,59.31	33.58	1,04,92.89	1,40,21.52	(-) 25.17
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय	4,75.62 2,40,44.57	..	2,45,20.19	2,70,18.62	(-) 9.25
102. अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	3,07.81	(-) 100.00
103. प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता	54,14.35	..	54,14.35	58,60.00	(-) 7.60
104. निरीक्षण	4,39.60	..	4,39.60	3,63.69	(+) 20.87
105. अनौपचारिक शिक्षा	67.68	..	67.68	1,49.64	(-) 54.77
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन	27,77.05	..	27,77.05	33,21.94	(-) 16.40
111. सर्व शिक्षा अभियान	20,78,76.75	31,93,30.74	52,72,07.49	43,83,00.20	(+) 20.28
112. विद्यालयों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम	1,78,09.86	2,70,93.42	4,49,03.28	4,35,99.73	(+) 2.99
196. जिला परिषद /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	0.50 32,95.44	..	32,95.94	28,40.32	(+) 16.04
197. ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	38.36 37,52,14.37	..	37,52,52.73	45,94,97.55	(-) 18.33
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,31,35.44	81,11.45	2,12,46.89	2,28,03.36	(-) 6.83
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,15,50.01	61,22.91	2,76,72.92	2,60,24.12	(+) 6.34
800. अन्य व्यय	2,12,94.89	..	2,12,94.89 (क)	2,06,53.29	(+) 3.11
योग - 01	5,14.48 70,33,79.32	36,06,92.10	1,06,45,85.90	1,06,47,61.79	(-) 0.02

(क) इसमें मदरसा स्कूल (₹ 47,43.00 लाख) तथा मदरसा बोर्ड (₹ 1,45.00 लाख) को जारी सहायतार्थ अनुदान, आर.टी.ई. के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को पुनःभुगतान (₹ 1,63,87.99 लाख) एवं विधवा तथा परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना (₹ 18.90 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति - (क्रमशः)					
2202. सामान्य शिक्षा - (क्रमशः)					
<i>02. माध्यमिक शिक्षा</i>					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,22,29.30	..	1,22,29.30	42,22.27	(+) 189.64
	18,98.30				
101. निरीक्षण	62,53.34	..	81,51.64	56,37.17	(+) 44.61
107. छात्रवृत्तियां	64,22.72	29,09.45	93,32.17	62,54.58	(+) 49.21
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय	1,23,18,54.81	3,84,30.59	1,27,02,85.40	1,09,15,74.18	(+) 16.37
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	40,25.00	..	40,25.00	29,16.21	(+) 38.02
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	4,00,98.98	5,05.51	4,06,04.49	3,20,33.39	(+) 26.76
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	6,91,36.52	3,89.38	6,95,25.90	5,58,78.93	(+) 24.42
	18,98.30				
योग - 02	1,37,00,20.67	4,22,34.93	1,41,41,53.90	1,19,85,16.73	(+) 17.99
<i>03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा</i>					
001. निदेशन तथा प्रशासन	12,79.70	..	12,79.70	12,43.89	(+) 2.88
102. विश्वविद्यालयों को सहायता	2,62,24.43	..	2,62,24.43	2,09,40.38	(+) 25.23
	18,84.34				
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान	7,08,62.75	10,33.69	7,37,80.78	8,03,71.59	(-) 8.20
104. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता	1,38.41	1,83.77	3,22.18	10,44.08	(-) 69.14
107. छात्रवृत्तियां	16,04.67	..	16,04.67	19,93.84	(-) 19.52
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	27,03.15	4,49.45	31,52.60	39,50.42	(-) 20.20
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	67,31.40	4,11.51	71,42.91	73,95.52	(-) 3.42

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति -(क्रमशः)					
2202. सामान्य शिक्षा-(क्रमशः)					
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा -(समाप्त)					
800. अन्य व्यय	9,94.84	..	9,94.84 (क)	23.29	(+) 4171.53
योग - 03	18,84.34 11,05,39.35	20,78.42	11,45,02.11	11,69,63.01	(-) 2.10
04. प्रौढ़ शिक्षा					
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	23,44.63	10,37.84	33,82.47	19,36.86	(+) 74.64
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,19.06	1,60.24	4,79.30	2,67.34	(+) 79.28
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,76.33	2,99.52	6,75.85	2,92.56	(+) 131.01
800. अन्य व्यय	15.28	..	15.28	12.00	(+) 27.33
योग - 04	30,55.30	14,97.60	45,52.90	25,08.76	(+) 81.48
05. भाषा विकास					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,25.70	..	1,25.70	1,25.75	(-) 0.04
102. आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन	3,61.90	..	3,61.90	2,01.45	(+) 79.65
103. संस्कृत शिक्षा	33.68 2,02,73.39	..	2,03,07.07	1,84,85.76	(+) 9.85
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	12,00.70	..	12,00.70	9,68.42	(+) 23.99
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	10,02.63	..	10,02.63	8,79.62	(+) 13.98

(क) आई.सी.टी. के माध्यम से शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन (₹ 1,37.84 लाख), कॉलेज शिक्षा विभाग की अभिनव/नवाचार योजनाएं (₹ 5,00.00 लाख), सरकारी कॉलेज में विज्ञान विषय हेतु आधुनिक प्रयोगशालाएं (₹ 3,37.00 लाख) तथा शिक्षा हेतु क्राउड सोर्स सोशल फोरम (₹ 20.00 लाख) पर व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति - (क्रमशः)					
2202. सामान्य शिक्षा - (समाप्त)					
05. भाषा विकास - (समाप्त)					
800. अन्य व्यय	1,31.50	..	1,31.50 (क)	1,51.50	(-) 13.20
योग - 05	2,30,95.82 33.68	..	2,31,29.50	2,08,12.50	(+) 11.13
80. सामान्य					
003. प्रशिक्षण	35,57.14	21,41.51	56,98.65	48,88.33	(+) 16.58
004. अनुसंधान	7,25.83	9.35	7,35.18	6,92.14	(+) 6.22
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,28.69	5,46.03	8,74.72	8,68.49	(+) 0.72
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,89.69	3,94.71	5,84.40	5,70.22	(+) 2.49
800. अन्य व्यय	74.08	..	74.08	65.38	(+) 13.31
योग - 80	48,75.43	30,91.60	79,67.03	70,84.56	(+) 12.46
योग- 2202	2,21,49,65.89 43,30.80	40,95,94.65	2,62,88,91.34	2,41,06,47.35	(+) 9.05
2203. तकनीकी शिक्षा					
001. निदेशन तथा प्रशासन	13,84.62	..	13,84.62	13,82.61	(+) 0.15
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता	14,75.44	..	14,75.44	4,50.00	(+) 227.88

(क) राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी को अनुदान।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति - (क्रमशः)					
2203. तकनीकी शिक्षा - (समाप्त)					
105. बहुशिल्प (पॉलीटेक्निक) विद्यालय	32.48 1,36,22.35	26.95	1,36,81.78	1,54,52.11	(-) 11.46
107. छात्रवृत्तियां	2,96.21	..	2,96.21	1,93.46	(+) 53.11
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	24.28	5.52	29.80	2,04.76	(-) 85.45
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	53.61	3.99	57.60	1,17.01	(-) 50.77
800. अन्य व्यय	9,30.00	(-) 100.00
योग - 2203	32.48 1,68,56.51	36.46	1,69,25.45	1,87,29.95	(-) 9.63
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं					
101. व्यायाम शिक्षा	23,20.29	..	23,20.29	20,58.59	(+) 12.71
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम	36,14.80	..	36,14.80	38,41.62	(-) 5.90
104. खेल-कूद	39,55.81	..	39,55.81	36,52.50	(+) 8.30
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4,63.89	..	4,63.89	1,95.96	(+) 136.73
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	4,66.19	..	4,66.19	2,40.38	(+) 93.94
योग - 2204	1,08,20.98	..	1,08,20.98	99,89.05	(+) 8.33
2205. कला एवं संस्कृति					
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन	54,85.80	..	54,85.80	55,77.15	(-) 1.64
103. पुरातत्व विज्ञान	0.30 15,71.12	..	15,71.42	23,02.13	(-) 31.74

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति - (समाप्त)					
2205. कला एवं संस्कृति - (समाप्त)					
104. अभिलेखागार	6,01.69	10.24	6,11.93	5,88.10	(+) 4.05
105. सार्वजनिक पुस्तकालय	9,77.17	..	9,77.17	9,29.98	(+) 5.07
107. संग्रहालय	6,98.26	..	6,98.26	6,33.18	(+) 10.28
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,84.72	..	1,84.72	2,87.20	(-) 35.68
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	6,41.19	..	6,41.19	1,36.45	(+) 369.91
	0.30				
योग - 2205	1,01,59.95	10.24	1,01,70.49	1,04,54.19	(-) 2.71
	43,63.58				
योग - (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	2,25,28,03.33	40,96,41.35	2,66,68,08.26	2,44,98,20.54	(+) 8.86
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य					
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी					
001. निदेशन तथा प्रशासन	17.55	..	35,86.55	33,84.99	(+) 5.95
	0.50				
102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना	1,12,25.10	..	1,12,25.60	97,26.69	(+) 15.41
110. अस्पताल तथा औषधालय	14,01,68.41	..	14,01,68.41	12,78,55.48	(+) 9.63
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	68,41.27	..	68,41.27	62,98.69	(+) 8.61
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	89,04.18	..	89,04.18	85,55.29	(+) 4.08

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण - (क्रमशः)					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - (क्रमशः)					
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - (समाप्त)					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	5,03.47	..	5,03.47	8,70.99	(-) 42.20
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	85,98.79	..	85,98.79	82,38.32	(+) 4.38
	18.05				
योग - 01	17,98,10.22	..	17,98,28.27	16,49,30.45	(+) 9.03
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां					
	4.33				
101. आयुर्वेद	1,54,00.64	2,08.86	1,56,13.83	1,38,27.53	(+) 12.92
102. होम्योपैथी	20,65.99	..	20,65.99	17,32.88	(+) 19.22
103. यूनानी	15,44.99	..	15,44.99	13,99.06	(+) 10.43
200. अन्य पद्धतियां	3,35.36	..	3,35.36	3,00.76	(+) 11.50
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	11,55.76	83.53	12,39.29	8,96.19	(+) 38.28
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	33,63.24	63.24	34,26.48	30,80.55	(+) 11.23
	4.33				
योग - 02	2,38,65.98	3,55.63	2,42,25.94	2,12,36.97	(+) 14.07
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी					
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	21,67.47	..	21,67.47	16,48.91	(+) 31.45
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	5,58,26.69	..	5,58,26.69	5,04,30.40	(+) 10.70
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	7,60,43.23	..	7,60,43.23	7,18,57.02	(+) 5.83

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण - (क्रमशः)					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - (क्रमशः)					
<i>03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - (समाप्त)</i>					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	22,55.41	..	22,55.41	19,88.63	(+) 13.42
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,93.01	..	2,93.01	1,79.81	(+) 62.96
योग - 03	13,65,85.81	..	13,65,85.81	12,61,04.77	(+) 8.31
<i>04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां</i>					
101. आयुर्वेद	4,46,30.39	..	4,46,30.39	4,05,70.27	(+) 10.01
102. होम्योपैथी	7,94.24	..	7,94.24	8,33.89	(-) 4.75
103. यूनानी	7,28.09	..	7,28.09	6,92.33	(+) 5.17
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	10,00.00	15,00.00	25,00.00	12,00.00	(+) 108.33
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	14,83.74	10,80.00	25,63.74	14,78.19	(+) 73.44
800. अन्य व्यय	17,78.45	26,67.67	44,46.12 (क)	16,87.92	(+) 163.41
योग - 04	5,04,14.91	52,47.67	5,56,62.58	4,64,62.60	(+) 19.80
<i>05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</i>					
001. निदेशन तथा प्रशासन	3,13.86	..	3,13.86	2,88.34	(+) 8.85
105. एलोपैथी	10.74 7,36,88.41	..	7,36,99.15	6,22,77.30	(+) 18.34

(क) व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण - (क्रमशः)					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - (क्रमशः)					
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - (समाप्त)					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,29,28.04	..	1,29,28.04	1,17,81.17	(+) 9.73
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	50,80.91	..	50,80.91	78,65.43	(-) 35.40
800. अन्य व्यय	95,15.87	..	95,15.87 (क)	73,02.24	(+) 30.31
	10.74				
योग - 05	10,15,27.09	..	10,15,37.83	8,95,14.48	(+) 13.43
06. लोक स्वास्थ्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	4,35.18	..	4,35.18	3,88.81	(+) 11.93
003. प्रशिक्षण	2,53.23	..	2,53.23	2,31.42	(+) 9.42
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण	2,12,00.21	..	2,12,00.21	1,86,40.46	(+) 13.73
102. खाद्य अपमिश्रण का निवारण	1,44.47	..	1,44.47	1,56.22	(-) 7.52
104. औषध नियंत्रण	16,44.68	..	16,44.68	21,20.58	(-) 22.44
107. लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	4,22.26	..	4,22.26	3,17.47	(+) 33.01
112. लोक स्वास्थ्य शिक्षा	2.00	..	2.00	9.99	(-) 79.98
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	3,80,49.99	..	3,80,49.99	1,46,25.00	(+) 160.17
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	85,25.13	..	85,25.13	80,00.33	(+) 6.56

(क) निःशुल्क जांच योजना (₹ 63,38.56 लाख) एवं निःशुल्क दवा योजना (₹ 31,77.31 लाख) पर व्यय ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण - (क्रमशः)					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - (क्रमशः)					
06. लोक स्वास्थ्य - (समाप्त)					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,79,99.04	..	2,79,99.04	1,46,93.99	(+) 90.55
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,17,94.55	..	2,17,94.55	1,19,42.88	(+) 82.49
800. अन्य व्यय	5,13,85.64	..	5,13,85.64 (क)	2,59,91.00	(+) 97.71
योग - 06	17,18,56.38	..	17,18,56.38	9,71,18.15	(+) 76.96
योग - 2210	66,40,60.39	33.12 56,03.30	66,96,96.81	54,53,67.42	(+) 22.80
2211. परिवार कल्याण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	3,41.16	4,78.12	8,19.28	6,67.36	(+) 22.76
003. प्रशिक्षण	8,53.03	14,09.56	22,62.59	20,26.59	(+) 11.65
102. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	8,70.51	14,21.12	22,91.63	20,41.15	(+) 12.27
104. परिवहन	49.94 49.88	..	99.82	89.09	(+) 12.04
105. क्षतिपूर्ति	18,43.23	..	18,43.23	1,26,53.04	(-) 85.43
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	15,33.14	22,42.66	37,75.80	34,01.10	(+) 11.02
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	2,22,39.68	2,89,48.33	5,11,88.01	4,65,00.03	(+) 10.08

(क) व्यय जन स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण - (समाप्त)					
2211. परिवार कल्याण - (समाप्त)					
200. अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां	..	7,97.61	7,97.61	11,39.91	(-) 30.03
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,90,64.62	1,98,31.96	3,88,96.58	3,11,31.90	(+) 24.94
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,44,42.91	1,51,20.75	2,95,63.66	2,40,77.96	(+) 22.78
800. अन्य व्यय	6,18,52.67	7,11,24.79	13,29,77.46 (क)	10,46,87.81	(+) 27.02
	49.94				
योग - 2211	12,30,90.83	14,13,74.90	26,45,15.67	22,84,15.94	(+) 15.80
	83.06				
योग-(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	78,71,51.22	14,69,78.20	93,42,12.48	77,37,83.36	(+) 20.73
2215. जलपूर्ति तथा सफाई					
01. जलपूर्ति					
003. प्रशिक्षण	1,44.93	..	1,44.93	1,36.82	(+) 5.93
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम	14,71,93.38	..	14,71,93.38	13,05,82.71	(+) 12.72
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	12,37,00.45	..	12,37,00.45	10,37,87.44	(+) 19.19
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	(-) 0.10	(-) 100.00
योग - 01	27,10,38.76	..	27,10,38.76	23,45,06.87	(+) 15.58

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर व्यय ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास					
2215. जलपूर्ति तथा सफाई - (समाप्त)					
<i>02. मल-जल तथा सफाई</i>					
001. निदेशन तथा प्रशासन	2,87,35.46	1,40.38	2,88,75.84	2,72,07.22	(+) 6.13
005. सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल	1,19.26	71.18	1,90.44	1,73.27	(+) 9.91
107. मल-जल सेवाएं	1,41.27	..	1,41.27	1,34.79	(+) 4.81
192. नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता	4,40.07	..	4,40.07	4,40.85	(-) 0.18
योग -02	2,94,36.06	1,40.38	2,96,47.62	2,79,56.13	(+) 6.05
योग - 2215	30,04,74.82	1,40.38	30,06,86.38	26,24,63.00	(+) 14.56
2216. आवास					
<i>02. शहरी आवास</i>					
001. निदेशन तथा प्रशासन	0.01	..	0.01	23.92	(-) 99.96
योग - 02	0.01	..	0.01	23.92	(-) 99.96
<i>05. सामान्य पूल आवास</i>					
053. रखरखाव एवं मरम्मत	53,99.69	..	53,99.69	80,94.29	(-) 33.29

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः)					
2216. आवास - (समाप्त)					
05. सामान्य पूल आवास - (समाप्त)					
800. अन्य व्यय	1,94.25	..	1,94.25 (क)	7,21.42	(-) 73.07
योग - 05	55,93.94	..	55,93.94	88,15.71	(-) 36.55
योग - 2216	55,93.94 0.01	..	55,93.95	88,39.63	(-) 36.72
2217. शहरी विकास					
05. अन्य शहरी विकास योजना					
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	67,96.28	..	67,96.28	45,19.39	(+) 50.38
800. अन्य व्यय	..	2,05,00.00	2,05,00.00 (ख)	7,20,80.00	(-) 71.56
योग - 05	67,96.28	2,05,00.00	2,72,96.28	7,65,99.39	(-) 64.36
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	12,99.69	..	12,99.69	17,35.10	(-) 25.09
191. नगर निगमों को सहायता	13,46,56.40	67,29.33	14,13,85.73	13,64,80.78	(+) 3.59

(क) इसमें मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के बंगलों I से VI टाइप के रख रखाव तथा उपकरणों पर व्यय सम्मिलित है।

(ख) अजमेर, जयपुर, उदयपुर तथा कोटा स्मार्ट सिटी से सम्बन्धित व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (समाप्त)					
2217. शहरी विकास - (समाप्त)					
80. सामान्य - (समाप्त)					
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	21,04,27.76	1,34,05.10	22,38,32.86	24,65,49.10	(-) 9.21
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	24.77	..	24.77	23.77	(+) 4.21
800. अन्य व्यय	2,70,23.92	..	2,70,23.92	79,35.21 (क)	(+) 240.56
902. घटाईये-राजस्थान शहरी विकास निधि से राशि की पूर्ति	(-) 42,00.00	..	(-) 42,00.00
योग - 80	36,92,32.54	2,01,34.43	38,93,66.97	39,27,23.96	(-) 0.85
योग - 2217	37,60,28.82	4,06,34.43	41,66,63.25	46,93,23.35	(-) 11.22
योग-(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	68,20,97.58	4,07,05.61	72,29,43.58	74,06,25.98	(-) 2.39
(घ) सूचना तथा प्रसारण					
2220. सूचना तथा प्रचार					
60. अन्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	57,02.84	..	57,02.84	52,21.65	(+) 9.22
102. सूचना केन्द्र	4,64.54	..	4,64.54	4,24.27	(+) 9.49
106. क्षेत्र प्रचार	7,20.85	..	7,20.98	6,99.13	(+) 3.13

(क) इसमें नगर तथा देशी आयोजना संगठन (₹ 12,40.01 लाख), राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (₹ 2,53,99.62 लाख) एवं मास्टर प्लान तथा अन्य योजनाएं (₹ 3,84.29 लाख) पर व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(घ) सूचना तथा प्रसारण - (समाप्त)					
2220. सूचना तथा प्रचार - (समाप्त)					
60. अन्य - (समाप्त)					
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	32.37	..	32.37	33.41	(-) 3.11
	0.13				
योग - 60	69,20.60	..	69,20.73	63,78.46	(+) 8.50
	0.13				
योग - 2220	69,20.60	..	69,20.73	63,78.46	(+) 8.50
	0.13				
योग - (घ) सूचना तथा प्रसारण	69,20.60	..	69,20.73	63,78.46	(+) 8.50
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण					
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण					
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण					
	7.36				
001. निदेशन तथा प्रशासन	14,79.20	..	14,86.56	13,13.93	(+) 13.14
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	1,86,37.02	16,42.69	2,02,79.71	1,77,21.57	(+) 14.44
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	93,53.80	2,05,69.35	2,99,23.15	2,90,92.10	(+) 2.86
793. अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	..	59,85.66	59,85.66	12,43.93	(+) 381.19
	7.36				
योग - 01	2,94,70.02	2,81,97.70	5,76,75.08	4,93,71.53	(+) 16.82

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-(क्रमशः)					
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-(क्रमशः)					
<i>02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>					
196.	जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	71,30.05	2,25.20	73,55.25	62,00.17 (+) 18.63
796.	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,08,94.86	2,27,37.25	4,36,32.11	3,32,13.74 (+) 31.37
योग - 02		2,80,24.91	2,29,62.45	5,09,87.36	3,94,13.91 (+) 29.36
<i>03. पिछड़े वर्गों का कल्याण</i>					
190.	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	2,66.25	..	2,66.25	2,61.01 (+) 2.01
196.	जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	1,32,11.35	..	1,32,11.35	1,14,20.92 (+) 15.68
277.	शिक्षा	17,27.80	67,42.39	84,70.19	76,04.49 (+) 11.38
800.	अन्य व्यय	92.43	..	92.43	72.28 (+) 27.88
योग - 03		1,52,97.83	67,42.39	2,20,40.22	1,93,58.70 (+) 13.85
<i>04. अल्पसंख्यकों का कल्याण</i>					
001.	निर्देशन तथा प्रशासन	9,96.17	..	9,96.17	8,49.89 (+) 17.21
102.	आर्थिक विकास	2,00.00	7.19	2,07.19	2,31.68 (-) 10.57
190.	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	2,60.00	..	2,60.00	2,52.00 (+) 3.17
277.	शिक्षा	3,29.18	10.15	3,39.33	2,76.08 (+) 22.91

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण - (समाप्त)					
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण - (समाप्त)					
<i>04. अल्पसंख्यकों का कल्याण- (समाप्त)</i>					
800. अन्य व्यय	2,83.54	..	2,83.54 (क)	2,70.76	(+) 4.72
योग - 04	20,68.89	17.34	20,86.23	18,80.41	(+) 10.95
<i>80. सामान्य</i>					
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	10.00	..	10.00	20.00	(-) 50.00
योग - 80	10.00	..	10.00	20.00	(-) 50.00
योग - 2225	7,48,71.65	5,79,19.88	13,27,98.89	11,00,44.55	(+) 20.68
योग - (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	7,48,71.65	5,79,19.88	13,27,98.89	11,00,44.55	(+) 20.68
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण					
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास					
<i>01. श्रम</i>					
001. निदेशन तथा प्रशासन	4,50.01	..	4,50.01	4,15.88	(+) 8.21
101. औद्योगिक सम्बन्ध	20,75.17	..	20,76.43	20,23.74	(+) 2.60

(क) इसमें राजस्थान वकफ बोर्ड, वकफ विकास परिषद तथा हज कमेटी से सम्बन्धित अनुदान तथा व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण - (क्रमशः)					
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास - (क्रमशः)					
01. श्रम - (समाप्त)					
102. कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा	8,16.81	..	8,16.81	7,52.33	(+) 8.57
103. सामान्य श्रम कल्याण	3,42,71.82	70.85	3,43,42.67 (क)	3,22,69.73	(+) 6.42
112. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	2,78.10	18.40	2,96.50
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	0.57	0.57
796. जन जातीय क्षेत्र उप-योजना	20.78	6,39.29	6,60.07	28.81	(+) 2191.11
	1.26				
योग - 01	3,79,12.69	7,29.11	3,86,43.06	3,54,90.49	(+) 8.88
02. रोजगार सेवाएं					
001. निदेशन तथा प्रशासन	4,16.56	..	4,16.56	3,58.73	(+) 16.12
101. रोजगार सेवाएं	16,41.87	58.40	17,00.27	15,33.29	(+) 10.89
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,36.40	..	3,36.40	3,54.91	(-) 5.22
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,07.11	0.50	2,07.61	2,27.73	(-) 8.84
800. अन्य व्यय	19,18.14	..	19,18.14 (ख)	13,89.77	(+) 38.02
	6.06				
योग - 02	45,20.08	58.90	45,78.98	38,64.43	(+) 18.49
03. प्रशिक्षण					
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	1,01,79.40	51.51	1,02,36.97	92,19.01	(+) 11.04

(क) इसमें राजस्थान भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के निजी निक्षेप खाते में स्थानान्तरित ₹ 3,42,68.95 लाख सम्मिलित है।

(ख) इसमें राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना-2012 (₹ 19,12.64 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण - (समाप्त)					
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास - (समाप्त)					
03. प्रशिक्षण- (समाप्त)					
101. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	1,74.65	36.81	2,11.46	1,88.70	(+) 12.06
102. प्रशिक्षु प्रशिक्षण	3,47.29	..	3,47.29	2,96.52	(+) 17.12
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,36.46	..	1,36.46	18.29	(+) 646.09
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	4,66.95	..	4,66.95	3,97.30	(+) 17.53
800. अन्य व्यय	2,50.00	..	2,50.00 (क)
योग - 03	6.06 1,15,54.75	88.32	1,16,49.13	1,01,19.82	(+) 15.11
योग - 2230	7.32 5,39,87.52	8,76.33	5,48,71.17	4,94,74.74	(+) 10.91
योग - (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण	7.32 5,39,87.52	8,76.33	5,48,71.17	4,94,74.74	(+) 10.91
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण					
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण					
02. समाज कल्याण					
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	42.74 25,43.48	..	25,86.22	20,97.23	(+) 23.32
102. बाल कल्याण	20,05.27	24,00.00	44,05.27	43,84.04	(+) 0.48

(क) राजस्थान आई.एल.डी. स्किल विश्वविद्यालय को अनुदान ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण - (क्रमशः)					
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण - (क्रमशः)					
02. समाज कल्याण- (समाप्त)					
103. महिला कल्याण	16,04.67	97.54	17,02.21	13,49.12	(+) 26.17
104. वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण	22,20.67	..	22,20.67	15,66.64	(+) 41.75
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	5,58.50	..	5,58.50	7,07.00	(-) 21.00
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	4,13,90.28	20,85.64	4,34,75.92	2,55,40.20	(+) 70.23
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	4,25.84	..	4,25.84
200. अन्य कार्यक्रम	39,81.51	..	39,81.51	55,79.75	(-) 28.64
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,58.73	..	1,58.73	1,45.69	(+) 8.95
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	79.53	..	79.53	72.35	(+) 9.92
	42.74				
योग - 02	5,49,68.48	45,83.18	5,95,94.40	4,14,42.02	(+) 43.80
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम					
102. समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन	87.27	..	87.27	85.41	(+) 2.18
104. जन-सम्बद्ध बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधि	0.22				
	31,26.01	..	31,26.23	30,67.13	(+) 1.93
107. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना	12,08.65	..	12,08.65 (क)	13,34.58	(-) 9.44

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित पेंशनरों की संख्या कोष्ठक में दिखायी गयी है : स्वतन्त्रता सैनिकी- केन्द्र (79) तथा राज्य (409)।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण - (क्रमशः)					
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण - (समाप्त)					
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम- (समाप्त)					
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	37,57,19.28	3,00,45.62	40,57,64.90 (क)	38,69,22.01	(+) 4.87
200. अन्य कार्यक्रम	51,52.69	..	51,52.69 (ख)	44,83.70	(+) 14.92
800. अन्य व्यय	47,47.36	..	47,47.36 (ग)	53,33.58	(-) 10.99
योग - 60	0.22 39,00,41.26	3,00,45.62	42,00,87.10	40,12,26.41	(+) 4.70
योग - 2235	42.96 44,50,09.74	3,46,28.80	47,96,81.50	44,26,68.43	(+) 8.36
2236. पोषण					
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण					
101. विशेष पोषण कार्यक्रम	9.84 1,79,25.64	11.83 1,94,86.85	3,74,34.16	3,44,47.20	(+) 8.67
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	4,54.75	6,81.56	11,36.31	10,29.67	(+) 10.36

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित पेंशनरों की संख्या जो कोष्ठक में दी गई है : वृद्धावस्था पेंशनर्स (47,52,928), विधवा (10,68,923) तथा विकलांग (4,18,260)।

(ख) इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन हेतु ₹ 16,15.52 लाख सम्मिलित है।

(ग) 01.04.2004 को तथा बाद में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिये मेडिकलेम (₹ 19,13.83 लाख), नयी अंशदायी पेंशन योजना (₹ 12,05.79 लाख) तथा मीसा/ डी.आई.आर. कैदियों को पेंशन (₹ 16,27.74 लाख) पर व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण - (क्रमशः)					
2236. पोषण - (समाप्त)					
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण - (समाप्त)					
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	4,48,23.65	2,39,67.85	6,87,91.50	6,60,69.97	(+) 4.12
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,52,24.93	1,52,25.85	3,04,50.78	3,04,64.44	(-) 0.04
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	47,58.96	47,66.81	95,25.77	96,42.97	(-) 1.22
योग - 02	9.84 8,31,87.93	11.83 6,41,28.92	14,73,38.52	14,16,54.25	(+) 4.01
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	4,47.87	..	4,47.87	4,27.22	(+) 4.83
योग - 80	4,47.87	..	4,47.87	4,27.22	(+) 4.83
योग - 2236	9.84 8,36,35.80	11.83 6,41,28.92	14,77,86.39	14,20,81.47	(+) 4.02
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत					
01. सूखा					
101. आनुग्रहिक राहत	(-) 0.71	..	(-) 0.71 (क)	3.50	(-) 120.29
102. पीने के पानी की पूर्ति	73.21	..	73.21	20,81.53	(-) 96.48
104. चारे की पूर्ति	1,31,84.47	..	1,31,84.47	1,28,07.40	(+) 2.94

(क) ऋण व्यय, गत वर्ष की अवशेष राशि जमा कराने के कारण है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण - (क्रमशः)					
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत - (क्रमशः)					
01. सूखा- (समाप्त)					
800. अन्य व्यय	11,58,76.26	..	11,58,76.26 (क)	17,65,31.66	(-) 34.36
योग - 01	12,91,33.23	..	12,91,33.23	19,14,24.09	(-) 32.54
02. बाढ़, चक्रवात आदि					
101. आनुग्रहिक राहत	5,88.21	..	5,88.21	8.78	(+) 6599.43
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	79,99.56	..	79,99.56	69,49.42	(+) 15.11
111. शोकार्त परिवारों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी	2,45.50	..	2,45.50	3,16.00	(-) 22.31
113. घर की मरम्मत / पुनर्निर्माण के लिए सहायता	29,28.08	..	29,28.08	3,72.24	(+) 686.61
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता	3,93,69.51	..	3,93,69.51	60,50.25	(+) 550.71
117. पशुधन के क्रय हेतु किसानों को सहायता	5,28.49	..	5,28.49	12.08	(+) 4274.92
122. खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण-कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	2,59.01	..	2,59.01	3,00.77	(-) 13.88
योग - 02	5,19,18.36	..	5,19,18.36	1,40,09.54	(+) 270.59

(क) अग्नि सहायता (₹ 7,41.53 लाख), सर्च रेस्क्यू तथा संचार डिवाइस तथा उपकरणों का क्रय (₹ 63.11 लाख), कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लीज फसलों के लिये लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि आदान अनुदान (₹ 4,11,36.82 लाख), लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न के लिये कृषि आदान अनुदान (₹ 7,32,82.90 लाख), प्रशिक्षण (₹ 3,02.54 लाख), आपातकालीन संचालन केन्द्रों की स्थापना/सुदृढीकरण (₹ 3,41.93 लाख) तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सुदृढीकरण (₹ 7.43 लाख) पर व्यय ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण-(समाप्त)					
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-(समाप्त)					
05. राज्य आपदा मोचन निधि					
101. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि	15,17,65.00	..	15,17,65.00 (क)	21,48,82.00	(-) 29.37
901. घटाइये - राज्य आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि	(-) 18,10,51.59	..	(-) 18,10,51.59	(-) 20,54,33.63	(-) 11.87
योग - 05	(-) 2,92,86.59	..	(-) 2,92,86.59	94,48.37	(-) 409.96
80. सामान्य					
800. अन्य व्यय	7.21 7,28.69	12.12	7,48.02 (ख)	6,71.53	(+) 11.39
योग - 80	7.21 7,28.69	12.12	7,48.02	6,71.53	(+) 11.39
योग - 2245	7.21 15,24,93.69	12.12	15,25,13.02	21,55,53.53	(-) 29.25
योग - (छ) समाज कल्याण तथा पोषण	60.01 68,11,39.23	11.83 9,87,69.84	77,99,80.91	80,03,03.43	(-) 2.54

(क) शीर्ष "8121-122 राज्य आपदा मोचन निधि" को अंतरण। यद्यपि, भारत सरकार से प्राप्त राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के पेटे ₹ 3,06,12.00 लाख की द्वितीय किश्त लोक लेखे के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121-122 को हस्तांतरित नहीं की गयी।

(ख) निदेशन तथा प्रशासन (₹ 7,10.90 लाख), अन्य सहायता (₹ 2.57 लाख), राजस्थान सहायता निधि (₹ 25.00 लाख) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ट्रिब्यूनल की सुदृढीकरण योजना (₹ 9.55 लाख) पर व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं-(समाप्त)					
(ज) अन्य					
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं					
101. धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान	20.00	..	20.00	15.37	(+) 30.12
102. धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन	16,10.25	..	16,10.25	14,39.02	(+) 11.90
103. पवित्र स्थानों, मन्दिरों आदि का रख-रखाव	31.92	..	31.92	35.53	(-) 10.16
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4,00.49	..	4,00.49
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	4,26.66	..	4,26.66	4,58.56	(-) 6.96
800. अन्य व्यय	28,97.01	..	28,97.01 (क)	25,79.84	(+) 12.29
योग -2250	53,86.33	..	53,86.33	45,28.32	(+) 18.95
2251. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं					
090. सचिवालय	24,84.71	..	24,84.71	22,08.81	(+) 12.49
योग - 2251	24,84.71	..	24,84.71	22,08.81	(+) 12.49
योग -(ज) अन्य	78,71.04	..	78,71.04	67,37.13	(+) 16.83
योग - ख. सामाजिक सेवाएं	46,61.85 4,54,68,42.17	11.83 75,48,91.21	5,30,64,07.06	4,93,71,68.19	(+) 7.48

(क) इसमें वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना (₹ 23,32.84 लाख), कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना (₹ 74.90 लाख) तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए सहायता (₹ 4,84.27 लाख) पर व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप					
2401. फसल कृषि-कर्म					
001. निदेशन तथा प्रशासन	35.18 32,34.52	..	32,69.70	29,99.83	(+) 9.00
102. खाद्यान्न फसलें	56.13	84.20	1,40.33	2,25.71	(-) 37.83
103. बीज	11,58.59	..	11,58.59	3,95.72	(+) 192.78
105. खाद तथा उर्वरक	12,81.82	..	12,81.82	12,17.69	(+) 5.27
107. वनस्पति रक्षण	8,85.10	..	8,85.10	7,44.08	(+) 18.95
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण	67,24.14	7,44.76	74,68.90	55,33.44	(+) 34.98
110. फसल बीमा	5,62,54.03	..	5,62,54.03	6,65,84.51	(-) 15.51
111. कृषि अर्थ-व्यवस्था तथा सांख्यिकी	..	3,90.11	3,90.11	3,57.70	(+) 9.06
114. तिलहन विकास	6,09.48	9,14.22	15,23.70	19,12.88	(-) 20.35
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें	1,76,00.63	91,50.43	2,67,51.06	2,99,66.52	(-) 10.73
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	2,27,15.97	2,34,94.59	4,62,10.56	3,27,57.34	(+) 41.07
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	2,70,58.42	..	2,70,58.42	2,65,41.86	(+) 1.95
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,97,26.11	47,13.44	2,44,39.55	3,56,46.52	(-) 31.44
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,57,24.45	37,56.21	1,94,80.66	2,35,52.35	(-) 17.29
800. अन्य व्यय	2,28,69.74	1,75,52.92	4,04,22.66 (क)	3,71,52.69	(+) 8.80
योग - 2401	35.18 19,58,99.13	6,08,00.88	25,67,35.19	26,55,88.84	(-) 3.33

(क) कृषि भवनों का विकास तथा पुर्नरुद्धार (₹ 40.00 लाख), मिशन फॉर लिवलीहुड (₹ 41,66.16 लाख), राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (₹ 2,07,20.59 लाख), राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना (₹ 93,42.81 लाख), राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन (₹ 4,07.09 लाख) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (₹ 57,46.01 लाख) पर व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप- (क्रमशः)					
2402. मृदा तथा जल संरक्षण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	5,84.93	..	5,84.93	4,77.58	(+) 22.48
102. मृदा-संरक्षण	21,06.49	..	21,06.49	31,16.13	(-) 32.40
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	24,87.57	..	24,87.57	15,25.94	(+) 63.02
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4,72.00	..	4,72.00	6,76.98	(-) 30.28
796. जनजाति क्षेत्र उप-योजना	5,74.10	..	5,74.10	6,64.06	(-) 13.55
योग - 2402	62,25.09	..	62,25.09	64,60.69	(-) 3.65
2403. पशुपालन					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,07,57.20	3.76	1,07,60.96	95,27.61	(+) 12.95
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	5,15,66.06	5,98.89	5,21,64.95	4,26,36.46	(+) 22.35
102. पशु तथा भैंस विकास	1,47,53.37	2,41.11	1,49,94.48	74,33.40	(+) 101.72
107. चारा तथा चारागाह विकास	2.79	4.35	7.14
108. पशुधन तथा मुर्गी बीमा	1,55.00	1,55.00	3,10.00	1,00.00	(+) 210.00
109. विस्तार तथा प्रशिक्षण	5,59.42	78.98	6,38.40	4,26.67	(+) 49.62
113. प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी	2,29.81	1,68.80	3,98.61	3,76.66	(+) 5.83
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	70,91.15	10,71.97	81,63.12	70,75.18	(+) 15.38
796. जनजातीय क्षेत्र उप योजना	1,17,69.47	5,22.77	1,22,92.24	89,26.14	(+) 37.71
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण	1,73,68.00	..	1,73,68.00	1,03,83.63	(+) 67.26

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप -(क्रमशः)					
2403. पशुपालन-(समाप्त)					
902. घटाईये-राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि से प्रतिपूर्ति	(-) 1,73,54.55	..	(-) 1,73,54.55	(-) 92,21.77	(+) 88.19
योग - 2403	9,68,97.72	28,45.63	9,97,43.35	7,76,63.98	(+) 28.43
2404. डेयरी विकास					
195. सहकारी समितियों को सहायता	..	1,77.45	1,77.45
योग - 2404	..	1,77.45	1,77.45
2405. मछली पालन					
001. निदेशन तथा प्रशासन	11,24.22	..	11,24.22	10,85.81	(+) 3.54
101. अन्तर्देशीय मछली पालन	15.49	..	15.49	52.24	(-) 70.35
109. विस्तार तथा प्रशिक्षण	1.75	..	1.75	8.80	(-) 80.11
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	3.28	..	3.28	9.47	(-) 65.36
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	65.82	0.04	65.86	81.53	(-) 19.22
800. अन्य व्यय	0.16	..	0.16	1.14	(-) 85.96
योग - 2405	12,10.72	0.04	12,10.76	12,38.99	(-) 2.28
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी					
<i>01. वानिकी</i>					
001. निदेशन तथा प्रशासन	57.12 4,64,95.95	..	4,65,53.07	4,49,78.09	(+) 3.50

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप -(क्रमशः)					
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी-(समाप्त)					
01. वानिकी -(समाप्त)					
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण	33,65.01	31.73	33,96.74	32,92.80	(+) 3.16
102. समाज तथा फार्म वानिकी	70,47.12	95.51	71,42.63	1,21,99.76	(-) 41.45
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	12,00.78	..	12,00.78	15,50.00	(-) 22.53
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	20,23.73	25.50	20,49.23	40,32.21	(-) 49.18
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	27,64.25	18.90	27,83.15	37,20.60	(-) 25.20
योग - 01	57.12 6,28,96.84	1,71.64	6,31,25.60	6,97,73.46	(-) 9.53
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव					
110. वन्य जीव परिरक्षण	60,08.32	7,74.56	67,82.88	77,20.39	(-) 12.14
111. चिड़ियाघर	1,00.00	..	1,00.00	1,72.14	(-) 41.91
112. सार्वजनिक उद्यान	16,55.40	..	16,55.40	17,26.98	(-) 4.14
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	5.65	..	5.65	12.66	(-) 55.37
योग - 02	77,69.37	7,74.56	85,43.93	96,32.17	(-) 11.30
योग - 2406	57.12 7,06,66.21	9,46.20	7,16,69.53	7,94,05.63	(-) 9.74

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप -(क्रमशः)					
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा					
01. फसल कृषि-कर्म					
004. अनुसंधान	17,64.33	..	17,64.33	17,47.96	(+) 0.94
277. शिक्षा	2,07,80.36	..	2,07,80.36	1,89,56.74	(+) 9.62
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,16.02	..	3,16.02	3,01.08	(+) 4.96
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	9,75.67	..	9,75.67	7,20.20	(+) 35.47
योग - 01	2,38,36.38	..	2,38,36.38	2,17,25.98	(+) 9.71
03. पशु-पालन					
120. अन्य संस्थाओं को सहायता	1,06.31	..	1,06.31	97.15	(+) 9.43
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	28.27	..	28.27	25.22	(+) 12.09
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	21.00	..	21.00	19.07	(+) 10.12
योग - 03	1,55.58	..	1,55.58	1,41.44	(+) 10.00
योग - 2415	2,39,91.96	..	2,39,91.96	2,18,67.42	(+) 9.72
2425. सहकारिता					
001. निदेशन तथा प्रशासन	47,56.52	2.26 ..	47,58.78	47,38.41	(+) 0.43
003. प्रशिक्षण	1,38.76	..	1,38.76	1,84.50	(-) 24.79

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप -(समाप्त)					
2425. सहकारिता-(समाप्त)					
101. सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा	19,70.87	..	19,70.87	18,56.04	(+) 6.19
105. सूचना एवं प्रचार	90.18	..	90.18	77.40	(+) 16.51
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता	1,33,21.98	..	1,33,21.98	1,57,30.15	(-) 15.31
108. अन्य सहकारी समितियों को सहायता	1,00.34	3,70.91	4,71.25	5,95.12	(-) 20.81
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	47,23.78	..	47,23.78	67,86.10	(-) 30.39
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	43,29.63	1,97.55	45,27.18	64,07.85	(-) 29.35
800. अन्य व्यय	2,06,15.00	..	2,06,15.00 (क)	2,44,89.00	(-) 15.82
	2.26				
योग - 2425	5,00,47.06	5,68.46	5,06,17.78	6,08,64.57	(-) 16.84
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम					
<i>01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण</i>					
001. निदेशन तथा प्रशासन	8,63.49	..	8,63.49	7,68.70	(+) 12.33
102. श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं	1,20.98	..	1,20.98	1,37.71	(-) 12.15
योग - 2435	9,84.47	..	9,84.47	9,06.41	(+) 8.61
	94.56				
योग - (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	44,59,22.36	6,53,38.66	51,13,55.58	51,39,96.53	(-) 0.51

(क) व्यय सहकारी समितियों के अच्छे देनदारों/लेनदारों को ब्याज अनुदान से संबंधित हैं ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
<i>(ख) ग्राम विकास</i>					
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम					
<i>05. बंजर भूमि विकास</i>					
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	5,65,48.07 (क)	2,36,87.00	8,02,35.07	9,03,07.65	(-) 11.15
902. घटाइये -जल संरक्षण उपकर निधि से राशि की प्रतिपूर्ति	(-) 1,50,91.99	..	(-) 1,50,91.99	(-) 1,50,76.37	(+) 0.10
योग - 05	4,14,56.08	2,36,87.00	6,51,43.08	7,52,31.28	(-) 13.41
<i>06. स्वरोजगार कार्यक्रम</i>					
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	1,00,38.16	1,70,29.00	2,70,67.16	82,58.41	(+) 227.75
योग - 06	1,00,38.16	1,70,29.00	2,70,67.16	82,58.41	(+) 227.75
योग - 2501	5,14,94.24	4,07,16.00	9,22,10.24	8,34,89.69	(+) 10.45
2505. ग्राम रोजगार					
<i>01. राष्ट्रीय कार्यक्रम</i>					
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	17,07,46.70	20,10,71.98	37,18,18.68	9,32,54.97	(+) 298.71
योग -01	17,07,46.70	20,10,71.98	37,18,18.68	9,32,54.97	(+) 298.71

(क) इसमें जल संरक्षण उपकर के पेटे जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को जारी ₹ 1,50,91.99 लाख सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः) (ख) ग्राम विकास -(क्रमशः)					
2505. ग्राम रोजगार-(समाप्त) <i>02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम</i>					
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	4,02,80.45	14,52,85.19	18,55,65.64	17,60,47.48	(+) 5.41
800. अन्य व्यय	14,20.00	(-) 100.00
योग - 02	4,02,80.45	14,52,85.19	18,55,65.64	17,74,67.48	(+) 4.56
<i>60. अन्य कार्यक्रम</i>					
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	10,50.00	(-) 100.00
योग -60	10,50.00	(-) 100.00
योग - 2505	21,10,27.15	34,63,57.17	55,73,84.32	27,17,72.45	(+) 105.09
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम					
001. निदेशन तथा प्रशासन	24,18.85	..	24,18.85	20,97.78	(+) 15.31
003. प्रशिक्षण	3,10.10	..	3,10.10	3,62.03	(-) 14.34
104. डी.आर.डी.ए. प्रशासन	5,97.39	..	5,97.39	5,44.72	(+) 9.67
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	12,63,50.66	9,81,93.33	22,45,43.99	18,94,71.70	(+) 18.51
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	14,98,95.96	..	14,98,95.96	13,50,16.35	(+) 11.02
198. ग्राम पंचायतों को सहायता	47,37,27.70	..	47,37,27.70	43,08,10.08	(+) 9.96

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(ख) ग्राम विकास -(समाप्त)					
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-(समाप्त)					
800. अन्य व्यय	0.16 4,04.80	..	4,04.96 (क)	4,16.80	(-) 2.84
योग - 2515	0.16 75,37,05.46	9,81,93.33	85,18,98.95	75,87,19.46	(+) 12.28
योग -(ख) ग्राम विकास	0.16 1,01,62,26.85	48,52,66.50	1,50,14,93.51	1,11,39,81.60	(+) 34.79
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम					
2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम					
01. डंग जिले					
101. डंग जिलों का विकास	52.76	..	52.76	45.26	(+) 16.57
योग - 01	52.76	..	52.76	45.26	(+) 16.57
02. पिछड़े क्षेत्र					
102. मेवात क्षेत्र का विकास	1.39	..	1.39	2.42	(-) 42.56
105. मगरा क्षेत्र का विकास	70.04	..	70.04	43.70	(+) 60.27
योग - 02	71.43	..	71.43	46.12	(+) 54.88

(क) पंचायत चुनाव (₹ 1,78.16 लाख), राज्य निर्वाचन आयोग (₹ 2,20.26 लाख) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 6.54 लाख) पर व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम -(समाप्त)					
2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-(समाप्त)					
06. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम					
800. अन्य व्यय	..	49.78	49.78	45.04	(+) 10.52
योग - 06	..	49.78	49.78	45.04	(+) 10.52
योग - 2575	1,24.19	49.78	1,73.97	1,36.42	(+) 27.53
योग- (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,24.19	49.78	1,73.97	1,36.42	(+) 27.53
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण					
2700. मुख्य सिंचाई					
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	29,66.13	..	29,66.13	27,28.95	(+) 8.69
052. मशीनरी तथा उपस्कर	6.81	..	6.81	5.73	(+) 18.85
101. रखरखाव एवं मरम्मत	36,39.94	..	36,39.94	20,33.38	(+) 79.01
799. उचन्त	12.92	..	12.92	18.95	(-) 31.82
800. अन्य व्यय	8,36.92	..	8,36.92 *	6,80.14	(+) 23.05
योग - 01	74,62.72	..	74,62.72	54,67.15	(+) 36.50

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण-(क्रमशः)					
2700. मुख्य सिंचाई-(क्रमशः)					
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	11,10.05 0.55	..	11,10.60	10,62.85	(+) 4.49
101. स्खरखाव एवं मरम्मत	11,46.13	..	11,46.13	14,95.72	(-) 23.37
800. अन्य व्यय	57,79.11	..	57,79.11 *	54,67.41	(+) 5.70
योग - 02	80,35.29 0.55	..	80,35.84	80,25.98	(+) 0.12
03. ब्यास परियोजना (वाणिज्यिक)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	74,45.47	..	74,45.47	70,97.32	(+) 4.91
101. स्खरखाव एवं मरम्मत	1,85.72	..	1,85.72	5,33.87	(-) 65.21
800. अन्य व्यय	15,84.73	..	15,84.73 *	15,84.73	..
योग - 03	92,15.92	..	92,15.92	92,15.92	..
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	70,04.92 5.02	..	70,09.94	65,87.63	(+) 6.41
052. मशीनरी एवं उपकरण	0.33	(-) 100.00
101. स्खरखाव एवं मरम्मत	50,61.62	..	50,61.62	50,32.84	(+) 0.57

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण-(क्रमशः)					
2700. मुख्य सिंचाई-(क्रमशः)					
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)-(समाप्त)					
800. अन्य व्यय	5,18,39.72	..	5,18,39.72 *	4,84,56.63	(+) 6.98
योग - 04	5.02 6,39,06.26	..	6,39,11.28	6,00,77.43	(+) 6.38
05. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब हिस्सा)(मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग (नहरें) पंजाब/मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से (वाणिज्यिक)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	5,21.20	..	5,21.20	11,27.20	(-) 53.76
101. रखरखाव एवं मरम्मत	2,46.25	..	2,46.25	55,36.74	(-) 95.55
800. अन्य व्यय	7,64.57	..	7,64.57 *	7,64.57	..
योग - 05	15,32.02	..	15,32.02	74,28.51	(-) 79.38
06. गुड़गाँव नहर (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	1,40.76	..	1,40.76	1,47.28	(-) 4.43
800. अन्य व्यय	4,62.77	..	4,62.77 *	4,62.77	..
योग - 06	6,03.53	..	6,03.53	6,10.05	(-) 1.07

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2700. मुख्य सिंचाई-(क्रमशः)					
07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	81.00	..	81.00 *	65.65	(+) 23.38
योग - 07	81.00	..	81.00	65.65	(+) 23.38
22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	2,86.63	..	2,86.63	2,99.81	(-) 4.40
800. अन्य व्यय	14,15.84	..	14,15.84 *	13,95.54	(+) 1.45
योग - 22	17,02.47	..	17,02.47	16,95.35	(+) 0.42
23. ओखला वेयर परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	2.00	..	2.00 *	2.00	..
योग - 23	2.00	..	2.00	2.00	..
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	2,49,55.06	..	2,49,55.06 *	2,34,13.15	(+) 6.59
योग - 24	2,49,55.06	..	2,49,55.06	2,34,13.15	(+) 6.59

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2700. मुख्य सिंचाई-(क्रमशः)					
25. नोहर फीडर परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	4,78.27	..	4,78.27	1,07.42	(+) 345.23
800. अन्य व्यय	6,14.49	..	6,14.49 *	6,14.49	..
योग - 25	10,92.76	..	10,92.76	7,21.91	(+) 51.37
26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	29.79	..	29.79	34.99	(-) 14.86
800. अन्य व्यय	25,63.21	..	25,63.21 *	25,54.37	(+) 0.35
योग - 26	25,93.00	..	25,93.00	25,89.36	(+) 0.14
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)					
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,03,07.20 ^{39.70}	..	1,03,46.90 (क)	1,03,89.58	(-) 0.41
योग - 27	1,03,07.20 ^{39.70}	..	1,03,46.90	1,03,89.58	(-) 0.41
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	12,13.65	..	12,13.65	10,28.65	(+) 17.98
800. अन्य व्यय	50,21.53	..	50,21.53 *	49,58.06	(+) 1.28
योग - 28	62,35.18	..	62,35.18	59,86.71	(+) 4.15

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

(क) इसमें पूंजी लेखे पर ब्याज का कल्पित समायोजन से संबंधित ₹ 87,90.95 लाख सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2700. मुख्य सिंचाई-(क्रमशः)					
29. इन्दिरा गांधी लिफ्ट योजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	3,66.20	..	3,66.20 *	3,66.20	..
योग - 29	3,66.20	..	3,66.20	3,66.20	..
31. गंग नहर (वाणिज्यिक)					
(मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	5,05.17	..	5,05.17	6,64.59	(-) 23.99
101. रखरखाव एवं मरम्मत	9,01.02	..	9,01.02	17,92.76	(-) 49.74
799. उर्ध्व	(-) 0.01	(-) 100.00
800. अन्य व्यय	66,15.45	..	66,15.45 *	64,66.14	(+) 2.31
योग - 31	80,21.64	..	80,21.64	89,23.48	(-) 10.11
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	1,02,67.45	..	1,02,67.45 *	35,54.17	(+) 188.88
योग - 32	1,02,67.45	..	1,02,67.45	35,54.17	(+) 188.88
33. काली सिन्ध परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	0.06	..	0.06 *	0.06	..
योग - 33	0.06	..	0.06	0.06	..

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2700. मुख्य सिंचाई -(समाप्त)					
34. परियोजना का पुर्नजीविकरण, उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	4,54.49	..	4,54.49 *	3,44.00	(+) 32.12
योग - 34	4,54.49	..	4,54.49	3,44.00	(+) 32.12
35. धोलपुर लिफ्ट					
800. अन्य व्यय	2,16.30	..	2,16.30 *
योग - 35	2,16.30	..	2,16.30
36. जयसमन्द ई आर एम					
800. अन्य व्यय	2.47	..	2.47 *
योग - 36	2.47	..	2.47
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	5,01.10	..	5,01.10	4,18.20	(+) 19.82
800. अन्य व्यय	6.75	..	6.75	7.50	(-) 10.00
योग - 80	5,07.85	..	5,07.85	4,25.70	(+) 19.30
योग -2700	15,75,60.87 45.27	..	15,76,06.14	14,93,02.36	(+) 5.56

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण - (क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई					
01. जवाई नहर (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	1,33.46	..	1,33.46	1,28.89	(+) 3.55
800. अन्य व्यय	69.74	..	69.74 *	69.74	..
योग - 01	2,03.20	..	2,03.20	1,98.63	(+) 2.30
02. मेजा परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	1,63.82	..	1,63.82	1,85.82	(-) 11.84
800. अन्य व्यय	4,54.37	..	4,54.37 *	4,54.37	..
योग - 02	6,18.19	..	6,18.19	6,40.19	(-) 3.44
03. पारबती परियोजना (धौलपुर) (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	4,89.30	..	4,89.30	3,97.83	(+) 22.99
800. अन्य व्यय	7,07.13	..	7,07.13 *	7,02.18	(+) 0.70
योग - 03	11,96.43	..	11,96.43	11,00.01	(+) 8.77
04. गुदा परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	78.02	..	78.02	87.16	(-) 10.49
800. अन्य व्यय	16.33	..	16.33 *	16.33	..
योग - 04	94.35	..	94.35	1,03.49	(-) 8.83

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः)					
05. मोरेल परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	1,71.87	..	1,71.87	82.10	(+) 109.34
800. अन्य व्यय	23.55	..	23.55 *	23.55	..
योग - 05	1,95.42	..	1,95.42	1,05.65	(+) 84.97
06. अलनिया परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	1,33.35	..	1,33.35	1,42.58	(-) 6.47
800. अन्य व्यय	19.51	..	19.51 *	19.51	..
योग - 06	1,52.86	..	1,52.86	1,62.09	(-) 5.69
07. पश्चिमी बनास परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	21.00	..	21.00	18.60	(+) 12.90
800. अन्य व्यय	6.70	..	6.70 *	6.70	..
योग - 07	27.70	..	27.70	25.30	(+) 9.49
08. वल्लभ नगर परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	24.73	..	24.73	40.26	(-) 38.57
800. अन्य व्यय	8.64	..	8.64 *	8.64	..
योग - 08	33.37	..	33.37	48.90	(-) 31.76

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः)					
09. बड़गाँव पाल परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	24.73	..	24.73	22.90	(+) 7.99
800. अन्य व्यय	7.60	..	7.60 *	7.60	..
योग - 09	32.33	..	32.33	30.50	(+) 6.00
10. ओराई सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	50.85	..	50.85	47.23	(+) 7.66
800. अन्य व्यय	6.34	..	6.34 *	6.34	..
योग - 10	57.19	..	57.19	53.57	(+) 6.76
11. जैतपुरा परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	18.22	..	18.22 *	18.22	..
योग - 11	18.22	..	18.22	18.22	..
12. गोपालपुरा परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	25.22	..	25.22 *	25.22	..
योग - 12	25.22	..	25.22	25.22	..
21. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	0.71	..	0.71 *	0.71	..
योग - 21	0.71	..	0.71	0.71	..

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः)					
23. पांचना परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव और मरम्मत	10.18	..	10.18	10.26	(-) 0.78
800. अन्य व्यय	12,37.80	..	12,37.80 *	12,37.80	..
योग - 23	12,47.98	..	12,47.98	12,48.06	(-) 0.01
24. सोम कमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	2,71.93	..	2,71.93	2,84.69	(-) 4.48
800. अन्य व्यय	21,79.17	..	21,79.17 *	21,79.17	..
योग - 24	24,51.10	..	24,51.10	24,63.86	(-) 0.52
25. डाया परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	14.01	..	14.01 *	14.01	..
योग - 25	14.01	..	14.01	14.01	..
26. झाडोल परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	9.36	..	9.36 *	9.36	..
योग - 26	9.36	..	9.36	9.36	..

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः)					
27. वागन डाइवर्सन परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	62.08	..	62.08	68.49	(-) 9.36
800. अन्य व्यय	1,39.66	..	1,39.66 *	1,39.66	..
योग - 27	2,01.74	..	2,01.74	2,08.15	(-) 3.08
28. लसाडिया परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	76.59	..	76.59 *	75.16	(+) 1.90
योग - 28	76.59	..	76.59	75.16	(+) 1.90
29. सोमकागदार परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	3,09.84	..	3,09.84 *	3,09.84	..
योग - 29	3,09.84	..	3,09.84	3,09.84	..
30. भीम सागर परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	69.03	..	69.03	78.64	(-) 12.22
800. अन्य व्यय	2,39.41	..	2,39.41 *	2,39.41	..
योग - 30	3,08.44	..	3,08.44	3,18.05	(-) 3.02

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण - (क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई - (क्रमशः)					
31. कोठारी परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	46.96	..	46.96	58.32	(-) 19.48
800. अन्य व्यय	1,11.98	..	1,11.98 *	1,11.98	..
योग - 31	1,58.94	..	1,58.94	1,70.30	(-) 6.67
32. गोसुंडा परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	9.92	..	9.92 *	9.92	..
योग - 32	9.92	..	9.92	9.92	..
33. बस्सी परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	80.61	..	80.61	87.15	(-) 7.50
800. अन्य व्यय	1,13.61	..	1,13.61 *	1,13.61	..
योग - 33	1,94.22	..	1,94.22	2,00.76	(-) 3.26
34. खारी परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	96.89	..	96.89 *	96.89	..
योग - 34	96.89	..	96.89	96.89	..

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः)					
35. छापी परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. स्खरखाव एवं मरम्मत	56.08	..	56.08	60.10	(-) 6.69
800. अन्य व्यय	10,70.48	..	10,70.48 *	10,70.48	..
योग - 35	11,26.56	..	11,26.56	11,30.58	(-) 0.36
37. बिलास परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	2,18.89	..	2,18.89 *	2,18.89	..
योग - 37	2,18.89	..	2,18.89	2,18.89	..
38. सावनभादों परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. स्खरखाव एवं मरम्मत	97.68	..	97.68	1,00.08	(-) 2.40
800. अन्य व्यय	4,08.11	..	4,08.11 *	4,08.11	..
योग - 38	5,05.79	..	5,05.79	5,08.19	(-) 0.47
40. सुकली परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. स्खरखाव एवं मरम्मत	6.98	..	6.98	7.50	(-) 6.93
800. अन्य व्यय	4,44.88	..	4,44.88 *	4,44.88	..
योग - 40	4,51.86	..	4,51.86	4,52.38	(-) 0.11

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः)					
41. बाँदिसेदरा परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. स्खरखाव एवं मरम्मत	2.38	..	2.38	2.46	(-) 3.25
800. अन्य व्यय	3,36.66	..	3,36.66 *	3,36.66	..
योग - 41	3,39.04	..	3,39.04	3,39.12	(-) 0.02
42. कानोता परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	0.16	..	0.16 *	0.16	..
योग - 42	0.16	..	0.16	0.16	..
43. चंवल्ली परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. स्खरखाव एवं मरम्मत	75.75	..	75.75	1,02.65	(-) 26.21
800. अन्य व्यय	10,17.07	..	10,17.07 *	10,17.07	..
योग - 43	10,92.82	..	10,92.82	11,19.72	(-) 2.40
44. गंभीरी परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. स्खरखाव एवं मरम्मत	2.39	..	2.39	2.46	(-) 2.85
800. अन्य व्यय	1,46.62	..	1,46.62 *	1,46.62	..
योग - 44	1,49.01	..	1,49.01	1,49.08	(-) 0.05

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः)					
45. जयसमंद परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	1.10	..	1.10	1.21	(-) 9.09
800. अन्य व्यय	1,45.86	..	1,45.86 *	1,45.86	..
योग - 45	1,46.96	..	1,46.96	1,47.07	(-) 0.07
46. माषी परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	6.12	..	6.12 *	6.12	..
योग - 46	6.12	..	6.12	6.12	..
47. गलवा परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	1,79.19	..	1,79.19 *	1,79.19	..
योग - 47	1,79.19	..	1,79.19	1,79.19	..
48. उदय सागर परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	2.40	..	2.40	2.46	(-) 2.44
योग - 48	2.40	..	2.40	2.46	(-) 2.44

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः)					
49. छपरवाड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	0.28	..	0.28 *	0.28	..
योग - 49	0.28	..	0.28	0.28	..
50. कालख परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	0.10	..	0.10 *	0.10	..
योग - 50	0.10	..	0.10	0.10	..
53. पारबती परियोजना (कोटा) (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	0.70	..	0.70 *	0.70	..
योग - 53	0.70	..	0.70	0.70	..
55. टैंक परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	2.84	..	2.84 *	2.84	..
योग - 55	2.84	..	2.84	2.84	..
56. कालीसिल परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	2.95	..	2.95 *	2.95	..
योग - 56	2.95	..	2.95	2.95	..

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः)					
57. मातृ कुण्डिया परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	32.40	..	32.40 *	32.40	..
योग - 57	32.40	..	32.40	32.40	..
58. नारायण सागर (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	6.15	..	6.15 *	6.15	..
योग - 58	6.15	..	6.15	6.15	..
59. अन्य परियोजनाएं (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	33.84	..	33.84 *	33.84	..
योग - 59	33.84	..	33.84	33.84	..
60. बेथलि परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	1.83	..	1.83	2.46	(-) 25.61
800. अन्य व्यय	5,21.36	..	5,21.36 *	5,21.36	..
योग- 60	5,23.19	..	5,23.19	5,23.82	(-) 0.12

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः)					
62. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	22,06.35	..	22,06.35 *	17,48.82	(+) 26.16
योग- 62	22,06.35	..	22,06.35	17,48.82	(+) 26.16
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	13,84.76	..	13,84.76 *	12,65.35	(+) 9.44
योग- 63	13,84.76	..	13,84.76	12,65.35	(+) 9.44
64. परवन लिफ्ट (अवाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	4,24.80	..	4,24.80	7,05.96	(-) 39.83
योग- 64	4,24.80	..	4,24.80	7,05.96	(-) 39.83
65. हरिशचन्द्र सागर (अवाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	31.29	..	31.29	33.57	(-) 6.79
योग- 65	31.29	..	31.29	33.57	(-) 6.79

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः)					
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	12,52.98	..	12,52.98 *	11,69.21	(+) 7.16
योग- 66	12,52.98	..	12,52.98	11,69.21	(+) 7.16
67. लहासी परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	15,11.41	..	15,11.41 *	13,62.80	(+) 10.90
योग - 67	15,11.41	..	15,11.41	13,62.80	(+) 10.90
68. मनोहर थाना परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	3.37	..	3.37 *	2.82	(+) 19.50
योग - 68	3.37	..	3.37	2.82	(+) 19.50
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	17,31.80	..	17,31.80 *	12,33.32	(+) 40.42
योग - 69	17,31.80	..	17,31.80	12,33.32	(+) 40.42
71. पिपलाद परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	7,00.66	..	7,00.66 *	6,97.61	(+) 0.44
योग-71	7,00.66	..	7,00.66	6,97.61	(+) 0.44

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई -(क्रमशः)					
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	13,13.32	..	13,13.32 *	12,13.05	(+) 8.27
योग- 72	13,13.32	..	13,13.32	12,13.05	(+) 8.27
73. हाथियां देय परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	0.35	..	0.35 *
योग- 73	0.35	..	0.35
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	4,53.49 3,66.72	..	8,20.21	7,85.23	(+) 4.45
002. आंकड़ा संग्रहण	..	1,28.26	1,28.26	1,90.93	(-) 32.82
003. प्रशिक्षण	8,10.59	..	8,10.59	9,40.20	(-) 13.79
004. अनुसंधान	1,51.49	..	1,51.49	1,64.33	(-) 7.81
005. सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	25,43.05	..	25,43.05	20,74.10	(+) 22.61
006. गुणवत्ता नियंत्रण	9,69.98	..	9,69.98	9,43.38	(+) 2.82
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	3,83.38	..	3,83.38	4,10.00	(-) 6.49
197. ब्लाक पंचायतों /मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	2,17.13	..	2,17.13	1,65.29	(+) 31.36

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई -(समाप्त)					
80. सामान्य-(समाप्त)					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	10,55.92	..	10,55.92	7,55.38	(+) 39.79
799. उंचंत	(-) 1.26	(-) 100.00
800. अन्य व्यय	17,10.26	1.37	17,11.63 (क)	13,99.93	(+) 22.27
योग- 80	82,08.52	4,54.86	87,91.64	78,27.51	(+) 12.32
योग- 2701	3,13,25.08	4,54.86	3,19,08.20	2,97,52.90	(+) 7.24
2702.लघु सिंचाई					
01. सतही जल					
197. ब्लाक पंचायतों /मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	10,00.00	..	10,00.00	8,78.82	(+) 13.79
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	63.48	63.48	38.21	(+) 66.13
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	22.75	22.75	77.21	(-) 70.53
800. अन्य व्यय	72,15.04	2,32.90	74,47.94 (ख)	66,76.33	(+) 11.56
योग- 01	82,15.04	3,19.13	85,34.17	76,70.57	(+) 11.26

(क) इसमें उपनिवेशन योजनाओं पर ₹ 17,09.27 लाख का व्यय सम्मिलित है।

(ख) इसमें अन्य सिंचाई निर्माण कार्य (₹ 64,10.45 लाख), लिफ्ट सिंचाई योजना (₹ 4,36.93 लाख), लिफ्ट सिंचाई योजना (माही) (₹ 13.77 लाख), राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम (₹ 4,92.03 लाख) तथा राजस्थान जल क्षेत्र की आजीविका सुधार परियोजना (₹ 90.71 लाख) पर व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण -(समाप्त)					
2702. लघु सिंचाई-(समाप्त)					
02. भू-जल					
005. अन्वेषण	13,24.50	..	13,24.50	12,39.55	(+) 6.85
योग- 02	13,24.50	..	13,24.50	12,39.55	(+) 6.85
03. रखरखाव					
103. ट्यूब वेल्ल्स	45,12.79 2.73	..	45,15.52	43,58.35	(+) 3.61
योग - 03	45,12.79 2.73	..	45,15.52	43,58.35	(+) 3.61
योग - 2702	1,40,52.33 2.73	3,19.13	1,43,74.19	1,32,68.47	(+) 8.33
2705. कमान क्षेत्र विकास					
101. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास	2,58.57	..	2,58.57	2,45.89	(+) 5.16
102. चम्बल क्षेत्र का विकास	9,36.06	..	9,36.06	9,55.63	(-) 2.05
107. गंग नहर परियोजना	2,28.59	2,15.22	4,43.81	4,87.46	(-) 8.95
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,79.96	..	1,79.96	1,65.97	(+) 8.43
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2.00	(-) 100.00
योग - 2705	16,03.18	2,15.22	18,18.40	18,56.95	(-) 2.08
योग -(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	20,45,41.46 5,02.86	6,62.61	20,57,06.93	19,41,80.68	(+) 5.94

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(ड) ऊर्जा					
2801. बिजली					
80. सामान्य					
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	1,96,02,56.29	..	1,96,02,56.29	1,36,02,05.67	(+) 44.11
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	21,60,00.01	..	21,60,00.01	19,80,00.00	(+) 9.09
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	16,80,00.00	..	16,80,00.00	12,60,00.00	(+) 33.33
योग - 80	2,34,42,56.30	..	2,34,42,56.30	1,68,42,05.67	(+) 39.19
योग - 2801	2,34,42,56.30	..	2,34,42,56.30	1,68,42,05.67	(+) 39.19
2802.पेट्रोलियम					
01. कच्चे तेल तथा गैस की खोज तथा उत्पादन					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,05.21	..	1,05.21	1,02.73	(+) 2.41
योग - 01	1,05.21	..	1,05.21	1,02.73	(+) 2.41
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन					
101. तेल का परिष्करण	12.69	..	12.69	10.79	(+) 17.61
योग - 02	12.69	..	12.69	10.79	(+) 17.61
योग - 2802	1,17.90	..	1,17.90	1,13.52	(+) 3.86

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(ङ) ऊर्जा -(समाप्त)					
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,87.26	..	1,87.26	1,96.36	(-) 4.63
102. ग्रामीण आवेदकों के लिए अक्षय ऊर्जा	5,94.50	..	5,94.50	4,49.72	(+) 32.19
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,97.36	..	1,97.36	1,45.60	(+) 35.55
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,20.39	..	2,20.39	1,23.98	(+) 77.76
योग-2810	11,99.51	..	11,99.51	9,15.66	(+) 31.00
योग -(ङ) ऊर्जा	2,34,55,73.71	..	2,34,55,73.71	1,68,52,34.85	(+) 39.18
(च) उद्योग तथा खनिज					
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग					
001. निदेशन तथा प्रशासन	67.80	..	67.80	55.65	(+) 21.83
102. लघु उद्योग	4,94.06	..	4,94.06	12,25.60	(-) 59.69
103. हथकरघा उद्योग	65.89	0.28	66.17	67.71	(-) 2.27
104. हस्तशिल्प उद्योग	2,40.64	..	2,40.64	7,09.49	(-) 66.08
105. खादी तथा ग्रामोद्योग	37,61.34	..	37,61.34	28,69.85	(+) 31.06
110. सम्मिश्र ग्राम एवं लघु उद्योग तथा सहकारी समितियां	0.76	(-) 100.00
111. शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार योजना	3,35.95	..	3,35.95	4,91.92	(-) 31.71
200. अन्य ग्रामोद्योग	25.24	..	25.24	25.90	(-) 2.55

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(च) उद्योग तथा खनिज -(क्रमशः)					
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग -(समाप्त)					
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	1,79.70	..	1,79.70	3,16.23	(-) 43.17
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	53.49	..	53.49	2,62.53	(-) 79.63
योग - 2851	52,24.11	0.28	52,24.39	60,25.64	(-) 13.30
2852. उद्योग					
08. उपभोक्ता उद्योग					
600. अन्य	15.77	..	15.77	18.21	(-) 13.40
योग - 08	15.77	..	15.77	18.21	(-) 13.40
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	43,93.78	..	43,93.78	42,32.81	(+) 3.80
003. औद्योगिक शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	3,81.00	..	3,81.00
102. औद्योगिक उत्पादकता	28,08.40	..	28,08.40	11,69.89	(+) 140.06
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	4,87.08	..	4,87.08
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,76.45	..	3,76.45	30.99	(+) 1114.75
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,61.11	..	3,61.11	1,18.05	(+) 205.90
योग - 80	88,07.82	..	88,07.82	55,51.74	(+) 58.65
योग - 2852	88,23.59	..	88,23.59	55,69.95	(+) 58.41

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-(क्रमशः)					
(च) उद्योग तथा खनिज -(समाप्त)					
2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग					
02. खानों का विनियमन तथा विकास					
001. निदेशन तथा प्रशासन	88,71.97	..	88,71.97	92,46.18	(-) 4.05
101. सर्वेक्षण तथा मानचित्रण	1,95.10	..	1,95.10	1,58.35	(+) 23.21
102. खनिज खोज (समन्वेषण)	10,25.59	..	10,25.59	9,56.34	(+) 7.24
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,64.74	..	2,64.74	2,13.86	(+) 23.79
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,73.86	..	2,73.86	2,33.25	(+) 17.41
797. आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण	1,01,45.38	..	1,01,45.38 (क)	2,21,23.07	(-) 54.14
800. अन्य व्यय	52,37.76	..	52,37.76 (ख)	50,13.17	(+) 4.48
902. घटाइये-खनन क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति	(-) 52,37.76	..	(-) 52,37.76	(-) 50,17.17	(+) 4.40
योग - 2853	2,07,76.64	..	2,07,76.64	3,29,27.05	(-) 36.90
योग -(च) उद्योग तथा खनिज	3,48,24.34	0.28	3,48,24.62	4,45,22.64	(-) 21.78
(छ) परिवहन					
3054. सड़क तथा सेतु					
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें					
337. सड़क निर्माण-कार्य	1,82,62.31	..	1,82,62.31	1,85,33.45	(-) 1.46
योग -02	1,82,62.31	..	1,82,62.31	1,85,33.45	(-) 1.46

(क) निधियां शीर्ष " 8229-200(07) खनन क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि" को हस्तांतरित ।

(ख) व्यय खनन क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) (छ) परिवहन-(क्रमशः)					
3054. सड़क तथा सेतु -(समाप्त) 03. राजकीय राजमार्ग					
337. सड़क निर्माण-कार्य	1,94.07 5,85.13	..	7,79.20	62,51.08	(-) 87.53
योग - 03	1,94.07 5,85.13	..	7,79.20	62,51.08	(-) 87.53
04. जिला तथा अन्य सड़कें					
800. अन्य व्यय	3,78,26.34	6,68.83	3,84,95.17 (क)	2,73,14.11	(+) 40.94
योग - 04	3,78,26.34	6,68.83	3,84,95.17	2,73,14.11	(+) 40.94
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	66,90.66	(-) 100.00
107. रेल सुरक्षा निर्माण कार्य	99.92	..	99.92	99.99	(-) 0.07
797. आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण	4,25,00.00	5,89,57.50	10,14,57.50 (ख)	8,15,83.00	(+) 24.36
800. अन्य व्यय	2,41.75	..	2,41.75 (ग)	2,08.33	(+) 16.04
योग - 80	4,28,41.67	5,89,57.50	10,17,99.17	8,85,81.98	(+) 14.92
योग - 3054	1,94.07 9,95,15.45	5,96,26.33	15,93,35.85	14,06,80.62	(+) 13.26

(क) इसमें जिला सड़कों, ग्रामीण सड़कों तथा महानगरीय सड़कों के संधारण पर व्यय सम्मिलित हैं।

(ख) शीर्ष "8449-103 केन्द्रीय सड़क निधि को अंशदान" को अंतरण।

(ग) इसमें रोड़ कट की मरम्मत पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(छ) परिवहन - (समाप्त)					
3055. सड़क परिवहन					
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	4,49,62.31	..	4,49,62.31	2,54,19.42	(+) 76.88
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	8,02.90	..	8,02.90	2,37.51	(+) 238.05
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	6,06.40	..	6,06.40	1,74.60	(+) 247.31
797. आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण	89,42.25	..	89,42.25
800. अन्य व्यय	68,04.66	..	68,04.66 (क)	20,59.00	(+) 230.48
902. घटाइये-सड़क सुरक्षा निधि से प्रतिपूर्ति	(-) 37,13.96	..	(-) 37,13.96
योग - 3055	5,84,04.56	..	5,84,04.56	2,78,90.53	(+) 109.41
योग -(छ) परिवहन	15,79,20.01	5,96,26.33	21,77,40.41	16,85,71.15	(+) 29.17
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण					
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान					
01. भारतीय सर्वेक्षण					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	65.67	..	65.67	9.50	(+) 591.26
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	62.15	..	62.15	15.28	(+) 306.74
800. अन्य व्यय	15,02.03	1,17.92	16,20.45 (ख)	13,15.62	(+) 23.17
योग - 01	16,29.85	1,17.92	17,48.27	13,40.40	(+) 30.43

(क) इसमें राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि तथा सड़क सुरक्षा निधि पर व्यय सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (₹ 7,22.91 लाख), विज्ञान, संचार तथा लोकप्रिय करण (₹ 2,87.36 लाख), औद्योगिक जागरूकता (₹ 2,72.02 लाख) तथा अनुसंधान एवं विकास (₹ 1,71.12 लाख) पर व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण - (समाप्त)					
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान - (समाप्त)					
60. अन्य					
800. अन्य व्यय	5.62	(-) 100.00
योग - 60	5.62	(-) 100.00
योग - 3425	0.50 16,29.85	1,17.92	17,48.27	13,46.02	(+) 29.88
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण					
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद् भवन					
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय	2,33.50	..	2,33.50	27,90.10	(-) 91.63
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2.81	..	2.81	3.00	(-) 6.33
योग - 3435	2,36.31	..	2,36.31	27,93.10	(-) 91.54
योग - (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	0.50 18,66.16	1,17.92	19,84.58	41,39.12	(-) 52.05
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं					
3451. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं					
090. सचिवालय	32,53.27	60.44	33,13.71	28,50.03	(+) 16.27

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(अ) सामान्य आर्थिक सेवाएं - (क्रमशः)					
3451. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं - (समाप्त)					
102. जिला योजना संगठन	1,00,50.00	..	1,00,50.00	1,33,00.00	(-) 24.44
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	40,00.00	..	40,00.00	53,20.00	(-) 24.81
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	59,50.00	..	59,50.00	79,80.00	(-) 25.44
	योग - 3451			2,94,50.03	(-) 20.84
3452. पर्यटन					
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	12,90.66	..	12,90.66	13,68.74	(-) 5.70
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	19,33.56	..	19,33.56	18,73.62	(+) 3.20
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	18,41.06	..	18,41.06	12,20.39	(+) 50.86
800. अन्य व्यय	84,69.62	..	84,69.62 (क)	51,45.35	(+) 64.61
	योग - 3452			96,08.10	(+) 40.87
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी					
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी					
001. निदेशन तथा प्रशासन	4,81.40	..	4,81.40
201. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	..	9.63	9.63	17.18	(-) 43.95

(क) इसमें पर्यटक सूचना तथा प्रचार पर व्यय (₹ 82,59.62 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी -(समाप्त)					
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी -(समाप्त)					
203. कम्प्यूटर सेवाएं	2,33,35.72	8,38.01	2,41,73.73	2,21,67.92	(+) 9.05
205. राज्य सांख्यिकी अभिकरण	54,27.05	..	54,27.05	43,48.32	(+) 24.81
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	63,24.26	..	63,24.26	75,29.00	(-) 16.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	44,09.15	..	44,09.15	56,42.61	(-) 21.86
800. अन्य व्यय	2,08.98	..	2,08.98 (क)	5,93.55	(-) 64.79
योग - 02	4,01,86.56	8,47.64	4,10,34.20	4,02,98.58	(+) 1.83
योग - 3454	4,01,86.56	8,47.64	4,10,34.20	4,02,98.58	(+) 1.83
3456. सिविल पूर्ति					
001. निदेशन तथा प्रशासन	51,83.45 0.73	65.46	52,49.64	48,59.85	(+) 8.02
102. नागरिक पूर्ति योजना	84,01.69	83,99.67	1,68,01.36	3,20,87.08	(-) 47.64
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	23,58.97	23,66.97	47,25.94	83,69.60	(-) 43.53
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	27,08.33	23,66.72	50,75.05	64,06.38	(-) 20.78
योग - 3456	1,86,52.44 0.73	1,31,98.82	3,18,51.99	5,17,22.91	(-) 38.42

(क) पुर्नमुल्यांकन संगठन (₹ 13.38 लाख) तथा योजना (जन शक्ति) विभाग (₹ 1,95.60 लाख) पर व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(समाप्त)					
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं -(समाप्त)					
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं					
106. भार और माप का विनियमन	89.73	..	89.73	28.44	(+) 215.51
108. शहरी उन्मुख रोजगार कार्यक्रम	50.04	71.02	1,21.06	1,10.62	(+) 9.44
191. नगर निगम को सहायता	5,61.23	6,65.24	12,26.47	1,46.59	(+) 736.67
192. नगरपालिका/नगर परिषदों को सहायता	12,01.78	14,61.61	26,63.39	3,75.41	(+) 609.46
201. भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर)	9.70	..	9.70	9.85	(-) 1.52
	योग - 3475				
	19,12.48	21,97.87	41,10.35	6,70.91	(+) 512.65
योग-(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं	9,75,39.65 0.73	1,63,04.77	11,38,45.15	13,17,50.53	(-) 13.59
योग - ग. आर्थिक सेवाएं	4,30,45,38.73 7,92.88	62,73,66.85	4,93,26,98.46	3,85,65,13.52	(+) 27.91

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय			वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र. यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान					
3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन					
101. भू - राजस्व	11.00	..	11.00	6.34	(+) 73.50
योग - 3604	11.00	..	11.00	6.34	(+) 73.50
योग-घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	11.00	..	11.00	6.34	(+) 73.50
योग - व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	1,99,66,62.52	11.83	14,58,41,51.79 (क)	12,71,40,14.01	(+) 14.71
	11,20,42,26.50	1,38,32,50.94			

(क) इसमें सम्मिलित है :

- (i) "01-संवेतन" मद के भुगतान पर किया गया ₹ 3,70,54,86.82 लाख का व्यय (कुल राजस्व व्यय का 25.41%)। नियंत्रक अधिकारी द्वारा मुख्य शीर्षवार किये गये संवेतन के भुगतान का विवरण इसी खण्ड के परिशिष्ट I में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने विस्तृत शीर्ष "02- मजदूरी" द्वारा ₹ 5,56,45.10 लाख की मजदूरी भी वितरित की।
- (ii) ₹ 3,49,85,10.05 लाख का सहायतार्थ अनुदान [सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) ₹ 2,87,70,77.09 लाख, सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) ₹ 51,16,24.08 लाख, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान ₹ 10,97,87.79 लाख तथा ₹ 21.09 लाख की अन्य निधियां पंचायती राज संस्थाओं को अन्य मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु शीर्ष 191, 192, 196 तथा 197 के द्वारा जारी की गयी] स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों तथा अन्य संस्थाओं को जारी किया गया। सहायतार्थ अनुदान का ब्यौरा विवरण संख्या 10 तथा परिशिष्ट III में दिया गया है।
- (iii) सहाय्य पर ₹ 2,36,74,31.24 लाख का व्यय विस्तृत शीर्ष "91 सहाय्य" के माध्यम से हुआ। राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहाय्य का नियंत्रण अधिकारी वार उपशीर्ष/समूह शीर्ष स्तर तक का ब्यौरा इस खण्ड के परिशिष्ट II में दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 15 - (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. राजस्व लेखा पर व्यय:- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 14,58,41,51.79 लाख) गत वर्ष (₹ 12,71,40,14.01 लाख) की तुलना में ₹ 1,87,01,37.78 लाख से बढ़ा। वृद्धि/कमी मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत थी :-

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
वृद्धि		
2801. बिजली	66,00,50.63	उदय के अन्तर्गत डिस्कॉम को सहायता तथा विद्युत् दरें एवं बिजली कर नहीं बढ़ाने के विरुद्ध अधिक अनुदान जारी करने के कारण।
2505. ग्रामीण रोजगार	28,56,11.87	गत वर्ष की तुलना में प्रधानमंत्री आवास योजना पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
2202. सामान्य शिक्षा	21,82,43.99	लड़कों तथा लड़कियों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
2049. ब्याज अदायगियाँ	20,43,05.70	बाजार कर्जों, अन्य आन्तरिक उधार, राज्य प्रावधायी निधि तथा राज्य आपदा राहत निधि की अनिवेशित राशि पर ब्याज के भुगतान के कारण।
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ	16,29,56.32	सेवा निवृत्ति लाभों के भुगतान, परिवार पेंशन में वृद्धि, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के पेंशन में वृद्धि, अवकाश नकदीकरण लाभ तथा निर्धारित अशंदायी पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान में वृद्धि के कारण।
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	12,43,29.39	सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन पर वेतन तथा भत्तों में वृद्धि, ब्लाक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सहायता के कारण।
2515. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	9,31,79.49	जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को अधिक सहायता के कारण।
2215. जलपूर्ति तथा सफाई	3,82,23.38	मुख्यतः जलपूर्ति योजनाओं पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3,70,13.07	सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री राजश्री योजना पर तथा पालनहार योजना के तहत आश्रय रहित बच्चों को सहायता पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
2211. परिवार कल्याण	3,60,99.73	गत वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
3055. सड़क परिवहन	3,05,14.03	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वित्तीय हानि की पूर्ति हेतु अनुदान जारी करने तथा समर्पित सड़क निधि को अन्तरण के कारण।
2075. विविध सामान्य सेवाएं	2,91,63.52	प्रतिभूति विमोचन निधि को गारंटी फीस के अंतरण के कारण।

विवरण संख्या 15 - (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - (क्रमशः)

1. राजस्व लेखा पर व्यय :- (क्रमशः)

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
वृद्धि (क्रमशः)		
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	2,27,54.34	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अधिक व्यय के कारण।
2055. पुलिस	2,23,80.04	सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन पर जिला पुलिस तथा विशेष पुलिस पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
2403. पशु पालन	2,20,79.37	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय तथा गोशाला को अनुदानों पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
3054. सड़क तथा सेतु	1,86,55.23	राज्य सड़क विकास निधि को राशि के अंतरण के कारण।
2014. न्याय प्रशासन	94,47.64	मुख्यतः सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन पर वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	87,20.55	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन/परियोजना पर व्यय के कारण।
2700. मुख्य सिंचाई	83,03.78	मुख्यतः परवन परियोजना तथा अन्य विभिन्न मुख्य सिंचाई परियोजनाओं पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
2236. पोषण	57,04.92	ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को अधिक सहायता तथा पोषाहार क्रेष कार्यक्रम तथा एकीकृत बाल विकास योजना पर अधिक व्यय के कारण।
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	53,96.43	भवन तथा अन्य निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड, राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना-2012 तथा क्राफ्ट प्रशिक्षण योजना को निधियां जारी करने के कारण।
2054. कोष एवं लेखा प्रशासन	51,63.51	सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन पर वेतन तथा भत्तों में वृद्धि, मिशन मोड परियोजना के अन्तर्गत कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण तथा विश्व बैंक से सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन राजस्थान परियोजना के सुदृढीकरण हेतु निधियां प्राप्त होने के कारण।
3452. पर्यटन	39,26.80	पर्यटन सूचना तथा प्रचार पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
2015. चुनाव	36,79.84	निर्वाचन विभाग के संस्थापन प्रभार पर बढ़े हुए व्यय तथा संसद तथा राज्य विधानसभा के उप चुनाव कराने के लिए प्रभार के कारण।
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	34,39.44	नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु सहायता के कारण।

विवरण संख्या 15 - (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - (क्रमशः)

1. राजस्व लेखा पर व्यय :- (क्रमशः)

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
वृद्धि (समाप्त)		
2852. उद्योग	32,53.64	मुख्यतः राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्रामीण गैर कृषि विभाग अभिकरण, एकीकृत संसाधान विकास योजना तथा राजस्थान स्टार्ट-अप पॉलिसी को अनुदान के कारण।
2056. जेल	28,14.68	मुख्यतः जिला जेलों तथा करावासों पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	22,95.32	वाहनों का संग्रहण तथा नागरिक उड्डयन निदेशालय अतिथि गृहों पर अधिक व्यय के कारण।
24 15. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	21,24.54	मुख्यतः कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता के कारण।
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	20,83.91	सातवें आयोग के क्रियान्वयन पर वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	15,22.35	मुख्यतः संयुक्त स्थापना पर व्यय की पूर्ति हेतु।
कमी		
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	6,30,40.51	गत वर्ष की तुलना में भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के संदर्भ में कम निधियां प्राप्त होने तथा बाढ़ राहत कार्य पर कम व्यय के कारण।
22 17. शहरी विकास	5,26,60.10	गत वर्षों की तुलना में स्मार्ट शहरों पर व्यय के कारण।
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,33,99.55	राजस्थान निवेश संवर्द्धन पॉलिसी के अन्तर्गत अनुदान कम जारी करने के कारण।
3456. सिविल पूर्ति	1,98,70.92	गत वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा बी.पी.एल. एवं अन्वयोदय परिवारों को चीनी वितरण पर कम व्यय के कारण।
2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,21,50.41	गत वर्ष की तुलना में खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय सुधार निधि में कम राशि के अंतरण करने के कारण।
2425. सहकारिता	1,02,46.79	गत वर्ष की तुलना में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को कम अनुदान तथा सहकारी समितियों के अच्छे कर्ज लेनदारों को कम ब्याज अनुदान के कारण।
2059. लोक निर्माण कार्य	93,06.32	निदेशन तथा प्रशासन पर मशीनरी एवं उपकरण तथा प्रतिशतता प्रभारों के समायोजन के कारण।

विवरण संख्या 15 - (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - (समाप्त)

1. राजस्व लेखा पर व्यय :- (समाप्त)

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
कमी - (समाप्त)		
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी	77,36.10	राजस्थान वानिकी तथा बाँयो डायवर्सिटी परियोजना के लिए बाह्य सहायता कम प्राप्त होने के कारण।
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	61,36.32	मुख्यतः जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना पर कम व्यय के कारण।
2051. लोक सेवा आयोग	40,61.27	मुख्यतः गत वर्ष की तुलना में विशिष्ट एवं व्यवसायिक सेवाओं पर कम व्यय के कारण।
2216. आवास	32,45.68	गत वर्ष की तुलना में आवासीय सुविधा की मरम्मत तथा संधारण पर कम व्यय के कारण।
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	25,56.79	गत वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना पर व्यय न होने के कारण।
2203. तकनीकी शिक्षा	18,04.50	गत वर्ष की तुलना में पोलीटेक्निक पर कम व्यय के कारण।

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध

बजट के अनुसार योजना संख्या	समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी *	पब्लिक फाइनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	“मुख्य शीर्ष 1601-06-101(01) राज्य आयोजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर हुआ आयोजना व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य
		(₹ लाख में)			
01.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (60:40)	2,34,97.00	2,34,97.00	3,95,81.21	1,60,84.21
02.	निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) (60:40)	11,66,33.77	11,66,61.52	18,25,68.86	6,59,07.34
03.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)	7,14,23.99	7,14,23.99	25,48,60.01	18,34,36.02
04.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)	15,14,27.03	14,28,93.54	27,49,38.93	13,20,45.39
07.	एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) (60:40)	2,44,09.34	2,44,09.34	2,88,53.69	44,44.35
10.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (90:10)	15,38,63.32	15,38,63.32	18,55,72.18	3,17,08.86
11.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	4,17,65.77	4,17,65.77	3,26,18.17	(-) 91,47.60
12.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) (60:40)	11,20,25.83	11,20,25.83	10,68,25.69	(-) 52,00.14
13.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	1,83,85.50	1,83,85.50	2,99,12.73	1,15,27.23
14.	मिड डे मील (एम.डी.एम.) (75:25)	4,11,07.05	4,11,07.05	6,85,78.14	2,74,71.09
15.	सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) (60:40)	19,89,73.00	19,89,73.00	53,13,28.19	33,23,55.19
17.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)	7,50,14.29	7,50,14.29	13,83,31.00	6,33,16.71

* राज्य सरकार से प्राप्त आयोजना बजट सम्बद्ध दस्तावेज (प्लान बजट लिंक डाक्यूमेंट) 2017-18 के अनुसार केन्द्र तथा राज्य निधिकरण अनुपात योजनाओं के विरुद्ध कोष्ठक में दर्शाया गया है। एक समावेशक योजना (अम्ब्रेला स्कीम) के अधीन जहाँ राज्य योजनाओं के अंतर्गत आयोजना बजट सम्बद्ध दस्तावेज में अलग अलग अनुपातों को दर्शाया गया है, निधिकरण अनुपात नहीं दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध- (क्रमशः)

बजट के अनुसार योजना संख्या	समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मोनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	“मुख्य शीर्ष 1601-02-101(05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर हुआ आयोजना व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य
		(₹ लाख में)			
18.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	4,53,44.35	4,53,44.35
19.	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (एन.ई.जी.ए.पी.) (50:50)	91.28	91.28	..	(-) 91.28
20.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) (100:00)	1,16,00.00	1,16,00.00	1,98,47.78	82,47.78
21.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (60:40)	85,29.86	85,29.86	2,61,58.17	1,76,28.31
22.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (60:40)	58,00.00	58,00.00	98,42.52	40,42.52
23.	राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन	16,12.52	16,12.52	1,40,12.59	1,24,00.07
24.	राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (60:40)	21,06.39	21,06.39	54,37.24	33,30.85
25.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (60:40)	55,98.44	55,98.44	67,13.51	11,15.07
26.	राष्ट्रीय डेयरी विकास स्कीम	1,77.45	1,77.45
27.	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	13,41.68	13,41.19*	42,44.82	29,03.63
28.	राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	17,37.77	17,37.77	9,69.18	(-) 7,68.59
31.	राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम (हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन)	2,44.91	2,44.91	4,08.14	1,63.23
32.	प्राकृतिक संसाधन एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण	1,54.00	1,54.00	..	(-) 1,54.00
33.	वन्य जीव आवास हेतु समेकित विकास	6,36.88	6,36.88	12,98.55	6,61.67

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध- (क्रमशः)

बजट के अनुसार योजना संख्या	समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मोनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	“मुख्य शीर्ष 1601-02-101(05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर हुआ आयोजना व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य
		(₹ लाख में)			
34.	बाघ परियोजना (100:00)	7,73.09	7,73.09	13,73.35	6,00.26
35.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	5,46,94.00	5,46,94.00	5,97,81.57	50,87.57
36.	राष्ट्रीय आयुष मिशन मय औषधीय पादपों हेतु मिशन (60:40)	68,93.26	68,93.26	..	(-) 68,93.26
38.	पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना	97,08.77	97,08.77	1,79,33.07	82,24.30
39.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (60:40)	28,51.00	28,51.00	40,10.92	11,59.92
40.	राजीव आवास योजना (एम.ओ.एच.पी.यू.ए.) (50:50)	7,27.88	7,27.88
41.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	4,24,01.77	4,24,01.77	8,42,95.58	4,18,93.81
42.	शिक्षण विकास हेतु प्रोत्साहन मय अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रौढ शिक्षा	48,63.45	48,63.45	82,34.31	33,70.86
43.	उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना योजना (75:25)	1,45,88.41	1,45,88.41
44.	अल्पसंख्यकों हेतु मदरसों एवं विशेष योग्यजन को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु योजना (100:00)	6.50	6.50	56,22.80	56,16.30
45.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	53,70.00	53,70.00	1,04,01.11	50,31.11
46.	कौशल विकास मिशन (100:00)	22.04	22.04	..	(-) 22.04
47.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (सी.एस.) (आर.एस.एस.वाई.)	10,07.21	10,07.21
48.	ग्राम न्यायालय सहित न्यायपालिका हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास	17,34.00	17,34.00	81,76.93	64,42.93

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध- (क्रमशः)

बजट के अनुसार योजना संख्या	समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मोनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	“मुख्य शीर्ष 1601-02-101(05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर हुआ आयोजना व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य
		(₹ लाख में)			
49.	अल्पसंख्यकों के लिए बहु आयामी विकास कार्यक्रम	43,36.13	43,36.13	55,44.03	12,07.90
50.	राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबन्धन कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) (50:50)	38,46.47	38,46.47
51.	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु योजना	3,60,09.72	3,60,09.72	3,78,96.81	18,87.09
52.	अन्य पिछड़ा वर्ग, घूमंतू तथा अर्द्ध घूमंतू जनजाति के विकास हेतु योजना	69,10.47	69,10.47	1,10,16.92	41,06.45
55.	विशेष योग्यजन: के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (100:00)	38,13.00	38,13.00	..	(-) 38,13.00
57.	राष्ट्रीय हेण्डलूम विकास योजनाएं (75:25)	2,11.66	2,11.66
58.	परिपथ एवं स्थानों का आधारभूत विकास	26,99.70	26,99.70
59.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला योजना (100:00)	2,44,04.93	2,44,04.93	2,64,81.39	20,76.46
60.	राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन मय इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	3,28.33	3,28.33	7,37.10	4,08.77
61.	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (आई.सी.पी.एस.) (60:40)	47,52.30	47,52.30	40,00.00	(-) 7,52.30
66.	अन्य योजनाएं	46.00	46.00	..	(-) 46.00
67.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1,22,98.74	1,22,98.74	2,33,77.15	1,10,78.41
68.	स्वाधार गृहों के संचार हेतु योजना (60:40)	75.72	75.72	41.14	(-) 34.58
69.	प्रधानमंत्री आवास योजना (100:00)	41,17.11	41,17.11	16,02.53	(-) 25,14.58

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध- (समाप्त)

बजट के अनुसार योजना संख्या	समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मोनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी समावेशक योजनाओं (अम्ब्रेला स्कीम) के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	“मुख्य शीर्ष 1601-02-101(05) राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर हुआ आयोजना व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य
		(₹ लाख में)			
70.	स्मार्ट सिटी योजना (60:40)	2,05,00.00	2,05,00.00	3,35,20.00	1,30,20.00
71.	अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना) (60:40)	2,64,54.27	2,64,54.27	3,38,28.85	73,74.58
73.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (60:40)	18,95,66.23	18,95,66.23	37,18,18.67	18,22,52.44
74.	श्याम प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.)	24,10.00	24,10.00	40,16.67	16,06.67
75.	नील क्रान्ति (80:20)	83.28	83.28	2,59.74	1,76.46
77.	उज्ज्वल योजना	1,41.62	1,41.62	..	(-) 1,41.62
80	ई-प्रावधान परियोजना के लिए सहायता	2,30.00	2,30.00	..	(-) 2,30.00
	योग	1,53,37,75.35	1,52,52,69.12	2,78,54,75.07	1,26,02,05.95

विवरण संख्या 16 – लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण

तिरछे अंक प्रभासित व्यय के द्योतक हैं

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
039. राज्य उत्पाद शुल्क	12.69	..
800. अन्य व्यय	20.85	..	20.85	0.63	1,81,71.49	(+) 3209.52
योग - 4047	20.85	..	20.85	0.63	1,81,84.18	(+) 3209.52
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	1,00.00 (क)	..
योग - 190	1,00.00	..
207. राज्य पुलिस						
(01) पुलिस आधुनिकीकरण	13,22.24	5,88.09	19,10.33	..	19,10.33	..
(02) जिला पुलिस	5,45.27	..	5,45.27	..	5,45.27	..
योग - 207	18,67.51	5,88.09	24,55.60	..	24,55.60	..
211. पुलिस आवास						
(01) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से	81,33.30	..
(02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	39,15.54	..	39,15.54	22,97.69	1,08,60.18	(+) 70.41
(03) आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से	38,81.46	..	38,81.46	37,00.73	6,01,31.82	(+) 4.88
योग - 211	77,97.00	..	77,97.00	59,98.42	7,91,25.30	(+) 29.98

(क) राजस्थान पुलिस आवास तथा निर्माण निगम लिमिटेड में निवेश ।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(02) पुलिस आवास	30,96.01	..	30,96.01	19,35.00	90,31.92	(+) 60.00
योग - 789	30,96.01	..	30,96.01	19,35.00	90,31.92	(+) 60.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
(02) पुलिस आवास	26,17.88	..	26,17.88	17,46.12	89,35.71	(+) 49.93
योग - 796	26,17.88	..	26,17.88	17,46.12	89,35.71	(+) 49.93
योग - 4055	1,53,78.40	5,88.09	1,59,66.49	96,79.54	9,96,48.53	(+) 64.95
4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय						
103. सरकारी मुद्रणालय						
	8.96	..	8.96	8.88	8,75.28	(+) 0.90
योग - 4058	8.96	..	8.96	8.88	8,75.28	(+) 0.90
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय						
80. सामान्य						
001. निदेशन तथा प्रशासन						
	23,24.92	4,21.50	27,46.42	28,01.68	2,02,72.25	(-) 1.97
योग - 001	23,24.92	4,21.50	27,46.42	28,01.68	2,02,72.25	(-) 1.97

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
80. सामान्य - (क्रमशः)						
051. निर्माण						
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)	41,42.78	..	41,42.78	96,06.27	3,73,52.31	(-) 56.87
(02) सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएं- सामान्य प्रशासनिक भवन)	11,02.16	..	11,02.16	6,36.88	2,11,58.51	(+) 73.06
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)	60,73.86	35,49.04	96,22.90	69,17.48	6,27,60.14	(+) 39.11
(04) सामान्य भवन (जेल)	21,15.66	..	21,15.66	18,18.67	1,93,94.07	(+) 16.33
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)	27,10.41	..	27,10.41	13,60.60	4,10,73.70	(+) 99.21
(06) सामान्य भवन (पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत बनने वाले भवन)	3,58.06	6,80.58	10,38.64	8,71.14	56,17.22	(+) 19.23
(07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)	2.72	..	2.72	2,32.34	10,06.10	(-) 98.83
(08) सामान्य भवन (गृह अभियोजन भवन)	1,40.95	..	1,40.95	1,32.90	6,93.98	(+) 6.06
(12) सामान्य भवन (लेखन सामग्री तथा मुद्रण)	1,18.75	..
(13) सामान्य भवन (स्टाम्प तथा पंजीकरण विभाग)	4,67.27	..	4,67.27	5,98.48	31,45.63	(-) 21.92
(15) सामान्य भवन (राज्य उत्पाद शुल्क)	6,55.93	..	6,55.93	2,28.91	45,04.36	(+) 186.54
(16) सामान्य भवन (सार्वजनिक निर्माण विभाग)	1,80.66	..	1,80.66	1,55.04	23,08.98	(+) 16.52
(19) सामान्य भवन (जिला स्तर पर प्रशासनिक सुधार)	1,31.29	..
(20) सामान्य भवन (राजस्थान लोक सेवा आयोग का निर्माण)	3,59.18	..
(22) सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)	19,80.10	..	19,80.10	12,18.73	84,46.05	(+) 62.47

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः)						
80. सामान्य-(क्रमशः)						
051. निर्माण-(क्रमशः)						
(23) सामान्य भवन (योजना भवन का निर्माण)	6,90.88	..
(26) सामान्य भवन (रोजगार कार्यालय)	21.32	..	21.32	97.55	2,55.35	(-) 78.14
(27) सामान्य भवन (विधान सभा भवन का निर्माण)	58.32	..	58.32	17.49	93,20.57	(+) 233.45
(29) सामान्य भवन (यातायात भवनों का निर्माण)	2,04.14	..	2,04.14	2,46.84	45,23.39	(-) 17.30
(30) सामान्य भवन (राजभवन में निर्माण)	95.50	..	95.50	1,06.80	16,45.70	(-) 10.58
(31) सामान्य भवन (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	1.75	..	1.75	1.51	22,38.52	(+) 15.89
(33) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किये गये प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भवनों का निर्माण	13,14.61	..
(34) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बनने वाले भवनों का निर्माण	19,39.30	..
(35) सामान्य भवन (चुनाव विभाग के माध्यम से)	23,66.26	..	23,66.26	83.71	27,60.26	(+) 2726.74
(36) कार्मिक (सचिवालय) विभाग के निर्माण कार्य	3,01.74	..	3,01.74	3,55.25	56,80.12	(-) 15.06
(38) स्थानीय निकाय विभाग	3,16.59	..
(40) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	9,19.37	..
(42) सामान्य भवन (निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग)	4,18.10	..	4,18.10	2,81.73	26,77.90	(+) 48.40

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः)						
80. सामान्य-(क्रमशः)						
051. निर्माण-(समाप्त)						
(44) सामान्य भवन (राज्य सूचना आयोग)	4,70.00	..
(46) सामान्य भवन (पेंशन विभाग के लिए भवन)	1,02.04	..	1,02.04	17.83	2,40.16	(+) 472.29
(47) सामान्य भवन (राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भवन)	1,55.39	..
(48) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किये गये न्यायिक भवन का निर्माण	39,28.66	..
(49) खान एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर	2,45.76	..
(51) तेरहवें वित्त आयोग के तहत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में निर्माण कार्य	3,08.51	..
(52) सामान्य भवन (भू-प्रबन्ध विभाग)	34.50	..	34.50	..	2,85.05	..
(54) निदेशालय गोपालन में निर्माण कार्य	2,20.66	..	2,20.66	2,37.45	5,28.92	(-) 7.07
(55) सामान्य भवन (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला)	7,71.91	..	7,71.91	3,16.65	15,47.73	(+) 143.77
(56) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का आधुनिकीकरण	1,58.07	..	1,58.07	..	1,58.07	..
(57) राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का निर्माण कार्य	6,50.00	..	6,50.00	1,00.00	7,50.00	(+) 550.00
अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक ₹1 करोड़ और कम लागत का	68,75.55 (क)	..
योग - 051	2,53,34.87	42,29.62	2,95,64.49	2,56,40.25	25,78,46.63	(+) 15.30

(क) इसमें कार्यों की लागत का विचार किए बिना, अप्रचलित लेखा मर्दों पर व्यय से संबंधित राशि ₹ 34,21,73,366 सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः)						
<i>80. सामान्य-(क्रमशः)</i>						
052. मशीनरी तथा उपस्कर	4,13.63	76.63	4,90.26	5,09.35	37,48.63	(-) 3.75
योग - 052	4,13.63	76.63	4,90.26	5,09.35	37,48.63	(-) 3.75
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता						
(01) रियल एस्टेट डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड	2,00.00	..
योग - 190	2,00.00	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(01) सामान्य भवन (जेल विभाग)	17.14	..	17.14	1,17.96	1,35.10	(-) 85.47
(03) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)	2,45.21	..	2,45.21	..	9,55.54	..
(04) सामान्य भवन (भू-राजस्व)	5,53.76	..	5,53.76	9,11.08	24,53.22	(-) 39.22
(05) सामान्य भवन (सार्वजनिक निर्माण विभाग)	55.13	..	55.13	23.54	1,42.49	(+) 134.20
(06) सामान्य भवन (परिवहन विभाग)	19.55	..	19.55	50.92	1,68.93	(-) 61.61
अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक ₹1 करोड़ और कम लागत का	1.24	..	1.24	20.25	60.67	(-) 93.88
योग - 789	8,92.03	..	8,92.03	11,23.75	39,15.95	(-) 20.62

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त)						
80. सामान्य - (समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
(01) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)	10.00	..	10.00	76.31	1,38.20	(-) 86.90
(02) सामान्य भवन (कोष एवं लेखा विभाग)	69.52	..	69.52	25.53	4,14.49	(+) 172.31
(04) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)	4,25.77	..	4,25.77	..	6,28.43	..
(05) न्यायिक भवन (जनजातिय क्षेत्र उपयोगना)	3,55.67	1,19.69	4,75.36	5,59.13	15,51.04	(-) 14.98
(06) सामान्य भवन (आबकारी विभाग विभाग)	50.72	..	50.72	27.58	8,64.07	(+) 83.90
(07) सामान्य भवन (भू-राजस्व)	4,32.96	..	4,32.96	14,38.31	43,47.94	(-) 69.90
अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक ₹ 1 करोड़ और कम लागत का	56.71	..	56.71	38.75	3,53.11	(+) 46.35
योग - 796	14,01.35	1,19.69	15,21.04	21,65.61	82,97.28	(-) 29.76
800. अन्य व्यय	5.40	..
योग - 800	5.40	..
योग - 80	3,03,66.80	48,47.44	3,52,14.24	3,22,40.64	29,42,86.14	(+) 9.22
योग - 4059	3,03,66.80	48,47.44	3,52,14.24	3,22,40.64	29,42,86.14	(+) 9.22

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)						
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
003. प्रशिक्षण	15,03.68	..	15,03.68	17,22.39	58,24.73	(-) 12.70
800. अन्य व्यय	4,06.00	..
योग - 4070	15,03.68	..	15,03.68	17,22.39	62,30.73	(-) 12.70
योग - क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	4,72,78.69	54,35.53	5,27,14.22	4,36,52.08	41,92,24.86	(+) 20.76
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा						
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय						
01. सामान्य शिक्षा						
201. प्रारम्भिक शिक्षा	..	26,60.73	26,60.73	39.00	2,39,94.43	(+) 6722.38
202. माध्यमिक शिक्षा	1,64,59.17	89,85.27	2,54,44.44	31,14.92	3,93,27.36	(+) 716.86
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	39,66.00	22,63.58	62,29.58	27,42.23	2,11,29.51	(+) 127.17
204. प्रौढ़ शिक्षा	2.88	..
205. भाषा विकास	1,17.79	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	27,26.94	33,33.41	60,60.35	6,95.70	78,69.16	(+) 771.12
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	24,13.72	26,89.06	51,02.78	6,83.49	79,39.72	(+) 646.58
योग - 01	2,55,65.83	1,99,32.05	4,54,97.88	72,75.34	10,03,80.85	(+) 525.37

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा- (क्रमशः)						
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- (क्रमशः)						
<i>02. तकनीकी शिक्षा</i>						
104. बहुशिल्प	32.55	1,36.80	1,69.35	10,36.50	3,86,87.86	(-) 83.66
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4,14.62	..	4,14.62	3,21.15	25,79.25	(+) 29.10
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,25.96	4.69	3,30.65	6,27.28	27,89.79	(-) 47.29
योग - 02	7,73.13	1,41.49	9,14.62	19,84.93	4,40,56.90	(-) 53.92
<i>03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं</i>						
102. खेलकूद स्टेडिया	14,52.70	..	14,52.70	12,69.10	1,25,28.76	(+) 14.47
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4,70.36	..	4,70.36	6,35.98	21,36.29	(-) 26.04
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,40.40	..	3,40.40	6,01.00	19,23.25	(-) 43.36
800. अन्य व्यय	1,32.21	..
योग - 03	22,63.46	..	22,63.46	25,06.08	1,67,20.51	(-) 9.68
<i>04. कला तथा संस्कृति</i>						
101. ललित कला शिक्षा	6,07.76	..
104. अभिलेखागार	4,02.96	..	4,02.96	20.00	5,04.64	(+) 1914.80
105. सार्वजनिक पुस्तकालय	99.06	..	99.06	50.75	6,21.68	(+) 95.19
106. संग्रहालय	19,00.00	..	19,00.00	..	1,38,80.73	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-(समाप्त)						
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
04. कला तथा संस्कृति -(समाप्त)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2.95	..	2.95	10.97	1,54.66	(-) 73.11
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2.23	..	2.23	9.30	1,19.68	(-) 76.02
800. अन्य व्यय	3,78.72	..	3,78.72	50.00	6,45.31	(+) 657.44
कार्यों की लागत का विचार किए बिना अप्रचलित लेखा मदों से संबंधित अन्य व्यय	42.89	..
योग - 04	27,85.92	..	27,85.92	1,41.02	1,65,77.35	(+) 1875.55
योग - 4202	3,13,88.34	2,00,73.54	5,14,61.88	1,19,07.37	17,77,35.61	(+) 332.19
योग - (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा	3,13,88.34	2,00,73.54	5,14,61.88	1,19,07.37	17,77,35.61	(+) 332.19
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा						
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय						
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं						
102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना	1,55.19	..
110. अस्पताल तथा औषधालय	39,67.92	..	39,67.92	23,74.14	5,03,49.38	(+) 67.13
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	7,88.36	..	7,88.36	1,10.16	24,63.37	(+) 615.65

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - (समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	19.62	..	19.62	37.25	14,67.01	(-) 47.33
800. अन्य व्यय	9,39.91	..
योग -01	47,75.90	..	47,75.90	25,21.55	5,53,74.86	(+) 89.40
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं						
101. स्वास्थ्य उप-केन्द्र	65,29.18	..
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	90,22.96	..
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	2,91.53	..	2,91.53	2,75.31	64,33.02	(+) 5.89
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	23,87.39	..	23,87.39	46,54.61	1,41,04.76	(-) 48.71
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	11,43.23	..	11,43.23	34,79.20	1,05,00.50	(-) 67.14
800. अन्य व्यय	61,98.89	..	61,98.89	1,20,77.19	3,70,76.92	(-) 48.67
योग -02	1,00,21.04	..	1,00,21.04	2,04,86.31	8,36,67.34	(-) 51.08
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान						
001. निदेशन तथा प्रशासन	8.01	7,72.59	(-) 100.00
101. आयुर्वेद	70.53	..	70.53	24.02	6,91.35	(+) 193.63
105. एलोपैथी	2,23,20.14	1,80,84.80	4,04,04.94	2,64,07.23	20,34,18.99	(+) 53.01

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--(क्रमशः)						
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा--(क्रमशः)						
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय--(समाप्त)						
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान--(समाप्त)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	44,48.29	5,10.00	49,58.29	16,96.80	75,74.75	(+) 192.21
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	50,32.85	4,90.00	55,22.85	3,90.42	70,43.52	(+) 1314.59
800. अन्य व्यय	1,60.00	..
योग -03	3,18,71.81	1,90,84.80	5,09,56.61	2,85,26.48	21,96,61.20	(+) 78.63
80. सामान्य						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	5,00.00 (क)	..
योग -80	5,00.00	..
योग -4210	4,66,68.75	1,90,84.80	6,57,53.55	5,15,34.34	35,92,03.40	(+) 27.59
4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय						
101. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	..	(-) 9.30	(-) 9.30 (ख)	(-) 1,05.20	30,32.60	(-) 91.16
102. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	78.71	..

(क) राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम, जयपुर में निवेश।

(ख) ऋण व्यय पूर्व वर्ष की अवशेष राशि जमा कराये जाने के कारण हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-(समाप्त)						
4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
103. मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य	12,14.50	..
800. अन्य व्यय	71,70.80	..
योग -4211	..	(-) 9.30	(-) 9.30	(-) 1,05.20	1,14,96.61	(-) 91.16
योग -(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	4,66,68.75	1,90,75.50	6,57,44.25	5,14,29.14	37,07,00.01	(+) 27.83
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा						
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय						
01. जलपूर्ति						
003. प्रशिक्षण	99.12	..
101. शहरी जलपूर्ति	6,46,99.82	..	6,46,99.82	5,77,32.86	80,87,62.37	(+) 12.07
102. ग्रामीण जलपूर्ति	19,03,65.48	5,98,94.10	25,02,59.58	23,29,62.79	2,33,08,77.29 (क)	(+) 7.42
घटाइये शीर्ष 8235 के अंतर्गत आरक्षित निधि से पूरित व्यय	(-) 2,08,71.19	..
शुद्ध -102	19,03,65.48	5,98,94.10	25,02,59.58	23,29,62.79	2,31,00,06.10	(+) 7.42

(क) इसमें राजस्थान जलपूर्ति तथा मल-जल निगम, जयपुर में निवेश (₹ 7,800) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय -(समाप्त)						
01. जलपूर्ति-(समाप्त)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	6,49,91.60	1,54,68.69	8,04,60.29	7,36,23.79	39,57,52.69	(+) 9.29
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	5,01,85.98	1,19,01.42	6,20,87.40	5,47,98.42	30,16,03.66	(+) 13.30
799. उर्ध्व	15,85.76	..	15,85.76	4,02.70	72,88.67	(+) 293.78
800. अन्य व्यय	8.48	..
902. घटाइये- मूल्य हास आरक्षित निधि से पूरित राशि-जलदाय विभाग	(-) 49.22	..	(-) 49.22	(-) 1,23.95	(-) 1,48,02.01	(-) 60.29
योग -01	37,17,79.42	8,72,64.21	45,90,43.63	41,93,96.61	3,80,87,19.08	(+) 9.45
02. मल-जल तथा सफाई						
106. मल-जल सेवाएं	27.02	86,81.03	(-) 100.00
योग -02	27.02	86,81.03	(-) 100.00
योग -4215	37,17,79.42	8,72,64.21	45,90,43.63	41,94,23.63	3,81,74,00.11	(+) 9.45
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय						
01. सरकारी रिहायशी भवन						
106. साधारण पूल आवास	4,40.82	..	4,40.82	2,35.10	2,37,58.06	(+) 87.50

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय -(समाप्त)						
01. सरकारी रिहायशी भवन-(समाप्त)						
107. पुलिस आवास	1,81,23.59	..
700. अन्य आवास	11,36.64	2,24.37	13,61.01	4,18.78	1,05,95.65	(+) 224.99
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	94.26	1,41.38	2,35.64	64.05	8,70.68	(+) 267.90
योग -01	16,71.72	3,65.75	20,37.47	7,17.93	5,33,47.98	(+) 183.80
02. शहरी आवास						
800. अन्य व्यय	55.15	..
योग -02	55.15	..
80. सामान्य						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	99.60(क)	..
800. अन्य व्यय	2.30	..
योग-80	1,01.90	..
योग-4216	16,71.72	3,65.75	20,37.47	7,17.93	5,35,05.03	(+) 183.80

(क) राजस्थान राज्य आवासीय सहकारी समितियों (₹ 62.85 लाख) तथा आवासीय सहकारी समितियों (₹ 36.75 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय						
02. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	12,50.00 (क)	..
योग-02	12,50.00	..
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	33,00.00 (ख)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	20,85.48	47,21.25	68,06.73 *	72,89.85	2,65,33.92	(-) 6.63
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	15,77.62	35,69.40	51,47.02 *	55,23.03	1,99,62.51	(-) 6.81
800. अन्य व्यय	1,02,53.70	1,81,88.61	2,84,42.31 *	2,85,14.47	40,24,08.21	(-) 0.25
योग - 03	1,39,16.80	2,64,79.26	4,03,96.06	4,13,27.35	45,22,04.64	(-) 2.25
04. गंदी बस्तियों का विकास						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	45.18	1,55.05	2,00.23	7,70.54	1,12,42.81	(-) 74.01
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	34.10	49.55	83.65	5,83.71	84,36.70	(-) 85.67
800. अन्य व्यय	1,74.00	2,70.00	4,44.00	29,71.95	7,55,41.89	(-) 85.06
योग - 04	2,53.28	4,74.60	7,27.88	43,26.20	9,52,21.40	(-) 83.18

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यातायात निगम लिमिटेड में निवेश।

* स्थानीय निकायों इत्यादि को जारी निधियां।

(ख) राजस्थान शहरी ढांचागत वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः) (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)						
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त) 60. अन्य शहरी विकास योजनाएं						
050. भूमि	3,74,15.29	..	3,74,15.29	2,20,63.78	33,53,83.45	(+) 69.58
051. निर्माण	2,02.03	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	1,30,20.00	..	1,30,20.00	2,00,00.00	18,24,74.54 (क)	(-) 34.90
योग - 60	5,04,35.29	..	5,04,35.29	4,20,63.78	51,80,60.02	(+) 19.90
योग -4217	6,46,05.37	2,69,53.86	9,15,59.23	8,77,17.33	1,06,67,36.06	(+) 4.38
योग - (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	43,80,56.51	11,45,83.82	55,26,40.33	50,78,58.89	4,93,76,41.20	(+) 8.82
(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा						
4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय 60. अन्य						
101. भवन	2,48.55	..	2,48.55	1,70.75	15,53.24	(+) 45.56
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	22.35	1,80.03	(-) 100.00
योग -4220	2,48.55	..	2,48.55	1,93.10	17,33.27	(+) 28.72
योग - (घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा	2,48.55	..	2,48.55	1,93.10	17,33.27	(+) 28.72

(क) जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 14,94,03.54 लाख), राजस्थान आवास विकास लिमिटेड, जयपुर (₹ 51.00 लाख), स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड, कोटा (₹ 65,40.00 लाख), स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड, अजमेर (₹ 64,80.00 लाख), स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,00,00.00 लाख) तथा स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड, उदयपुर (₹ 1,00,00.00 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा						
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय						
<i>01. अनुसूचित जातियों का कल्याण</i>						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	8,42.12 (क)	..
277. शिक्षा	5,53.66	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	14,98.04	54.45	15,52.49	5,05.55	2,43,55.64 (ख)	(+) 207.09
योग - 01	14,98.04	54.45	15,52.49	5,05.55	2,57,51.42	(+) 207.09
<i>02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	4,17.00 (ग)	..
277. शिक्षा	53,77.25	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	27,55.31	1,49,51.94	1,77,07.25	2,25,23.39	19,86,08.02	(-) 21.38
योग - 02	27,55.31	1,49,51.94	1,77,07.25	2,25,23.39	20,44,02.27	(-) 21.38
<i>03. पिछड़े वर्गों का कल्याण</i>						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	4,71.00 (घ)	..
277. शिक्षा	12.45	..	12.45	7.25	14,92.48	(+) 71.72

(क) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम में निवेश।

(ग) राजस संघ में निवेश।

(ख) इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड (₹ 7,80.89 लाख) तथा राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड (₹ 3,90.66 लाख) में निवेश सम्मिलित हैं।

(घ) इसमें राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,60.00 लाख) तथा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,11.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-(समाप्त)						
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण-(समाप्त)						
800. अन्य व्यय	27,84.72	..	27,84.72	17,12.05	2,22,50.61 (क)	(+) 62.65
योग - 03	27,97.17	..	27,97.17	17,19.30	2,42,14.09	(+) 62.69
04 अल्पसंख्यकों का कल्याण						
102. आर्थिक विकास	11,38.09	43,88.60	55,26.69	51,13.95	1,35,04.70	(+) 8.07
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	11,70.67 (ख)	..
800. अन्य व्यय	1,60.57	..	1,60.57	4,65.71	11,73.88	(-) 65.52
योग - 04	12,98.66	43,88.60	56,87.26	55,79.66	1,58,49.25	(+) 1.93
80. सामान्य						
800. अन्य व्यय	8,15.90	..
योग - 80	8,15.90	..
योग -4225	83,49.18	1,93,94.99	2,77,44.17	3,03,27.90	27,10,32.93	(-) 8.52
योग - (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	83,49.18	1,93,94.99	2,77,44.17	3,03,27.90	27,10,32.93	(-) 8.52

(क) व्यय देवनारायण योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित हैं।

(ख) राष्ट्रीय अल्प संख्यक वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--(क्रमशः)						
(च) समाज कल्याण तथा पौषण का पूंजीगत लेखा						
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय						
<i>01. पुनर्वास</i>						
800. अन्य व्यय	(-) 28.17 (क)	..
योग - 01	(-) 28.17	..
<i>02. समाज कल्याण</i>						
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	4,85.71	..
102. बाल कल्याण	2,71.22	89.82	3,61.04	3,50.56	38,13.96	(+) 2.99
103. महिला कल्याण	45.86	1.00	46.86	74.13	70,14.89	(-) 36.79
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	5,90.44 (ख)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4,34.43	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	4.60	4.60	..	3,59.19	..
800. अन्य व्यय	2,21.58	47.27	2,68.85	2,09.31	50,44.74	(+) 28.45
योग - 02	5,38.66	1,42.69	6,81.35	6,34.00	1,77,43.36	(+) 7.47
<i>60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम</i>						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	5,00.00 (ग)	..

(क) ऋण आंकड़े, व्यय पर प्राप्तियां तथा वसूलियां अधिक होने के कारण हैं।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 3,90.44 लाख) तथा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,00.00 लाख) में निवेश।

(ग) राजस्थान एक्स सर्विस मेन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा -(समाप्त)						
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय -(समाप्त)						
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-(समाप्त)						
200. अन्य कार्यक्रम	6,92.36	..
800. अन्य व्यय	1,87.31	..	1,87.31	2,65.26	16,21.54	(-) 29.39
योग - 60	1,87.31	..	1,87.31	2,65.26	28,13.90	(-) 29.39
योग -4235	7,25.97	1,42.69	8,68.66	8,99.26	2,05,29.09	(-) 3.40
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय						
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	34.40	51.60	86.00	6,22.00	24,97.50	(-) 86.17
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	26.42	37.50	63.92	6,35.71	20,44.63	(-) 89.95
800. अन्य व्यय	15,95.66	2,41.50	18,37.16	25,84.83	2,57,36.29	(-) 28.93
योग -4236	16,56.48	3,30.60	19,87.08	38,42.54	3,02,78.42	(-) 48.29
योग - (च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा	23,82.45	4,73.29	28,55.74	47,41.80	5,08,07.51	(-) 39.78

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)	
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग				
(₹ लाख में)							
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)							
(छ) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा							
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय							
201. श्रम	43.37	..	43.37	38.26	5,96.67 (क)	(+) 13.36	
203. रोजगार	1,25,86.23	2.68	1,25,88.91	1,03,90.90	4,45,58.76	(+) 21.15	
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	48,58.45	..	48,58.45	28,04.43	99,11.91	(+) 73.24	
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	33,40.40	..	33,40.40	12,43.28	57,95.26	(+) 168.68	
800. अन्य व्यय	6,11.49	..	6,11.49	4,93.29	64,82.76	(+) 23.96	
	योग - 4250	2,14,39.94	2.68	2,14,42.62	1,49,70.16	6,73,45.36	(+) 43.24
	योग - (छ) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा	2,14,39.94	2.68	2,14,42.62	1,49,70.16	6,73,45.36	(+) 43.24
	योग - ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	54,85,33.72	17,36,03.82	72,21,37.54	62,14,28.36	5,87,69,95.89	(+) 16.21
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा							
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा							
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय							
001. निदेशन तथा प्रशासन	6.83	..	
103. बीज	94.42	..	
104. कृषि फार्म	57.19	..	

(क) इसमें श्रम ठेका सहकारी समितियों में निवेश के ₹ 6,13,333 (शुद्ध) सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त)						
105. खाद तथा उर्वरक	13.35	9,33.47	(-) 100.00
108. वाणिज्यिक फसलें	84.79	..
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें	15.53	22.37	37.90	63.54	6,95.54	(-) 40.35
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	9,68.62 (क)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	14,10.22	13,85.56	27,95.78	31,26.65	1,50,84.05	(-) 10.58
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	9,93.21	8,17.80	18,11.01	20,40.12	1,32,95.41	(-) 11.23
800. अन्य व्यय	70,79.57	64,27.11	1,35,06.68	2,01,68.45	14,08,82.35	(-) 33.03
योग -4401	94,98.53	86,52.84	1,81,51.37	2,54,12.11	17,21,02.67	(-) 28.57
4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय						
102. मृदा संरक्षण	24.24	3,19,13.94	(-) 100.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	5,43.22	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	39,43.56	..
योग -4402	24.24	3,64,00.72	(-) 100.00

(क) इसमें (i) राजस्थान स्टेट एगो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (₹ 4,12,96,700), राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,10,00,000) तथा राजस्थान मिशन ऑन स्किल एण्ड लिवलीहुड कम्पनी लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,00,000) में निवेश, (ii) वर्ष 1990-91 में निवेश के रूप में गलत दिखाये गये ₹ 9,97,436 को सहायतार्थ अनुदान में सही प्रोफार्मा द्वारा सुधार, (iii) ₹ 10 राजस्थान सरकार के पक्ष में केन्द्र सरकार अंश विनिवेश हेतु स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित तथा (iv) ₹ 30,68,459 के एक करोड़ से कम से संबंधित कार्य सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय						
101. पशु-चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य	28,80.57	22.25	29,02.82	4,50.55	89,01.73	(+) 544.28
102. पशु तथा भैंस विकास	1,25.93	..
103. कुक्कुट विकास	82.89	..
104. भेड़ तथा ऊन विकास	52.43	..
105. सूअर बाड़ा-विकास	6.51	..
106. अन्य पशुधन विकास	11.82	..
107. चारा तथा चारागाह विकास	20.41	..
109. विस्तार तथा प्रशिक्षण	35.28	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	32.20	..
योग -4403	28,80.57	22.25	29,02.82	4,50.55	92,69.20	(+) 544.28
4404. डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय						
102. डेरी विकास परियोजनाएं	6,76.91 (क)	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	69.99 (ख)	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	(-) 0.02 (ग)	..
योग -4404	7,46.88	..

(क) इसमें जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (₹ 2,11.32 लाख) तथा राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹15.69 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन (₹ 69,99,400) में निवेश। (ग) ऋण आंकड़े, व्यय पर प्राप्तियां तथा वसूलियां अधिक होने के कारण हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय						
101. अन्तर्देशीय मछली-पालन	1,69.22	1,25.00	2,94.22	1,02.67	13,29.25	(+) 186.57
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,67.90	..
योग -4405	1,69.22	1,25.00	2,94.22	1,02.67	15,97.15	(+) 186.57
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय						
01. वानिकी						
070. संचार तथा भवन	2,05.21	..	2,05.21	1,00.00	46,06.85	(+) 105.21
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण	14,88.35	73.25	15,61.60	21,93.51	1,80,87.42	(-) 28.81
102. समाज तथा फार्म वानिकी	57,49.90	..	57,49.90	75,44.08	8,56,18.76	(-) 23.78
105. वन उत्पाद	6,65.58	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	16.75 (क)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	25,35.64	..	25,35.64	28,02.31	1,90,83.21	(-) 9.52
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	19,38.91	..	19,38.91	25,68.49	2,91,27.14	(-) 24.51
800. अन्य व्यय	6,22.11	..	6,22.11	10,27.64	1,64,04.51	(-) 39.46
योग - 01	1,25,40.12	73.25	1,26,13.37	1,62,36.03	17,36,10.22	(-) 22.31

(क) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय -(समाप्त)						
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव						
110. वन्य जीव	13,84.00	4,09.15	17,93.15	1,94.51	72,72.37	(+) 821.88
111. चिड़ियाघर	2,06.30	..	2,06.30	1,30.09	19,76.71	(+) 58.58
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4,44.09	..	4,44.09	1,17.95	23,73.40	(+) 276.51
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,26.63	..
800. अन्य व्यय	10,01.12	..	10,01.12	6,95.69	34,53.20	(+) 43.90
योग - 02	30,35.51	4,09.15	34,44.66	11,38.24	1,52,02.31	(+) 202.63
योग -4406	1,55,75.63	4,82.40	1,60,58.03	1,73,74.27	18,88,12.53	(-) 7.58
4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय						
01. खाद्य						
101. अधिप्राप्ति तथा पूर्ति - निवल व्यय	(-) 14,35.17 (क)	..
योग -01	(-) 14,35.17	..
02. भंडारण तथा भांडागार						
101. ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम	10,68.56 (ख)	..

(क) ऋण आंकड़े, प्राप्ति एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण हैं।

(ख) सहकारी समितियों में गोदाम हेतु निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
02. भंडारण तथा भांडागार-(समाप्त)						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	4,12.63 (क)	..
योग -02	14,81.19	..
योग -4408	46.02	..
4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय						
01. फसल कृषि-कर्म						
004. अनुसंधान	1,45.23	..
277. शिक्षा	12,42.06	..
योग - 01	13,87.29	..
03. पशु-पालन						
277. शिक्षा	1,94.77	..
योग - 03	1,94.77	..

(क) राजस्थान राज्य भाण्डागार निगम, जयपुर (₹ 3,92.63 लाख) तथा राजस्थान राज्य सहकारी व्यापारिक संगठन (₹ 20.00 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
06. वानिकी						
004. अनुसंधान	17.85	..
योग - 06	17.85	..
योग - 4415	15,99.91	..
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय						
003. प्रशिक्षण	56.24	..
योग -003	56.24	..
107. क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश						
(01) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी समितियों के हिस्सों का क्रय	72,86.86	..
(02) पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत निवेश	8,40.00	..
(05) नवगठित क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में निवेश	1,50.00 (क)	..

(क) भाण्डागार एवं विपणन सहकारी समितियों में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- (क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः)						
107. क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश-(समाप्त)						
क्रेडिट सहकारी समितियों में अन्य निवेश, प्रत्येक ₹ 1 करोड़ और कम लागत का						
	18,57.57 (क)	..
	योग - 107			..	1,08,15.84	..
108. अन्य सहकारी समितियों में निवेश						
(01) संसाधन सहकारी समितियों में निवेश						
	5,27.23 (ख)	..
(03) महिला सहकारी समितियों के लिये निवेश						
	1,11.97	..
(05) विशेष केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य बहुल समितियों में निवेश						
	2,01.53	..
(09) स्पिन फेड में निवेश						
	38,91.13	..

(क) इसमें अप्रचलित लेखा मदों से सम्बन्धित ₹ 14,53,27,756 सम्मिलित है, जिसमें राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर (₹ 6,26,38,500), राजस्थान केन्द्रीय सहकारी तथा बन्धक बैंक लिमिटेड, जयपुर (₹ 7,02,39,256), केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, भरतपुर (₹ 62,50,000), अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अलवर (₹ 50,50,000) तथा किसान सेवा केन्द्र की स्थापना के लिये ग्राम सेवा सहकारिता (₹ 11,50,000) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 30,000 वर्ष के अन्त तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किये गये।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
108. अन्य सहकारी समितियों में निवेश - (समाप्त)						
अन्य सहकारी समितियां - प्रत्येक निवेश ₹ 1 करोड़ और कम लागत का	43,55.04 (क)	..
योग - 108	67,44.85	..
195. सहकारिता में निवेश						
(01) क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश	6,91.00	6,91.00	(-) 100.00
(02) क्रय-विक्रय सहकारी समितियों (आयोजना) के निर्माण में निवेश	45.00 (ख)	..
(03) अन्य सहकारी समितियों में निवेश	3.00	11,16.02	11,19.02	11,68.69	1,23,92.57 (ग)	(-) 4.25
(04) अनुसूचित जातियों के लिए सहकारी समितियों में निवेश	0.30	..	0.30	0.30	6.15 (घ)	..

(क) इसमें अप्रचलित लेखा मदों से सम्बन्धित व्यय की राशि ₹ 43,55,23,144 सम्मिलित है, जिसमें औद्योगिक सहकारी समितियों (₹ 7,05,048) में निवेश, कॉटन शीड एक्स्ट्रेक्शन प्लान्ट कम आईल मिल (₹ 41,46,75,000) के लिए निवेश, राजस्थान राज्य तिलम संघ/स्पिन फेडरेशन (₹ 1,36,50,000) में निवेश तथा ₹ 1 करोड़ और कम लागत से संबंधित विकलांग व्यक्तियों की सहकारी समितियों [₹ 56,000 (निवल)] में निवेश भी सम्मिलित हैं।

(ख) क्रय विक्रय सहकारी समितियों के लिए निवेश।

(ग) (i) महिला सहकारी समितियों (₹ 32.45 लाख), सूक्ष्म सहकारिता विकास (₹ 1,13,10.12 लाख), सहकारी उपभोक्ता भंडार (₹ 50.00 लाख) तथा राजस्थान सहकारी वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड (₹ 10,00.00 लाख) में निवेश। (ii) सूक्ष्म सहकारिता विकास से सम्बन्धित पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 13,97,23,449 वर्ष के अन्त तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किये गये।

(घ) महिला सहकारी समितियों (₹ 6.15 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
195. सहकारिता में निवेश - (समाप्त)						
(05) जनजातियों के लिए सहकारी समितियों में विनियोजन	0.30	5,74.59	5,74.89	9,84.93	42,92.35 (क)	(-) 41.63
योग - 195	3.60	16,90.61	16,94.21	28,44.92	1,90,87.71	(-) 40.45
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना						
(01) सहकारी समितियों के अंशों का क्रय	1,25.00 (ख)	..
योग - 789	1,25.00	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
(01) सहकारी समितियों से हिस्सों का क्रय	9,13.53	..
(02) सहकारी समितियों से हिस्से क्रय करने हेतु निवेश	2,64.58	..
(03) समग्र सहकारिता विकास हेतु निवेश	2,45.10	..
(04) पुर्नस्थापना योजना के अंतर्गत पूंजी निवेश	1,20.00	..
जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न समितियों में अन्य निवेश प्रत्येक ₹ 1 करोड़ और कम लागत का	5,10.62 (ग)	..
योग - 796	20,53.83	..

(क) (i) महिला सहकारी समितियों (₹ 7.65 लाख) तथा समग्र सहकारी समितियों का विकास (₹ 42,84.70 लाख) में निवेश। (ii) समग्र सहकारिता विकास से सम्बन्धित पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 2,63,40,199 वर्ष के अन्त तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किये गये।
(ख) महिला सहकारी समितियों में निवेश।

(ग) इसमें महिला सहकारी समितियों (₹ 12.85 लाख) तथा जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहकारी समितियों (₹ 0.40 लाख) में निवेश सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)						
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त)						
800. अन्य व्यय	78.36 (क)	..
योग - 800	78.36	..
योग -4425	3.60	16,90.61	16,94.21	28,44.92	3,89,61.83	(-) 40.45
4435. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण						
101. विपणन सुविधाएं	1,88.00	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	41,76.78 (ख)	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,25.05 (ग)	..
योग -4435	46,89.83	..
योग - (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा	2,81,27.55	1,09,73.10	3,91,00.65	4,62,08.76	45,42,26.74	(-) 15.38

(क) इसमें अन्य सहकारी समितियों (₹ 64.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) इसमें विपणन समितियों (₹ 7,93,31,515), राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,23,00,000), तिलम संघ (₹ 22,00,00,000) तथा राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ, जयपुर (₹ 4,27,31,430) में निवेश सम्मिलित है।

(ग) इसमें विपणन समितियों (₹ 37.40 लाख) में निवेश तथा सहकारिताओं की पार्श्व मुद्रा की आवश्यकता हेतु निवेश (₹ 2,67.30 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा						
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय						
101. पंचायती राज						
(01) जवाहर रोजगार योजना	2,38,42.59	..
(02) सुनिश्चित रोजगार योजना	1,29,65.27	..
(03) अपना गांव अपना काम योजना	46,02.28	..
(04) निर्बन्ध जिला योजना	44,26.10	..
(05) बत्तीस जिले बत्तीस काम	62,65.50	..
(06) सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राज्यांश)	51,75.81	..
(07) ग्रामीण विकास केन्द्रों हेतु जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	13,03.15	..
(11) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	3,42,50.00	..	3,42,50.00 #	2,74,80.00	30,62,99.60	(+) 24.64
(12) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	1,84,73.01	..
(14) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	92,86.22	..
(15) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम	3,34.55	..
(16) स्वविवेक जिला विकास योजना	2,06.00	..	2,06.00 #	2,74.80	50,82.73	(-) 25.04
(18) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	25,00.00	..
(19) ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना	1,13,28.00	..
(20) गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना	85,82.00	..	85,82.00 #	68,70.00	2,57,57.00	(+) 24.92
योग - 101	4,30,38.00	..	4,30,38.00	3,46,24.80	43,76,41.81	(+) 24.30

यह जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गई निधियां दर्शाता है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
102. सामुदायिक विकास						
(01) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन) के माध्यम से	7,94.60	..
योग - 102	7,94.60	..
103. ग्राम विकास						
(01) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से	17,22.08	..	17,22.08 *	29,58.99	76,81.54	(-) 41.80
योग - 103	17,22.08	..	17,22.08	29,58.99	76,81.54	(-) 41.80
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(01) सुनिश्चित रोजगार योजना	12,21.16	..
(02) जवाहर रोजगार योजना	14,68.40	..
(03) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	52,49.01	..
(04) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	90,00.00	..	90,00.00 #	71,20.00	6,73,12.10	(+) 26.40
(05) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	22,02.76	..
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	16,66.75	..

* पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु जारी की गयी निधियां ।

यह जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है ।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना - (समाप्त)						
(07) सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राज्यांश)	3,90.77	..
(09) स्वविवेक जिला विकास योजना	53.50	..	53.50 #	71.20	9,03.38	(-) 24.86
(10) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से	3,33.39	..	3,33.39 *	7,47.24	15,34.91	(-) 55.38
(11) ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना	24,07.99	..
(13) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	22,30.00	..	22,30.00 #	17,80.00	66,80.00	(+) 25.28
योग - 789	1,16,16.89	..	1,16,16.89	97,18.44	9,10,37.23	(+) 19.53
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
(01) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत	37,47.96	..
(02) सुनिश्चित रोजगार योजना	12,89.55	..
(03) अपना गांव अपना काम योजना	6,80.29	..
(04) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	28,37.94	..
(05) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	67,50.00	..	67,50.00 #	54,00.00	4,91,35.00	(+) 25.00
(06) सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राज्यांश)	23,59.67	..

यह जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है।

* पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु जारी की गयी निधियां।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)						
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - (समाप्त)						
(07) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	14,46.95	..
(08) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	42,75.70	..
(10) स्वविवेक जिला विकास योजना	40.50	..	40.50 #	54.00	6,67.95	(-) 25.00
(11) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से	4,44.53	..	4,44.53 *	6,06.52	15,00.55	(-) 26.71
(12) ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना	17,64.00	..
(13) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	16,88.00	..	16,88.00 #	13,50.00	50,63.00	(+) 25.04
योग - 796	89,23.03	..	89,23.03	74,10.52	7,47,68.56	(+) 20.41
800. अन्य व्यय						
(04) विश्व बैंक की सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना हेतु	1,13,96.14	..
योग - 800	1,13,96.14	..
योग - 4515	6,53,00.00	..	6,53,00.00	5,47,12.75	62,33,19.88	(+) 19.35
योग - (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	6,53,00.00	..	6,53,00.00	5,47,12.75	62,33,19.88	(+) 19.35

यह जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है।

* पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु जारी की गयी निधियां।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--(क्रमशः)						
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा						
4575. अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय						
<i>01. डांग जिले</i>						
101. डांग क्षेत्र का विकास	33,10.00	..	33,10.00#	32,31.27	2,28,45.02	(+) 2.44
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	8,89.00	..	8,89.00#	8,50.00	55,61.72	(+) 4.59
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	7,42.00	..	7,42.00#	6,45.00	40,93.97	(+) 15.04
योग -01	49,41.00	..	49,41.00	47,26.27	3,25,00.71	(+) 4.54
<i>02. पिछड़े क्षेत्र</i>						
102. मेवात क्षेत्र का विकास	33,85.00	..	33,85.00#	30,42.00	2,43,60.72	(+) 11.28
103. मगरा क्षेत्र का विकास	32,98.00	..	32,98.00#	30,12.50	2,00,42.74	(+) 9.48
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	20,61.96	4,30.43	24,92.39#	23,83.07	1,25,89.46	(+) 4.59
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	16,30.90	3,25.35	19,56.25#	18,07.07	92,40.57	(+) 8.26
800. अन्य व्यय	11,02.81	16,54.22	27,57.03#	30,48.77	58,05.80	(-) 9.57
योग -02	1,14,78.67	24,10.00	1,38,88.67	1,32,93.41	7,20,39.29	(+) 4.48
<i>03. जनजातीय क्षेत्र</i>						
800. अन्य व्यय	11,80.00	..
योग -03	11,80.00	..

यह जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)						
4575. अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त)						
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)						
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	14,75.23	21,85.00	36,60.23 #	24,38.00	2,51,99.26	(+) 50.13
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	11,16.97	15,60.00	26,76.97 #	18,47.00	1,68,05.56	(+) 44.94
800. अन्य व्यय	56,55.80	78,05.00	1,34,60.80 #	93,51.00	10,58,39.98	(+) 43.95
योग -06	82,48.00	1,15,50.00	1,97,98.00	1,36,36.00	14,78,44.80	(+) 45.19
60. अन्य						
277. शिक्षा	43,32.93	..
287. श्रम और रोजगार	1,34.01	..
800. अन्य व्यय	2,45,15.87	..
योग -60	2,89,82.81	..
योग -4575	2,46,67.67	1,39,60.00	3,86,27.67	3,16,55.68	28,25,47.61	(+) 22.02
योग - (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा	2,46,67.67	1,39,60.00	3,86,27.67	3,16,55.68	28,25,47.61	(+) 22.02

यह जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
01. भाखड़ा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	17,39.95	..	17,39.95	14,02.29	92,58.48	(+) 24.08
052. मशीनरी तथा उपस्कर	(-) 0.03	..	(-) 0.03 (क)	(-) 0.03	(-) 0.66 (क)	..
799. उचंत	(-) 14.36	..	(-) 14.36 (क)	7.75	(-) 32.66 (क)	(-) 285.29
योग -01	17,25.56	..	17,25.56	14,10.01	92,25.16	(+) 22.38
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	39,98.86	..	39,98.86	17,95.17	6,58,59.02	(+) 122.76
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	98.81	..	98.81	71.26	5,58.61	(+) 38.66
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,60.74	..	1,60.74	1,09.26	10,19.29	(+) 47.12
799. उचंत	(-) 86.13 (क)	..
योग -02	42,58.41	..	42,58.41	19,75.69	6,73,50.79	(+) 115.54
03. ब्यास परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,58,47.33	..
योग -03	1,58,47.33	..

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)						
	45.20					
001. निदेशन तथा प्रशासन	3,15,16.33	..	3,15,61.53	2,47,88.88	49,78,67.00 (क)	(+ 27.32
052. मशीनरी तथा उपस्कर	(-) 62.58	..	(-) 62.58 (ख)	(-) 54.21	(-) 6,13.03 (ख)	(+ 15.44
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	74,61.40	..	74,61.40	48,85.03	2,72,59.48	(+ 52.74
799. उर्ध्व	(-) 4,04.45	..	(-) 4,04.45 (ख)	(-) 5,13.78	(-) 65,09.82 (ख)	(-) 21.28
800. अन्य व्यय	2,05,98.60	..
योग -04	45.20 3,85,10.70	..	3,85,55.90	2,91,05.92	53,86,02.23	(+ 32.47
05. इंदिरा गांधी फीडर (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	68,09.20	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	8,36.48	..
योग -05	76,45.68	..

(क) इसमें उपनिवेशन पर (₹ 2,02,30,183), विश्व खाद्य कार्यक्रम (₹ 26,82,481), राजस्थान भूमि विकास निगम से वसूली योग्य 'फार्म डवलपमेंट' पर (₹ 7,47,28,985) तथा पूंजीकृत ब्याज (₹ 6,18,00,000) का व्यय सम्मिलित हैं।

(ख) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
06. मुंडगाव नहर (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	45,33.78	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,03.98	..
योग -06	46,37.76	..
07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,74.76	..	1,74.76	34.00	7,61.04	(+) 414.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	46.26	..	46.26	9.00	1,11.06	(+) 414.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	35.98	..	35.98	7.00	66.40	(+) 414.00
योग -07	2,57.00	..	2,57.00	50.00	9,38.50	(+) 414.00
22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	42.00	..	42.00	3,64.01	1,41,79.39	(-) 88.46
योग -22	42.00	..	42.00	3,64.01	1,41,79.39	(-) 88.46
23. ओखला-वेयर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	20.00	..
योग -23	20.00	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः)						
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,48,92.73	5,24.65	1,54,17.38	78,05.00	22,81,19.40	(+) 97.53
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	15,68.53	1,51.00	17,19.53	23,03.83	1,84,71.10	(-) 25.36
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	10,34.65	1,25.00	11,59.65	24,32.70	1,22,18.63	(-) 52.33
799. उंचंत	(-) 96.86 (क)	..
योग -24	1,74,95.91	8,00.65	1,82,96.56	1,25,41.53	25,87,12.27	(+) 45.89
25. नोहर फीडर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	61,44.86	..
योग -25	61,44.86	..
26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	99.99	..	99.99	76.84	2,56,82.09	(+) 30.13
योग -26	99.99	..	99.99	76.84	2,56,82.09	(+) 30.13
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	8,21.58	..	8,21.58	11,02.94	8,83,20.31	(-) 25.51
योग -27	8,21.58	..	8,21.58	11,02.94	8,83,20.31	(-) 25.51

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः)						
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	9,61.06	..	9,61.06	2,41.89	4,71,11.49	(+) 297.31
052. मशीनरी तथा उपस्कर	(-) 82.54 (क)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	13.46	..	13.46	63.55	8,46.91	(-) 78.82
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,32.82	..
799. उंचंत	27,07.22	..
योग -28	9,74.52	..	9,74.52	3,05.44	5,07,15.90	(+) 219.05
29. इंदिरा लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	36,61.97	..
योग -29	36,61.97	..
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से						
001. निदेशन तथा प्रशासन	6,40.73	4,12.86	10,53.59	13,80.26	6,23,82.57	(-) 23.67
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,29.07	1,17.25	2,46.32	3,06.07	43,92.28	(-) 19.52
योग -31	7,69.80	5,30.11	12,99.91	16,86.33	6,67,74.85	(-) 22.91

(क) ऋण व्यय, प्राप्ति एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	3,59,14.75	..	3,59,14.75	4,72,62.71	8,38,11.32	(-) 24.01
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,60,85.70	..	1,60,85.70	1,26,00.00	2,87,36.26	(+) 27.66
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,26,02.10	..	1,26,02.10	97,99.99	2,24,29.82	(+) 28.59
योग -32	6,46,02.55	..	6,46,02.55	6,96,62.70	13,49,77.40	(-) 7.26
33. काली सिन्ध परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	0.61	..
योग -33	0.61	..
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	26,91.64	..	26,91.64	..	26,91.64	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	9,33.81	..	9,33.81	..	9,33.81	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	7,00.00	..	7,00.00	..	7,00.00	..
योग -34	43,25.45	..	43,25.45	..	43,25.45	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः)						
37. परियोजना का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	6,72.37	..	6,72.37	8,64.11	33,50.91	(-) 22.19
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,64.94	..	1,64.94	2,11.87	5,54.86	(-) 22.15
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,25.99	..	1,25.99	1,70.40	11,42.21	(-) 26.06
योग -37	9,63.30	..	9,63.30	12,46.38	50,47.98	(-) 22.71
40. जयसमन्द परियोजना का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	37.35	..	37.35	..	37.35	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	9.89	..	9.89	..	9.89	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2.07	..	2.07	..	2.07	..
योग -40	49.31	..	49.31	..	49.31	..
80. सामान्य						
001. निदेशन तथा प्रशासन	42,06.95	..	42,06.95	..	42,06.95	..
003. प्रशिक्षण	83.99	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,44.72	..	2,44.72	..	40,60.94	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	87.62	..	87.62	..	24,66.28	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
80. सामान्य -(समाप्त)						
800. अन्य व्यय	8,51,14.08	..
योग -80	45,39.29	..	45,39.29	..	9,59,32.24	..
योग -4700	45.20 13,94,35.37	13,30.76	14,08,11.33	11,95,27.79	1,39,87,92.08	(+) 17.81
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
01. जवाई नहर (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	6,97.36	..
योग -01	6,97.36	..
02. मेजा सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	45,44.59	..
योग -02	45,44.59	..
03. पारबती परियोजना (धौलपुर) (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	41.92	..	41.92	57.05	70,93.37	(-) 26.52
योग -03	41.92	..	41.92	57.05	70,93.37	(-) 26.52

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
04. गुदा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,63.29	..
योग -04	1,63.29	..
05. मोरेल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	2,35.54	..
योग -05	2,35.54	..
06. अलनिया परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,95.06	..
योग -06	1,95.06	..
07. पश्चिमी बनास परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	67.03	..
योग -07	67.03	..
08. बल्लभ नगर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	86.37	..
योग -08	86.37	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
09. बड़गांव परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	76.02	..
योग - 09	76.02	..
10. ओराई सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	63.42	..
योग - 10	63.42	..
11. जैतपुरा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,82.16	..
योग - 11	1,82.16	..
12. गोपालपुरा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	2,52.18	..
योग - 12	2,52.18	..
21. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	7.09	..
योग - 21	7.09	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
23. पांचना परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,24,21.45	..
799. उचंत	(-) 43.42 (क)	..
योग -23	1,23,78.03	..
24. सोम कमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	2,62.30	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,19.81	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,13,45.01	..
योग -24	2,18,27.12	..
25. डया परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,40.06	..
योग -25	1,40.06	..
26. झाडोल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	93.64	..
योग -26	93.64	..

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
27. वागन डाइवर्सन परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	13,96.62	..
योग -27	13,96.62	..
28. लसाडिया परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	28.71	7,65.91	(-) 100.00
योग -28	28.71	7,65.91	(-) 100.00
29. सोम कागदर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	30,98.65	..
योग -29	30,98.65	..
30. भीम सागर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	23,94.13	..
योग -30	23,94.13	..
31. कोठारी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	11,19.79	..
योग -31	11,19.79	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः)						
32. गोमुन्दा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	99.21	..
योग -32	99.21	..
33. बस्सी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	11,63.34	..
योग -33	11,63.34	..
34. खारी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	9,68.92	..
योग -34	9,68.92	..
35. छापी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,07,04.84	..
योग -35	1,07,04.84	..
37. बिलास परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	21,88.89	..
योग -37	21,88.89	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः)						
38. सावन भादों परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	41,06.18	..
799. उंचंत	(-) 25.06 (क)	..
योग -38	40,81.12	..
40. सुकली परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	44,48.76	..
योग -40	44,48.76	..
41. बांदी सेदरा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	33,66.63	..
योग -41	33,66.63	..
42. कानोला परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1.60	..
योग -42	1.60	..

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
43. चंचली परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,02,03.64	..
799. उर्ध्वत	(-) 32.91 (क)	..
योग -43	1,01,70.73	..
44. गंभीरी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	14,66.18	..
योग -44	14,66.18	..
45. जय समन्द परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	14,58.62	..
योग -45	14,58.62	..
46. माषी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	61.16	..
योग -46	61.16	..

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः)						
47. गलवा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	17,91.95	..
योग -47	17,91.95	..
49. छापरवाड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	2.84	..
योग -49	2.84	..
50. कालख परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	0.96	..
योग -50	0.96	..
53. पारबती परियोजना (कोटा) (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	7.00	..
योग -53	7.00	..
55. टैंक परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	28.44	..
योग -55	28.44	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः)						
56. कालीसिल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	29.54	..
योग -56	29.54	..
57. मातृ कुण्डिया परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	3,23.95	..
योग -57	3,23.95	..
58. नारायण सागर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	61.55	..
योग -58	61.55	..
59. अन्य परियोजनाएं (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	3,38.38	..
योग -59	3,38.38	..
60. बेथली परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	52,13.61	..
योग -60	52,13.61	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/ उन्नयन/ आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	30,36.31	..	30,36.31	33,24.15	1,77,20.22	(-) 8.66
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	8,61.04	..	8,61.04	6,70.49	39,27.20	(+) 28.42
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	5,75.05	..	5,75.05	6,82.85	27,53.60	(-) 15.79
योग -62	44,72.40	..	44,72.40	46,77.49	2,44,01.02	(-) 4.38
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	16,74.75	..	16,74.75	1,88.64	1,43,63.60	(+) 787.80
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4,65.19	..	4,65.19	..	4,82.53	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	49.93	..	49.93	9.60	97.37	(+) 420.10
योग -63	21,89.87	..	21,89.87	1,98.24	1,49,43.50	(+) 1004.66
64. परवन लिफ्ट योजना (अवाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	39,86.38	..
योग -64	39,86.38	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
65. हरिश्चन्द्र सागर परियोजना (अवाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	12,13.20	..
योग -65	12,13.20	..
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	9,87.46	..	9,87.46	19.70	1,14,81.19	(+) 4912.49
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,84.38	..	3,84.38	33.64	11,84.27	(+) 1042.63
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,49.99	..	2,49.99	..	6,77.62	..
योग -66	16,21.83	..	16,21.83	53.34	1,33,43.08	(+) 2940.55
67. लहसी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	2,60.98	..	2,60.98	15,50.46	1,32,50.50	(-) 83.17
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,38.19	..	1,38.19	4,02.53	13,18.85	(-) 65.67
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	79.99	..	79.99	5,40.05	8,01.80	(-) 85.19
योग -67	4,79.16	..	4,79.16	24,93.04	1,53,71.15	(-) 80.78
68. मनोहर थाना परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	10.98	..	10.98	..	39.17	..
योग -68	10.98	..	10.98	..	39.17	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः)						
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	45,38.51	..	45,38.51	15,90.73	1,34,50.93	(+) 185.31
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	13,25.66	..	13,25.66	5,79.94	39,45.82	(+) 128.59
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	15,43.70	..	15,43.70	3,89.95	37,88.56	(+) 295.87
योग -69	74,07.87	..	74,07.87	25,60.62	2,11,85.31	(+) 189.30
71. पीपलाद परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	49.72	65,76.87	(-) 100.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	11.31	3,28.31	(-) 100.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	88.00	..
योग -71	61.03	69,93.18	(-) 100.00
72. गागसिन परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	7,41.10	..	7,41.10	7,04.82	1,21,31.70	(+) 5.15
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,74.65	..	2,74.65	1,54.66	11,83.56	(+) 77.58
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,30.00	..	1,30.00	..	4,43.00	..
योग -72	11,45.75	..	11,45.75	8,59.48	1,37,58.26	(+) 33.31

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
73. हाथियां देह परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	6.94	..	6.94	..	6.94	..
योग -80	6.94	..	6.94	..	6.94	..
80. सामान्य						
002. आंकड़ा संग्रहण	27.33	..
005. सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	13.84	..
800. अन्य व्यय	4,07.33	..
योग -80	4,48.50	..
योग -4701	1,73,76.72	..	1,73,76.72	1,09,89.00	22,05,45.34	(+) 58.13
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
101. सतही जल	1,82,30.06	4,15.40	1,86,45.46	2,68,41.21	20,34,85.65	(-) 30.53
102. भू-जल	77.48	..	77.48	7.75	31,56.57 (क)	(+) 899.74
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	64,39.04	73.24	65,12.28	85,01.23	4,02,73.30	(-) 23.40
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,06,12.80	30,94.43	1,37,07.23	1,45,92.31	11,48,15.13	(-) 6.07

(क) इसमें राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (नलकूप निगम), जयपुर (₹ 1,27,00,000) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
800. अन्य व्यय	(-) 9.66 (क)	10,16.27	10,06.61	6,21.96	8,66,13.58	(+) 61.84
योग -4702	3,53,49.72	45,99.34	3,99,49.06	5,05,64.46	44,83,44.23	(-) 20.99
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय						
101. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास	62.56	..	62.56	13.27	12,11,57.83 (ख)	(+) 371.44
102. चम्बल क्षेत्र का विकास	9,79.74	6,72.94	16,52.68	10,11.41	2,33,09.43 (ग)	(+) 63.40
103. भाखड़ा और गंग क्षेत्र का विकास	1,57.46	24.37	1,81.83	58.29	80,73.82	(+) 211.94
104. माही बजाज सागर	3,93.93	..
105. सिद्धमुख नोहर परियोजना	1,65.38	24.35	1,89.73	1,55.00	1,31,97.84	(+) 22.41
106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास	1,63.23	..	1,63.23	5,05.42	1,15,36.20	(-) 67.70
107. गंग नहर परियोजना	29,99.06 0.79	19,97.77	49,97.62	52,04.64	3,09,14.13	(-) 3.98
108. भाखड़ा सिंचाई परियोजना	27,43.65	10,59.86	38,03.51	28,07.53	73,52.83	(+) 35.48
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	12,31.81	6,46.85	18,78.66	26,38.71	1,24,82.64	(-) 28.80
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,17.80	65.72	3,83.52	48.90	9,99.29	(+) 684.29
योग -4705	88,20.69 0.79	44,91.86	1,33,13.34	1,24,43.17	22,94,17.94	(+) 6.99

(क) ऋण व्यय गत वर्ष की अवशेष राशि को जमा कराने के कारण है । (ख) इसमें राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर (₹ 19,36.45 लाख) में निवेश सम्मिलित है ।

(ग) इसमें राजस्थान राज्य मण्डी विकास निगम, जयपुर (₹ 0.65 लाख) में निवेश सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)	
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग				
(₹ लाख में)							
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)							
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)							
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय							
01. बाढ़ नियंत्रण							
001. निदेशन तथा प्रशासन	18.05	..	18.05	20.06	10,41.04	(-) 10.02	
052. मशीनरी एवं उपस्कर	3.32	..	
103. सिविल निर्माण-कार्य	60,01.68	..	60,01.68	23,31.14	3,11,11.35	(+) 157.46	
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	13,68.50	..	13,68.50	69.34	17,15.02	(+) 1873.61	
799. उचंत	77.18	..	
योग -4711	73,88.23	..	73,88.23	24,20.54	3,39,47.91	(+) 205.23	
योग - (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	20,83,70.73	45.99	1,04,21.96	21,88,38.68	19,59,44.96	2,33,10,47.50	(+) 11.68
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा							
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय							
02. ताप विद्युत शक्ति उत्पादन							
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	45.00 (क)	..	
योग -190	45.00	..	
योग -02	45.00	..	

(क) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड), जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परियव्यय -(क्रमशः)						
04. डीजल / गैस शक्ति उत्पादन						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	5.00 (क)	..
योग -190	5.00	..
योग -04	5.00	..
06. ग्रामीण विद्युतीकरण						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	66.25 (ख)	..
योग -190	66.25	..
योग -06	66.25	..
80. सामान्य						
101. राज्य विद्युत् बोर्ड में निवेश	5.00 (ग)	..
योग -101	5.00	..

(क) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड), जयपुर में निवेश।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति लिमिटेड, टोडाभीम (₹ 50.00 लाख), महुआ ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति लिमिटेड, महुआ, सवाई माधोपुर (₹ 15.00 लाख) तथा आबूरोड़ इलेक्ट्रीसिटी एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, आबूरोड़ (₹ 1.25 लाख) में निवेश।

(ग) राजस्थान राज्य विद्युत् निगम, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -(क्रमशः)						
80. सामान्य -(क्रमशः)						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश						
(01) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश (राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड)	2,00.00	..
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश	1,62,95.15	..	1,62,95.15	4,13,22.60	80,42,06.65	(-) 60.57
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश	1,37,50.55	..	1,37,50.55	1,07,00.67	34,28,35.96	(+) 28.50
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	66,63.25	..	66,63.25	34,96.29	45,24,87.56	(+) 90.58
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	55,26.40	..	55,26.40	34,44.89	41,46,34.92	(+) 60.42
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	45,10.00	..	45,10.00	27,97.90	41,97,18.05	(+) 61.19
(07) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश (मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट-ई.ए.पी.)	4,35.68	..
(08) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश	4,93.43	..
(09) राजस्थान राज्य पावर वित्त निगम लिमिटेड, जयपुर	90,00.00	..
(10) उदय योजना के अन्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	7,07,81.86	..	7,07,81.86	6,74,14.80	21,32,17.61	(+) 4.99
(11) उदय योजना के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	6,54,50.64	..	6,54,50.64	6,21,77.19	19,35,62.75	(+) 5.26
(12) उदय योजना के अन्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	6,77,67.50	..	6,77,67.50	6,39,08.01	18,98,44.00	(+) 6.04
(13) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन	34,51.49	34,51.49	(-) 100.00

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजना-(क्रमशः)						
80. सामान्य -(क्रमशः)						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-(समाप्त)						
(15) उदय योजना के अन्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	5,67,90.25	..
(16) उदय योजना के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	5,56,35.29	..
(17) उदय योजना के अन्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	6,67,86.34	..
योग - 190	25,07,45.35	..	25,07,45.35	25,87,13.84	3,22,32,99.98	(-) 3.08
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश	88,88.90	..	88,88.90	1,77,80.40	10,20,19.41	(-) 50.01
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश	75,00.30	..	75,00.30	58,36.73	5,05,09.25	(+) 28.50
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	36,34.50	..	36,34.50	19,07.06	6,13,99.56	(+) 90.58
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	30,14.40	..	30,14.40	18,79.03	5,91,54.44	(+) 60.42
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	24,60.00	..	24,60.00	15,26.13	5,15,99.84	(+) 61.19
(07) उदय योजना अन्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	1,87,36.38	..	1,87,36.38	2,29,94.20	6,44,59.56	(-) 18.52
(08) उदय योजना अन्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	1,73,25.17	..	1,73,25.17	2,12,07.73	5,85,09.16	(-) 18.31
(09) उदय योजना अन्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	1,79,38.45	..	1,79,38.45	2,17,98.08	5,73,59.70	(-) 17.71
(10) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन	8,81.01	8,81.01	(-) 100.00

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(क्रमशः)						
80. सामान्य -(क्रमशः)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना-(समाप्त)						
(12) उदय योजनान्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	1,72,05.67	..
(13) उदय योजनान्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	1,68,55.79	..
(14) उदय योजनान्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	2,02,34.13	..
	योग -789	7,94,98.10	..	7,94,98.10	9,58,10.37	56,01,87.52 (-) 17.03
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश	44,43.95	..	44,43.95	1,03,05.00	6,59,18.94	(-) 56.88
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश	37,50.15	..	37,50.15	29,18.37	3,37,27.56	(+) 28.50
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	18,17.25	..	18,17.25	9,53.53	4,14,28.56	(+) 90.58
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	15,07.20	..	15,07.20	9,39.51	3,96,06.77	(+) 60.42
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	12,30.00	..	12,30.00	7,63.06	3,50,28.70	(+) 61.19
(07) उदय योजनान्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	1,45,72.74	..	1,45,72.74	1,41,10.07	4,39,59.15	(+) 3.28
(08) उदय योजनान्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	1,34,75.13	..	1,34,75.13	1,30,13.83	3,99,15.17	(+) 3.54
(09) उदय योजनान्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	1,39,52.13	..	1,39,52.13	1,33,76.09	3,91,72.90	(+) 4.31
(10) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन	6,67.50	6,67.50	(-) 100.00
(12) उदय योजनान्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	1,15,64.08	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(समाप्त)						
80. सामान्य -(समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-(समाप्त)						
(13) उदय योजनान्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	1,13,28.92	..
(14) उदय योजनान्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	1,35,99.53	..
योग -796	5,47,48.55	..	5,47,48.55	5,70,46.96	37,59,17.78	(-) 4.03
योग -80	38,49,92.00	..	38,49,92.00	41,15,71.17	4,15,94,10.28	(-) 6.46
योग -4801	38,49,92.00	..	38,49,92.00	41,15,71.17	4,15,95,26.53	(-) 6.46
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय						
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	66,30.00	..	66,30.00	..	66,31.30 (क)	..
योग - 4802	66,30.00	..	66,30.00	..	66,31.30	..

(क) एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)						
4810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय						
102. सौर ऊर्जा	1,15.00 (क)	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	7.50 (ख)	..
योग - 4810	1,22.50	..
योग - (ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	39,16,22.00	..	39,16,22.00	41,15,71.17	4,16,62,80.33	(-) 4.85
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा						
4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
101. औद्योगिक क्षेत्र	1,85.26	..
102. लघु उद्योग	5,21.89 (ग)	..
103. हथकरघा उद्योग	10,77.19 (घ)	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	41,40.98 (ङ)	..

(क) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड), जयपुर में निवेश।

(ख) सूर्या ऊर्जा कम्पनी राजस्थान लिमिटेड (₹ 2.50 लाख), एस्सल सूर्या ऊर्जा कम्पनी राजस्थान लिमिटेड (₹ 2.50 लाख) तथा अडाणी नवीनीकरण ऊर्जा पार्क लिमिटेड (₹ 2.50 लाख) में निवेश।

(ग) इसमें राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 4,63.56 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(घ) इसमें राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 50,83,200), हथकरघा समितियों (₹ 2,50,000) तथा राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,60,00,000) में निवेश सम्मिलित है।

(ङ) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,50.00 लाख) तथा राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 39,90.98 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त)						
200. अन्य ग्रामोद्योग	1,76.15	..	1,76.15	1,91.94	19,43.73	(-) 8.23
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	12.61	..
योग -4851	1,76.15	..	1,76.15	1,91.94	78,81.66	(-) 8.23
4852. लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
<i>01. खनन</i>						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	1.62 (क)	..
योग -4852	1.62	..
4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
<i>01. खनिज अन्वेषण तथा विकास</i>						
004. अनुसंधान तथा विकास	48,36.11	..	48,36.11	16,23.83	1,55,83.00 (ख)	(+) 197.82
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	31,81.97 (ग)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	7,48.21	..	7,48.21	98.89	8,47.10	(+) 656.61

(क) इसमें टाटा स्टील लिमिटेड (टाटा आयर्न एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड), मुम्बई (₹ 0.25 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) इसमें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 30.50 लाख) तथा मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता (₹ 25.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ग) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 13,78,66,000) तथा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर (₹ 15,23,50,000) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त)						
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास - (समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	7,57.01	..	7,57.01	2,84.66	83,11.76 (क)	(+) 165.93
800. अन्य व्यय	1.95	..
902. घटाईये- खनिज क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से पूरित राशि	(-) 60,54.36	..	(-) 60,54.36	(-) 14,12.52	(-) 74,66.88	(+) 328.62
योग -01	2,86.97	..	2,86.97	5,94.86	2,04,58.90	(-) 51.76
60. अन्य खनन तथा धातुकर्म उद्योग						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	(-) 6,06.34 (ख)	..
योग -60	(-) 6,06.34	..
योग -4853	2,86.97	..	2,86.97	5,94.86	1,98,52.56	(-) 51.76
4857. रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. रसायन तथा पेस्टीसाईड उद्योग						
004. अनुसंधान तथा विकास	1,15.59	..
योग -4857	1,15.59	..

(क) इसमें राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,44,25,000) तथा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर (₹ 56,60,79,634) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) इसमें राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश (₹ 10,00,000) तथा ₹ 6,16,34,359 का ऋण व्यय, जो कि झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट योजना से सम्बन्धित प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है, सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ब) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4858. इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. विद्युत् इंजीनियरी उद्योग						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	7.50 (क)	..
800. अन्य व्यय	16.40 (ख)	..
	योग -4858	23.90	..
4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. वस्त्रोद्योग						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	32,76.87 (ग)	..
	योग -01	32,76.87	..

(क) जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर में निवेश ।

(ख) इसमें मान इण्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर तथा ओरियन्टल पॉवर केबल्स लिमिटेड, कोटा में क्रमशः ₹ 15,00,000 तथा ₹ 3,66,500 की राशि का निवेश सम्मिलित है । इसमें अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड से सम्बन्धित ₹ 2,26,250 के ऋण आंकड़े भी सम्मिलित हैं, जो जांच के अधीन हैं ।

(ग) सहकारी स्पिनिंग मिल्स (₹ 20,48,57,000), राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, गुलाबपुरा (₹ 2,96,22,900), श्री गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, हनुमानगढ़ (₹ 3,48,05,000), गंगापुर-भीलवाड़ा सहकारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा (₹ 4,54,50,000), मेवाड़ टैक्सटाईल्स मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा (₹ 50,00,000), नेशनल टेक्सटाईल्स कॉरपोरेशन, नई दिल्ली (₹ 45,85,000), जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर (₹ 17,45,800), आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़, अजमेर (₹ 16,00,000) तथा कॉटन प्रेस कम्पनी, मदनगंज, किशनगढ़ (₹ 20,833) में निवेश ।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त)						
04. चीनी						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	(-) 9.00	(-) 9.00 (क)	..	1,87,57.49 (ख)	..
योग -04	..	(-) 9.00	(-) 9.00	..	1,87,57.49	..
60. अन्य						
214. प्रसाधन उपक्रम	7.60 (ग)	..
218. नमक	1,23.08	..
600. अन्य	1,16.62 (घ)	..
योग -60	2,47.30	..
योग -4860	..	(-) 9.00	(-) 9.00	..	2,22,81.66	..

(क) ऋण आकड़ें गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर में विनिवेश के कारण हैं।

(ख) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,81,10,60,786) तथा सहकारी चीनी मिल्स (₹ 6,55,88,000) में निवेश।

(ग) हाईटेक प्रैसीसन ग्लास कम्पनी लिमिटेड, जयपुर में निवेश जिसका राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर में विलय कर दिया गया है।

(घ) इसमें जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर (₹ 75,00,000), स्टोन वेअर पाइप एण्ड सेनिटरी फिटिंग्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर (₹ 12,500) तथा औद्योगिक सहकारी समितियों (₹ 4,71,013) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4875. अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
60. अन्य उद्योग						
800. अन्य व्यय	11.40 (क)	..
योग -4875	11.40	..
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय						
01. औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	1,26,27.70 (ख)	..
योग -190	1,26,27.70	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	18,05.50 (ग)	..
योग -796	18,05.50	..
योग -01	1,44,33.20	..
60. अन्य						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	26.38	..
योग - 789	26.38	..

(क) राजस्थान परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (नेशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड), नई दिल्ली (₹ 10,00,000), श्री उदयभान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, धौलपुर (₹ 1,30,000) तथा न्यूज पेपर लिमिटेड, इलाहाबाद (₹ 10,000) में निवेश।
(ख) राजस्थान वित्त निगम, जयपुर (₹ 83,60.10 लाख) तथा देहली मुम्बई आद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम (₹ 42,67.60 लाख) में निवेश।

(ग) इसमें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 15,99.50 लाख) तथा राजस्थान वित्त निगम, जयपुर (₹ 2,03.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(ब) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
60. अन्य - (क्रमशः)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	17.45	..	17.45	42.94	1,52.57	(-) 59.36
योग - 796	17.45	..	17.45	42.94	1,52.57	(-) 59.36
800. अन्य व्यय						
(01) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड में निवेश	1,77,38.58	..
(02) जिला उद्योग केन्द्रों हेतु भवन निर्माण	44.59	..	44.59	87.96	8,85.84	(-) 49.31
(06) परियोजना विकास निगम का निवेश आयोजना विभाग के माध्यम से	99.00	..
(11) नगरीय हाट का निर्माण	5,00.00	..
(12) सी.आई.पी.ई.टी.	10,25.00	..
(13) क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट	13,41.82	..
(14) सेरेमिक टेस्टिंग लैब	7,10.78	..
(15) क्लस्टर डवलपमेंट	6,36.31	..
(18) उद्योग भवन	2,61.07	..
(19) राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ में निवेश	50.00	..
(21) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी	9,56.49	..
(24) दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.)	9.30	9.30	(-) 100.00

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)						
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त)						
60. अन्य - (समाप्त)						
800. अन्य व्यय - (समाप्त)						
(25) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी (सी.आई.पी.ई.टी.)	8,00.00	..	8,00.00	..	8,00.00	..
अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक 1 करोड़ रुपये और कम लागत का	2,80.15 (क)	..
योग -800	8,44.59	..	8,44.59	97.26	2,52,94.34	(+) 768.38
योग -60	8,62.04	..	8,62.04	1,40.20	2,54,73.29	(+) 514.86
योग -4885	8,62.04	..	8,62.04	1,40.20	3,99,06.49	(+) 514.86
योग - (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा	13,25.16	(-) 9.00	13,16.16	9,27.00	9,00,74.88	(+) 41.98
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा						
5002. भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय						
02. यातायात सुविधाएं						
200. अन्य यातायात सुविधाएं	0.24 (ख)	..
योग -5002	0.24	..

(क) इसमें भिवाड़ी औद्योगिक विकास प्राधिकरण (₹ 5,00,000) तथा अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड (₹ 1,65,000) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) सेंट्रल प्रोविन्सेज रेलवे कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई (₹ 7,600), फुतवाह इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता (₹ 9,500) तथा छापरमुख सिलीघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता (₹ 6,365) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
5053. नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय						
01. हवाई सेवाएं						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	4,49.27 (क)	..
योग-5053	4,49.27	..
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय						
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें						
337. सड़क निर्माण-कार्य	..	24,70.00	24,70.00	47,00.00	7,75,62.95	(-) 47.45
योग -337	..	24,70.00	24,70.00	47,00.00	7,75,62.95	(-) 47.45
योग -02	..	24,70.00	24,70.00	47,00.00	7,75,62.95	(-) 47.45
03. राज्य राज-मार्ग						
337. सड़क निर्माण-कार्य	5,99,25.98	5,48,04.11	11,47,30.09	5,62,09.08	60,06,31.78	(+) 104.11
घटाइये- शीर्ष 8449 से स्थानान्तरित केन्द्रीय सड़क निधि	..	(-) 5,48,04.11	(-) 5,48,04.11	(-) 4,85,79.80	(-) 27,07,11.58	(+) 12.81
घटाइये- शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि	(-) 1,61,80.46	..	(-) 1,61,80.46	(-) 24,58.59	(-) 11,90,52.10	(+) 558.12
निवल - 337	4,37,45.52	..	4,37,45.52	51,70.69	21,08,68.10	(+) 746.03

(क) राजस्थान राज्य नागरिक विमानन निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
03. राज्य राज-मार्ग - (समाप्त)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,34,16.77	1,44,00.00	2,78,16.77	1,41,59.90	8,30,43.00	(+) 96.45
घटाइये- शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि	(-) 38,32.46	..	(-) 38,32.46	(-) 2,89.23	(-) 1,06,44.28	(+) 1225.06
घटाइये- शीर्ष 8449 से स्थानान्तरित केन्द्रीय सड़क निधि	..	(-) 1,44,00.00	(-) 1,44,00.00	(-) 1,25,46.14	(-) 4,00,15.54	(+) 14.78
निवल - 789	95,84.31	..	95,84.31	13,24.53	3,23,83.18	(+) 623.60
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	91,42.95	76,53.37	1,67,96.32	1,01,29.24	5,22,73.96	(+) 65.82
घटाइये- शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि	(-) 30,34.92	..	(-) 30,34.92	(-) 2,26.51	(-) 1,02,61.82	(+) 1239.86
घटाइये- शीर्ष 8449 से स्थानान्तरित केन्द्रीय सड़क निधि	..	(-) 76,53.37	(-) 76,53.37	(-) 91,43.71	(-) 2,36,29.91	(-) 16.30
निवल - 796	61,08.03	..	61,08.03	7,59.02	1,83,82.23	(+) 704.73
799. उंचंत	5,92.13	..
योग -799	5,92.13	..
योग -03	5,94,37.86	..	5,94,37.86	72,54.24	26,22,25.64	(+) 719.35

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -(क्रमशः)						
04. जिला तथा अन्य सड़कें						
337. सड़क निर्माण-कार्य	14,66.19	..	14,66.19	48,89.61	63,55.80	(-) 70.01
निवल - 337	14,66.19	..	14,66.19	48,89.61	63,55.80	(-) 70.01
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	5,10,44.13	1,60,49.79	6,70,93.92	3,75,53.44	21,86,74.68	(+) 78.66
घटाइये- शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि	(-) 19,52.11	..	(-) 19,52.11	(-) 75.71	(-) 43,94.45	(+) 2478.40
निवल - 789	4,90,92.02	1,60,49.79	6,51,41.81	3,74,77.73	21,42,80.23	(+) 73.81
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,69,65.39	1,20,13.59	4,89,78.98	2,98,49.88	18,70,71.47 *	(+) 64.08
घटाइये- शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि	(-) 4,72.71	..	(-) 4,72.71	(-) 18.08	(-) 9,68.79	(+) 2514.55
योग -796	3,64,92.68	1,20,13.59	4,85,06.27	2,98,31.80	18,61,02.68	(+) 62.60

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
04. जिला तथा अन्य सड़कें - (समाप्त)						
800. अन्य व्यय	18,28,32.76	6,02,57.62	24,30,90.38	14,36,04.58	1,34,83,46.91	(+) 69.28
घटाइये- शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि	(-) 44,73.60	..	(-) 44,73.60	(-) 12,01.17	(-) 5,69,57.15	(+) 272.44
निवल - 800	17,83,59.16	6,02,57.62	23,86,16.78	14,24,03.41	1,29,13,89.76	(+) 67.56
योग -04	26,54,10.05	8,83,21.00	35,37,31.05	21,46,02.55	1,69,81,28.47	(+) 64.83
05. सड़कें						
337. सड़क निर्माण-कार्य	83.01	1,62,52.64	(-) 100.00
योग -337	83.01	1,62,52.64	(-) 100.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	27.62	..
योग -789	27.62	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	62.70	..
योग -796	62.70	..
योग -05	83.01	1,63,42.96	(-) 100.00

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -(समाप्त)						
80. सामान्य						
001. निदेशन तथा प्रशासन	3,24,92.67	..	3,24,92.67	1,30,74.76	14,91,95.93	(+) 148.51
योग -001	3,24,92.67	..	3,24,92.67	1,30,74.76	14,91,95.93	(+) 148.51
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	2,37,50.00 (क)	..
योग -190	2,37,50.00	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	6,75.02	..
योग -796	6,75.02	..
800. अन्य व्यय	58,00.41	..	58,00.41	23,72.82	2,94,89.33	(+) 144.45
योग -800	58,00.41	..	58,00.41	23,72.82	2,94,89.33	(+) 144.45
योग -80	3,82,93.08	..	3,82,93.08	1,54,47.58	20,31,10.28	(+) 147.89
योग -5054	36,31,40.99	9,07,91.00	45,39,31.99	24,20,87.38	2,25,73,70.30	(+) 87.51

(क) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,00,00,00,000) एवं सड़क आधारभूत विकास कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,37,49,99,970) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)						
5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय						
050. भूमि तथा भवन	35.29	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	6,12,81.43 (क)	..
योग -5055	6,13,16.72	..
योग -(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा	36,31,40.99	9,07,91.00	45,39,31.99	24,20,87.38	2,31,91,36.53	(+) 87.51
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा						
5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय						
800. अन्य व्यय	3,03.93	..	3,03.93	3,65.42	20,57.89	(-) 16.83
योग -5425	3,03.93	..	3,03.93	3,65.42	20,57.89	(-) 16.83
योग -(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	3,03.93	..	3,03.93	3,65.42	20,57.89	(-) 16.83

(क) इसमें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर (₹ 6,12,13,50,000), कोटा परिवहन कम्पनी लिमिटेड, कोटा (₹ 2,00,000), बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी लिमिटेड, बूंदी (₹ 12,423) तथा झालावाड़ परिवहन सर्विस लिमिटेड, झालावाड़ (₹ 10,000) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(अ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय						
80. सामान्य						
105. पर्यटन यातायात	4,75.00	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	23,37.04 (क)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	7,59.81	..	7,59.81	3,35.56	18,44.07	(+) 126.43
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,06.60	..	3,06.60	3,02.19	35,70.90 (ख)	(+) 1.46
800. अन्य व्यय	20,25.69	..	20,25.69 (ग)	21,08.20	3,36,96.57	(-) 3.91
योग - 5452	30,92.10	..	30,92.10	27,45.95	4,19,23.58	(+) 12.61
5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश						
01. सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश	73,69.39 (घ)	..
योग - 01	73,69.39	..

(क) इसमें राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 21,12.61 लाख) तथा राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 81.76 लाख) में निवेश सम्मिलित हैं।

(ग) इसमें पर्यटन स्थलों के विकास तथा ग्रामीण पर्यटन पर व्यय सम्मिलित हैं।

(घ) मरुधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर (₹ 24,17,20,890), बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर (₹ 46,40,07,150) तथा मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर (₹ 3,12,11,440) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(अ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- (क्रमशः)						
5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश - (समाप्त)						
02. व्यापारिक संस्थाओं में निवेश						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	2,41.79 (क)	..
	योग -02	2,41.79	..
	योग -5465	76,11.18	..
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
101. भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर)	1,29.84	..
102. नागरिक आपूर्ति	..	1,64.73	1,64.73	33.50	17,74.48 (ख)	(+) 391.73
103. कृषि के लिए भूमि सीमा	0.31	..	0.31	..	2,16.07	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	55,60.00 (ग)	..
202. जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर भूमिधारियों को मुआवजा	46,16.91	..

(क) राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जयपुर, (₹ 41.79 लाख) तथा राजस्थान राज्य बीवरेज निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,00.00 लाख) में निवेश।

(ख) इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं (₹ 3,41,48,709), उपभोक्ता सहकारी भण्डार के राज्य संघ (₹ 2,83,52,865) तथा उपभोक्ता सहकारी भण्डार [₹ 36,88,096 (निवल)] में निवेश सम्मिलित है।

(ग) राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर (₹ 60.00 लाख), राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 50,00.00 लाख) तथा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,00.00 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2017-18 के दौरान व्यय			2016-17 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)						
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- (समाप्त)						
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,42,98.64	..	1,42,98.64	1,33,62.77	4,13,90.04	(+) 7.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,23,39.65	..	1,23,39.65	65,37.55	2,94,24.17(क)	(+) 88.75
800. अन्य व्यय	4,85,40.10	..	4,85,40.10	2,67,38.44	15,15,17.31	(+) 81.54
योग -5475	7,51,78.70	1,64.73	7,53,43.43	4,66,72.26	23,46,28.82	(+) 61.43
योग -(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	7,82,70.80	1,64.73	7,84,35.53	4,94,18.21	28,41,63.58	(+) 58.72
योग - ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	1,16,11,28.83	45.99	1,28,74,76.61	1,03,28,91.33	10,55,28,54.94	(+) 24.65
कुल योग	1,75,69,41.24	45.99	2,06,23,28.37 (ख)	1,69,79,71.77	16,84,90,75.69 (ग)	(+) 21.46

(क) इसमें जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न समितियों (₹ 10.40 लाख) तथा कमजोर उपभोक्ता सहकारी भंडारों (₹ 4.50 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) इसमें स्थानीय निकायों को जारी निधियों से संबंधित ₹ 14,43,23.73 लाख का व्यय सम्मिलित है।

(ग) देखिये पाद टिप्पणी (ख) पृष्ठ क्रमांक 273, (ख) (ii) पृष्ठ क्रमांक 274 एवं (क) (ii) पृष्ठ क्रमांक 275।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. पूंजीगत लेखा पर व्यय :- वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 2,06,23,28.37 लाख) गत वर्ष (₹ 1,69,79,71.77 लाख) की तुलना में ₹ 36,43,56.60 लाख से बढ़ा। कमी/वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत थी :-

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
(₹ लाख में)		
वृद्धि		
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	21,18,44.61	केन्द्रीय सड़क निधि तथा राज्य सड़क निधि से पूरित सड़क कार्यों के निष्पादन के कारण।
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,96,20.00	विभिन्न जल प्रदाय परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन के कारण।
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3,95,54.51	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा ग्रामीण उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन के कारण।
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,86,71.17	सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी योजनाओं पर अधिक व्यय के कारण।
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,12,83.54	इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा नर्मदा परियोजना पर अधिक व्यय के कारण।
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,42,19.21	नये चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण कार्यों पर व्यय के कारण।
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	1,05,87.25	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण।
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	69,71.99	जिला परिषदों को अधिक राशि जारी किये जाने के कारण।
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	66,30.00	एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में निवेश के कारण।
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	64,72.46	रोजगार के तहत कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण।
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	63,87.72	विभिन्न मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक व्यय के कारण।
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	62,86.95	पुलिस आधुनिकीकरण तथा आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से पुलिस आवासन के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण।
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	49,67.69	विभिन्न जिलों में बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण।
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	38,41.90	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास कार्यों पर अधिक व्यय के कारण।
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	29,73.60	निर्माण कार्यों के निष्पादन होने के कारण।
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	24,52.27	नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ. XIX के अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों तथा औषधालयों के निर्माण पर व्यय के कारण।

विवरण संख्या 16 - (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - (समाप्त)

1. पूंजीगत लेखा पर व्यय - (समाप्त)

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
(₹ लाख में)		
वृद्धि - (समाप्त)		
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	13,19.54	आवासीय भवनों के निर्माण के कारण ।
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	8,70.17	भाखरा सिंचाई परियोजना तथा चम्बल क्षेत्र के विकास पर अधिक व्यय के कारण ।
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	7,21.84	केन्द्रीय प्लास्टिक इंजिनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान को अधिक निधियां जारी करने के कारण ।
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	3,46.15	पर्यटक स्थलों के विकास पर अधिक व्यय के कारण ।
4405. मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	1,91.55	अन्तर्देशीय मत्स्य पालन पर अधिक व्यय के कारण ।
कमी		
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,65,79.17	गत वर्ष की तुलना में विद्युत् कम्पनियों में कम निवेश के कारण ।
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,06,15.40	सतही जल की विभिन्न योजनाओं पर गत वर्ष की तुलना में कम व्यय के कारण ।
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	72,60.74	गत वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कम व्यय के कारण ।
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	25,83.73	गत वर्ष की तुलना में अनुसूचित जनजाति के कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर कम व्यय के कारण ।
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	18,55.46	गत वर्ष की तुलना में आई.सी.डी. एस. मिशन मोड के तहत आंगन बाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर कम व्यय होने के कारण ।
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	13,16.24	गत वर्ष की तुलना में वानिकी पर कम व्यय होने के कारण ।
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	11,50.71	गत वर्ष की तुलना में विभिन्न सहकारी समितियों में कम निवेश के कारण ।
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3,07.89	खनिज क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से संबंधित व्यय का निधि से पूरित होने के कारण ।
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,18.71	हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के तहत कार्यों के कम निष्पादन के कारण ।

विवरण संख्या 17 –उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		ब्याज अदायगी
					₹ में	प्रतिशत में	
(₹ लाख में)							
ड लोक ऋण							
6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण *							
101. बाजार कर्ज							
(01) ब्याज वाले बाजार कर्ज	1,68,42,75.80	..	39,86,95.80	1,28,55,80.00	(-) 39,86,95.80	23.67	12,86,24.93
(02) बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज	12.53	(-) 2.38 (क)	..	10.15	(-) 2.38	18.99	..
(04) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2020	55,00,00.00	55,00,00.00	4,53,80.00
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025	4,38,21,10.00	4,38,21,10.00	38,03,86.44
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030	2,33,53,78.00	2,39,14,00.00	..	4,72,67,78.00	(+) 2,39,14,00.00	102.40	21,35,45.77
(07) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2031-2035	..	10,00,00.00	..	10,00,00.00	(+) 10,00,00.00	..	36,12.50
योग - 101	8,95,17,76.33	2,49,13,97.62	39,86,95.80	11,04,44,78.15	(+) 2,09,27,01.82	23.38	77,15,49.64
103. भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	26,50.89	..	4,20.83	22,30.06	(-) 4,20.83	15.88	1,95.30
104. भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज	34,67.64	..	4,30.60	30,37.04	(-) 4,30.60	12.42	3,14.40
105. कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से कर्ज	83,77,34.06	20,20,91.65	13,21,56.81	90,76,68.90	(+) 6,99,34.84	8.35	5,63,13.26
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र	6,75,67,96.07	..	41,50,17.57	6,34,17,78.50	(-) 41,50,17.57	6.14	56,42,71.27
108. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	1,88,74.71	..	36,43.13	1,52,31.58	(-) 36,43.13	19.30	23,27.94
109. अन्य संस्थाओं से कर्ज	67,55.06	64,77.00	97.75	1,31,34.31	(+) 63,79.25	94.44	4,50.84
111. केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,85,04,03.50	..	15,35,76.00	1,69,68,27.50	(-) 15,35,76.00	8.30	18,06,50.27
योग - 6003	18,42,84,58.26	2,69,99,66.27	1,10,40,38.49	20,02,43,86.04	(+) 1,59,59,27.78	8.66	1,57,60,72.92

* प्रत्येक कर्जों का ब्यौरा इस विवरण के अनुबन्ध में दिया गया है। (क) ऋण आंकड़े दावा नहीं किये गये शेषों को राजस्व प्राप्तियों को हस्तान्तरण करने के कारण है।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में प्रतिशत में		ब्याज अदायगी
(₹ लाख में)							
ड लोक ऋण - (क्रमशः)							
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम							
01. योजनेतर कर्ज							
800. अन्य कर्ज							
(01) पुलिस-पुलिस दल का आधुनिकीकरण	25,35.95	..	2,93.67	22,42.28	(-) 2,93.67	11.58	3,07.05
(02) मल व्ययन और जल प्रदाय-नल जल प्रदाय योजनाएं	7,57.67	..	2,07.49	5,50.18	(-) 2,07.49	27.39	70.08
(03) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षा- छात्रवृत्तियां	70.15	70.15
(05) सीमान्त क्षेत्रों में परिचय पत्रों के लिए कर्ज	.. (क) (क)
योग - 800	33,63.77	..	5,01.16	28,62.61	(-) 5,01.16	14.90	3,77.13
योग - 01	33,63.77	..	5,01.16	28,62.61	(-) 5,01.16	14.90	3,77.13
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज							
101. एक मुश्त कर्ज							
(01) वर्ष 2006-07 तक आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्ज	10,35,72.59	..	1,25,09.18	9,10,63.41	(-) 1,25,09.18	12.08	..
(02) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु कर्ज	78,53,60.94	..	1,72,78.62	76,80,82.32	(-) 1,72,78.62	2.20	..
योग- 101	88,89,33.53	..	2,97,87.80	85,91,45.73	(-) 2,97,87.80	3.35	2,47,25.44 #

(क) मात्र ₹ 61।

उप शीर्ष वार ब्याज का विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में प्रतिशत में		ब्याज अदायगी
(₹ लाख में)							
ड लोक ऋण - (क्रमशः)							
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम - (क्रमशः)							
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज - (समाप्त)							
105. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्ज	22,06,42.77	..	3,08,70.26	18,97,72.51	(-) 3,08,70.26	13.99	1,65,48.21
योग - 105	22,06,42.77	..	3,08,70.26	18,97,72.51	(-) 3,08,70.26	13.99	1,65,48.21
योग - 02	1,10,95,76.30	..	6,06,58.06	1,04,89,18.24	(-) 6,06,58.06	5.47	4,12,73.65
03. केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज							
800. अन्य कर्ज							
(02) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष योजना	3.69	3.69
(03) पुनर्वासि-अन्य पुनर्वासि योजनाएं	.. * *
(04) सहकारिता-अन्य उधार	1.21	1.21
(06) भू-संरक्षण योजनाएं	(-) 1.17	(-) 1.17 (क)
(07) कमान क्षेत्र विकास-आयकट विकास	25.06	25.06
योग - 03	28.79	28.79

* मात्र ₹ 500 ।

(क) ऋण आंकड़े, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त मंत्रालय के अलावा मंत्रालयों द्वारा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को अग्रिम दिये गये केन्द्रीय कर्जों को अपलिखित करने के कारण हैं। 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान सी.पी.एस. तथा सी.एस.पी.एस. योजनाओं की पुर्नःभुगतान राशि को वित्त मंत्रालय कर्जों में समायोजित किया गया है। कुछ मामलों में, राज्य सरकार द्वारा 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान ऋणों का पुर्नःभुगतान अभी तक असमायोजित हैं जिसके कारण इन शीर्षों के अन्तर्गत ऋण शेष प्रदर्शित हो रहे हैं ।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		ब्याज अदायगी
					₹ में	प्रतिशत में	
(₹ लाख में)							
ड लोक ऋण - (क्रमशः)							
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम - (क्रमशः)							
04. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज							
284. सामान्य (शहरी विकास) - अन्य उधार	3,01.72	3,01.72
योग - 284	3,01.72	3,01.72
298. सहकारिता							
(01) ऋण सहकारी समितियां	(-) 9.00	(-) 9.00 (क)
योग - 298	(-) 9.00	(-) 9.00
305. कृषि कार्य	(-) 6,07.31	(-) 6,07.31 (क)
योग - 305	(-) 6,07.31	(-) 6,07.31
307. भू और जल संरक्षण							
(01) भू संरक्षण योजनाएं	..	12,01.69	..	12,01.69
(02) जल संरक्षण योजनाएं		(-) 5,74.93	..	(-) 5,74.93 (क)
योग - 307		6,26.76	..	6,26.76
321. ग्राम और लघु उद्योग							
(01) हथ करघा उद्योग		.. * *
योग - 321	

* मात्र ₹ 105 ।

(क) पृष्ठ संख्या 332 पर पाद टिप्पणी (क) देखें ।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में प्रतिशत में		ब्याज अदायगी
(₹ लाख में)							
ड लोक ऋण - (क्रमशः)							
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम - (क्रमशः)							
04. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज - (समाप्त)							
334. पारेषण और वितरण							
अन्य उधार	3.56	3.56
योग - 334	3.56	3.56
337. अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें							
अन्य उधार	1,43.97	1,43.97
योग - 337	1,43.97	1,43.97
800. अन्य उधार							
(03) कमान क्षेत्र विकास-आयकट विकास	(-) 31.22	(-) 31.22 (क)
(04) मशीनें और उपकरण	.. * *
(05) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष योजना	.. # #
योग - 800	(-) 31.22	(-) 31.22
योग - 04	4,28.48	4,28.48

(क) पृष्ठ संख्या 332 पर पाद टिप्पणी (क) देखें ।

* मात्र ₹ 399 ।

मात्र ₹ (-) 334 ।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	31 मार्च 2018	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		ब्याज अदायगी
	को शेष	वृद्धियां	चुकारे	को शेष	₹ में	प्रतिशत में	
(₹ लाख में)							
लोक ऋण - (समाप्त)							
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम - (समाप्त)							
07. 1984-85 पूर्व के कर्ज							
102. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कर्ज स्कीम							
(01) 1974 से पूर्व की उधार	2,11.37	2,11.37
105. लघु बचत कर्ज	33.59	33.59
107. 25 वर्ष तथा 30 वर्ष के कर्ज में पुनः समेकित किए गए 1979-80 पूर्व के समेकित कर्ज	2,95.08	2,95.08
योग - 07	5,40.04	5,40.04
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज							
101. एकमुश्त कर्ज							
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-18 एवं इसके पश्चात के अन्य कर्ज	..	15,56,90.33	21,67.98	15,35,22.35	15,35,22.35
योग - 09	..	15,56,90.33	21,67.98	15,35,22.35	15,35,22.35
योग - 6004	1,11,39,37.38	15,56,90.33	6,33,27.20	1,20,63,00.51	(+) 9,23,63.13	8.29	4,16,50.78
योग - ड लोक ऋण	19,54,23,95.64	2,85,56,56.60	1,16,73,65.69	21,23,06,86.55	(+) 1,68,82,90.91	8.64	1,61,77,23.70

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में प्रतिशत में		ब्याज अदायगी
(₹ लाख में)							
लोक लेखा *							
झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि (ख) राज्य भविष्य निधियां							
8009. राज्य भविष्य निधि	2,62,72,62.45	49,28,63.38	30,58,55.66	2,81,42,70.17	(+) 18,70,07.72	7.12	21,66,67.78
योग-(ख) राज्य भविष्य निधियां	2,62,72,62.45	49,28,63.38	30,58,55.66	2,81,42,70.17	(+) 18,70,07.72	7.12	21,66,67.78
ग) अन्य लेखा							
8011. बीमा तथा पेंशन निधि	1,26,21,82.05	44,16,97.51	30,86,28.39	1,39,52,51.17	(+) 13,30,69.12	10.54	11,84,65.27
योग-(ग) अन्य लेखा	1,26,21,82.05	44,16,97.51	30,86,28.39	1,39,52,51.17	(+) 13,30,69.12	10.54	11,84,65.27
योग - झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	3,88,94,44.50	93,45,60.89	61,44,84.05	4,20,95,21.34	(+) 32,00,76.84	8.23	33,51,33.05
ज. आरक्षित निधि (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां							
8115. मूल्य हास /नवीकरण आरक्षित निधि	67,96.81 #	..	49.22	67,47.59	(-) 49.22	0.72	..
8121. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	3,26,04.93 #	15,67,73.40	18,10,51.59	83,26.74	(-) 2,42,78.19	74.46	..
योग - (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	3,94,01.74	15,67,73.40	18,11,00.81	1,50,74.33	(-) 2,43,27.41	61.74	..

* विस्तृत लेखा विवरण संख्या 21 में दिया गया है ।

पूर्णांक के कारण क्रमशः 1 की कमी /वृद्धि की गयी है ।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		ब्याज अदायगी
					₹ में	प्रतिशत में	
(₹ लाख में)							
लोक लेखा - (क्रमशः)							
ज. आरक्षित निधि - (समाप्त)							
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां							
8225. सड़क तथा सेतु निधि	5,98,43.46	4,66,68.00	2,99,46.26	7,65,65.20	(+) 1,67,21.74	27.94	..
8229. विकास तथा कल्याण निधि	3,33,52.25	6,97,79.72	5,17,37.61	5,13,94.36	(+) 1,80,42.11	54.10	..
8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	2,96,62.03	30,88,55.30	27,97,76.03	5,87,41.30	(+) 2,90,79.27	98.04	..
योग - (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	12,28,57.74	42,53,03.02	36,14,59.90	18,67,00.86	(+) 6,38,43.12	51.97	..
योग-ज. आरक्षित निधि	16,22,59.48	58,20,76.42	54,25,60.71	20,17,75.19	(+) 3,95,15.71	24.35	..
ट. जमा तथा अग्रिम							
(क) ब्याज वाली जमा							
8338. स्थानीय निधियों की जमा	34,32,21.75	9,24,50.79	5,49,35.87	38,07,36.67	(+) 3,75,14.92	10.93	..
8342. अन्य जमा	12,55,62.70	5,90,32.53	5,72,86.85	12,73,08.38	(+) 17,45.68	1.39	..
योग- (क) ब्याज वाली जमा	46,87,84.45	15,14,83.32	11,22,22.72	50,80,45.05	(+) 3,92,60.60	8.37	..

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (समाप्त)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		ब्याज अदायगी
					₹ में	प्रतिशत में	
(₹ लाख में)							
लोक लेखा - (समाप्त)							
ट. जमा तथा अग्रिम - (समाप्त)							
(ख) बिना ब्याज वाली जमा							
8443. सिविल जमा	96,48,32.15	3,30,62,64.84	2,81,72,80.30	1,45,38,16.69	(+) 48,89,84.54	50.68	..
8448. स्थानीय निधियों की जमा	45,22,39.75	8,25,18,63.09	8,19,20,95.21	51,20,07.63	(+) 5,97,67.88	13.22	..
8449. अन्य जमा	2,01,99.21	2,55,05,77.28	2,56,84,23.38	23,53.11	(-) 1,78,46.10	88.35	..
योग - (ख) बिना ब्याज वाली जमा	1,43,72,71.11	14,10,87,05.21	13,57,77,98.89	1,96,81,77.43	(+) 53,09,06.32	36.94	..
योग - ट. जमा	1,90,60,55.56	14,26,01,88.53	13,69,00,21.61	2,47,62,22.48	(+) 57,01,66.92	29.91	..
योग - लोक लेखा	5,95,77,59.54	15,77,68,25.84	14,84,70,66.37	6,88,75,19.01	(+) 92,97,59.47	15.61	33,51,33.05
कुल योग	25,50,01,55.18	18,63,24,82.44	16,01,44,32.06	28,11,82,05.56	(+) 2,61,80,50.38	10.27	1,95,28,56.75

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(ख) परिपक्व रूपरेखा, अर्थात् विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में भुगतान योग्य राशि

(i) घरेलू मुद्रा में भुगतान योग्य आंतरिक ऋणों की परिपक्व रूप रेखा

वर्ष	बाजार कर्ज (राजस्थान राज्य विकास ऋण अथवा राजस्थान सरकार स्टॉक)	कर्ज जहाँ से			क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	अर्थोपाय अग्रिम	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	अन्य संस्थाओं से कर्ज	योग
		जीवन बीमा निगम	सामान्य बीमा निगम	नाबार्ड						
(₹ लाख में)										
2017-18 तक	10.15	10.15
2018-19	63,55,80.00	15,39,27.64	66,35,74.90	..	15,59,96.00	1,60,90,78.54
2019-20	75,00,00.00	17,06,90.70	69,05,74.90	..	15,84,75.95	1,76,97,41.55
2020-21	61,80,00.00	18,81,07.06	69,05,74.90	..	15,84,75.95	1,65,51,57.91
2021-22	45,00,00.00	15,71,25.39	69,05,74.90	..	15,84,75.95	1,45,61,76.24
2022-23	80,41,10.00	11,95,85.31	69,05,74.90	..	15,84,75.95	1,77,27,46.16
2023-24	88,00,00.00	7,78,14.47	69,05,74.90	..	15,84,75.95	1,80,68,65.32
2024-25	1,23,00,00.00	4,04,18.33	69,05,74.90	..	15,84,75.95	2,11,94,69.18
2025-26	1,58,00,00.00	69,05,77.90	..	13,64,74.35	2,40,70,52.25
2026-27	1,60,53,78.00	27,55,76.30	..	11,24,58.05	1,99,34,12.35
2027-28	2,19,14,00.00	2,70,00.00	..	9,92,66.00	2,31,76,66.00
2028-29	54,16,00.00	..	8,22,76.35	62,38,76.35
2029-30	20,00,00.00	6,16,48.80	26,16,48.80
2030-31	3,64,34.55	3,64,34.55
2031-32	1,81,72.70	1,81,72.70
2032-33	10,00,00.00	84,72.15	10,84,72.15
2033-34	79,48.65	79,48.65

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(ख) परिपक्व रूपरेखा, अर्थात् विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में भुगतान योग्य राशि - (क्रमशः)

(i) घरेलू मुद्रा में भुगतान योग्य आंतरिक ऋणों की परिपक्व रूप रेखा- (समाप्त)

वर्ष	बाजार कर्ज (राजस्थान राज्य विकास ऋण अथवा राजस्थान सरकार स्टॉक)	कर्ज जहाँ से			क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	अर्थोपाय अग्रिम	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	अन्य संस्थाओं से कर्ज	योग
		जीवन बीमा निगम	सामान्य बीमा निगम	नाबार्ड						
(₹ लाख में)										
2034-35	76,32.45	76,32.45
2035-36	69,11.90	69,11.90
2036-37	48,99.95	48,99.95
2037-38	48,99.95	48,99.95
2038-39	24,79.95	24,79.95
*	..	22,30.06	30,37.04	1,52,31.58	1,31,34.31	3,36,32.99
योग	11,04,44,78.15	22,30.06	30,37.04	90,76,68.90	6,34,17,78.50	..	1,69,68,27.50	1,52,31.58	1,31,34.31	20,02,43,86.04

* सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(ख) परिपक्व रूपरेखा, अर्थात् विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में भुगतान योग्य राशि - (समाप्त)

(ii) भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम की परिपक्व रूपरेखा

वर्ष	योजनेत्तर कर्ज	संघ/राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	1984-85 से पूर्व के कर्ज	2017-18 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कर्ज	योग
(₹ लाख में)							
2018-19	4,71.40	4,71.40
2019-20	4,45.03	4,45.03
2020-21	3,91.23	3,91.23
2021-22	3,08.33	3,08.33
2022-23	2,50.24	2,50.24
2023-24	2,47.14	2,47.14
2024-25	2,45.59	2,45.59
2025-26	2,45.59	2,45.59
2026-27	1,54.54	1,54.54
2027-28	32.34	32.34
2028-29	1.03	1.03
*	70.15	1,04,89,18.24	28.79	4,28.48	5,40.04	15,35,22.35	1,20,35,08.05
योग	28,62.61	1,04,89,18.24	28.79	4,28.48	5,40.04	15,35,22.35	1,20,63,00.51

* सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा

(i) राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

ब्याज की दर (प्रतिशत)	31 मार्च 2018 को बकाया राशि									
	ब्याज वाले बाजार कर्ज	क्षतिपूर्ति तथा अन्य बंध पत्र	भारत सरकार की राष्ट्रीय अल्पबचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	जीवन बीमा निगम बीमा	सामान्य बीमा निगम	नाबार्ड	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	अन्य	योग	योग में हिस्सा
(₹ लाख में)										
04.00 से 04.99	20,20,91.65	20,20,91.65	1.01
05.00 से 05.99	18,69,80.71	18,69,80.71	0.93
06.00 से 06.99	21,62,00.00	5,69,96.80	2,00,00.00	29,31,96.80	1.47
07.00 से 07.99	4,28,03,78.00	56,18,76.70	49,85,96.54	5,34,08,51.24	26.67
08.00 से 08.99	5,37,95,90.00	5,28,89,05.00	10,66,84,95.00	53.28
09.00 से 09.99	1,16,83,00.00	13,40,00.00	1,30,23,00.00	6.50
10.00 से 10.99	..	30,00,00.00	30,00,00.00	1.50
*	1,69,68,27.50	22,30.06	30,37.04	..	1,52,31.58	1,31,34.31	1,73,04,60.49	8.64
योग	11,04,44,68.00#	6,34,17,78.50	1,69,68,27.50	22,30.06	30,37.04	90,76,68.90	1,52,31.58	1,31,34.31	20,02,43,75.89#	100.00

* ब्याज की दर से सम्बन्धित सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

इसमें बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज से सम्बन्धित ₹ 10.15 लाख सम्मिलित नहीं है {शीर्ष 6003-101(02)}।

विवरण संख्या 17 - (समाप्त)

(ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा - (समाप्त)

(ii) भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

ब्याज की दर (प्रतिशत)	31 मार्च 2018 को बकाया राशि		योग में हिस्सा
	भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		
	(₹ लाख में)		
9 से 9.99	5,50.17		0.05
11 से 11.99	3,63.61		0.03
12 से 12.99	18,46.15		0.15
13 से 13.99	32.53		0.00
*	1,20,35,08.05		99.77
योग	1,20,63,00.51		100.00

* ब्याज की दर से सम्बन्धित सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
		(₹ लाख में)		
ड. लोक ऋण				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण				
101. बाजार कर्ज				
(01) ब्याज वाले बाजार कर्ज				
[53] 8.30% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2017	20.04.2007	7,50,00.00	..	7,50,00.00
[54] 8.46% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2017	20.06.2007	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[55] 8.32% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2017	09.10.2007	9,50,00.00	..	9,50,00.00
[56] 8.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2017	03.12.2007	2,15,00.00	..	2,15,00.00
[57] 8.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018	08.01.2008	6,00,00.00	..	6,00,00.00
[58] 7.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018	25.01.2008	5,49,33.00	..	5,49,33.00
[59] 7.93% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018	18.02.2008	2,20,00.00	..	2,20,00.00
[60] 8.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018	27.03.2008	2,02,62.80	..	2,02,62.80
[61] 8.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018	26.09.2008	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[62] 8.26% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018	12.11.2008	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[63] 7.80% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018	21.11.2008	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[64] 6.41% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2018	24.12.2008	11,62,00.00	..	11,62,00.00
[65] 7.29% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	06.02.2009	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[66] 7.77% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	02.03.2009	12,50,00.00	..	12,50,00.00
[67] 8.46% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	18.03.2009	5,92,61.00	..	5,92,61.00
[68] 8.28% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	25.03.2009	3,51,19.00	..	3,51,19.00
[69] 7.44% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	27.05.2009	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[70] 7.83% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	24.06.2009	5,00,00.00	..	5,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध-(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण - (क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज-(क्रमशः)				
(01) ब्याज वाले बाजार कर्ज-(समाप्त)				
[71] 7.77% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019 (द्वितीय श्रृंखला)	30.07.2009	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[72] 7.95% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	04.08.2009	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[73] 8.20% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	26.08.2009	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[74] 8.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	09.09.2009	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[75] 8.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	23.09.2009	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[76] 8.21% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	07.10.2009	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[77] 8.10% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	30.10.2009	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[78] 8.11% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	11.11.2009	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[79] 8.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	25.11.2009	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[80] 8.26% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	09.12.2009	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[81] 8.35% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2019	23.12.2009	5,00,00.00	..	5,00,00.00
	योग- (01)	1,68,42,75.80	..	1,28,55,80.00
(02) बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज - कालातीत ऋण:				
[21] 7.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 1997	14.07.1982	2.38	(-) 2.38 (क)	..
[22] 9.75% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 1998	20.08.1985	2.05	..	2.05
[23] 9.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 1999	23.08.1984	0.03	..	0.03

(क) ऋण आंकड़े दावा नहीं किये गये शेषों को राजस्व प्राप्तियों को हस्तान्तरण के कारण हैं।

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध-(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण-(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज-(क्रमशः)				
(02) बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज -(समाप्त)				
कालातीत ऋण: -(समाप्त)				
[24] 8.75% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2000	28.08.1983	2.96	..	2.96
[25] 11.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2001	01.09.1986	0.94	..	0.94
[26] 11.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2002	17.08.1987	1.00	..	1.00
[27] 13.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2003	15.07.1993	0.50	..	0.50
[28] 12.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2004	25.04.1994	0.20	..	0.20
[29] 14.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2005	22.05.1995	1.00	..	1.00
[30] 13.85% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2006	15.05.1996	0.60	..	0.60
[32] 13.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2007	20.07.1992	0.82	..	0.82
[37] 11.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2009	21.04.1999	0.05	..	0.05
	योग -(02)	12.53	(-) 2.38	10.15
(04) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2020				
[01] 8.30% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	06.01.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[02] 8.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	20.01.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[03] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	25.05.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[04] 8.11% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	09.06.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[05] 8.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	23.06.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[06] 8.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	07.07.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[07] 8.12% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	21.07.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध-(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण-(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज-(क्रमशः)				
(04) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2020-(समाप्त)				
[08] 8.44% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	25.08.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[09] 8.35% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	06.10.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[10] 8.51% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	27.10.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[11] 8.39% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	24.11.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
	योग -(04)	55,00,00.00	..	55,00,00.00
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025				
[01] 8.50% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	02.02.2011	8,00,00.00	..	8,00,00.00
[02] 8.52% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	17.02.2011	8,80,00.00	..	8,80,00.00
[03] 8.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	21.09.2011	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[04] 8.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	05.10.2011	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[05] 9.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	12.10.2011	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[06] 9.20% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	09.11.2011	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[07] 9.02% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	07.12.2011	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[08] 9.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	24.11.2011	3,83,00.00	..	3,83,00.00
[09] 8.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	21.12.2011	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[10] 8.74% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	11.01.2012	6,17,00.00	..	6,17,00.00
[11] 9.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	30.03.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[12] 9.12% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	23.05.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध-(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण-(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज -(क्रमशः)				
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 -(क्रमशः)				
[13] 8.87% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	06.06.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[14] 8.89% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	04.07.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[15] 8.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (प्रथम श्रृंखला)	18.07.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[16] 8.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (प्रथम श्रृंखला)	08.08.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[17] 8.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (द्वितीय श्रृंखला)	22.08.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[18] 8.91% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	05.09.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[19] 8.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (प्रथम श्रृंखला)	19.09.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[20] 8.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	03.10.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[21] 8.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (द्वितीय श्रृंखला)	17.10.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[22] 8.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (तृतीय श्रृंखला)	21.11.2012	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[23] 8.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (द्वितीय श्रृंखला)	19.12.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[24] 8.56% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	23.01.2013	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[25] 8.52% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	20.03.2013	5,41,10.00	..	5,41,10.00
[26] 8.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	08.05.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[27] 7.58% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	22.05.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध-(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण-(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज-(क्रमशः)				
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025-(क्रमशः)				
[28] 7.63% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	05.06.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[29] 7.74% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	19.06.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[30] 7.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	03.07.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[31] 9.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	01.08.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[32] 9.82% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	14.08.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[33] 9.70% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (प्रथम श्रृंखला)	28.08.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[34] 9.52% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	11.09.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[35] 9.70% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (द्वितीय श्रृंखला)	25.09.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[36] 9.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (प्रथम श्रृंखला)	09.10.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[37] 9.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (द्वितीय श्रृंखला)	23.10.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[38] 9.33% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (प्रथम श्रृंखला)	06.11.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[39] 9.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	20.11.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[40] 9.33% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (द्वितीय श्रृंखला)	04.12.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[41] 9.50% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	18.12.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[42] 9.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	26.03.2014	8,00,00.00	..	8,00,00.00
[43] 9.63% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	10.04.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध-(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण-(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज-(क्रमशः)				
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 -(क्रमशः)				
[44] 9.38% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	23.04.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[45] 9.21% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	15.05.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[46] 9.11% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	28.05.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[47] 8.79% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	11.06.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[48] 8.97% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	25.06.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[49] 8.96% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	09.07.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[50] 8.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 (प्रथम श्रृंखला)	23.07.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[51] 9.03% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	13.08.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[52] 8.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 (द्वितीय श्रृंखला)	27.08.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[53] 8.99% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	10.09.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[54] 8.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	24.09.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[55] 8.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	16.10.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[56] 8.71% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	29.10.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[57] 8.42% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	12.11.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[58] 8.43% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	26.11.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[59] 8.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	10.12.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[60] 8.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	24.12.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[61] 8.12% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	14.01.2015	5,00,00.00	..	5,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025—(क्रमशः)				
[62] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (प्रथम श्रृंखला)	28.01.2015	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[63] 8.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	11.02.2015	7,50,00.00	..	7,50,00.00
[64] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (द्वितीय श्रृंखला)	25.02.2015	7,50,00.00	..	7,50,00.00
[65] 8.02% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	25.03.2015	3,00,00.00	..	3,00,00.00
[66] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (तृतीय श्रृंखला)	15.04.2015	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[67] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (चतुर्थ श्रृंखला)	29.04.2015	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[68] 8.29% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (प्रथम श्रृंखला)	13.05.2015	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[69] 8.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (प्रथम श्रृंखला)	10.06.2015	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[70] 8.20% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	24.06.2015	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[71] 8.29% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (द्वितीय श्रृंखला)	29.07.2015	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[72] 8.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (द्वितीय श्रृंखला)	09.09.2015	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[73] 7.95% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	14.10.2015	7,50,00.00	..	7,50,00.00
[74] 7.99% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	28.10.2015	10,00,00.00	..	10,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025—(समाप्त)				
[75] 8.14% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	13.11.2015	15,00,00.00	..	15,00,00.00
[76] 8.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	26.11.2015	7,50,00.00	..	7,50,00.00
	योग—(05)	4,38,21,10.00	..	4,38,21,10.00
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030				
[01] 8.30% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	13.01.2016	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[02] 8.38% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	27.01.2016	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[03] 8.48% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	10.02.2016	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[04] 8.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	24.02.2016	8,00,00.00	..	8,00,00.00
[05] 8.55% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	09.03.2016	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[06] 8.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	23.03.2016	15,00,00.00	..	15,00,00.00
[07] 7.98% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	20.04.2016	7,50,00.00	..	7,50,00.00
[08] 8.00% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	25.05.2016	7,50,00.00	..	7,50,00.00
[09] 8.07% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	15.06.2016	15,00,00.00	..	15,00,00.00
[10] 7.57% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	09.08.2016	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[11] 7.58% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	24.08.2016	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[12] 7.38% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	14.09.2016	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[13] 7.17% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	28.09.2016	9,00,00.00	..	9,00,00.00
[14] 7.21% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	26.10.2016	10,00,00.00	..	10,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030—(क्रमशः)				
[15] 7.37% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	09.11.2016	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[16] 6.82% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	23.11.2016	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[17] 6.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	30.11.2016	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[18] 7.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	14.12.2016	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[19] 7.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	11.01.2017	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[20] 7.59% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	15.02.2017	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[21] 7.73% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	01.03.2017	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[22] 7.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	15.03.2017	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[23] 7.61% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	29.03.2017	6,53,78.00	..	6,53,78.00
[24] 7.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	14.06.2017	..	20,00,00.00	20,00,00.00
[25] 7.22% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	28.06.2017	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[26] 7.51% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	24.05.2017	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[27] 7.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	13.09.2017	..	20,00,00.00	20,00,00.00
[28] 7.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	27.09.2017	..	25,00,00.00	25,00,00.00
[29] 7.55% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	11.10.2017	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[30] 7.64% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	01.11.2017	..	20,00,00.00	20,00,00.00
[31] 7.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027 (प्रथम श्रृंखला)	29.11.2017	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[32] 7.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027 (द्वितीय श्रृंखला)	06.12.2017	..	10,00,00.00	10,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष		
(₹ लाख में)						
ड. लोक ऋण –(क्रमशः)						
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –(क्रमशः)						
101. बाजार कर्ज –(समाप्त)						
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030 –(समाप्त)						
[33] 7.86% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	27.12.2017	..	20,00,00.00	..	20,00,00.00	
[34] 7.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	24.01.2018	..	10,00,00.00	..	10,00,00.00	
[35] 8.07% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	31.01.2018	..	10,00,00.00	..	10,00,00.00	
[36] 8.28% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028 (प्रथम श्रृंखला)	21.02.2018	..	15,00,00.00	..	15,00,00.00	
[37] 8.33% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	28.02.2018	..	15,00,00.00	..	15,00,00.00	
[38] 8.13% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	27.03.2018	..	4,14,00.00	..	4,14,00.00	
[39] 8.28% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028 (द्वितीय श्रृंखला)	14.03.2018	..	20,00,00.00	..	20,00,00.00	
[40] 8.44% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	07.03.2018	..	20,00,00.00	..	20,00,00.00	
	योग –(06)		2,33,53,78.00	2,39,14,00.00	..	4,72,67,78.00
(07) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2031-2035						
[01] 7.22% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	26.07.2017	..	5,00,00.00	..	5,00,00.00	
[02] 7.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	09.08.2017	..	5,00,00.00	..	5,00,00.00	
	योग –(07)		..	10,00,00.00	..	10,00,00.00
	योग –101		8,95,17,76.33	2,49,13,97.62	39,86,95.80	11,04,44,78.15

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध-(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण-(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-(क्रमशः)				
103. भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	26,50.89	..	4,20.83	22,30.06
योग - 103	26,50.89	..	4,20.83	22,30.06
104. भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज	34,67.64	..	4,30.60	30,37.04
योग - 104	34,67.64	..	4,30.60	30,37.04
105. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज				
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण साख (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि के अन्तर्गत उधार	62.01	..	31.01	31.00
(02) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत उधार	83,76,72.05	20,20,91.65	13,21,25.80	90,76,37.90
योग - 105	83,77,34.06	20,20,91.65	13,21,56.81	90,76,68.90
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र				
(03) विद्युत् वितरण निगम से बन्ध पत्रों का क्रय				
[01] 10.03% विशेष बॉण्ड्स, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2014	30,00,00.00	..	30,00,00.00
[02] 9.99% राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2014	3,40,00.00	..	3,40,00.00
[03] 9.16% राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	17.10.2014	10,00,00.00	..	10,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध-(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण-(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-(क्रमशः)				
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र-(क्रमशः)				
(03) विद्युत् वितरण निगम से बन्ध पत्रों का क्रय-(समाप्त)				
[04] 8.45% राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	15.01.2015	8,06,00.00	..	8,06,00.00
	योग -(03)	51,46,00.00	..	51,46,00.00
<hr/>				
(04) उदय योजनान्तर्गत बॉण्ड्स का अधिग्रहण एवं नॉन एस.एल.आर. बॉण्ड्स का निर्गमन				
[01] 8.35% विशेष बॉण्ड्स, 2019 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[02] 8.47% विशेष बॉण्ड्स, 2020 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[03] 8.55% विशेष बॉण्ड्स, 2021 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[04] 8.55% विशेष बॉण्ड्स, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[05] 8.54% विशेष बॉण्ड्स, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[06] 8.45% विशेष बॉण्ड्स, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[07] 8.55% विशेष बॉण्ड्स, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[08] 8.49% विशेष बॉण्ड्स, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[09] 8.57% विशेष बॉण्ड्स, 2027 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[10] 8.41% विशेष बॉण्ड्स, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[11] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2018 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,88.07	..	31,61,88.07
[12] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2019 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,65.00	..	31,61,65.00
[13] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2020 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,65.00	..	31,61,65.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र—(क्रमशः)				
(04) उदय योजनान्तर्गत बॉण्ड्स का अधिग्रहण एवं नॉन एस.एल.आर. बॉण्ड्स का निर्गमन—(क्रमशः)				
[14] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2021 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,65.00	..	31,61,65.00
[15] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,65.00	..	31,61,65.00
[16] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,65.00	..	31,61,65.00
[17] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,65.00	..	31,61,65.00
[18] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,65.00	..	31,61,65.00
[19] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,65.00	..	31,61,65.00
[20] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2018 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,29.50	..	9,88,29.50
[21] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2019 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,29.50	..	9,88,29.50
[22] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2020 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,29.50	..	9,88,29.50
[23] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2021 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,29.50	..	9,88,29.50
[24] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,29.50	..	9,88,29.50
[25] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,29.50	..	9,88,29.50
[26] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,29.50	..	9,88,29.50
[27] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,29.50	..	9,88,29.50
[28] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,32.50	..	9,88,32.50
[29] 7.75% विशेष बॉण्ड्स, 2018 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,93.00	..	23,11,93.00
[30] 7.86% विशेष बॉण्ड्स, 2019 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,93.00	..	23,11,93.00
[31] 8.01% विशेष बॉण्ड्स, 2020 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,93.00	..	23,11,93.00
[32] 8.15% विशेष बॉण्ड्स, 2021 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,93.00	..	23,11,93.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र—(क्रमशः)				
(04) उदय योजनान्तर्गत बॉण्ड्स का अधिग्रहण एवं नॉन एस.एल.आर. बॉण्ड्स का निर्गमन—(क्रमशः)				
[33] 8.27% विशेष बॉण्ड्स, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,93.00	..	23,11,93.00
[34] 8.27% विशेष बॉण्ड्स, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,93.00	..	23,11,93.00
[35] 8.29% विशेष बॉण्ड्स, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,93.00	..	23,11,93.00
[36] 8.33% विशेष बॉण्ड्स, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,93.00	..	23,11,93.00
[37] 8.19% विशेष बॉण्ड्स, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,88.00	..	23,11,88.00
[38] 6.80% विशेष बॉण्ड्स, 2019 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,11.00	..	1,11,11.00
[39] 6.90% विशेष बॉण्ड्स, 2019 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.40	..	62,76.40
[40] 6.83% विशेष बॉण्ड्स, 2020 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,11.00	..	1,11,11.00
[41] 6.93% विशेष बॉण्ड्स, 2020 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.40	..	62,76.40
[42] 6.97% विशेष बॉण्ड्स, 2021 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,11.00	..	1,11,11.00
[43] 7.07% विशेष बॉण्ड्स, 2021 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.40	..	62,76.40
[44] 7.01% विशेष बॉण्ड्स, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,11.00	..	1,11,11.00
[45] 7.11% विशेष बॉण्ड्स, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.40	..	62,76.40
[46] 7.02% विशेष बॉण्ड्स, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,11.00	..	1,11,11.00
[47] 7.12% विशेष बॉण्ड्स, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.40	..	62,76.40
[48] 7.15% विशेष बॉण्ड्स, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,11.00	..	1,11,11.00
[49] 7.25% विशेष बॉण्ड्स, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.40	..	62,76.40
[50] 7.29% विशेष बॉण्ड्स, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,11.00	..	1,11,11.00
[51] 7.39% विशेष बॉण्ड्स, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.40	..	62,76.40

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध-(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण-(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-(क्रमशः)				
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र-(समाप्त)				
(04) उदय योजनान्तर्गत बॉण्ड्स का अधिग्रहण एवं नॉन एस.एल.आर. बॉण्ड्स का निर्गमन-(समाप्त)				
[52] 6.98% विशेष बॉण्ड्स, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,11.00	..	1,11,11.00
[53] 7.08% विशेष बॉण्ड्स, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.40	..	62,76.40
[54] 7.30% विशेष बॉण्ड्स, 2027 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,12.00	..	1,11,12.00
[55] 7.40% विशेष बॉण्ड्स, 2027 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.30	..	62,76.30
	योग -(04)	6,24,21,96.07	..	5,82,71,78.50
	योग -106	6,75,67,96.07	..	6,34,17,78.50
108. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज		1,88,74.71	..	1,52,31.58
	योग - 108	1,88,74.71	..	1,52,31.58
109. अन्य संस्थाओं से कर्ज				
(01) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से उधार		1.45	..	1.45
(04) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से उधार		38.51	..	38.51
(05) आवासन तथा शहरी विकास निगम से उधार		1,76.10	..	1,76.10
(08) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड		65,39.00	64,77.00	1,29,18.25
	योग -109	67,55.06	64,77.00	1,31,34.31

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध – (समाप्त)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2018 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण – (समाप्त)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण – (समाप्त)				
111. केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां				
(01) केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,85,04,03.50	..	15,35,76.00	1,69,68,27.50
योग - 111	1,85,04,03.50	..	15,35,76.00	1,69,68,27.50
योग - 6003	18,42,84,58.26	2,69,99,66.27	1,10,40,38.49	20,02,43,86.04

विवरण संख्या 18 – सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
							राशि	प्रतिशत	
(₹ लाख में)									
1. सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज									
6075. विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज									
800. अन्य कर्ज									
(01) हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान मैस फण्ड को उधार	4.26	..	4.26	4.26	(-) 4.26	100.00	..
योग- 6075	4.26	..	4.26	4.26	(-) 4.26	100.00	..
योग- 1. सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	4.26	..	4.26	4.26	(-) 4.26	100.00	..
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज									
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति									
6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज									
01. सामान्य शिक्षा									
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा									
(01) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति	95.37	..	95.37	.. *	..	95.37	.. #
योग - (01)	95.37	..	95.37	.. *	..	95.37	.. #

* ₹ 200 l

₹ (-) 200 l

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा	
(₹ लाख में)									
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति - (समाप्त)									
6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज - (समाप्त)									
01. सामान्य शिक्षा - (समाप्त)									
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा - (समाप्त)									
(02) विश्वविद्यालयों को उधार									
[01] जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को उधार	20,99.73	..	20,99.73	4,00.00	..	16,99.73	(-) 4,00.00	19.05	..
[02] मोहनलाल सुरखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर को उधार	4,80.00	..	4,80.00	80.00	..	4,00.00	(-) 80.00	16.67	..
योग - (02)	25,79.73	..	25,79.73	4,80.00	..	20,99.73	(-) 4,80.00	18.61	..
योग - 01	26,75.10	..	26,75.10	4,80.00	..	21,95.10	(-) 4,80.00	17.94	..
02. तकनीकी शिक्षा									
800. अन्य कर्ज									
(01) अध्ययन के लिये छात्रों को उधार	3.98	..	3.98	3.98
योग - 02	3.98	..	3.98	3.98
योग - 6202	26,79.08	..	26,79.08	4,80.00	..	21,99.08	(-) 4,80.00	17.92	..
योग - (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	26,79.08	..	26,79.08	4,80.00	..	21,99.08	(-) 4,80.00	17.92	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा	
(₹ लाख में)									
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज- (क्रमशः)									
(ख) चिकित्सा एवं परिवार कल्याण									
6210. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज									
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान									
101. आयुर्वेद									
(01) राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल जयपुर को उधार- बचनबद्धता									
	..	10.00	10.00	10.00	10.00
योग -101	..	10.00	10.00	10.00	10.00
105. ऐलोपैथी									
(01) चिकित्सा विश्वविद्यालयों को उधार									
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को उधार									
	.. * *	.. * &# @
योग -105	.. * *	.. * @
योग -03	..	10.00	10.00	.. *	..	10.00	10.00

* (-) ₹ 150.

@ ₹ 150.

ऋण आंकड़े ऋणात्मक शेषों के निस्तारण के कारण है।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा	
(₹ लाख में)									
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(ख) चिकित्सा एवं परिवार कल्याण - (समाप्त)									
6210. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज - (समाप्त)									
80. सामान्य									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को कर्ज	31,09.10	..	31,09.10	4,95.62	..	26,13.48	(-) 4,95.62	15.94	1,60.92
योग - 190	31,09.10	..	31,09.10	4,95.62	..	26,13.48	(-) 4,95.62	15.94	1,60.92
800. अन्य कार्य									
(01) भारतीय चिकित्सा बोर्ड राजस्थान को कर्ज	(-) 0.03	..	(-) 0.03	(-) 0.03 (क)	(+) 0.03
योग - 800	(-) 0.03	..	(-) 0.03	(-) 0.03	(+) 0.03
योग - 80	31,09.07	..	31,09.07	4,95.59	..	26,13.48	(-) 4,95.59	15.62	1,60.92
योग - 6210	31,09.07	10.00	31,19.07	4,95.59	..	26,23.48	(-) 4,85.59	15.62	1,60.92
योग - (ख) चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	31,09.07	10.00	31,19.07	4,95.59	..	26,23.48	(-) 4,85.59	15.62	1,60.92

(क) ऋण आंकड़े ऋणात्मक शेषों के निस्तारण के कारण हैं।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास								
6215. जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज								
<i>01. जलपूर्ति</i>								
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज								
(01) नगरपालिकाओं को उधार-सीधे उधार	3,06.70	..	3,06.70	3,06.70
(02) नगरपालिकाओं को उधार - जीवन बीमा निगम से गारन्टीड उधार	34,59.99	..	34,59.99	34,59.99	..	6,59.89
योग - 192	37,66.69	..	37,66.69	37,66.69	..	6,59.89
योग - 01	37,66.69	..	37,66.69	37,66.69	..	6,59.89
<i>02. मल-जल तथा सफाई</i>								
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज	2.53	..	2.53	2.53
योग - 192	2.53	..	2.53	2.53
योग - 02	2.53	..	2.53	2.53
योग - 6215	37,69.22	..	37,69.22	37,69.22	..	6,59.89

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः)								
6216. आवास के लिए कर्ज								
<i>02. शहरी आवास</i>								
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज								
(01) नगर विकास न्यास/ नगर पालिकाओं को उधार	0.09	..	0.09	0.09
योग - 192	0.09	..	0.09	0.09
201. आवास बोर्डों को कर्ज								
(01) राजस्थान आवासन मण्डल	15.63	..	15.63	15.63
(02) राजस्थान आवास विकास एवं आधारभूत लिमिटेड	2,78,13.01	..	2,78,13.01	2,78,13.01
योग - 201	2,78,28.64	..	2,78,28.64	2,78,28.64
योग - 02	2,78,28.73	..	2,78,28.73	2,78,28.73
<i>80. सामान्य</i>								
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना								
(01) जनजातीय क्षेत्र में अल्प आय वर्ग आवास योजना	22.45	..	22.45	0.24	..	22.21	(-) 0.24	1.07

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल	वर्ष के	योग	वर्ष के	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च	वर्ष के दौरान		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा	
	2017	दौरान		दौरान		2018	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	राशि प्रतिशत		
	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान		को शेष				
(₹ लाख में)										
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)										
<i>(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः)</i>										
6216. आवास के लिए कर्ज - (समाप्त)										
<i>80. सामान्य - (समाप्त)</i>										
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - (समाप्त)										
(02)	जनजातीय क्षेत्र में मध्यम आय वर्ग आवास योजना	84.45	..	84.45	84.45
योग - 796		1,06.90	..	1,06.90	0.24	..	1,06.66	(-) 0.24	0.22	..
<hr/>										
800. अन्य कर्ज										
(01)	औद्योगिक आवास योजना	2.24	..	2.24	0.02	..	2.22	(-) 0.02	0.89	..
(02)	अल्प आय वर्ग आवास योजना	(-) 1.13	..	(-) 1.13	(-) 1.13 (क)	(+) 1.13	100.00	2.96
(03)	मध्यम आय वर्ग आवास योजना	3,27.27	..	3,27.27	11.07	..	3,16.20	(-) 11.07	3.38	6.30
(04)	गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना	15.15	..	15.15	15.15
(05)	मेहतरों के लिये आवास योजना	15.22	..	15.22	15.22
योग - 800		3,58.75	..	3,58.75	9.96	..	3,48.79	(-) 9.96	2.78	9.26
योग - 80		4,65.65	..	4,65.65	10.20	..	4,55.45	(-) 10.20	2.19	9.26
योग - 6216		2,82,94.38	..	2,82,94.38	10.20	..	2,82,84.18	(-) 10.20	0.04	9.26

(क) ऋण आंकड़े ऋणात्मक शेषों के निस्तारण के कारण हैं।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः)								
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज								
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास								
191. नगर निगम को उधार (01) नगर निगम को उधार- आर. यू. आई. डी. पी. फेज - I								
[01] नगर निगम, अजमेर	5,25.17	..	5,25.17	20.65	..	5,04.52	(-) 20.65	3.93
[02] नगर निगम, बीकानेर	1,57.25	..	1,57.25	6.19	..	1,51.06	(-) 6.19	3.94
[03] नगर निगम, जयपुर	8,92.86	..	8,92.86	35.11	..	8,57.75	(-) 35.11	3.93
[04] नगर निगम, जोधपुर	13,10.34	..	13,10.34	51.53	..	12,58.81	(-) 51.53	3.93
[05] नगर निगम, कोटा	13,87.59	..	13,87.59	54.57	..	13,33.02	(-) 54.57	3.93
योग -191	42,73.21	..	42,73.21	1,68.05	..	41,05.16	(-) 1,68.05	3.93
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज (01) आर. यू. आई. डी. पी.-फेज- II								
[01] नगर पालिका/नगर परिषद, अलवर	6,35.66	..	6,35.66	6,35.66
[02] नगर पालिका/नगर परिषद, भरतपुर	8,73.31	..	8,73.31	8,73.31
[03] नगर पालिका/नगर परिषद, धौलपुर	5,24.44	..	5,24.44	5,24.44
[04] नगर पालिका/नगर परिषद, सवाई माधोपुर	3,72.25	..	3,72.25	3,72.25

* नगर निगम वार ब्याज का विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः)								
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास - (क्रमशः)								
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज - (समाप्त)								
(01) आर. यू. आई. डी. पी.-फैज-II - (समाप्त)								
[05] नगर पालिका/नगर परिषद, करौली	1,27.75	..	1,27.75	1,27.75
[06] नगर पालिका/नगर परिषद, झालावाड़	2,40.89	..	2,40.89	2,40.89
[07] नगर पालिका/नगर परिषद, राजसमंद	10,28.97	..	10,28.97	10,28.97
[08] नगर पालिका/नगर परिषद, बांरा	1,71.04	..	1,71.04	1,71.04
[09] नगर पालिका/नगर परिषद, बूंदी	3,85.36	..	3,85.36	3,85.36
[10] नगर पालिका/नगर परिषद, चित्तौड़गढ़	1,48.05	..	1,48.05	1,48.05
[11] नगर पालिका/नगर परिषद, जैसलमेर	4,33.12	..	4,33.12	4,33.12
[12] नगर पालिका/नगर परिषद, बाड़मेर	1,71.47	..	1,71.47	1,71.47
[13] नगर पालिका/नगर परिषद, सीकर	30,41.44	..	30,41.44	30,41.44
[14] नगर पालिका/नगर परिषद, नागौर	2,86.96	..	2,86.96	2,86.96
[15] नगर पालिका/नगर परिषद, चूरू	24,64.01	..	24,64.01	24,64.01
योग - 192	1,09,04.72	..	1,09,04.72	1,09,04.72

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः)								
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास - (क्रमशः)								
800. अन्य कर्ज								
(01) नगरपालिकाओं/स्थानीय निकायों को लघु एवं मध्यम कस्बे के विकास योजना के तहत उधार	41.90	..	41.90	41.90
योग -(01)	41.90	..	41.90	41.90
(02) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर. यू. आई. डी. पी.-फेज- II)								
[04] नगर सुधार न्यास, अलवर	0.01	..	0.01	0.01
[05] नगर सुधार न्यास, भरतपुर	0.01	..	0.01	0.01
योग -(02)	0.02	..	0.02	0.02
(03) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर. यू. आई. डी. पी.-फेज- I)								
[01] नगर सुधार न्यास, अजमेर	6,17.90	..	6,17.90	26.69	..	5,91.21	(-) 26.69	4.32
[03] जोधपुर विकास प्राधिकरण	17,67.66	..	17,67.66	37.72	..	17,29.94	(-) 37.72	2.13

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा	
(₹ लाख में)									
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः)									
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास - (समाप्त)									
800. अन्य कर्ज - (समाप्त)									
(03) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर. यू. आई. डी. पी.-फेज- I) - (समाप्त)									
[04] नगर सुधार न्यास, कोटा	25,81.62	..	25,81.62	52.84	..	25,28.78	(-) 52.84	2.05	..
योग -(03)	49,67.18	..	49,67.18	1,17.25	..	48,49.93	(-) 1,17.25	2.36	..
योग -800	50,09.10	..	50,09.10	1,17.25	..	48,91.85	(-) 1,17.25	2.34	..
योग -03	2,01,87.03	..	2,01,87.03	2,85.30	..	1,99,01.73	(-) 2,85.30	1.41	5,97.07
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) मेट्रो रेल परियोजना									
[01] जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को कर्ज	2,63,96.46	..	2,63,96.46	2,63,96.46
योग -(01)	2,63,96.46	..	2,63,96.46	2,63,96.46

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा	
(₹ लाख में)									
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः)									
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं - (क्रमशः)									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - (समाप्त)									
(02) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि									
[02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	98,65.00	..	98,65.00	98,65.00
योग - (02)	98,65.00	..	98,65.00	98,65.00
(03) जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को कर्ज (फेज-1 बी)									
[01] एशियन विकास बैंक से कर्ज	2,61,35.19	1,14,33.40	3,75,68.59	3,75,68.59	(+) 1,14,33.40	43.75	..
[02] राज्य सरकार का कर्ज	37,00.00	..	37,00.00	37,00.00
योग -(03)	2,98,35.19	1,14,33.40	4,12,68.59	4,12,68.59	(+) 1,14,33.40	38.32	..
योग - 190	6,60,96.65	1,14,33.40	7,75,30.05	7,75,30.05	(+) 1,14,33.40	17.30	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा	
(₹ लाख में)									
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (समाप्त)									
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज - (समाप्त)									
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं - (समाप्त)									
191. नगर निगमों को कर्ज									
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि									
[01] नगर निगम, जोधपुर	..	8,19.00	8,19.00	8,19.00	(+) 8,19.00
योग - 191	..	8,19.00	8,19.00	8,19.00	(+) 8,19.00
800. अन्य कर्ज									
(02) नगर सुधार न्यास को उधार	2,70.10	..	2,70.10	1,60.00	..	1,10.10	(-) 1,60.00	59.24	..
योग - 800	2,70.10	..	2,70.10	1,60.00	..	1,10.10	(-) 1,60.00	59.24	..
योग - 60	6,63,66.75	1,22,52.40	7,86,19.15	1,60.00	..	7,84,59.15	(+) 1,20,92.40	18.22	..
योग - 6217	8,65,53.78	1,22,52.40	9,88,06.18	4,45.30	..	9,83,60.88	(+) 1,18,07.10	13.64	5,97.07
योग - (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	11,86,17.38	1,22,52.40	13,08,69.78	4,55.50	..	13,04,14.28	(+) 1,17,96.90	9.95	12,66.22

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण								
6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज								
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण								
800. अन्य कर्ज								
(01) राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार	0.80	..	0.80	0.80
योग - 800	0.80	..	0.80	0.80
योग - 01	0.80	..	0.80	0.80
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण								
800. अन्य कर्ज								
(01) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार	2,61.03	24.00	2,85.03	2,85.03	(+) 24.00	9.19
(02) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार	2,49.58	..	2,49.58	2,49.58
योग - 800	5,10.61	24.00	5,34.61	5,34.61	(+) 24.00	4.70
योग - 03	5,10.61	24.00	5,34.61	5,34.61	(+) 24.00	4.70

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा	
(₹ लाख में)										
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)										
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण - (समाप्त)										
6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज - (समाप्त)										
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण										
800 अन्य कर्ज										
(01) राजस्थान अल्पसंख्यकों वित्त तथा विकास सहकारिता निगम को कर्ज										
	5,15.00	1,55.00	6,70.00	6,70.00	(+)	1,55.00	30.10	..
योग -800	5,15.00	1,55.00	6,70.00	6,70.00	(+)	1,55.00	30.10	..
योग -04	5,15.00	1,55.00	6,70.00	6,70.00	(+)	1,55.00	30.10	..
योग - 6225	10,26.41	1,79.00	12,05.41	12,05.41	(+)	1,79.00	17.44	..
योग - (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	10,26.41	1,79.00	12,05.41	12,05.41	(+)	1,79.00	17.44	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)
मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल	वर्ष के	योग	वर्ष के	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च	वर्ष के दौरान		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
	2017	दौरान		दौरान		2018	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	राशि प्रतिशत	
	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान		को शेष			
<i>(₹ लाख में)</i>									
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
<i>(छ) समाज कल्याण तथा पोषण</i>									
6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज									
<i>02. समाज कल्याण</i>									
800 अन्य कर्ज									
(01) बलवों से प्रभावित व्यक्तियों को कर्ज	5.81	..	5.81	5.81
योग - (01)	5.81	..	5.81	5.81
(02) राजस्थान के राजनीतिक पीड़ितों को उधार तथा अग्रिम	.. * * *
योग - (02)	.. * * *
(03) राज्य सरकार के पेंशनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना हेतु राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड को उधार	45,00.00	80,00.00	1,25,00.00	1,25,00.00	(+) 80,00.00	177.78	..
योग - (03)	45,00.00	80,00.00	1,25,00.00	1,25,00.00	(+) 80,00.00	177.78	..
योग - 800	45,05.81	80,00.00	1,25,05.81	1,25,05.81	(+) 80,00.00	177.55	..
योग - 02	45,05.81	80,00.00	1,25,05.81	1,25,05.81	(+) 80,00.00	177.55	..

* ₹ 96 मात्र ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)
मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल	वर्ष के	योग	वर्ष के	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
	2017 को शेष	दौरान अग्रिम		दौरान पुनर्भुगतान			निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	
(₹ लाख में)									
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे - (क्रमशः)									
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण- (क्रमशः)									
6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज - (समाप्त)									
60. अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम									
800. अन्य कर्ज									
(01) भूमि धारकों तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों को उधार									
[01] जागीरदारों को उधार	10.83	..	10.83	10.83
योग - (01)	10.83	..	10.83	10.83
(02) विविध कर्जे									
[01] जागीरदारों का पुनर्वास	1.51	..	1.51	1.51
[02] पाकिस्तान से आये विस्थापितों को उधार	1,93.65	..	1,93.65	1.72	..	1,91.93	(-) 1.72	0.89	..
[03] बर्मा से लौटे हुए विस्थापितों को उधार	3.06	..	3.06	3.06
[04] वृत्तिहीन स्वर्णकारों को तकावी अग्रिम	49.79	..	49.79	49.79
योग- (02)	2,48.01	..	2,48.01	1.72	..	2,46.29	(-) 1.72	0.69	..
योग - 800	2,58.84	..	2,58.84	1.72	..	2,57.12	(-) 1.72	0.66	..
योग - 60	2,58.84	..	2,58.84	1.72	..	2,57.12	(-) 1.72	0.66	..
योग - 6235	47,64.65	80,00.00	1,27,64.65	1.72	..	1,27,62.93	(+) 79,98.28	167.87	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण- (समाप्त)									
6245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज									
01. सूखा									
800. अन्य कर्ज									
(02) कृषकों को उधार- दुर्भिक्ष अग्रिम	43.71	..	43.71	0.02	..	43.69	(-) 0.02	0.05	..
(03) सहायता आयुक्त के माध्यम द्वारा चारा आदि के लिए गौ सेवा संघ को उधार	5.44	..	5.44	5.44
(04) पशुपालन विभाग के माध्यम द्वारा चारा आदि के लिए गौ सेवा संघ को उधार	11.82	..	11.82	11.82
(05) नगरपालिकाओं /नगर विकास न्यास को उधार	0.04	..	0.04	0.04
(06) अन्य उधार	7.02	..	7.02	7.02
(07) अन्य संस्थाओं को उधार- दुर्भिक्ष अग्रिम	1.36	..	1.36	0.44	..	0.92	(-) 0.44	32.35	..
योग - 6245	69.39	..	69.39	0.46	..	68.93	(-) 0.46	0.66	..
योग - (छ) समाज कल्याण तथा पोषण	48,34.04	80,00.00	1,28,34.04	2.18	..	1,28,31.86	(+) 79,97.82	165.45	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे - (समाप्त)									
<i>(ज) अन्य</i>									
6250. अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज									
<i>60. अन्य</i>									
800. अन्य कर्ज									
(05) वन श्रम सहकारी समितियों को उधार (मुख्य वन संरक्षक के माध्यम द्वारा)	0.25	..	0.25	0.25
(06) राज कौशल सोसायटी को उधार	1,37.64	..	1,37.64	1,37.64
(08) राजस्थान पर्यटन प्रशिक्षण सोसायटी, उदयपुर को उधार	..	5,00.00	5,00.00	5,00.00	(+) 5,00.00
योग - 6250	1,37.89	5,00.00	6,37.89	6,37.89	(+) 5,00.00	362.61	..
योग - (ज) अन्य	1,37.89	5,00.00	6,37.89	6,37.89	(+) 5,00.00	362.61	..
योग -2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे	13,04,03.87	2,09,41.40	15,13,45.27	14,33.27	..	14,99,12.00	(+) 1,95,08.13	14.96	14,27.14

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल	वर्ष के	योग	वर्ष के	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च	वर्ष के दौरान		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
	2017	दौरान		दौरान		31 मार्च 2018	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	राशि प्रतिशत	
को शेष	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान		को शेष			
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप									
6401. फसल कृषि - कर्म के लिए कर्ज									
103. बीज									
(01) पंचायती राज संस्थाओं को उधार	1,72.14	..	1,72.14	1,72.14	0.01
(02) राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को उधार	17,40.75	10.00	17,50.75	17,50.75	(+) 10.00	0.57	..
(03) राजस्थान बीज निगम को उधार	64.36	..	64.36	64.36
योग -103	19,77.25	10.00	19,87.25	19,87.25	(+) 10.00	0.51	0.01
105. खाद तथा उर्वरक									
(01) पंचायती राज संस्थाओं को उधार	..* **
योग-(01)	..***
(02) नगर पालिकाओं को उधार									
[01] खाद्य परिवहन	0.03	..	0.03	0.03
[02] विशेष विकास कार्यक्रम	0.13	..	0.13	0.13
योग-(02)	0.16	..	0.16	0.16

* ₹ 112 मात्र ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप - (क्रमशः)								
6401. फसल कृषि - कर्म के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
105. खाद तथा उर्वरक - (समाप्त)								
(03) जिला तथा अन्य स्थानीय निधि समितियों को उधार								
[01] स्थानीय खादों के संसाधनों का विकास	0.52	..	0.52	0.52
योग-(03)	0.52	..	0.52	0.52
योग - 105	0.68	..	0.68	0.68
195. कृषि सहकारिताओं को कर्ज								
(03) अन्य क्षेत्रों में स्थित कृषि सहकारी समितियों को उधार	0.21	..	0.21	0.21
योग - 195	0.21	..	0.21	0.21
800. अन्य कर्ज								
(02) कृषकों को उधार								
[01] तकावी अग्रिम (राजस्व विभाग के माध्यम द्वारा)	.. \$ \$.. \$ %	..
[04] भूमि विकास	.. * * *
[06] बैलों व ऊँटों के लिए उधार	.. # # #
योग- (02)	.. @ @	.. \$ &	.. %	..

\$ ₹ 59 मात्र ।

% ₹ (-) 59 मात्र ।

* ₹ 129 मात्र ।

₹ 119 मात्र ।

@ ₹ 307 मात्र ।

& ₹ 248 मात्र ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप - (क्रमशः)									
6401. फसल कृषि - कर्म के लिए कर्ज - (समाप्त)									
800. अन्य कर्ज - (समाप्त)									
(04) एकीकृत शुष्क कृषि भूमि के विकास हेतु उधार									
	14.35	..	14.35	14.35
योग - (04)	14.35	..	14.35	14.35
(06) कृषि विश्वविद्यालय को कर्ज									
[01] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को उधार									
	36,66.11	..	36,66.11	36,66.11
[02] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को उधार									
	82,30.65	22,00.00	1,04,30.65	1,04,30.65	(+) 22,00.00	26.73	..
योग - (06)	1,18,96.76	22,00.00	1,40,96.76	1,40,96.76	(+) 22,00.00	18.49	..
योग - 800	1,19,11.11	22,00.00	1,41,11.11	1,41,11.11	(+) 22,00.00	18.47	0.13
योग - 6401	1,38,89.25	22,10.00	1,60,99.25	1,60,99.25	(+) 22,10.00	15.91	0.14

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल	वर्ष के	योग	वर्ष के	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च	वर्ष के दौरान		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
	2017	दौरान		दौरान		2018	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	राशि	
	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान		को शेष			
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप - (क्रमशः)									
6402. मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज									
102. मृदा संरक्षण									
(02) कृषकों को उधार									
[01] कृषि विभाग के माध्यम द्वारा	7.76	..	7.76	7.76
[02] वन विभाग के माध्यम द्वारा	0.03	..	0.03	0.03	(-) 0.03	100.00	..
[03] केंद्रा उदयीकरण	0.75	..	0.75	0.37	..	0.38	(-) 0.37	49.33	..
योग - 6402	8.54	..	8.54	0.40	..	8.14	(-) 0.40	4.68	0.80 *
6403. पशुपालन के लिए कर्ज									
102. पशु तथा भैंस विकास									
(02) गहन पशु विकास योजना	7.68	..	7.68	7.68
103. कुक्कुट विकास	0.01	..	0.01	0.01
104. भेड़ तथा ऊन विकास									
(01) भेड़ पालकों को उधार	0.02	..	0.02	0.02
800. अन्य कर्ज									
(02) पशुपालन विश्वविद्यालयों को उधार									
[01] राजस्थान पशु स्वास्थ्य एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	4,94.49	..	4,94.49	76.81	..	4,17.68	(-) 76.81	15.53	..
योग - 6403	5,02.20	..	5,02.20	76.81	..	4,25.39	(-) 76.81	15.29	..

* शीर्ष वार ब्याज का विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज- (क्रमशः)									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप- (क्रमशः)									
6404. डेयरी विकास के लिए कर्ज									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को उधार	3,09.71	..	3,09.71	3,09.71
(02) रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम- डेयरी इकाइयों की स्थापना	0.18	..	0.18	0.18
(04) राजस्थान राज्य सहकारिता डेयरी महासंघ लिमिटेड को उधार	47,40.00	..	47,40.00	15,80.00	..	31,60.00	(-) 15,80.00	33.33	..
योग - 190	50,49.89	..	50,49.89	15,80.00	..	34,69.89	(-) 15,80.00	31.29	..
योग - 6404	50,49.89	..	50,49.89	15,80.00	..	34,69.89	(-) 15,80.00	31.29	..
6405. मछली पालन के लिए कर्ज									
800. अन्य कर्ज									
(01) मत्स्य किसान विकास अभिकरण को कर्ज (निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से)	0.33	..	0.33	0.33
योग - 800	0.33	..	0.33	0.33
योग - 6405	0.33	..	0.33	0.33

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल	वर्ष के	योग	वर्ष के	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च	वर्ष के दौरान		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
	2017	दौरान		दौरान		2018	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	राशि प्रतिशत	
	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान		को शेष			
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप - (क्रमशः)									
6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज									
02. भण्डारण तथा भाण्डागार									
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) गोदामों का निर्माण									
[01] राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को उधार									
	2,15,00.00	70,00.00	2,85,00.00	4,11.77	..	2,80,88.23	(+) 65,88.23	30.64	2,80.00
योग - 190	2,15,00.00	70,00.00	2,85,00.00	4,11.77	..	2,80,88.23	(+) 65,88.23	30.64	2,80.00
195. सहकारिताओं को कर्ज									
(01) ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम निर्माण हेतु उधार									
	(-) 1.71	..	(-) 1.71	(-) 1.71 (क)	(+) 1.71	100.00	..
योग - 195	(-) 1.71	..	(-) 1.71	(-) 1.71	(+) 1.71	100.00	..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना									
(01) गोदाम निर्माण हेतु उधार									
	2.54	..	2.54	2.54
योग - 796	2.54	..	2.54	2.54

(क) ऋण आंकड़े ऋणात्मक शेषों के निस्तारण के कारण हैं।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज- (क्रमशः)									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप- (क्रमशः)									
6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज- (समाप्त)									
<i>02. भण्डारण तथा भाण्डागार- (समाप्त)</i>									
800. अन्य कर्ज									
(03) ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम निर्माण हेतु उधार	1.30	..	1.30	1.30
(04) यातायात वाहन क्रय हेतु उधार	0.75	..	0.75	0.75
योग - 800	2.05	..	2.05	2.05
योग - 02	2,15,02.88	70,00.00	2,85,02.88	4,10.06	..	2,80,92.82	(+) 65,89.94	30.65	2,80.00
योग - 6408	2,15,02.88	70,00.00	2,85,02.88	4,10.06	..	2,80,92.82	(+) 65,89.94	30.65	2,80.00
6425. सहकारिता के लिए कर्ज									
107. जमा सहकारी समितियों को कर्ज									
(02) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को उधार	28,50.31	16,78.78	45,29.09	6,29.13	..	38,99.96	(+) 10,49.65	36.83	..
(03) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों की खरीद									
[02] ए.आर.सी. की विशिष्ट योजनाओं के ऋणपत्र	27,19.10	1,02.25	28,21.35	6,84.40	..	21,36.95	(-) 5,82.15	21.41	2,36.64
(07) राजस्थान राज्य सहकारी सुदृढ़ीकरण कोष की स्थापना हेतु उधार	1,61.18	..	1,61.18	1,61.18

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल	वर्ष के	योग	वर्ष के	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च	वर्ष के दौरान		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
	2017	दौरान		दौरान		2018	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	राशि	
	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान		को शेष			
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप - (क्रमशः)									
6425. सहकारिता के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
107. जमा सहकारी समितियों को कर्ज - (समाप्त)									
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर सहकारी समितियों के सुदृढीकरण हेतु उधार	0.10	..	0.10	0.10
(10) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) को स्टेट रिवॉल्विंग फण्ड हेतु उधार									
[01] महिला सहकारी समितियों एवं कैम्पस को ऋण देने हेतु	6,00.00	..	6,00.00	6,00.00
योग - 107	63,30.69	17,81.03	81,11.72	13,13.53	..	67,98.19	(+) 4,67.50	7.38	2,36.64
108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज									
(01) विधायन इकाइयों को अवशोधित पूंजी हेतु उधार	1,09.87	..	1,09.87	1,09.87
(03) सहकारी खाद्य तेल मिलों को उधार	17,74.37	..	17,74.37	17,74.37
(04) समग्र सहकारिता विकास परियोजना हेतु उधार	80,61.98	6,65.42	87,27.40	15,35.86	..	71,91.54	(-) 8,70.44	10.80	..
(05) राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ (तिलम संघ) को उधार	51,66.82	..	51,66.82	51,66.82
(06) महिला सहकारी समितियों को उधार	0.80	..	0.80	0.80
(07) स्पिन फेड/कॉटन कॉम्प्लैक्स को उधार	1,25,34.85	16,46.44	1,41,81.29	1,41,81.29	(+) 16,46.44	13.13	..
(08) राजस्थान सहकारी आवासन संघ को उधार	2,13.89	..	2,13.89	2,13.89

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप - (समाप्त)								
6425. सहकारिता के लिए कर्ज - (समाप्त)								
108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज - (समाप्त)								
(10) राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ को उधार	..	5,07,50.00	5,07,50.00	7,25.00	..	5,00,25.00	(+) 5,00,25.00	..
योग - 108	2,78,62.58	5,30,61.86	8,09,24.44	22,60.86	..	7,86,63.58	(+) 5,08,01.00	182.33
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना								
(06) समग्र सहकारिता विकास परियोजना हेतु उधार	27,51.63	4,60.00	32,11.63	1,89.15	..	30,22.48	(+) 2,70.85	9.84
योग-796	27,51.63	4,60.00	32,11.63	1,89.15	..	30,22.48	(+) 2,70.85	9.84
800. अन्य कर्ज								
(01) कार्य योजना	45.29	..	45.29	4.46	..	40.83	(-) 4.46	9.85
योग - 800	45.29	..	45.29	4.46	..	40.83	(-) 4.46	9.85
योग - 6425	3,69,90.19	5,53,02.89	9,22,93.08	37,68.00	..	8,85,25.08	(+) 5,15,34.89	139.32
योग - (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	7,79,43.28	6,45,12.89	14,24,56.17	58,35.27	..	13,66,20.90	(+) 5,86,77.62	75.28

* सहकारी समितियों वार ब्याज का विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
<i>(ख) ग्राम विकास</i>								
6506. भूमि सुधार के लिए कर्ज								
104. फालतू भूमि के आवंटियों के लिए कर्ज	5.96	..	5.96	5.96
योग - 6506	5.96	..	5.96	5.96
योग - (ख) ग्राम विकास	5.96	..	5.96	5.96
<i>(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण</i>								
6705. कमान क्षेत्र विकास के लिए कर्ज								
800. अन्य कर्ज								
(01) मृदा संरक्षण	9.47	..	9.47	9.47
(02) विश्व खाद्य कार्यक्रम सं. 2600 के अन्तर्गत विस्थापितों को उधार	1.00	..	1.00	1.00
(04) अपेक्स केन्द्रीय सहकारी बैंकों की उनकी अवधिपार बकाया के संबंध में उधार	1.12	..	1.12	1.12
योग - 6705	11.59	..	11.59	11.59
योग - (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	11.59	..	11.59	11.59

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(ड) ऊर्जा									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(02) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	3,35,39.72	1,39,15.11	4,74,54.83	4,74,54.83	(+) 1,39,15.11	41.49	..
[02] राजस्थान इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)	10,04.60	52,12.46	62,17.06	89.79	..	61,27.27	(+) 51,22.67	509.92	..
योग - (02)	3,45,44.32	1,91,27.57	5,36,71.89	89.79	..	5,35,82.10	(+) 1,90,37.78	55.11	..
(03) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	1,05,77,59.11	..	1,05,77,59.11	35,39,09.32	..	70,38,49.79	(-) 35,39,09.32	33.46	11,10.18
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	4,50,09.48	..	4,50,09.48	4,50,09.48	10,26,89.85
योग - (03)	1,10,27,68.59	..	1,10,27,68.59	35,39,09.32	..	74,88,59.27	(-) 35,39,09.32	32.09	10,38,00.03

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा	
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(ड) ऊर्जा - (क्रमशः)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - (समाप्त)									
(04) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	97,68,56.13	..	97,68,56.13	32,72,53.19	..	64,96,02.94	(-) 32,72,53.19	33.50	8,50.02
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	3,48,23.00	..	3,48,23.00	3,48,23.00	11,35,74.00
योग - (04)	1,01,16,79.13	..	1,01,16,79.13	32,72,53.19	..	68,44,25.94	(-) 32,72,53.19	32.35	11,44,24.02
(05) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	1,01,84,33.07	..	1,01,84,33.07	33,88,37.48	..	67,95,95.59	(-) 33,88,37.48	33.27	8,60.64
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	3,53,99.16	..	3,53,99.16	3,53,99.16	7,75,25.27
योग - (05)	1,05,38,32.23	..	1,05,38,32.23	33,88,37.48	..	71,49,94.75	(-) 33,88,37.48	32.15	7,83,85.91
योग - 190	3,20,28,24.27	1,91,27.57	3,22,19,51.84	1,02,00,89.78	..	2,20,18,62.06	(-) 1,00,09,62.21	31.25	29,66,09.96

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे - (क्रमशः)									
(ड) ऊर्जा - (क्रमशः)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्जे - (क्रमशः)									
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संगठक योजना									
(01) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	27,76,63.01	..	27,76,63.01	9,36,81.89	..	18,39,81.12	(-) 9,36,81.89	33.74	..
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	1,17,03.12	..	1,17,03.12	1,17,03.12
योग - (01)	28,93,66.13	..	28,93,66.13	9,36,81.89	..	19,56,84.24	(-) 9,36,81.89	32.37	..
(02) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	25,68,61.74	..	25,68,61.74	8,66,25.85	..	17,02,35.89	(-) 8,66,25.85	33.72	..
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	90,54.49	..	90,54.49	90,54.49
योग - (02)	26,59,16.23	..	26,59,16.23	8,66,25.85	..	17,92,90.38	(-) 8,66,25.85	32.58	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा	
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे - (क्रमशः)									
(ड) ऊर्जा - (क्रमशः)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्जे - (क्रमशः)									
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संगठक योजना - (समाप्त)									
(03) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	26,53,18.17	..	26,53,18.17	8,96,92.27	..	17,56,25.90	(-) 8,96,92.27	33.81	..
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	92,04.30	..	92,04.30	92,04.30
योग - (03)	27,45,22.47	..	27,45,22.47	8,96,92.27	..	18,48,30.20	(-) 8,96,92.27	32.67	..
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	87,04.29	74,54.52	1,61,58.81	1,61,58.81	(+) 74,54.52	85.64	..
[02] राजस्थान इंटरास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)	1,82.14	27,92.39	29,74.53	29,74.53	(+) 27,92.39	1533.10	..
योग - (04)	88,86.43	1,02,46.91	1,91,33.34	1,91,33.34	(+) 1,02,46.91	115.31	..
योग - 789	83,86,91.26	1,02,46.91	84,89,38.17	27,00,00.01	..	57,89,38.16	(-) 25,97,53.10	30.97	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा	
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(ड) ऊर्जा - (क्रमशः)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना									
(01) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	21,62,95.43	..	21,62,95.43	7,28,63.69	..	14,34,31.74	(-) 7,28,63.69	33.69	..
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	88,51.10	..	88,51.10	88,51.10
योग - (01)	22,51,46.53	..	22,51,46.53	7,28,63.69	..	15,22,82.84	(-) 7,28,63.69	32.36	..
(02) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	20,11,25.72	..	20,11,25.72	6,73,75.66	..	13,37,50.06	(-) 6,73,75.66	33.50	..
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	68,47.93	..	68,47.93	68,47.93
योग - (02)	20,79,73.65	..	20,79,73.65	6,73,75.66	..	14,05,97.99	(-) 6,73,75.66	32.40	..
(03) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	20,18,83.69	..	20,18,83.69	6,97,60.65	..	13,21,23.04	(-) 6,97,60.65	34.55	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे - (क्रमशः)									
(ड) ऊर्जा - (क्रमशः)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्जे - (क्रमशः)									
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोग - (समाप्त)									
(03) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार - (समाप्त)									
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	69,61.23	..	69,61.23	69,61.23
योग - (03)	20,88,44.92	..	20,88,44.92	6,97,60.65	..	13,90,84.27	(-) 6,97,60.65	33.40	..
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	60,93.01	34,78.77	95,71.78	95,71.78	(+) 34,78.77	57.09	..
[02] राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)	1,27.49	13,03.12	14,30.61	14,30.61	(+) 13,03.12	1022.14	..
योग - (04)	62,20.50	47,81.89	1,10,02.39	1,10,02.39	(+) 47,81.89	76.87	..
योग - 796	64,81,85.60	47,81.89	65,29,67.49	21,00,00.00	..	44,29,67.49	(-) 20,52,18.11	31.66	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल	वर्ष के	योग	वर्ष के	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च	वर्ष के दौरान		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
	2017	दौरान		दौरान		2018	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	राशि प्रतिशत	
को शेष	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान		को शेष			
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(ड) ऊर्जा - (क्रमशः)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
800. विद्युत् बोर्डों के लिए अन्य कर्ज									
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु उधार	41.53	..	41.53	10.38	..	31.15	(-) 10.38	24.99	..
[02] अन्य उधार	54,49.19	..	54,49.19	7,54.03	..	46,95.16	(-) 7,54.03	13.84	..
[03] राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की भारत सरकार के उपक्रमों की बकाया हेतु विशेष बॉण्ड्स (पॉवर बाण्ड्स)	1,47,51.28	..	1,47,51.28	1,47,51.28
[04] अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार	2,00,00.00	..	2,00,00.00	2,00,00.00
[05] विभिन्न विद्युत् परियोजना (आयोजना ऋण) हेतु उधार	4,42.00	..	4,42.00	4,42.00	3,92.85
योग - (02)	4,06,84.00	..	4,06,84.00	7,64.41	..	3,99,19.59	(-) 7,64.41	1.88	3,92.85*
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड को उधार									
[02] अन्य उधार	8.38	..	8.38	1.73	..	6.65	(-) 1.73	20.64	..
[03] विभिन्न विद्युत् परियोजना (आयोजना ऋण) हेतु उधार	1,38,07.00	..	1,38,07.00	1,38,07.00	18,99.17
योग - (03)	1,38,15.38	..	1,38,15.38	1.73	..	1,38,13.65	(-) 1.73	0.01	18,99.17*

* ऋणवार ब्याज का विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल	वर्ष के	योग	वर्ष के	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च	वर्ष के दौरान		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा	
	2017	दौरान		दौरान		2018	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	राशि प्रतिशत		
को शेष	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान		को शेष				
(₹ लाख में)										
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)										
(ड) ऊर्जा - (क्रमशः)										
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)										
800. विद्युत् बोर्डों के लिए अन्य कर्ज - (क्रमशः)										
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार										
[01]	त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु उधार	35,83.54	..	35,83.54	5,35.19	..	30,48.35	(-) 5,35.19	14.93	..
[02]	अन्य उधार	1,03,59.49	..	1,03,59.49	13,49.57	..	90,09.92	(-) 13,49.57	13.03	..
[03]	अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार	1,89,00.82	..	1,89,00.82	1,89,00.82
	योग - (04)	3,28,43.85	..	3,28,43.85	18,84.76	..	3,09,59.09	(-) 18,84.76	5.74	..
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार										
[01]	त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु उधार	26,15.63	..	26,15.63	3,78.60	..	22,37.03	(-) 3,78.60	14.47	..
[02]	अन्य उधार	80,68.58	..	80,68.58	10,53.21	..	70,15.37	(-) 10,53.21	13.05	..
[03]	अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार	1,41,73.76	..	1,41,73.76	1,41,73.76
	योग - (05)	2,48,57.97	..	2,48,57.97	14,31.81	..	2,34,26.16	(-) 14,31.81	5.76	..
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार										
[01]	त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु उधार	19,13.30	..	19,13.30	2,90.34	..	16,22,96	(-) 2,90.34	15.17	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
------------------	----------------------------	----------------------------	-----	---------------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------------------

(₹ लाख में)

3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)

(ड) ऊर्जा - (समाप्त)

6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - (समाप्त)

800. विद्युत् बोर्डों के लिए अन्य कर्ज - (समाप्त)

(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार - (समाप्त)

[02] अन्य उधार	92,42.89	..	92,42.89	12,44.04	..	79,98.85	(-) 12,44.04	13.46	..
[03] अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार	1,41,75.86	..	1,41,75.86	1,41,75.86
योग - (06)	2,53,32.05	..	2,53,32.05	15,34.38	..	2,37,97.67	(-) 15,34.38	6.06	..
योग - 800	13,75,33.25	..	13,75,33.25	56,17.09	..	13,19,16.16	(-) 56,17.09	4.08	22,92.02
योग - 6801	4,82,72,34.38	3,41,56.37	4,86,13,90.75	1,50,57,06.88	..	3,35,56,83.87	(-) 1,47,15,50.51	30.48	29,89,01.98
योग - (ड) ऊर्जा	4,82,72,34.38	3,41,56.37	4,86,13,90.75	1,50,57,06.88	..	3,35,56,83.87	(-) 1,47,15,50.51	30.48	29,89,01.98

(च) उद्योग तथा खनिज

6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज

102. लघु उद्योग

(01) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को उधार

(02) कुटीर घरेलू उद्योगों के लिए-

निदेशक, उद्योग विभाग के माध्यम द्वारा उधार

(01) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को उधार	11,05.66	..	11,05.66	1,03.66	..	10,02.00	(-) 1,03.66	9.38	..
(02) कुटीर घरेलू उद्योगों के लिए- निदेशक, उद्योग विभाग के माध्यम द्वारा उधार	2.12	..	2.12	0.01	..	2.11	(-) 0.01	0.47	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(च) उद्योग तथा खनिज - (क्रमशः)									
6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
102. लघु उद्योग - (समाप्त)									
(03) नई यूनिट की स्थापना हेतु शिक्षित बेरोजगारों को मार्जिन मनी हेतु उधार - निदेशक, उद्योग विभाग के माध्यम से	16.27	..	16.27	16.27
योग - 102	11,24.05	..	11,24.05	1,03.67	..	10,20.38	(-) 1,03.67	9.22	..
103. हाथकरघा उद्योग									
(06) राजस्थान राज्य बुनकर संघ को अग्रिम आयोजना सहायता के अन्तर्गत मार्जिन मनी हेतु उधार	0.52	..	0.52	0.52
योग - 103	0.52	..	0.52	0.52
109. सम्मिश्र ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियां									
(01) हाथकरघा समितियां	38.65	..	38.65	38.65
(02) अनुसूचित जाति तथा जनजाति हथकरघा बुनकरों के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष पैकेज योजना	15.00	..	15.00	0.07	..	14.93	(-) 0.07	0.47	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(च) उद्योग तथा खनिज - (क्रमशः)									
6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज - (समाप्त)									
109. सम्मिश्र ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियां - (समाप्त)									
(04) औद्योगिक सहकारी समितियों को उधार	2.33	..	2.33	2.33
योग - 109	55.98	..	55.98	0.07	..	55.91	(-) 0.07	0.13	..
200. अन्य ग्राम उद्योग									
(02) ग्राम औद्योगिकीकरण कार्यक्रम के लिए उधार	17.04	..	17.04	17.04
(03) बन्द इकाइयों को पुनःजीवित होने पर ऋण सुविधा	9.35	..	9.35	9.35
(04) बिक्री कर के एवज में ब्याज मुक्त ऋण	0.06	..	0.06	0.06
(05) वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण	1,54.13	..	1,54.13	1,54.13
योग - 200	1,80.58	..	1,80.58	1,80.58
योग - 6851	13,61.13	..	13,61.13	1,03.74	..	12,57.39	(-) 1,03.74	7.62	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(च) उद्योग तथा खनिज - (क्रमशः)								
6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज								
01. वस्त्र उद्योग								
800. अन्य कर्ज (01) मेवाड़ टेक्सटाईल्स लिमिटेड को उधार	5,92.69	..	5,92.69	5,92.69
योग - 01	5,92.69	..	5,92.69	5,92.69
04. चीनी								
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज (01) सरकारी कम्पनियों को उधार								
[01] मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को उधार	10.54	..	10.54	10.54
योग - 04	10.54	..	10.54	10.54
60. अन्य								
600. अन्य (01) सरकारी कम्पनियों को उधार								
[02] मैसर्स जयपुर मेटल एवं इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर को उधार	12,40.95	25.00	12,65.95	12,65.95	(+) 25.00	2.01
[03] मैसर्स इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को उधार	1,36,17.65	..	1,36,17.65	1,36,17.65
योग - 60	1,48,58.60	25.00	1,48,83.60	1,48,83.60	(+) 25.00	0.17
योग - 6860	1,54,61.83	25.00	1,54,86.83	1,54,86.83	(+) 25.00	0.16

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(च) उद्योग तथा खनिज - (क्रमशः)									
6885. उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज									
<i>01. औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज</i>									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम लिमिटेड को उधार	5,37.30	..	5,37.30	5,37.30	21.55
(02) राजस्थान वित्त निगम को उधार	1,26.27	..	1,26.27	1,26.27
योग - 01	6,63.57	..	6,63.57	6,63.57	21.55
<i>02. पिछड़े क्षेत्रों का विकास</i>									
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना									
(01) जनजातीय क्षेत्र में उद्योगों को उधार	9.04	..	9.04	9.04
(02) ग्रामीण कारीगरों को ऋण देने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को उधार	7.82	..	7.82	7.82
(03) राज्य अनुदान की एवज में ब्याज मुक्त ऋण	9.55	..	9.55	9.55
योग - 02	26.41	..	26.41	26.41

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(च) उद्योग तथा खनिज - (समाप्त)									
6885. उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज - (समाप्त)									
60. अन्य									
800. अन्य कर्ज									
(01) उद्योग व उद्योगपतियों को उधार									
[01] सचिव, उद्योग विभाग के माध्यम द्वारा	97.37	..	97.37	97.37
[02] निदेशक, उद्योग विभाग के माध्यम द्वारा	13,36.21	..	13,36.21	0.11	..	13,36.10	(-) 0.11	0.01	6.52
[03] ग्रामीण कारीगरों को ऋण देने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को उधार	1.37	..	1.37	1.37
[04] राज्य अनुदान की एवज में ब्याज मुक्त उधार	46.65	..	46.65	46.65
[05] अन्य निजी कंपनियों को उधार	5,77.62	..	5,77.62	5,77.62
योग - 60	20,59.22	..	20,59.22	0.11	..	20,59.11	(-) 0.11	0.01	6.52
योग - 6885	27,49.20	..	27,49.20	0.11	..	27,49.09	(-) 0.11	..	28.07
योग - (च) उद्योग तथा खनिज	1,95,72.16	25.00	1,95,97.16	1,03.85	..	1,94,93.31	(-) 78.85	0.40	28.07

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(छ) परिवहन									
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि									
[01] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	1,60,00.00	35,00.00	1,95,00.00	1,95,00.00	(+) 35,00.00	21.88	..
(02) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को उधार	3,62,90.00	6,50.00	3,69,40.00	3,12.89	..	3,66,27.11	(+) 3,37.11	0.93	..
(06) राजस्थान राज्य बस टर्मिनल प्राधिकरण	1,00.00	99.96	1,99.96	1,99.96	(+) 99.96	99.96	..
योग - 7055	5,23,90.00	42,49.96	5,66,39.96	3,12.89	..	5,63,27.07	(+) 39,37.07	7.51	..
7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज									
01. सड़क तथा पुल									
800. अन्य कर्ज									
(01) युद्धावश्यक सड़कों के ठेकेदारों को उधार	0.82	..	0.82	0.82
योग - (01)	0.82	..	0.82	0.82
(02) सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण हेतु कर्ज									
[01] राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी को कर्ज (रिडकोर)	..	41,68.00	41,68.00	41,68.00	(+) 41,68.00

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व प्रतिशत	को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(छ) परिवहन - (समाप्त)									
7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज - (समाप्त)									
01. सड़क तथा पुल - (समाप्त)									
800. अन्य कर्ज - (समाप्त)									
(02) सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण हेतु कर्ज - (समाप्त)									
[02] राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड									
	..	53,47.56	53,47.56	53,47.56	(+) 53,47.56
योग - (02)	..	95,15.56	95,16.38	95,15.56	(+) 95,15.56
योग - 800	0.82	95,15.56	95,16.38	95,16.38	(+) 95,15.56	1160434.15	..
योग - 01	0.82	95,15.56	95,16.38	95,16.38	(+) 95,15.56	1160434.15	..
योग - 7075	0.82	95,15.56	95,16.38	95,16.38	(+) 95,15.56	1160434.15	..
योग - (छ) परिवहन	5,23,90.82	1,37,65.52	6,61,56.34	3,12.89	..	6,58,43.45	(+) 1,34,52.63	25.68	..

(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं

7452. पर्यटन के लिए कर्ज

60. अन्य

190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

(04) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को उधार

23,00.00	..	23,00.00	23,00.00
----------	----	----------	----	----	----------	----	----	----

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा	
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (समाप्त)									
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएँ - (समाप्त)									
7452. पर्यटन के लिए कर्ज - (समाप्त)									
60. अन्य - (समाप्त)									
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - (समाप्त)									
(05) राजस्थान स्टेट होटल निगम लिमिटेड को उधार	10,00.00	..	10,00.00	10,00.00	
योग - 7452	33,00.00	..	33,00.00	33,00.00	
7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज									
103. सिविल आपूर्ति									
(01) उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उधार	2.00	..	2.00	2.00	
(03) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उधार	2.80	..	2.80	2.80	
(05) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय उपभोक्ता भण्डारों को उधार	0.07	..	0.07	0.07	
योग - 7475	4.87	..	4.87	4.87	
योग - (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएँ	33,04.87	..	33,04.87	33,04.87	
योग- 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	4,98,04,63.06	11,24,59.78	5,09,29,22.84	1,51,19,58.89	..	3,58,09,63.95	(-) 1,39,94,99.11	28.10	30,05,31.09

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (समाप्त)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा	
(₹ लाख में)									
4. सरकारी कर्मचारियों को कर्जे									
7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे									
201. भवन निर्माण अग्रिम	2.28	..	2.28	(-) 65.46 (क)	..	67.74	(+) 65.46	2871.05	2.66
202. मोटर वाहन क्रय करने के लिए अग्रिम	(-) 2,35.11	0.24	(-) 2,34.87	4.30	..	(-) 2,39.17 (ख)	(-) 4.06	1.73	63.91
203. अन्य वाहनों का क्रय करने के लिए अग्रिम	17.68	..	17.68	0.54	..	17.14	(-) 0.54	3.05	9.43
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	(-) 5.14	..	(-) 5.14	4.57	..	(-) 9.71 (ख)	(-) 4.57	88.91	..
800. अन्य अग्रिम	37.51	..	37.51	0.70	..	36.81	(-) 0.70	1.87	..
योग- 7610	(-) 1,82.78	0.24	(-) 1,82.54	(-) 55.35	..	(-) 1,27.19	(+) 55.59	30.41	76.00
योग- 4. सरकारी कर्मचारियों को कर्जे	(-) 1,82.78	0.24	(-) 1,82.54	(-) 55.35	..	(-) 1,27.19	(+) 55.59	30.41	76.00
5. विविध उद्देश्यों के लिए कर्जे									
7615. विविध कर्ज									
200. विविध कर्ज	32.19	..	32.19	32.19
योग - 7615	32.19	..	32.19	32.19
योग-5. विविध उद्देश्यों के लिए कर्जे	32.19	..	32.19	32.19
कुल योग	5,11,07,20.60	13,34,01.42	5,24,41,22.02	1,51,33,41.07	..	3,73,07,80.95	(-) 1,37,99,39.65	27.00	30,20,34.23

(क) ऋण शेष गत वर्षों के गलत वर्गीकरण के सुधार के कारण है।

(ख) ऋण शेष जांच के अधीन हैं।

विवरण संख्या 18 – (क्रमशः)

अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण

वर्ष के दौरान दिये गये नये ऋण तथा अग्रिम : *

ऋणी इकाई	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि (₹ लाख में)	नियम एवं शर्तें	
			ब्याज दर	अधिस्थगत अवधि, यदि कोई हो
राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल, जयपुर	1	10.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	उपलब्ध नहीं	1,14,33.40	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
नगर निगम, जोधपुर	उपलब्ध नहीं	8,19.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास सहकारिता निगम	1	24.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास सहकारिता निगम	1	1,55.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा निधि	3	80,00.00	ब्याज मुक्त	शून्य
राजस्थान पर्यटक प्रशिक्षण सोसायटी, उदयपुर	1	5,00.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
राजस्थान राज्य एगो उद्योग निगम लिमिटेड	1	10.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	5	22,00.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
राजस्थान राज्य भांडागार निगम	4	70,00.00	6.00	3 वर्ष
राजस्थान राज्य को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक)	1	16,78.78	8.20	उपलब्ध नहीं
	1	11,25.42	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर	2	1,02.25	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
स्पिन फेड/कोटन कॉम्प्लेक्स	3	10,52.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	4	5,94.44	10.00	उपलब्ध नहीं

* इस कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार ।

विवरण संख्या 18 – (क्रमशः)

अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण – (क्रमशः)

वर्ष के दौरान दिये गये नये ऋण तथा अग्रिम – (समाप्त)

ऋणी इकाई	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि (₹ लाख में)	नियम एवं शर्तें	
			ब्याज दर	अधिस्थगत अवधि, यदि कोई हो
राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (राजफेड)	15	5,07,50.00	ब्याज मुक्त	शून्य
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	8	3,41,56.37	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रीकल लिमिटेड, जयपुर	1	25.00	9.5	उपलब्ध नहीं
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	4	35,00.00	ब्याज मुक्त	5 वर्ष
	1	6,50.00		
राजस्थान राज्य बस टर्मिनल प्राधिकरण	1	99.96	ब्याज मुक्त	3 वर्ष
राजस्थान राज्य सड़क आधारभूत विकास कम्पनी (रिडकोर)	उपलब्ध नहीं	41,68.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम	उपलब्ध नहीं	53,47.56	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	उपलब्ध नहीं	0.24	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल योग		13,34,01.42		

विवरण संख्या 18 – (समाप्त)

अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण – (समाप्त)

वर्ष के दौरान ऋणी इकाईयों को जारी किये गये नवीन ऋण तथा अग्रिम जिनसे पूर्व ऋणों का पुर्नभुगतान बकाया है: *

ऋणी संस्थाओं का नाम	चालू वर्ष के दौरान वितरित ऋण		31 मार्च 2018 को बकाया राशि			बकाया की प्रारम्भिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है	चालू वर्ष के दौरान वितरण के लिए कारण
	ब्याज दर	मूल	मूल	ब्याज	योग		
(₹ लाख में)							
राजस्थान राज्य एगो उद्योग निगम लिमिटेड	उपलब्ध नहीं	10.00	17,50.75	..	17,50.75	उपलब्ध नहीं	आवश्यक अपरिहार्य व्यय के लिए
स्पिन फेड/कोटन कॉम्प्लेक्स	उपलब्ध नहीं	10,52.00	1,41,81.29	..	1,41,81.29	उपलब्ध नहीं	मजदूरों एवं कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत भुगतान तथा स्थायी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान
	10.00	5,94.44					
जयपुर मेटल्स एवं इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, जयपुर	9.5	25.00	12,65.95	..	12,65.95	उपलब्ध नहीं	सुरक्षित सम्पत्ति, बिजली पानी तथा अन्य आवश्यक व्यय

* इस कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार ।

विवरण संख्या 19 – सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
						(₹ लाख में)			(₹ लाख में)	
I. सांविधिक निगम										
प्रचलित निगम										
01.	राजस्थान वित्त निगम, जयपुर	2013-14 तक	विशेष शेयरों का वर्ग इक्विटी	1,75,000 1,26,55,700	100 100	1,75.00 1,26,55.70 1,28,30.70	79.83	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 2,68.25 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया। वर्ष 2016-17 तक ₹ 1,22,85.22 लाख की संचित हानि थी।
02.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर	1998-99 तक	इक्विटी	3,92,630	100	3,92.63	50.00	1,17.79 (क)	..	लाभांश वर्ष 2016-17 का है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 34,50.89 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।
03.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर	2013-14 तक 2014-15	हिस्सा पूंजी इक्विटी इक्विटी	(ख) (ख) (ख)	(ख) (ख) (ख)	3,82,13.50 1,50,00.00 80,00.00 6,12,13.50	95.20	वर्ष 2015-16 तक ₹ 34,69,51.35 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2016-17 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
04.	राजस्थान नॉलेज निगम लिमिटेड, जयपुर	2007-08	इक्विटी	6,00,000	10	60.00	30.00	21.00	..	लाभांश वर्ष 2016-17 का है। वर्ष 2009-10 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।

(क) वास्तविक लाभांश ₹ 1,17,78,900।

(ख) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
I. सांविधिक निगम- (समाप्त)						(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		
अप्रचलित निगम										
05.	राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर	1992-93 तक	इक्किटी	18,114.50	10,000	19,36.45 (क)	88.30	वर्ष 2004-05 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
06.	राजस्थान राज्य मंडी विकास निगम, जयपुर	1977-78	(ख)	(ख)	(ख)	0.65	निगम अभी बनाया नहीं गया है और राशि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास रखी हुई है।
07.	राजस्थान जल प्रदाय और मल निकास निगम, जयपुर	1980-81 तक	(ख)	(ख)	(ख)	0.08 (ग)	राज्य सरकार द्वारा निगम को बंद करने के निर्णय के कारण ₹ 10.00 लाख के कुल निवेश में से ₹ 9,92,200 अप्रैल 1980 में जमा करा दिये गये।
योग- I						7,64,34.01 (घ)		1,38.79 (ङ)	..	
II. ग्रामीण बैंक										
08.	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर	2012-13 तक	इक्किटी इक्किटी	2,39,214 (ख)	100 (ख)	2,39.21 (च) 24,90.11 (च)	15.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,13,06.59 लाख का लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया।
09.	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर	2012-13 तक	इक्किटी इक्किटी	8,66,699 (ख)	100 (ख)	8,66.70 (छ) 37,73.37 (छ)	15.00	वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
योग - II						46,40.07 (छ)		73,69.39 (ज)		

(क) इसमें 31 मार्च 1978 तक भारत सरकार से प्राप्त अनुदान में से ₹ 1,25.00 लाख का निवेश सम्मिलित है।

(ख) इक्किटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है। (ग) वास्तविक निवेश ₹ 7,800। (घ) वास्तविक निवेश ₹ 7,64,34,00,800।

(ङ) वास्तविक लाभांश ₹ 1,38,78,900। (च) वास्तविक निवेश क्रमशः ₹ 2,39,21,400, ₹ 24,90,10,930 तथा ₹ 27,29,32,330 (छ) वास्तविक निवेश क्रमशः ₹ 8,66,69,900, ₹ 37,73,37,250 तथा ₹ 46,40,07,150। (ज) वास्तविक निवेश ₹ 73,69,39,480।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या						प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य
					(₹ लाख में)					
						(₹ लाख में)				
III. सरकारी कम्पनियों प्रचलित कम्पनियों										
10.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर	2015-16 तक	इक्विटी संचयी पूर्वाधिकार	2,36,69,049	50	1,18,28.80 (क)	97.22	9.63 (घ)	..	लाभांश वर्ष 2016-17 का है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 56,69.19 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया।
			पूर्वाधिकार	30,000	50	15.00				
			पूर्वाधिकार	3,09,613	50	1,54.81 (ख)				
			पूर्वाधिकार हिस्सा इक्विटी	1,22,24,000	50	61,12.00				
			पूर्वाधिकार हिस्सा इक्विटी	15,199	50	7.60 *				
		2017-18	वापसी			(-) 9.00				
						1,81,09.21 (ग)				
11.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर	2010-11 तक	इक्विटी	6,64,387	100	6,64.39 (ङ)	94.14	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 2,91.34 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया। वर्ष 2016-17 तक ₹ 29,27.69 लाख की संचित हानि थी।
12.	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जयपुर	2012-13 तक	इक्विटी	21,622	1,000	2,16.22	100.00	वर्ष 2014-15 तक ₹ 8,56.76 लाख की संचित हानि थी वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।

* हाईटेक प्रेसिजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर का विलय राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर में कर दिया गया है जैसा कि वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र सं. P.1(4)Fin. (Exp.-4 P1)/93-IV दिनांक 24.07.2014 द्वारा सूचित किया है। ₹ 7,60,000 के निवेश के विरुद्ध कम्पनी ने ₹ 7,59,950 की राशि के 15,199 अंश ₹ 50 की दर से जारी किये। यद्यपि, ₹ 50 की शेष अन्तर राशि के समायोजन से संबंधित मामला राज्य सरकार के साथ पत्राचाराधीन है।

(क) ₹ 1,18,28,80,136 के कुल निवेश में ₹ 18,23,050 (पूर्ण प्रदत्त मूल्य) की कीमत के 36,461 शेयर सम्मिलित हैं जिन्हें ₹ 12,50,736 (बट्टे पर) में खरीदा गया परिणामस्वरूप कम्पनी लेखों के विरुद्ध राज्य लेखों में निवेश ₹ 5,72,314 से कम दिखाया गया।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 1,54,80,650।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 1,81,09,20,786।

(घ) वास्तविक लाभांश ₹ 9,63,372।

(ङ) वास्तविक निवेश ₹ 6,64,38,700।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
							(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
III सरकारी कम्पनियां- (क्रमशः)										
प्रचलित कम्पनियां- (क्रमशः)										
13.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर	2008-09 तक	इक्विटी	19,36,858	1,000	1,93,68.58 (क)	100.00	17,46.35 (च)	..	लाभांश वर्ष 2016-17 का है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,62,53.09 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।
14.	राजस्थान राज्य एगो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	1995-96 तक	इक्विटी	6,00,733	100	4,12.97 (ख)	68.74	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,45.99 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2014-15 तक ₹ 54,66.87 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लेखे प्रतीक्षित हैं (आस्त 2018)।
15.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर	1993-94 तक	इक्विटी	6,17,15,978	10	61,73.29 (ग)	99.99	38,77.07 (छ)	..	लाभांश 2016-17 का है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,38,77.08 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।
		2002-03	इक्विटी	57,15,500	10	5,71.55 (घ)				
		2003-04	इक्विटी	1,01,10,000	10	10,11.00				
						77,55.84 (ङ)				

(क) वर्ष 2002-03 तथा 2004-05 में भारत सरकार द्वारा सीधे ही ₹ 16,50.00 लाख का निवेश रीको में किया गया जो राज्य लेखों में प्रदर्शित नहीं हुआ। रीको ने अपने लेखों में इस निवेश को राज्य सरकार के निवेश के रूप में शामिल किया है तथा राजस्थान के राज्यपाल के नाम से अंश जारी किये हैं। यद्यपि यह निवेश राज्य वित्त लेखों में प्रदर्शित नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा नगद व्यय नहीं किया गया है।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 4,12,96,700। भारत सरकार द्वारा किया गया ₹ 1,87,77,600 (1,87,776 अंश) का एक निवेश 1995-96 में विनिवेश हुआ तथा राज्य सरकार को ₹ 1,000 की टोकन राशि के भुगतान के एवज में स्थानान्तरित किया गया परिणामस्वरूप राज्य लेखों में ₹ 1,87,77,600 के कुल निवेश के स्थान पर ₹ 1,000 का निवेश दिखाया गया।

(ग) ₹ 61,73,29,634 के निवेश में ₹ 11,32,360 अंकित मूल्य के 1,13,236 अंश की ₹ 1,69,854 की प्रीमियम पर खरीद सम्मिलित है परिणामस्वरूप कम्पनी लेखों के विरुद्ध राज्य लेखों में ₹ 1,69,854 से निवेश अधिक दिखाया गया है।

(घ) क्र.स. 59 पर टिप्पणी देखें।

(ङ) वास्तविक निवेश ₹ 77,55,84,634।

(च) वास्तविक लाभांश ₹ 17,46,34,423।

(छ) वास्तविक लाभांश ₹ 38,77,07,390।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या						प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य
					(₹ लाख में)			(₹ लाख में)		
III सरकारी कम्पनियां- (क्रमशः)										
प्रचलित कम्पनियां- (क्रमशः)										
16.	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	1977-78 तक	इक्विटी पूर्वाधिकार	1,019 550	1,000 1,000	10.19 5.50	5.46	वर्ष 2014-15 तक ₹ 21.51 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
						15.69				
17.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर	1998-99 तक	इक्विटी पूर्वाधिकार	5,68,250 64,750	100 100	5,68.25 64.75	83.58	63.30	..	लाभांश वर्ष 2016-17 का है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 23,57.23 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।
						6,33.00				
18.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर	2013-14 तक	इक्विटी	1,00,00,000	100	1,00,00.00	100.00	6,00.00	..	लाभांश वर्ष 2016-17 का है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 23,10.40 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।
19.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	2004-05 तक	इक्विटी	1,84,437	1,000	18,44.37	100.00	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 14,59.48 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2015-16 तक ₹ 1,45,04.69 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2016-17 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
		2012-13	(क)	(क)	(क)	3,50.00				
						21,94.37				

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या						प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य
					(₹ लाख में)		(₹ लाख में)			
III सरकारी कम्पनियों- (क्रमशः)										
प्रचलित कम्पनियों- (क्रमशः)										
20.	राजस्थान परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, (राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड), नई दिल्ली	1957-58 तक	इक्विटी	1,000	1,000	10.00	0.33	0.22	..	लाभांश वर्ष 2016-17 का है। वर्ष 2005-06 तक ₹ 6,84,89.66 लाख की संचित हानि थी । वर्ष 2006-07 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
21.	सांभर साल्ट लिमिटेड, जयपुर	1961-62	इक्विटी	4,000	1,000	40.00	40.00	वर्ष 2009-10 तक ₹ 12,70.13 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2010-11 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
22.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली	1975-76	इक्विटी	4,585	1,000	45.85	1.61	वर्ष 2002-03 तक ₹ 5,72,39.94 लाख की संचित हानि थी । वर्ष 2003-04 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
23.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (ट्यूब वेल कॉरपोरेशन)	1992-93 तक	इक्विटी	1,27,000	100	1,27.00	100.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 2.95 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया। वर्ष 2016-17 तक ₹ 2,09.48 लाख की संचित हानि थी।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखों को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित					
						(₹ लाख में)			(₹ लाख में)	
III सरकारी कम्पनियों- (क्रमशः)										
प्रचलित कम्पनियों- (क्रमशः)										
24.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	2013-14 तक	इक्रिटी	4,55,098	1,000	45,50.98	91.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 48.65 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया। वर्ष 2016-17 तक ₹ 50,11.55 लाख की संचित हानि थी।
25.	राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	16-17 तक 2017-18	इक्रिटी इक्रिटी	9,42,51,70,000 29,62,80,000	10 10	94,25,17.00 2,96,28.00	100.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 3,51,79.94 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया। वर्ष 2016-17 तक ₹ 49,78,86.50 लाख की संचित हानि थी।
						97,21,45.00				
26.	राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड	16-17 तक 2017-18	इक्रिटी इक्रिटी	4,02,07,17,700 25,00,10,000	10 10	40,20,71.77 2,50,01.00	100.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 14,53.47 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया। वर्ष 2016-17 तक ₹ 13,41,74.96 लाख की संचित हानि थी।
						42,70,72.77				
27.	जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	16-17 तक 2017-18	इक्रिटी इक्रिटी	8,46,30,60,200 1,16,20,59,800	10 10	84,63,06.02 11,62,05.98	100.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 6,15,75.29 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2016-17 तक ₹ 3,29,09,74.87 लाख की संचित हानि थी।
						96,25,12.00				

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखों को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
						(₹ लाख में)			(₹ लाख में)	
III सरकारी कम्पनियां- (क्रमशः)										
प्रचलित कम्पनियां- (क्रमशः)										
28.	जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	16-17 तक 2017-18	इक्विटी इक्विटी	7,82,90,42,700 1,06,29,89,400	10 10	78,29,04.27 10,62,98.94	100.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 10,28,68.04 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2016-17 तक ₹ 3,10,38,99.67 लाख की संचित हानि थी।
						88,92,03.21				
29.	अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	16-17 तक 2017-18	इक्विटी इक्विटी	7,85,48,51,100 1,07,85,80,800	10 10	78,54,85.11 10,78,58.08	100.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 3,36,68.57 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2016-17 तक ₹ 3,06,84,44.49 लाख की संचित हानि थी (अगस्त 2018)।
						89,33,43.19				
30.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर (राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड)	06-07 तक	इक्विटी	1,29,41,078	10	12,94.11 (क)	100.00	1,29.41 (ख)	..	अंतरिम लाभांश वर्ष 2016-17 के लिए है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 28,84.30 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया।
31.	राजस्थान राज्य बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	2004-05	इक्विटी	2,00,000	100	2,00.00	100.00	20.00	..	लाभांश वर्ष 2016-17 के लिए है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 28,67.13 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।

(क) वास्तविक निवेश ₹ 12,94,10,780।

(ख) वास्तविक लाभांश ₹ 1,29,41,078।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
						(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		
III सरकारी कम्पनियां - (क्रमशः)										
प्रचलित कम्पनियां - (क्रमशः)										
32.	राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत लिमिटेड	15-16 तक	इक्विटी	4,09,91,700	10	33,51.00 (ख)	84.22	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में कर के पश्चात् ₹ 48.82 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।
33.	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	12-13 तक	इक्विटी	41,100	1,000	4,11.00	100.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,37.61 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2016-17 तक ₹ 4,57.66 लाख की संचित हानि थी।
34.	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर *	11-12 तक	इक्विटी	26,000	1,000	2,60.00	100.00	सरकारी निवेश के वर्ष से लेखे प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।
35.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड *	11-12 तक 2015-16	इक्विटी इक्विटी	1,17,133 (क)	1,000 (क)	11,71.33 11,70.67	सरकारी निवेश के वर्ष से लेखे प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।
						23,42.00				
36.	राजस्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड*	2005-06	(क)	(क)	(क)	2,67.66	वर्ष 2005-06 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।

* संस्था का प्रकार राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ख) राजस्थान शहरी आधारभूत वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड तथा राजस्थान आवास विकास तथा आधारभूत लिमिटेड (राविल) का राज्य सरकार के निवेश क्रमशः ₹ 33,00,00,000 तथा ₹ 51,00,000 सहित राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत लिमिटेड में विलय कर दिया गया है। योजना के तहत कार्पोरेट मामलात मंत्रालय द्वारा विलय परिवर्तन अनुपात 1:15.67 अनुमोदित किया गया जिसके अनुसार राविल की अंश पूंजी ₹ 51,00,000 के एवज में आर.यू.आइ.एफ.डी.सी.ओ. द्वारा राज्य सरकार को 79,91,700 अंश जारी किये गये। 74,81,700 अतिरिक्त अंशों के आवंटन के कारण राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकासी तथा आधारभूत लिमिटेड के लेखों में सरकारी निवेश के आंकड़ों की तुलना में राज्य लेखों में सरकारी निवेश ₹ 7,48.17 लाख से कम दिखाया गया है।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
						(₹ लाख में)					(₹ लाख में)
III. सरकारी कम्पनियों- (क्रमशः)											
प्रचलित कम्पनियों- (क्रमशः)											
37.	राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ *	2005-06	इक्विटी	1,00,000	50	50.00	71.34	वर्ष 2005-06 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।	
38.	राजस्थान राज्य नागरिक विमानन निगम लिमिटेड, जयपुर	12-13 तक	इक्विटी	44,92,700	10	4,49.27	100.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 5.79 लाख की हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2016-17 तक ₹ 6,31.50 लाख की संचित हानि थी।	
39.	राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, जयपुर	2010-11	इक्विटी	50,00,000	10	5,00.00	100.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 19,35.08 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।	
40.	जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	इक्विटी इक्विटी इक्विटी इक्विटी	17,89,998 (क) (क) (क)	1,000 (क) (क) (क)	1,78,99.98 3,07,03.59 5,60,99.97 4,47,00.00	100.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 90,11.91 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2016-17 तक ₹ 1,80,24.96 लाख की संचित हानि थी।	
						14,94,03.54					
41.	राजस्थान राज्य खाद्य और सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर	2010-11	इक्विटी	5,00,00,000	10	50,00.00	100.00	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 9,53.11 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया। वर्ष 2016-17 के लेखे प्रतिक्षित हैं (अगस्त 2018)।	

* संस्था का प्रकार राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

(क) इक्विटी शेयरों की संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखों को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या						प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य
					(₹ लाख में)					(₹ लाख में)
III. सरकारी कम्पनियां- (क्रमशः)										
प्रचलित कम्पनियां- (क्रमशः)										
42.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर	2011-12	इक्विटी	5,00,000	100	5,00.00	100.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 10,78.74 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।
43.	राजस्थान मिशन ऑन स्किल लिवलीहुड कम्पनी लिमिटेड, जयपुर	2011-12	इक्विटी	(क)	(क)	5.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 2,23.71 लाख का लाभ दर्शाया गया। वर्ष 2016-17 तक संचित हानि ₹ 7,99.87 लाख थी।
44.	राजस्थान राज्य पावर वित्त निगम लिमिटेड, जयपुर	13-14 तक	इक्विटी	9,00,000	1,000	90,00.00	100.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 6,25.05 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।
45.	राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड जयपुर	2013-14	इक्विटी	13,000	10	1.30	कम्पनी की स्थापना 14 सितम्बर 2012 को हुई है।
46.	राजस्थान एक्स-सर्विस मैन निगम लिमिटेड, जयपुर	2012-13	इक्विटी	50,000	100	5,00.00	100.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 2,42.01 लाख का लाभ दर्शाया गया है।
47.	राजस्थान पुलिस आवास और निर्माण निगम लिमिटेड	2013-14 2015-16	इक्विटी इक्विटी	50,000 (क)व (ख)	100 (क)	50.00 50.00	100.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 24.83 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2016-17 तक संचित हानि ₹ 29.93 लाख थी।
						1,00.00				

(क) इक्विटी शेयरों की संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ख) अंश प्रमाण-पत्र का निर्गम अभी तक प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
						(₹ लाख में)			(₹ लाख में)	
III. सरकारी कम्पनियों- (क्रमशः)										
प्रचलित कम्पनियों- (क्रमशः)										
48.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	2013-14	इक्विटी	(क)	(क)	12,50.00	वर्ष 2013-14 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
49.	रियल एस्टेट विकास तथा निर्माण निगम राजस्थान लिमिटेड	2015-16	इक्विटी	(क)	(क)	2,00.00	वर्ष 2015-16 व 2016-17 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
50.	सूर्य ऊर्जा कम्पनी राजस्थान लिमिटेड	2015-16	इक्विटी	25,000	10	2.50	वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
51.	एस्सेल सूर्या कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड	2015-16	इक्विटी	25,000	10	2.50	वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
52.	अडानी अक्षय ऊर्जा पार्क लिमिटेड	2015-16	इक्विटी	25,000	10	2.50	वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
53.	जयपुर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	इक्विटी	(क)	(क)	1,00,00.00	50	वर्ष 2016-17 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
54.	उदयपुर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	इक्विटी	(क)	(क)	1,00,00.00	50	वर्ष 2016-17 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
55.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	इक्विटी	50,00,000	100	50,00.00	100	वर्ष 2016-17 के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
56.	अजमेर स्मार्ट सिटी, योजना	2017-18	इक्विटी	(क)	(क)	64,80.00	कम्पनी की स्थापना 24 नवम्बर 2016 को हुई है। (अगस्त 2018)।
57.	कोटा स्मार्ट सिटी, योजना	2017-18	इक्विटी	(क)	(क)	65,40.00	कम्पनी की स्थापना 28 नवम्बर 2016 को हुई है। (अगस्त 2018)।

(क) इक्विटी शेयरों की संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या						प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य
					(₹ लाख में)					(₹ लाख में)
III. सरकारी कम्पनियां- (समाप्त)										
प्रचलित कम्पनियां- (समाप्त)										
58.	एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफानरी लिमिटेड	2017-18	इक्रिटी	(क)	66,30.00	कम्पनी की स्थापना 18 सितम्बर 2013 को हुई है।	
अप्रचलित कम्पनियां										
59.	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	94-95 तक 2002-03	इक्रिटी	16,33,000	100	16,33.00 (-) 5,71.55 <u>10,61.45</u>	कम्पनी का 19/02/2003 से राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर में विलय हो चुका है, जिसके पश्चात् इस कम्पनी ने ₹ 5,71,55,000 के 35:10 के शेयर विनिमय अनुपात में शेयर जारी किये। ₹ 10,61,45,000 की शेष राशि को आरक्षित पूंजी माना गया है तथा आर. एस. एम. एम. एल. द्वारा कम्पनी के लेखों में दर्शाया गया है।	
60.	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	1990-91 तक 2002-03	इक्रिटी	19,000	100	19.00 (-) 2.25 <u>16.75</u>	100.00	..	वर्ष 2004-05 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।	
61.	राजस्थान राज्य विद्युत् निगम, जयपुर	1997-98	इक्रिटी	50,000	10	5.00	100.00	..	वर्ष 2002-03 तक ₹ 0.36 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2003-04 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।	
योग - III						4,42,92,45.85 (क)	64,45.98 (ख)	..		

(क) वास्तविक निवेश ₹ 4,42,92,45,84,600।

(ख) वास्तविक लाभांश ₹ 64,45,98,263।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या						प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य
					(₹ लाख में)					(₹ लाख में)
IV. संयुक्त पूंजी कम्पनियां										
62.	अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड (केल्वीनेटर ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली में सम्मिलित)	1998-99 तक	इक्विटी	(-) 0.61 (क)	30 जून 1988 को समाप्त हुए वर्ष तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
63.	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर	1948-49	संचयी पूर्वाधिकार	75,000	100	75.00	30 जून 1985 तक ₹ 24,63.62 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 1985-86 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
64.	मान औद्योगिक निगम लिमिटेड, जयपुर	1951-52	इक्विटी संचयी पूर्वाधिकार	5,000 10,000	100 100	5.00 10.00	वर्ष 2003-04 तक समायोजन के बाद ₹ 3,60.40 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2004-05 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
65.	न्यूज पेपर लिमिटेड, इलाहाबाद	1929-30	इक्विटी	1,000	10	0.10	2008-09 तक ₹ 48.80 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2009-10 तथा इसके आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
66.	डी सेन्ट्रल प्रोविसेज रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई	1910-11	इक्विटी	76	100	0.08 (ख)	वर्ष 2003-04 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।

(क) वास्तविक राशि ₹ 61,250। अधिक वापसी से संबंधित मामले को निपटारे हेतु राज्य सरकार के पास भेजा जा चुका है।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 7,600।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या						प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य
					(₹ लाख में)			(₹ लाख में)		
IV संयुक्त पूंजी कम्पनियों-(क्रमशः)										
67.	रामपुर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामपुर	1946-47	इक्विटी	300	10	0.07 (क)	वर्ष 2012-13 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
68.	टाटा स्टील लिमिटेड, मुम्बई (टाटा आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई)	1998-99 तक	पूर्वाधिकार/ बॉण्ड्स/ इक्विटी अंश	0.25 (ख)	13.33	.. (ग)	..	लाभांश वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 का है। वर्ष 2011-12 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
69.	आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़, अजमेर	1980-81 तक	इक्विटी	1,60,000	10	16.00	वर्ष 2008-09 तक ₹ 15,66.96 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2009-10 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
70.	ओरियन्टल पावर केबल्स लिमिटेड, कोटा	1962-63	इक्विटी	3,665	100	3.66 (घ)	30 जून 1985 को समाप्त हुए वर्ष तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।

(क) ₹ 6,960 की राशि के ₹ 23.20 प्रति अंश की दर से 300 शेयर क्रय किये गये।

(ख) पूर्वाधिकार/बॉण्ड्स/इक्विटी शेयरों में कुल निवेश ₹ 1,27,500, जिसमें 1907-08 से 1995-96 तक खरीदे गये 255 पूर्वाधिकार शेयर ₹ 158.08 प्रत्येक सम्मिलित हैं, में से ₹ 25,000 का शेष छोड़ते हुए वर्ष 1998-99 तक विभिन्न वर्षों में ₹ 1,02,500 की सीमा तक की राशि वापस प्राप्त हुई।

(ग) वास्तविक लाभांश ₹ 486।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 3,66,500।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या						प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य
						(₹ लाख में)				(₹ लाख में)
IV संयुक्त पूंजी कम्पनियों- (क्रमशः)										
71.	एसोसिएटेड आयर्न एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंज मंडी (कोटा)	1963-64	इक्विटी	1,000	100	1.00	31 दिसम्बर 1984 तक ₹ 16.70 लाख की संचित हानि थी। 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त हुए वर्ष तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
72.	जयपुर मेटल एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, जयपुर	1987-88	इक्विटी	7,500	100	7.50	वर्ष 1996-97 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
73.	मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा	1996-97 तक	पूर्वाधिकार इक्विटी	10,000 40,000	100 100	10.00 40.00	2003-04 तक ₹ 21,89.42 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2004-05 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
						50.00				
74.	मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता	1960-61	इक्विटी	2,50,000	10	25.00	लेखे प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2018)।
75.	परियोजना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	2006-07 तक	इक्विटी	9,90,000	10	99.00	50.00	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,03.87 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।
76.	राजस्थान सड़क ढांचागत विकास कम्पनी लिमिटेड, जयपुर	12-13 तक 2014-15	इक्विटी इक्विटी	11,25,00,000 #	10 #	1,12,50.00 (क) 25,00.00	50.00	सरकारी निवेश के वर्ष से लेखे प्रतीक्षित हैं। (अगस्त 2018)।
						1,37,50.00 (ख)				

इक्विटी शेयरों की संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

(क) वास्तविक निवेश ₹ 1,12,49,99,970।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 1,37,49,99,970।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या						प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य
					(₹ लाख में)					
					(₹ लाख में)					
IV संयुक्त पूंजी कम्पनियों-(क्रमशः)										
परिसमापनाधीन कम्पनियां										
77.	बूंदी विद्युत् आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, बूंदी	1936-37	इक्रिटी	4,141*	10	0.12 (ख)	कम्पनी 1965-66 से परिसमापनाधीन है।
78.	झालावाड़ ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, झालावाड़	1946-47	इक्रिटी	500*	100	0.10 (ग)	कम्पनी नवम्बर 1973 से परिसमापनाधीन है।
79.	स्टोन वेयर पाइप एण्ड सेनिटरी फिटिंग मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर	(क)	इक्रिटी	1,250	10	0.12 (घ)	कम्पनी अगस्त 1961 से परिसमापनाधीन है।
80.	श्री उदयभान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, धौलपुर	1947-48	इक्रिटी पूर्वाधिकार विलम्बित	4,000 400 5,000	10 100 10	1.30	कम्पनी जनवरी 1960 से परिसमापनाधीन है।
81.	आबू रोड इलेक्ट्रिसिटी एण्ड इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, आबू रोड	1945-46	इक्रिटी	1,250	100	1.25	कम्पनी परिसमापनाधीन है तथा वर्ष 1975-76 के दौरान पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है।
82.	कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, कोटा	1946-47	इक्रिटी पूर्वाधिकार विलम्बित	11,000 800 2,000	10 100 5	2.00	कम्पनी परिसमापनाधीन है।

(क) सूचना जयपुर रियासत के शामिल होने से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है। सरकारी अभिलेखों में निवेश का सही वर्ष उपलब्ध नहीं है।

(ख) ₹ 41,410 के कुल निवेश में से राशि क्रमशः ₹ 20,705 तथा ₹ 8,282 वर्ष 1976-77 व 1977-78 में वापस प्राप्त हुई।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 12,500।

* शेयर की राशि की वापसी के पश्चात् वास्तविक संख्या से संबंधित सूचना प्रतीक्षित है।

(ग) ₹ 50,000 के कुल निवेश में से सितम्बर 1974 में राशि ₹ 40,000 वापस प्राप्त हुई।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
IV संयुक्त पूंजी कम्पनियां- (समाप्त)										
परिसमापनाधीन कम्पनियां - (समाप्त)										
83.	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर।	1943-44	इक्विटी पूर्वाधिकार	4,987 12,471	100 100	17.46 (क)	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
84.	फुतवाह इस्लामपुर लाइट रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता	1927-28	इक्विटी	95	100	0.10 (ख)	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
85.	दी चपरमुख सिलीघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता	1990-91 तक	इक्विटी	95 (ग)	100	0.06 (घ)	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
योग -IV						1,40,64.56 (ङ)	.. (च)	..		
V. साझेदारी व्यापार संस्थाएं										
86.	कॉटन प्रेस कम्पनी, मदनगंज, किशनगढ़	1900-01	रुपये में 26 पैसे या कुल पूंजी का 25/96			0.21 (छ)	..	1.50	..	लाभांश वर्ष 2016-17 का है। वर्ष 1996-97 तथा इसके आगे के लेखे प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।
योग -V						0.21	1.50	..		

(क) वास्तविक निवेश ₹ 17,45,800।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 9,500।

(ग) 1990-91 में पूर्व में वापस किये गये शेयरों की संख्या राज्य सरकार से विवरण के अभाव में कम नहीं की जा सकी।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 6,365।

(ङ) वास्तविक निवेश ₹ 1,40,64,56,368। (च) वास्तविक लांभांश ₹ 486। (छ) वास्तविक निवेश ₹ 20,833।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
VI. सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश										
01.	क्रेडिट-सहकारी समितियां *	15-16 तक	(क)	(क)	(क)	1,10,19.70 (ख)	..	30.53 (ग)	..	
		2016-17	(क)	(क)	(क)	6.91.00				
		2016-17	वापसी			(-) 1.20 (घ)				
						1,17,09.50 (ङ)				
02.	आवास सहकारी समितियां *	2013-14 तक	(क)	(क)	(क)	1,71.90 (च)	
03.	श्रम सहकारी समितियां *	2011-12 तक	(क)	(क)	(क)	6.34 (छ)	
04.	कृषि सहकारी समितियां *	2014-15 तक	(क)	(क)	(क)	1.71 (ज)	
05.	भाण्डागार और विपणन सहकारी समितियां *	2014-15 तक	(क)	(क)	(क)	31,85.01 (झ)	..	21.21 (ञ)	..	
06.	प्रक्रिया सहकारी समितियां *	2013-14 तक	(क)	(क)	(क)	76,75.14 (ट)	

* सहकारी बैंको तथा समितियों की संख्या से संबंधित सूचना राज्य सरकार से बार-बार माँगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(क) इक्रिटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(घ) वास्तविक वापसी ₹ 1,19,625 । (ङ) वास्तविक निवेश ₹ 1,17,09,49,651 ।

(ज) वास्तविक निवेश ₹ 1,70,395 ।

(झ) वास्तविक निवेश ₹ 31,85,01,740 ।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 1,10,19,69,276 ।

(च) वास्तविक निवेश ₹ 1,71,90,480 ।

(ञ) वास्तविक लाभांश ₹ 21,20,600 ।

(ग) वास्तविक लाभांश ₹ 30,52,64 ।

(छ) वास्तविक निवेश ₹ 6,33,983 ।

(ट) वास्तविक निवेश ₹ 76,75,13,856 ।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान लाभ प्राप्त तथा सरकार को जमा	घोषित लाभान्श परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
VI. सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश - (क्रमशः)										
07.	डेयरी सहकारी समितियां *	2014-15 तक 2015-16	(क) वापसी	(क)	(क)	6,45.15 (ख) (-) 0.02 (ग) <u>6,45.13 (घ)</u>	
08.	सहकारी कतार्ई मिलें *	2012-13 तक	(क)	(क)	(क)	64,22.31	
09.	उपभोक्ता सहकारी समितियां *	2011-12 तक	(क)	(क)	(क)	11,24.99 (ङ)	..	28.25(च)	..	
10.	राजस्थान सहकारी वित्त और विकास निगम #	2013-14	(क)	(क)	(क)	10,00.00	
11.	औद्योगिक सहकारी समितियां	2003-04 तक	(क)	(क)	(क)	78.76 (छ)	

* सहकारी बैंकों और समितियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।
 (क) इकट्टी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।
 (ग) वास्तविक वापसी ₹ 1,500 ।
 (ङ) वास्तविक निवेश ₹ 11,24,98,691 ।
 (छ) वास्तविक निवेश ₹ 78,76,061 ।

संस्था का प्रकार राज्य सरकार से प्रतीक्षित है ।
 (ख) वास्तविक निवेश ₹ 6,45,14,770 ।
 (घ) वास्तविक निवेश ₹ 6,45,13,270 ।
 (च) वास्तविक लाभान्श ₹ 28,25,584 ।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)
खण्ड 1 : 2017-18 तक के निवेशों का विवरण- (समाप्त)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
						(₹ लाख में)				
VI. सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश - (समाप्त)							(₹ लाख में)			
12.	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत विविध समितियां *	2014-15 तक 2015-16 2016-17 2017-18	(क) (क) (क) (क)	(क) (क) (क) (क)	(क) (क) (क) (क)	50,99.11 (ख) 8,54.35 9,84.93 5,74.89	
						75,13.28 (ग)				
13.	अन्य सहकारी समितियां *	2015-16 तक 2017-18 2017-18	(क) (क) वापसी	(क) (क)	(क) (क)	1,19,53.75 (घ) 11,19.32 16,60.94 (च)	..	10.12 (ङ)	..	
						1,14,12.13 (छ)				
योग						5,09,46.20 (ज)				
घटाएं - वापसियां						(-) 0.08 (झ)				
योग - VI						5,09,46.12 (ञ)	90.11 (ट)		..	
कुल योग						4,57,80,60.14 (ठ)	66,76.38 (ड)		..	

* सहकारी बैंकों और समितियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

(क) इकट्टी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 1,19,53,74,901। (ङ) वास्तविक लाभांश ₹ 10,11,944।

(छ) वास्तविक निवेश ₹ 1,14,12,13,253 । (ज) वास्तविक निवेश ₹ 5,09,46,20,887 ।

(झ) वापसियों के समितिवार विवरण (वर्ष 1976-77 के ₹ 4,500 और 1977-78 के ₹ 3,650) विभाग/कोषाधिकारी से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

(ट) वास्तविक लाभांश ₹ 90,10,776 ।

(ठ) वास्तविक निवेश ₹ 4,57,80,60,14,818 ।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 50,99,11,507 । (ग) वास्तविक निवेश ₹ 75,13,28,507 ।

(च) वास्तविक वापसी ₹ 16,60,93,648 ।

(ञ) वास्तविक निवेश ₹ 5,09,46,12,737 ।

(ड) वास्तविक लाभांश ₹ 66,76,38,425 ।

विवरण संख्या 19 - (समाप्त)

खण्ड 2 : वर्ष के दौरान मुख्य तथा लघु शीर्षवार निवेश का विवरण

(मात्र वही मामले सम्मिलित करने हैं जिनसे विवरण संख्या 19 में दर्शायी राशियां मिलान नहीं करती हैं)

विवरण संख्या 19 की क्रम संख्या	मुख्य / लघु शीर्ष	गत वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान निवेश	वर्ष के दौरान विनिवेश	वर्ष के अंत में निवेश	प्राप्त लाभांश/ ब्याज
<i>(₹ लाख में)</i>						
सरकारी कम्पनियां						
<i>प्रचलित कम्पनियां</i>						
21.	सांभर साल्ट लिमिटेड, जयपुर वित्त लेखे के विवरण संख्या 16 में नहीं पाया गया	40.00	40.00	..
<i>अप्रचलित कम्पनियां</i>						
59.	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	16,33.00	16,33.00	..
	4853-01-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	13,78.66	13,78.66	..
	4853-01-796 जनजातिय क्षेत्र उप-योजना	2,44.25	2,44.25	..
	4853-60-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	10.00	10.00	..
संयुक्त पूंजी कम्पनियां						
67.	रामपुर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामपुर वित्त लेखे के विवरण संख्या 16 में नहीं पाया गया	0.07	0.07	..
71.	एसोसिएटेड आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंज मण्डी, कोटा वित्त लेखे के विवरण संख्या 16 में नहीं पाया गया	1.00	1.00	..

विवरण संख्या - 20 सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण

क- वर्गवार गारन्टियों का विवरण

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि*	वर्ष	वर्ष के	घटत*	वर्ष के दौरान		वर्ष	गारन्टी कमीशन		अन्य आवश्यक विवरण
		2017-18	दौरान	(वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	याचिका	चुकाई गई नहीं चुकाई	2017-18	अथवा फीस	अन्य	
		के प्रारम्भ में बकाया*	बढ़त*				के अन्त में बकाया*	प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
(₹ लाख में)										
भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को मूलधन के पुर्नभुगतान एवं ब्याज के भुगतान, नगद जमा सुविधा, वित्तीय मौसमी कृषि कार्य तथा कम्पनियों, निगमों एवं सहकारी समितियों तथा बैंको को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए गारन्टी	11,20,56,98.56	5,11,58,85.00	1,66,12,30.75	60,10,21.64	6,17,60,94.11	4,60,97.57	4,64,04.45	..
कुल योग-	11,20,56,98.56	5,11,58,85.00	1,66,12,30.75	60,10,21.64	6,17,60,94.11	4,60,97.57	4,64,04.45	(क) ..

* गारन्टी में ब्याज, यदि कोई हो, सम्मिलित है।

(क) इसमें जनवरी से मार्च 2018 की अवधि के ₹ 3,38.30 लाख सम्मिलित है तथा वर्ष के दौरान ₹ 31.42 लाख बकाया थे।

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

ख- गारन्टियों का विवरण

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि*	वर्ष	वर्ष के	घटत*	वर्ष के दौरान		वर्ष	गारन्टी कमीशन		अन्य आवश्यक विवरण
		2017-18 के प्रारम्भ में बकाया*	दौरान बढ़त*	(वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	याचिका	चुकाई गई नहीं चुकाई	2017-18 के अन्त में बकाया *	अथवा फीस	अन्य	
					चुकाई गई	नहीं चुकाई		प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
(₹ लाख में)										
वर्ग (1)										
ऊर्जा (5)										
<i>कर्ज/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉण्ड/ऋण-पत्रों को जारी करके ली गई राशि और उन पर राष्ट्रीकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी</i>										
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (55)	1,85,11,13.92	97,90,46.67	10,78,07.67	8,24,04.54	1,00,44,49.80	81,89.24	81,89.24	..
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (32)	1,99,94,93.15	1,19,21,50.16	65,45,00.00	38,09,37.93	1,46,57,12.23	1,27,57.05	1,27,57.05	..
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (62)	2,17,91,51.79	73,28,85.40	25,60,21.65	72,70.32	98,16,36.73	71,43.73	71,43.73	..
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (85)	2,19,00,50.28	72,32,51.51	23,04,85.81	1,92,07.70	93,45,29.62	67,50.83	67,50.83	..
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (53)	1,55,74,22.94	69,45,16.16	25,26,58.11	88,34.24	93,83,40.03	68,23.17	68,23.17	..
योग-ऊर्जा	9,77,72,32.08	4,32,18,49.90	1,50,14,73.24	49,86,54.73	5,32,46,68.41	4,16,64.02	4,16,64.02	..
सहकारी समितियाँ (7)										
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (2) <i>कृषि एवं ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी</i>	5,00,00.00	11,10.00	..	10,53.41	56.59	0.68	0.68	..

* गारन्टी में ब्याज, यदि कोई हो, सम्मिलित है।

विवरण में सभी इकाइयों के समक्ष कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारन्टीयों की संख्या के द्योतक हैं।

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

ख - गारन्टियों का विवरण - (क्रमशः)

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि	वर्ष	वर्ष के	घटत	वर्ष के दौरान		वर्ष	गारन्टी कमीशन		अन्य आवश्यक विवरण
		2017-18 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान बढ़त	(वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	याचिका चुकाई गई	नहीं चुकाई	2017-18 के अन्त में बकाया	प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
(₹ लाख में)										
सहकारी समितियाँ (7) - (क्रमशः)										
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (2) <i>कृषि एवं ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी</i>	14,00,00.00	11,41,32.79	3,25,00.00	3,03,62.71	11,62,70.08	82.15	82.15	..
राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ लिमिटेड (5) <i>राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी</i>	9,20,00.00	3,30,88.36	1,65,99.76	2,48,23.14	2,48,64.98	3,26.55	3,26.55	..
राजस्थान राज्य सहकारी आवासन फेडरेशन लिमिटेड (1) <i>राजस्थान राज्य सहकारी आवास फेडरेशन लिमिटेड के पक्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम/हुडको को दी गई गारन्टी</i>	5,00.00	99.99	..	33.33	66.66	0.21	0.21	..
राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड (8) <i>विभिन्न निगमों से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिये गारन्टी</i>	1,47,64.73	96,31.11	50,19.76	42,97.10	1,03,53.77	43.26	43.26	..

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

ख - गारन्टियों का विवरण - (क्रमशः)

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि	वर्ष	वर्ष के	घटत	वर्ष के दौरान		वर्ष	गारन्टी कमीशन		अन्य आवश्यक विवरण
		2017-18 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान बढ़त	(वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	याचिका चुकाई गई	नहीं चुकाई	2017-18 के अन्त में बकाया	गारन्टी कमीशन अथवा फीस	अन्य आवश्यक विवरण	
(₹ लाख में)										
सहकारी समितियाँ (7) - (समाप्त)										
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (2) <i>राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी</i>	1,35,00.00	98,32.96	15,00.00	8,80.21	1,04,52.75	97.14	1,23.20 (क)	..
राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (2) <i>राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से प्राप्त कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी</i>	95,32.00	25,95.35	2,64.75	2,62.57	25,97.53	10.56	10.56	..
योग - सहकारी समितियाँ	32,02,96.73	17,04,90.56	5,58,84.27	6,17,12.47	16,46,62.36	5,60.55	5,86.61	..
सड़क तथा परिवहन (1)										
राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम लिमिटेड (11) <i>हुडको से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी</i>	34,46,25.00	21,90,77.48	1,56,89.00	87,34.20	22,60,32.28	21,88.65	21,88.65	..
योग - सड़क तथा परिवहन	34,46,25.00	21,90,77.48	1,56,89.00	87,34.20	22,60,32.28	21,88.65	21,88.65	..

(क) इसमें जनवरी से मार्च 2018 की अवधि के ₹ 26.06 लाख सम्मिलित है।

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

ख - गारन्टियों का विवरण- (क्रमशः)

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि	वर्ष	वर्ष के	घटत	वर्ष के दौरान		वर्ष	गारन्टी कमीशन		अन्य आवश्यक विवरण
		2017-18 के प्रारम्भ में बकाया	दौरान बढ़त	(वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	याचिका	चुकाई गई नहीं चुकाई	2017-18 के अन्त में बकाया	प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
(₹ लाख में)										
राज्य वित्तीय निगम (1)										
राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड (3) कर्ज/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉण्ड/ऋण-पत्रों को जारी करके ली गई राशि और उन पर राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी	3,00,00.00	3,00,00.00	3,00,00.00	3,00.00	3,00.00	..
योग - राज्य वित्तीय निगम	3,00,00.00	3,00,00.00	3,00,00.00	3,00.00	3,00.00	..
नगरीय विकास एवं आवासन (3)										
राजस्थान नगरीय पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत निगम (4)	9,63,61.00	3,99,77.20	..	67,99.45	3,31,77.75	2,91.54	2,60.12 (क)	..
जयपुर विकास प्राधिकरण (7)	15,38,42.00	..	8,66,50.00	8,66,50.00	3,59.21	6,71.45 (ख)	..
विभिन्न जिला परिषदें (80) ग्रामीण क्षेत्रों में इडब्ल्यूएस परिवारों के लिए रहने योग्य युनिटों के निर्माण हेतु आवासन तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड से लिये गये कर्जों तथा उन पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी	39,48,66.30	26,05,51.80	6,34,.24	2,38,95.47	23,72,90.57
योग - नगरीय विकास एवं आवासन	64,50,69.30	30,05,29.00	8,72,84.24	3,06,94.92	35,71,18.32	6,50.75	9,31.57	..

(क) वर्ष के दौरान ₹ 31.42 लाख बकाया है।

(ख) इसमें जनवरी से मार्च 2018 की अवधि के ₹ 3,12.24 लाख सम्मिलित है।

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

ख - गारन्टियों का विवरण- (समाप्त)

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि	वर्ष	वर्ष के	घटत	वर्ष के दौरान		वर्ष	गारन्टी कमीशन		अन्य आवश्यक विवरण
		2017-18 के प्रारम्भ में बकाया	दौरान बढ़त	(वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	याचिका	चुकाई गई नहीं चुकाई	2017-18 के अन्त में बकाया	अथवा फीस	प्राप्त होने योग्य प्राप्त	
(₹ लाख में)										
अन्य कोई (5)										
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (1) कर्ज/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉण्ड/ऋण-पत्रों को जारी करके ली गई राशि और उन पर खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई से नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी	37,40.00	6,59.67	6,59.67	0.66	0.66	..
राजस्थान राज्य जलपूर्ति तथा मल निकासी निगम (18) भारतीय जीवन बीमा निगम से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा उन पर नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी	1,22,23.89	16,44.56	..	3,91.32	12,53.24	12.65	12.65	..
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर (2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर द्वारा जारी किये गये बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान तथा मूलधन के पुनर्भुगतान की गारन्टी	6,75,00.00	6,75,00.00	6,75,00.00	6,75.00	6,75.00	..
खारवाल (1) राजस्थान वित्त निगम से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान हेतु गारन्टी	11.56	33.83	33.83
महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (1)	50,00.00	41,00.00	9,00.00	8,34.00	41,66.00	45.29	45.29	..
योग - अन्य कोई	8,84,75.45	7,39,38.06	9,00.00	12,25.32	7,36,12.74	7,33.60	7,33.60	..
कुल योग	11,20,56,98.56	5,11,58,85.00	1,66,12,30.75	60,10,21.64	6,17,60,94.11	4,60,97.57	4,64,04.45 (क)	..

(क) इसमें जनवरी से मार्च 2018 की अवधि के ₹ 3,38.30 लाख सम्मिलित है तथा वर्ष के दौरान ₹ 31.42 लाख बकाया थे ।

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(क) गारन्टी मोचन निधि : राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में गारन्टी मोचन निधि की स्थापना की गई थी । निधि का विस्तृत लेखा नीचे दर्शाया जा रहा है :-

		(₹ लाख में)
(i)	प्रारम्भिक शेष	22,93,55.99 (क)
(ii)	जोड़िये- वर्ष के दौरान निधि में राशि का हस्तान्तरण	5,69,93.25
(iii)	योग	28,63,49.24
(iv)	घटाइये- याचिका की गई गारन्टी के चुकारे के लिए निधि से प्राप्त राशि	..
(v)	अन्तिम शेष	28,63,49.24 (ख)
(vi)	गारन्टी मोचन निधि में से निवेश की गई राशि	27,96,15.48

राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के दृष्टिगत कुछ मामलों में, संस्थाओं द्वारा गारन्टी कमीशन का भुगतान आवश्यक है। प्राप्त होने योग्य गारन्टी फीस ₹ 4,60,97.57 लाख के विरुद्ध ₹ 4,64,04.45 लाख की राशि शीर्ष "0075-108" के अन्तर्गत प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान ₹ 3,92.09 लाख का शेष छोड़ते हुए ₹ 5,69,93.25 लाख (2016-17 से संबंधित ₹ 1,09,80.89 लाख सम्मिलित) निधि को हस्तान्तरित किये गये।

(ख) वर्ष 2017-18 के दौरान कोई गारन्टी याचिका नहीं की गई।

1. मै. जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर को गारन्टी दी गई जो 30 जून 1988 को मांगी गई तथा राज्य सरकार को गारन्टी के ₹ 2,74.14 लाख तथा भुगतान होने की दिनांक तक 16.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने को कहा गया। तदनुसार राज्य सरकार ने बैंक को दिनांक 31 मार्च 1995 को ₹ 2,96.06 लाख का भुगतान किया। कम्पनी समापनाधीन है तथा प्रकरण न्यायालय में लम्बित है (जून 2018)।
2. मै. जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिमिटेड को गारन्टी दी गई जो 23 फरवरी 1984 को मांगी गई तथा राज्य सरकार को गारन्टी के ₹ 5,04.76 लाख तथा भुगतान होने की दिनांक तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने को कहा गया। मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट के आदेशानुसार ₹ 5,04.76 लाख ऋण वसूली के अधिकरण को जमा कराये गये। गारन्टर से राशि वसूल करने के लिये मामला जयपुर जिला न्यायालय में अप्रैल 2003 में दायर किया गया (जून 2018)।
3. मै. मेवाड़ टैक्सटाईल्स मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा के पक्ष में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को दी गई ₹ 3,85.00 लाख की गारन्टी के विरुद्ध राज्य सरकार ने गारन्टी का सम्मान करने के लिये दिनांक 28 जनवरी 2002 को ₹ 3,72.41 लाख का ऋण स्वीकृत किया जिसमें से ₹ 2,07.41 लाख चार वित्तीय संस्थाओं को वर्ष 2001-02 में चुकाए गये। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा चुकाई गई राशि को बैंकों [आई सी आई सी आई बैंक (भूतपूर्व दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया] द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तथा वसूली हेतु न्यायालय में गये। कम्पनी का समापनाधीन प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है। समापनाधीन अधिकारी की नियुक्ति अभी की जानी है (जून 2018)।

(क) गारन्टी मोचन निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 3,41,09.36 लाख सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) गारन्टी मोचन निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 5,03,18.84 लाख सम्मिलित नहीं हैं।

विवरण संख्या 20--(समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ--(समाप्त)

4. राजस्थान राज्य हथकर्घा विकास निगम को दी गई गारन्टी की माँग वर्ष 2003-04 में की गई तथा राज्य सरकार को गारन्टी के ₹ 1.80 करोड़ तथा भुगतान होने की तिथि तक ब्याज देने को कहा गया। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य हथकर्घा विकास निगम को ₹ 1.08 करोड़ का ऋण स्वीकृत कर वर्ष 2003-04 के दौरान आई.सी.आई.सी.आई.बैंक को (भूतपूर्व दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड) को ₹ 1.08 करोड़ चुकाये। कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण निगम द्वारा पुनर्भुगतान नहीं किया गया (जून 2018)।

(ग) वर्ष 2017-18 के दौरान "लेटर ऑफ कम्फर्ट " जारी नहीं किये गये ।

(घ) राज्य सरकार के बजट दस्तावेज में गारण्टी का विवरण सम्मिलित है ।

(ङ.) वर्तमान में वित्त (बजट) विभाग सरकार में गारण्टी के लिए ट्रेकिंग इकाई के रूप में कार्यरत है ।

(च) वित्तीय विवरण में गारण्टी मोचन निधि का ब्यौरा सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 21 - आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को			31 मार्च 2018 को		निवल वृद्धि (+) कमी (-)	
	आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	अन्त शेष	राशि	प्रतिशत	
(₹ लाख में)							
भाग II. आकस्मिकता निधि							
8000. आकस्मिकता निधि							
201. समेकित निधि से विनियोजन	जमा 5,00,00.00	जमा 5,00,00.00
योग - भाग II. आकस्मिकता निधि	जमा 5,00,00.00	जमा 5,00,00.00
भाग III . लोक लेखा							
झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि							
(ख) राज्य भविष्य निधियां							
8009. राज्य भविष्य निधि							
<i>01. सिविल</i>							
101. सामान्य भविष्य निधि	जमा 2,47,40,69.33	47,99,98.38	30,42,19.73	जमा 2,64,98,47.98	(+) 17,57,78.65	7.10	
102. अंशदायी भविष्य निधि	जमा 4,93.90	11.32	..	जमा 5,05.22	(+) 11.32	2.29	
104. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	जमा 61,87.50	14,62.60	16,35.11	जमा 60,14.99	(-) 1,72.51	2.79	
योग - 01	जमा 2,48,07,50.73	48,14,72.30	30,58,54.84	जमा 2,65,63,68.19	(+) 17,56,17.46	7.08	
<i>02. रक्षा</i>							
101. रक्षा बचत भविष्य निधि	जमा 0.24	जमा 0.24	
योग - 02	जमा 0.24	जमा 0.24	

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को			31 मार्च 2018 को		निवल वृद्धि (+) कमी (-)	
	आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	अन्त शेष	राशि	प्रतिशत	
(₹ लाख में)							
भाग III . लोक लेखा- (क्रमशः)							
झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि - (समाप्त)							
(ख) राज्य भविष्य निधियां - (समाप्त)							
8009. राज्य भविष्य निधि - (समाप्त)							
60. अन्य भविष्य निधियां							
101. कामगार अंशदायी भविष्य निधि	जमा	10,04,69.09	78,14.13	0.82	जमा	10,82,82.40	(+) 78,13.31 7.78
103. अन्य विविध भविष्य निधियां	जमा	4,60,42.39	35,76.95	..	जमा	4,96,19.34	(+) 35,76.95 7.77
	योग - 60	जमा 14,65,11.48	1,13,91.08	0.82	जमा 15,79,01.74	(+) 1,13,90.26	7.77
	योग - 8009	जमा 2,62,72,62.45	49,28,63.38	30,58,55.66	जमा 2,81,42,70.17	(+) 18,70,07.72	7.12
	योग-(ख) राज्य भविष्य निधियां	जमा 2,62,72,62.45	49,28,63.38	30,58,55.66	जमा 2,81,42,70.17	(+) 18,70,07.72	7.12
(ग) अन्य लेखा							
8011. बीमा तथा पेंशन निधि							
105. राज्य सरकार बीमा निधि	जमा	1,30,27,50.11	31,31,07.23	15,85,24.16	जमा	1,45,73,33.18	(+) 15,45,83.07 11.87
106. अन्य बीमा तथा पेंशन निधियां	जमा (-)	5,41,08.47	12,57,97.62	14,92,07.79	जमा (-)	7,75,18.64 (क)	(-) 2,34,10.17 43.27
107. राज्य सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	जमा	1,35,40.41	27,92.66	8,96.44	जमा	1,54,36.63	(+) 18,96.22 14.00
	योग - 8011	जमा 1,26,21,82.05	44,16,97.51	30,86,28.39	जमा 1,39,52,51.17	(+) 13,30,69.12	10.54
	योग-(ग) अन्य लेखा	जमा 1,26,21,82.05	44,16,97.51	30,86,28.39	जमा 1,39,52,51.17	(+) 13,30,69.12	10.54
	योग -झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	जमा 3,88,94,44.50	93,45,60.89	61,44,84.05	जमा 4,20,95,21.34	(+) 32,00,76.84	8.23

(क) ऋण शेष कोषालयों द्वारा प्राप्तियों की तुलना में अधिक भुगतान के कारण हैं।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को			31 मार्च 2018 को		निवल वृद्धि (+) कमी (-)	
	आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	अन्त शेष	राशि	प्रतिशत	
(₹ लाख में)							
भाग III . लोक लेखा- (क्रमशः)							
ज. आरक्षित निधि							
(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां							
8115. मूल्य ह्रास / नवीकरण आरक्षित निधि							
103. मूल्य ह्रास आरक्षित निधि-सरकारी वीणाज्यिक विभाग तथा उपक्रम	जमा	67,96.81 *	..	49.22	जमा	67,47.59	(-) 49.22 0.72
योग - 8115	जमा	67,96.81	..	49.22	जमा	67,47.59	(-) 49.22 0.72
8121. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां							
122. राज्य आपदा मोचन निधि	जमा	3,26,04.93 *	15,67,73.40 (क)	18,10,51.59	जमा	83,26.74	(-) 2,42,78.19 74.46
योग - 8121	जमा	3,26,04.93	15,67,73.40	18,10,51.59	जमा	83,26.74	(-) 2,42,78.19 74.46
योग - (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	जमा	3,94,01.74	15,67,73.40	18,11,00.81	जमा	1,50,74.33	(-) 2,43,27.41 61.74
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां							
8225. सड़क तथा सेतु निधि							
<i>02. राज्य सड़क तथा सेतु निधि</i>							
101. राज्य सड़क तथा सेतु निधि	जमा	5,98,43.46	4,66,68.00 (ख)	2,99,46.26	जमा	7,65,65.20	(+) 1,67,21.74 27.94
योग - 8225.	जमा	5,98,43.46	4,66,68.00	2,99,46.26	जमा	7,65,65.20	(+) 1,67,21.74 27.94
8229. विकास तथा कल्याण निधि							
103. कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि	जमा	0.74	जमा	0.74

* पूर्णांक के कारण क्रमशः 1 की कमी / वृद्धि हैं।

(क) इसमें (i) राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत केन्द्र (₹ 9,12,00.00 लाख) तथा राज्य (₹ 3,04,00.00 लाख) दोनों का कुल अंशदान ₹ 12,16,00.00 लाख, (ii) राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (₹ 3,01,65.00 लाख) तथा (iii) राज्य सरकार द्वारा 2016-17 में शेष रही अनिवेशित राशि पर चुकाये गये ब्याज के ₹ 50,08.40 लाख सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी (रिडकोर) द्वारा जमा कराये गये ₹ 41,68.00 लाख सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को			31 मार्च 2018 को		निवल वृद्धि (+) कमी (-)		
	आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	अन्त शेष	राशि	प्रतिशत		
(₹ लाख में)								
भाग III लोक लेखा - (क्रमशः)								
ज. आरक्षित निधि- (समाप्त)								
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां - (समाप्त)								
8229. विकास तथा कल्याण निधि- (समाप्त)								
104. पशुपालन प्रयोजनों के लिए विकास निधि	जमा	11,62.82	1,73,68.00	1,73,54.55	जमा	11,76.27	(+) 13.45	1.16
106. औद्योगिक विकास निधि	जमा	19,72.30	15.00	..	जमा	19,87.30	(+) 15.00	0.76
200. अन्य विकास तथा कल्याण निधि	जमा	3,02,16.39	5,23,96.72	3,43,83.06	जमा	4,82,30.05	(+) 1,80,13.66	59.62
योग - 8229	जमा	3,33,52.25	6,97,79.72	5,17,37.61	जमा	5,13,94.36	(+) 1,80,42.11	54.10
8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां								
117. गारंटी मोचन निधि	जमा	26,34,65.35	7,32,02.73	..	जमा	33,66,68.08	(+) 7,32,02.73	27.78
120. गारंटी मोचन निधि-निवेश लेखा	नामे	23,54,90.52	23,54,90.52	27,96,15.48	नामे	27,96,15.48	(+) 4,41,24.96	18.74
200. अन्य निधियां								
सकल	जमा	1,87,42.01	1,62.05	1,60.55	जमा	1,87,43.51	(+) 1.50	0.01
निवेश	नामे	1,70,54.81	नामे	1,70,54.81
निवल-200	जमा	16,87.20	1,62.05	1,60.55	जमा	16,88.70	(+) 1.50	0.09
योग - 8235.	जमा	2,96,62.03	30,88,55.30	27,97,76.03	जमा	5,87,41.30	(+) 2,90,79.27	98.04
योग - (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	जमा	12,28,57.74	42,53,03.02	36,14,59.90	जमा	18,67,00.86	(+) 6,38,43.12	51.97
योग-ज. आरक्षित निधि	जमा	16,22,59.48	58,20,76.42	54,25,60.71	जमा	20,17,75.19	(+) 3,95,15.71	24.35

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को			31 मार्च 2018 को		निवल वृद्धि (+) कमी (-)	
	आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	अन्त शेष	राशि	प्रतिशत	
(₹ लाख में)							
भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः)							
ट. जमा तथा अग्रिम							
(क) ब्याज वाली जमा							
8338. स्थानीय निधियों की जमा							
103. राज्य आवासन मण्डल की जमा	जमा	3,97.71	(-) 0.01 (क)	..	जमा	3,97.70	(-) 0.01 ..
104. अन्य स्वायत्त निकायों की जमा	जमा	34,28,24.04	9,24,50.80	5,49,35.87	जमा	38,03,38.97	(+) 3,75,14.93 10.94
योग - 8338.	जमा	34,32,21.75	9,24,50.79	5,49,35.87	जमा	38,07,36.67	(+) 3,75,14.92 10.93
8342. अन्य जमा							
103. सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा	जमा	8,51,68.78	69,21.97	1,04,89.20	जमा	8,16,01.55	(-) 35,67.23 4.19
117. सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना	जमा	11.78	1,61.67	1,43.81	जमा	29.64	(+) 17.86 151.61
120. विविध जमा	जमा	4,03,82.14	5,19,48.89	4,66,53.84	जमा	4,56,77.19	(+) 52,95.05 13.11
योग - 8342.	जमा	12,55,62.70	5,90,32.53	5,72,86.85	जमा	12,73,08.38	(+) 17,45.68 1.39
योग- (क) ब्याज वाली जमा	जमा	46,87,84.45	15,14,83.32	11,22,22.72	जमा	50,80,45.05	(+) 3,92,60.60 8.37
(ख) बिना ब्याज वाली जमा							
8443. सिविल जमा							
101. राजस्व जमा	जमा	38,78.58	93.89	(-) 1,23.52 (क)	जमा	40,95.99	(+) 2,17.41 5.61
103. प्रतिभूति जमा	जमा	5,78,44.61	2,33,88.11	3,07,88.48	जमा	5,04,44.24	(-) 74,00.37 12.79

(क) ऋण आंकड़े गत वर्षों के गलत वर्गीकरण के निस्तारण के कारण हैं।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को			31 मार्च 2018 को		निवल वृद्धि (+) कमी (-)		
	आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	अन्त शेष	राशि	प्रतिशत		
(₹ लाख में)								
भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः)								
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)								
(ख) बिना ब्याज वाली जमा- (क्रमशः)								
8443. सिविल जमा- (क्रमशः)								
104. सिविल न्यायालय जमा	जमा	54,06.11	26,13.27	24,07.91	जमा	56,11.47	(+) 2,05.36	3.80
105. आपराधिक न्यायालय जमा	जमा	57.79	0.20	..	जमा	57.99	(+) 0.20	0.35
106. व्यक्तिगत जमा	जमा	51,96,44.87	3,02,95,29.33	2,59,53,17.31	जमा	95,38,56.89	(+) 43,42,12.02	83.56
108. लोक निर्माण कार्य - जमा	जमा	36,73,97.42	21,83,47.44	15,69,27.94	जमा	42,88,16.92	(+) 6,14,19.50	16.72
109. वन जमा	जमा	4,61.67	14,54.04	10,00.40	जमा	9,15.31	(+) 4,53.64	98.26
111. अन्य विभागीय जमा	जमा	5,49.89	1.13	1.35	जमा	5,49.67	(-) 0.22	0.04
116. विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन जमा	जमा	2,11.00	2,10.34	2,13.28	जमा	2,08.06	(-) 2.94	1.39
117. सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिये किये गये कार्य के लिये जमा	जमा	19.49	28.77	..	जमा	48.26	(+) 28.77	147.61
118. गैर - सरकारी निकायों के लिये किये गये कार्य के लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्कों की जमा	नामे	4.93	नामे	4.93 (क)
119. कम्पनी परिसमापन लेखा	जमा	.. *	जमा	.. *
121. चुनावों के संबंध में जमा	जमा	20.63	(-) 0.06 (ख)	..	जमा	20.57	(-) 0.06	0.29

(क) नामे शेष जाँच के अधीन है।

* ₹ 373 मात्र।

(ख) ऋण आंकड़े गत वर्षों के गलत वर्गीकरण के निस्तारण के कारण है।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को			31 मार्च 2018 को		निवल वृद्धि (+) कमी (-)		
	आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	अन्त शेष	राशि	प्रतिशत		
(₹ लाख में)								
भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः)								
ट. जमा तथा अग्रिम - (क्रमशः)								
(ख) बिना ब्याज वाली जमा - (क्रमशः)								
8443. सिविल जमा- (समाप्त)								
123. शैक्षणिक संस्थाओं की जमा	जमा	1,02,13.59	34,02.70	27,47.60	जमा	1,08,68.69	(+) 6,55.10	6.41
800. अन्य जमा	नामे	8,68.57	2,71,95.68	2,79,99.55	नामे	16,72.44 (क)	(+) 8,03.87	92.55
योग - 8443.	जमा	96,48,32.15	3,30,62,64.84	2,81,72,80.30	जमा	1,45,38,16.69	(+) 48,89,84.54	50.68
8448. स्थानीय निधियों की जमा								
102. नगरपालिका संबंधी निधियां	जमा	14,18,12.08	23,51,11.97	21,17,23.21	जमा	16,52,00.84	(+) 2,33,88.76	16.49
107. राज्य विद्युत बोर्ड की कार्यकारी निधियां	जमा	14,56.11	7,60,82,32.42	7,60,96,88.23	जमा	0.30	(-) 14,55.81	99.98
109. पंचायत निकाय निधियां	जमा	29,63,37.55	38,20,80.71	34,62,39.02	जमा	33,21,79.24	(+) 3,58,41.69	12.09
110. शिक्षा निधियां	जमा	22,67.71	5,36.97	3,40.61	जमा	24,64.07	(+) 1,96.36	8.66
111. चिकित्सा तथा धर्मार्थ निधियां	जमा	1,73.69 *	1,23.38	1,08.91	जमा	1,88.16	(+) 14.47	8.33
120. अन्य निधियां	जमा	1,01,92.61 *	2,57,77.64	2,39,95.23	जमा	1,19,75.02	(+) 17,82.41	17.49
योग -8448.	जमा	45,22,39.75	8,25,18,63.09	8,19,20,95.21	जमा	51,20,07.63	(+) 5,97,67.88	13.22
8449. अन्य जमा								
103. केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	जमा	1,86,74.00	5,89,57.50	7,68,57.48	जमा	7,74.02	(-) 1,78,99.98	95.86
105. बाजार कर्ज की जमा राशि		..	2,49,14,00.00	2,49,14,00.00	

* पूर्णांक के कारण क्रमशः 1 की कमी/वृद्धि है।

(क) नामे शेष जाँच के अधीन है।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को			31 मार्च 2018 को		निवल वृद्धि (+) कमी (-)			
	आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	अन्त शेष	राशि	प्रतिशत			
(₹ लाख में)									
भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः)									
ट. जमा तथा अग्रिम - (समाप्त)									
(ख) बिना ब्याज वाली जमा - (समाप्त)									
8449. अन्य जमा - (समाप्त)									
120. विविध जमा	जमा	15,25.21	2,19.78	1,65.90	जमा	15,79.09	(+) 53.88	3.53	
	योग- 8449	जमा	2,01,99.21	2,55,05,77.28	2,56,84,23.38	जमा	23,53.11	(-) 1,78,46.10	88.35
	योग-(ख) बिना ब्याज वाली जमा	जमा	1,43,72,71.11	14,10,87,05.21	13,57,77,98.89	जमा	1,96,81,77.43	(+) 53,09,06.32	36.94
(ग) अग्रिम									
8550. सिविल अग्रिम									
101. वन अग्रिम	नामे	1,70.98	1,50.36	..	नामे	20.62	(-) 1,50.36	87.94	
103. अन्य विभागीय अग्रिम	नामे	1,82.64	..	0.68	नामे	1,83.32	(+) 0.68	0.37	
104. अन्य अग्रिम	नामे	1,17.28	नामे	1,17.28	
	योग- 8550	नामे	4,70.90	1,50.36	0.68	नामे	3,21.22	(-) 1,49.68	31.79
	योग - (ग) अग्रिम	नामे	4,70.90	1,50.36	0.68	नामे	3,21.22	(-) 1,49.68	31.79
योग - ट. जमा तथा अग्रिम	जमा	1,90,55,84.66	14,26,03,38.89	13,69,00,22.29	जमा	2,47,59,01.26	(+) 57,03,16.60	29.93	

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को			31 मार्च 2018 को			निवल वृद्धि (+) कमी (-)	
	आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	अन्त शेष	राशि	प्रतिशत		
(₹ लाख में)								
भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः)								
ठ. उच्चत तथा विविध								
(ख) उच्चत								
8658. उच्चत लेखा								
101. वेतन तथा लेखा कार्यालय-उच्चत	नामे	61,09.32	92.53	59,06.08	नामे	1,19,22.87	(+) 58,13.55	95.16
102. उच्चत लेखा (सिविल)	नामे	1,49.91	1.76	(-) 71.65 (क)	नामे	76.50	(-) 73.41	48.97
106. दूरसंचार लेखा कार्यालय उच्चत	नामे	0.01	नामे	0.01
112. स्रोत स्तर पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उच्चत	जमा	26,69.41	50,35.43	..	जमा	77,04.84	(+) 50,35.43	188.63
123. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	जमा	16.84	5.58	6.09	जमा	16.33	(-) 0.51	3.03
129. सामग्री क्रय परिनिर्धारण उच्चत लेखा	नामे	3,16.56	0.03	1.45	नामे	3,17.98	(+) 1.42	0.45
योग - 8658	नामे	38,89.55	51,35.33	58,41.97	नामे	45,96.19	(+) 7,06.64	18.17
योग- (ख) उच्चत	नामे	38,89.55	51,35.33	58,41.97	नामे	45,96.19	(+) 7,06.64	18.17
(ग) अन्य लेखा								
8671. विभागीय शेष								
101. सिविल	नामे	1,13.19	11.77	1.57	नामे	1,02.99	(-) 10.20	9.01
योग - 8671	नामे	1,13.19	11.77	1.57	नामे	1,02.99	(-) 10.20	9.01
8672. स्थायी रोकड़ अग्रदाय								
101. सिविल	नामे	2,93.31	3.57	0.59	नामे	2,90.33	(-) 2.98	1.02
योग - 8672	नामे	2,93.31	3.57	0.59	नामे	2,90.33	(-) 2.98	1.02

(क) ऋण आंकड़े सिविल उच्चत के निस्तारण के कारण हैं।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को			31 मार्च 2018 को			निवल वृद्धि (+) कमी (-)	
	आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	अन्त शेष	राशि	प्रतिशत		
(₹ लाख में)								
भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः)								
ठ. उच्चत तथा विविध - (समाप्त)								
(ग) अन्य लेखा - (समाप्त)								
8673. रोकड़ शेष निवेश लेखा								
101. रोकड़ शेष निवेश लेखा	नामे	55,85,09.68	17,33,16,06.00	17,41,32,68.00	नामे	64,01,71.68	(+) 8,16,62.00	14.62
योग - 8673	नामे	55,85,09.68	17,33,16,06.00	17,41,32,68.00	नामे	64,01,71.68	(+) 8,16,62.00	14.62
8674. सरकार द्वारा की गई प्रतिभूति जमा								
101. सरकार द्वारा की गई प्रतिभूति जमा	नामे	83,54.62	(-) 0.47 (क)	20,21.77	नामे	1,03,76.86	(+) 20,22.24	24.21
योग - 8674	नामे	83,54.62	(-) 0.47	20,21.77	नामे	1,03,76.86	(+) 20,22.24	24.21
योग - (ग) अन्य लेखा	नामे	56,72,70.80	17,33,16,20.87	17,41,52,91.93	नामे	65,09,41.86	(+) 8,36,71.06	14.75
(घ) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे								
8679. अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गए लेखे								
105. पाकिस्तान	नामे	10.35	नामे	10.35
106. सिंगापुर	नामे	0.03	नामे	0.03
योग- 8679	नामे	10.38	नामे	10.38
योग-(घ) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे	नामे	10.38	नामे	10.38
योग-ठ. उच्चत तथा विविध	नामे	57,11,70.73	17,33,67,56.20	17,42,11,33.90	नामे	65,55,48.43	(+) 8,43,77.70	14.77

(क) ऋण आंकड़े, 2014-15 के गलत वर्गीकरण के सुधार के कारण हैं।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को			31 मार्च 2018 को		निवल वृद्धि (+) कमी (-)	
	आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	अन्त शेष	राशि	प्रतिशत	
(₹ लाख में)							
भाग III. लोक लेखा - (समाप्त)							
ड. प्रेषण							
(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण							
8782.	उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन						
101.	खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच नकद प्रेषण	..	13,21,33.46	13,21,33.46
102.	लोक निर्माण प्रेषण	नामे 19,12.53	23,57.82	12,81.96	नामे 8,36.67	(-) 10,75.86	56.25
103.	वन प्रेषण	नामे 1,70.92	13.77	5.37	नामे 1,62.52	(-) 8.40	4.91
108.	अन्य विभागीय प्रेषण	नामे 2.73	नामे 2.73
129.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत अन्तरण	नामे 74.29	नामे 74.29
	योग - 8782	नामे 21,60.47	13,45,05.05	13,34,20.79	नामे 10,76.21	(-) 10,84.26	50.19
	योग- (क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	नामे 21,60.47	13,45,05.05	13,34,20.79	नामे 10,76.21	(-) 10,84.26	50.19
(ख) अन्तः सरकार समायोजन लेखा							
8793.	अन्तर्राज्यीय उच्चत लेखा	नामे 4.84	..	66.04	नामे 70.88	(+) 66.04	1364.46
	योग - 8793	नामे 4.84	..	66.04	नामे 70.88	(+) 66.04	1364.46
	योग-(ख) अन्तः सरकार समायोजन लेखा	नामे 4.84	..	66.04	नामे 70.88	(+) 66.04	1364.46
	योग-ड प्रेषण	नामे 21,65.31	13,45,05.05	13,34,86.83	नामे 11,47.09	(-) 10,18.22	47.02
	योग - भाग III. लोक लेखा	जमा 5,38,39,52.60	33,24,82,37.45	32,40,16,87.78	जमा 6,23,05,02.27	(+) 84,65,49.67	15.72

विवरण संख्या 21 - (समाप्त)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को	31 मार्च 2018 को	निवल वृद्धि (+) कमी (-)	
	आदि शेष	अन्त शेष	राशि	प्रतिशत
			(₹ लाख में)	
द. रोकड़ शेष				
8999. रोकड़ शेष				
101. खजानों में रोकड़	5.54	5.54
102. रिजर्व बैंक में जमा	(-) 2,27.41	11,09.51 (क)	(+) 13,36.92	587.89
104. स्थानीय मार्गस्थ प्रेषण	6.24	(-) 6,51.50 (ख)	(-) 6,57.74	10540.71
योग-द. रोकड़ शेष	(-) 2,15.63	4,63.55	(+) 6,79.18	314.97

(क) 'रिजर्व बैंक में जमा' के अन्तर्गत शेष सरकारी लेखों के अनुसार शेष को दर्शाता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को 15 अप्रैल 2018 तक अन्तर शासकीय मौद्रिक निपटान एडवाइस सम्मिलित है। लेखों में दर्शाये गये [₹ 11,09,51,597.62 (नामे)] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित [₹ 1,17,53,83,707.03 (नामे)] आंकड़ों के मध्य ₹ 1,28,63,35,304.65 (जमा) का निवल अंतर था। अंतर का मिलान कर समाशोधित किया गया। ₹ 1,28,56,83,519.65 का अन्तर मिलान कर समाशोधित किया गया । ₹ 6,51,785 का शुद्ध अन्तर मिलान के अधीन है।

(ख) 31 मार्च 2018 को असमायोजित रहे कोषालयों और रोकड़ तिजोरियों के मध्य प्रेषण को प्रदर्शित करता है।

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध – उच्च तथा प्रेषण शेषों का विश्लेषण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2018 को शेष		संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		नाम	जमा			
(₹ लाख में)						
क. उच्च शेष						
8658. उच्च लेखा						
101. वेतन तथा लेखा कार्यालय उच्च						
वेतन तथा लेखा कार्यालय केन्द्रीय पेंशन लेखाधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली						
	अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान	1,14,31.73	1.17	केन्द्र सरकार के पेंशनर्स पर व्यय	2014-15 से 2017-18	राज्य में रहने वाले पेंशनर्स के लिए केन्द्रीय पेंशन का पुनर्भरण मंत्रालय द्वारा भुगतान योग्य है। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	अन्य भुगतान तथा प्राप्ति	1.99	..	केन्द्र सरकार के अन्य विभागों पर व्यय	2014-15 एवं 2015-16	मंत्रालय द्वारा भुगतान योग्य है। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	वेतन तथा लेखा कार्यालय (एन एच), सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर (0550)	6,64.31	1,34.86	राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय/प्राप्ति	2013-14 से 2016-17	राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यय का पुनर्भरण मंत्रालय द्वारा भुगतान योग्य है। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	वेतन तथा लेखा कार्यालय निर्वाचन कार्यालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली (0726)	..	10.64	वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा आर. ओ. निर्वाचन विभाग में समायोजित जमा राशि	2014-15	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में कमी होती। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
	वेतन तथा लेखा कार्यालय (विधिक मामले), विधि तथा न्याय मंत्रालय एवं भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (0533)	..	29.37	प्रावधानी निधि उच्च शेष	2014-15 (₹ 2.01 लाख की नामे राशि 1997-98 से बकाया है)	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में कमी होती। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
	वेतन तथा लेखा कार्यालय पेंशन (विविध) एम.एच.ए, नई दिल्ली	0.07	..	केन्द्र सरकार के सी.आर.पी.एफ. पेंशनर्स पर व्यय	2015-16	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	वेतन तथा लेखा कार्यालय पेंशन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	0.69	..	अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के यात्रा बिलों पर व्यय	2017-18	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध - (क्रमशः)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2018 को शेष		संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		नामे	जमा			
(₹ लाख में)						
क. उच्चत शेष - (क्रमशः)						
8658. उच्चत लेखा - (क्रमशः)						
101. वेतन तथा लेखा कार्यालय उच्चत - (समाप्त)						
	1960 के पहले आर.आर. कर्जे (आवक) (1701)	..	(-) 0.02	1960 के पूर्व आर आर कर्जे	1960 से पूर्व	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	1960 के पहले आर.आर. कर्जे (आवक) (1702)	0.13	0.03	1960 के पूर्व आर आर कर्जे	1960 से पूर्व	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
योग 101 - वेतन तथा लेखा कार्यालय- उच्चत		1,20,98.92	1,76.05	शुद्ध नामे	1,19,22.87	
102. उच्चत लेखा (सिविल)						
	अन्य उच्चत (अवर्गीकृत उच्चत) (03)	..	0.05	वाऊचर/चालानों का प्राप्त न होना	2014-15	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं तथा केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है।
रेलवे लेखा (04)						
	केन्द्रीय रेलवे, (0605)	0.03	..	रेलवे पेंशनर्स पर व्यय	1997-98 एवं 2005-06	राज्य में रहने वाले रेलवे पेंशनर्स का पुनर्भरण केन्द्रीय रेलवे द्वारा भुगतान योग्य। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
रक्षा लेखा (05)						
	सी.डी.ए. (पेंशन) इलाहाबाद (1801)	42.87	..	रक्षा पेंशन के संदर्भ में व्यय	1979-80 से 2014-15	राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति योग्य तथा दावों को पुनर्भरण हेतु चुना गया। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	सी.डी.ए. (एस सी) पुणे (1813)	33.88	..	भूमि अधिग्रहण पर व्यय	1977-78	राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति योग्य तथा दावों को पुनर्भरण हेतु चुना गया। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध - (क्रमशः)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2018 को शेष		संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		नामे	जमा			
(₹ लाख में)						
क. उच्चत शेष - (क्रमशः)						
8658.	उच्चत लेखा शेष - (क्रमशः)					
102.	उच्चत लेखा (सिविल) - (समाप्त)					
	डाक तार लेखा उच्चत (06)					
	अन्य विविध उच्चत (07)	..	0.23	लघु मिलिट्री पेंशन	2012-13 एवं 2016-17	राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य । वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
योग 102 - उच्चत लेखा (सिविल)		76.78	0.28	शुद्ध नामे	76.50	
106.	दूर संचार लेखा कार्यालय उच्चत	0.01	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
योग 106 - दूर संचार लेखा कार्यालय उच्चत		0.01	..	शुद्ध नामे	0.01	
112.	स्त्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) उच्चत	..	77,04.84	आयकर प्राप्ति	2016-17 एवं 2017-18	राज्य सरकार द्वारा स्त्रोत पर कर की कटौती को राज्य के अंतर्गत संग्रहित कर केन्द्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर को भुगतान योग्य। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
योग 112 - स्त्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) उच्चत		..	77,04.84	शुद्ध जमा	77,04.84	
123.	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	..	16.33	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	2015-16 एवं 2016-17	राज्य में भारत सरकार के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का अंशदान राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
योग 123 - अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना		..	16.33	शुद्ध जमा	16.33	

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध - (क्रमशः)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2018 को शेष		संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		नामे	जमा			
(₹ लाख में)						
क. उचन्त शेष -(समाप्त)						
8658.	उचन्त लेखा शेष -(समाप्त)					
129.	सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	..	(-) 3,17.98	उचन्त	1994 से पूर्व एवं 2016-17 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों से भंडार के क्रय के लेखागत समायोजन प्रतीक्षित हैं।
योग 129 - सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा		..	(-) 3,17.98	शुद्ध जमा	(-) 3,17.98	
योग 8658 उचन्त लेखा		1,21,75.71	75,79.52	शुद्ध नामे	45,96.19	
योग क उचन्त लेखा		1,21,75.71	75,79.52	शुद्ध नामे	45,96.19	
ख. प्रेषण शेष						
8782.	उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन					
102.	लोक निर्माण प्रेषण					
	खजानों में प्रेषण	3,00.92	..	प्रेषण	1994 से पूर्व एवं 2015-16 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। कोषालयों से प्रेषण की केवल पावती प्रतीक्षित है।
	लोक निर्माण कार्य चैक	..	34,31.35	प्रेषण	1994 से पूर्व एवं 2015-16 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों द्वारा जारी चैकों की कोषालयों से केवल पावती प्रतीक्षित है।
	अन्य प्रेषण	37,90.58	(-) 3.62	प्रेषण	1994 से पूर्व एवं 2015-16 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों के मध्य केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है।
	लोक निर्माण अधिकारियों के बीच लेन- देन	1,72.90	..	प्रेषण	1994 से पूर्व	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों के मध्य केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है।
योग 102 - लोक निर्माण प्रेषण		42,64.40	34,27.73	शुद्ध नामे	8,36.67	

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध - (क्रमशः)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2018 को शेष		संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		नामे	जमा			
(₹ लाख में)						
ख. प्रेषण शेष						
8782.	उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन- (समाप्त)					
103.	वन प्रेषण					
	खजानों में प्रेषण	1,76.69	..	खण्ड द्वारा चालान का प्रेषण तथा खजाना अधिकारी द्वारा उनकी पावती	2015-16 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। कोषालयों से प्रेषण की केवल पावती प्रतीक्षित है।
	वन चैक	..	14.17	वन खण्ड द्वारा जारी चैक तथा खजाना अधिकारी द्वारा उनकी पावती	2015-16 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों द्वारा जारी चैकों की कोषालयों से केवल पावती प्रतीक्षित है।
योग 103 - वन प्रेषण		1,76.69	14.17	शुद्ध नामे	1,62.52	
108.	अन्य विभागीय प्रेषण	2.73	..	अन्य प्रेषण	1990 से पूर्व	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
योग 108 - अन्य विभागीय प्रेषण		2.73	..	शुद्ध नामे	2.73	
129.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत अंतरण	77,40.99	76,66.70	प्रेषण	1994 से पूर्व	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
योग 129 - इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत अंतरण		77,40.99	76,66.70	शुद्ध नामे	74.29	
योग 8782. उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन		1,21,84.81	1,11,08.60	शुद्ध नामे	10,76.21	

विवरण संख्या 21 का अनुबंध - (समाप्त)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2018 को शेष		संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		नामे	जमा			
(₹ लाख में)						
ख. प्रेषण शेष-(समाप्त)						
8793.	अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	70.88	..	अन्तर्राज्यीय लेन देन	2014-15 एवं 2015-16	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
	योग 8793. अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	70.88	..	शुद्ध नामे	70.88	
	योग ख प्रेषण शेष	1,22,55.69	1,11,08.60	शुद्ध नामे	11,47.09	
	वृहद योग	2,44,31.40	1,86,88.12	शुद्ध नामे	1,57,43.28	

विवरण संख्या 22 – पृथक् आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
<i>(₹ लाख में)</i>						
ज. आरक्षित निधि						
(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां						
8115. मूल्यहास/ नवीकरण आरक्षित निधि						
103. मूल्यहास आरक्षित निधि –सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम						
(01) जलदाय विभाग	67,27.14	..	67,27.14	67,76.36 *	..	67,76.36
(07) झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना	20.45	..	20.45	20.45	..	20.45
योग - 8115	67,47.59	..	67,47.59	67,96.81	..	67,96.81
8121. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां						
122. राज्य आपदा मोचन निधि						
(01) राजस्व लेखों से/को स्थानान्तरण	83,26.74	..	83,26.74	3,26,04.93 *	..	3,26,04.93
योग - 8121	83,26.74	..	83,26.74	3,26,04.93	..	3,26,04.93
योग - (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	1,50,74.33	..	1,50,74.33	3,94,01.74	..	3,94,01.74
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां						
8225. सड़क तथा सेतु निधि						
02. राज्य सड़क तथा सेतु निधि						
101. राज्य सड़क तथा सेतु निधि	7,65,65.20	..	7,65,65.20	5,98,43.46	..	5,98,43.46
योग - 8225	7,65,65.20	..	7,65,65.20	5,98,43.46	..	5,98,43.46

* पूर्णांक के कारण क्रमशः 1 से कमी /वृद्धि की गयी।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ज. आरक्षित निधि-(क्रमशः)						
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां-(क्रमशः)						
8229. विकास तथा कल्याण निधि						
103. कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि						
(01) कृषक सुधार निधि	0.74	..	0.74	0.74	..	0.74
योग - 103	0.74	..	0.74	0.74	..	0.74
104. पशुपालन प्रयोजनों के लिए विकास निधि						
(01) विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता से गहन अंडा तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधि	0.95	..	0.95	0.95	..	0.95
(02) राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्द्धन निधि	11,75.32	..	11,75.32	11,61.87	..	11,61.87
योग - 104	11,76.27	..	11,76.27	11,62.82	..	11,62.82
106. औद्योगिक विकास निधि						
(01) राज्य नवीनीकरण सलाहकार निधि	19,87.30	..	19,87.30	19,72.30	..	19,72.30
योग - 106	19,87.30	..	19,87.30	19,72.30	..	19,72.30
200. अन्य विकास तथा कल्याण निधि						
(01) मण्डी विकास निधि	3.12	..	3.12	3.12	..	3.12
(02) राजस्थान समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड निधि	0.34	..	0.34	0.18	..	0.18
(03) रूपान्तरित आबादी भूमि के विकास के लिए विशेष शुल्क (पैरिफेरल) की जमा	3,24.59	..	3,24.59	3,24.59	..	3,24.59

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ज. आरक्षित निधि-(क्रमशः)						
<i>(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां-(क्रमशः)</i>						
8229. विकास तथा कल्याण निधि-(समाप्त)						
200. अन्य विकास तथा कल्याण निधि-(समाप्त)						
(04) राजस्थान कारागार कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि	69.83	..	69.83	54.00	..	54.00
(05) नगरीय नवीनीकरण निधि	18,43.04	..	18,43.04	17,93.09	..	17,93.09
(06) राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधि	0.01	..	0.01	0.01	..	0.01
(07) पर्यावरण खनिज क्षेत्र में सुधार तथा स्वास्थ्य निधि	2,48,79.03	..	2,48,79.03	2,60,25.77	..	2,60,25.77
(10) राजस्थान शहरी विकास निधि	2.16	..	2.16
(11) जल संरक्षण सेस निधि	1,58,79.64	..	1,58,79.64	20,15.63	..	20,15.63
(12) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि	52,28.29	..	52,28.29
योग - 200	4,82,30.05	..	4,82,30.05	3,02,16.39	..	3,02,16.39
योग - 8229	5,13,94.36	..	5,13,94.36	3,33,52.25	..	3,33,52.25
8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां						
117. गारंटी मोचन निधि						
(01) राजकीय प्रतिभूति मुक्ति निधि	33,66,68.08	..	33,66,68.08	26,34,65.35	..	26,34,65.35
योग - 117	33,66,68.08	..	33,66,68.08	26,34,65.35	..	26,34,65.35
120. गारंटी मोचन निधि-निवेश लेखा						
(01) प्रतिभूतियों में निवेश	(-) 27,96,15.48	27,96,15.48	..	(-) 23,54,90.52	23,54,90.52	..
योग - 120	(-) 27,96,15.48	27,96,15.48	..	(-) 23,54,90.52	23,54,90.52	..

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ज. आरक्षित निधि - (समाप्त)						
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां - (समाप्त)						
8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां- (समाप्त)						
200. अन्य निधियां						
(02) जलपूर्ति योजना पी एम सी, चूरु हेतु के. एफ. डब्ल्यू. जर्मनी से प्राप्त राशि का पूंजी लेखे से/को अंतरण	2.22	..	2.22	2.22	..	2.22
(03) राज्य सड़क विकास निधि	4,02.08	..	4,02.08	4,02.08	..	4,02.08
(04) संसाधन विकास निधि	10,33.64	1,70,54.81	1,80,88.45	10,33.64	1,70,54.81	1,80,88.45
(05) राजकीय प्रतिभूति मुक्ति निधि	0.18	..	0.18	0.18	..	0.18
(06) राजस्थान फोरेस्ट्री एवं बायो-डायवर्सिटी निधि	2,50.57	..	2,50.57	2,49.07	..	2,49.07
(08) राजस्थान राज्य निवेश निधि	0.01	..	0.01	0.01	..	0.01
योग - 200	16,88.70	1,70,54.81	1,87,43.51	16,87.20	1,70,54.81	1,87,42.01
योग - 8235	5,87,41.30	29,66,70.29	35,54,11.59	2,96,62.03	25,25,45.33	28,22,07.36
योग - (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	18,67,00.86	29,66,70.29	48,33,71.15	12,28,57.74	25,25,45.33	37,54,03.07
योग -ज. आरक्षित निधियां	20,17,75.19	29,66,70.29	49,84,45.48	16,22,59.48	25,25,45.33	41,48,04.81
ट. जमा तथा अग्रिम						
(क) ब्याज वाली जमा						
8338. स्थानीय निधियों की जमा						
103. राज्य आवास बोर्ड की जमा	3,97.70	..	3,97.70	3,97.71	..	3,97.71
योग - 103	3,97.70	..	3,97.70	3,97.71	..	3,97.71

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम-(क्रमशः)						
(क) ब्याज वाली जमा-(क्रमशः)						
8338. स्थानीय निधियों की जमा-(समाप्त)						
104. अन्य स्वायत्त निकायों की जमा						
(01) सामान्य प्रावधायी निधियों की जमा	5,32,68.63	..	5,32,68.63	5,13,34.78	..	5,13,34.78
(02) अंशदायी प्रावधायी निधियों की जमा	10,30,27.29	..	10,30,27.29	9,38,01.57	..	9,38,01.57
(03) उपदान (ग्रेच्युटी) की जमा	44,45.90	..	44,45.90	34,77.87	..	34,77.87
(04) पेंशन निधियों की जमा	4,61,71.70	..	4,61,71.70	4,03,07.48	..	4,03,07.48
(05) अन्य निधियों की जमा	17,33,37.03	..	17,33,37.03	15,38,17.00	..	15,38,17.00
(06) जोखिम निधि की जमा	88.42	..	88.42	85.34	..	85.34
योग - 104	38,03,38.97	..	38,03,38.97	34,28,24.04	..	34,28,24.04
योग - 8338	38,07,36.67	..	38,07,36.67	34,32,21.75	..	34,32,21.75
8342. अन्य जमा						
103. सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा						
(03) राजस्थान एग्री इण्डस्ट्रीज की जमा	0.14	..	0.14	0.14	..	0.14
(04) राजस्थान लघु उद्योग निगम की जमा	1.88	..	1.88	1.88	..	1.88
(05) राजस्थान भूमि विकास निगम की जमा	16,36.36	..	16,36.36	16,36.36	..	16,36.36
(07) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम की जमा	14,98.84	..	14,98.84	14,97.84	..	14,97.84
(08) राजस्थान स्टेट बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी की जमा	20.00	..	20.00	20.00	..	20.00
(09) राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की जमा	50.63	..	50.63	50.63	..	50.63
(10) राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जमा	1.55	..	1.55	1.55	..	1.55
(12) राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम की जमा	0.39	..	0.39	0.39	..	0.39

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम-(क्रमशः)						
(क) ब्याज वाली जमा-(क्रमशः)						
8342. अन्य जमा-(क्रमशः)						
103. सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा- (समाप्त)						
(13) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की जमा	35.57	..	35.57	35.57	..	35.57
(14) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम की जमा	0.05	..	0.05	0.05	..	0.05
(15) राजस्थान जल स्रोत विकास निगम की जमा	1.87	..	1.87	1.87	..	1.87
(17) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की जमा	1.51	..	1.51	1.51	..	1.51
(18) राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल की जमा	11,64.68	..	11,64.68	11,64.68	..	11,64.68
(19) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जमा	.. # #	.. # #
(20) राजस्थान राज्य होटल निगम की जमा	0.06	..	0.06	0.06	..	0.06
(21) राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ की जमा	0.44	..	0.44	0.44	..	0.44
(24) राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धक मण्डल की जमा	10.30	..	10.30	10.30	..	10.30
(25) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	7,55,04.71	..	7,55,04.71	7,70,52.02	..	7,70,52.02
(29) अरावली	10.00	..	10.00	10.00	..	10.00
(33) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	5.01	..	5.01	5.01	..	5.01
(35) जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	11,20.96	..	11,20.96	31,61.77	..	31,61.77
(37) अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	5,36.60	..	5,36.60	5,16.71	..	5,16.71
योग - 103	8,16,01.55	..	8,16,01.55	8,51,68.78	..	8,51,68.78

₹ 344 मात्र ।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(क) ब्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8342. अन्य जमा - (क्रमशः)						
117. सरकारी कर्मचारी के लिए निर्धारित पेंशन योजना						
(01) अखिल भारतीय सेवा के लिए अनिवार्य-टीयर 1	29.54	..	29.54	11.60	..	11.60
(02) अखिल भारतीय सेवा के लिए वैकल्पिक-टीयर 2	0.10	..	0.10	0.18	..	0.18
योग - 117	29.64	..	29.64	11.78	..	11.78
120. विविध जमा						
(01) प्रन्यास निधि	63,05.59	..	63,05.59	53,00.72	..	53,00.72
(02) राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा सहायता निधि	82,83.42	..	82,83.42	55,38.07	..	55,38.07
(03) पत्रकार कल्याण निधि	14,63.90	..	14,63.90	12,52.41	..	12,52.41
(04) राजस्थान राज्य फसल बीमा निधि	13.36	..	13.36	13.36	..	13.36
(05) विश्व खाद्य कार्यक्रम की जमा	15.34	..	15.34	14.68	..	14.68
(06) प्रन्यास और विविध निधि विनियोजन लेखा	61,21.69	..	61,21.69	66,52.81	..	66,52.81
(11) गौ सेवा आयोग	2.42	..	2.42	2.39	..	2.39
(12) जिला बाल पुनर्स्थापन समिति	2,34.83	..	2,34.83	2,27.45	..	2,27.45
(13) राजस्थान मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष सोसायटी	0.02	..	0.02	0.02	..	0.02
(14) राज्य महिला आयोग	9.83	..	9.83	9.83	..	9.83
(15) राजस्थान राज्य पुस्तकालय विकास समिति	42,73.93	..	42,73.93	44,05.90	..	44,05.90
(16) राजस्थान फाउन्डेशन # #
(19) कृषि उपज मण्डी समिति, झुन्झुनू	3,00.92	..	3,00.92	3,92.85	..	3,92.85
(20) कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर	1,16.73	..	1,16.73	19.08	..	19.08
(21) कृषि उपज मण्डी समिति, सांचौर (जालौर)	4,35.12	..	4,35.12	3,74.63	..	3,74.63

₹ 151 मात्र ।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(क) ब्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8342. अन्य जमा - (क्रमशः)						
120. विविध जमा- (क्रमशः)						
(22) कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर (भीलवाड़ा)	9.24	..	9.24	9.24	..	9.24
(23) कृषि उपज मण्डी समिति, भीनमाल	31.24	..	31.24	0.82	..	0.82
(24) कृषि उपज मण्डी समिति, जालौर	1,44.04	..	1,44.04	1,63.10	..	1,63.10
(25) कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीमाधोपुर	4,53.85	..	4,53.85	5,25.02	..	5,25.02
(27) कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर (फल सब्जी)	13,57.91	..	13,57.91	13,71.33	..	13,71.33
(28) कृषि उपज मण्डी समिति, नवलगाढ़	42.37	..	42.37	23.47	..	23.47
(32) राजकीय कुक्कुट शाला	49.44	..	49.44	46.28	..	46.28
(33) पुलिस कल्याण निधि	2,00.31	..	2,00.31	2,00.31	..	2,00.31
(35) रिटनन्द बलदेव शिक्षा फाउण्डेशन	1,00.00	..	1,00.00	1,00.00	..	1,00.00
(37) सिंघानियां फाउण्डेशन शिक्षा समिति पचेरी बड़ी (झुन्झुनू)	1,56.65	..	1,56.65	1,50.84	..	1,50.84
(38) जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय	2,00.00	..	2,00.00	2,00.00	..	2,00.00
(39) राय फाउण्डेशन	1.67	..	1.67	1.61	..	1.61
(40) इण्डियन मेडिकल ट्रस्ट, जयपुर	1,53.02	..	1,53.02	1,49.17	..	1,49.17
(41) डा.एम.पी.खूटेडा होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र समिति	2,00.00	..	2,00.00	2,00.00	..	2,00.00
(42) मेवाड़ शिक्षा समिति, चित्तौड़गढ़	1,09.21	..	1,09.21	1,05.16	..	1,05.16
(43) श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबरेवाल निजी विश्वविद्यालय, झुन्झुनू	1,08.41	..	1,08.41	1,04.39	..	1,04.39
(44) भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर	3,07.78	..	3,07.78	3,00.08	..	3,00.08
(45) श्री पदमपत सिंघानियां विश्वविद्यालय, उदयपुर	2,00.00	..	2,00.00	2,00.00	..	2,00.00

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(क) ब्याज वाली जमा- (समाप्त)						
8342. अन्य जमा - (समाप्त)						
120. विविध जमा- (समाप्त)						
(46) ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जयपुर	1,00.00	..	1,00.00	1,00.00	..	1,00.00
(47) जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल शिक्षा समिति, दिल्ली	1,00.00	..	1,00.00	1,00.00	..	1,00.00
(48) सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर	2,00.00	..	2,00.00	2,00.00	..	2,00.00
(49) राफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना, अलवर	1,45.55	..	1,45.55	1,40.15	..	1,40.15
(50) जोधपुर निजी विश्वविद्यालय, जोधपुर	1,00.00	..	1,00.00	1,00.00	..	1,00.00
(51) कृषि उपज मण्डी समिति	11,08.24	..	11,08.24	8,04.48	..	8,04.48
(53) विश्वकर्मा अंशदायी पेंशन योजना	4,22.54	..	4,22.54	3,98.01	..	3,98.01
(54) निजी विश्वविद्यालय	71,36.44	..	71,36.44	66,10.03	..	66,10.03
(55) नगर विकास न्यास	1,06.14	..	1,06.14	1,66.41	..	1,66.41
(56) पंचायत समितियां	0.24	..	0.24	0.24	..	0.24
(57) अराजकीय मंदिरों की सम्पतियों से प्राप्त मुआवजा तथा अमानत राशि	37,74.60	..	37,74.60	33,26.60	..	33,26.60
(58) महाविद्यालय	2,06.18	..	2,06.18	2,06.18	..	2,06.18
(59) राजस्थान राज्य जैव विविधता मण्डल	75.02	..	75.02	75.02	..	75.02
(60) राज्य नवाचार परिषद	1,00.00	..	1,00.00	1,00.00	..	1,00.00
(61) उपभोक्ता संघित निधि	2,00.00	..	2,00.00
(62) राजस्थान पर्यटक प्रशिक्षण समिति, उदयपुर	5,00.00	..	5,00.00
योग - 120	4,56,77.19	..	4,56,77.19	4,03,82.14	..	4,03,82.14
योग - 8342	12,73,08.38	..	12,73,08.38	12,55,62.70	..	12,55,62.70
योग - (क) ब्याज वाली जमा	50,80,45.05	..	50,80,45.05	46,87,84.45	..	46,87,84.45

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(ख) बिना ब्याज वाली जमा						
8443. सिविल जमा						
101. राजस्व जमा	40,95.99	..	40,95.99	38,78.58	..	38,78.58
योग - 101	40,95.99	..	40,95.99	38,78.58	..	38,78.58
103. प्रतिभूति जमा	5,04,44.24	..	5,04,44.24	5,78,44.61	..	5,78,44.61
योग - 103	5,04,44.24	..	5,04,44.24	5,78,44.61	..	5,78,44.61
104. सिविल न्यायालय जमा	56,11.47	..	56,11.47	54,06.11	..	54,06.11
योग - 104	56,11.47	..	56,11.47	54,06.11	..	54,06.11
105. आपराधिक न्यायालय जमा	57.99	..	57.99	57.79	..	57.79
योग - 105	57.99	..	57.99	57.79	..	57.79
106. व्यक्तिगत जमा	95,38,56.89	..	95,38,56.89	51,96,44.87	..	51,96,44.87
योग - 106	95,38,56.89	..	95,38,56.89	51,96,44.87	..	51,96,44.87
108. लोक निर्माण कार्य जमा	42,88,16.92	..	42,88,16.92	36,73,97.42	..	36,73,97.42
योग - 108	42,88,16.92	..	42,88,16.92	36,73,97.42	..	36,73,97.42

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(ख) बिना ब्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8443. सिविल जमा- (क्रमशः)						
109. वन जमा	9,15.31	..	9,15.31	4,61.67	..	4,61.67
योग - 109	9,15.31	..	9,15.31	4,61.67	..	4,61.67
111. अन्य विभागीय जमा						
(01) उद्योग तथा रसद विभाग की जमा	29.51	..	29.51	31.04	..	31.04
(02) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जमा	5,17.27	..	5,17.27	5,18.83	..	5,18.83
(03) सहायता एवं पुनर्वासि विभाग की जमा	0.02	..	0.02	0.02	..	0.02
(05) भूमि अर्जन पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण जयपुर की जमा	2.87	..	2.87
योग - 111	5,49.67	..	5,49.67	5,49.89	..	5,49.89
116. विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन जमा						
(01) मिनीमम वेजेज एक्ट, 1948 के अधीन धारा 22-डी की जमा	1,02.73	..	1,02.73	1,03.72	..	1,03.72
(02) सेन्ट्रल लेबर रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट, 1970 की जमा	1,05.33	..	1,05.33	1,07.28	..	1,07.28
योग - 116	2,08.06	..	2,08.06	2,11.00	..	2,11.00
117. सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिए किये गये कार्य के लिये जमा	48.26	..	48.26	19.49	..	19.49
योग - 117	48.26	..	48.26	19.49	..	19.49

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(ख) बिना ब्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8443. सिविल जमा- (क्रमशः)						
118. गैर सरकारी निकायों के लिये किये गये कार्य के लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्कों की जमा	(-) 4.93 (क)	..	(-) 4.93	(-) 4.93	..	(-) 4.93
योग - 118	(-) 4.93 (क)	..	(-) 4.93	(-) 4.93	..	(-) 4.93
119. कम्पनी परिसमापन लेखा	.. * *	.. * *
योग - 119	.. * *	.. * *
121. चुनावों के सम्बन्ध में जमा						
(01) राजस्थान विधान मण्डल के अभ्यर्थियों द्वारा किये गये जमा	16.00	..	16.00	16.50	..	16.50
(02) निर्वाचन याचिका के लिए किए गए जमा	3.52	..	3.52	3.51	..	3.51
(03) निर्वाचन अपील के लिए किए गए जमा	1.05	..	1.05	0.62	..	0.62
योग - 121	20.57	..	20.57	20.63	..	20.63
123. शैक्षणिक संस्थाओं की जमा	1,08,68.69	..	1,08,68.69	1,02,13.59	..	1,02,13.59
योग - 121	1,08,68.69	..	1,08,68.69	1,02,13.59	..	1,02,13.59

(क) ऋण शेष जांच के अधीन है।

* ₹ 373 मात्र।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(ख) बिना ब्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8443. सिविल जमा- (समाप्त)						
800. अन्य जमा						
(02) राजस्थान भूमि विकास निगम के जमा (मशीनों तथा उपकरणों के आनुपातिक व्यय सहित)	49.79	..	49.79	49.79	..	49.79
(03) अन्य विविध निधियां	1,32.78	..	1,32.78	1,12.13	..	1,12.13
(04) ओ.एफ.डी. वर्क्स के अन्तर्गत कृषकों का अंशदान	14,65.98	..	14,65.98	14,65.98	..	14,65.98
(05) विद्युत् कम्पनियां	(-) 21,65.46	..	(-) 21,65.46 (क)	(-) 19,11.56	..	(-) 19,11.56
(06) जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन	(-) 11,55.53	..	(-) 11,55.53 (क)	(-) 5,84.91	..	(-) 5,84.91
योग - 800	(-) 16,72.44	..	(-) 16,72.44	(-) 8,68.57	..	(-) 8,68.57
योग - 8443	1,45,38,16.69	..	1,45,38,16.69	96,48,32.15	..	96,48,32.15
8448. स्थानीय निधियों की जमा						
102. नगरपालिका सम्बन्धी निधियां	16,52,00.84	..	16,52,00.84	14,18,12.08	..	14,18,12.08
योग - 102	16,52,00.84	..	16,52,00.84	14,18,12.08	..	14,18,12.08

(क) ऋण शेष जांच के अधीन हैं।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(ख) बिना ब्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8448. स्थानीय निधियों की जमा- (क्रमशः)						
107. राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियां						
(04) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. के खातों की प्राप्ति	14,55.81	..	14,55.81
(08) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का वितरण (शुद्ध)	0.30	..	0.30	0.30	..	0.30
योग - 107	0.30	..	0.30	14,56.11	..	14,56.11
109. पंचायत निकाय निधियां						
(01) ग्राम पंचायत निधि	0.52	..	0.52	0.51	..	0.51
(02) पंचायत समिति निधि	14,49,77.69	..	14,49,77.69	12,80,04.54	..	12,80,04.54
(03) जिला परिषद निधि	18,72,01.03	..	18,72,01.03	16,83,32.50	..	16,83,32.50
योग - 109	33,21,79.24	..	33,21,79.24	29,63,37.55	..	29,63,37.55
110. शिक्षा निधियां	24,64.07	..	24,64.07	22,67.71	..	22,67.71
योग - 110	24,64.07	..	24,64.07	22,67.71	..	22,67.71
111. चिकित्सा तथा धर्मार्थ निधियां	1,88.16	..	1,88.16	1,73.69 *	..	1,73.69
योग - 111	1,88.16	..	1,88.16	1,73.69	..	1,73.69

* पूर्णांक के कारण 1 से कमी की गयी।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(ख) बिना ब्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8448. स्थानीय निधियों की जमा- (समाप्त)						
120. अन्य निधियां						
(02) मुख्यमंत्री सहायता निधि	0.28	..	0.28	0.28	..	0.28
(03) कृषि उपज मण्डी निधि	55,89.12	..	55,89.12	62,73.29	..	62,73.29
(04) नगर सुधार न्यास की जमा	15,54.51	..	15,54.51	21,27.57	..	21,27.57
(05) राजस्थान मुख्यमंत्री बाल कल्याण कोष	22,69.19	..	22,69.19	15,72.67 *	..	15,72.67
(06) प्राकृतिक आपदा निधि	1.10	..	1.10	1.10	..	1.10
(07) राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष	1,31.96	..	1,31.96	1,22.24	..	1,22.24
(08) कर्मकार प्रतिकार क्षतिपूर्ति	40.02	..	40.02	49.82	..	49.82
(09) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान निधि	3,08.24	..	3,08.24	45.64	..	45.64
(10) राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि	20,80.60	..	20,80.60
योग - 120	1,19,75.02	..	1,19,75.02	1,01,92.61	..	1,01,92.61
योग - 8448	51,20,07.63	..	51,20,07.63	45,22,39.75	..	45,22,39.75
8449. अन्य जमा						
103. केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	7,74.02	..	7,74.02	1,86,74.00	..	1,86,74.00
योग - 103	7,74.02	..	7,74.02	1,86,74.00	..	1,86,74.00

* पूर्णांक के कारण 1 से वृद्धि की गयी।

विवरण संख्या 22- (समाप्त)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2018 को शेष			1 अप्रैल 2017 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (समाप्त)						
(ख) बिना ब्याज वाली जमा - (समाप्त)						
8449. अन्य जमा- (समाप्त)						
120. विविध जमा						
(01) प्रन्यास और अन्य विविध निधियां (राजस्थान)	46.44	..	46.44	46.44	..	46.44
(04) विदेशों में दुर्घटना ग्रस्त भारतीय परिवारों के मुआवजे व अन्य बकाया भुगतानों की जमा	1,04.94	..	1,04.94	19.73	..	19.73
(10) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने हेतु भारत सरकार से जमा राशि	14,27.71	..	14,27.71	14,59.04	..	14,59.04
योग - 120	15,79.09	..	15,79.09	15,25.21	..	15,25.21
योग - 8449	23,53.11	..	23,53.11	2,01,99.21	..	2,01,99.21
योग - (ख) बिना ब्याज वाली जमा	1,96,81,77.43	..	1,96,81,77.43	1,43,72,71.11	..	1,43,72,71.11
योग - ट. जमा तथा अग्रिम	2,47,62,22.48	..	2,47,62,22.48	1,90,60,55.56	..	1,90,60,55.56
योग - पृथक् आरक्षित निधियां	2,67,79,97.67	29,66,70.29	2,97,46,67.96	2,06,83,15.04	25,25,45.33	2,32,08,60.37

भाग II

(परिशिष्ट)

परिशिष्ट संख्या I - संवेंतन पर तुलनात्मक व्यय*

तिरछे अंक प्रभारित खर्च के द्योतक हैं

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े			
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग	
(₹ लाख में)									
सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर	2011.	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	23.88	..	40,20.83	15.96	..	35,10.48	
			39,96.95			34,94.52			
शासन सचिव, राज्यपाल सचिवालय राजस्थान, जयपुर	2012.	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	9,36.49	..	9,36.49	8,20.85	..	8,20.85	
		2075.	विविध सामान्य सेवाएं	8.85	..	8.85	7.73	..	7.73
		राज्यपाल सचिवालय के संवेंतन पर कुल व्यय		9,36.49	..	9,45.34	8,20.85	..	8,28.58
शासन सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग (ग्रुप-4), जयपुर	2013.	मंत्रि परिषद्	4,33.79	..	4,33.79	2,33.65	..	2,33.65	
		2052.	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	2,98.61	..	2,98.61	2,33.05	..	2,33.05
		2053.	जिला प्रशासन	1.44	..	1.44
		2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	51,68.58	..	51,68.58	43,79.62	..	43,79.62
		सामान्य प्रशासनिक विभाग (ग्रुप-4) के संवेंतन पर कुल व्यय		59,00.98	..	59,00.98	48,47.76	..	48,47.76

* आंकड़े लेखों के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष "01-संवेंतन" में दर्ज व्यय को प्रदर्शित करते हैं ।

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
महा पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	2014.	न्याय प्रशासन	88,35.52 5,42,81.82	..	6,31,17.34	68,71.60 4,92,33.05	12,24.13	5,73,28.78
निदेशक, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर	2014.	न्याय प्रशासन	28,35.62	..	28,35.62	26,56.83	..	26,56.83
निदेशक, गृह (अभियोजन) विभाग, जयपुर	2014.	न्याय प्रशासन	66,00.66	..	66,00.66	54,96.92	..	54,96.92
उपशासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर	2014.	न्याय प्रशासन	10,83.10	..	10,83.10	9,27.77	..	9,27.77
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, जयपुर	2015.	निर्वाचन	26,74.06	..	26,74.06	15,51.63	..	15,51.63
आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग, जयपुर	2029.	भू-राजस्व	43,58.05	..	43,58.05	46,20.24	..	46,20.24
पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर	2029.	भू-राजस्व	5,26,91.87	..	5,26,91.87	5,12,37.12	..	5,12,37.12
	2052.	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	22,92.72	..	22,92.72	20,54.13	..	20,54.13
	2053.	जिला प्रशासन	3,85,75.71	..	3,85,75.71	3,70,71.51	..	3,70,71.51
		राजस्व मण्डल के संवेतन पर कुल व्यय	9,35,60.30	..	9,35,60.30	9,03,62.76	..	9,03,62.76

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर	2029.	भू-राजस्व	17,00.90	..	17,00.90	5,39.15	..	5,39.15
संयुक्त निदेशक (ओ.एस.डी.), कृषि गणना, जयपुर	2029.	भू-राजस्व	..	73.53	73.53	..	62.79	62.79
	2701.	मध्यम सिंचाई	..	29.01	29.01	..	25.48	25.48
		कृषि गणना के संवेतन पर कुल व्यय	..	1,02.54	1,02.54	..	88.27	88.27
महानिरीक्षक, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, अजमेर	2030.	स्टाम्प तथा पंजीकरण	30,38.40	..	30,38.40	26,81.38	..	26,81.38
आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर	2039.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,11,90.93	..	1,11,90.93	1,05,27.31	..	1,05,27.31
आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,52,02.00	..	1,52,02.00	1,42,10.05	..	1,42,10.05
आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	2041.	वाहन कर	66,53.78	..	66,53.78	58,73.26	..	58,73.26
सदस्य, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर	2041.	वाहन कर	34.29	..	34.29	22.82	..	22.82

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर	2045.	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	5,41.96	..	5,41.96	4,70.63	..	4,70.63
निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर	2054.	खजाना तथा लेखा प्रशासन	1,26,95.56	..	1,26,95.56	1,17,62.92	8.00	1,17,70.92
वित्तीय सलाहकार, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	2705.	कमान क्षेत्र विकास	6,04.29	2,03.50	8,07.79	23.01	7,92.74	8,15.75
	4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	7,73.44	9,72.38	17,45.82	..	19,72.47	19,72.47
		सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संवेतन पर कुल व्यय	13,77.73	11,75.88	25,53.61	23.01	27,65.21	27,88.22
निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	2055.	पुलिस	15,38.62	..	15,38.62	14,28.35	..	14,28.35
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण	3,62.41	..	3,62.41	3,85.51	..	3,85.51
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी	3,13,57.56	1,70.56	3,15,28.12	2,99,38.82	..	2,99,38.82
		वन विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	3,17,19.97	1,70.56	3,18,90.53	3,03,24.33	..	3,03,24.33

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर	2054.	खजाना तथा लेखा प्रशासन	16,83.33	..	16,83.33	14,88.32	..	14,88.32
निदेशक, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग, जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	86,20.84	..	86,20.84	82,45.76	..	82,45.76
प्रमुख शासन सचिव, राज्य उपक्रम विभाग, जयपुर	2852.	उद्योग	1,04.47	..	1,04.47	1,05.80	..	1,05.80
मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	2215.	जलपूर्ति तथा सफाई	13,96,45.01	70.47	13,97,15.48	12,58,06.43	62,16.79	13,20,23.22
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	2051.	लोक सेवा आयोग	13,02.62	..	13,02.62	12,07.65	..	12,07.65
शासन सचिव, कार्मिक विभाग (गुप-1), जयपुर	2014.	न्याय प्रशासन	5.04	..	5.04	9.98	..	9.98
	2052.	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	1,22,40.45	..	1,22,40.45	1,05,94.83	..	1,05,94.83
	2251.	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	24,41.95	..	24,41.95	21,49.00	..	21,49.00
	3451.	सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	29,65.83	..	29,65.83	23,40.86	2,16.03	25,56.89
		कार्मिक विभाग (गुप-1) के संवेतन पर कुल व्यय	1,76,53.27	..	1,76,53.27	1,50,94.67	2,16.03	1,53,10.70

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील न्यायाधिकरण, जयपुर	2052.	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	2,45.83	..	2,45.83	2,23.84	..	2,23.84
निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	3454.	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	84,12.21	..	84,12.21	4,49.34	66,19.85	70,69.19
निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर	2054.	खजाना तथा लेखा प्रशासन	25,22.93	..	25,22.93	22,99.93	..	22,99.93
निदेशक, एच.सी.एम. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	15,95.51	..	15,95.51	15,48.25	..	15,48.25
निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर	2054.	खजाना तथा लेखा प्रशासन	11,93.85	..	11,93.85	8,43.37	..	8,43.37
महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग, जयपुर	2055.	पुलिस	42,20,78.54	..	42,20,78.54	39,55,17.05	..	39,55,17.05
महानिदेशक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर	2055.	पुलिस	59,48.76	..	59,48.76	51,73.58	..	51,73.58
महानिदेशक कारागार, कारागार विभाग, जयपुर	2056.	जेल	93,11.37	..	93,11.37	82,65.21	..	82,65.21
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर	2058.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	26,48.69	..	26,48.69	24,92.96	..	24,92.96

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (भवन एवं पथ) जयपुर	2059.	लोक निर्माण कार्य	3,06,71.43	..	3,06,71.43	2,94,49.23	..	2,94,49.23
	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,20.39	..	1,20.39	1,38.47	..	1,38.47
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी	12,74.39	..	12,74.39	13,24.34	..	13,24.34
	सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) के संवेतन पर कुल व्यय		3,20,66.21	..	3,20,66.21	3,09,12.04	..	3,09,12.04
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर	2202.	सामान्य शिक्षा	31,78,03.72	29,30,12.13	61,08,15.85	20,98,79.56	83,03.28	21,81,82.84
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	11.89	..	11.89	13.08	..	13.08
	प्राथमिक शिक्षा विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		31,78,15.61	29,30,12.13	61,08,27.74	20,98,92.64	83,03.28	21,81,95.92
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर	2202.	सामान्य शिक्षा	1,28,64,34.82	2,77,28.11	1,31,41,62.93	75,13,88.39	33,05,14.88	1,08,19,03.27
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	5,91.59	..	5,91.59	5,40.97	..	5,40.97
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	6,59.01	..	6,59.01	5,60.74	4.09	5,64.83
	माध्यमिक शिक्षा विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		1,28,76,85.42	2,77,28.11	1,31,54,13.53	75,24,90.10	33,05,18.97	1,08,30,09.07
आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर	2401.	फसल कृषि-कर्म	3,81,93.81	5,24.35	3,87,18.16	3,07,43.50	61,74.59	3,69,18.09

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर	2403.	पशु-पालन	6,30,62.69	1,15.94	6,31,78.63	4,50,77.45	68,24.03	5,19,01.48
आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	83,35.19	45.75	83,80.94	63,26.41	14,26.12	77,52.53
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5,60.99	..	5,60.99	1,31.42	1,44.23	2,75.65
		सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	88,96.18	45.75	89,41.93	64,57.83	15,70.35	80,28.18
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	25,17,20.79	..	25,17,20.79	17,89,01.05	5,17,74.68	23,06,75.73
निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	6,05,63.98	..	6,05,63.98	5,29,84.52	21,19.25	5,51,03.77
निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर	2205.	कला एवं संस्कृति	13,74.10	..	13,74.10	13,28.81	..	13,28.81
निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	3,40,90.92	..	3,40,90.92	2,48,98.98	60,59.24	3,09,58.22
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	7,32,91.16	..	7,32,91.16	6,95,38.27	50,03.90	7,45,42.17

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, उद्यान विभाग, जयपुर	2401.	फसल कृषि-कर्म	40,61.58	..	40,61.58	25,78.10	9,80.55	35,58.65
सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर	2062.	सर्तकता	7,27.36	..	7,27.36	6,08.09	..	6,08.09
निदेशक, सिविल रक्षा एवं गृह सुरक्षा विभाग, जयपुर	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	29,47.87	..	29,47.87	28,65.57	..	28,65.57
आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग	67.21	..	67.21	55.01	..	55.01
	2852.	उद्योग	38,52.14	..	38,52.14	37,03.05	8.17	37,11.22
		उद्योग विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	39,19.35	..	39,19.35	37,58.06	8.17	37,66.23
परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर	4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	11,40.29	..	11,40.29	..	10,90.68	10,90.68
निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	9,04.16	..	9,04.16	8,93.71	..	8,93.71
निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	10,92.10	..	10,92.10	8,23.09	1,76.73	9,99.82

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, भाषा विभाग, जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	1,04.35	..	1,04.35	1,05.41	..	1,05.41
	2205.	कला एवं संस्कृति	9,26.48	..	9,26.48	8,90.07	..	8,90.07
	भाषा विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		10,30.83	..	10,30.83	9,95.48	..	9,95.48
पीठासीन अधिकारी, गैर राजकीय शिक्षण संस्थान अभिकरण, जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	70.79	..	70.79	61.69	..	61.69
	तकनीकी शिक्षा विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		2,38,88.81	35.95	2,39,24.76	2,14,56.26	21,18.87	2,35,75.13
निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर	2203.	तकनीकी शिक्षा	1,43,10.44	..	1,43,10.44	1,33,72.15	13,70.96	1,47,43.11
	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	95,78.37	35.95	96,14.32	80,84.11	7,47.91	88,32.02
निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	19,98.89	..	19,98.89	19,40.15	..	19,40.15
	2205.	कला एवं संस्कृति	1,88.19	..	1,88.19	1,87.34	..	1,87.34
	2205.	कला एवं संस्कृति	1,78.19	..	1,78.19	1,60.36	..	1,60.36
निदेशक, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर								
निदेशक, अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक								
			485					

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
संभागीय आयुक्त, क्षेत्रीय विकास विभाग, अजमेर	4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परियोजना	1.52	..	1.52	..	2,82.28	2,82.28
निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर	2205.	कला एवं संस्कृति	5,21.05	..	5,21.05	5,14.10	..	5,14.10
निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर	3452.	पर्यटन	9,62.37	..	9,62.37	9,05.77	..	9,05.77
प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,12,23.12	..	1,12,23.12	65,04.21	33,06.68	98,10.89
प्राचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3,85,35.35	..	3,85,35.35	2,96,28.02	41,83.40	3,38,11.42
प्राचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,10,72.06	..	1,10,72.06	71,83.46	24,41.47	96,24.93
प्राचार्य, डॉ. सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,59,79.80	..	1,59,79.80	94,76.26	48,24.11	1,43,00.37
प्राचार्य, रविन्द्र नाथ मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,29,08.96	..	1,29,08.96	75,98.42	39,50.10	1,15,48.52
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (ई.एस.आई.), जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	74,14.14	..	74,14.14	65,62.66	..	65,62.66

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक कॉलेज, उदयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	9,84.34	..	9,84.34	9,60.74	6.28	9,67.02
निदेशक, भ्रमणशील चिकित्सा इकाई, जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	13,88.95	..	13,88.95	7,35.54	6,61.46	13,97.00
प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, कोटा	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,03,31.69	..	1,03,31.69	65,10.24	23,34.85	88,45.09
निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर	2211.	परिवार कल्याण	2,52,21.33	3,44,99.79	5,97,21.12	24,64.41	5,15,60.46	5,40,24.87
निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर	2217.	शहरी विकास	10,65.31	..	10,65.31	8,28.68	1,39.84	9,68.52
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	42.68	59.92	1,02.60	..	91.72	91.72
		स्थानीय निकाय विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	11,07.99	59.92	11,67.91	8,28.68	2,31.56	10,60.24
शासन सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, जयपुर	2216.	आवास	23.88	..	23.88
निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	25,17.87	..	25,17.87	21,98.65	..	21,98.65

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	31,53.34	..	31,53.34	23,05.31	4,78.17	27,83.48
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	15,97.22	9,67.65	25,64.87	11,28.92	6,86.34	18,15.26
		जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	47,50.56	9,67.65	57,18.21	34,34.23	11,64.51	45,98.74
आयुक्त श्रम विभाग, जयपुर	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	23,62.98	..	23,62.98	22,66.81	..	22,66.81
मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	1,92.91	..	1,92.91	1,65.67	..	1,65.67
मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर	2217.	शहरी विकास	12,90.65	..	12,90.65	9,75.38	2,91.49	12,66.87
निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, जयपुर	2220.	सूचना तथा प्रचार	20,67.63	..	20,67.63	18,48.77	..	18,48.77
मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर विभाग, जयपुर	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	7,74.55	..	7,74.55	7,28.43	..	7,28.43
सचिव, राजस्थान बिक्री कर बोर्ड, अजमेर	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,51.39	..	3,51.39	3,16.81	..	3,16.81

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, रोजगार विभाग, जयपुर	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	16,61.49	..	16,61.49	15,12.69	..	15,12.69
उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) जयपुर	2210.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2,32.86	..	2,32.86	..	1,79.36	1,79.36
शासन सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, जयपुर	2245.	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	6,53.42	..	6,53.42	5,91.55	..	5,91.55
निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	84.13	84.13
	2236.	पोषण	76,77.09	87,36.94	1,64,14.03	3,31.05	1,58,42.85	1,61,73.90
		महिला अधिकारिता विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	76,77.09	87,36.94	1,64,14.03	3,31.05	1,59,26.98	1,62,58.03
सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	17,42.84	..	17,42.84	11,25.83	..	11,25.83
निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर	2401.	फसल कृषि-कर्म	..	3,70.61	3,70.61	..	3,41.13	3,41.13
	3454.	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	42,98.69	..	42,98.69	16,29.22	21,10.43	37,39.65
		आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	42,98.69	3,70.61	46,69.30	16,29.22	24,51.56	40,80.78

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	5,85.61	..	5,85.61	..	5,43.35	5,43.35
	2575.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,14.71	..	1,14.71	..	80.74	80.74
	ग्रामीण विकास विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		7,00.32	..	7,00.32	..	6,24.09	6,24.09
आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं	11,56.78	..	11,56.78	10,94.49	..	10,94.49
	3604.	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	3.83	..	3.83	3.60	..	3.60
	देवस्थान विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		11,60.61	..	11,60.61	10,98.09	..	10,98.09
मुख्य अभियंता, भू-जल विभाग, जोधपुर	2702.	लघु सिंचाई	40,74.93	..	40,74.93	37,12.87	..	37,12.87
निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, जयपुर	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	5,39.51	1,13.97	6,53.48	4,04.63	1,71.83	5,76.46
पीठासीन अधिकारी, वक्फ बोर्ड, जयपुर	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं	62.30	..	62.30	63.01	..	63.01

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, जल संग्रहण तथा मृदा संरक्षण विभाग, जयपुर	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण	30,39.27	..	30,39.27	19,59.67	..	19,59.67
निदेशक, मत्स्य पालन विभाग, जयपुर	2405.	मछली पालन	10,89.42	..	10,89.42	9,69.99	91.73	10,61.72
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	2700.	मुख्य सिंचाई	11,00.55	..	11,00.55	10,25.42	..	10,25.42
	2701.	मध्यम सिंचाई	1,30,24.45	..	1,30,24.45	98,59.18	23,18.39	1,21,77.57
	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6,06.23	..	6,06.23	..	6,26.40	6,26.40
	4701.	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,57.51	..	1,57.51	..	1,43.65	1,43.65
	4702.	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,22.57	..	2,22.57	..	2,58.25	2,58.25
		जल संसाधन विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	1,51,11.31	..	1,51,11.31	1,08,84.60	33,46.69	1,42,31.29
आयुक्त, खाद्य एवं सिविल पूर्ति विभाग, जयपुर	3456.	सिविल पूर्ति	47,53.33	..	47,53.33	42,75.74	2,02.80	44,78.54
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	66.25	..	66.25	16.27	..	16.27
		खाद्य एवं सिविल पूर्ति विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	48,19.58	..	48,19.58	42,92.01	2,02.80	44,94.81

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
पंजीयक, सहकारी विभाग, जयपुर	2425.	सहकारिता	66,19.54	16.43	66,35.97	64,65.85	10.47	64,76.32
परियोजना निदेशक, एमपावर विभाग, जोधपुर	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण	1,94.75	..	1,94.75	..	1,59.66	1,59.66
निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर	2435.	अन्य कृषि कार्यक्रम	9,27.39	..	9,27.39	8,53.75	..	8,53.75
क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा	2700.	मुख्य सिंचाई	8,03.61	..	8,03.61	5,22.99	1,59.64	6,82.63
	2705.	कमान क्षेत्र विकास	8,77.81	..	8,77.81	5,09.34	3,30.40	8,39.74
	4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	34.04	2,44.26	2,78.30	..	2,65.05	2,65.05
सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के संवेतन पर कुल व्यय			17,15.46	2,44.26	19,59.72	10,32.33	7,55.09	17,87.42
मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग, हनुमानगढ़	2700.	मुख्य सिंचाई	51,74.90	..	51,74.90	56,87.38	..	56,87.38
	2701.	मध्यम सिंचाई	8,06.18	..	8,06.18	7,60.24	..	7,60.24
	4711.	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.65	..	15.65	..	17.86	17.86
जल संसाधन (उत्तर) विभाग के संवेतन पर कुल व्यय			59,96.73	..	59,96.73	64,47.62	17.86	64,65.48

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
वित्तीय सलाहकार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान अंतर्राज्य नियंत्रण मंडल (सिंचाई व विद्युत), कोटा	2700.	मुख्य सिंचाई	72.48	..	72.48	82.56	..	82.56
अतिरिक्त मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	2700.	मुख्य सिंचाई	19,32.62	..	19,32.62	19,24.38	..	19,24.38
	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	20,58.57	..	20,58.57	..	18,63.33	18,63.33
		इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संवेतन पर कुल व्यय	39,91.19	..	39,91.19	19,24.38	18,63.33	37,87.71
आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर	2701.	मध्यम सिंचाई	13,13.72	..	13,13.72	13,09.12	..	13,09.12
वित्तीय सलाहकार (पी-चैक सेट अप), इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर			3,80.34	..	3,80.34	..	4,11.04	4,11.04
	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
निदेशक, आयोजना (जन शक्ति) विभाग, जयपुर	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	1,83.42	..	1,83.42	..	1,58.75	1,58.75
उप शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, जयपुर	3451.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	66.94	57.52	1,24.46	..	1,11.89	1,11.89

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, खान एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर	2853.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	74,87.27	..	74,87.27	53,25.47	16,43.57	69,69.04
निदेशक, पेट्रोलियम विभाग, जयपुर	2802.	पेट्रोलियम	93.95	..	93.95	92.94	..	92.94
निदेशक, पर्यावरण विभाग, जयपुर	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	1,30.99	..	1,30.99	1,19.91	..	1,19.91
निदेशक, मूल्यांकन संगठन, जयपुर	3454.	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	4,69.27	..	4,69.27	4,07.23	..	4,07.23
सचिव, इंदिरा गांधी नहर मंडल, जयपुर	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4,97.11	..	4,97.11	..	4,37.12	4,37.12
निदेशक, राजस्व आसूचना विभाग, जयपुर	2047.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1,93.70	..	1,93.70	1,51.17	..	1,51.17
मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8,49.38	..	8,49.38	..	8,04.20	8,04.20
निदेशक, होम्योपैथी विभाग, जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	29,84.73	..	29,84.73	20,96.35	5,64.98	26,61.33
निदेशक, यूनानी विभाग, जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	23,56.62	..	23,56.62	15,02.94	6,55.68	21,58.62
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी., जयपुर	2702.	लघु सिंचाई	2,52.68	..	2,52.68	..	2,37.62	2,37.62

परिशिष्ट संख्या 1 - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	14,02.70	6.84	14,09.54	7,73.92	3,32.64	11,06.56
मुख्य अभियंता, गुण नियंत्रण तथा ई.ए.पी. जल संसाधन विभाग, जयपुर	2702.	लघु सिंचाई	86.38	..	86.38	..	83.99	83.99
निदेशालय, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5,17.67	..	5,17.67	2,63.85	1,40.51	4,04.36
निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर	2225.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	7,79.42	..	7,79.42	5,47.47	3.36	5,50.83
निदेशक नागरिक विमानन विभाग, जयपुर	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	85.46	..	85.46	82.54	..	82.54
निदेशक, लोक सेवाएं, जयपुर	2053.	जिला प्रशासन	2,46.13	..	2,46.13	1,96.33	..	1,96.33
उपसचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर	2225.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	23.12	..	23.12	8.64	..	8.64
निदेशक बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,69.06	..	2,69.06	..	1,46.65	1,46.65
सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, जयपुर	2051.	लोक सेवा आयोग	3,55.33	..	3,55.33	2,88.53	..	2,88.53

परिशिष्ट संख्या I - (समाप्त)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
गौ सेवा राजस्थान, जयपुर	2403.	पशुपालन	2,25.36	..	2,25.36
अतिरिक्त मुख्य सचिव, देहली-मुम्बई इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, जयपुर	2852.	उद्योग	1,62.45	..	1,62.45	..	1,30.62	1,30.62
निदेशक, पी.एम.यू.आयोजना विभाग, जयपुर	3451.	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	1.27	..	1.27	..	5.36	5.36
निदेशक, नागरिक सुरक्षा, जयपुर	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	8,09.95	..	8,09.95	8,05.33	..	8,05.33
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायो-फ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर	2810.	नवीन तथा नवीनकरण ऊर्जा	43.28	..	43.28	34.04	..	34.04
आयुक्त, मिड डे मिल, जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	..	1,07.48	1,07.48	..	75.42	75.42
संवेतन पर कुल व्यय (राजस्व)			1,10,98.51	36,69,46.45	3,70,54,86.82	89,16.06	53,86,72.74	2,94,69,77.44
संवेतन पर कुल व्यय (पूंजीगत)			67,36.65	12,16.64	79,53.29	..	81,72.33	81,72.33
संवेतन पर कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत)			1,10,98.51	36,81,63.09	3,71,34,40.11	89,16.06	54,68,45.07	2,95,51,49.77

परिशिष्ट संख्या II - सहाय्य पर तुलनात्मक व्यय

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य *						
उप सचिव, उद्योग (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर						
2852. उद्योग						
80. सामान्य						
102. औद्योगिक उत्पादकता						
(25) राजस्थान वित्त निगम						
[01] युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना	3,60.00	..	3,60.00	..	1,50.00	1,50.00
उद्योग (ग्रुप-1) विभाग को कुल सहाय्य						
	3,60.00	..	3,60.00	..	1,50.00	1,50.00
निदेशक, वित्त विभाग, जयपुर						
2801. बिजली						
80. सामान्य						
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता						
(32) ब्याज अनुदान						
[02] राजस्थान विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	18,98.46	..	18,98.46	18,98.46	..	18,98.46
योग- (32)						
	18,98.46	..	18,98.46	18,98.46	..	18,98.46
(34) विद्युत कर हेतु अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड-प्रतिबद्ध	11,19,58.95	..	11,19,58.95
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड-प्रतिबद्ध	6,55,47.05	..	6,55,47.05
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड-प्रतिबद्ध	8,38,08.00	..	8,38,08.00
योग- (34)						
	26,13,14.00	..	26,13,14.00

* आकड़े राज्य सरकार द्वारा दिये गये लेखों में सहाय्य शीर्ष के अंतर्गत पुस्तान्कित व्यय के द्योतक हैं।

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े			
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग	
(₹ लाख में)							
स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः)							
निदेशक,							
वित्त विभाग, जयपुर - (क्रमशः)							
2801. बिजली - (क्रमशः)							
80. सामान्य (क्रमशः)							
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता - (क्रमशः)							
(36) विद्युत दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान							
[01]	जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड-प्रतिबद्ध	25,29,10.85	..	25,29,10.85	22,53,35.82	..	22,53,35.82
[02]	जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड-प्रतिबद्ध	40,90,81.87	..	40,90,81.87	35,69,70.74	..	35,69,70.74
[03]	अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड-प्रतिबद्ध	21,39,21.27	..	21,39,21.27	20,00,00.65	..	20,00,00.65
	योग- (36)	87,59,13.99	..	87,59,13.99	78,23,07.21	..	78,23,07.21
(41) उदय योजना के अन्तर्गत वितरण निगमों को सहायता							
[01]	जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	28,31,27.46	..	28,31,27.46	..	20,06,76.60	20,06,76.60
[02]	जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	26,18,02.55	..	26,18,02.55	..	18,50,85.61	18,50,85.61
[03]	अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	27,10,69.98	..	27,10,69.98	..	19,02,37.79	19,02,37.79
	योग- (41)	81,59,99.99	..	81,59,99.99	..	57,60,00.00	57,60,00.00
	योग - 190	1,95,51,26.44	..	1,95,51,26.44	78,42,05.67	57,60,00.00	1,36,02,05.67

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े			
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग	
(₹ लाख में)							
स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः)							
निदेशक, वित्त विभाग, जयपुर - (क्रमशः)							
2801. बिजली - (समाप्त)							
80. सामान्य - (समाप्त)							
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना							
(01) उदय योजना के अन्तर्गत वितरण निगमों को सहायता							
[01]	जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	7,49,45.51	..	7,49,45.51	..	6,89,82.58	6,89,82.58
[02]	जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	6,93,00.68	..	6,93,00.68	..	6,36,23.18	6,36,23.18
[03]	अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	7,17,53.82	..	7,17,53.82	..	6,53,94.24	6,53,94.24
	योग- (01)	21,60,00.01	..	21,60,00.01	..	19,80,00.00	19,80,00.00
	योग- 789	21,60,00.01	..	21,60,00.01	..	19,80,00.00	19,80,00.00
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना							
(01) उदय योजना के अन्तर्गत वितरण निगमों को सहायता							
[01]	जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	5,82,90.95	..	5,82,90.95	..	4,38,98.00	4,38,98.00
[02]	जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	5,39,00.53	..	5,39,00.53	..	4,04,87.48	4,04,87.48
[03]	अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	5,58,08.52	..	5,58,08.52	..	4,16,14.52	4,16,14.52
	योग- (01)	16,80,00.00	..	16,80,00.00	..	12,60,00.00	12,60,00.00
	योग- 796	16,80,00.00	..	16,80,00.00	..	12,60,00.00	12,60,00.00
	वित्त विभाग को कुल सहाय्य	2,33,91,26.45	..	2,33,91,26.45	78,42,05.67	90,00,00.00	1,68,42,05.67

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य --(क्रमशः)						
प्रधान मुख्य वन संरक्षण, वन विभाग						
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी						
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव						
110. वन्य जीव परिरक्षण						
(03) वन क्षेत्रों का संधारण	8.96	8.96
वन विभाग को कुल सहाय्य	8.96	8.96
निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर						
2403. पशुपालन						
102. मवेशी एवं भैंस विकास						
(17) बकरी विकास	19.90	..	19.90	..	20.00	20.00
योग - 102	19.90	..	19.90	..	20.00	20.00
108. पशुधन तथा मुर्गी बीमा						
(01) निदेशालय, पशु पालन विभाग						
[01] मवेशी बीमा	1,55.00	1,55.00	3,10.00	..	1,00.00	1,00.00
योग - 108	1,55.00	1,55.00	3,10.00	..	1,00.00	1,00.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(01) पशु पालन विभाग के अभिकरण के माध्यम से						
[12] जोखिम प्रबन्धन - पशुधन एवं पशुपालक बीमा	1,84.00	3,37.00	5,21.00	..	90.00	90.00
योग- 789	1,84.00	3,37.00	5,21.00	..	90.00	90.00
पशुपालन विभाग को कुल सहाय्य	3,58.90	4,92.00	8,50.90	..	2,10.00	2,10.00

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः)						
आयुक्त, उद्यान विभाग, जयपुर						
2401. फसल कृषि-कर्म						
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें						
(25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन	32,09.28	48,13.92	80,23.20	..	50,10.90	50,10.90
(26) प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- सूक्ष्म सिंचाई)	27,63.82	41,45.74	69,09.56	..	68,04.46	68,04.46
(29) फल बगीचों की स्थापना	5.46	..	5.46	..	4.38	4.38
(30) उद्यान फसलों की प्रदर्शनी	21.03	..	21.03	..	22.61	22.61
(31) संयंत्र सुरक्षा कार्य	10.31	..	10.31	..	13.14	13.14
(32) ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान	9,38.38	..	9,38.38	..	5,44.04	5,44.04
(33) अभिनव कार्यक्रम	2.87	..	2.87	..	2.72	2.72
(36) सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान	51,80.83	..	51,80.83	..	1,18,24.08	1,18,24.08
योग - 119	1,21,31.98	89,59.66	2,10,91.64	..	2,42,26.33	2,42,26.33
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) उद्यान विभाग के द्वारा						
[04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन	3,11.40	4,67.10	7,78.50	..	4,93.99	4,93.99
[05] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- सूक्ष्म सिंचाई)	1,98.79	2,98.18	4,96.97	..	4,23.32	4,23.32
[07] फल बगीचों की स्थापना	0.61	..	0.61	..	0.28	0.28
[08] उद्यान फसलों की प्रदर्शनी	4.99	..	4.99	..	5.48	5.48
[09] संयंत्र सुरक्षा कार्य	1.67	..	1.67	..	2.89	2.89
[10] ग्रीन हाऊस पर अतिरिक्त अनुदान	2,87.57	..	2,87.57	..	1,27.53	1,27.53
[11] अभिनव कार्यक्रम	0.40	..	0.40	..	0.36	0.36

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः)						
आयुक्त, उद्यान विभाग, जयपुर - (समाप्त)						
2401. फसल कृषि-कर्म - (समाप्त)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना - (समाप्त)						
(02) उद्यान विभाग के द्वारा - (समाप्त)						
[12] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान	2,67.82	..	2,67.82	..	3,04.85	3,04.85
योग - 789	10,73.25	7,65.28	18,38.53	..	13,58.70	13,58.70
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से						
[03] राष्ट्रीय बागवानी मिशन	3,29.34	4,94.01	8,23.35	..	4,24.87	4,24.87
[04] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु	3,11.29	4,66.93	7,78.22	..	4,79.28	4,79.28
[06] फल बगीचे की स्थापना	0.51	..	0.51	..	0.53	0.53
[07] उद्यान फसलों की प्रदर्शनी	3.83	..	3.83	..	4.24	4.24
[08] संयंत्र सुरक्षा कार्य	1.11	..	1.11	..	2.70	2.70
[09] ग्रीन हाऊस पर अतिरिक्त अनुदान	2,23.02	..	2,23.02	..	74.85	74.85
[10] अभिनव कार्यक्रम	0.49	..	0.49	..	0.44	0.44
[11] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान	2,98.47	..	2,98.47	..	3,49.71	3,49.71
योग - 796	11,68.06	9,60.94	21,29.00	..	13,36.62	13,36.62
उद्यान विभाग को कुल सहाय्य	1,43,73.29	1,06,85.88	2,50,59.17	..	2,69,21.65	2,69,21.65

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः)						
आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर						
2851. ग्रामीण तथा लघु उद्योग						
102. लघु उद्योग						
(13) माइक्रो एवं स्मॉल एन्टर प्राइजेज पॉलिसी पैकेज	8,77.45	8,77.45
योग -102	8,77.45	8,77.45
104. हस्तशिल्प उद्योग						
(08) कलाकारों को ब्याज अनुदान	0.24	..	0.24	..	1.80	1.80
योग - 104	0.24	..	0.24	..	1.80	1.80
111. बेरोजगार शिक्षित युवाओं हेतु रोजगार योजना						
(03) उद्यम स्थापना, विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण						
[01] मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना	2,95.98	..	2,95.98	..	4,79.92	4,79.92
योग - 111	2,95.98	..	2,95.98	..	4,79.92	4,79.92
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(06) कलाकारों को ब्याज सहाय्य	0.10	0.10
(22) उद्यम स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण						
[01] मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना	18.98	..	18.98	..	27.20	27.20
योग - 789	18.98	..	18.98	..	27.30	27.30

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः)						
आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर - (समाप्त)						
2851. ग्रामीण तथा लघु उद्योग - (समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						
(22) उद्यम स्थापना, विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण						
[01] मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना	4.93	..	4.93	..	7.64	7.64
योग -796	4.93	..	4.93	..	7.64	7.64
उद्योग विभाग को कुल सहाय्य	3,20.13	..	3,20.13	..	13,94.11	13,94.11
उप सचिव, उद्योग (ग्रुप-II) विभाग, जयपुर						
2851. ग्रामीण तथा लघु उद्योग						
105. खादी तथा ग्रामोद्योग						
(03) खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट	1,77.55	..	1,77.55	3,58.45	..	3,58.45
उद्योग (ग्रुप-II) विभाग को कुल सहाय्य	1,77.55	..	1,77.55	3,58.45	..	3,58.45
शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर						
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम						
06. स्वरोजगार कार्यक्रम						
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता						
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	6,54.58	6,54.58
[01] अनुदान	6,54.58	6,54.58

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः)						
शासन सचिव,						
ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर- (समाप्त)						
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम- (समाप्त)						
06. स्वरोजगार कार्यक्रम- (समाप्त)						
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता- (समाप्त)						
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- (समाप्त)						
[02] अनुदान	2,74.27	2,74.27
[03] अनुदान	3,83.11	3,83.11
कुल (06)	13,11.96	13,11.96
(08) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना						
[01] अनुदान	13,25.70	13,25.70
[02] अनुदान	5,26.80	5,26.80
[03] अनुदान	7,98.90	7,98.90
कुल (08)	26,51.40	26,51.40
ग्रामीण विकास विभाग को कुल सहाय्य	39,63.36	39,63.36

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः)						
आयुक्त,						
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर						
3456. नागरिक आपूर्ति						
102. नागरिक आपूर्ति योजना						
(02) खाद्यान्न वितरण						
[10] बी.पी.एल. एवं अंत्योदय परिवारों को चीनी वितरण योजना	19,71.62	19,71.62
योग-102	19,71.62	19,71.62
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(01) नागरिक आपूर्ति योजना						
[09] बी.पी.एल. व अंत्योदय परिवारों को चीनी वितरण योजना	5,11.00	5,11.00
योग 789	5,11.00	5,11.00
796. जन जाति क्षेत्र उपयोजना						
(01) नागरिक आपूर्ति योजना						
[09] बी.पी.एल. व अंत्योदय परिवारों को चीनी वितरण योजना	3,88.00	3,88.00
योग 796	3,88.00	3,88.00
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को कुल सहाय्य	28,70.62	28,70.62

परिशिष्ट संख्या II - (समाप्त)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2017-18 के वास्तविक आंकड़े			2016-17 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य –(समाप्त)						
निदेशालय,						
निःशक्तजन विभाग, जयपुर						
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण						
02. समाज कल्याण						
101. विशेष योग्यजन का कल्याण						
(38) निदेशालय, विशेष योग्यजन						
[02] विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना हेतु अनुदान (अनुसूचित जाति/ जनजाति निगम के माध्यम से)						
	4,70.87	..	4,70.87	..	4,92.24	4,92.24
निःशक्तजन विभाग को कुल सहाय्य	4,70.87	..	4,70.87	..	4,92.24	4,92.24
निदेशक, नागरिक विमानन, जयपुर						
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं						
114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव						
(06) नागरिक विमानन निदेशालय						
[01] नागरिक विमानन निदेशालय	10,66.17	..	10,66.17	1,92.00	..	1,92.00
नागरिक विमानन को कुल सहाय्य	10,66.17	..	10,66.17	1,92.00	..	1,92.00
कुल स्पष्ट सहाय्य	2,35,62,53.36	1,11,77.88	2,36,74,31.24	78,47,56.12	93,60,10.94	1,72,07,67.06

**परिशिष्ट संख्या III –राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता/ सहायतार्थ अनुदान
(संस्थावार तथा योजनावार)**

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2016-17		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		आयोजना भिन्न	आयोजना		योग
(₹ लाख में)										
नगर निगम										
	विशेष अनुदान	सामान्य	7,88,48.22	..	7,88,48.22	..	7,16,80.20	..	7,16,80.20	..
	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	रा.वि.आ.(सा.)	1,55,20.49	..	1,55,20.49	1,70,28.26	1,70,28.26	..
		रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	40,28.68	..	40,28.68	44,20.04	44,20.04	..
		रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	30,45.79	..	30,45.79	33,41.68	33,41.68	..
	चोदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य बुनियादी अनुदान	सामान्य	1,98,68.78	..	1,98,68.78	..	1,71,35.48	..	1,71,35.48	..
	सार्वजनिक रोशनी के बिजली बिलों का भुगतान	सामान्य	1,00,00.00	..	1,00,00.00
	स्वच्छ भारत अभियान	सामान्य	12,69.60	38,08.79	50,78.39	1,19,48.89	1,19,48.89	..
		अ.जा.उ.यो.	3,29.55	9,88.65	13,18.20	31,01.58	31,01.58	..
		ज.जा.उ.यो.	2,49.15	7,47.46	9,96.61	23,44.87	23,44.87	..
	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	सामान्य	3,83.96	4,37.21	8,21.17	1,11.16	1,11.16	..
		अ.जा.उ.यो.	1,14.62	1,34.05	2,48.67	35.43	35.43	..
		ज.जा.उ.यो.	62.65	93.98	1,56.63

* इस परिशिष्ट में निम्नलिखित संकेत चिन्हों का प्रयोग उनके विस्तृत स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है :-

3. वि.आ.(सा.)- वित्त आयोग (सामान्य)

6. रा.वि.आ.(अ.जा.उ.यो.) - राज्य वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उप-योजना)

1. ज.जा.उ.यो. - जनजातीय उप-योजना

4. रा.वि.आ.(सा.) - राज्य वित्त आयोग (सामान्य)

7. ई.ए.पी- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना

2. अ.जा.उ.यो. - अनुसूचित जाति उप-योजना

5. रा.वि.आ.(ज.जा.उ.यो.) - राज्य वित्त आयोग (जनजातीय उप-योजना)

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	आयोजना भिन्न आयोजना	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
(₹ लाख में)									
नगर निगम – (समाप्त)									
प्रधानमंत्री आवास योजना	सामान्य	..	5,27.54	5,27.54	17,63.33	17,63.33	..
	अ.जा.उ.यो.	..	5,53.36	5,53.36	4,11.43	4,11.43	..
	ज.जा.उ.यो.	..	1,03.53	1,03.53	2,94.15	2,94.15	..
अन्नपूर्णा योजना	सामान्य	5,79.44	..	5,79.44	1,06.91	1,06.91	..
	अ.जा.उ.यो.	1,49.44	..	1,49.44	27.75	27.75	..
	ज.जा.उ.यो.	1,12.98	..	1,12.98	20.98	20.98	..
राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत निष्पादन हेतु प्रोत्साहन अनुदान	रा.वि.आ.(सा.)	4,45.81	..	4,45.81	2,55.07	2,55.07	..
	रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	1,15.72	..	1,15.72	67.51	67.51	..
	रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	87.48	..	87.48	52.51	52.51	..
चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य निष्पादित अनुदान	सामान्य	18,43.39	..	18,43.39	..
सीवरेज ट्रीटमेंट संयंत्र	सामान्य	3,43.34	3,43.34	3,43.34
	अ.जा.उ.यो.	89.15	89.15	89.15
	ज.जा.उ.यो.	67.50	67.50	67.50
जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय	सामान्य	1,30.88	..	1,30.88	..
एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	5.27	..	5.27	..	5.89	..	5.89	..
योग-नगर निगम		13,52,17.63	73,94.57	14,26,12.20	..	9,07,95.84	4,58,31.54	13,66,27.38	4,99.99

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
नगर पालिकाएं/नगर परिषद										
	विशेष अनुदान	सामान्य	7,86,00.04	..	7,86,00.04	..	7,00,90.99	15,51.27	7,16,42.26	..
	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	रा.वि.आ.(सा.)	3,91,22.40	..	3,91,22.40	4,29,23.48	4,29,23.48	..
		रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	1,01,55.09	..	1,01,55.09	1,11,41.92	1,11,41.92	..
		रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	76,77.55	..	76,77.55	84,23.62	84,23.62	..
	चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य बुनियादी अनुदान	सामान्य	4,94,24.22	..	4,94,24.22	..	4,28,37.52	..	4,28,37.52	..
	सार्वजनिक रोशनी के बिजली बिलों का भुगतान	सामान्य	1,74,29.15	..	1,74,29.15
	स्वच्छ भारत अभियान	सामान्य	29,90.66	89,71.98	1,19,62.64	2,08,79.18	2,08,79.18	..
		अ.जा.उ.यो.	7,76.29	23,28.89	31,05.18	54,19.69	54,19.69	..
		ज.जा.उ.यो.	5,86.89	17,60.68	23,47.57	40,97.56	40,97.56	..
	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	सामान्य	7,93.73	9,73.15	17,66.88	2,85.87	2,85.87	..
		अ.जा.उ.यो.	2,68.59	2,79.27	5,47.86	89.54	89.54	..
		ज.जा.उ.यो.	1,39.46	2,09.19	3,48.65
	शहरी न्यासों की जलपूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव	सामान्य	22,62.00	..	22,62.00	..	22,62.00	..	22,62.00	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
नगर पालिकाएं/नगर परिषद- (क्रमशः)										
	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अन्तर्गत निष्पादन हेतु	रा.वि.आ.(सा.)	6,89.59	..	6,89.59	12,77.08	12,77.08	..
	प्रोत्साहन अनुदान	रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	1,79.00	..	1,79.00	3,38.01	3,38.01	..
	सीवरेज योजनाओं का रखरखाव	रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	1,35.36	..	1,35.36	2,62.87	2,62.87	..
	प्रधानमंत्री आवास योजना	सामान्य	4,40.07	..	4,40.07	..	4,40.85	..	4,40.85	..
		सामान्य	51.21	1,53.62	2,04.83	44,51.88	44,51.88	..
		अ.जा.उ.यो.	13.29	1,59.79	1,73.08	11,27.66	11,27.66	..
		ज.जा.उ.यो.	10.05	30.15	40.20	8,53.94	8,53.94	..
	अन्नपूर्णा योजना	सामान्य	2,18.97	..	2,18.97	14.99	14.99	..
		अ.जा.उ.यो.	56.84	..	56.84	3.89	3.89	..
		ज.जा.उ.यो.	42.97	..	42.97	2.94	2.94	..
	चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य निष्पादित अनुदान	सामान्य	1,58,56.61	..	1,58,56.61	..
	छोटे एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी आधारभूत विकास योजना	सामान्य	42,74.46	42,74.46	..
		अ.जा.उ.यो.	11,07.51	11,07.51	..
		ज.जा.उ.यो.	8,39.96	8,39.96	..
	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट	सामान्य	41,90.70	41,90.70	41,90.70
		अ.जा.उ.यो.	10,85.80	10,85.80	10,85.80
		ज.जा.उ.यो.	8,23.50	8,23.50	8,23.50

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2016-17		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		आयोजना भिन्न आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
नगर पालिकाएं/नगर परिषद-- (समाप्त)										
	जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय	सामान्य	3,96.59	..	3,96.59	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	6.19	..	6.19	..	13.47	..	13.47	..
	योग-नगर पालिकाएं/नगर परिषद		21,20,69.61	1,48,66.72	22,69,36.33	..	13,18,98.03	11,54,67.32	24,73,65.35	61,00.00
जिला परिषद										
	प्रधानमंत्री आवास योजना	सामान्य	7,17,51.21	8,42,90.94	15,60,42.15	3,38,35.87	3,38,35.87	..
		अ.जा.उ.यो.	3,25,98.30	3,87,13.65	7,13,11.95	1,49,33.81	1,49,33.81	..
		ज.जा.उ.यो.	6,63,97.19	7,80,67.39	14,44,64.58	3,12,78.39	3,12,78.39	..
	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	सामान्य	2,47,01.08	8,86,01.10	11,33,02.18	11,23,22.41	11,23,22.41	..
		अ.जा.उ.यो.	90,19.63	3,28,17.11	4,18,36.74	3,68,71.37	3,68,71.37	..
		ज.जा.उ.यो.	65,59.74	2,38,66.98	3,04,26.72	2,68,53.70	2,68,53.70	..
	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण	सामान्य	4,39,55.15	6,59,32.74	10,98,87.89	7,81,82.11	7,81,82.11	..
		अ.जा.उ.यो.	1,17,45.57	1,76,18.38	2,93,63.95	3,30,96.91	3,30,96.91	..
		ज.जा.उ.यो.	54,57.77	1,30,50.66	1,85,08.43	1,18,50.40	1,18,50.40	..
	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान	सामान्य	2,39,62.95	..	2,39,62.95	2,68,69.25	2,68,69.25	..
		अ.जा.उ.यो.	62,14.12	..	62,14.12	69,77.60	69,77.60	..
		ज.जा.उ.यो.	47,14.36	..	47,14.36	52,92.00	52,92.00	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		
(₹ लाख में)										
जिला परिषद – (क्रमशः)										
ग्रामीण बी.पी.एल.आवास	सामान्य	2,99,21.91	..	2,99,21.91	1,55,84.10	..	3,30,32.25	3,30,32.25	1,66,99.17	
	अ.जा.उ.यो.	90,85.44	..	90,85.44	47,31.35	..	85,58.63	85,58.63	43,26.75	
	ज.जा.उ.यो.	68,78.60	..	68,78.60	35,80.00	..	64,91.13	64,91.13	32,81.53	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटर शेड कम्पोनेट	सामान्य	35,21.20	1,79,82.00	2,15,03.20	2,48,01.67	2,48,01.67	..	
	अ.जा.उ.यो.	9,29.93	56,55.00	65,84.93	16,66.66	16,66.66	..	
	ज.जा.उ.यो.	6,82.23	..	6,82.23	67,56.67	67,56.67	..	
अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना के अन्तर्गत सहायता	सामान्य	1,49,49.99	..	1,49,49.99	1,29,98.44	1,29,98.44	..	
	अ.जा.उ.यो.	50,00.00	..	50,00.00	44,99.77	44,99.77	..	
	ज.जा.उ.यो.	28,49.98	..	28,49.98	25,00.00	25,00.00	..	
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन	सामान्य	66,68.58	1,00,02.87	1,66,71.45	76,81.07	76,81.07	..	
	अ.जा.उ.यो.	12,75.14	19,12.71	31,87.85	24,03.74	24,03.74	..	
	ज.जा.उ.यो.	8,17.72	12,26.58	20,44.30	15,76.41	15,76.41	..	
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	सामान्य	30,61.00	56,22.00	86,83.00	19,56.65	19,56.65	..	
	अ.जा.उ.यो.	17,75.38	32,83.20	50,58.58	11,68.25	11,68.25	..	
	ज.जा.उ.यो.	12,85.62	23,38.80	36,24.42	7,90.98	7,90.98	..	
राज्य वित्त आयोग की अनुशंका के अन्तर्गत सहायता	रा.वि.आ.(सा.)	94,90.44	..	94,90.44	89,83.20	89,83.20	..	
	रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	24,93.82	..	24,93.82	23,36.00	23,36.00	..	
	रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	18,70.38	..	18,70.38	18,04.40	18,04.40	..	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2016-17		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		आयोजना भिन्न	आयोजना		योग
(₹ लाख में)										
जिला परिषद्- (क्रमशः)										
	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	रा.वि.आ.(सा.) रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.) रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	19,28.34 11,18.43 8,09.90	28,92.50 16,77.65 12,14.85	48,20.84 27,96.08 20,24.75	0.06	0.06
	जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय	सामान्य	1,50,91.99	..	1,50,91.99	1,50,76.37	1,50,76.37	..
	स्थापना के लिए तदर्थ सहायता	सामान्य	45,38.01	..	45,38.01	..	40,63.42	..	40,63.42	..
	राष्ट्रीय तिलहन मिशन - तिलहन	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	7,02.12 4,68.98 1,52.00	10,53.18 7,03.47 2,28.01	17,55.30 11,72.45 3,80.01	29,43.15 5,88.96 4,95.31	29,43.15 5,88.96 4,95.31
	नागरिक सुरक्षा के लिए सहायता	अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	16,80.43 4,04.70	8,82.19 2,25.20	25,62.62 6,29.90	9,98.91 2,49.44	9,98.91 2,49.44
	परम्परागत कृषि विकास योजना	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	7,54.51 1,26.48 1,59.26	11,31.77 1,89.70 2,38.90	18,86.28 3,16.18 3,98.16	19,81.73 2,52.89 3,40.78	19,81.73 2,52.89 3,40.78
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन- कृषि विस्तार	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	7,25.26 2,57.26 1,29.70	9,61.39 3,41.02 1,71.92	16,86.65 5,98.28 3,01.62	11,04.51 3,95.12 3,37.47	11,04.51 3,95.12 3,37.47
	बी.पी.एल.परिवारों के लिए जनश्री बीमा योजना	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	5,75.79 1,06.93 1,39.83	8,35.00 4,35.00 4,80.00	14,10.79 5,41.93 6,19.83	7,03.99 3,66.51 4,02.59	7,03.99 3,66.51 4,02.59

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2016-17		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		आयोजना भिन्न	आयोजना		योग
(₹ लाख में)										
जिला परिषद्- (क्रमशः)										
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (मोटा अनाज)	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	7,38.19 1,80.97 58.42	11,07.29 2,71.45 87.62	18,45.48 4,52.42 1,46.04	17,13.73 4,19.33 2,06.47	17,13.73 4,19.33 2,06.47
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	स्थापना व्यय के लिए अनुदान	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	2,54.76 2,93.87 1,08.00	9,02.92 4,61.98 2,26.65	11,57.68 7,55.85 3,34.65	2,59.85 4,63.41 3,00.00	2,59.85 4,63.41 3,00.00
	अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि	अ.जा.उ.यो.	8,92.50	7,60.50	16,53.00	14,17.50	14,17.50	..
	देवनारायण गुरुकुल योजना	सामान्य	16,14.33	..	16,14.33	17,92.89	17,92.89	..
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	4,74.85 70.53 76.09	7,12.27 1,05.80 1,14.14	11,87.12 1,76.33 1,90.23	6,35.40 1,73.49 1,25.08	6,35.40 1,73.49 1,25.08
	सहयोग योजना के अन्तर्गत सहायता	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	7,36.85 4,10.20 2,78.75	7,36.85 4,10.20 2,78.75	6,67.25 3,49.15 1,87.70	6,67.25 3,49.15 1,87.70
	बंजर भूमि विकास जल प्रयोजन	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	9,26.57 2,53.73 2,17.67	9,26.57 2,53.73 2,17.67	20,05.69 2,91.45 3,26.74	20,05.69 2,91.45 3,26.74

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
जिला परिषद्- (क्रमशः)										
	समाज कल्याण संयुक्त सहायता के लिए अनुदान	सामान्य ज.जा.उ.यो.	12,32.57 1,36.78	12,32.57 1,36.78	2,07.65 29.90	2,07.65 29.90
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन- कृषि अभियांत्रिकी	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	4,22.67 39.58 68.48	6,34.01 59.37 1,02.72	10,56.68 98.95 1,71.20	8,80.14 85.47 1,23.98	8,80.14 85.47 1,23.98
	अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ स्टाफ	सामान्य	12,00.78	..	12,00.78	..	15,50.00	..	15,50.00	..
	सामाजिक कल्याण हेतु सामुहिक विवाह योजना	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	9,26.53 1,83.25 82.48	9,26.53 1,83.25 82.48	5,60.73 1,72.17 95.93	5,60.73 1,72.17 95.93
	शारीरिक तथा विमंदित क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता	सामान्य ज.जा.उ.यो.	8,99.93 2.00	8,99.93 2.00	4,99.85 2.15	4,99.85 2.15
	टिकाऊ खेती मिशन रेन फेड क्षेत्र विकास	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	2,30.28 46.57 59.54	3,45.41 69.87 89.31	5,75.69 1,16.44 1,48.85	5,13.35 59.08 52.56	5,13.35 59.08 52.56
	बालिकाओं के लिए देवनारायण स्कूटी वितरण तथा प्रोत्साहन राशि योजना	सामान्य	7,21.11	..	7,21.11	6,99.97	6,99.97	..
	संस्थापना व्यय के लिए अनुदान-मध्यम सिंचाई	सामान्य	3,83.38	..	3,83.38	..	4,10.00	..	4,10.00	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *			2017-18			2016-17		
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
(₹ लाख में)										
जिला परिषद्- (क्रमशः)										
कृषि प्रदर्शनी/मिनिकिट्स	सामान्य	2,36.48	..	2,36.48	2,99.39	2,99.39	..	
	अ.जा.उ.यो.	76.89	..	76.89	33.87	33.87	..	
	ज.जा.उ.यो.	31.17	..	31.17	17.49	17.49	..	
नवजीवन योजना	सामान्य	1,03.67	..	1,03.67	95.21	95.21	..	
	अ.जा.उ.यो.	1,80.97	..	1,80.97	1,28.44	1,28.44	..	
	ज.जा.उ.यो.	3.99	..	3.99	9.93	9.93	..	
अनुसूचित जन जाति छात्रावासों का संचालन	सामान्य	2,81.93	..	2,81.93	..	2,18.15	..	2,18.15	..	
अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन	सामान्य	2,66.78	..	2,66.78	..	2,50.95	..	2,50.95	..	
पी.आर.आई. के लिए उत्कृष्ट कार्य योजना से पुरस्कार	सामान्य	2,56.94	..	2,56.94	50.00	50.00	..	
कीट तथा बीमारियों का नष्टीकरण	सामान्य	1,42.19	..	1,42.19	1,39.84	1,39.84	..	
	अ.जा.उ.यो.	17.38	..	17.38	23.38	23.38	..	
	ज.जा.उ.यो.	11.33	..	11.33	9.08	9.08	..	
स्वयं सहायता संस्थाओं के माध्यम से वृद्धावस्था आश्रम की स्थापना तथा संचालन	सामान्य	1,61.49	..	1,61.49	1,46.65	1,46.65	..	
गाड़िया लुहारों के लिए एकीकृत परियोजना	सामान्य	1,50.00	..	1,50.00	1,42.80	1,42.80	..	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
जिला परिषद्- (क्रमशः)										
	समाज कल्याण के लिए अनुदान	सामान्य	74.76	..	74.76	80.82	80.82	..
		अ.जा.उ.यो.	13.01	..	13.01	20.60	20.60	..
		ज.जा.उ.यो.	13.86	..	13.86	13.47	13.47	..
	आई.डब्ल्यू.एम.पी. की जल आगम प्रबन्धन सुदृढ़ीकरण के परिणामों में सुधार	सामान्य	27.42	50.00	77.42	2,43.55	2,43.55	..
		अ.जा.उ.यो.	5.91	..	5.91
	इंदिरा आवास योजना	सामान्य	24,12.84	24,12.84	..
		अ.जा.उ.यो.	35,10.88	35,10.88	..
		ज.जा.उ.यो.	72,83.18	72,83.18	..
ग्रामीण विकास विभाग	नवाचार/नवीन योजनाएं	सामान्य	8,14.37	8,14.37	5,73.00
		अ.जा.उ.यो.	3,50.03	3,50.03	2,47.35
		ज.जा.उ.यो.	2,55.60	2,55.60	1,79.65
	राज्य बी.पी.एल. परिवारों के लिए आवास	सामान्य	5,90.45	5,90.45	5,90.45
		अ.जा.उ.यो.	1,64.15	1,64.15	1,64.15
		ज.जा.उ.यो.	2,95.40	2,95.40	2,95.40
	कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना	सामान्य	1,72.56	1,72.56	..
		अ.जा.उ.यो.	1,00.08	1,00.08	..
		ज.जा.उ.यो.	72.47	72.47	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2016-17		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		आयोजना भिन्न	आयोजना		योग
(₹ लाख में)										
जिला परिषद्- (समाप्त)										
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	4,08.63	21.68	4,30.31	..	1,60.10	2,82.35	4,42.45	..
		अ.जा.उ.यो.	6.87	2.60	9.47	7.60	7.60	..
		ज.जा.उ.यो.	21.38	3.82	25.20	22.43	22.43	..
	योग- जिला परिषद्		45,62,19.61	51,07,73.27	96,69,92.88	2,38,95.45	71,54.62	60,72,12.50	61,43,67.12	2,63,57.45
पंचायत समितियां										
	प्राथमिक विद्यालयों के लिए अनुदान	सामान्य	23,97,83.86	..	23,97,83.86	..	25,03,49.32	..	25,03,49.32	..
		ज.जा.उ.यो.	2,34,09.79	..	2,34,09.79	..	1,56,79.47	..	1,56,79.47	..
	संस्थापना के लिए तदर्थ सहायता	सामान्य	8,72,89.13	..	8,72,89.13	..	7,36,76.91	..	7,36,76.91	..
	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	रा.वि.आ.(सा.)	3,79,61.74	..	3,79,61.74	3,59,32.67	3,59,32.67	..
		रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	99,75.35	..	99,75.35	93,44.00	93,44.00	..
		रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	74,69.69	..	74,69.69	72,17.60	72,17.60	..
	हैंड पम्प श्रमिकों तथा फिटर्स के लिए तदर्थ सहायता	सामान्य	71,49.55	..	71,49.55	..	87,19.17	..	87,19.17	..
	सिंचाई निर्माण कार्यों का संस्थापन व्यय	सामान्य	11,97.13	..	11,97.13	..	10,23.42	..	10,23.42	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
पंचायत समितियां- (समाप्त)										
	विशिष्ट कार्यो हेतु इनामी योजना	सामान्य	50.49	..	50.49	1,26.00	1,26.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	20.00	..	20.00	..	20.69	..	20.69	..
	योग- पंचायत समितियां		41,43,06.73	..	41,43,06.73	..	34,94,68.98	5,26,20.27	40,20,89.25	..
ग्राम पंचायत										
	चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य बुनियादी अनुदान	सामान्य	23,54,92.00	..	23,54,92.00	..	20,38,17.00	..	20,38,17.00	..
	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	रा.वि.आ.(सा.)	14,23,59.90	..	14,23,59.90	13,47,48.00	13,47,48.00	..
		रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	3,74,07.56	..	3,74,07.56	3,50,40.02	3,50,40.02	..
		रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	2,80,52.10	..	2,80,52.10	2,70,65.98	2,70,65.98	..
	चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य निष्पादित अनुदान	सामान्य	3,02,55.00	..	3,02,55.00	..	2,67,35.00	..	2,67,35.00	..
	कर संग्रहण हेतु अनुदान	सामान्य	94.57	..	94.57	..	2,31.88	..	2,31.88	..
	विशिष्ट कार्यो हेतु इनामी योजना	सामान्य	66.57	..	66.57	1,98.00	1,98.00	..
पंचायती राज संस्थाएं	निर्बन्ध निधियां	सामान्य	20,81.94	20,81.94	..
		अ.जा.उ.यो.	5,35.36	5,35.36	..
		ज.जा.उ.यो.	3,56.90	3,56.90	..
	योग-ग्राम पंचायत		47,37,27.70	..	47,37,27.70	..	23,07,83.88	20,00,26.20	43,08,10.08	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		
(₹ लाख में)										
सांविधिक निगम										
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	अन्य सहायता	सामान्य	2,39,63.00	..	2,39,63.00
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि के पुनर्भुगतान के लिए अनुदान	सामान्य	2,09,99.31	..	2,09,99.31	..	1,84,32.77	..	1,84,32.77	..
जयपुर सिटी परिवहन सेवाएं लिमिटेड	शहरी विकास योजना - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	23,37.34 6,32.69 4,78.36	23,37.34 6,32.69 4,78.36	19,05.58 5,35.31 3,55.86	19,05.58 5,35.31 3,55.86
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	शहरी विकास योजना - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	8,02.90 6,06.40	8,02.90 6,06.40	2,37.51 1,74.60	2,37.51 1,74.60
जोधपुर सिटी परिवहन सेवाएं लिमिटेड	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	3,18.60 82.73 62.56	3,18.60 82.73 62.56	1,04.41 27.09 20.49	1,04.41 27.09 20.49
कोटा सिटी परिवहन सेवाएं लिमिटेड	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	2,63.77 68.47 51.76	2,63.77 68.47 51.76
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	सुधार सम्बद्ध योजना	सामान्य	40,00.00	40,00.00	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
सांविधिक निगम- (समाप्त)										
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	वी.जी.एफ. के लिए अनुदान	सामान्य	29,01.65	29,01.65	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	85.00	85.00	..
	योग- सांविधिक निगम		5,06,67.89	..	5,06,67.89	..	1,84,32.77	1,03,47.50	2,87,80.27	..
सरकारी कम्पनियाँ										
राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम	निःशुल्क दवा वितरण योजना	सामान्य	3,80,49.99	..	3,80,49.99	1,46,25.00	1,46,25.00	..
		अ.जा.उ.यो.	1,02,19.99	..	1,02,19.99	36,00.00	36,00.00	..
		ज.जा.उ.यो.	77,29.99	..	77,29.99	27,75.00	27,75.00	..
जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन के विरुद्ध अनुदान	सामान्य	31,46.43	..	31,46.43
जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	सामान्य	25,00.00	..	25,00.00	15,70.65	15,70.65	..
अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन के विरुद्ध अनुदान	सामान्य	11,46.46	..	11,46.46

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयो/ग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
सरकारी कम्पनियाँ – (समाप्त)										
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर	ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पावर विद्युतीकरण	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	5,94.50 1,57.36 1,22.39	5,94.50 1,57.36 1,22.39	4,49.72 1,19.60 88.90	4,49.72 1,19.60 88.90
जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन के विरुद्ध अनुदान	सामान्य	8,36.96	..	8,36.96
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम	राजस्थान स्टार्ट अप पॉलिसी	सामान्य	4,87.08	..	4,87.08
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास सहकारी निगम	अल्पसंख्यकों का कल्याण	सामान्य	1,65.00	..	1,65.00	..	1,60.00	10.00	1,70.00	..
राजस्थान लघु स्तरीय उद्योग निगम	औद्योगिक उत्पादकता	सामान्य	1,50.00	..	1,50.00	1,80.99	1,80.99	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य अ.जा.उ.यो.	1,54.96 18.00	1,54.96 18.00	45.00 ..	61.97 18.00	1,06.97 18.00
	योग – सरकारी कम्पनियाँ		6,54,79.11	..	6,54,79.11	..	2,05.00	2,34,99.83	2,37,04.83	..
गैर सरकारी संगठन										
सैनिक विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	40,25.00	..	40,25.00	33,00.00	1,55.00	17,78.59	19,33.59	17,78.59

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
गैर सरकारी संगठन – (समाप्त)										
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	7,00.00	..	7,00.00	7,00.00	..	2,45.00	2,45.00	2,45.00
अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	1,38.41	1,83.77	3,22.18	4,15.85	4,15.85	33.02
		अ.जा.उ.यो.	23.32	69.40	92.72	1,27.48	1,27.48	8.37
		ज.जा.उ.यो.	21.36	55.82	77.18	55.22	55.22	6.46
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	3,45.00	..	3,45.00	70.00	..	20.00	20.00	20.00
संस्कृत संस्थान	भाषा विकास के लिए अनुदान	सामान्य	1,95.85	..	1,95.85	..	40.00	1,44.93	1,84.93	40.00
माणिक्य लाल वर्मा टैक्सटाईल संस्था, भीलवाड़ा	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	1,25.00	..	1,25.00	25.00
महाविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	6,08.52	19.71	6,28.23	..
		ज.जा.उ.यो.	10.82	..	10.82	10.82	..	40.00	40.00	40.00
माध्यमिक विद्यालय	वेतन अनुदान	सामान्य	9,82.62	..	9,82.62	..
प्राथमिक विद्यालय	लड़कों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय	सामान्य	2,07.28	..	2,07.28	..
गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय	विशेष विद्यालय	सामान्य	1,00.53	..	1,00.53	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	1,35.00	..	1,35.00	1,35.00	..	1,85.00	1,85.00	1,85.00
योग-गैर सरकारी संगठन			57,19.76	3,08.99	60,28.75	42,40.82	20,93.95	30,31.78	51,25.73	23,56.44

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2016-17		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		आयोजना भिन्न	आयोजना		योग
(₹ लाख में)										
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं										
राजकीय माध्यमिक विद्यालय	मॉडल स्कूल	सामान्य	98,90.97	..	98,90.97	2,43,42.61	2,43,42.61	2,30,87.40
		अ.जा.उ.यो.	24,84.61	..	24,84.61	60,22.94	60,22.94	56,06.94
		ज.जा.उ.यो.	22,12.83	..	22,12.83	48,66.45	48,66.45	42,87.66
राजकीय माध्यमिक विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा अभियान	सामान्य	33,83.67	50,75.52	84,59.19	2,08,13.60	2,08,13.60	1,51,87.06
		अ.जा.उ.यो.	7,42.52	11,13.78	18,56.30	49,34.45	49,34.45	35,68.00
		ज.जा.उ.यो.	5,70.69	8,56.04	14,26.73	33,43.50	33,43.50	22,98.57
राजस्थान विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	95,00.00	..	95,00.00	..	69,00.00	..	69,00.00	..
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	91,50.00	..	91,50.00	..	87,00.00	..	87,00.00	..
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए अनुदान	सामान्य	90,70.00	..	90,70.00	90,70.00	..	92,40.00	92,40.00	92,20.00
राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसायटी	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-एलौपेथी	सामान्य	80,27.00	..	80,27.00	18.00
झालावाड़ अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सोसायटी	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-एलौपेथी	सामान्य	40,31.78	..	40,31.78	10,50.00	7,20.00	30,51.78	37,71.78	9,00.00
		अ.जा.उ.यो.	15,03.91	..	15,03.91	7,50.00	..	13,65.91	13,65.91	6,12.00
		ज.जा.उ.यो.	17,89.71	..	17,89.71	7,50.00	..	15,27.71	15,27.71	4,88.00
पशुपालन विश्वविद्यालय	अनुदान	सामान्य	38,78.33	..	38,78.33	37,62.96	37,62.96	2,24.00
		अ.जा.उ.यो.	19,17.21	..	19,17.21	4,10.11	..	11,27.76	11,27.76	31.51
		ज.जा.उ.यो.	14,35.15	..	14,35.15	89.91	..	13,22.87	13,22.87	2,47.00

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना/ सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2016-17		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		आयोजना भिन्न	आयोजना		योग
(₹ लाख में)										
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - (क्रमशः)										
महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	कृषि शिक्षा	सामान्य अ.जा.उ.यो.	68,61.81 2,00.00	68,61.81 2,00.00	2,20.00 2,00.00	58,80.00 ..	6,51.62 2,00.00	65,31.62 2,00.00	5,20.00 2,00.00
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	कृषि शिक्षा	सामान्य ज.जा.उ.यो.	60,93.00 7,36.76	60,93.00 7,36.76	11,04.76 3,97.76	35,50.00 ..	22,40.49 4,92.66	57,90.49 4,92.66	15,46.43 1,80.57
मदरसा विद्यालय	प्राथमिक शिक्षा	सामान्य	47,43.00	..	47,43.00	66,30.00	66,30.00	..
सुरखाड़िया विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	41,00.00	..	41,00.00	..	37,00.00	..	37,00.00	..
राजकीय माध्यमिक विद्यालय	व्यावसायिक शिक्षा	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	11,64.81 2,17.41 1,70.91	17,47.21 3,26.11 2,56.38	29,12.02 5,43.52 4,27.29	21,84.75 4,08.16 3,15.49	21,84.75 4,08.16 3,15.49
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	कृषि शिक्षा	सामान्य	35,35.29	..	35,35.29	1,94.12	26,00.00	6,63.86	32,63.86	3,13.90
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	शहरी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेद	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	14,61.61 3,70.57 2,46.85	2,08.86 83.53 63.24	16,70.47 4,54.10 3,10.09	7,16.47 2,62.10 1,77.09	1,22.00	10,07.80 1,52.00 1,62.95	11,29.80 1,52.00 1,62.95	4,62.80 .. 59.95
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	कृषि शिक्षा	सामान्य	23,24.88	..	23,24.88	8,94.40	2,59.09	15,90.99	18,50.08	6,37.50
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	कृषि शिक्षा	सामान्य	18,21.49	..	18,21.49	5,00.00	7,30.00	7,90.69	15,20.69	4,13.77

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2016-17		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		आयोजना भिन्न आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - (क्रमशः)										
राजकीय माध्यमिक विद्यालय	बालिका छात्रावास	सामान्य	4,25.02	6,37.52	10,62.54	70,52.97	70,52.97	61,61.67
		अ.जा.उ.यो.	1,06.06	1,59.09	2,65.15	12,12.64	12,12.64	10,46.24
		ज.जा.उ.यो.	79.67	1,19.52	1,99.19	9,21.22	9,21.22	7,90.43
राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थाएं	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	सामान्य	5,47.20	8,20.80	13,68.00	80,60.00	80,60.00	..
राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, बीकानेर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए अनुदान	सामान्य	3,30.01	4,95.01	8,25.02	19,81.11	19,81.11	..
		अ.जा.उ.यो.	2,12.80	3,19.20	5,32.00	15,00.00	15,00.00	..
संस्कृत विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	13,11.65	..	13,11.65	9,04.25	2,50.00	2,43.63	4,93.63	2,28.83
महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	कृषि अनुसंधान	सामान्य	5,55.66	..	5,55.66	5,07.95	5,07.95	..
		अ.जा.उ.यो.	1,16.02	..	1,16.02	1,01.08	1,01.08	..
		ज.जा.उ.यो.	2,38.91	..	2,38.91	2,27.54	2,27.54	..
सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा तथा आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर	शिक्षा एवं प्रशिक्षण	सामान्य	8,44.50	..	8,44.50	4,07.00	..	13,16.89	13,16.89	9,00.00
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	1,91.34	2,87.02	4,78.36	10,00.00	10,00.00	..
		अ.जा.उ.यो.	1,03.47	1,55.20	2,58.67	4,00.00	4,00.00	..
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	कृषि अनुसंधान	सामान्य	6,53.49	..	6,53.49	5,97.35	5,97.35	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना/ सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2016-17		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		आयोजना भिन्न आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - (क्रमशः)										
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	1,88.76	2,83.13	4,71.89	2,50.70	2,50.70	..
		अ.जा.उ.यो.	44.80	67.19	1,11.99	83.16	83.16	..
		ज.जा.उ.यो.	25.12	37.69	62.81	1,66.11	1,66.11	..
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	1,78.48	2,67.73	4,46.21	2,00.00	2,00.00	..
		अ.जा.उ.यो.	44.23	66.35	1,10.58	1,17.00	1,17.00	..
		ज.जा.उ.यो.	35.96	53.93	89.89	2,27.00	2,27.00	..
बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	6,38.50	..	6,38.50	5,25.00	..	72.86	72.86	..
महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	2,26.72	3,40.07	5,66.79	7,00.00	7,00.00	..
		अ.जा.उ.यो.	23.28	34.93	58.21
खुला विश्वविद्यालय कोटा	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	5,52.75	..	5,52.75	..	5,02.50	..	5,02.50	..
शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर	उच्च शिक्षा	सामान्य	4,88.00	..	4,88.00	3,28.00	..	47.82	47.82	..
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	कृषि अनुसंधान	सामान्य	3,15.26	..	3,15.26	45.56	..	3,43.68	3,43.68	1,00.00
राजकीय माध्यमिक विद्यालय	निःशक्तजन एकीकृत शिक्षा	सामान्य	1,19.99	1,79.97	2,99.96	1,87.14	1,87.14	..
गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय	अनुदान	ज.जा.उ.यो.	2,77.50	..	2,77.50	1,57.50	..	10.00	10.00	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - (क्रमशः)										
विश्व विद्यालय, अलवर	उच्च शिक्षा	सामान्य	2,68.73	..	2,68.73	1,60.62	..	1,06.00	1,06.00	..
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	कृषि अनुसंधान	सामान्य	1,84.14	..	1,84.14	2,33.70	2,33.70	..
विद्या भवन ग्रामीण महाविद्यालय, उदयपुर	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	1,70.44	..	1,70.44
कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर	पशु पालन के लिए अनुदान	सामान्य	1,06.31	..	1,06.31	97.15	97.15	..
		अ.जा.उ.यो.	28.27	..	28.27	25.22	25.22	..
		ज.जा.उ.यो.	21.00	..	21.00	19.07	19.07	..
महाविद्यालय	कृषि शिक्षा	सामान्य	1,43.89	..	1,43.89
साहित्य अकादमी	आधुनिक भारतीय भाषा तथा साहित्य का संवर्धन-भाषा विकास	सामान्य	1,37.18	..	1,37.18	..	53.28	12.14	65.42	..
राजस्थान ग्रन्थ अकादमी	भाषा विकास- भारतीय भाषा में साहित्य	सामान्य	1,31.50	..	1,31.50	..	1,47.50	4.00	1,51.50	..
विधि विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	1,30.50	..	1,30.50	1,30.50	..	2,00.00	2,00.00	2,00.00
कोटा विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	84.30	..	84.30	84.30	..	1,11.98	1,11.98	1,11.98
दंत महाविद्यालय तथा अस्पताल	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-एलोपैथी	सामान्य	5,05.20	1,98.00	7,03.20	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		
(₹ लाख में)										
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - (समाप्त)										
स्वामी केशवानन्द राजस्थान	राष्ट्रीय कृषि	सामान्य	3,00.00	3,00.00	..
कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	विकास योजना	अ.जा.उ.यो.	61.08	61.08	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	3,05.50	..	3,05.50	25.00	1,66.37	1,50.53	3,16.90	14.59
		ज.जा.उ.यो.	49.99	..	49.99	49.99	..	66.65	66.65	..
	योग-विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं		11,42,73.67	1,40,55.02	12,83,28.69	1,96,22.44	3,47,85.94	13,23,27.37	16,71,13.31	7,96,46.80
सहकारी संस्थाएं										
	सहकारी समितियों के अच्छे	सामान्य	2,06,15.00	..	2,06,15.00	2,44,89.00	2,44,89.00	..
	देनदारों को ब्याज अनुदान	अ.जा.उ.यो.	24,89.00	..	24,89.00	39,41.00	39,41.00	..
		ज.जा.उ.यो.	28,12.00	..	28,12.00	38,44.00	38,44.00	..
क्रेडिट सहकारी समितियां	ब्याज भुगतान के लिए सहायता	सामान्य	1,09,99.00	..	1,09,99.00	1,09,02.00	1,09,02.00	..
		अ.जा.उ.यो.	22,32.00	..	22,32.00	28,42.32	28,42.32	..
		ज.जा.उ.यो.	14,76.00	..	14,76.00	20,54.00	20,54.00	..
राजफैड	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	7,78.67	11,68.01	19,46.68	20,77.52	20,77.52	..
	हेतु अनुदान	अ.जा.उ.यो.	1,29.33	1,94.00	3,23.33	14,22.48	14,22.48	..
ग्राम सेवा सहकारी समितियां	अनुदान	सामान्य	10,00.00	..	10,00.00	10,00.00	..	10,00.00	10,00.00	10,00.00

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2016-17		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		आयोजना भिन्न	आयोजना		योग
(₹ लाख में)										
सहकारी संस्थाएं--(समाप्त)										
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक)	ब्याज के लिए सहायता	सामान्य	7,06.00	..	7,06.00	36,98.00	36,98.00	..
सहकारी संस्थाएं	एकीकृत सहकारी विकास	सामान्य	74.52	3,54.34	4,28.86	5,61.12	5,61.12	..
		ज.जा.उ.यो.	39.55	1,97.55	2,37.10	5,07.77	5,07.77	..
क्रय-विक्रय सहकारी समितियां	क्रय-विक्रय सहकारी समितियां	सामान्य	4,75.00	..	4,75.00	4,75.00
राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ	अनुदान	सामान्य	..	1,77.45	1,77.45
		सामान्य	1,51.30	..	1,51.30	..	1,57.00	40.20	1,97.20	..
		अ.जा.उ.यो.	2.78	..	2.78	3.02	3.02	..
		ज.जा.उ.यो.	2.08	..	2.08	2.09	2.09	..
		योग-सहकारी संस्थाएं	4,39,82.23	20,91.35	4,60,73.58	14,75.00	1,57.00	5,73,84.52	5,75,41.52	10,00.00
विकास प्राधिकरण										
राजस्थान अ.जा./ज.जा. विकास निगम	अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अनुदान	अ.जा.उ.यो.	7,50.00	..	7,50.00	5,00.00	5,00.00	..
राजस्थान वक्फ बोर्ड	अल्पसंख्यकों का कल्याण	सामान्य	1,74.87	..	1,74.87	1,71.87	6.00	2,16.64	2,22.64	2,16.64

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
विकास प्राधिकरण – (समाप्त)										
अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	अनुदान	ज.जा.उ.यो.	..	1,69.25	1,69.25
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	74.50	..	74.50	..	21.22	17.71	38.93	..
	योग-विकास प्राधिकरण		9,99.37	1,69.25	11,68.62	1,71.87	27.22	7,34.35	7,61.57	2,16.64
राज्य विधान सभा										
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	19.96	..	19.96	..	19.70	..	19.70	..
	योग-राज्य विधान सभा		19.96	..	19.96	..	19.70	..	19.70	..
बिक्री, व्यापार आदि पर कर										
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति- निवेश सहाय्य	सामान्य	3,69,76.54	..	3,69,76.54	5,83,82.09	5,83,82.09	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना/ सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
बिक्री, व्यापार आदि पर कर – (समाप्त)										
उद्योग विभाग	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति-ब्याज अनुदान	सामान्य	71,25.81	..	71,25.81	44,60.41	44,60.41	..
		अ.जा.उ.यो.	15,50.00	..	15,50.00	6,91.33	6,91.33	..
		ज.जा.उ.यो.	11,79.36	..	11,79.36	3,12.00	3,12.00	..
उद्योग विभाग	राजस्थान निवेश संवर्द्धन योजना-विशेष प्रोत्साहन पकेज	सामान्य	56,40.75	..	56,40.75	1,18,79.11	1,18,79.11	..
		अ.जा.उ.यो.	23,80.00	..	23,80.00
		ज.जा.उ.यो.	2,20.00	..	2,20.00
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति- रोजगार सर्जन सहाय्य	सामान्य	20,32.25	..	20,32.25	12,79.87	12,79.87	..
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति- निवेश सहाय्य (आर आई पी एस-2014)	सामान्य	19,98.64	..	19,98.64	16,95.15	16,95.15	..
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति-मजदूरी/ रोजगार अनुदान	सामान्य	4,83.17	..	4,83.17	17,21.56	17,21.56	..
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति- रोजगार सर्जन सहाय्य (आर आई पी एस-2014)	सामान्य	2,12.96	..	2,12.96	1,17.51	1,17.51	..
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति-ब्याज अनुदान	सामान्य	1,76.65	..	1,76.65	67,46.45	67,46.45	..
अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत वेट का पुनर्भरण	सामान्य	1,00.41	..	1,00.41	..	1,07.75	..	1,07.75	..	
योग-बिक्री, व्यापार आदि पर कर			6,00,76.54	..	6,00,76.54	..	1,07.75	8,72,85.48	8,73,93.23	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	आयोजना भिन्न आयोजना	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
(₹ लाख में)									
सचिवालय-सामान्य सेवाएं									
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	95.00	..	95.00
	योग-सचिवालय-सामान्य सेवाएं		95.00	..	95.00
पुलिस									
	पुलिस विभाग के कार्मिकों का विशेष अनुदान-पुलिस कर्मियों का कल्याण	सामान्य	2,88.17	..	2,88.17	..	3,39.03	..	3,39.03
	योग-पुलिस		2,88.17	..	2,88.17	..	3,39.03	..	3,39.03
जेल									
	अनुदान	सामान्य	46.31	..	46.31	..	1,92.52	..	1,92.52
	योग-जेल		46.31	..	46.31	..	1,92.52	..	1,92.52

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	66.33	..	66.33	..	31.56	23.32	54.88	..
	योग-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		66.33	..	66.33	..	31.56	23.32	54.88	..
विविध सामान्य सेवाएं										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	71.30	..	71.30	..	79.26	..	79.26	..
	योग-विविध सामान्य सेवाएं		71.30	..	71.30	..	79.26	..	79.26	..
शिक्षा										
	विद्यालयों में राष्ट्रीय मिड डे मिल कार्यक्रम	सामान्य	1,78,00.99	2,64,97.04	4,42,98.03	4,31,11.78	4,31,11.78	..
		अ.जा.उ.यो.	53,79.58	80,43.29	1,34,22.87	1,62,42.21	1,62,42.21	..
		ज.जा.उ.यो.	40,69.79	60,84.95	1,01,54.74	1,04,64.85	1,04,64.85	..
	सर्व शिक्षा अभियान	सामान्य	1,08,78.22	1,54,63.24	2,63,41.46	30,32,78.66	30,32,78.66	..
		अ.जा.उ.यो.	59,00.14	79,28.91	1,38,29.05	7,55,63.05	7,55,63.05	..
		ज.जा.उ.यो.	43,17.90	58,71.70	1,01,89.60	5,94,58.49	5,94,58.49	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
शिक्षा- (समाप्त)										
शिक्षा कर्मी बोर्ड	प्राथमिक शिक्षा	सामान्य	54,14.35	..	54,14.35	..	58,60.00	..	58,60.00	..
	माँ बाड़ी केन्द्र का संचालन	ज.जा.उ.यो.	45,14.00	..	45,14.00	40,00.00	40,00.00	..
	साक्षर भारत अभियान	सामान्य	6,91.89	10,37.84	17,29.73	1,76.71	1,76.71	..
		अ.जा.उ.यो.	1,06.83	1,60.24	2,67.07	51.00	51.00	..
		ज.जा.उ.यो.	1,99.68	2,99.52	4,99.20	27.28	27.28	..
	महाविद्यालय छात्रों को शिक्षा प्रोत्साहन (जनजाति कल्याण निधि)	ज.जा.उ.यो.	19,50.99	..	19,50.99	17,33.71	17,33.71	..
	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	अ.जा.उ.यो.	2,47.20	3,70.80	6,18.00	15,60.00	15,60.00	..
		ज.जा.उ.यो.	2,31.55	3,47.33	5,78.88	7,80.00	7,80.00	..
मदरसा बोर्ड	प्राथमिक शिक्षा	सामान्य	1,45.00	..	1,45.00	1,95.00	1,95.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	0.40	..	0.40	..	0.75	..	0.75	..
	योग-शिक्षा		6,18,48.51	7,21,04.86	13,39,53.37	..	58,60.75	51,66,42.74	52,25,03.49	..
तकनीकी शिक्षा										
	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	सामान्य	9,30.00	9,30.00	..
		अ.जा.उ.यो.	1,80.00	1,80.00	..
		ज.जा.उ.यो.	90.00	90.00	..
	योग-तकनीकी शिक्षा		12,00.00	12,00.00	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
खेल कूद तथा युवा सेवाएं										
राजस्थान खेल परिषद्	अनुदान	सामान्य	39,55.81	..	39,55.81	..	24,30.00	12,12.50	36,42.50	..
		अ.जा.उ.यो.	4,15.39	..	4,15.39	1,50.90	1,50.90	..
		ज.जा.उ.यो.	4,29.50	..	4,29.50	..	12.00	1,93.88	2,05.88	..
	शारीरिक शिक्षा-विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम	सामान्य	16,70.27	..	16,70.27	14,60.12	14,60.12	..
राजस्थान भारत स्काउट एवं गाइड	छात्रों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम	सामान्य	10,89.55	..	10,89.55	55.00	6,75.00	4,29.90	11,04.90	70.00
		अ.जा.उ.यो.	48.50	..	48.50	45.06	45.06	..
		ज.जा.उ.यो.	36.69	..	36.69	34.50	34.50	..
महाविद्यालय	राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्रा के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम	सामान्य	2,88.77	2,88.77	..
योग-खेल कूद तथा युवा सेवाएं			76,45.71	..	76,45.71	55.00	31,17.00	38,15.63	69,32.63	70.00
कला एवं संस्कृति										
आमेर विकास तथा प्रबंध प्राधिकरण	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	23,40.28	..	23,40.28	8,66.61	24,42.72	..	24,42.72	9,00.00
राजस्थान धरोहर संरक्षण तथा प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	6,92.93	..	6,92.93	6,13.95	..	7,70.63	7,70.63	6,33.49
		अ.जा.उ.यो.	1,84.72	..	1,84.72	1,84.72	..	2,36.15	2,36.15	2,36.15
		ज.जा.उ.यो.	6,40.10	..	6,40.10	6,40.10	..	1,35.32	1,35.32	1,35.32

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न आयोजना	योग	रूपरेखा से	योग
(₹ लाख में)												
कला एवं संस्कृति—(समाप्त)												
जवाहर कला केन्द्र	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	9,33.60	..	9,33.60	1,05.45	1,62.39	4,87.78	6,50.17	1,55.16	..	
स्वायत्तशाषी निकायों तथा स्वेच्छिक अभिकरण	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	3,32.00	..	3,32.00	1,99.94	1,99.94	
कथक केन्द्र	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	1,94.00	..	1,94.00	50.00	1,20.00	83.00	2,03.00	65.00	..	
भारत लोक कला मण्डल	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	1,76.00	..	1,76.00	6.00	1,21.00	20.00	1,41.00	8.00	..	
संगीत नाटक अकादमी	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	1,59.00	..	1,59.00	..	75.00	98.10	1,73.10	
ललित कला अकादमी	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	1,25.38	..	1,25.38	..	57.22	34.03	91.25	
रवीन्द्र मंच	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	1,06.00	..	1,06.00	..	1,26.76	3,75.00	5,01.76	3,75.00	..	
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	8.93	..	8.93	
		अ.जा.उ.यो.	11.98	39.07	51.05	
	योग—कला एवं संस्कृति		58,92.94	..	58,92.94	24,66.83	31,17.07	24,79.02	55,96.09	25,08.12	..	
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य												
	लोक स्वास्थ्य बीमा योजना	सामान्य	5,13,85.64	..	5,13,85.64	
		अ.जा.उ.यो.	1,39,69.19	..	1,39,69.19	
		ज.जा.उ.यो.	1,06,83.05	..	1,06,83.05	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2016-17		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		आयोजना भिन्न	आयोजना		योग	
(₹ लाख में)											
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य - (समाप्त)											
आयुर्वेद विभाग	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	सामान्य	17,78.45	26,67.67	44,46.12		
		अ.जा.उ.यो.	10,00.00	15,00.00	25,00.00		
		ज.जा.उ.यो.	7,20.00	10,80.00	18,00.00		
	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से निःशुल्क जांच योजना	सामान्य	17,76.22	..	17,76.22	24,12.00	24,12.00	..	
		अ.जा.उ.यो.	7,95.83	..	7,95.83	7,64.06	7,64.06	..	
		ज.जा.उ.यो.	6,95.75	..	6,95.75	6,87.28	6,87.28	..	
सामान्य अस्पताल	अनुदान	सामान्य	14,68.00	..	14,68.00	21,93.45	21,93.45	..	
		ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी- पी.पी.पी. मोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन	सामान्य	7,53.05	..	7,53.05	2,94.55	2,94.55	..
		अ.जा.उ.यो.	3,05.13	..	3,05.13	1,90.28	1,90.28	..	
	ज.जा.उ.यो.	2,93.02	..	2,93.02	1,79.81	1,79.81	..		
	राज्य कर्मचारी बीमा योजना-क्षतिपूर्ति (लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के कर्मचारियों सहित)	सामान्य	9,99.97	..	9,99.97	..	9,99.94	..	9,99.94	..	
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	25.00	..	25.00	19.16	19.16	..	
योग-चिकित्सा तथा स्वास्थ्य			8,66,48.30	52,47.67	9,18,95.97	..	9,99.94	67,40.59	77,40.53	..	
परिवार नियोजन											
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	सामान्य	5,79,62.83	6,99,24.38	12,78,87.21	1,81,65.52		
	अ.जा.उ.यो.	1,72,39.00	1,94,32.75	3,66,71.75	55,00.76		
	ज.जा.उ.यो.	1,29,86.42	1,48,16.37	2,78,02.79	41,70.42		

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	आयोजना भिन्न आयोजना	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
(₹ लाख में)									
परिवार नियोजन- (समाप्त)									
	राज्यवार आपातकालीन एम्बुलेन्स सेवा योजना- एन.आर.एच.एम.	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	27,91.72 8,38.39 6,39.22	12,00.41 3,99.21 3,04.38	39,92.13 12,37.60 9,43.60
	बी.पी.एल. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष- एन.आर.एच.एम.	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	10,89.00 5,23.00 3,88.00	10,89.00 5,23.00 3,88.00
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	40.00	40.00
	योग- परिवार नियोजन		9,44,57.58	10,60,77.50	20,05,35.08	2,78,36.70	..	40.00	40.00
जलपूर्ति तथा सफाई									
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	50.00	..	50.00
	योग- जलपूर्ति तथा सफाई		50.00	..	50.00

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सुजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सुजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
शहरी विकास										
	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	सामान्य	2,53,99.62	..	2,53,99.62	2,53,99.62	..	30,96.00	30,96.00	30,96.00
	कोटा स्मार्ट सिटी	सामान्य	..	1,03,00.00	1,03,00.00	1,45,60.00	1,45,60.00	..
	अजमेर स्मार्ट सिटी	सामान्य	..	1,02,00.00	1,02,00.00	1,47,20.00	1,47,20.00	..
	जयपुर स्मार्ट सिटी	सामान्य	2,14,00.00	2,14,00.00	..
	उदयपुर स्मार्ट सिटी	सामान्य	2,14,00.00	2,14,00.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	66.00	..	66.00	..	45.00	0.92	45.92	..
	योग-शहरी विकास		2,54,65.62	2,05,00.00	4,59,65.62	2,53,99.62	45.00	7,51,76.92	7,52,21.92	30,96.00
सामाजिक न्याय										
	अनुसूचित जाति उप-योजना हेतु अनुदान	सामान्य	..	59,39.60	59,39.60	12,05.79	12,05.79	..
	जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया विकास हेतु एकीकृत परियोजना	ज.जा.उ.यो.	24,57.89	..	24,57.89	18,00.00	18,00.00	..
	जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य के लिए सहायता	ज.जा.उ.यो.	17,32.97	..	17,32.97	17,65.49	17,65.49	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		
(₹ लाख में)										
सामाजिक न्याय- (क्रमशः)										
	कृषि विकास तथा उपकरण	ज.जा.उ.यो.	..	9,99.99	9,99.99	8,38.58	8,38.58	..
	पशुपालन परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	8,42.00	8,42.00	5,67.13	5,67.13	..
	जनजाति कल्याण निधि के अंतर्गत सहरिया विकास हेतु माँ बाँडी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	8,39.15	..	8,39.15	10,41.44	10,41.44	..
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत संचालित योजनाओं - सहरिया विकास की सी सी डी योजनाओं के अन्तर्गत माँ बाडी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	..	7,20.00	7,20.00	7,20.20	7,20.20	..
	विशेष योजना (टी. डब्ल्यू.एफ.) कार्यक्रम के अन्तर्गत माडा क्षेत्र विकास के लिए आश्रम छात्रावास का संचालन	ज.जा.उ.यो.	6,51.23	..	6,51.23	9,58.79	9,58.79	..
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनायें-परियोजना निर्माण	ज.जा.उ.यो.	..	6,33.01	6,33.01
	अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को पोधारोपण के लिए सहायता	ज.जा.उ.यो.	..	5,82.00	5,82.00
	स्व-रोजगार हेतु सहायता	ज.जा.उ.यो.	..	5,50.00	5,50.00

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
सामाजिक न्याय- (क्रमशः)										
	विभागीय योजनाओं का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन	ज.जा.उ.यो.	..	5,16.97	5,16.97	5,89.38	5,89.38	..
	विशेष योजना (टी.डब्ल्यू.एफ.) कार्यक्रम के अन्तर्गत माडा क्षेत्र विकास के लिए माँ-बाडी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	4,99.97	..	4,99.97	3,85.88	3,85.88	..
	माडा के अंतर्गत कृषि विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	3,01.68	3,01.68	1,61.42	1,61.42	..
	अनुप्रति योजना	सामान्य	29.17	..	29.17	29.85	29.85	..
		अ.जा.उ.यो.	1,09.75	..	1,09.75	1,50.00	1,50.00	..
		ज.जा.उ.यो.	1,48.85	..	1,48.85	1,49.88	1,49.88	..
	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में बागवानी विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	2,81.50	2,81.50
अम्बेडकर पीठ	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में अनुदान परियोजना	अ.जा.उ.यो.	2,51.20	..	2,51.20
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत संचालित -प्रशासनिक खर्च, प्रशिक्षण, देख-रेख तथा एम.आई.एस.	ज.जा.उ.यो.	..	2,00.00	2,00.00

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
सामाजिक न्याय- (क्रमशः)										
	अल्पसंख्यक लड़कों के छात्रावासों का संचालन	सामान्य	1,78.01	..	1,78.01	1,26.43	1,26.43	..
	विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत विखरी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र विकास के लिए आश्रम छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	1,72.79	..	1,72.79	3,28.42	3,28.42	..
	माडा तथा सहरिया क्षेत्रों के अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु कृषि विकास परियोजनाएं	ज.जा.उ.यो.	..	1,70.58	1,70.58
	माडा के अंतर्गत पशुपालन परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	1,41.00	1,41.00
	अनुसूचित जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति समुदाय को अनुशिक्षण	ज.जा.उ.यो.	1,19.41	..	1,19.41	70.79	70.79	..
	माडा तथा सहरिया क्षेत्रों के अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु पशुपालन परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	1,09.00	1,09.00
	कौशल विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	1,00.00	1,00.00
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत संचालित छात्रावास तथा आवासीय विद्यालय में खेल सुविधाओं का विकास	ज.जा.उ.यो.	..	1,00.00	1,00.00

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
सामाजिक न्याय- (समाप्त)										
	जन जाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया विकास हेतु महाविद्यालय स्तरीय छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	95.00	..	95.00	1,05.80	1,05.80	..
राजस्थान राज्य पिछड़ा आयोग	अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	सामान्य	93.76	..	93.76	..	1,57.52	..	1,57.52	..
	विशेष योजना (टी.डब्ल्यू.एफ.) कार्यक्रम के अन्तर्गत माडा क्षेत्र विकास के लिए आवासीय विद्यालय का संचालन	ज.जा.उ.यो.	1,16.10	1,16.10	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	2,83.55	..	2,83.55	..	1,60.50	1,04.52	2,65.02	..
		अ.जा.उ.यो.	67.62	..	67.62	..	64.49	13.33	77.82	..
		ज.जा.उ.यो.	5,67.94	1,12.31	6,80.25	8,12.20	8,12.20	..
	योग-सामाजिक न्याय		82,98.26	1,22,99.64	2,05,97.90	..	3,82.51	1,20,41.42	1,24,23.93	..
श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास										
भवन तथा अन्य निर्माण श्रम कल्याण मण्डल, राजस्थान	श्रम कल्याण	सामान्य	3,42,68.96	..	3,42,68.96	..	3,22,69.73	..	3,22,69.73	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास –(समाप्त)										
	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	सामान्य	..	70.85	70.85
		अ.जा.उ.यो.	..	0.56	0.56
		ज.जा.उ.यो.	..	6,39.30	6,39.30
राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय	प्रशिक्षण के लिए अनुदान	सामान्य	2,50.00	..	2,50.00
	शिल्पकार तथा पर्यवेक्षक प्रशिक्षण हेतु आई.टी.आई. मॉडल की स्थापना	सामान्य	22.07	51.51	73.58	73.58	..	1,76.42	1,76.42	1,39.62
	योग-श्रम तथा रोजगार		3,45,41.03	7,62.22	3,53,03.25	73.58	3,22,69.73	1,76.42	3,24,46.15	1,39.62
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण										
	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना	सामान्य	16,00.00	24,00.00	40,00.00	40,00.00	40,00.00	..
	मुख्यमंत्री सहायता कोष से सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना आदि के लिए सहायता	सामान्य	38,00.00	..	38,00.00	55,00.00	55,00.00	..
	राज्य कानून सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रभावितों तथा उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति	सामान्य	17,94.37	..	17,94.37	..	12,93.43	..	12,93.43	..
	मानसिक विमंदित पुर्नवास गृहों का संचालन	सामान्य	7,49.83	..	7,49.83	6,63.98	6,63.98	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – (समाप्त)										
राज्य सूचना आयोग	समाज कल्याण	सामान्य	3,43.50	..	3,43.50	..	3,07.00	..	3,07.00	..
	दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता	सामान्य	2,84.50	..	2,84.50	..	10.85	..	10.85	..
राज्य महिला आयोग	महिला कल्याण के लिए अनुदान	सामान्य	2,30.00	..	2,30.00	..	1,70.00	..	1,70.00	..
राज्य मानवाधिकार आयोग	समाज कल्याण	सामान्य	2,15.00	..	2,15.00	..	4,00.00	..	4,00.00	..
	कारगिल पैकेज के अन्तर्गत सहायता	सामान्य	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..
	कल्याण विस्तार योजनाएं	सामान्य	77.50	..	77.50	1,03.35	1,03.35	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	1,96.03	43.09	2,39.12	..	1,08.26	71.64	1,79.90	..
		अ.जा.उ.यो.	0.51	..	0.51	2.93	2.93	..
		ज.जा.उ.यो.	0.41	..	0.41	1.98	1.98	..
	योग-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		94,91.65	24,43.09	1,19,34.74	..	24,89.54	1,03,43.88	1,28,33.42	..
एकीकृत बाल विकास										
	सशर्त मातृत्व लाभ योजना	सामान्य	4,77.58	1,16.69	5,94.27
	एकीकृत बाल विकास योजना	सामान्य	1,65.24	2,22.04	3,87.28	3,88.29	3,88.29	..
	योग-एकीकृत बाल विकास		6,42.82	3,38.73	9,81.55	3,88.29	3,88.29	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
प्राकृतिक आपदाओं पर राहत										
	छोटे तथा मध्यम कृषकों के अतिरिक्त कृषि आवक अनुदान	सामान्य	7,32,82.90	..	7,32,82.90	..	7,34,84.38	..	7,34,84.38	..
	छोटे तथा मध्यम कृषकों के लिए कृषि फसल, बागवानी फसल तथा वार्षिक लीज फसल हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	4,11,36.82	..	4,11,36.82	..	10,20,21.41	..	10,20,21.41	..
	छोटे तथा मध्यम कृषकों को बाढ़ द्वारा फसल हानि हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	2,47,32.13	..	2,47,32.13
	पशु शिविर/गौशाला	सामान्य	1,31,83.55	..	1,31,83.55	..	1,27,82.49	..	1,27,82.49	..
	छोटे तथा मध्यम कृषकों के अतिरिक्त ओलावृष्टि द्वारा फसल हानि हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	50,87.65	..	50,87.65	..	34,04.89	..	34,04.89	..
	छोटे तथा मध्यम कृषकों को बाढ़ द्वारा फसल हानि हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	50,00.91	..	50,00.91
	छोटे तथा मध्यम कृषकों को ओलावृष्टि द्वारा फसल हानि हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	45,48.82	..	45,48.82	..	26,45.36	..	26,45.36	..
	बाढ़ से आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सहायता	सामान्य	15,54.34	..	15,54.34	..	2,46.58	..	2,46.58	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17				
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	आयोजना भिन्न आयोजना	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)		
(₹ लाख में)										
प्राकृतिक आपदाओं पर राहत – (समाप्त)										
	बाढ़ से पूर्ण क्षतिग्रस्त हुये कच्चे घरों के लिए सहायता	सामान्य	7,90.33	..	7,90.33	..	37.71	..	37.71	..
	अग्नि सहायता	सामान्य	7,41.53	..	7,41.53	..	7,65.23	..	7,65.23	..
	पशुओं की खरीद हेतु कृषकों को सहायता	सामान्य	5,28.49	..	5,28.49	..	12.08	..	12.08	..
	पशुओं की खरीद हेतु कृषकों को सहायता	सामान्य	4,67.28	..	4,67.28	..	0.04	..	0.04	..
	शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान	सामान्य	2,45.50	..	2,45.50	..	3,16.00	..	3,16.00	..
	पूर्ण क्षतिग्रस्त झोंपड़ी की मरम्मत हेतु सहायता	सामान्य	2,38.87	..	2,38.87	..	0.71	..	0.71	..
	गंभीर क्षतिग्रस्त झोंपड़ी की मरम्मत हेतु सहायता	सामान्य	1,75.97	..	1,75.97	..	4.25	..	4.25	..
	पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए पक्के घर	सामान्य	1,32.42	..	1,32.42	..	27.69	..	27.69	..
	वायुयान द्वारा आवश्यक सामग्री की पूर्ति	सामान्य	1,19.56	..	1,19.56
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	61.81	2.57	64.38	..	1,25.08	5.91	1,30.99	..
	योग-प्राकृतिक आपदाओं पर राहत		17,20,28.88	2.57	17,20,31.45	..	19,58,73.90	5.91	19,58,79.81	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग	रूपरेखा से)
(₹ लाख में)												
अन्य सामाजिक सेवाएं												
	वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना	सामान्य	23,32.85	..	23,32.85	
		अ.जा.उ.यो.	3,99.49	..	3,99.49	
		ज.जा.उ.यो.	1,76.66	..	1,76.66	
जनजातिय क्षेत्र के मंदिर	न्यासों द्वारा संचालित मंदिरों के पुनरुद्धार हेतु सहायता	सामान्य	4,84.27	..	4,84.27	4,84.27	..	10,00.00	10,00.00	10,00.00	10,00.00	
		ज.जा.उ.यो.	2,50.00	..	2,50.00	2,50.00	..	4,58.56	4,58.56	4,58.56	4,58.56	
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	1,14.24	..	1,14.24	..	34.09	..	34.09	
		अ.जा.उ.यो.	1.00	..	1.00	
	योग-अन्य सामाजिक सेवाएं		37,58.51	..	37,58.51	7,34.27	34.09	14,58.56	14,92.65	14,58.56	14,58.56	
फसल कृषि-कर्म												
	फसल बीमा	सामान्य	5,62,54.03	..	5,62,54.03	6,65,84.51	6,65,84.51	
		अ.जा.उ.यो.	1,36,67.09	..	1,36,67.09	2,27,22.23	2,27,22.23	
		ज.जा.उ.यो.	1,04,40.07	..	1,04,40.07	1,57,57.40	1,57,57.40	
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	38,69.03	58,03.53	96,72.56	1,47,25.15	1,47,25.15	
	कृषि विभाग के माध्यम से	अ.जा.उ.यो.	4,56.34	6,84.52	11,40.86	24,52.33	24,52.33	
		ज.जा.उ.यो.	6,03.65	9,05.48	15,09.13	20,28.44	20,28.44	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2016-17		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		आयोजना भिन्न	आयोजना		योग
(₹ लाख में)										
फसल कृषि-कर्म- (क्रमशः)										
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	सामान्य	22,89.05	34,33.59	57,22.64
		अ.जा.उ.यो.	2,64.33	3,96.50	6,60.83	52.22	52.22	..
		ज.जा.उ.यो.	1,21.80	1,82.69	3,04.49	34.54	34.54	..
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	8,33.22	12,49.84	20,83.06	12,06.09	12,06.09	..
	पशु पालन विभाग के माध्यम से	अ.जा.उ.यो.	1,80.47	2,70.70	4,51.17	3,15.90	3,15.90	..
		ज.जा.उ.यो.	3,06.72	4,60.08	7,66.80	6,18.85	6,18.85	..
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	8,77.19	13,15.79	21,92.98	24,18.97	24,18.97	..
	उद्यान विभाग के माध्यम से	अ.जा.उ.यो.	1,50.85	2,26.28	3,77.13	3,43.84	3,43.84	..
		ज.जा.उ.यो.	1,50.34	2,25.51	3,75.85	2,15.03	2,15.03	..
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	5,92.35	8,88.52	14,80.87	25,00.00	25,00.00	..
	डेयरी विभाग के माध्यम से	अ.जा.उ.यो.	3,12.99	4,69.49	7,82.48	10,00.00	10,00.00	..
	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑइलपाम	सामान्य	5,54.71	8,32.06	13,86.77	17,65.97	17,65.97	..
	मिशन-तिलहन	अ.जा.उ.यो.	1,42.90	2,14.35	3,57.25	3,48.37	3,48.37	..
		ज.जा.उ.यो.	91.94	1,37.91	2,29.85	3,02.85	3,02.85	..
	बूँद-बूँद सिंचाई राज्य योजना	सामान्य	12,53.18	..	12,53.18	18,29.54	18,29.54	..
		अ.जा.उ.यो.	88.18	..	88.18	83.18	83.18	..
		ज.जा.उ.यो.	1,19.00	..	1,19.00	1,42.96	1,42.96	..
मृदा संरक्षण तथा जल	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	अ.जा.उ.यो.	4,61.00	6,91.50	11,52.50	16,84.00	16,84.00	..
शेड विभाग		ज.जा.उ.यो.	4,22.74	6,34.11	10,56.85	12,83.00	12,83.00	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	आयोजना भिन्न आयोजना	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
(₹ लाख में)									
फसल कृषि-कर्म- (क्रमशः)									
	कृषि जल का सही उपभोग	सामान्य	6,77.24	..	6,77.24
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-बीज तथा बीजारोपण सामग्री	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	3,50.91 1,60.41 1,42.94	3,50.91 1,60.41 1,42.94
	नवाचार कार्यक्रम/मिनीकिट वितरण	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	2,61.29 1,14.01 65.77	2,61.29 1,14.01 65.77	2,37.46 1,66.17 83.20	2,37.46 1,66.17 83.20
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मत्स्य विभाग के माध्यम से	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	7.59 34.40 35.58	11.39 51.60 53.36	18.98 86.00 88.94	90.12 61.60 77.67	90.12 61.60 77.67
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	49.17 10.00 4.00	73.76 15.00 6.00	1,22.93 25.00 10.00	2,00.00 24.99 9.99	2,00.00 24.99 9.99
	मिशन-तिलहन अनुकूल पौधा	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	47.19 4.22 3.25	70.78 6.33 4.88	1,17.97 10.55 8.13	1,17.31 18.00 13.50	1,17.31 18.00 13.50
गोपालन विभाग	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.	32.84 16.01	49.26 24.01	82.10 40.02	85.01 8.36	85.01 8.36

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2016-17		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		आयोजना भिन्न	आयोजना		योग
(₹ लाख में)										
फसल कृषि-कर्म- (समाप्त)										
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	69.45	1,04.17	1,73.62	1,86.18	1,86.18	..
		अ.जा.उ.यो.	3.20	4.80	8.00	7.21	7.21	..
		ज.जा.उ.यो.	4.35	6.52	10.87	8.26	8.26	..
		योग-फसल कृषि कर्म	9,65,96.99	1,95,04.31	11,61,01.30	14,18,10.40	14,18,10.40	..
पशुपालन										
गौशाला	पशु तथा भैंस विकास	सामान्य	1,24,58.97	..	1,24,58.97	62,86.53	62,86.53	..
		अ.जा.उ.यो.	27,96.28	..	27,96.28	16,78.23	16,78.23	..
		ज.जा.उ.यो.	20,99.30	..	20,99.30	12,57.01	12,57.01	..
स्वयं सहायता समूह	पशु प्रजनन विकास योजना	सामान्य	3,91.78	..	3,91.78
		ज.जा.उ.यो.	3,06.41	..	3,06.41
	राष्ट्रीय गौजातीय उत्पादकता मिशन	सामान्य	4,63.90	1,50.00	6,13.90
	पशु तथा भैंस विकास	सामान्य	1,66.56	..	1,66.56	1,55.38	1,55.38	..
	मुर्गी फार्म का विकास	सामान्य	51.60	77.40	1,29.00
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	3.73	5.28	9.01	24.41	24.41	..
		योग-पशुपालन	1,87,38.53	2,32.68	1,89,71.21	94,01.56	94,01.56	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		
(₹ लाख में)										
मछली पालन										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	0.35	..	0.35	0.35	0.35	..
		ज.जा.उ.यो.	5.75	0.04	5.79	17.71	17.71	..
		योग-मछली पालन	6.10	0.04	6.14	18.06	18.06	..
वन										
	राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना फेज-II के लिए प्राप्त बाह्य सहायता	ई.ए.पी. (सा.)	69,66.52	..	69,66.52	12,46.33	..	1,21,84.63	1,21,84.63	68,86.16
		ई.ए.पी. (अ.जा.उ.यो.)	15,01.32	..	15,01.32	10,29.46	..	33,35.53	33,35.53	25,15.79
		ई.ए.पी. (ज.जा.उ.यो.)	14,55.84	..	14,55.84	4,59.24	..	25,22.59	25,22.59	18,08.81
राज्य वानिकी विकास प्राधिकरण	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	सामान्य	63.90	95.51	1,59.41	1,59.41
		अ.जा.उ.यो.	16.78	25.50	42.28	42.28
		ज.जा.उ.यो.	12.59	18.90	31.49	31.49
	बाघ परियोजना, रणथम्भौर	सामान्य	6,12.46	6,12.46	3,56.51
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	1,02.69	..	1,02.69	..	61.64	49.70	1,11.34	..
		योग-वन	1,01,19.64	1,39.91	1,02,59.55	29,68.21	61.64	1,87,04.91	1,87,66.55	1,15,67.27

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
इन्दिरा गांधी पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास संस्थान										
इन्दिरा गांधी पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास संस्थान	प्रशिक्षण के लिए अनुदान	सामान्य	85.00	..	85.00	..	1,59.64	..	1,59.64	..
योग- इन्दिरा गांधी पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास संस्थान			85.00	..	85.00	..	1,59.64	..	1,59.64	..
मुख्य सिंचाई										
राजस्थान नदी घाटी तथा जल संसाधन योजना प्राधिकरण	मुख्य सिंचाई	सामान्य	5,01.10	..	5,01.10	4,18.20	4,18.20	..
योग-मुख्य सिंचाई			5,01.10	..	5,01.10	4,18.20	4,18.20	..
मध्यम सिंचाई										
सिंचाई प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर	प्रशिक्षण	सामान्य	4,17.59	..	4,17.59	3,90.00	..	6,45.00	6,45.00	6,22.00
		अ.जा.उ.यो.	1,66.00	..	1,66.00	66.00	..	1,84.00	1,84.00	90.00
सिंचाई प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र	प्रशिक्षण	सामान्य	3,93.00	..	3,93.00	11.00	..	2,95.20	2,95.20	10.00
		अ.जा.उ.यो.	78.00	..	78.00	64.79	64.79	..
योग-मध्यम सिंचाई			10,54.59	..	10,54.59	4,67.00	..	11,88.99	11,88.99	7,22.00

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग			
(₹ लाख में)											
ग्राम एवं लघु उद्योग											
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	खादी ग्रामोद्योग के लिए अनुदान	सामान्य	35,83.79	..	35,83.79	..	20,80.00	4,31.40	25,11.40	..	
		अ.जा.उ.यो.	66.59	..	66.59	1,22.75	1,22.75	..	
		ज.जा.उ.यो.	30.37	..	30.37	83.85	83.85	..	
	एम.एस.एम.ई. पॉलिसी-2015	सामान्य	1,06.42	..	1,06.42	
		एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	39.97	0.28	40.25	32.00	32.00	..
			अ.जा.उ.यो.	13.43	..	13.43	12.47	12.47	..
		ज.जा.उ.यो.	2.99	..	2.99	1.42	1.42	..	
		योग-ग्राम एवं लघु उद्योग	38,43.56	0.28	38,43.84	..	20,80.00	6,83.89	27,63.89	..	
	उद्योग										
	एकीकृत प्रक्रिया विभाग योजना	सामान्य	13,11.00	..	13,11.00	
		अ.जा.उ.यो.	3,42.00	..	3,42.00	
		ज.जा.उ.यो.	2,47.00	..	2,47.00	
निवेश संवर्द्धन ब्यूरो	उद्योग उत्पादकता	सामान्य	7,00.00	..	7,00.00	6,87.80	6,87.80	..	
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	उद्योग शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	सामान्य	3,81.00	..	3,81.00	3,81.00	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
उद्योग – (समाप्त)										
ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण	उद्योग उत्पादकता	सामान्य	2,13.00	..	2,13.00	1,42.00	1,42.00	..
		अ.जा.उ.यो.	24.00	..	24.00	22.00	22.00	..
		ज.जा.उ.यो.	18.00	..	18.00	16.00	16.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	54.80	..	54.80	30.50	30.50	..
		योग-उद्योग	32,90.80	..	32,90.80	3,81.00	..	8,98.30	8,98.30	..
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग										
जिला कलेक्टर	खनन क्षेत्र में स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय सुधार से सम्बन्धित व्यय	सामान्य	29,90.50	..	29,90.50
	खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय सुधार	सामान्य	49,53.50	..	49,53.50	..
		योग- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	29,90.50	..	29,90.50	..	49,53.50	..	49,53.50	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
सड़क परिवहन										
	सड़क सुरक्षा निधि	सामान्य	36,19.23	..	36,19.23
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	सामान्य	30,90.70	..	30,90.70	20,59.00	20,59.00	..
		योग-सड़क परिवहन	67,09.93	..	67,09.93	20,59.00	20,59.00	..
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान										
	उद्यमिता का विकास	सामान्य	2,28.76	..	2,28.76	4.00	4.00	..
		अ.जा.उ.यो.	47.50	..	47.50	0.50	0.50	..
		ज.जा.उ.यो.	20.00	..	20.00	0.50	0.50	..
	अनुसंधान तथा विकास	सामान्य	1,70.25	..	1,70.25	59.51	59.51	..
		अ.जा.उ.यो.	3.92	..	3.92
		ज.जा.उ.यो.	3.02	..	3.02	5.01	5.01	..
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	1,15.55	..	1,15.55	1,01.85	1,01.85	..
		अ.जा.उ.यो.	9.00	..	9.00	9.00	9.00	..
		ज.जा.उ.यो.	18.74	..	18.74	7.00	7.00	..
		योग-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	6,16.74	..	6,16.74	1,87.37	1,87.37	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
परिस्थितिकी तथा पर्यावरण										
राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड	पर्यावरणीय आयोजना तथा समन्वय के लिए अनुदान राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	सामान्य	30.00	..	30.00	1,09.67	1,09.67	..
		सामान्य	24,73.65	24,73.65	24,73.65
योग-परिस्थितिकी तथा पर्यावरण			30.00	..	30.00	25,83.32	25,83.32	24,73.65
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं										
जिला आयोजना संगठन	राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना	सामान्य	1,00,50.00	..	1,00,50.00	1,33,00.00	1,33,00.00	..
	राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना	अ.जा.उ.यो.	40,00.00	..	40,00.00	53,20.00	53,20.00	..
		ज.जा.उ.यो.	59,50.00	..	59,50.00	79,80.00	79,80.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	58.75	..	58.75	..	58.75	..	58.75	..
योग-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			2,00,58.75	..	2,00,58.75	..	58.75	2,66,00.00	2,66,58.75	..

परिशिष्ट संख्या III – (समाप्त)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2017-18			2016-17			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आयोजना भिन्न	आयोजना	योग		
(₹ लाख में)										
पर्यटन	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	1,26.00	..	1,26.00	..	25.00	63.00	88.00	..
	योग-पर्यटन		1,26.00	..	1,26.00	..	25.00	63.00	88.00	..
नागरिक आपूर्ति	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना- अन्तर्दय परिवार	ज.जा.उ.यो.	3,25.26	..	3,25.26	1,96.95	1,96.95	..
	योग-नागरिक आपूर्ति		3,25.26	..	3,25.26	1,96.95	1,96.95	..
देवस्थान	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	7.16	..	7.16 *	..	2.73	..	2.73	..
	योग-देवस्थान		7.16	..	7.16	..	2.73	..	2.73	..
	कुल योग		2,70,91,97.38	78,93,12.67	3,49,85,10.05	10,97,87.79	1,11,81,03.84	2,17,11,15.31	3,28,92,19.15	13,82,12.54

* पंचायती राज संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान के अलावा जारी निधियां, जिसे विवरण संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन के अन्तर्गत अलग से दिखाया गया है।

परिशिष्ट संख्या IV – बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे

सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता @			प्राप्त राशि						राशि चुकाई गई		व्यय *	
		अनुदान	ऋण	योग	वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक
					अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग				
(₹ लाख में)														
विश्व बैंक	जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (परियोजना पूर्ण)	5,73,00.00	1,36,52.81	3,18,56.57	4,55,09.38	5,26.45	2,65,22.08	..	6,53,63.47
विश्व बैंक	राजस्थान उर्जा क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (परियोजना पूर्ण)	उ. न.	1,17.60	1,17.60	7.84	39.20
विश्व बैंक	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना योजना	9,70,00.00	1,73,28.65	4,07,26.34	5,80,54.99	9,34.12	2,70,30.65	..	8,34,25.06
विश्व बैंक	राजस्थान स्वास्थ्य विकास योजना	4,72,58.00	1,08,29.72	2,52,69.36	3,60,99.08	11,70.10	1,14,36.79	..	4,55,66.37
के.एफ.डब्ल्यू जर्मनी	ग्रामीण जल पूर्ति योजना फेज-I	4,29,65.00	97,20.57	2,21,89.53	3,19,10.10	7.80	2,21,63.67	..	3,97,10.29
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान वानिकी विकास योजना	4,42,14.00	43,30.80	1,00,45.20	1,43,76.00	3,71.41	60,85.46	99,23.68	8,29,17.18
जे.आई.सी.ए.	बीसलपुर जयपुर जलपूर्ति योजना	4,63,00.00	1,09,38.61	2,55,23.37	3,64,61.98	13,66.44	1,02,85.04	..	4,84,14.40
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान लघु सिंचाई विकास योजना	6,12,29.00	91,24.78	2,12,90.90	3,04,15.68	6,42.91	22,63.05	1,28.37	1,89,79.78
एशियन विकास बैंक	राजस्थान शहरी आधारभूत परियोजना	17,75,00.00	1,28.88	..	1,28.88	3,25,83.66	8,05,66.48	11,31,50.14	16,75.70	5,62,88.55	..	20,05,42.25
के.एफ.डब्ल्यू जर्मनी	आवासीय विद्यालय योजना	83,28.00	20,35.20	47,48.80	67,84.00	52.66	41,72.04	..	80,39.18
विश्व बैंक	लोक वित्त प्रबंधन तथा प्रोक्वोरमेंट इन राजस्थान(बैंक टू बैंक)	2,29.00	1,51.21	..	1,51.21	12,97.91	15,03.23
ई.सी.	क्षेत्रीय नीति सहयोग कार्यक्रम राज्य सहभागिता (बैंक टू बैंक)	4,50,00.00	4,18,83.32	..	4,18,83.32	46,10.91	2,56,20.07
विश्व बैंक	पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन (बैंक टू बैंक)	2,91,00.00	4.47	17,56.12	17,60.59	2,97.98	1,36,54.17	1,39,52.15	27,61.54	1,59,15.08
विश्व बैंक	राजस्थान पशुधन परियोजना	8,70,00.00	..	2,20,77.36	2,20,77.36	..	6,13,63.11	6,13,63.11	35,96.97	74,25.34	2,00,00.00	6,47,60.00

@ राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित। राज्य सरकार द्वारा अनुदान तथा ऋण की अलग-अलग राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

* व्यय लेखों पर आधारित हैं तथा इसमें राज्यांश भी सम्मिलित हैं। उ. न. उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट संख्या IV - (समाप्त)

सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						राशि चुकाई गई		व्यय	
		अनुदान	ऋण	योग	वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक
					अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग				
(₹ लाख में)														
आई.डी.ए	राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	8,32,50.00	..	43,90.07	43,90.07	..	68,07.74	68,07.74	42,32.78	42,32.78	1,17,76.13	1,94,61.17
ए.एफ.डी.	जोधपुर जलपूर्ति योजना का पुनर्गठन	7,35,45.00	..	47,32.76	47,32.76	..	2,45,59.83	2,45,59.83	13,52.65	13,52.65	91,05.28	3,45,68.95
ए.डी.बी.	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश परियोजना ट्रांच-I,II & III	17,62,00.00	..	55,99.18	55,99.18	..	11,26,70.04	11,26,70.04	33,12.92	1,12,85.45	2,94,47.01	15,66,09.06
जे.आई.सी.ए.	नागौर लिफ्ट केनाल पेय जलपूर्ति परियोजना फेज -II	29,38,00.00	90,83.99	90,83.99	4,70,01.49	9,86,24.66
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	35,29.32	35,29.32	1,95.85	5,93.02
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान वानिकी तथा बायो-डायवर्सिटी परियोजना फेज- II	11,52,53.00	..	1,17,39.17	1,17,39.17	..	7,35,65.47	7,35,65.47	97,93.42
ए.डी.बी.	जयपुर मेट्रो रेल लाईन फेज -I परियोजना-बी	11,26,00.00	..	1,13,69.87	1,13,69.87	..	3,75,05.06	3,75,05.06	1,14,33.40	4,33,34.47
विश्व बैंक	राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना	13,62,00.00	..	87,21.67	87,21.67	..	6,62,03.07	6,62,03.07	57,20.51	8,37,84.71
ए.डी.बी.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम	14,66,16.00	..	2,48,48.41	2,48,48.41	..	7,31,85.43	7,31,85.43	2,48,48.41	7,27,60.17
केएफडब्ल्यू	ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर इन्फ्रा ट्रांसमिशन सौलर परियोजना	10,18,30.00	..	93,07.96	93,07.96	..	1,05,32.40	1,05,32.40	93,07.96	1,05,32.40
विश्व बैंक	डिस्काम, राजस्थान को वित्तीय स्थिरता सुधार हेतु सहायता	16,78,53.81	16,78,53.81
विश्व बैंक	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास परियोजना	36,60,00.00	..	1,26,40.17	1,26,40.17	..	10,34,14.79	10,34,14.79	80,31.92	82,24.40
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान ग्रामीण जलपूर्ति एवं फ्लोराइड उन्मूलन परियोजना, नागौर	3,85,07.59	3,85,07.59	..	8,65,18.06	8,65,18.06
विश्व बैंक	सिटी बस सर्विस परियोजना	12.78	..	12.78	12.78	..	12.78
योग		2,34,87,17.00	1,46.13	15,56,90.33	15,58,36.46	15,28,90.09	1,11,27,80.44	1,26,56,70.53	1,94,46.60	19,11,75.77	19,53,94.52	1,23,84,49.77

परिशिष्ट संख्या V- आयोजनागत योजना व्यय

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)[@]

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोगना/ अनु० जाति उपयोगना	बजट प्रावधान 2017-18*			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी ^{\$}	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी ^{\$}	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
राष्ट्रीय भू-अभिलेख	राष्ट्रीय भू-अभिलेख	सामान्य	..	38,46.47	38,46.47	38,46.47	38,46.47	..	43,33.45
आधुनिकीकरण कार्यक्रम	आधुनिकीकरण कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	4,85.47
		अ.जा.उ.यो.	6,39.31
कृषि गणना	कृषि गणना योजना	सामान्य	1,71.99	0.49	1,72.48	..	1,71.99	0.49	1,72.48	..	1,05.49
	पुलिस आधुनिकीकरण के अन्तर्गत अपराध शाखा का आधुनिकीकरण	सामान्य	2,25.54	1,87.37	4,12.91	..	2,25.54	1,87.37	4,12.91	..	41.33
	फारेंसिक लेब का आधुनिकीकरण	सामान्य	1,61.50	1,06.25	2,67.75	..	1,61.50	1,06.25	2,67.75	..	3,85.88
	सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण	सामान्य	2,34.70	10,04.57	12,39.27	..	2,34.70	10,04.57	12,39.27
	पुलिस आवास भवन कार्यक्रम	सामान्य	..	77,83.03	77,83.03	77,97.00	77,97.00	..	59,98.42
		ज.जा.उ.यो.	..	26,09.38	26,09.38	26,17.88	26,17.88	..	17,46.12
		अ.जा.उ.यो.	..	30,83.93	30,83.93	30,96.01	30,96.01	..	19,35.00
	मदरसा विद्यालय	सामान्य	..	47,43.00	47,43.00	47,43.00	47,43.00	..	66,30.00
	अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां	अ.जा.उ.यो.	16,28.91	20,79.91	37,08.82	..	16,28.91	20,79.91	37,08.82	..	12,23.94
	अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां	ज.जा.उ.यो.	6,77.78	18,01.14	24,78.92	..	6,77.78	18,01.14	24,78.92	..	10,89.84

@ ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक प्रावधान अथवा व्यय की योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

* अंतिम आंश पर आधारित।

\$ भारत सरकार द्वारा योजनावार जारी राशियां केवल वही दर्शायी गई है जहां राज्य एवं केन्द्र योजना समान है यद्यपि, वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 1,58,42,26.62 लाख जारी किये गये। इस खण्ड के विवरण संख्या 14 में मुख्य शीर्ष 1601 उप मुख्य शीर्ष 06 के अन्तर्गत ब्यौरे दिये गये हैं।

इस परिशिष्ट में प्रयुक्त संक्षिप्त रूपों का पूर्ण विवरण इस प्रकार है :-

1. ज.जा.उ.यो. - जनजाति उप-योजना

2. अ.जा.उ.यो. - अनुसूचित जाति उप-योजना

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु0 जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18				वास्तविक 2016-17	
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		
(₹ लाख में)											
अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	सामान्य	6,02.75	19,73.16	25,75.91	..	6,02.75	19,73.16	25,75.91	..	17,86.68
	लड़कों के माध्यमिक विद्यालय का स्थापना व्यय	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. 7.90	28,89,95.41 2,13,00.44 3,38,97.83	28,89,95.41 2,13,00.44 3,39,05.73 6.40	28,89,29.40 2,12,99.27 3,38,92.32	28,89,29.40 2,12,99.27 3,38,98.72	22,30,71.32 1,69,05.02 2,75,19.81
	लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों का स्थापना व्यय	सामान्य ज.जा.उ.यो.	3,95,28.83 23,55.53	3,95,28.83 23,55.53	3,95,24.97 23,55.42	3,95,24.97 23,55.42	2,87,09.72 17,79.68
अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय	सामान्य प्रशिक्षण महाविद्यालय	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,10.82 8.37 9.31	1,45.26 5.91 6.65	3,56.08 14.28 15.96	2,12.89 8.36 9.25	1,43.18 5.92 6.71	3,56.07 14.28 15.96	3,51.15 13.17 20.88
अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय	महाविद्यालयों, अराजकीय महाविद्यालयों तथा संस्थानों में अध्यापक प्रशिक्षण	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,83.75 55.82 69.39	1,38.43 21.36 23.33	3,22.18 77.18 92.72	1,83.77 55.82 69.40	1,38.41 21.36 23.32	3,22.18 77.18 92.72	4,15.85 55.22 1,27.48
जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	21,41.51 3,94.72 5,46.03	12,04.90 1,64.86 3,92.50	33,46.41 5,59.58 9,38.53	21,41.51 3,94.71 5,46.03	12,04.75 1,64.85 3,92.49	33,46.26 5,59.56 9,38.52	32,85.90 5,70.81 8,89.77
	पॉलीटेक्निक भवन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,34.08 4.69 ..	2,05.01 3,25.96 1,14.76	3,39.09 3,30.65 1,14.76	1,36.80 4.69 ..	32.55 3,25.96 1,14.76	1,69.35 3,30.65 1,14.76	10,36.51 6,27.28 89.58
	संग्रहालय तथा स्मारक	सामान्य	..	24,35.57	24,35.57	24,35.57	24,35.57	..	13,03.98
	स्वीन्द्र संगमंच, जयपुर	सामान्य	3,75.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु0 जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यालय	सामान्य	..	3,96.14	3,96.14	3,96.14	3,96.14	..	5,25.15
	सामान्य अस्पताल	सामान्य	..	51,95.12	51,95.12	51,93.43	51,93.43	..	69,46.12
		ज.जा.उ.यो.	..	5,34.22	5,34.22	5,34.22	5,34.22	..	8,74.80
		अ.जा.उ.यो.	..	3,12.73	3,12.73	3,12.73	3,12.73	..	7,21.18
	आयुर्वेद फार्मसी	सामान्य	..	1,17.26	1,17.26	1,17.26	1,17.26	..	98.83
	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	सामान्य	2,08.86	11,82.61	13,91.47	..	2,08.86	11,82.61	13,91.47	..	10,07.80
		ज.जा.उ.यो.	63.24	2,46.85	3,10.09	..	63.24	2,46.85	3,10.09	..	1,62.95
		अ.जा.उ.यो.	83.53	3,70.57	4,54.10	..	83.53	3,70.57	4,54.10	..	1,52.00
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)	सामान्य	..	1,57.27	1,57.27	1,57.27	1,57.27	..	1,83.07
		ज.जा.उ.यो.	..	13.72	13.72	13.72	13.72	..	37.58
	औषधी नियंत्रण स्थापना	सामान्य	..	3,53.82	3,53.82	3,53.82	3,53.82	..	9,37.78
	जिला अस्पताल भवन का निर्माण	सामान्य	..	38,96.32	38,96.32	38,96.31	38,96.31	..	20,97.95
		अ.जा.उ.यो.	..	7,00.00	7,00.00	7,00.00	7,00.00
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में निर्माण कार्य	सामान्य	..	17,56.87	17,56.87	17,96.11	17,96.11
		ज.जा.उ.यो.	..	15,75.91	15,75.91	15,75.91	15,75.91
		अ.जा.उ.यो.	..	15,13.43	15,13.43	15,13.42	15,13.42
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण	क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	सामान्य	1,85.84	79.70	2,65.54	..	1,85.84	79.66	2,65.50	..	2,46.32
प्रशिक्षण केन्द्र	सहायक नर्स, मिडवाइफ, दाई तथा महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	सामान्य	12,23.70	7,73.92	19,97.62	..	12,23.72	7,73.36	19,97.08	..	17,80.27

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु0 जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
परिवहन	ग्रामीण उप केन्द्र	सामान्य	2,89,48.33	1,98,41.98	4,87,90.31	..	2,89,48.33	1,98,34.93	4,87,83.26	..	4,40,98.79
शहरी परिवार कल्याण	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	सामान्य	14,21.12	8,70.52	22,91.64	..	14,21.12	8,70.51	22,91.63	..	20,41.15
	जिला परिवार कल्याण ब्यूरो	सामान्य	22,42.66	15,83.05	38,25.71	..	22,42.66	15,83.02	38,25.68	..	34,41.91
परम्परागत गर्भ निरोधक	परम्परागत गर्भ निरोधक	सामान्य	7,97.61	..	7,97.61	..	7,97.61	..	7,97.61	..	11,39.91
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	सामान्य	7,25,92.05	5,97,41.28	13,23,33.33	..	7,25,92.05	5,97,41.28	13,23,33.33	..	10,11,06.37
		ज.जा.उ.यो.	1,58,96.37	1,37,06.42	2,96,02.79	..	1,58,96.37	1,37,06.42	2,96,02.79	..	2,16,38.88
		अ.जा.उ.यो.	2,09,32.75	1,82,39.00	3,91,71.75	..	2,09,32.75	1,82,39.00	3,91,71.75	..	2,77,02.10
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजना	सामान्य	44,79.12	3,30,15.69	3,74,94.81	..	44,79.12	3,29,49.40	3,74,28.52	..	3,18,20.39
ग्रामीण जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)	बीसलपुर दूधू जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)	सामान्य	11,36.61	7,55.39	18,92.00	..	11,36.61	7,55.39	18,92.00	..	23,07.75
		ज.जा.उ.यो.	2,81.28	1,69.24	4,50.52	..	2,81.28	1,69.24	4,50.52	..	54.64
		अ.जा.उ.यो.	3,53.92	69.88	4,23.80	..	3,53.92	69.88	4,23.80	..	9,54.44
ग्रामीण जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)	नर्मदा जलपूर्ति परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य	1.50	2,57.64	2,59.14	..	1.50	2,57.64	2,59.14	..	5,99.52
		ज.जा.उ.यो.	0.39	79.50	79.89	..	0.39	79.50	79.89	..	1,42.30
		अ.जा.उ.यो.	0.43	66.75	67.18	..	0.43	66.75	67.18	..	3,22.32
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	पोकरण फलसूंड जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	19,07.69	92,56.29	1,11,63.98	..	19,07.69	92,52.07	1,11,59.76	..	82,31.38
		ज.जा.उ.यो.	5,28.86	31,98.26	37,27.12	..	5,28.86	31,98.26	37,27.12	..	37,15.01
		अ.जा.उ.यो.	6,82.38	43,24.07	50,06.45	..	6,82.38	43,24.07	50,06.45	..	47,27.72
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	डीग जलपूर्ति योजना	सामान्य	14,00.00	12,88.14	26,88.14	..	14,00.00	12,88.14	26,88.14	..	12,36.00
		ज.जा.उ.यो.	..	2,53.14	2,53.14	2,53.14	2,53.14	..	46.87
		अ.जा.उ.यो.	..	3,33.75	3,33.75	3,33.75	3,33.75	..	2,95.86
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	न्यायिक आवास	सामान्य	2,24.37	1,68.23	3,92.60	..	2,24.37	1,68.23	3,92.60	..	2,60.90
		ज.जा.उ.यो.	1,41.37	94.26	2,35.63	..	1,41.37	94.27	2,35.64	..	64.05

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु0 जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18				वास्तविक 2016-17	
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		
(₹ लाख में)											
छोटे एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी आधारभूत विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)		सामान्य	42,74.46
		ज.जा.उ.यो.	8,39.96
		अ.जा.उ.यो.	11,07.51
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र		सामान्य	..	1,17.44	1,17.44	1,17.43	1,17.43	..	96.97
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)		सामान्य	71,66.49
		ज.जा.उ.यो.	14,06.38
		अ.जा.उ.यो.	18,60.22
अन्तर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन		अ.जा.उ.यो.	7,98.00	9,00.00	16,98.00	..	7,60.50	8,92.50	16,53.00	..	14,17.50
अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये नागरिक अधिकारों की रक्षा		ज.जा.उ.यो.	2,25.20	4,04.70	6,29.90	..	2,25.20	4,04.70	6,29.90	..	2,49.45
		अ.जा.उ.यो.	8,82.19	16,80.43	25,62.62	..	8,82.19	16,80.43	25,62.62	..	9,98.91
अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		सामान्य	59,85.65	..	59,85.65	..	59,85.65	..	59,85.65	..	12,43.93
लड़कियों के छात्रावास भवन का निर्माण		ज.जा.उ.यो.	23.40	..	23.40	..	23.40	..	23.40	..	59.98
		अ.जा.उ.यो.	5.19	85.38	90.57	..	5.19	85.38	90.57	..	80.86
लड़कों के छात्रावास भवन का निर्माण		सामान्य	..	11.98	11.98	12.45	12.45	..	7.26
		ज.जा.उ.यो.	..	2,18.18	2,18.18	2,18.18	2,18.18
		अ.जा.उ.यो.	67.99	9,95.16	10,63.15	..	41.98	10,21.17	10,63.15	..	78.92
महाविद्यालय स्तरीय लड़कों/लड़कियों के छात्रावास भवन का निर्माण		ज.जा.उ.यो.	5.81	..	5.81	..	5.81	..	5.81	..	6.30
		अ.जा.उ.यो.	57.19	2,89.74	3,46.93	..	7.29	3,39.64	3,46.93	..	2,13.44

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनुओ जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
	बन्धुआ श्रमिकों का पुनर्वास	सामान्य	18.40	2,78.10	2,96.50	..	18.40	2,78.10	2,96.50
	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना	सामान्य	..	10,11.16	10,11.16	10,11.15	10,11.15	..	6,50.83
		ज.जा.उ.यो.	..	85.00	85.00	84.99	84.99	..	11.76
		अ.जा.उ.यो.	..	1,36.47	1,36.47	1,36.46	1,36.46	..	18.29
	महिला विकास कार्यक्रम	सामान्य	..	1,87.45	1,87.45	1,87.44	1,87.44	..	1,66.95
	जन श्री बीमा योजना	सामान्य	8,35.00	5,75.79	14,10.79	..	8,35.00	5,75.79	14,10.79	..	7,03.99
		ज.जा.उ.यो.	4,80.00	1,39.83	6,19.83	..	4,80.00	1,39.83	6,19.83	..	4,02.60
		अ.जा.उ.यो.	4,35.00	1,06.93	5,41.93	..	4,35.00	1,06.93	5,41.93	..	3,66.50
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	सामान्य	1,22,74.08	..	1,22,74.08	..	1,21,65.21	..	1,21,65.21	..	1,16,12.64
		ज.जा.उ.यो.	69,26.96	..	69,26.96	..	68,87.01	..	68,87.01	..	54,02.62
		अ.जा.उ.यो.	48,41.37	..	48,41.37	..	48,02.48	..	48,02.48	..	42,53.62
पूरक पोषण	पोषाहार क्रेष कार्यक्रम	सामान्य	1,08,38.34	1,08,38.34	2,16,76.68	..	1,08,38.36	1,08,36.81	2,16,75.17	..	1,96,18.90
		ज.जा.उ.यो.	46,05.83	46,05.83	92,11.66	..	46,05.81	46,05.81	92,11.62	..	92,60.15
		अ.जा.उ.यो.	1,52,25.85	1,52,25.85	3,04,51.70	..	1,52,25.85	1,52,24.92	3,04,50.77	..	3,04,64.44
	खाद तथा उर्वरक	सामान्य	..	4,36.48	4,36.48	4,36.49	4,36.49	..	4,54.95
फसल बीमा	फसल बीमा	सामान्य	..	5,62,54.03	5,62,54.03	5,62,54.03	5,62,54.03	..	6,65,84.51
		ज.जा.उ.यो.	..	1,04,40.07	1,04,40.07	1,04,40.07	1,04,40.07	..	1,57,57.40
		अ.जा.उ.यो.	..	1,36,67.18	1,36,67.18	1,36,67.09	1,36,67.09	..	2,27,22.23
फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के अनुमान के लिए समयबद्ध सूचना योजना	फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के अनुमान के लिए समयबद्ध सूचना योजना	सामान्य	2,93.32	..	2,93.32	..	2,93.32	..	2,93.32	..	2,70.78

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18				वास्तविक 2016-17	
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		
(₹ लाख में)											
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	सामान्य	49,40.90	32,93.92	82,34.82	..	49,46.33	32,93.29	82,39.62	..	52,77.09
		ज.जा.उ.यो.	4,94.01	3,29.34	8,23.35	..	4,94.01	3,29.34	8,23.35	..	4,24.87
		अ.जा.उ.यो.	4,67.10	3,11.40	7,78.50	..	4,67.10	3,11.40	7,78.50	..	4,93.99
सूक्ष्म सिंचाई योजना	प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण	सामान्य	42,28.70	28,15.17	70,43.87	..	42,25.84	28,13.25	70,39.09	..	69,25.38
		ज.जा.उ.यो.	4,66.93	3,11.29	7,78.22	..	4,66.93	3,11.29	7,78.22	..	4,79.27
		अ.जा.उ.यो.	2,98.18	1,98.79	4,96.97	..	2,98.17	1,98.79	4,96.96	..	4,23.32
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	सामान्य	1,71,27.55	1,14,70.46	2,85,98.01	1,61,23.00	1,71,58.91	1,14,39.27	2,85,98.18	2,61,98.00	3,56,49.99
		ज.जा.उ.यो.	26,15.82	17,39.57	43,55.39	32,58.00	26,13.11	17,42.07	43,55.18	..	45,03.89
		अ.जा.उ.यो.	39,74.55	26,53.30	66,27.85	41,16.00	39,76.71	26,51.14	66,27.85	..	95,12.34
पशु बीमारी के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	पशु बीमारी नियंत्रण योजना	सामान्य	87.82	56.94	1,44.76	..	87.80	56.94	1,44.74	..	1,35.75
		अ.जा.उ.यो.	16.76	9.01	25.77	..	16.77	9.01	25.78	..	1,41.21
पशुधन उत्पाद के अनुमान के लिए नमूना सर्वेक्षण	पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण योजना	सामान्य	1,33.81	1,26.45	2,60.26	..	1,33.80	1,26.46	2,60.26	..	2,62.58
सघन डेयरी विकास कार्यक्रम	राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन को सहायता	सामान्य	1,77.45	..	1,77.45	..	1,77.45	..	1,77.45
		सामान्य	..	42.50	42.50	42.50	42.50	..	1,02.67
एकीकृत वन संरक्षण योजना	एकीकृत वन संरक्षण योजना	सामान्य	1,04.98	69.98	1,74.96	..	1,04.98	69.98	1,74.96	..	2,81.50
बाघ परियोजना	बाघ परियोजना, रणथम्भौर	सामान्य	3,16.82	2,59.07	5,75.89	..	3,16.83	2,59.08	5,75.91	..	9,55.38

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
बाघ परियोजना	बाघ परियोजना, सरिस्का	सामान्य	2,67.17	3,08.58	5,75.75	..	2,67.17	3,08.57	5,75.74	..	8,11.70
अन्य अभ्यारण्य का रख-रखाव	वन क्षेत्र का रख-रखाव	सामान्य	3,97.43	5,23.65	9,21.08	..	3,95.68	5,23.66	9,19.34	..	8,14.52
राष्ट्रीय मरु उद्यान का विकास	राष्ट्रीय मरु उद्यान का विकास	सामान्य	42.13	70.70	1,12.83	..	42.13	70.69	1,12.82	..	2,95.61
	चिड़ियाघर का सुधार	सामान्य	..	1,50.01	1,50.01	1,50.00	1,50.00	..	1,12.99
एकीकृत सहकारिता विकास	समग्र सहकारिता विकास परियोजना	सामान्य	14,86.93	7,39.94	22,26.87	..	14,86.93	7,39.94	22,26.87	..	28,47.18
	स्पिन फेड	ज.जा.उ.यो.	7,72.14	4,99.55	12,71.69	..	7,72.14	4,99.55	12,71.69	..	26,28.65
		सामान्य	..	16,46.44	16,46.44	16,46.44	16,46.44
इन्दिरा आवास योजना	इन्दिरा आवास योजना	सामान्य	24,12.84
		ज.जा.उ.यो.	72,83.18
		अ.जा.उ.यो.	35,10.88
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	सामान्य	8,86,01.10	2,47,08.15	11,33,09.25	15,38,63.32	8,86,01.10	2,47,07.62	11,33,08.72	16,46,62.71	11,23,31.29
		ज.जा.उ.यो.	2,38,66.98	65,59.74	3,04,26.72	..	2,38,66.98	65,59.74	3,04,26.72	..	2,68,53.70
		अ.जा.उ.यो.	3,28,17.11	90,19.63	4,18,36.74	..	3,28,17.11	90,19.63	4,18,36.74	..	3,68,71.37
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	सामान्य	9,02.92	8,52.15	17,55.07	..	9,02.92	8,52.15	17,55.07	..	8,04.57
		ज.जा.उ.यो.	2,26.65	1,08.00	3,34.65	..	2,26.65	1,08.00	3,34.65	..	3,00.00
		अ.जा.उ.यो.	4,61.98	2,93.87	7,55.85	..	4,61.98	2,93.87	7,55.85	..	4,63.41
राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम मिड-डे मील	राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम मिड-डे मील	सामान्य	2,70,93.47	1,78,00.99	4,48,94.46	2,67,23.68	2,70,93.42	1,78,00.99	4,48,94.41	2,95,48.00	4,35,99.73
		ज.जा.उ.यो.	61,22.91	40,69.79	1,01,92.70	61,94.83	61,22.91	40,69.79	1,01,92.70	68,49.53	1,05,84.32
		अ.जा.उ.यो.	81,11.45	53,79.58	1,34,91.03	81,88.54	81,11.45	53,79.58	1,34,91.03	90,53.93	1,63,89.99

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18				वास्तविक 2016-17	
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		
(₹ लाख में)											
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम		सामान्य	78,54.78	56,55.80	1,35,10.58	1,16,00.00	78,54.78	56,55.80	1,35,10.58	1,23,72.00	93,96.04
		ज.जा.उ.यो.	15,60.00	11,16.97	26,76.97	..	15,60.00	11,16.97	26,76.97	..	18,47.00
		अ.जा.उ.यो.	21,85.00	14,75.23	36,60.23	..	21,85.00	14,75.23	36,60.23	..	24,38.00
चम्बल दांयी मुख्य नहर		सामान्य	..	(-) 11,61.99	(-) 11,61.99(क)	23,57.01	23,57.01	..	14,41.55
		ज.जा.उ.यो.	..	1,48.17	1,48.17	1,48.14	1,48.14	..	71.18
		अ.जा.उ.यो.	..	65.75	65.75	65.75	65.75	..	54.06
नर्मदा परियोजना (ए.आई.बी.पी.)		सामान्य	5,25.00	1,49,03.37	1,54,28.37	..	5,24.65	1,48,92.73	1,54,17.38	..	78,05.00
		ज.जा.उ.यो.	1,25.00	10,36.45	11,61.45	..	1,25.00	10,34.65	11,59.65	..	24,32.70
		अ.जा.उ.यो.	1,51.00	15,68.53	17,19.53	..	1,51.00	15,68.53	17,19.53	..	23,03.83
गंग नहर		सामान्य	20,87.76	30,58.25	51,46.01	..	20,75.35	31,53.79	52,29.14	..	63,07.98
		अ.जा.उ.यो.	3,04.15	3,45.83	6,49.98	..	3,00.53	3,42.74	6,43.27	..	17,46.44
लधु सिंचाई गणना		सामान्य	98.76	..	98.76	..	98.76	..	98.76	..	1,64.84
सिंचाई प्रबन्ध और प्रशिक्षण केन्द्र		सामान्य	..	8,10.59	8,10.59	8,10.59	8,10.59	..	9,40.20
		अ.जा.उ.यो.	..	2,44.00	2,44.00	2,44.00	2,44.00	..	2,48.79
स्वीकार्य शोध तथा मृदा सर्वेक्षण	स्वीकार्य शोध तथा मृदा सर्वेक्षण-इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	सामान्य	..	20.44	20.44	20.42	20.42	..	22.28
		अ.जा.उ.यो.	..	1,33.51	1,33.51	1,33.50	1,33.50	..	1,18.72
चम्बल क्षेत्र का विकास		सामान्य	6,73.73	10,32.91	17,06.64	..	6,72.94	9,79.74	16,52.68	..	10,11.42
		ज.जा.उ.यो.	65.71	2,03.26	2,68.97	..	65.71	2,03.26	2,68.97	..	21.64
		अ.जा.उ.यो.	86.92	1,87.60	2,74.52	..	86.91	1,87.60	2,74.51
अमर सिंह जस्सना वितरिकाएं		सामान्य	24.37	1,56.94	1,81.31	..	24.37	1,57.46	1,81.83	..	58.29
		अ.जा.उ.यो.	5.62	67.66	73.28	..	5.62	66.41	72.03	..	0.17
सिद्धमुख नोहर परियोजना		सामान्य	24.36	1,54.44	1,78.80	..	24.36	1,65.37	1,89.73	..	1,55.00
		अ.जा.उ.यो.	5.61	15.49	21.10	..	5.61	14.60	20.21	..	52.00

(क) ऋण व्यय प्राप्तियों एवं वसूलियों के लिए बजट प्रावधान अंतिम अनुदान से अधिक होने के कारण है।

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु0 जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
	बीसलपुर क्षेत्र का विकास	सामान्य	..	1,14.25	1,14.25	1,63.24	1,63.24	..	5,05.41
		ज.जा.उ.यो.	..	1,14.54	1,14.54	1,14.54	1,14.54	..	27.26
		अ.जा.उ.यो.	..	1,46.84	1,46.84	1,46.84	1,46.84	..	37.86
	केन्द्रीय सड़क निधि	सामान्य	5,89,57.50	..	5,89,57.50	..	5,89,57.50	..	5,89,57.50	..	8,15,83.00
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	सामान्य	1,17.93	97.50	2,15.43	..	1,17.92	97.50	2,15.42	..	1,82.45
	राज्य स्तरीय विकास	सामान्य	60.45	68.97	1,29.42	..	60.44	68.97	1,29.41	..	1,16.18
	पर्यटन सूचना एवं प्रचार	सामान्य	..	82,59.62	82,59.62	82,59.62	82,59.62	..	50,19.24
		ज.जा.उ.यो.	..	18,41.36	18,41.36	18,41.06	18,41.06	..	12,20.40
		अ.जा.उ.यो.	..	19,33.56	19,33.56	19,33.56	19,33.56	..	18,73.62
	पर्यटन स्थलों का विकास	सामान्य	..	16,88.35	16,88.35	16,88.35	16,88.35	..	9,75.09
		ज.जा.उ.यो.	..	2,95.00	2,95.00	2,95.00	2,95.00	..	2,60.51
		अ.जा.उ.यो.	..	7,16.35	7,16.35	7,16.35	7,16.35	..	1,61.56
	ग्रामीण पर्यटन का विकास	सामान्य	..	3,37.34	3,37.34	3,37.34	3,37.34	..	10,61.63
		ज.जा.उ.यो.	..	11.60	11.60	11.60	11.60	..	41.68
		अ.जा.उ.यो.	..	43.46	43.46	43.46	43.46	..	1,74.00
	राज्य आयोग तथा जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम का आधुनिकीकरण	सामान्य	1,64.74	..	1,64.74	..	1,64.74	..	1,64.74	..	33.50
	पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण	सामान्य	7,41.53	3,90.16	11,31.69	..	7,53.08	3,96.21	11,49.29	..	9,78.07
तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	सामान्य	9,30.00
		ज.जा.उ.यो.	90.00
		अ.जा.उ.यो.	1,80.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु0 जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा		योग	भारत सरकार द्वारा जारी		व्यय	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा
			राज्य हिस्सा	राज्य हिस्सा		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी		
(₹ लाख में)											
चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	सामान्य	..	6,28.35	6,28.35	6,28.35	6,28.35	..	6,14.09	
	ज.जा.उ.यो.	..	9,40.96	9,40.96	9,40.95	9,40.95	..	9,04.69	
	अ.जा.उ.यो.	..	22,03.65	22,03.65	22,03.64	22,03.64	..	19,26.82	
चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर	सामान्य	..	17,80.40	17,80.40	17,80.39	17,80.39	..	16,95.64	
	ज.जा.उ.यो.	..	7,69.99	7,69.99	7,69.99	7,69.99	..	21,78.89	
	अ.जा.उ.यो.	..	21,67.19	21,67.19	21,67.19	21,67.19	..	19,86.93	
चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में निर्माण कार्य	सामान्य	1,60.00	18,92.48	20,52.48	..	1,80.80	18,93.30	20,74.10	..	12,04.12	
	ज.जा.उ.यो.	99.99	9,47.59	10,47.58	..	99.99	9,47.59	10,47.58	..	2,00.00	
	अ.जा.उ.यो.	..	6,48.81	6,48.81	6,48.81	6,48.81	..	2,00.00	
चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर में निर्माण कार्य	सामान्य	..	14,36.89	14,36.89	14,18.26	14,18.26	..	8,68.93	
	ज.जा.उ.यो.	..	2,26.80	2,26.80	2,36.52	2,36.52	
	अ.जा.उ.यो.	..	4,03.26	4,03.26	4,20.75	4,20.75	
चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर में निर्माण कार्य	सामान्य	..	3,53.27	3,53.27	3,52.72	3,52.72	
	ज.जा.उ.यो.	..	3,49.93	3,49.93	3,49.93	3,49.93	
	अ.जा.उ.यो.	..	6,48.12	6,48.12	6,48.12	6,48.12	
चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में निर्माण कार्य	सामान्य	..	7,05.77	7,05.77	7,01.36	7,01.36	
	ज.जा.उ.यो.	..	16,00.90	16,00.90	16,00.90	16,00.90	
	अ.जा.उ.यो.	..	3,45.43	3,45.43	3,45.43	3,45.43	
चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में निर्माण कार्य	सामान्य	..	11,29.09	11,29.09	11,27.74	11,27.74	..	4,94.31	
	ज.जा.उ.यो.	..	3,22.01	3,22.01	3,22.02	3,22.02	
	अ.जा.उ.यो.	..	8,71.76	8,71.76	8,71.75	8,71.75	
चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में अन्य व्यय	सामान्य	13,59.00	7,72.39	21,31.39	..	13,59.00	7,72.39	21,31.39	..	19.28	
चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर में अन्य व्यय	सामान्य	..	3,49.88	3,49.88	3,49.88	3,49.88	..	4,95.08	

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
	चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर में अन्य व्यय	सामान्य	..	24.55	24.55	24.55	24.55	..	2,18.27
	चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में अन्य व्यय	सामान्य	..	5,64.04	5,64.04	5,64.04	5,64.04	..	99.86
	चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में अन्य व्यय	सामान्य	..	1,39.13	1,39.13	1,39.13	1,39.13	..	3,78.30
	राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो स्थापना	सामान्य	4,64.97	2,13.21	6,78.18	..	4,64.97	2,13.21	6,78.18	..	5,54.59
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	बी.पी.एल. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष	सामान्य	..	10,89.00	10,89.00	10,89.00	10,89.00	..	13,41.75
		ज.जा.उ.यो.	..	3,88.00	3,88.00	3,88.00	3,88.00	..	3,88.50
		अ.जा.उ.यो.	..	5,23.00	5,23.00	5,23.00	5,23.00	..	5,19.75
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	चम्बल-भरतपुर जलपूर्ति परियोजना, भरतपुर (नाबार्ड)	सामान्य	6,95.09	6,22.89	13,17.98	..	6,95.09	6,22.89	13,17.98	..	3,65.95
		ज.जा.उ.यो.	84.45	1,95.26	2,79.71	..	84.45	1,95.26	2,79.71	..	59.87
		अ.जा.उ.यो.	1,09.95	3,00.26	4,10.21	..	1,08.36	3,00.26	4,08.62	..	98.30
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	जवाई-पाली-जालौर जलपूर्ति योजना (नाबार्ड) (राज्यांश)	सामान्य	10,00.01
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	इन्दोका-माणकलाव	सामान्य	1,91.07	..	1,91.07	..	1,91.07	..	1,91.07	..	9,72.14
	दौंतीवाड़ा जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)	ज.जा.उ.यो.	52.93	..	52.93	..	52.93	..	52.93	..	1,73.19
		अ.जा.उ.यो.	68.91	..	68.91	..	68.91	..	68.91	..	2,18.55
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	उम्मेद सागर जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)	सामान्य	10,00.00	1,35.36	11,35.36	..	10,00.00	1,35.36	11,35.36	..	28,02.01

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	कोलायत तहसील जलपूर्ति योजना	सामान्य अ.जा.उ.यो.	1,71.29	..	1,71.29	..	1,71.29	..	1,71.29	..	5,47.65
	देवनीया-शेरगढ़- छाबा जलपूर्ति योजना	सामान्य	19.48	..	19.48	..	19.48	..	19.48	..	13,43.84
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	तिंवरी-मथानिया-औसियां-बावड़ी-भोपालगढ़ जलपूर्ति योजना	सामान्य अ.जा.उ.यो.	1,12.99	1,93.80	3,06.79	..	1,12.99	1,93.80	3,06.79	..	53,74.05
			31.00	71.99	1,02.99	..	31.00	71.99	1,02.99	..	17,85.27
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	रेवा जलपूर्ति योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	2,24.86	2,24.86	2,24.86	2,24.86	..	4,39.11
			..	44.17	44.17	44.17	44.17	..	93.12
			..	59.78	59.78	59.78	59.78	..	1,22.75
	पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	3,05.30	34,23.86	37,29.16	..	3,05.30	34,23.86	37,29.16	..	58,81.55
			84.50	9,31.88	10,16.38	..	84.50	9,31.88	10,16.38	..	13,14.73
			1,10.20	11,84.24	12,94.44	..	1,10.20	11,84.24	12,94.44	..	16,03.74
	नर्मदा-गुडामालानी जलपूर्ति योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	15,70.38	15,70.38	15,70.38	15,70.38	..	9,78.95
			..	3,08.67	3,08.67	3,08.67	3,08.67	..	1,91.51
			..	4,06.99	4,06.99	4,06.99	4,06.99	..	2,53.66
	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुण नियंत्रण तथा संचालन कार्यक्रम	सामान्य	87.15	1,67.08	2,54.23	..	87.15	1,67.08	2,54.23	..	3,67.47
	जनजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान	ज.जा.उ.यो.	1,69.25	..	1,69.25	..	1,69.25	..	1,69.25
	समग्र महिला अधिकारिता कार्यक्रम	सामान्य	85.70	57.13	1,42.83	..	85.70	57.13	1,42.83	..	1,78.32
	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	28,96.34	..	28,96.34	..	28,80.53	..	28,80.53	..	21,73.00
			11,89.13	..	11,89.13	..	11,79.97	..	11,79.97	..	8,24.60
			13,02.75	..	13,02.75	..	12,95.80	..	12,95.80	..	9,63.83

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना	सामान्य	4,74.51	..	4,74.51	..	4,70.82	..	4,70.82	..	4,25.75
		ज.जा.उ.यो.	1,71.55	..	1,71.55	..	1,68.86	..	1,68.86	..	1,31.35
		अ.जा.उ.यो.	1,96.65	..	1,96.65	..	1,94.93	..	1,94.93	..	1,62.31
	बाल गृह भवन	सामान्य	89.82	3,00.22	3,90.04	..	89.82	2,71.22	3,61.04	..	3,50.56
	एकीकृत बाल विकास योजना-IV (आई.सी.डी.एस. IV) (विश्व बैंक सहायता)	सामान्य	37,05.63	6,06.34	43,11.97	..	37,05.64	6,05.78	43,11.42	..	8,07.89
ग्राम न्यायालय	ग्राम न्यायालय	सामान्य	..	10,02.51	10,02.51	10,03.23	10,03.23	..	8,96.98
		ज.जा.उ.यो.	..	2,71.36	2,71.36	2,71.29	2,71.29	..	2,52.80
		अ.जा.उ.यो.	..	1,82.64	1,82.64	1,82.57	1,82.57	..	1,35.89
सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षा गारन्टी योजना	सामान्य	22,23,86.77	14,54,58.49	36,78,45.26	12,86,17.84	22,23,86.86	14,54,37.87	36,78,24.73	11,12,52.98	30,32,78.66
		ज.जा.उ.यो.	4,19,97.99	2,54,33.89	6,74,31.88	3,04,21.71	4,19,97.99	2,54,29.52	6,74,27.51	2,48,00.65	5,94,58.49
		अ.जा.उ.यो.	5,90,66.58	3,70,15.79	9,60,82.37	3,99,33.45	5,90,66.58	3,70,09.37	9,60,75.95	4,65,24.85	7,55,63.05
अल्पसंख्यक छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	अल्पसंख्यक छात्रों /छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	सामान्य	1,78.58
	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	सामान्य	3,28,46.94	2,08,96.80	5,37,43.74	..	3,28,46.95	2,08,89.75	5,37,36.70	..	4,28,85.52
		ज.जा.उ.यो.	57,68.43	31,75.89	89,44.32	..	57,69.12	31,73.81	89,42.93	..	74,55.47
		अ.जा.उ.यो.	75,79.11	44,64.96	1,20,44.07	..	75,79.68	44,63.26	1,20,42.94	..	1,06,21.98
	बालिका छात्रावास- सामान्य व्यय	सामान्य	6,37.52	4,25.02	10,62.54	..	6,37.52	4,25.02	10,62.54	..	70,52.97
		ज.जा.उ.यो.	1,19.52	79.68	1,99.20	..	1,19.52	79.68	1,99.20	..	9,21.22
		अ.जा.उ.यो.	1,59.09	1,06.06	2,65.15	..	1,59.09	1,06.06	2,65.15	..	12,12.64
	मॉडल स्कूल- सामान्य व्यय	सामान्य	..	98,90.97	98,90.97	98,90.97	98,90.97	..	2,43,42.61
		ज.जा.उ.यो.	..	22,12.83	22,12.83	22,12.83	22,12.83	..	48,66.45
		अ.जा.उ.यो.	..	24,84.61	24,84.61	24,84.61	24,84.61	..	60,22.94

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18				वास्तविक 2016-17	
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		
(₹ लाख में)											
साक्षर भारत अभियान	साक्षर भारत अभियान	सामान्य	10,37.84	6,91.89	17,29.73	..	10,37.84	6,91.89	17,29.73	..	1,76.71
		ज.जा.उ.यो.	2,99.52	1,99.68	4,99.20	..	2,99.52	1,99.68	4,99.20	..	27.28
		अ.जा.उ.यो.	1,60.24	1,06.83	2,67.07	..	1,60.24	1,06.83	2,67.07	..	51.00
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	राज्यव्यापी आपातकालीन एम्बुलेन्स सेवाएं	सामान्य	12,00.41	27,91.72	39,92.13	..	12,00.41	27,91.72	39,92.13	..	16,86.01
		ज.जा.उ.यो.	3,04.38	6,39.22	9,43.60	..	3,04.38	6,39.22	9,43.60	..	3,13.11
		अ.जा.उ.यो.	3,99.21	8,35.39	12,34.60	..	3,99.21	8,38.39	12,37.60	..	4,09.46
	जयपुर मेट्रो रेल परियोजना	सामान्य	26,96.46
	विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में वानिकी	ज.जा.उ.यो.	5,82.00	..	5,82.00	..	5,82.00	..	5,82.00
	विश्व बैंक सहायता अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना	सामान्य	39.48	1,75.53	2,15.01	..	39.49	1,75.55	2,15.04	..	2,75.04
सशर्त मातृत्व लाभ योजना	सशर्त मातृत्व लाभ योजना	सामान्य	1,16.57	4,77.71	5,94.28	..	1,16.69	4,77.58	5,94.27	..	24,20.29
	अभिवृद्धि सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखा क्षेत्र में लघु सिंचाई निर्माण कार्य (ए आई बी पी)	सामान्य	..	1,65.82	1,65.82	1,85.81	1,85.81	..	6,94.95
		ज.जा.उ.यो.	..	2,59.99	2,59.99	2,59.99	2,59.99	..	2,62.16
		अ.जा.उ.यो.	..	12.05	12.05	13.24	13.24	..	1,80.15
राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	सामान्य	24,73.65
	आई.सी.डी.एस. कार्यालय भवन	सामान्य	..	1,23.66	1,23.66	1,23.66	1,23.66	..	1,77.87

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु0 जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
	राजस्थान उच्च न्यायालय भवन	ज.जा.उ.यो.	1,30.41	3,87.52	5,17.93	..	1,32.44	3,93.56	5,26.00	..	6,27.77
	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवार के बच्चों को प्री मेट्रीक छत्रवृत्ति	अ.जा.उ.यो.	..	4,88.47	4,88.47	4,88.47	4,88.47	..	6,39.27
	निःशक्तों के लिए समावेशी शिक्षा	सामान्य	5,33.89	3,45.91	8,79.80	..	5,33.89	3,45.91	8,79.80	..	6,38.84
	बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलपूर्ति परियोजना फेज -II	सामान्य	2,57.14	5.32	2,62.46	..	2,56.95	..	2,56.95	..	8,53.80
		ज.जा.उ.यो.	64.52	..	64.52	..	64.52	..	64.52	..	84.47
		अ.जा.उ.यो.	86.21	..	86.21	..	86.20	..	86.20	..	1,26.20
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	अनुसूचित जाति क्षेत्र में ग्रामीण जलपूर्ति	अ.जा.उ.यो.	11,99.63	74,21.54	86,21.17	..	11,99.63	74,05.86	86,05.49	..	27,85.42
	टाडा क्षेत्र में ग्रामीण जलपूर्ति	ज.जा.उ.यो.	10,06.93	56,27.58	66,34.51	..	10,06.91	56,10.07	66,16.98	..	16,81.43
समेकित बाल संरक्षण योजना	समेकित बाल संरक्षण योजना	सामान्य	24,00.00	16,00.00	40,00.00	47,52.30	24,00.00	16,00.00	40,00.00	..	40,00.00
	समेकित बाल विकास सेवाएं	सामान्य	2,59,40.60	3,50,70.04	6,10,10.64	..	2,59,95.50	3,50,10.57	6,10,06.07	..	5,95,45.28
		ज.जा.उ.यो.	36,53.58	61,60.00	98,13.58	..	36,52.90	61,59.63	98,12.53	..	96,26.63
	सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण (वायरलेस)	सामान्य	1,27.85	1,30.31	2,58.16	..	1,27.85	1,30.31	2,58.16	..	2,39.36
	घाना पक्षी अभयारण्य का विकास	सामान्य	38.68	77.70	1,16.38	..	38.68	77.70	1,16.38	..	81.67
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	सामान्य	45,00.00	25,00.00	70,00.00	..	45,00.00	25,00.00	70,00.00	..	12,33.90
		ज.जा.उ.यो.	18,90.00	10,50.00	29,40.00	..	18,90.00	10,50.00	29,40.00	..	5,17.39
		अ.जा.उ.यो.	26,10.00	14,50.00	40,60.00	..	26,10.00	14,50.00	40,60.00	..	7,21.88

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
	सीमावर्ती सड़कें	सामान्य	41,40.00	..	41,40.00	..	24,70.00	..	24,70.00	..	47,00.00
	भारतीय सशक्तिकरण सांख्यिकी परियोजना	सामान्य	1,17.15
राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)	राष्ट्रीय सेवा योजना- महाविद्यालय	सामान्य	2,88.77
	चम्बल बांयी मुख्य नहर	सामान्य	..	15,81.44	15,81.44	15,80.54	15,80.54	..	3,29.12
		ज.जा.उ.यो.	..	1.61	1.61	1.16	1.16	..	38.08
		अ.जा.उ.यो.	..	15.68	15.68	15.68	15.68	..	17.20
	चम्बल क्षेत्र का विकास- निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	..	3,89.38	3,89.38	3,89.37	3,89.37
	केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें	सामान्य	5,48,04.11	..	5,48,04.11	..	5,48,04.11	..	5,48,04.11	..	4,85,79.80
		ज.जा.उ.यो.	76,53.37	..	76,53.37	..	76,53.37	..	76,53.37	..	91,43.71
		अ.जा.उ.यो.	1,44,00.00	..	1,44,00.00	..	1,44,00.00	..	1,44,00.00	..	1,25,46.14
	केन्द्रीय सड़क निधि से अंतरण	सामान्य	(-) 5,48,16.00	..	(-) 5,48,16.00	..	(-) 5,48,04.11	..	(-) 5,48,04.11	..	(-) 4,85,79.80
		ज.जा.उ.यो.	(-) 1,07,84.00	..	(-) 1,07,84.00	..	(-) 76,53.37	..	(-) 76,53.37	..	(-) 91,43.71
		अ.जा.उ.यो.	(-) 1,44,00.00	..	(-) 1,44,00.00	..	(-) 1,44,00.00	..	(-) 1,44,00.00	..	(-) 1,25,46.14
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	संचालन तथा रखरखाव	सामान्य	40,27.94	1,00,21.03	1,40,48.97	..	40,27.94	1,00,21.03	1,40,48.97	..	1,50,41.86
		ज.जा.उ.यो.	7,73.19	22,77.71	30,50.90	..	7,73.19	22,77.71	30,50.90	..	32,50.90
	यू.आई.डी. परियोजना	सामान्य	8,38.00	1,03.31	9,41.31	..	8,38.01	1,03.31	9,41.32	..	20,75.89
	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	सामान्य	70.85	..	70.85	..	70.85	..	70.85
		ज.जा.उ.यो.	6,39.29	..	6,39.29	..	6,39.29	..	6,39.29
		अ.जा.उ.यो.	0.57	..	0.57	..	0.57	..	0.57
	सूचना एवं संचार तकनीकी	सामान्य	10,17.96	18,36.34	28,54.30	..	10,17.96	18,36.34	28,54.30	..	90,03.15
		ज.जा.उ.यो.	1,33.00	4,34.65	5,67.65	..	1,33.00	4,34.65	5,67.65	..	4,07.58
		अ.जा.उ.यो.	1,73.00	5,68.35	7,41.35	..	1,73.00	5,68.35	7,41.35	..	15,46.67

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
एम.आई. अभिनव योजना (आर.आर.आर.) (ए.आई.बी.पी.)	सामान्य		4,25.60	52.82	4,78.42	..	4,15.40	58.10	4,73.50	..	15,57.25
	ज.जा.उ.यो.		68.39	4.46	72.85	..	68.39	4.46	72.85	..	3,78.65
	अ.जा.उ.यो.		77.10	6.63	83.73	..	73.24	7.30	80.54	..	5,99.72
आपणी योजना फेज-II चूरु एवं झुंझनू जलपूर्ति योजना (ग्रामीण)	सामान्य		16,00.42	9,88.54	25,88.96	..	16,00.42	9,88.54	25,88.96	..	86,47.16
	ज.जा.उ.यो.		3,56.80	1,94.25	5,51.05	..	3,56.80	1,94.25	5,51.05	..	21,87.75
	अ.जा.उ.यो.		5,20.98	2,56.13	7,77.11	..	5,20.98	2,56.13	7,77.11	..	26,32.03
बोराबास-मण्डाना जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य		..	7,02.44	7,02.44	7,02.44	7,02.44	..	3,80.56
	ज.जा.उ.यो.		..	1,82.62	1,82.62	1,82.62	1,82.62	..	70.55
	अ.जा.उ.यो.		..	2,66.68	2,66.68	2,66.68	2,66.68	..	93.02
चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य		9,18.35	1,41.69	10,60.04	..	9,18.35	1,41.69	10,60.04	..	17,15.71
	ज.जा.उ.यो.		..	27.41	27.41	27.41	27.41	..	2,80.06
	अ.जा.उ.यो.		..	29.47	29.47	29.47	29.47	..	2,73.18
चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलपूर्ति योजना (ग्रामीण)	सामान्य		..	10,75.82	10,75.82	10,75.82	10,75.82	..	8,61.91
	ज.जा.उ.यो.		..	1,71.16	1,71.16	1,71.16	1,71.16	..	1,78.68
	अ.जा.उ.यो.		..	3,64.11	3,64.11	3,64.11	3,64.11	..	2,09.38
नागौर लिफ्ट केनाल	सामान्य		..	10,76.83	10,76.83	10,76.83	10,76.83	..	19,34.41
	ज.जा.उ.यो.		..	4,53.87	4,53.87	4,53.87	4,53.87	..	2,49.41
	अ.जा.उ.यो.		..	7,35.91	7,35.91	7,35.91	7,35.91	..	4,09.98
नागदा-अन्ता-बलदेवपुरा जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य		3,47.32	25.76	3,73.08	..	3,47.32	25.76	3,73.08	..	62.46
	ज.जा.उ.यो.		57.33	5.06	62.39	..	57.33	5.06	62.39	..	30.91
	अ.जा.उ.यो.		47.34	6.68	54.02	..	47.34	6.68	54.02	..	52.99
बीसलपुर डेम (ग्रामीण) से टोंक, उनियारा तथा देवली जलपूर्ति	सामान्य		27,17.43	..	27,17.43	..	27,17.43	..	27,17.43	..	37,46.00
	ज.जा.उ.यो.		5,55.76	..	5,55.76	..	5,55.76	..	5,55.76	..	12,73.10
	अ.जा.उ.यो.		6,65.87	..	6,65.87	..	6,65.87	..	6,65.87	..	17,04.83

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोगना/ अनु० जाति उपयोगना	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18				वास्तविक 2016-17	
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में उद्यान विकास परियोजना		ज.जा.उ.यो.	2,81.50	..	2,81.50	..	2,81.50	..	2,81.50
पशुपालन परियोजना (वि.के.स.)		ज.जा.उ.यो.	8,42.00	..	8,42.00	..	8,42.00	..	8,42.00	..	5,67.13
विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु सहायता		ज.जा.उ.यो.	5,50.00	..	5,50.00	..	5,50.00	..	5,50.00
कृषि विकास परियोजना एवं उपकरण (वि.के.स.)		ज.जा.उ.यो.	9,99.99	..	9,99.99	..	9,99.99	..	9,99.99	..	8,38.58
माडा क्षेत्र में कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)		ज.जा.उ.यो.	3,01.68	..	3,01.68	..	3,01.68	..	3,01.68	..	1,61.42
माड़ा क्षेत्र में पशुपालन परियोजना (वि.के.स.)		ज.जा.उ.यो.	1,41.00	..	1,41.00	..	1,41.00	..	1,41.00
बिखरे क्षेत्र में कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)		ज.जा.उ.यो.	1,70.58	..	1,70.58	..	1,70.58	..	1,70.58
बिखरे क्षेत्र में पशुपालन परियोजना (वि.के.स.)		ज.जा.उ.यो.	1,09.00	..	1,09.00	..	1,09.00	..	1,09.00
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1)के अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन		ज.जा.उ.यो.	19,43.23	..	19,43.23	..	19,43.24	..	19,43.24	..	11,30.66

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत परियोजना निर्माण		ज.जा.उ.यो.	6,33.01	..	6,33.01	..	6,33.01	..	6,33.01
विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में जल संरक्षण संरचना का निर्माण		ज.जा.उ.यो.	10,55.98	..	10,55.98	..	10,55.98	..	10,55.98	..	20,39.00
विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में नहर प्रणाली की मजबूती		ज.जा.उ.यो.	5,60.00	..	5,60.00	..	5,60.00	..	5,60.00	..	7,72.00
विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई का निर्माण तथा बंद लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार		ज.जा.उ.यो.	26,00.00	..	26,00.00	..	26,00.00	..	26,00.00	..	11,68.00
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आश्रम छात्रावासों का निर्माण तथा पुनरुद्धार		ज.जा.उ.यो.	9,00.00	..	9,00.00	..	9,00.00	..	9,00.00
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण तथा पुनरुद्धार		ज.जा.उ.यो.	12,00.00	..	12,00.00	..	12,00.00	..	12,00.00	..	22,00.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत हेण्ड पम्पों के लगाने सहित पीने योग्य पानी की योजनाएं		ज.जा.उ.यो.	4,00.00	..	4,00.00	..	4,00.00	..	4,00.00	..	2,02.95
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जनजाति भवनों का निर्माण तथा पुनरुद्धार		ज.जा.उ.यो.	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत खेल छात्रावास भवनों का निर्माण तथा पुनरुद्धार		ज.जा.उ.यो.	4,25.16	..	4,25.16	..	4,25.16	..	4,25.16
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालय की मरम्मत तथा रखरखाव		ज.जा.उ.यो.	23,05.50
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत राजकीय शिक्षण संस्थान में अतिरिक्त कमरों का निर्माण		ज.जा.उ.यो.	29,39.91	..	29,39.91	..	29,39.91	..	29,39.91	..	19,60.09

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18				वास्तविक 2016-17	
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		
(₹ लाख में)											
भाखड़ा नहर परियोजना		सामान्य	10,63.06	27,57.25	38,20.31	..	10,59.86	27,43.65	38,03.51	..	28,07.53
		अ.जा.उ.यो.	3,48.68	6,29.02	9,77.70	..	3,45.61	6,25.40	9,71.01	..	8,93.75
अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित बस्तियों से सेवा केन्द्रों का जुड़ाव (वि.के.स.)		ज.जा.उ.यो.	4,00.00	..	4,00.00	..	4,00.00	..	4,00.00
अन्य न्यायिक भवन		सामान्य	38,66.87	38,33.85	77,00.72	..	39,27.13	38,93.35	78,20.48	..	56,89.15
गंदगी मुक्त भारत के लिए राजीव आवास योजना		सामान्य	2,70.00	1,74.00	4,44.00	..	2,70.00	1,74.00	4,44.00	..	29,71.95
		ज.जा.उ.यो.	49.55	34.10	83.65	..	49.55	34.10	83.65	..	5,83.71
		अ.जा.उ.यो.	1,55.05	45.18	2,00.23	..	1,55.05	45.18	2,00.23	..	7,70.54
आश्रम छात्रावासों (लड़कियों) का निर्माण तथा पुनरुद्धार		ज.जा.उ.यो.	22,05.35
सी.सी.डी. योजना के अन्तर्गत सहरिया के विकास हेतु सहरिया के लिए माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन		ज.जा.उ.यो.	7,20.00	..	7,20.00	..	7,20.00	..	7,20.00	..	7,20.20
आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत आंगन बाड़ी केन्द्र का निर्माण		सामान्य	2,46.30	1,64.20	4,10.50	..	2,41.50	1,69.00	4,10.50	..	24,34.00
		ज.जा.उ.यो.	37.50	25.00	62.50	..	37.50	25.00	62.50	..	4,43.50
		अ.जा.उ.यो.	51.60	34.40	86.00	..	51.60	34.40	86.00	..	6,22.00
ए.डब्ल्यू.सी. का क्मोन्नयन तथा रखरखाव (आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत पालना गृह के निर्माण सहित)		सामान्य	..	13,03.00	13,03.00	13,03.00	13,03.00
		ज.जा.उ.यो.	..	1.42	1.42	1.42	1.42	..	1,92.21
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराइजेशन		सामान्य	21.41	21.41	42.82	..	21.41	21.41	42.82	..	16,99.98
		ज.जा.उ.यो.	3,10.00
		अ.जा.उ.यो.	4,42.99

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग	
(₹ लाख में)												
राजगढ़ बूंगी जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	4,32.43 1,38.46 1,45.75		
निवाई और टॉक तहसील के 199 गावों की जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	10,00.24 1,96.55 2,59.16	10,00.24 1,96.55 2,59.16	10,00.24 1,96.55 2,59.16	10,00.24 1,96.55 2,59.16	23,91.52 6,10.48 7,75.60	
नर्मदा जलपूर्ति परियोजना (डी.आर.)(ग्रामीण)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	5,15.65 1,06.49 1,12.80	5,15.65 1,06.49 1,12.80	5,15.65 1,06.49 1,12.80	5,15.65 1,06.49 1,12.80	13,42.17 4,39.38 5,29.08	
बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II पार्ट बी (68 क्लस्टर गाँव) (ग्रामीण)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,52.65 42.25 55.10	6,05.93 1,19.08 1,56.99	7,58.58 1,61.33 2,12.09	1,52.65 42.25 55.10	6,05.93 1,19.08 1,56.99	7,58.58 1,61.33 2,12.09	10,72.03 1,61.69 2,62.74
बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II पार्ट बी (473 क्लस्टर गाँव) (ग्रामीण)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,70.28 38.70 53.86	17,71.26 10,52.82 12,28.91	19,41.54 10,91.52 12,82.77	1,70.28 38.70 53.86	17,71.26 10,52.82 12,28.91	19,41.54 10,91.52 12,82.77	3.03 .. 0.41
विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र में कौशल विकास परियोजना		ज.जा.उ.यो.	1,00.00	..	1,00.00	1,00.00	..	1,00.00
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत प्रशासकीय व्यय, प्रशिक्षण, संचालन तथा प्रबंध सूचना प्रणाली		ज.जा.उ.यो.	2,00.00	..	2,00.00	2,00.00	..	2,00.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु0 जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों तथा जनजाति छात्रावासों में खेल सुविधाओं का विकास	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	1,00.00	..	1,00.00	..	1,00.00	..	1,00.00
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सुविधाओं में वृद्धि	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	3,27.50	..	3,27.50	..	3,27.50	..	3,27.50
इंदिरा गांधी मुख्य नहर कि.मी. 0 से 74-प्रथम श्रेणी	सामान्य अ.जा.उ.यो.	सामान्य अ.जा.उ.यो.	..	56,04.02	56,04.02	53,83.49	53,83.49	..	56,91.62
			..	7,14.71	7,14.71	7,14.58	7,14.58	..	15,88.34
फतेहपुर लक्ष्मणगढ जलपूति परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	17,41.40	12,35.08	29,76.48	..	17,41.40	12,35.08	29,76.48	..	40,72.20
			4,11.07	2,32.44	6,43.51	..	4,11.07	2,32.44	6,43.51	..	8,00.40
			6,05.18	3,20.00	9,25.18	..	6,05.18	3,20.00	9,25.18	..	14,22.07
अध्यापक शिक्षा के लिए ब्लॉक संस्था	ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,58.00
			1,58.00
अल्पसंख्यक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	सामान्य	सामान्य	43,95.79	11,38.09	55,33.88	..	43,95.79	11,38.09	55,33.88	..	51,45.63
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत नये चिकित्सा महाविद्यालय	सामान्य	सामान्य	1,44,45.00	1,14,30.00	2,58,75.00	..	1,44,45.00	1,14,30.00	2,58,75.00	..	1,50,00.00
ब्यावर- जवाजा क्लस्टर योजना (ग्रामीण)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,95.47	15,82.91	17,78.38	..	1,95.47	15,82.91	17,78.38	..	10,24.92
			39.54	3,11.05	3,50.59	..	39.54	3,11.05	3,50.59
			61.69	4,10.13	4,71.82	..	61.69	4,10.13	4,71.82	..	87.47

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु0 जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
गागरिन जलपूर्ति योजना (ग्रामीण)	सामान्य		10,99.08	23,91.50	34,90.58	..	10,99.08	23,91.50	34,90.58	..	23,97.25
	ज.जा.उ.यो.		3,04.20	9,57.50	12,61.70	..	3,04.20	9,57.50	12,61.70	..	3,43.06
	अ.जा.उ.यो.		3,96.72	11,51.00	15,47.72	..	3,96.72	11,51.00	15,47.72	..	7,29.37
जवाई क्लस्टर परियोजना-II (ग्रामीण)	सामान्य		16,12.15	17,88.01	34,00.16	..	16,12.15	17,88.00	34,00.15	..	30,85.71
	ज.जा.उ.यो.		29.82	4,46.19	4,76.01	..	29.82	4,46.19	4,76.01	..	12,13.18
	अ.जा.उ.यो.		32.77	4,89.36	5,22.13	..	32.77	4,89.36	5,22.13	..	16,43.48
बीसलपुर-दूदू परियोजना-चाकसू, फागी तथा बस्सी (ग्रामीण)	सामान्य		36,76.24	30,49.47	67,25.71	..	36,76.24	30,49.47	67,25.71	..	1,17,23.66
	ज.जा.उ.यो.		10,17.50	9,23.04	19,40.54	..	10,17.50	9,23.04	19,40.54	..	39,85.54
	अ.जा.उ.यो.		13,26.97	10,67.46	23,94.43	..	13,26.97	10,67.46	23,94.43	..	42,90.74
चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज 1 पार्ट 2 (ग्रामीण)	सामान्य		10,33.01	22,69.73	33,02.74	..	10,33.01	22,69.73	33,02.74	..	14,67.25
	ज.जा.उ.यो.		54.23	2,65.26	3,19.49	..	54.23	2,65.26	3,19.49	..	4,55.08
	अ.जा.उ.यो.		87.61	3,00.00	3,87.61	..	87.61	3,00.00	3,87.61	..	4,75.15
बांरा क्लस्टर परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य		2,00.00	6,34.79	8,34.79	..	2,00.00	6,34.79	8,34.79	..	3,72.67
	ज.जा.उ.यो.		..	1,24.74	1,24.74	1,24.74	1,24.74	..	73.29
	अ.जा.उ.यो.		..	1,64.47	1,64.47	1,64.47	1,64.47	..	1,00.35
बांसवाड़ा जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य		3,77.08	6,18.27	9,95.35	..	3,77.08	6,18.27	9,95.35	..	13,80.59
	ज.जा.उ.यो.		1,05.61	1,21.50	2,27.11	..	1,05.61	1,21.50	2,27.11	..	8,40.25
	अ.जा.उ.यो.		1,17.31	1,60.20	2,77.51	..	1,17.31	1,60.20	2,77.51	..	4,94.17
चम्बल- भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना क्लस्टर (ग्रामीण)	सामान्य		45,31.86	1,14,98.26	1,60,30.12	..	45,10.03	1,14,84.60	1,59,94.63	..	79,53.40
	ज.जा.उ.यो.		7,66.11	36,58.41	44,24.52	..	7,66.11	36,54.98	44,21.09	..	44,11.58
	अ.जा.उ.यो.		8,57.48	45,18.43	53,75.91	..	8,57.48	45,18.43	53,75.91	..	52,86.70
बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य		10,20.86	44,12.33	54,33.19	..	10,20.86	44,12.33	54,33.19	..	63,74.24
	ज.जा.उ.यो.		2,80.97	11,80.36	14,61.33	..	2,80.97	11,80.36	14,61.33	..	28,58.03
	अ.जा.उ.यो.		3,60.73	18,19.34	21,80.07	..	3,60.73	18,19.34	21,80.07	..	33,22.13
नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य		29,90.24	11,78.01	41,68.25	..	29,90.23	11,78.01	41,68.24	..	70.38
	ज.जा.उ.यो.		6,41.39	9,54.65	15,96.04	..	6,41.39	9,54.65	15,96.04	..	4.12
	अ.जा.उ.यो.		10,30.83	9,41.39	19,72.22	..	10,30.83	9,41.39	19,72.22	..	10.81

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18				वास्तविक 2016-17	
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		
(₹ लाख में)											
नर्मदा डी.आर. क्लस्टर परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य	सामान्य	6,54.22	22,02.69	28,56.91	..	6,54.22	22,02.69	28,56.91	..	2,12.50
		ज.जा.उ.यो.	1,32.32	4,32.84	5,65.16	..	1,32.32	4,32.84	5,65.16	..	1,17.50
		अ.जा.उ.यो.	2,06.46	5,66.89	7,73.35	..	2,06.46	5,66.89	7,73.35	..	1,38.70
कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत सीकर, झुंझनू, खेतड़ी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	सामान्य	45,01.95
		ज.जा.उ.यो.	10,51.34
		अ.जा.उ.यो.	12,21.45
नर्मदा (205 गाँवों) से बाड़मेर जिले के शिव तहसील की जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	सामान्य	1,11.39	23,08.32	24,19.71	..	1,11.39	23,08.32	24,19.71	..	17,73.05
		ज.जा.उ.यो.	30.22	4,53.60	4,83.82	..	30.22	4,53.60	4,83.82	..	3,15.07
		अ.जा.उ.यो.	33.57	5,98.08	6,31.65	..	33.57	5,98.08	6,31.65	..	4,32.88
राजीव गांधी लिफ्ट केनाल योजना से बावरी कलां, खारा तथा जालोदा ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	सामान्य	2,00.20	1,24.54	3,24.74	..	2,00.20	1,24.54	3,24.74	..	15,07.88
		ज.जा.उ.यो.	..	24.49	24.49	24.49	24.49	..	6,22.56
		अ.जा.उ.यो.	..	32.30	32.30	32.30	32.30	..	6,25.02
विशेष योग्यजन के लिए रेम्प तथा लिफ्ट का निर्माण	सामान्य	सामान्य	47.27	..	47.27	..	47.27	..	47.27	..	1,57.26
राजीव गांधी लिफ्ट केनाल योजना से घटोर, कानासर तथा बाप ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	सामान्य	27.47	..	27.47	..	27.47	..	27.47	..	8,78.22
		ज.जा.उ.यो.	7.60	..	7.60	..	7.60	..	7.60	..	2,68.45
		अ.जा.उ.यो.	9.48	..	9.48	..	9.48	..	9.48	..	3,50.39
भीनमाल तहसील तथा भीनमाल कस्बे में 256 गांवों के लिए ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	सामान्य	..	13,84.04	13,84.04	13,84.04	13,84.04	..	17,09.03
		ज.जा.उ.यो.	..	2,72.16	2,72.16	2,72.16	2,72.16	..	10,03.83
		अ.जा.उ.यो.	..	3,58.85	3,58.85	3,58.85	3,58.85	..	11,71.54

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	सामान्य		14,81.39	12,27.73	27,09.12	20,65.55	14,81.38	12,27.73	27,09.11	5,46.36	5,07.65
	ज.जा.उ.यो.		3,03.17	2,02.11	5,05.28	72.70	3,03.17	2,02.11	5,05.28
	अ.जा.उ.यो.		4,13.32	3,83.21	7,96.53	7,12.75	4,13.32	3,83.21	7,96.53	2,45.20	1,24.97
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	सामान्य		83,78.26	85,97.38	1,69,75.64	..	83,78.26	85,97.36	1,69,75.62	..	2,85,69.74
	ज.जा.उ.यो.		23,66.72	27,08.33	50,75.05	..	23,66.72	27,08.33	50,75.05	..	57,08.38
	अ.जा.उ.यो.		23,66.97	23,58.96	47,25.93	..	23,66.97	23,58.97	47,25.94	..	74,15.60
सोलर पम्प सेट के लिए अतिरिक्त सहाय्य	सामान्य		..	52,00.06	52,00.06	52,00.06	52,00.06	..	1,18,43.42
	ज.जा.उ.यो.		..	2,98.47	2,98.47	2,98.47	2,98.47	..	3,49.71
	अ.जा.उ.यो.		..	2,67.82	2,67.82	2,67.82	2,67.82	..	3,04.85
पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत नगरीय नागरिक सुरक्षा हेतु राशि	सामान्य		79.78	53.18	1,32.96	..	79.78	53.18	1,32.96	..	1,37.40
नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ. XIX के अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों, औषधालयों तथा कार्यालय भवनों का निर्माण	सामान्य		..	11,33.64	11,33.64	11,39.53	11,39.53	..	38.27
पशु बीमा	सामान्य		1,55.00	1,55.00	3,10.00	..	1,55.00	1,55.00	3,10.00	..	1,00.00
	अ.जा.उ.यो.		3,37.00	1,84.00	5,21.00	..	3,37.00	1,84.00	5,21.00	..	90.00
व्यावसायिक शिक्षा	सामान्य		17,47.21	11,64.81	29,12.02	..	17,47.21	11,64.81	29,12.02	..	21,84.75
	ज.जा.उ.यो.		2,56.38	1,70.91	4,27.29	..	2,56.38	1,70.91	4,27.29	..	3,15.49
	अ.जा.उ.यो.		3,26.11	2,17.41	5,43.52	..	3,26.11	2,17.41	5,43.52	..	4,08.16
राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन	सामान्य		61,93.07
	ज.जा.उ.यो.		2,44.31
	अ.जा.उ.यो.		4,55.88

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17	
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा		
(₹ लाख में)										
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम)	सामान्य	21,81.66
	ज.जा.उ.यो.	86.67
	अ.जा.उ.यो.	4,23.33
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	सामान्य	6,09,26.45	1,21,78.86	7,31,05.31	11,20,25.83	6,09,26.45	1,21,78.86	7,31,05.31	5,59,41.00	6,35,05.31
	ज.जा.उ.यो.	1,20,13.59	24,77.00	1,44,90.59	..	1,20,13.59	24,77.00	1,44,90.59	..	1,39,27.20
	अ.जा.उ.यो.	1,60,49.79	31,80.00	1,92,29.79	..	1,60,49.79	31,80.00	1,92,29.79	..	1,69,74.16
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (रोहू)	सामान्य	7,23.10	4,81.00	12,04.10	..	7,22.46	4,81.64	12,04.10	..	6,60.39
	ज.जा.उ.यो.	1,14.67	76.43	1,91.10	..	1,14.66	76.44	1,91.10	..	1,28.07
	अ.जा.उ.यो.	1,08.20	72.13	1,80.33	..	1,08.20	72.13	1,80.33	..	1,77.49
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दालें)	सामान्य	1,01,02.81	67,63.83	1,68,66.64	..	1,01,19.71	67,46.47	1,68,66.18	..	79,55.11
	ज.जा.उ.यो.	12,32.00	8,22.30	20,54.30	..	12,32.58	8,21.72	20,54.30	..	15,86.41
	अ.जा.उ.यो.	19,25.79	12,87.06	32,12.85	..	19,27.71	12,85.14	32,12.85	..	24,28.73
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (मोटा अनाज)	सामान्य	11,07.29	7,38.19	18,45.48	..	11,07.29	7,38.20	18,45.49	..	17,13.73
	ज.जा.उ.यो.	87.62	58.41	1,46.03	..	87.62	58.41	1,46.03	..	2,06.47
	अ.जा.उ.यो.	2,71.46	1,80.96	4,52.42	..	2,71.45	1,80.97	4,52.42	..	4,19.33
राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पॉम मिशन (तिलहन)	सामान्य	18,95.46	12,64.45	31,59.91	..	18,95.94	12,63.97	31,59.91	..	47,35.73
	ज.जा.उ.यो.	3,61.69	2,48.18	6,09.87	..	3,65.92	2,43.94	6,09.86	..	7,98.16
	अ.जा.उ.यो.	9,18.01	6,11.69	15,29.70	..	9,17.82	6,11.88	15,29.70	..	9,37.33
राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पॉम मिशन (पेड़ उन्मुख तिलहन)	सामान्य	71.45	47.64	1,19.09	..	71.45	47.64	1,19.09	..	1,20.30
	ज.जा.उ.यो.	4.88	3.25	8.13	..	4.88	3.25	8.13	..	13.50
	अ.जा.उ.यो.	6.33	4.22	10.55	..	6.33	4.22	10.55	..	18.00
कृषि विस्तार तथा तकनीकी का राष्ट्रीय मिशन (कृषि विस्तार)	सामान्य	20,13.66	14,42.86	34,56.52	..	20,23.31	14,33.20	34,56.51	..	25,35.11
	ज.जा.उ.यो.	2,15.14	1,59.48	3,74.62	..	2,15.73	1,58.90	3,74.63	..	3,92.70
	अ.जा.उ.यो.	4,63.73	3,39.70	8,03.43	..	4,64.11	3,39.33	8,03.44	..	4,84.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु0 जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
कृषि विस्तार तथा तकनीकी का राष्ट्रीय मिशन (पोधा संगरोध तथा पोधा संरक्षण)	सामान्य	ज.जा.उ.यो.	..	3,50.91	3,50.91	3,50.91	3,50.91
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	..	1,42.94	1,42.94	1,42.94	1,42.94
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	..	1,60.41	1,60.41	1,60.41	1,60.41
कृषि विस्तार तथा तकनीकी का राष्ट्रीय मिशन (कृषि अभियांत्रिकी)	सामान्य	ज.जा.उ.यो.	6,35.56	4,23.75	10,59.31	..	6,35.58	4,23.72	10,59.30	..	8,80.14
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	1,02.44	68.75	1,71.19	..	1,02.71	68.48	1,71.19	..	1,23.98
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	59.30	39.65	98.95	..	59.37	39.58	98.95	..	85.47
टिकाऊ कृषि राष्ट्रीय मिशन (बारानी क्षेत्र विकास)	सामान्य	ज.जा.उ.यो.	3,51.43	2,34.31	5,85.74	..	3,51.44	2,34.29	5,85.73	..	5,28.55
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	89.27	59.57	1,48.84	..	89.30	59.54	1,48.84	..	52.56
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	69.86	46.58	1,16.44	..	69.86	46.58	1,16.44	..	59.08
टिकाऊ कृषि राष्ट्रीय मिशन (मृदा रक्षण प्रबंध)	सामान्य	ज.जा.उ.यो.	9,42.93	6,28.78	15,71.71	..	9,43.02	6,28.68	15,71.70	..	7,68.21
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	1,24.80	83.44	2,08.24	..	1,24.95	83.30	2,08.25	..	84.63
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	2,26.41	1,51.40	3,77.81	..	2,26.68	1,51.13	3,77.81	..	1,39.18
राजनेट	सामान्य	ज.जा.उ.यो.	..	10,30.50	10,30.50	10,30.50	10,30.50	..	22,17.68
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	..	2,02.50	2,02.50	2,02.50	2,02.50	..	4,56.59
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	..	2,67.00	2,67.00	2,67.00	2,67.00	..	5,87.05
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी डी पी)	सामान्य	ज.जा.उ.यो.	19,86.89	15,16.76	35,03.65	..	19,85.37	15,15.52	35,00.89	..	38,76.56
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	3,80.12	2,29.14	6,09.26	..	3,80.13	2,29.14	6,09.27	..	5,58.27
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	5,44.63	3,49.59	8,94.22	..	5,44.63	3,49.59	8,94.22	..	8,69.57
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल गुणवत्ता हेतु 5% पृथक निधि)	सामान्य	ज.जा.उ.यो.	3,25.67	7,27.80	10,53.47	..	3,25.67	7,21.66	10,47.33	..	17,95.52
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	59.38	1,36.99	1,96.37	..	59.38	1,36.99	1,96.37	..	4,97.61
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	1,02.10	2,24.29	3,26.39	..	1,02.10	2,23.98	3,26.08	..	6,42.05

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु0 जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18				वास्तविक 2016-17	
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		
(₹ लाख में)											
राष्ट्रीय ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम का संचालन एवं रखरखाव	राष्ट्रीय ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम का संचालन एवं रखरखाव	अ.जा.उ.यो.	11,16.07	23,96.41	35,12.48	..	11,16.07	23,96.41	35,12.48	..	32,65.58
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम प्रोत्साहन निधि	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम प्रोत्साहन निधि	सामान्य	7,50.00	3,07.76	10,57.76	..	7,50.00	3,07.76	10,57.76	..	12,41.74
मालर-जोड़-हिंगाडोल-फ्लौदी	मालर-जोड़-हिंगाडोल-फ्लौदी	सामान्य	6.11	..	6.11	..	6.11	..	6.11	..	1,45.92
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	ग्रामीण जलपूर्ति योजना	ज.जा.उ.यो.	1.69	..	1.69	..	1.69	..	1.69	..	18.01
(एन आर डी डब्ल्यू आर 100% केन्द्र)	(एन आर डी डब्ल्यू आर 100% केन्द्र)	अ.जा.उ.यो.	2.20	..	2.20	..	2.20	..	2.20	..	51.77
आर जी एल सी आर डी-111 से पीलवा-सादड़ी, जम्बेश्वर नगर	आर जी एल सी आर डी-111 से पीलवा-सादड़ी, जम्बेश्वर नगर	सामान्य	6,10.60	7,34.81	13,45.41	..	6,10.60	7,34.81	13,45.41	..	5,15.25
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	ग्रामीण जलपूर्ति योजना	ज.जा.उ.यो.	1,69.00	1,31.63	3,00.63	..	1,69.00	1,31.63	3,00.63	..	1,01.24
(एन आर डी डब्ल्यू आर 100% केन्द्र)	(एन आर डी डब्ल्यू आर 100% केन्द्र)	अ.जा.उ.यो.	2,20.40	1,73.55	3,93.95	..	2,20.40	1,73.55	3,93.95	..	1,33.50
भामाशाह योजना	भामाशाह योजना	सामान्य	..	2,44,27.65	2,44,27.65	2,44,27.65	2,44,27.65	..	81,29.05
		ज.जा.उ.यो.	..	73,05.32	73,05.32	73,05.32	73,05.32	..	32,92.84
		अ.जा.उ.यो.	..	80,28.30	80,28.30	80,28.30	80,28.30	..	38,85.14
खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	सामान्य	4,66.39	3,09.10	7,75.49	..	4,66.41	3,09.09	7,75.50	..	8,20.47
		ज.जा.उ.यो.	5,22.63	3,45.37	8,68.00	..	5,22.77	3,45.23	8,68.00	..	8,24.05
		अ.जा.उ.यो.	6,94.44	4,60.86	11,55.30	..	6,94.45	4,60.85	11,55.30	..	6,99.82
सामुदायिक झालावाड़ अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालय समिति को सहायतार्थ अनुदान	सामुदायिक झालावाड़ अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालय समिति को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	..	32,26.78	32,26.78	32,26.78	32,26.78	..	30,51.78
		ज.जा.उ.यो.	..	17,89.71	17,89.71	17,89.71	17,89.71	..	15,27.71
		अ.जा.उ.यो.	..	15,03.91	15,03.91	15,03.91	15,03.91	..	13,65.91

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु0 जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
एकीकृत कौशल विकास योजना		सामान्य	..	2,11.66	2,11.66	2,11.66	2,11.66	..	6,53.43
		ज.जा.उ.यो.	1,37.92
		अ.जा.उ.यो.	83.60
मॉडल आई.टी.आई. में मौजूदा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन		सामान्य	51.51	22.07	73.58	..	51.51	22.07	73.58	..	1,76.42
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना		सामान्य	11,22.00	5,61.00	16,83.00	..	11,22.00	5,61.00	16,83.00	..	27,03.03
		ज.जा.उ.यो.	4,48.80	2,35.62	6,84.42	..	4,48.80	2,35.62	6,84.42	..	10,74.66
		अ.जा.उ.यो.	6,73.20	3,25.38	9,98.58	..	6,73.20	3,25.38	9,98.58	..	16,28.38
सुनियोजित कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना		सामान्य	1,72.56
		ज.जा.उ.यो.	72.47
		अ.जा.उ.यो.	1,00.08
निरांचल		सामान्य	50.00	27.42	77.42	..	50.00	27.42	77.42	..	2,43.55
		अ.जा.उ.यो.	..	5.91	5.91	5.91	5.91
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत टी ए डी भवनों का निर्माण तथा पुनरुद्धार		ज.जा.उ.यो.	4,30.00	..	4,30.00	..	4,30.00	..	4,30.00
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत टी ए डी भवनों के अतिरिक्त अन्य निर्माण तथा पुनरुद्धार		ज.जा.उ.यो.	7,15.00	..	7,15.00	..	7,15.00	..	7,15.00	..	19,21.60
विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुपूचित क्षेत्र अन्तराल विश्लेषण के लिए टी.आर.ए. के लिए समर्थन		ज.जा.उ.यो.	5,16.97	..	5,16.97	..	5,16.97	..	5,16.97	..	5,89.38

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18				वास्तविक 2016-17	
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		
(₹ लाख में)											
विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में टी ए डी भवनों का निर्माण तथा पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	20,75.49	..	20,75.49	..	20,75.49	..	20,75.49	..	38,93.03
कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना	सामान्य	सामान्य	57.12	38.10	95.22	..	57.14	38.09	95.23	..	2,59.74
राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम	सामान्य	सामान्य	95.51	63.90	1,59.41	..	95.51	63.90	1,59.41
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	18.90	12.59	31.49	..	18.90	12.59	31.49
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	25.50	16.78	42.28	..	25.50	16.78	42.28
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान	सामान्य	सामान्य	1,23.23	98.47	2,21.70	..	1,23.22	98.48	2,21.70	..	2,49.55
गंग नहर फेज- II	सामान्य	सामान्य	5,54.91	7,19.46	12,74.37	..	5,50.51	7,15.37	12,65.88	..	7,82.80
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	19.83	5.00	24.83	..	19.82	5.00	24.82	..	2,59.88
चम्बल-बूंदी जलपूर्ति परियोजना (कलस्टर वितरण) (ग्रामीण)	सामान्य	सामान्य	16.50	1,17.82	1,34.32	..	7.72	44.50	52.22	..	1,62.74
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	4.00	21.40	25.40	..	0.20	21.39	21.59	..	37.59
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	5.97	27.98	33.95	..	0.30	27.98	28.28	..	49.46
नागौर लिफ्ट नहर परियोजना फेज- II (डी डी पी) (ग्रामीण)	सामान्य	सामान्य	29,58.01	11,54.16	41,12.17	..	29,58.01	11,54.16	41,12.17	..	50,17.33
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	3,21.09	2,26.80	5,47.89	..	3,21.09	2,26.80	5,47.89	..	16,56.35
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	2,83.84	2,99.04	5,82.88	..	2,83.84	2,99.04	5,82.88	..	19,90.88
लोक स्वास्थ्य बीमा योजना (डी.एम.एच.एस. के माध्यम से)	सामान्य	सामान्य	..	5,13,85.64	5,13,85.64	5,13,85.64	5,13,85.64	..	2,59,91.00
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	..	1,06,83.05	1,06,83.05	1,06,83.05	1,06,83.05	..	61,23.00
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	..	1,39,69.19	1,39,69.19	1,39,69.19	1,39,69.19	..	75,93.00
राज्य वैक्सर संस्थान की स्थापना	सामान्य	सामान्य	21,00.00	..	21,00.00	..	21,00.00	..	21,00.00
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	3,90.00	..	3,90.00	..	3,90.00	..	3,90.00
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	5,10.00	..	5,10.00	..	5,10.00	..	5,10.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए)	सामान्य		30,84.38	20,56.25	51,40.63	..	30,84.38	20,56.25	51,40.63	..	80,60.00
	ज.जा.उ.यो.		10,87.27	7,24.84	18,12.11	..	10,87.27	7,24.84	18,12.11	..	7,80.00
	अ.जा.उ.यो.		11,98.28	7,98.86	19,97.14	..	11,98.28	7,98.86	19,97.14	..	15,60.00
स्मार्ट सिटी	सामान्य		2,05,00.00	1,30,20.00	3,35,20.00	2,05,00.00	2,05,00.00	1,30,20.00	3,35,20.00	2,25,80.00	9,20,80.00
पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण	सामान्य		..	8,41.04	8,41.04	8,54.14	8,54.14	..	3,55.53
स्वच्छ भारत मिशन	सामान्य		1,27,80.77	42,60.26	1,70,41.03	1,84,83.00	1,27,80.77	42,60.26	1,70,41.03	..	3,28,28.07
	ज.जा.उ.यो.		25,08.14	8,36.04	33,44.18	..	25,08.14	8,36.04	33,44.18	..	64,42.43
	अ.जा.उ.यो.		33,17.54	11,05.84	44,23.38	..	33,17.54	11,05.84	44,23.38	..	85,21.27
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ	सामान्य		54.45	36.32	90.77	..	54.45	36.32	90.77	..	1,14.93
	ज.जा.उ.यो.		35.37
	अ.जा.उ.यो.		50.01
परम्परागत कृषि विकास योजना	सामान्य		11,39.42	7,60.55	18,99.97	..	11,39.98	7,59.98	18,99.96	..	20,11.44
	ज.जा.उ.यो.		2,38.90	1,59.26	3,98.16	..	2,38.90	1,59.26	3,98.16	..	3,40.77
	अ.जा.उ.यो.		1,89.17	1,27.01	3,16.18	..	1,89.71	1,26.47	3,16.18	..	2,52.89
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	सामान्य		51,57.50	34,22.75	85,80.25	..	51,57.51	34,22.75	85,80.26	..	70,23.06
	ज.जा.उ.यो.		8,17.12	5,44.22	13,61.34	..	8,16.81	5,44.54	13,61.35	..	13,17.55
	अ.जा.उ.यो.		10,87.69	7,25.65	18,13.34	..	10,88.00	7,25.33	18,13.33	..	17,36.22
शहरी परिवर्तन एवं कायाकल्प के लिए अटल मिशन	सामान्य		1,81,88.62	50,48.44	2,32,37.06	2,64,54.27	1,81,88.62	50,48.44	2,32,37.06	2,56,35.47	1,72,74.00
	ज.जा.उ.यो.		35,69.40	9,90.72	45,60.12	..	35,69.40	9,90.72	45,60.12	..	33,94.32
	अ.जा.उ.यो.		47,21.25	13,10.42	60,31.67	..	47,21.25	13,10.42	60,31.67	..	44,75.88
प्रधानमंत्री आवास योजना	सामान्य		6,81.16	51.21	7,32.37	22,58.29	6,81.16	51.21	7,32.37	..	62,15.21
	ज.जा.उ.यो.		1,33.68	10.05	1,43.73	5,27.26	1,33.68	10.05	1,43.73	..	11,48.09
	अ.जा.उ.यो.		7,13.15	13.29	7,26.44	13,31.56	7,13.15	13.29	7,26.44	..	15,39.09

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनुओ जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
भ्रष्टाचार ब्यूरो का आधुनिकीकरण		सामान्य	..	1,72.23	1,72.23	1,74.91	1,74.91
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी एम के एस वाई)		सामान्य	1,79,82.00	35,21.20	2,15,03.20	..	1,79,82.00	35,21.20	2,15,03.20	..	2,48,01.67
विशेष घटक		ज.जा.उ.यो.	..	6,82.23	6,82.23	6,82.23	6,82.23	..	67,56.67
		अ.जा.उ.यो.	56,55.00	9,29.93	65,84.93	..	56,55.00	9,29.93	65,84.93	..	16,66.66
पीने के पानी के लिए नर्बदा नहर में पी.एच.ई.डी. की हिस्सा लागत		सामान्य	12,21.39	6,34.79	18,56.18	..	12,21.39	6,34.79	18,56.18
		ज.जा.उ.यो.	3,37.68	1,24.74	4,62.42	..	3,37.68	1,24.74	4,62.42
		अ.जा.उ.यो.	4,40.92	1,64.47	6,05.39	..	4,40.92	1,64.47	6,05.39
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)		सामान्य	6,59,32.74	4,39,55.15	10,98,87.89	6,06,25.31	6,59,32.74	4,39,55.15	10,98,87.89	..	7,81,82.11
		ज.जा.उ.यो.	1,30,50.66	54,57.77	1,85,08.43	1,36,65.56	1,30,50.66	54,57.77	1,85,08.43	..	1,18,50.40
		अ.जा.उ.यो.	1,76,18.38	1,17,45.57	2,93,63.95	2,38,59.90	1,76,18.38	1,17,45.57	2,93,63.95	..	3,30,96.91
आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित गांवों में सामुदायिक जलशोधन संयंत्र स्थापित करना (ग्रामीण)		सामान्य	1,04,37.89	..	1,04,37.89	..	1,04,31.87	..	1,04,31.87	..	60,04.68
		ज.जा.उ.यो.	27,87.41	..	27,87.41	..	27,87.41	..	27,87.41	..	9,18.86
		अ.जा.उ.यो.	34,53.28	..	34,53.28	..	34,45.03	..	34,45.03	..	18,09.73
सिरोही जिले के लिए पानी पीने के उद्देश्य के लिए बत्तीसा नाला बांध का निर्माण (ग्रामीण)		सामान्य	..	3,43.50	3,43.50	3,43.50	3,43.50
		ज.जा.उ.यो.	..	67.50	67.50	67.50	67.50
		अ.जा.उ.यो.	..	89.00	89.00	89.00	89.00
चौ. कुम्भा राम आर्य लिफ्ट (नोहर सांवा लिफ्ट)		सामान्य	..	39,87.82	39,87.82	39,87.82	39,87.82
		अ.जा.उ.यो.	..	26,51.82	26,51.82	26,51.82	26,51.82
सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.											
पन्ना लाल भेरुपाल (गजनेर लिफ्ट)		सामान्य	..	25,01.00	25,01.00	25,01.00	25,01.00
		ज.जा.उ.यो.
		अ.जा.उ.यो.
डा. करणी सिंह लिफ्ट (कोलायत लिफ्ट)		सामान्य	..	22,14.37	22,14.37	22,14.37	22,14.37
		ज.जा.उ.यो.	..	2,67.20	2,67.20	2,67.20	2,67.20
		अ.जा.उ.यो.

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	सामान्य		8,42,90.94	7,17,51.21	15,60,42.15	7,94,23.12	8,42,90.94	7,17,51.21	15,60,42.15
	ज.जा.उ.यो.		7,80,67.39	6,63,97.19	14,44,64.58	7,35,70.30	7,80,67.39	6,63,97.19	14,44,64.58
	अ.जा.उ.यो.		3,87,13.65	3,25,98.30	7,13,11.95	3,65,72.81	3,87,13.65	3,25,98.30	7,13,11.95
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एन.आर.यू.एम.)	सामान्य		16,54.22	11,02.81	27,57.03	24,10.00	16,54.22	11,02.81	27,57.03
	ज.जा.उ.यो.		3,25.35	2,16.90	5,42.25	..	3,25.35	2,16.90	5,42.25
	अ.जा.उ.यो.		4,30.43	2,86.96	7,17.39	..	4,30.43	2,86.96	7,17.39
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.)	सामान्य		28,92.50	19,28.34	48,20.84	..	28,92.50	19,28.34	48,20.84
	ज.जा.उ.यो.		12,14.85	8,09.90	20,24.75	..	12,14.85	8,09.90	20,24.75
	अ.जा.उ.यो.		16,77.65	11,18.43	27,96.08	..	16,77.65	11,18.43	27,96.08
गोजातीय उत्पादकता पर राष्ट्रीय मिशन	सामान्य		1,50.00	4,63.90	6,13.90	..	1,50.00	4,63.90	6,13.90
कौशल विकास प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और विस्तार आधुनिकीकरण योजना	सामान्य		78.98	52.07	1,31.05	..	78.98	52.06	1,31.04
बाड़मेर लिफ्ट नहर परियोजना फेज- II पार्ट-डी	सामान्य		3,05.30	1,02,63.78	1,05,69.08	..	3,05.30	1,02,63.78	1,05,69.08
	ज.जा.उ.यो.		84.50	20,16.90	21,01.40	..	84.50	20,16.90	21,01.40
	अ.जा.उ.यो.		1,10.20	26,59.32	27,69.52	..	1,10.20	26,59.32	27,69.52
नील-क्रांति: समन्वित विकास और मत्स्य पालन प्रबंधन	सामान्य		1,25.00	1,33.06	2,58.06	66.27	1,25.00	1,33.06	2,58.06
	अ.जा.उ.यो.		..	1.68	1.68	17.01	..	1.68	1.68
राजस्थान चिकित्सा शिक्षा समिति के लिए सहायताार्थ अनुदान (राजमेस)	सामान्य		..	80,27.00	80,27.00	80,27.00	80,27.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु0 जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18			वास्तविक 2016-17	
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा		
(₹ लाख में)										
पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं वजीफा	पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं वजीफा	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	75,74.65 1,94,59.41 2,83,61.22
पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं वजीफा	पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसुचित जाति	अ.जा.उ.यो.	2,05,69.35	81,71.75	2,87,41.10	..	2,05,69.35	81,71.74	2,87,41.09	..
पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं वजीफा	पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसुचित जनजाति	ज.जा.उ.यो.	1,42,64.71	97,37.76	2,40,02.47	..	1,42,64.72	97,37.75	2,40,02.47	..
पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं वजीफा	पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	67,42.39	16,98.62	84,41.01	..	67,42.39	16,98.62	84,41.01	..
	प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी (सी.आई.पी.ई.टी.)	सामान्य	..	8,00.00	8,00.00	8,00.00	8,00.00	..
	पोल्ट्री उत्पादकता परियोजना	सामान्य	86.40	57.60	1,44.00	..	86.40	57.60	1,44.00	..
	सी.सी.डी. योजना के अन्तर्गत सहरियां के विकास लिए टी.ए.डी. भवनों में सुविधाओं का निर्माण, पुनरुद्धार तथा विस्तार	ज.जा.उ.यो.	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..
	सी.सी.डी. योजना के अन्तर्गत सहरियां के विकास लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केन्द्रों का पुनरुद्धार तथा विकास	ज.जा.उ.यो.	3,05.69	..	3,05.69	..	3,05.69	..	3,05.69	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (समाप्त)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2017-18			वास्तविक 2017-18				वास्तविक 2016-17	
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय मय केन्द्र एवं राज्य हिस्सा	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा			योग
(₹ लाख में)											
अन्य योजनाएं जहां प्रावधान तथा व्यय ₹ 1 करोड़ से कम है		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	10,00.79 3,54.25 62.76	5,70.11 42.56 50.03	15,70.90 3,96.81 1,12.79	10,00.69 3,54.29 62.62	5,71.44 42.56 50.03	15,72.13 3,96.85 1,12.65	18,76.77 1,67.32 1,63.90	12,96.56 2,42.68 1,65.45
कुल योग			1,68,09,81.56	1,87,79,96.41	3,55,89,77.97	91,53,27.42	1,68,22,29.60	1,88,09,59.97	3,56,31,89.57	53,84,18.67	2,90,91,44.38

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं *

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./ अ.जा.उ.यो.#	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
राजस्थान निवेश संवर्धन नीति	सामान्य	7,00,00.00	3,27,55.63	4,18,80.20	6,99,42.63	4,18,80.21	6,99,42.63
सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण	सामान्य	..	12,59.76	..	35,11.38	..	35,11.38
पुलिस दल में कम्प्यूटरीकरण का आधुनिकीकरण	सामान्य	..	17,04.00	..	17,04.00	..	17,04.00
राजस्व भवन	सामान्य	1,35,40.00	1,24,50.48	44,95.25	95,93.57	45,38.05	1,07,61.14
	ज.जा.उ.यो.	20,45.00	20,04.75	4,71.72	14,38.31	4,79.08	16,14.86
	अ.जा.उ.यो.	23,80.00	18,47.94	5,82.13	9,11.08	6,12.75	10,22.91
सचिवालय का आधुनिकीकरण	सामान्य	5,41.47	4,35.79	3,28.77	3,55.58	3,33.89	3,98.86
सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग भवन	सामान्य	0.01	20,00.00
निदेशालय, प्राथमिक शिक्षा का स्थापना व्यय	सामान्य	3,65.51	1,26.02	2,60.84	1,71.75	2,58.41	1,71.76
लड़कों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों का स्थापना व्यय	सामान्य	19,54.35	59,33.38	1,09,02.85	15,67.28	1,09,00.36	15,67.24
	ज.जा.उ.यो.	51.00	1,46.02	61.27	..	61.27	..
	अ.जा.उ.यो.	1,07.60	1,07.61	1,07.60	1,07.60	1,07.60	1,07.60
लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों का स्थापना व्यय	सामान्य	2,58.01	1,01.03	10,89.20	1,15.30	10,88.35	1,15.30
	ज.जा.उ.यो.	6.50	0.03
प्राथमिक शिक्षा निरीक्षण	सामान्य	33,70.25	34,05.26	40,92.37	31,91.95	40,91.86	31,91.94
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ आश्रम छात्रावास की स्थापना	ज.जा.उ.यो.	43,98.70	41,78.60	40,20.21	37,21.48	40,20.21	37,21.49
मदरसा बोर्ड	सामान्य	1,90.01	1,95.01	1,45.00	1,95.00	1,45.00	1,95.00
रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर	सामान्य	9,19.49	9,40.30	9,11.65	2,43.63	9,11.65	2,43.63

* योजनाओं में ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक का राज्य निधि/योजनागत परिव्यय अथवा बजट आवंटन अथवा व्यय को सम्मिलित किया गया है।

इस परिशिष्ट में प्रयुक्त निम्न संक्षिप्त रूपों का पूर्ण विवरण इस प्रकार है:- 1. ज.जा.उ.यो. - जनजाति उप-योजना 2. अ.जा.उ.यो. - अनुसूचित जाति उप-योजना।

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
लड़कों के राजकीय महाविद्यालय का स्थापना व्यय	सामान्य	34,79.01	30,18.01	38,18.20	31,72.02	38,15.10	31,69.26
	ज.जा.उ.यो.	11,06.51	10,01.51	8,56.06	7,31.83	8,45.02	7,31.84
	अ.जा.उ.यो.	7,41.52	8,81.52	6,51.47	6,64.31	6,51.47	6,64.31
लड़कियों के राजकीय महाविद्यालय का स्थापना व्यय	सामान्य	8,85.51	8,03.51	11,31.72	8,09.41	11,31.74	8,09.23
साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम	सामान्य	3,57.30	2,64.95	2,76.22	2,64.02	2,75.92	2,64.03
	ज.जा.उ.यो.	30.01	15.45	25.01	22.38	25.01	22.38
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01
साहित्य अकादमी	सामान्य	1,00.00	1,00.00	63.31	12.14	63.31	12.14
संस्कृत विद्यालय का स्थापना व्यय	सामान्य	52,12.79	39,29.44	51,02.46	44,67.79	51,02.38	44,67.71
	ज.जा.उ.यो.	6,31.79	5,25.72	6,51.12	5,38.28	6,51.12	5,38.28
	अ.जा.उ.यो.	9,51.74	7,64.74	11,45.40	9,25.88	11,45.42	9,25.90
संस्कृत अकादमी	सामान्य	1,65.00	1,05.00	1,17.51	1,44.93	1,17.51	1,44.93
माध्यमिक विद्यालय भवन में निर्माण कार्य	सामान्य	21,72.07	48,67.87	14,11.44	30,88.62	14,18.58	30,88.62
	ज.जा.उ.यो.	0.01	2.26	..	1.66	..	1.66
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01
विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा हेतु भवनों का निर्माण	सामान्य	73,00.00	68,50.00	22,17.61	27,01.98	22,25.69	27,01.68
	अ.जा.उ.यो.	18,00.00	18,75.00	5,35.20	5,09.88	5,68.32	5,09.75
जिला खेलकूद परिसर का निर्माण	सामान्य	18,82.51	22,82.09	14,04.60	12,63.33	14,04.60	12,63.33
	ज.जा.उ.यो.	7,45.79	8,13.64	3,00.00	6,01.00	3,00.00	6,01.00
	अ.जा.उ.यो.	8,39.44	7,71.56	4,20.15	5,91.00	4,20.15	5,91.00
अनुसंधान संस्था टोंक	सामान्य	5,47.63	33.70	4,20.58	0.01	3,78.72	..
विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम	सामान्य	17,30.00	14,70.00	16,70.27	14,60.12	16,70.27	14,60.12
राजस्थान राज्य भारत स्काउट तथा गाइड्स को सहायता	सामान्य	4,40.50	5,13.89	3,40.80	4,29.90	3,40.80	4,29.90
	ज.जा.उ.यो.	36.71	42.85	36.69	34.50	36.69	34.50
	अ.जा.उ.यो.	47.20	55.06	48.50	45.06	48.50	45.06
राजस्थान खेलकूद परिषद को अनुदान	सामान्य	14,55.81	16,01.83	14,55.81	12,12.50	14,55.81	12,12.50
	ज.जा.उ.यो.	4,17.50	2,56.19	4,17.50	1,93.88	4,17.50	1,93.88
	अ.जा.उ.यो.	4,15.39	1,99.26	4,15.39	1,50.90	4,15.39	1,50.90

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं--(क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर को प्रोत्साहन	सामान्य	1,85.00	1,85.00	90.25	98.10	90.25	98.10
जयपुर कथक केन्द्र	सामान्य	1,20.00	1,83.00	70.00	83.00	70.00	83.00
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर	सामान्य	7,69.00	5,00.00	7,66.25	4,87.78	7,66.25	4,87.79
स्वायत्तशासी निकायों तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता	सामान्य	2,00.00	2,50.00	3,32.00	1,99.94	3,32.00	1,99.94
अम्बेडकर पीठ	अ.जा.उ.यो.	47.78	20.01	2,33.70	39.07	2,33.70	39.07
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास	ज.जा.उ.यो.	1,00.00	1,00.00	99.65	99.62	99.65	99.62
आयुर्वेद प्रशासन	सामान्य	5,83.62	4,97.43	5,79.15	4,78.04	5,79.14	4,78.04
आयुर्वेद अस्पताल तथा औषधालय	सामान्य अ.जा.उ.यो.	10,47.95 2,13.33	8,73.54 1,84.34	10,38.80 1,91.06	9,58.57 1,82.56	10,38.50 1,91.38	9,58.56 1,82.56
आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,46.97 20.40 7.60	1,30.08 20.40 7.60	97.78 19.57 8.58	54.91 20.32 7.49	99.54 19.57 8.58	54.40 20.32 7.49
होम्योपैथी अस्पताल तथा औषधालय की स्थापना	सामान्य अ.जा.उ.यो.	2,97.61 1,85.00	2,57.55 1,76.44	2,82.13 1,03.80	2,08.68 1,00.02	2,82.13 1,03.81	2,08.68 1,00.02
यूनानी अस्पताल तथा औषधालय की स्थापना	सामान्य अ.जा.उ.यो.	3,50.97 1,01.19	2,00.82 82.04	3,50.53 30.08	2,87.08 35.31	3,50.52 30.08	2,87.08 35.30
स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्थापना	ज.जा.उ.यो.	20,12.04	15,14.04	16,85.05	18,09.23	16,83.02	18,09.22
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	ज.जा.उ.यो.	35,11.05	30,12.05	34,68.51	32,38.03	34,68.32	32,37.97
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	ज.जा.उ.यो.	16,16.39	16,29.53	14,37.48	12,18.70	14,37.42	12,18.35
चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	22,68.10 55.00 24,71.00	19,31.11 8,55.00 20,60.01	33,47.47 1,29.16 32,93.15	20,57.57 7,92.95 23,30.12	33,47.48 1,29.16 32,93.15	20,57.56 7,92.96 23,30.11
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	सामान्य	91,00.01	1,13,80.01	90,70.00	92,40.00	90,70.00	92,40.00
पंचकर्म केन्द्र तथा पंचगव्य रसायन शाला का निर्माण	सामान्य	1,05.31	2,48.79	5.39	2,08.93	5.39	2,08.92

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
नर्स/कम्पाउन्डर आयुर्वेद प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर का सुधार	सामान्य	10.25	16.76	10.25	16.31	10.25	16.31
	ज.जा.उ.यो.	0.01	60.00	..	28.25	..	28.25
	अ.जा.उ.यो.	88.36	3,20.00	88.36	1,10.16	88.36	1,10.16
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	सामान्य	0.01	0.01
	अ.जा.उ.यो.	57,49.99	29,25.00	8,78.39	5,25.00	8,78.39	5,25.00
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन	सामान्य	2,75.41	3,11.21	2,91.53	2,75.31	2,91.53	2,75.31
मेडिकल महाविद्यालय, जयपुर में निर्माण कार्य	सामान्य	..	31,50.00	..	28,87.55	..	28,84.94
	ज.जा.उ.यो.	..	5,75.29	..	1,90.42	..	1,90.42
	अ.जा.उ.यो.	..	10,00.01	..	14,96.80	..	14,96.80
मेडिकल महाविद्यालय, जयपुर में अन्य व्यय	सामान्य	18,68.02	34,32.88	17,50.68	20,27.57	17,50.67	20,27.57
अधीनस्थ अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान	सामान्य	1,59.64	1,43.10	1,44.95	1,36.83	1,44.93	1,36.82
पाइप लाईन के माध्यम से ग्रामीण जलपूर्ति योजना- प्रतिशत शुल्क	सामान्य	72,00.01	73,54.91	74,88.95	65,41.59	74,88.95	65,41.59
मशीनरी, फिल्टर संयंत्रों तथा मुख्य कार्यों का आधुनिकीकरण, कायाकल्प तथा पुर्नजीवीकरण फिल्टर संयंत्रों के लिए उपकरणों की खरीद सहित	सामान्य	5,00.00	5,00.00	1,64.96	2,91.59	1,64.96	2,91.59
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता	सामान्य	82,75.00	97,75.00	57,34.03	63,94.26	57,33.05	63,60.01
पम्प तथा मोटर को बदलना	सामान्य	20,00.00	20,00.00	8,14.02	6,54.66	8,14.02	6,54.66
ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाओं हेतु पुरानी तथा प्रदुषित पाइन लाइनों को बदलना तथा अन्य सुधार	सामान्य	30,00.00	30,00.00	17,84.82	21,93.47	17,84.45	21,93.39
चम्बल-बालेर -सवाई माधोपुर जलपूर्ति योजना	सामान्य	24,04.50	10,30.50	5,48.48	2,29.37	5,47.83	2,29.36
	ज.जा.उ.यो.	4,72.50	2,02.50	1,08.00	..	1,08.00	..
	अ.जा.उ.यो.	6,23.00	2,67.00	1,37.45	66.66	1,37.45	66.66
चूरू तथा झुंझुनू जलपूर्ति योजना (आपनी योजना फेज-II)	सामान्य	44,52.50	24,04.50	30,68.44	21,14.45	30,68.44	21,14.45
	ज.जा.उ.यो.	13,12.50	4,72.50	6,02.97	4,15.51	6,02.97	4,15.51
	अ.जा.उ.यो.	17,35.00	6,23.00	7,94.72	5,60.70	7,94.72	5,60.70

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
जनता जल योजना	सामान्य	95,00.00	1,00,00.00	1,03,04.29	91,08.56	1,02,98.99	91,26.15
नहरों की कायाकल्प तथा मरम्मत	सामान्य	60,00.00	50,00.00	39,96.50	55,95.58	39,96.21	54,83.18
सलाहकार के माध्यम से परियोजनाओं की तैयारी/ नई परियोजना तैयार करने के लिए सलाहकार	सामान्य	3,50.00	0.01	1,55.66	39.78	1,55.66	39.78
रिंस का क्रय तथा पुर्नउपयोग	सामान्य	1,00.00	2,00.00	11.92	..	11.92	..
नागौर लिफ्ट नहर फेज-1 (शहरी)	सामान्य	10,00.00	9,00.00	4,92.64	3,42.08	4,92.64	3,42.08
सामान्य आवासीय भवन	सामान्य	4,45.12	5,00.00	4,39.53	2,26.90	4,40.82	2,35.10
राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानीय निकायों को अनुदान	सामान्य	6,30,75.66	5,68,50.81	5,57,78.29	6,14,83.89	5,57,78.29	6,14,83.89
	ज.जा.उ.यो.	1,24,08.46	1,05,84.74	1,09,46.18	1,20,80.68	1,09,46.18	1,20,80.68
	अ.जा.उ.यो.	1,63,88.88	1,40,32.45	1,44,78.49	1,59,67.48	1,44,78.49	1,59,67.48
शहरी जन सहभागिता योजना	सामान्य	17,03.45	17,16.75	8,11.12	6,83.06	8,11.12	6,83.06
	ज.जा.उ.यो.	3,37.50	3,37.50	1,60.69	1,34.30	1,60.69	1,34.30
	अ.जा.उ.यो.	4,45.75	4,45.75	2,12.33	1,77.32	2,12.33	1,77.32
शहरी नवीनीकरण	सामान्य	48,07.00	1,03,00.50	41,71.51	26,33.91	41,71.51	26,33.91
	ज.जा.उ.यो.	9,45.00	20,25.00	3,85.57	5,17.82	3,85.57	5,17.82
	अ.जा.उ.यो.	12,48.00	26,74.50	5,09.25	6,83.71	5,09.25	6,83.71
राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना	सामान्य	5,00.00	5,00.00	..	16.01	(-) 1,00.00 *	(-) 3,83.99
सूचना केन्द्र तथा कार्यालय भवन का निर्माण	सामान्य	4,33.12	5,05.49	2,42.32	1,70.75	2,48.54	1,70.75
	ज.जा.उ.यो.	2,06.20	1,54.62	..	21.50	..	22.35
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01
छात्रावासों का रखरखाव	सामान्य	13,79.12	33,18.75	9,48.70	15,46.31	9,48.61	15,46.31
सम्बल ग्राम का विकास	अ.जा.उ.यो.	50,00.00	40,60.00
राजस्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	अ.जा.उ.यो.	10,00.00	5,00.00	7,50.00	5,00.00	7,50.00	5,00.00

* ऋण व्यय जोधपुर क्षेत्र पर कार्य के सम्बन्ध में जोधपुर विकास प्राधिकरण से ऋण किश्त की प्राप्ति के कारण है जो कि जोधपुर क्षेत्र पर फेज-1 कार्य के लिये दिया गया था।

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
पालनहार योजना के अन्तर्गत आश्रयरहित बच्चे	सामान्य	1,30,00.00	1,01,13.17	1,49,49.99	1,30,00.00	1,49,49.99	1,29,98.45
	ज.जा.उ.यो.	25,00.00	30,00.00	28,49.99	25,00.00	28,49.98	24,99.99
	अ.जा.उ.यो.	45,00.00	40,00.00	50,00.00	45,00.00	50,00.00	44,99.77
अनुग्रहीत योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. अभ्यर्थियों को सहायता	सामान्य	30.00	25.00	29.18	29.85	29.18	29.85
	ज.जा.उ.यो.	1,50.00	1,00.00	1,48.85	1,49.88	1,48.85	1,49.88
	अ.जा.उ.यो.	1,50.00	1,00.00	1,09.75	1,50.00	1,09.75	1,50.00
सहयोग योजना	सामान्य	7,50.00	11,20.00	7,36.85	6,67.25	7,36.85	6,67.25
	ज.जा.उ.यो.	2,50.00	4,20.00	2,78.75	1,87.70	2,78.75	1,87.70
	अ.जा.उ.यो.	5,00.00	7,00.00	4,10.20	3,49.15	4,10.20	3,49.15
गाडिया लुहार के लिए एकीकृत परियोजना	सामान्य	2,00.00	2,00.00	1,50.00	1,42.80	1,50.00	1,42.80
राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास सहकारी निगम को अंशपूँजी	सामान्य	1,55.00	3,00.00	1,55.00	..	1,55.00	..
रोजगार सेवाएं-सामान्य कार्यालय	सामान्य	3,74.00	4,06.00	3,11.40	3,02.00	3,11.40	3,02.00
	ज.जा.उ.यो.	56.00	61.98	9.63	32.02	9.63	32.02
	अ.जा.उ.यो.	72.00	81.98	37.67	63.16	37.67	63.15
विश्वास योजना के तहत प्रोसथैटिक सहायता	सामान्य	8,30.00	3,32.50	12,32.57	2,07.65	12,32.57	2,07.65
	ज.जा.उ.यो.	1,10.00	68.00	1,36.78	29.90	1,36.78	29.90
बाल कल्याण योजनाओं के विस्तार हेतु सहायता	सामान्य	60.00	60.00	77.50	1,03.35	77.50	1,03.35
महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान	सामान्य	2,40.28	1,93.30	1,44.27	1,44.07	1,44.27	1,43.84
महिला कल्याण कोष	सामान्य	1,25.04	1,35.70	99.26	1,02.11	99.26	1,02.10
	ज.जा.उ.यो.	17.89	19.29	14.71	15.87	14.72	15.86
विकलांगों की पहचान	सामान्य	10.01	15.00	3,40.48	4.65	3,40.48	4.65
	ज.जा.उ.यो.	1.01	1.35	48.55	0.61	48.55	0.61
विकलांगों के विवाह के लिए शिविर	सामान्य	1,31.50	1,30.00	86.00	61.00	86.00	61.00
	ज.जा.उ.यो.	15.00	22.10	10.75	10.75	10.75	10.75
पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों का संचालन	सामान्य	3,14.01	2,72.88	3,06.61	2,11.43	3,06.62	2,11.43

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ घूमंत जनजातियों के बच्चों के लिए अलग एवं सम्मिलित छात्रावास	सामान्य	1,20.00	26.00	82.86	65.53	82.86	65.53
रेबारी एवं अन्य प्रवासी समुदाय के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय भवन	सामान्य	5,00.00	0.01
युद्ध विधवाओं के लिए छात्रावास और पुनर्वास केन्द्र का निर्माण	सामान्य	55.65	3,62.64	50.16	2,03.84	50.16	2,03.84
श्रम खण्डीय तथा जिला कार्यालय भवन का निर्माण	सामान्य	3,70.87	5,84.11	43.37	38.26	43.37	38.25
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) में निर्माण कार्य	सामान्य	1,40,72.27	1,51,86.71	1,08,55.43	84,78.82	1,08,54.35	84,78.81
	ज.जा.उ.यो.	8,93.99	10,05.52	4,23.17	4,04.79	4,23.17	4,04.79
	अ.जा.उ.यो.	12,52.00	22,31.37	4,31.34	11,41.21	4,31.34	11,41.22
तीर्थ यात्रियों के लिए मंदिरों का विकास तथा पुनरुद्धार	सामान्य	10,73.25	30,38.33	6,04.78	5,23.34	6,11.49	4,93.30
	ज.जा.उ.यो.	14.10	5,85.85	14.09	16.05	14.09	16.05
बीज विकास	सामान्य	3,18.55	38.41	7,06.24	9.35	7,06.16	9.35
नान एन्डोमिक क्षेत्रों में कीट एवं बीमारियों का उन्मूलन	सामान्य	4,72.66	5,94.26	3,83.29	3,33.60	3,83.30	3,33.62
	ज.जा.उ.यो.	25.00	75.00	11.33	9.08	11.33	9.08
	अ.जा.उ.यो.	25.00	93.00	17.38	23.38	17.38	23.38
कृषि विस्तार सेवाएं	सामान्य	2,68.39	2,56.64	2,75.42	3,74.49	2,75.42	3,74.49
	ज.जा.उ.यो.	56.46	51.70	55.82	63.99	55.82	63.99
	अ.जा.उ.यो.	89.25	1,09.96	86.91	1,32.79	86.92	1,32.78
कृषि सूचना	सामान्य	31,71.00	11,71.00	43,10.28	26,56.23	43,10.27	26,56.23
	ज.जा.उ.यो.	30.00	30.00	21.96	22.92	21.96	22.91
	अ.जा.उ.यो.	38.00	..	35.13	..	35.13	..
कृषि प्रदर्शनी/मिनिकिट	सामान्य	3,50.00	4,22.06	2,36.48	2,99.39	2,36.48	2,99.39
	ज.जा.उ.यो.	65.00	30.42	31.17	17.49	31.17	17.49
	अ.जा.उ.यो.	84.97	47.52	76.89	33.87	76.89	33.87
प्रोत्साहन कार्यक्रम	सामान्य	3,98.00	5,82.00	3,44.83	3,11.31	3,44.83	3,11.31
	ज.जा.उ.यो.	1,17.00	1,59.51	82.74	96.99	82.74	96.99
	अ.जा.उ.यो.	1,85.00	2,58.49	1,36.96	1,84.14	1,36.96	1,84.14

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
बागवानी का विकास	सामान्य	8,86.40	6,62.36	9,86.97	8,10.48	9,86.96	8,10.48
	ज.जा.उ.यो.	1,33.07	89.52	1,28.20	1,20.69	1,28.19	1,20.68
	अ.जा.उ.यो.	1.01	1.01	0.93	0.64	0.93	0.65
जल प्रबंधन	सामान्य	0.01	3,45.00
	ज.जा.उ.यो.	0.01	65.00
	अ.जा.उ.यो.	0.01	90.00
आजीविका मिशन	सामान्य	51,50.25	51,52.50	41,66.16	30,90.12	41,66.16	30,90.12
	ज.जा.उ.यो.	10,12.50	13,35.00	5,40.00	6,07.50	5,40.00	6,07.50
	अ.जा.उ.यो.	13,37.25	10,12.50	7,13.20	8,02.35	7,13.20	8,02.35
भू संरक्षण कार्य	सामान्य	0.16	0.16	9,60.00	..	9,60.00	..
पशु अस्पताल तथा औषधालय का स्थापना व्यय	सामान्य	72,53.45	64,72.59	97,24.93	50,39.65	97,15.47	50,29.00
	ज.जा.उ.यो.	9,80.31	6,25.70	6,24.49	3,44.97	6,24.49	3,44.74
पशु पॉलीक्लिनिकस का स्थापना व्यय	सामान्य	6,98.13	5,31.56	9,02.72	6,26.02	9,02.72	6,25.95
पशुपालन कार्यालय से संबंधित निर्माण कार्य	सामान्य	50.00	2,15.08	19.59	1,50.12	20.04	1,45.09
परिभाषित वनों का पुर्नवास	सामान्य	8,33.82	11,75.33	8,16.06	11,07.80	8,16.06	11,07.80
	ज.जा.उ.यो.	9,06.15	12,19.32	9,41.38	12,08.39	9,41.38	12,08.39
	अ.जा.उ.यो.	5,94.93	4,97.16	6,10.09	4,36.36	6,10.09	4,36.37
जैव विविधता संरक्षण परिस्थितिकीय पर्यटन गतिविधियों को शामिल करते हुए	सामान्य	3,51.82	4,10.21	2,29.56	3,23.78	2,29.55	3,23.78
	ज.जा.उ.यो.	5.00	5.00	4.89	4.42	4.89	4.42
फार्म वानिकी शिक्षा	सामान्य	3,36.01	2,24.71	3,05.65	2,08.46	3,05.65	2,08.46
घाना पक्षी अभ्यारण का विकास (गोवर्धन ड्रेन)	सामान्य	0.01	0.01
	अ.जा.उ.यो.	1,50.00	1,50.00	94.09	1,17.95	94.09	1,17.95
वानिकी संचार तथा भवन का आधुनिकीकरण कायाकल्प, नवीनीकरण और उन्नयन	सामान्य	3,43.00	3,93.00	3,02.09	1,96.88	3,02.09	1,96.50
भाखड़ा नांगल नहर के पास पौधारोपण	सामान्य	3,55.65	3,60.76	3,20.50	1,67.95	3,20.50	1,67.95

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं--(क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
गंग नहर के पास पौधारोपण	सामान्य	2,74.50	3,15.89	2,74.35	2,28.71	2,74.35	2,28.71
वन /कैम्पा निधि की विभिन्न परियोजनाएं	सामान्य	11.26	50.00	1,53.79	8,19.18	1,53.79	8,19.18
पर्यावरणीय वानिकी	सामान्य	8,00.61	4,47.59	9,51.14	6,95.69	9,51.14	6,95.69
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-कृषि अनुसंधान हेतु सहायता	सामान्य ज.जा.उ.यो.	3,15.27 0.03	3,43.69 0.03	3,15.26 ..	3,43.68 ..	3,15.26 ..	3,43.68 ..
महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को कृषि अनुसंधान के लिए सहायता	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	5,55.66 2,38.91 1,16.02	5,07.95 2,27.54 1,01.08	5,55.66 2,38.91 1,16.02	5,07.95 2,27.54 1,01.08	5,55.66 2,38.91 1,16.02	5,07.95 2,27.54 1,01.08
सहकारी साख संस्थाओं को ब्याज के भुगतान हेतु सहायता	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,12,76.88 21,24.63 29,41.80	1,17,30.00 22,10.00 30,60.00	1,09,99.00 14,76.00 22,32.00	1,09,02.00 20,54.00 28,42.32	1,09,99.00 14,76.00 22,32.00	1,09,02.00 20,54.00 28,42.32
सहकारी समितियों के अच्छे ऋण धारकों को ब्याज अनुदान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,60,04.00 46,47.00 63,49.00	2,29,19.00 40,96.00 55,96.00	2,06,15.00 28,12.00 24,89.00	2,44,89.00 38,44.00 39,41.00	2,06,15.00 28,12.00 24,89.00	2,44,89.00 38,44.00 39,41.00
राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	18,98,12.25 3,74,04.00 4,98,76.75	16,87,80.26 3,31,22.11 4,38,10.63	18,98,12.08 3,74,03.99 4,98,76.73	17,96,64.00 3,60,87.98 4,67,20.03	18,98,12.08 3,73,92.18 4,98,76.73	17,96,63.87 3,60,87.98 4,67,20.02
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,74,00.00 54,00.00 72,00.00	2,74,80.00 54,00.00 71,20.00	3,42,50.00 67,50.00 90,00.00	2,74,80.00 54,00.00 71,20.00	3,42,50.00 67,50.00 90,00.00	2,74,80.00 54,00.00 71,20.00
स्व-विवेक जिला विकास योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,06.00 40.50 53.50	2,74.80 54.00 71.20	2,06.00 40.50 53.50	2,74.80 54.00 71.20	2,06.00 40.50 53.50	2,74.80 54.00 71.20
पंचायती राज मुख्यालय भवन का विस्तार तथा साजसज्जा	सामान्य	0.01	1,68.00
जिला परिषद तथा पंचायत समिति भवन का आधुनिकीकरण	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	27,46.75 5,40.00 7,13.25	34,93.64 6,85.46 9,05.90	17,22.08 4,44.53 3,33.39	29,58.99 6,06.52 7,47.24	17,22.08 4,44.53 3,33.39	29,58.99 6,06.52 7,47.24

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं--(क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
मेवात क्षेत्र विकास	सामान्य	34,35.00	41,22.00	33,86.39	30,44.42	33,86.39	30,44.42
	ज.जा.उ.यो.	6,75.00	8,10.00	6,75.00	6,07.00	6,75.00	6,07.00
	अ.जा.उ.यो.	8,90.00	10,68.00	8,90.00	7,99.92	8,90.00	7,99.92
डांग क्षेत्र विकास	सामान्य	34,25.41	34,35.00	33,62.76	32,76.53	33,62.76	32,76.53
	ज.जा.उ.यो.	6,78.20	6,75.00	7,42.00	6,45.00	7,42.00	6,45.00
	अ.जा.उ.यो.	8,96.40	8,90.00	8,89.00	8,50.00	8,89.00	8,50.00
मगरा क्षेत्र विकास	सामान्य	34,35.00	34,35.00	33,68.03	30,56.21	33,68.04	30,56.20
	ज.जा.उ.यो.	6,75.00	6,75.00	7,39.00	6,00.00	7,39.00	6,00.00
	अ.जा.उ.यो.	8,90.00	8,90.00	8,85.00	7,90.32	8,85.00	7,90.32
भाखड़ा नांगल परियोजना	सामान्य	8,80.00	15,00.00	16,81.83	14,10.28	17,25.56	14,10.01
इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय स्टेज	सामान्य	38,82.34	41,30.00	29,16.70	21,43.85	48,19.09	39,87.44
	अ.जा.उ.यो.	9,48.02	24,50.50	6,73.35	6,94.22	6,73.27	6,91.79
यमुना जल परियोजना	सामान्य	34.00	34.00	1,74.76	34.00	1,74.76	34.00
	ज.जा.उ.यो.	7.00	7.00	35.98	7.00	35.98	7.00
	अ.जा.उ.यो.	9.00	9.00	46.26	9.00	46.26	9.00
रतनपुरा वितरिका	सामान्य	2,00.00	4,00.00	99.99	76.84	99.99	76.84
माही परियोजना	ज.जा.उ.यो.	7,00.01	41,66.06	8,28.73	11,03.43	8,21.58	11,02.94
बीसलपुर परियोजना	सामान्य	61.50	2,55.99	8,13.76	2,03.57	9,61.06	2,41.88
	अ.जा.उ.यो.	13.50	54.00	11.42	53.49	13.46	63.56
परवन परियोजना	सामान्य	6,11,44.99	4,76,00.00	4,10,34.97	4,76,22.90	3,57,59.66	4,72,62.71
	ज.जा.उ.यो.	1,70,00.00	98,00.00	1,26,57.47	98,00.00	1,26,02.09	97,99.99
	अ.जा.उ.यो.	2,18,55.00	1,26,00.00	1,77,57.49	1,26,00.00	1,60,85.70	1,26,00.00
धौलपुर लिफ्ट परियोजना	सामान्य	1,35,99.38	0.01	24,50.00	..	26,91.64	..
	ज.जा.उ.यो.	27,99.88	..	7,00.00	..	7,00.00	..
	अ.जा.उ.यो.	36,00.74	..	8,49.98	..	9,33.81	..
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	सामान्य	26,77.70	21,27.06	25,43.08	20,79.30	25,43.06	20,74.10
	अ.जा.उ.यो.	8,19.00	5,72.95	8,11.92	5,06.59	8,11.92	5,06.59

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण/ पुनर्जीविकरण/उन्नयन/पुनरुद्धार	सामान्य	16,05.63	17,17.07	27,63.96	32,82.19	30,36.31	33,24.15
	ज.जा.उ.यो.	3,65.62	3,25.00	5,75.16	6,83.13	5,75.06	6,82.85
	अ.जा.उ.यो.	5,28.75	4,75.00	7,83.73	6,83.91	8,61.03	6,70.49
गरदडा परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य	40,45.80	2,72.00	16,38.73	1,83.05	16,74.75	1,88.64
	ज.जा.उ.यो.	8,44.80	52.00	49.93	9.60	49.93	9.60
	अ.जा.उ.यो.	11,09.40	76.00	4,50.00	..	4,65.19	..
तकली परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य	9,52.50	2,04.00	8,98.81	22.97	9,87.46	19.70
	ज.जा.उ.यो.	2,13.57	39.00	2,49.99	..	2,49.99	..
	अ.जा.उ.यो.	3,08.85	57.00	3,49.87	43.21	3,84.38	33.64
लहासी परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य	4,52.06	5,36.00	2,88.06	15,87.99	2,60.97	15,50.46
	ज.जा.उ.यो.	1,01.36	1,04.00	79.99	5,80.68	79.99	5,40.05
	अ.जा.उ.यो.	1,46.58	1,60.00	1,25.80	4,56.55	1,38.20	4,02.53
राजगढ़ परियोजना	सामान्य	19,37.40	20,10.00	43,92.39	19,30.22	45,38.51	15,90.73
	ज.जा.उ.यो.	4,34.40	3,90.00	15,43.70	3,90.00	15,43.70	3,89.95
	अ.जा.उ.यो.	6,28.20	6,00.00	12,06.66	5,76.19	13,25.66	5,79.94
पीपलाद परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य	0.01	1,31.99	..	51.17	..	49.72
	ज.जा.उ.यो.	..	0.01
	अ.जा.उ.यो.	..	33.00	..	11.24	..	11.31
गागरिन परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य	11,62.44	6,39.99	6,70.00	6,96.89	7,41.10	7,04.82
	ज.जा.उ.यो.	2,60.64	0.01	1,30.00	..	1,30.00	..
	अ.जा.उ.यो.	3,76.92	1,60.00	2,50.00	1,53.65	2,74.65	1,54.65
हाथियां देय परियोजना	सामान्य	50,00.00	0.01	6.32	..	6.94	..
लघु सिंचाई निर्माण कार्य	सामान्य	70,13.60	36,90.00	66,82.50	28,68.69	62,50.37	28,40.75
	ज.जा.उ.यो.	53,00.00	45,00.00	63,60.73	38,33.35	62,75.34	37,79.25
	अ.जा.उ.यो.	26,86.40	8,10.00	23,95.33	9,22.44	26,31.14	9,34.60
लघु सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण/ विस्तार/पुनरुद्धार	सामान्य	13,60.10	13,20.00	16,13.33	21,20.70	17,44.67	21,27.62
	ज.जा.उ.यो.	2,80.00	3,20.00	2,07.62	6,54.76	2,07.50	6,50.16
	अ.जा.उ.यो.	3,60.00	3,60.00	3,69.13	6,94.26	4,02.12	6,98.07
भू-जल विभाग द्वारा किये गये लघु सिंचाई निर्माण कार्य	सामान्य	85.03	1,48.00	77.48	7.75	77.48	7.75
	ज.जा.उ.यो.	0.01	20.00	..	8.70	..	8.70

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
जल संरक्षण ढाँचा	सामान्य	23,80.00	61,27.00	30,13.35	33,10.02	32,68.73	29,99.69
	ज.जा.उ.यो.	4,90.00	12,55.00	5,23.24	9,48.92	5,22.75	8,95.24
	अ.जा.उ.यो.	6,30.00	16,18.00	6,38.54	7,23.01	7,01.64	6,86.46
मंडियों का विकास	सामान्य	75.00	75.00	62.36	13.27	62.36	13.27
	अ.जा.उ.यो.	25.00	25.00	18.75	..	18.75	..
घग्घर बाढ़ नियंत्रण कार्य	सामान्य	1,64.02	2,05.00	1,25.38	1,62.91	1,28.39	1,62.44
	अ.जा.उ.यो.	36.00	45.00	23.78	36.00	23.78	36.00
अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्य	सामान्य	31,15.99	27,49.99	53,68.51	21,74.62	58,91.34	21,88.77
	अ.जा.उ.यो.	6,84.00	0.02	12,24.00	33.12	13,44.72	33.33
राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश	सामान्य	2,54,10.00	2,54,10.00	1,62,95.15	4,13,22.60	1,62,95.15	4,13,22.60
	ज.जा.उ.यो.	69,30.00	69,30.00	44,43.95	1,03,05.00	44,43.95	1,03,05.00
	अ.जा.उ.यो.	1,38,60.00	1,38,60.00	88,88.90	1,77,80.40	88,88.90	1,77,80.40
राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश	सामान्य	1,60,60.00	1,85,90.00	1,37,50.55	1,07,00.67	1,37,50.55	1,07,00.67
	ज.जा.उ.यो.	43,80.00	50,70.00	37,50.15	29,18.37	37,50.15	29,18.37
	अ.जा.उ.यो.	87,60.00	1,01,40.00	75,00.30	58,36.73	75,00.30	58,36.73
जैव ईंधन प्राधिकरण	सामान्य	1,86.79	1,85.67	1,12.71	1,31.67	1,12.71	1,31.46
	ज.जा.उ.यो.	98.17	98.17	98.00	35.08	98.00	35.08
	अ.जा.उ.यो.	40.04	40.04	40.00	26.00	40.00	26.00
लघु स्तरीय उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन	सामान्य	25.00	4,15.00	1,41.88	1,99.51	1,41.88	1,99.51
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी	सामान्य	70.00	54.00	76.00	54.00	76.00	54.00
	ज.जा.उ.यो.	20.00	21.00	10.30	21.00	10.30	21.00
	अ.जा.उ.यो.	25.00	25.00	13.20	25.00	13.20	25.00
क्लस्टर विकास	सामान्य	1,30.02	72.02	1,38.50	72.00	1,38.50	72.00
	ज.जा.उ.यो.	20.01	48.50	..	38.92	..	38.91
	अ.जा.उ.यो.	30.00	30.00	30.00	4.02	30.00	1.02
सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों के लिये पॉलिसी पैकेज	सामान्य	0.01	6,48.34	..	8,77.45	..	8,77.45

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	सामान्य	3,43.79	4,99.00	3,43.79	4,31.40	3,43.79	4,31.40
	ज.जा.उ.यो.	30.37	97.00	30.37	83.85	30.37	83.85
	अ.जा.उ.यो.	66.59	1,42.00	66.59	1,22.75	66.59	1,22.75
निवेश संवर्धन ब्यूरो (बी आई पी)	सामान्य	7,00.00	6,87.80	7,00.00	6,87.80	7,00.00	6,87.80
राजस्थान लघु स्तरीय औद्योगिक निगम	सामान्य	1,20.01	1,20.00	1,50.00	1,80.99	1,50.00	1,80.99
ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण (रूडा)	सामान्य	3,22.39	2,87.00	2,13.00	1,42.00	2,13.00	1,42.00
	ज.जा.उ.यो.	37.06	33.00	18.00	16.00	18.00	16.00
	अ.जा.उ.यो.	50.55	45.00	24.00	22.00	24.00	22.00
सघन विवरण तथा खनिज सर्वेक्षण	सामान्य	15,22.05	13,69.39	14,10.35	14,10.80	14,10.07	14,10.60
	ज.जा.उ.यो.	2,10.86	2,02.46	2,44.65	1,88.46	2,44.66	1,88.45
	अ.जा.उ.यो.	2,51.43	2,07.07	2,65.00	2,13.87	2,64.74	2,13.86
जिला उद्योग केन्द्र (डी.आई.सी.) भवन का निर्माण	सामान्य	97.10	1,22.14	44.59	87.96	44.59	87.96
	ज.जा.उ.यो.	1,31.60	7.35	17.45	6.81	17.45	6.81
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01
राज्य सड़क निधि	सामान्य	5,00,00.00	5,00,00.00	4,25,00.00	..	4,25,00.00	..
सड़कों एवं पुलों का निर्माण- राज्य राजमार्ग का कार्य	सामान्य	94,51.50	44,62.95	53,98.99	21,20.93	54,79.25	23,44.89
	ज.जा.उ.यो.	19,55.50	8,77.50	4,33.51	2,58.12	4,40.35	2,90.44
	अ.जा.उ.यो.	25,93.00	11,59.55	17,56.23	5,82.63	17,83.91	6,55.43
सड़कों एवं पुलों हेतु भूमि अधिग्रहण	सामान्य	1,57.95	1,14.34	85.70	45.26	74.46	34.10
	ज.जा.उ.यो.	31.00	50.00	0.13	1.43	0.14	1.60
	अ.जा.उ.यो.	41.01	35.66	0.30	1.43	0.31	1.61
मुख्य जिला सड़कों की चौड़ाई, मजबूती तथा पुनरुद्धार	सामान्य	91,29.50	44,62.95	23,72.26	25,10.76	24,09.65	28,24.87
	ज.जा.उ.यो.	17,93.50	8,77.50	2,64.45	4,42.03	2,68.62	4,97.39
	अ.जा.उ.यो.	23,77.00	11,59.55	3,07.30	5,83.75	3,12.14	6,56.85
ग्रामीण सड़कें	सामान्य	14,40,20.00	8,92,71.00	11,84,46.26	4,28,82.00	12,01,92.49	4,81,29.01
	ज.जा.उ.यो.	2,84,18.00	1,75,50.00	2,41,61.95	87,06.87	2,45,27.14	97,21.20
	अ.जा.उ.यो.	3,75,62.00	2,31,79.00	3,31,84.96	1,10,94.83	3,36,89.43	1,23,80.43

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
शहरी सड़कें	सामान्य	41,97.90	37,78.51	41,10.41	24,19.56	41,61.00	27,22.54
	ज.जा.उ.यो.	8,08.80	7,42.50	7,47.56	6,90.19	7,52.75	7,76.63
	अ.जा.उ.यो.	9,93.30	9,79.00	8,10.03	6,44.58	8,22.79	7,25.31
हवाई पट्टियों का निर्माण	सामान्य	34,86.55	12,47.56	16,26.21	51,32.83	16,51.83	55,01.94
	ज.जा.उ.यो.	8,73.06	2,70.41	44.37	2,07.77	45.06	2,33.79
	अ.जा.उ.यो.	22,95.03	2,70.71	19.27	..	19.57	2,73.69
पर्यावरण सुधार	सामान्य	81.53	1,11.27	67.17	81.68	67.17	81.69
	ज.जा.उ.यो.	3.00	3.00	2.81	3.00	2.81	3.00
राज्य आयोजना मशीनरी	सामान्य	1,14.55	1,23.46	79.15	68.21	79.14	68.21
पर्यटन पुलिस	सामान्य	2,64.29	3,61.01	2,80.40	4,32.19	2,80.39	4,32.19
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार	सामान्य	11,72.08	9,50.48	16,32.11	10,79.04	16,32.12	10,79.05
आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय	सामान्य	25,03.42	15,26.22	25,57.24	20,18.25	25,56.82	20,18.24
	ज.जा.उ.यो.	2,16.64	1,37.93	1,88.62	1,42.90	1,88.62	1,42.85
	अ.जा.उ.यो.	3,18.62	2,24.18	3,17.44	2,64.60	3,17.44	2,64.60
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को ऋण	सामान्य	0.02	0.01	16,78.78	5,96.46	16,78.78	5,96.46
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा जारी ऋण पूंजी का क्रय	सामान्य	4,50.00	6,50.00	1,02.25	2,60.00	1,02.25	2,60.00
राजस्थान वक्फ बोर्ड को सहायता	सामान्य	4,23.07	2,16.65	1,71.87	2,16.64	1,71.87	2,16.64
सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक भवन)	सामान्य	15,50.46	13,09.78	12,01.18	8,97.74	12,19.58	7,15.05
जेल भवन	सामान्य	43,68.78	42,01.94	23,06.37	18,37.64	23,41.06	20,41.91
	ज.जा.उ.यो.	7,26.75	10,15.00	5.62	6.00	5.71	6.73
	अ.जा.उ.यो.	9,60.50	13,40.56	19.25	1,10.80	18.97	1,32.44
पुलिस प्रशासनिक भवन का निर्माण	सामान्य	33,61.79	21,30.80	28,80.42	12,86.38	29,19.73	14,41.87
	ज.जा.उ.यो.	5,76.25	9,18.77	4,64.64	..	4,71.13	..
	अ.जा.उ.यो.	5,61.96	5,53.10	2,67.17	..	2,71.34	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं--(क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
सहकारी काम्प्लेक्स भवन का निर्माण	सामान्य	1,91.19	4,95.00	2.96	2,32.34	3.01	2,60.86
	ज.जा.उ.यो.	11.30	1,05.00	10.90	76.31	11.06	85.68
	अ.जा.उ.यो.	1.70	1,00.00	1.36	20.26	1.38	22.74
अभियोजन भवन का निर्माण	सामान्य	1,77.19	1,63.90	1,53.84	1,32.90	1,55.96	1,49.21
स्टाम्प एवं पंजीकरण भवन का निर्माण	सामान्य	6,42.99	9,72.73	5,11.61	5,98.49	5,17.06	6,71.95
राज्य उत्पाद भवन का निर्माण	सामान्य	9,34.59	17,26.48	7,14.67	2,29.18	7,25.80	2,57.02
	ज.जा.उ.यो.	58.80	3,41.34	55.26	27.58	56.13	30.96
वाणिज्यिक कर विभाग भवन का निर्माण	सामान्य	61,11.02	20,44.37	21,57.43	12,18.73	21,91.05	13,68.33
रोजगार कार्यालय भवन का निर्माण	सामान्य	2,59.13	2,74.48	23.23	97.55	23.60	1,09.52
परिवहन भवन तथा ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण	सामान्य	4,61.18	3,07.74	2,22.41	2,45.16	2,25.88	2,75.26
	ज.जा.उ.यो.	87.94	60.82	15.12	20.46	15.35	22.97
	अ.जा.उ.यो.	1,16.08	80.44	21.30	50.92	21.63	57.17
राजभवन में निर्माण	सामान्य	1,16.33	2,20.00	1,04.05	1,06.79	1,05.67	1,19.90
कोष एवं लेखा विभाग भवन का निर्माण	सामान्य	10,49.61	9,02.82	4,55.54	2,82.10	4,62.64	3,16.31
	ज.जा.उ.यो.	2,48.63	1,36.50	85.60	25.87	76.92	28.66
	अ.जा.उ.यो.	1,40.00
एच सी एम रीपा, जयपुर में निर्माण कार्य	सामान्य	17,13.19	21,00.00	14,74.00	17,22.51	15,03.68	17,22.38
माध्यमिक शिक्षा का सामान्य व्यय	सामान्य	3,41.41	2,98.80	3,11.90	2,76.49	3,11.87	2,76.49
कोटा विश्वविद्यालय को अनुदान	सामान्य	1,12.45	1,12.00	84.30	1,11.98	84.30	1,11.98
विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान	सामान्य	2,00.00	2,25.00	1,30.50	2,00.00	1,30.50	2,00.00
युवा विकास केन्द्र	सामान्य	60.01	1,00.01	41.31	57.74	41.31	57.86
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	सामान्य	1,00.00	1,00.00	70.00	20.00	70.00	20.00
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर	सामान्य	70.00	1,00.00	10.00	50.00	10.00	50.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़	सामान्य	99.98	99.98	10.00	10.00	10.00	10.00
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर	सामान्य	7,00.00	2,45.00	7,00.00	2,45.00	7,00.00	2,45.00
महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	सामान्य	1,40.00	1,00.00	90.00	50.00	90.00	50.00
अभियांत्रिकी तथा तकनीकी महाविद्यालय, बीकानेर	सामान्य	1,00.00	1,00.00	25.00	75.00	25.00	75.00
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य क्षेत्रीय तथा जिला कार्यालय संस्थापना	सामान्य	5,08.05	4,58.05	4,65.33	4,36.30	4,65.32	4,36.26
चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	सामान्य	11,36.53	11,53.04	14,90.97	10,85.22	14,90.96	10,85.23
	ज.जा.उ.यो.	5,00.00	7,64.00	5,99.92	6,31.22	5,99.92	6,30.74
	अ.जा.उ.यो.	8,27.51	9,40.90	6,96.65	9,63.99	6,96.65	9,64.00
चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर	सामान्य	13,02.45	11,81.66	12,41.35	12,30.33	12,41.34	12,30.32
	ज.जा.उ.यो.	1,15.43	9,32.12	1,14.69	8,51.38	1,14.69	8,51.37
	अ.जा.उ.यो.	17,81.21	17,95.91	18,93.99	17,46.81	18,93.99	17,46.81
चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	सामान्य	4,90.86	3,25.98	5,12.09	1,05.05	5,12.09	1,05.05
	ज.जा.उ.यो.	7,75.21	11,52.37	7,36.49	9,79.07	7,36.49	9,79.08
	अ.जा.उ.यो.	11,97.29	15,23.51	11,69.51	14,60.58	11,69.50	14,60.59
चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर में निर्माण कार्य	सामान्य	..	15,18.85	..	3,55.63	..	3,55.63
	ज.जा.उ.यो.	..	0.02
	अ.जा.उ.यो.	..	7,00.02
चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में निर्माण कार्य	सामान्य	..	35,45.10	..	23,69.62	..	23,60.94
	ज.जा.उ.यो.	..	0.02
	अ.जा.उ.यो.	..	0.02
नई जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन	सामान्य	3,55.02	4,02.02	2,58.62	3,34.01	2,58.62	3,34.01
	ज.जा.उ.यो.	1,05.00	1,05.00	76.49	98.79	76.49	98.79
	अ.जा.उ.यो.	98.00	98.00	71.40	92.20	71.39	92.20
बी.पी.एल. महिलाओं को प्रथम प्रसव पर सहायता	सामान्य	2,85.00	2,85.00	1,97.08	1,90.61	1,97.08	1,90.61
	ज.जा.उ.यो.	2,15.00	2,15.00	1,43.29	1,41.70	1,43.29	1,41.70
	अ.जा.उ.यो.	1,00.00	1,00.00	1,41.71	70.55	1,41.71	70.55

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
बोर होल्स का विकास तथा पुनरुद्धार को सम्मिलित करते हुए शहरी जलपूर्ति योजनाएं (यू डब्ल्यू एस एस)	सामान्य	1,68,00.00	1,52,00.00	1,88,20.66	1,25,95.79	1,87,91.15	1,25,49.69
पुरानी एवं दूषित पाइप लाइनों का बदलाव और उपभोक्ता को बेहतर पेयजल सुविधा	सामान्य	19,23.60	24,64.00	30,29.09	20,31.03	30,09.59	20,31.03
	ज.जा.उ.यो.	3,78.00	2,94.00	5,78.69	2,36.04	5,78.69	2,36.04
	अ.जा.उ.यो.	4,48.00	4,42.00	7,74.16	3,65.54	7,74.16	3,65.54
जलपूर्ति योजनाओं का पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण तथा कायाकल्प	सामान्य	3,00.00	4,00.00	3,03.93	3,28.24	3,03.93	3,28.24
फिल्टर प्लांट का कायाकल्प एवं उन्नयन	सामान्य	4,00.00	3,00.00	2,58.67	2,82.35	2,58.67	2,82.35
अधिकांश अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अति.मुख्य अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता के प्रशासनिक कार्यालयों का विस्तार/ आधुनिकीकरण/कायाकल्प	सामान्य	3,05.00	4,78.40	2,76.08	2,58.07	2,76.08	2,57.72
चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	0.01	10,00.00	..	1,89.68	..	1,89.68
जवाई-पाली पाईप लाइन परियोजना	सामान्य	10,30.50	0.01	4,12.19	..	4,12.19	..
	ज.जा.उ.यो.	2,02.50	0.01	81.00	..	81.00	..
	अ.जा.उ.यो.	2,67.00	0.01	1,06.79	..	1,06.79	..
पोकरण-फलसून्ड (फलोदी) जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	0.01	0.01	3,43.50	..	3,43.50	..
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	67.50	..	67.50	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	89.00	..	89.00	..
नर्मदा परियोजना	सामान्य	1,37.40	0.01	1,37.40	..	1,37.40	..
	ज.जा.उ.यो.	27.00	0.01	27.00	..	27.00	..
	अ.जा.उ.यो.	35.60	0.01	35.60	..	35.60	..
बीसलपुर बांध से टोंक, उनियारा तथा देवली जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य	22,48.00	8,15.39	19,00.92	11,24.78	19,00.92	11,24.78
	ज.जा.उ.यो.	7,40.00	1,52.46	3,58.75	4,90.44	3,58.75	4,90.44
	अ.जा.उ.यो.	10,12.00	1,61.01	4,70.75	5,95.07	4,70.75	5,94.39
राजगढ़-बूंगी जलपूर्ति योजना	सामान्य	4,12.20	10,30.50	90.82	3,62.71	90.82	3,62.71
	ज.जा.उ.यो.	81.00	2,02.50	3.83	28.98	3.83	28.98
	अ.जा.उ.यो.	1,06.80	2,67.00	53.49	70.00	53.49	70.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं--(क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
जवाहर लाल नेहरू नेशनल रैन्यूवल मिशन द्वारा पोषित योजनाएं/परियोजनाएं	सामान्य	56.33	17.18	26.68	1,89.88	26.68	1,81.51
	ज.जा.उ.यो.	11.07	3.37	..	4.92	..	4.92
	अ.जा.उ.यो.	14.60	4.45	3.24	33.29	3.24	33.29
शहरी क्षेत्र के लिए ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता	सामान्य	7,00.00	15,00.00	8,21.36	14,03.35	8,19.77	13,99.48
सरकारी अस्पताल में गैर बी. पी. एल. अनुसूचित जनजाति मरीजों को आंतरिक उपचार के लिए मेडिकल सहायता तथा टी.बी. नियंत्रण (जनजाति कल्याण निधि)	ज.जा.उ.यो.	21,60.00	19,65.49	17,32.97	17,65.49	17,32.97	17,65.49
देवनारायण योजना के लिए प्रशासनिक व्यय	सामान्य	1,53,53.30	1,16,32.13	1,53,98.31	1,25,87.61	1,53,98.31	1,25,50.21
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत जनजातिय लड़कों/लड़कियों के लिए छात्रावास भवन	ज.जा.उ.यो.	20,00.00	32,79.47	19,25.19	19,40.84	19,25.19	19,40.84
बाल अधिकार सुरक्षा आयोग	सामान्य	1,15.68	75.10	1,36.13	93.56	1,36.10	93.57
सैनिक विश्राम गृह का निर्माण	सामान्य	1,43.52	2,39.56	1,37.15	61.41	1,37.15	61.41
बूँद-बूँद सिंचाई पर राज्य योजना	सामान्य	15,82.49	0.01	12,53.18	18,29.54	12,53.18	18,29.54
	ज.जा.उ.यो.	1,79.08	0.01	1,18.99	1,42.96	1,18.99	1,42.96
	अ.जा.उ.यो.	2,38.43	0.01	88.18	83.18	88.18	83.18
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को सहायता	सामान्य	38,78.35	40,54.71	38,78.33	37,62.96	38,78.33	37,62.96
	ज.जा.उ.यो.	14,35.15	14,25.65	14,35.15	13,22.87	14,35.15	13,22.87
	अ.जा.उ.यो.	19,17.21	12,15.64	19,17.21	11,27.76	19,17.21	11,27.76
जवाहर सागर	सामान्य	61.20	1,03.00	6.75	24.34	7.78	24.50
ई-ग्राम योजना	सामान्य	2,83.39	2,90.71	57.17	2,08.57	57.17	2,08.56
	ज.जा.उ.यो.	61.20	59.80	1.47	37.41	1.47	37.41
	अ.जा.उ.यो.	55.20	58.00	1.54	39.50	1.55	39.49
ई-संचार	सामान्य	4,18.00	9,32.00	4,18.00	12,40.00	4,18.00	12,40.00
	ज.जा.उ.यो.	79.00	1,44.00	79.00	2,50.40	79.00	2,50.40
	अ.जा.उ.यो.	1,03.00	1,89.00	1,03.00	3,34.60	1,03.00	3,34.60

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना	सामान्य	1,20.23	46,18.01	6,98.33	36,17.60	6,98.33	36,17.61
	ज.जा.उ.यो.	23.63	9,07.47	4,85.47	14,07.47	4,85.47	14,07.47
	अ.जा.उ.यो.	31.15	11,96.52	5,60.48	16,96.33	5,60.48	16,96.33
नागौर लिफ्ट कैनाल फेज-II	सामान्य	96,18.00	1,37,00.00	79,82.68	1,05,04.43	79,82.68	1,05,04.43
	ज.जा.उ.यो.	18,90.00	27,00.00	15,66.87	20,70.07	15,66.87	20,70.07
	अ.जा.उ.यो.	24,92.00	36,00.00	20,67.74	27,59.73	20,67.74	27,59.73
नाबार्ड सहायता से छात्रावास भवन का निर्माण	सामान्य	1.00	95.00
	ज.जा.उ.यो.	50.00	1,56.28	19.55	4.76	19.55	4.76
	अ.जा.उ.यो.	3,90.38	3,12.16	51.85	1,32.63	51.85	1,32.33
इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, जैसलमेर	सामान्य	50,69.81	52,57.16	40,93.86	35,79.81	41,56.83	39,71.01
	अ.जा.उ.यो.	11,00.11	11,40.76	5,55.69	7,77.60	5,49.21	7,77.78
राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान	सामान्य	0.02	3,81.01	3,81.00	..	3,81.00	..
राजस्थान मेला आयोजन प्राधिकरण	सामान्य	1,25.00	1,40.00	95.00	60.00	95.00	60.00
निदेशक, आयोजना (जनशक्ति) विभाग	सामान्य	1,09.98	1,75.98	1,95.60	1,67.14	1,95.60	1,67.12
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01
अध्यापन अस्पताल - जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर	सामान्य	13,65.21	10,03.55	14,62.11	12,42.07	14,62.11	12,42.06
अध्यापन अस्पताल - जनाना अस्पताल, अजमेर	सामान्य	1,85.12	1,38.12	2,15.57	1,36.55	2,15.57	1,36.55
अध्यापन अस्पताल - पी.बी.एम. पुरुष अस्पताल, बीकानेर	सामान्य	13,87.71	11,91.20	12,93.30	12,90.08	12,93.08	12,90.09
अध्यापन अस्पताल - सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	सामान्य	7,35.05	5,91.04	10,36.56	6,48.14	10,36.56	6,48.14
अध्यापन अस्पताल - एस.पी.एम.सी.एच.आई., जयपुर	सामान्य	1,65.04	1,50.07	3,26.08	1,60.73	3,26.08	1,60.73
अध्यापन अस्पताल - उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	सामान्य	8,60.00	7,09.40	8,79.28	8,03.78	8,79.28	8,03.77
अध्यापन अस्पताल - एम.डी.एम. अस्पताल, जोधपुर	सामान्य	15,79.35	12,55.70	15,50.76	14,84.73	15,50.76	14,84.73
अध्यापन अस्पताल - एम.बी.एस. अस्पताल, उदयपुर	सामान्य	17,33.82	14,55.52	20,21.73	16,58.17	20,21.86	16,58.10

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
अध्यापन अस्पताल - पन्नाधाय राजकीय महिला अस्पताल, उदयपुर	सामान्य	3,74.60	3,88.60	3,77.22	3,43.95	3,77.21	3,43.26
अध्यापन अस्पताल - एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा	सामान्य	6,04.55	7,06.50	6,24.84	7,21.90	6,24.84	7,21.90
अध्यापन अस्पताल - जे.के.लोन अस्पताल, कोटा	सामान्य	5,82.10	6,09.50	6,63.97	6,51.46	6,63.96	6,51.45
अध्यापन अस्पताल - नवीन चिकित्सालय, कोटा	सामान्य	13,47.40	15,07.91	16,04.35	14,95.37	16,04.34	14,95.36
अध्यापन अस्पताल - पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, जयपुर	सामान्य	7,39.14	6,80.15	7,98.71	7,01.44	7,98.72	7,01.44
भ्रमणशील सर्जिकल चिकित्सा इकाई, जयपुर	सामान्य	1,00.86	98.86	86.26	80.40	86.27	80.40
	ज.जा.उ.यो.	50.13	70.00	44.28	55.73	44.28	55.73
	अ.जा.उ.यो.	78.97	67.50	80.59	61.46	80.57	61.46
औषधालय	सामान्य	90.81	1,10.86	70.49	79.03	70.45	79.03
आयुक्त, टी.ए.डी. कार्यालय का प्रशासनिक व्यय	ज.जा.उ.यो.	36.80	42.75	6,31.56	44.81	6,31.56	44.81
साल्ट क्षेत्र में सड़कों का विकास	सामान्य	2,00.00	2,40.00	1,68.27	1,91.95	1,76.15	1,91.94
नवजीवन योजना (छात्रावासों का संचालन)	सामान्य	2,09.55	2,12.54	1,13.08	98.23	1,13.08	98.23
	ज.जा.उ.यो.	20.00	20.00	3.99	9.93	3.99	9.93
	अ.जा.उ.यो.	2,00.00	2,00.00	1,80.97	1,28.44	1,80.97	1,28.44
क्षेत्रीय यातायात कार्यालयों में कम्प्यूटराईजेशन	सामान्य	18,19.56	18,90.76	14,84.16	22,87.44	14,84.16	22,87.44
	ज.जा.उ.यो.	3,46.46	3,73.58	3,43.37	3,38.47	3,43.37	3,38.47
	अ.जा.उ.यो.	4,58.50	4,94.14	4,57.94	4,68.36	4,57.94	4,68.36
कोषालय स्थापना	सामान्य	2,80.00	2,50.00	2,41.42	2,99.47	2,41.42	2,99.47
मिशन मोड परियोजना के अन्तर्गत कोषालय का कम्प्यूटराईजेशन	सामान्य	11,86.00	11,60.00	33,85.92	11,76.98	33,85.92	11,76.98
राज्य राजस्व आसूचना विभाग भवन	सामान्य	5.00	1,26.75	20.85	0.63	20.85	0.63
पेंशन विभाग भवन	सामान्य	3,77.00	4,01.15	1,11.18	17.83	1,12.91	20.02

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन	सामान्य	50.01	32.01	1,37.84	23.29	1,37.84	23.29
महाविद्यालय शिक्षा भवन	सामान्य	0.01	0.01
	ज.जा.उ.यो.	14,00.00	17,25.00	7,16.88	4,68.44	7,16.88	4,66.80
अध्यापन अस्पताल - महात्मा गाँधी अस्पताल, जोधपुर	सामान्य	8,08.30	7,93.30	7,96.14	7,47.89	7,96.13	7,47.89
अन्य भ्रमणशील सर्जिकल चिकित्सा इकाई	सामान्य	4,51.02	4,30.49	4,01.41	3,79.61	4,01.38	3,79.59
	ज.जा.उ.यो.	92.74	81.59	75.86	83.08	75.90	83.08
	अ.जा.उ.यो.	1,10.47	1,16.50	1,10.18	88.33	1,10.17	88.34
निदेशन तथा प्रशासन-होम्योपैथिक	सामान्य	1,27.93	1,17.93	1,50.58	88.69	1,50.59	87.70
निदेशन तथा प्रशासन-यूनानी	सामान्य	1,72.22	1,39.08	1,37.93	1,34.56	1,37.92	1,34.56
	ज.जा.उ.यो.	62.57	44.63	15.07	13.17	15.07	13.17
पॉलीटेक्निक विद्यालय	सामान्य	4,27.80	1,65.70	1,33.11	2,23.83	1,33.11	2,23.83
निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	सामान्य	2,86.74	3,06.69	3,13.86	2,88.34	3,13.86	2,88.34
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सामान्य	4,51.52	3,52.02	2,52.74	3,59.14	2,52.56	3,58.93
बैक्टैरियोलोजीकल प्रयोगशाला	सामान्य	67.63	16,04.02	95.84	26.24	95.83	26.24
होम्योपैथी अस्पताल का निर्माण	सामान्य	1,00.01	1,04.01	53.64	50.95	55.96	50.95
बल्क मीटर तथा उपभोक्ता मीटर की आपूर्ति	सामान्य	12.00	68.00	3.00	..	3.00	..
	ज.जा.उ.यो.	5.00	14.00	0.99	..	0.99	..
	अ.जा.उ.यो.	8.00	18.00	1.35	..	1.35	..
डीग जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	13,67.50	0.01	10,84.05	..	10,84.05	..
	ज.जा.उ.यो.	4,87.50	0.01	3,07.19	..	3,07.19	..
	अ.जा.उ.यो.	6,45.00	0.01	4,83.75	..	4,83.75	..
नागदा अंता बलदेवपुरा जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य	2,06.10	7,85.93	1,54.58	6,49.40	1,54.58	6,49.40
	ज.जा.उ.यो.	40.50	1,54.44	30.38	1,34.99	30.38	1,34.99
	अ.जा.उ.यो.	53.40	2,03.63	40.05	1,64.95	40.05	1,64.95
कम्प्यूटराईजेशन/स्कवायड प्रणाली/ई-गवर्नेंस	सामान्य	20,50.00	1,00.00	29.69	25.09	29.69	25.09

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
ग्रामीण जलपूर्ति योजना के विभिन्न घटकों का सुदृढीकरण तथा कायाकल्प	सामान्य	40,00.00	25,00.00	21,21.89	23,73.11	21,21.89	23,73.08
अनुसूचित जाति क्षेत्र में अन्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं	अ.जा.उ.यो.	90,00.00	25,00.00	48,04.54	16,99.80	48,04.54	16,97.21
टाडा क्षेत्र में अन्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं	ज.जा.उ.यो.	42,00.00	15,50.00	36,71.94	9,14.45	36,71.94	9,14.45
निःशक्तजन हेतु निदेशालय	सामान्य	1,87.93	1,69.43	4,29.20	1,64.64	4,30.63	1,64.63
जिला महिला विकास अभिकरण के स्थापना व्यय के लिए सहायता	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	19,44.51 3,16.94 4,08.59	16,53.41 3,16.94 4,08.59	19,31.33 3,12.39 3,55.97	16,73.06 2,69.37 3,60.74	19,31.33 3,12.40 3,55.97	16,73.06 2,69.37 3,60.74
अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास भवन	सामान्य	5,00.00	4,15.15	61.82	2,64.87	61.82	2,64.87
पशुपालन विभाग का निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य ज.जा.उ.यो.	6,60.70 72.42	5,83.02 52.52	7,50.99 78.24	5,82.25 53.58	7,50.98 78.23	5,81.27 53.54
परिस्थितीकीय पर्यटन का विकास	सामान्य	75.00	1,00.00	82.68	49.70	82.68	49.70
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को कृषि अनुसंधान के लिए सहायता	सामान्य	4,35.29	8,63.89	4,35.29	6,63.86	4,35.29	6,63.86
अस्पतालों का आधुनिकीकरण, मजबूती, पुनरुद्धार तथा उन्नयन	सामान्य ज.जा.उ.यो.	0.01 7,54.81	0.01 1,33.81	.. 19.62	.. 9.00	.. 19.62	.. 9.00
पंचायती राज संस्थाओं को निर्बन्ध कोष	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	0.03 0.03 0.03	89,30.40 17,56.00 23,13.60	20,81.94 3,56.90 5,35.36	20,81.94 3,56.90 5,35.36
पंजाब में इन्दिरा गांधी फीडर तथा संबंधित निर्माण कार्य	सामान्य अ.जा.उ.यो.	5,00.00 5,00.00	16,44.00 3,56.00
राजस्थान राज्य बायो-डायवर्सिटी बोर्ड	सामान्य	2,20.84	2,87.32	30.00	1,09.67	30.00	1,09.67

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	सामान्य	76,04.91	76,04.77	66,63.25	34,96.28	66,63.25	34,96.28
	ज.जा.उ.यो.	20,74.03	20,74.03	18,17.25	9,53.53	18,17.25	9,53.53
	अ.जा.उ.यो.	41,48.06	41,48.06	36,34.50	19,07.06	36,34.50	19,07.07
जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	सामान्य	74,02.95	74,03.06	55,26.40	34,44.89	55,26.40	34,44.89
	ज.जा.उ.यो.	20,19.02	20,19.02	15,07.20	9,39.51	15,07.20	9,39.51
	अ.जा.उ.यो.	40,38.03	40,38.03	30,14.40	18,79.03	30,14.40	18,79.03
अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	सामान्य	50,67.13	50,67.17	45,10.00	27,97.90	45,10.00	27,97.90
	ज.जा.उ.यो.	13,81.96	13,81.96	12,30.00	7,63.06	12,30.00	7,63.06
	अ.जा.उ.यो.	27,63.91	27,63.91	24,60.00	15,26.13	24,60.00	15,26.13
निदेशन - मलजल तथा सफाई	सामान्य	10,02.12	9,76.12	10,76.47	8,55.93	10,76.40	8,55.65
निष्पादन - मलजल तथा सफाई	सामान्य	34,26.08	32,81.98	36,66.69	30,35.45	36,64.42	30,34.24
शिल्पशाला	सामान्य	27,71.81	30,96.81	15,04.10	19,22.35	22,36.90	28,89.21
प्रोरेटा अंश हस्तान्तरण	सामान्य	(-) 72,00.01	(-) 73,54.91	(-) 72,00.01	(-) 73,54.91	(-) 74,88.95	(-) 65,41.59
कृषि विभाग के भवन का निर्माण	सामान्य	2,10.00	4,80.00	7,01.54	3,26.73	7,01.53	3,26.73
	ज.जा.उ.यो.	39.00	95.00	38.36	81.47	38.36	81.47
	अ.जा.उ.यो.	51.00	1,25.00	47.83	94.57	47.83	94.57
महाराणा प्रताप कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को कृषि शिक्षा हेतु सहायता	सामान्य	3,61.81	6,51.62	3,61.81	6,51.62	3,61.81	6,51.62
	अ.जा.उ.यो.	2,00.00	2,00.00	2,00.00	2,00.00	2,00.00	2,00.00
महाराणा प्रताप कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को पशुपालन हेतु सहायता	सामान्य	1,06.31	97.15	1,06.31	97.15	1,06.31	97.15
	ज.जा.उ.यो.	21.00	19.07	21.00	19.07	21.00	19.07
	अ.जा.उ.यो.	28.27	25.22	28.27	25.22	28.27	25.22
नोहर-साहवा लिफ्ट योजना	सामान्य	23,29.10	41,13.42	35,93.42	23,53.69	35,93.88	23,43.12
	अ.जा.उ.यो.	2,00.01	8,23.59	1,32.95	1,13.21	1,28.85	1,13.21
गजनेर लिफ्ट योजना	सामान्य	7,87.45	19,99.89	7,35.66	19,52.20	7,35.14	19,51.79
	अ.जा.उ.यो.	14,95.00	1,50.00	21,17.88	3,07.50	21,17.88	3,07.54
कोलायत लिफ्ट योजना	सामान्य	19,97.62	20,27.98	20,80.51	17,53.13	20,85.77	17,60.77
	अ.जा.उ.यो.	2,00.01	2,50.00	1,91.37	3,88.65	1,91.37	3,88.64

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
फ्लौदी लिफ्ट योजना	सामान्य	6,59.72	7,61.21	6,68.08	10,08.92	6,67.60	10,08.91
	अ.जा.उ.यो.	1,00.00	1,50.00	51.01	2,46.07	51.01	2,46.07
पोकरण लिफ्ट योजना	सामान्य	3,88.88	5,13.29	3,25.88	2,68.55	3,25.88	2,67.63
	अ.जा.उ.यो.	70.00	1,00.00	63.33	1,98.81	63.33	1,98.81
बाँगडसर लिफ्ट योजना	सामान्य	1,66.36	2,07.75	1,77.10	1,57.01	1,77.08	1,57.00
	अ.जा.उ.यो.	8.00	10.00	4.08	..	4.08	..
कँवरसेन लिफ्ट योजना	सामान्य	1,46.88	2,38.38	1,11.65	2,12.04	1,11.65	2,11.98
	अ.जा.उ.यो.	31.87	51.62	15.37	36.82	15.37	36.81
कृषि विस्तार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज-II	सामान्य	2,03.61	1,91.95	2,18.14	1,97.61	2,18.12	1,97.61
	अ.जा.उ.यो.	0.08	0.07
चम्बल क्षेत्र का विकास-निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	..	4,47.06	..	3,87.38	..	3,62.63
राज्य सड़क विकास निधि द्वारा पोषित सड़कें	सामान्य	3,39,63.75	3,65,40.96	2,08,75.07	37,84.39	2,06,54.07	36,59.75
	ज.जा.उ.यो.	71,00.00	58,05.02	34,36.52	2,44.60	35,07.63	2,44.59
	अ.जा.उ.यो.	89,36.25	76,54.02	56,35.17	3,64.95	57,84.57	3,64.95
राज्य सड़क विकास निधि से अंतरण	सामान्य	(-) 3,39,63.75	(-) 3,65,40.96	(-) 3,39,63.75	(-) 3,65,40.96	(-) 2,06,54.07	(-) 36,59.75
	ज.जा.उ.यो.	(-) 71,00.00	(-) 58,05.02	(-) 71,00.00	(-) 58,05.02	(-) 35,07.63	(-) 2,44.59
	अ.जा.उ.यो.	(-) 89,36.25	(-) 76,54.02	(-) 89,36.25	(-) 76,54.02	(-) 57,84.57	(-) 3,64.95
नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आइ.डी.एफ.-XVII की सड़कें	सामान्य	6.87	68.69	1,06.73	84.94	1,08.42	95.58
	ज.जा.उ.यो.	1.34	13.48	4.15	7.84	4.21	8.82
	अ.जा.उ.यो.	1.79	17.83	..	64.93	..	62.90
खनिज कार्यालय भवन	सामान्य	5,60.06	8,50.35	2,52.18	5,70.92	2,53.72	5,70.92
	ज.जा.उ.यो.	50.00	1,00.00	33.25	23.94	33.25	23.94
सूचना, प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग-जिला कार्यालय	सामान्य	50,42.23	52,23.32	46,42.80	39,42.56	46,42.79	39,42.56
	ज.जा.उ.यो.	10,67.02	14,24.34	10,25.51	7,93.71	10,21.62	7,93.72
	अ.जा.उ.यो.	19,14.22	20,16.45	18,92.82	15,58.19	18,92.82	15,58.19
सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन	सामान्य	2,24.76	2,74.76	1,96.85	1,55.61	1,99.92	1,74.07
	ज.जा.उ.यो.	53.92	53.92	41.06	12.30	41.69	13.81
	अ.जा.उ.यो.	71.32	71.32	60.07	23.54	61.00	26.43

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
राजस्व विभाग हेतु आवासीय भवन	सामान्य	16,51.24	4,39.77	3,55.44	1,57.90	3,58.20	1,57.87
जल तथा मल परियोजना	सामान्य	0.01	50,15.10	..	41,90.70	..	41,90.70
	ज.जा.उ.यो.	0.01	9,85.50	..	8,23.50	..	8,23.50
	अ.जा.उ.यो.	0.01	12,99.40	..	10,85.80	..	10,85.80
रेन बसेरों का निर्माण	सामान्य	..	1,03.00
	ज.जा.उ.यो.	..	20.25
	अ.जा.उ.यो.	..	26.75
खंड मुख्यालय पर विमंदित पुर्नवास गृह	सामान्य	6,66.07	6,66.07	7,49.83	6,63.98	7,49.83	6,63.98
अल्पसंख्यक लड़कों तथा लड़कियों हेतु रोजगार योजना	सामान्य	2,00.00	2,00.00	2,00.00	2,00.00	2,00.00	2,00.00
अल्पसंख्यक उम्मीदवार के लिए राज्य तकनीकी छात्रवृत्ति योजना	सामान्य	3,00.00	0.01
अल्पसंख्यक लड़कियों हेतु छात्रावास	सामान्य	1,63.13	94.31	1,32.79	1,06.01	1,33.48	1,06.02
खंड मुख्यालय पर विमंदित पुर्नवास गृहभवन का निर्माण	सामान्य	0.01	1,50.00
पर्यटन भवन का निर्माण	सामान्य	0.01	1,00.00	..	71.48	..	71.48
ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त सहाय्य	सामान्य	5,72.00	0.01	9,38.38	5,44.04	9,38.37	5,44.04
	ज.जा.उ.यो.	92.00	0.01	2,23.02	74.85	2,23.02	74.85
	अ.जा.उ.यो.	1,36.00	0.01	2,87.57	1,27.53	2,87.57	1,27.53
सलाहकारों का हायर तथा एनएसी जांच	सामान्य	2,04.01	4,76.01	2,04.00	93.49	2,04.00	93.49
	ज.जा.उ.यो.	42.01	98.01	42.00	..	42.00	..
	अ.जा.उ.यो.	54.01	1,26.01	54.00	..	54.00	..
सेक लेन	सामान्य	2,61.06	2,91.94	2,61.06	2,78.95	2,61.05	2,78.95
	ज.जा.उ.यो.	51.30	57.29	51.30	57.09	51.30	57.09
	अ.जा.उ.यो.	67.64	80.74	67.64	80.74	67.64	80.74

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
आरोग्य ऑन लाइन	सामान्य	1,36.01	3,40.00	1,36.00	1,55.60	1,36.00	1,55.60
	ज.जा.उ.यो.	28.01	70.00	28.00	32.97	28.00	32.97
	अ.जा.उ.यो.	36.01	90.00	36.00	41.43	36.00	41.43
आर एस डब्ल्यू ए एन होरीजोन्टल	सामान्य	27,22.80	43,10.95	27,22.80	29,07.68	27,22.80	29,07.68
	ज.जा.उ.यो.	5,60.60	8,87.54	5,60.60	5,98.64	5,60.60	5,98.64
	अ.जा.उ.यो.	7,20.76	11,41.14	7,20.76	7,69.68	7,20.76	7,69.68
वेबसाइट का विकास एवं रखरखाव	सामान्य	4,08.00	6,42.07	4,07.94	7,89.25	4,07.94	7,89.25
	ज.जा.उ.यो.	84.00	1,06.80	83.95	1,34.80	83.95	1,34.79
	अ.जा.उ.यो.	1,08.00	1,42.30	1,07.97	1,82.17	1,07.97	1,82.17
मुख्यमंत्री सूचना प्रणाली (सी एम आई एस)	सामान्य	88.41	78.40	88.40	16.32	88.40	16.32
	ज.जा.उ.यो.	18.21	16.14	18.20	3.36	18.20	3.36
	अ.जा.उ.यो.	23.41	20.75	23.40	4.32	23.40	4.32
नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ.-XVIII की सड़कें	सामान्य	68.69	6,86.90	76.44	7,84.03	73.27	8,70.87
	ज.जा.उ.यो.	13.48	1,34.80	12.33	90.25	12.53	1,01.02
	अ.जा.उ.यो.	17.83	1,78.30	17.62	1,88.79	17.76	2,11.79
राज्य रिमोट संवेदना प्रयोग केन्द्र	सामान्य	3,77.00	5,37.01	76.68	1,49.18	76.68	1,49.18
	ज.जा.उ.यो.	3,18.51	3,75.38
	अ.जा.उ.यो.	4,28.94	5,01.75
विज्ञान तथा सोसायटी	सामान्य	64.52	1,53.04	38.05	34.52	38.05	34.52
	ज.जा.उ.यो.	14.01	14.01	11.74	..	11.74	..
	अ.जा.उ.यो.	19.71	19.71
विज्ञान तथा संचार को लोकप्रिय करना	सामान्य	3,61.03	7,14.18	2,86.81	3,65.34	2,87.37	3,65.33
	ज.जा.उ.यो.	12.50	12.50	8.32	9.47	8.32	9.47
	अ.जा.उ.यो.	9.05	9.05	9.00	9.00	8.34	9.00
जैव प्रौद्योगिकी	सामान्य	1,51.87	2,51.88	20.92	29.93	20.93	29.93
	ज.जा.उ.यो.	1.36	1.36
	अ.जा.उ.यो.	1.80	1.80
उद्यमिता विभाग	सामान्य	38.66	9.53	2,72.02	7.25	2,72.02	7.25
	ज.जा.उ.यो.	9.00	9.00	39.08	0.80	39.08	0.80
	अ.जा.उ.यो.	2.20	2.20	53.41	0.50	53.41	0.50

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
अन्वेषण एवं विकास	सामान्य	1,71.94	79.98	1,71.14	59.81	1,71.12	59.80
	ज.जा.उ.यो.	13.40	13.40	3.02	5.01	3.02	5.01
	अ.जा.उ.यो.	12.66	12.66	3.91	..	3.91	..
जिला परिषद/जिला स्तर की पंचायत को सहायता	सामान्य	2,96,88.35	3,47,46.85	2,99,21.91	3,30,32.25	2,99,21.91	3,30,32.25
	ज.जा.उ.यो.	68,18.86	68,18.86	68,78.60	64,91.13	68,78.60	64,91.13
	अ.जा.उ.यो.	90,19.30	90,19.30	90,85.44	85,58.63	90,85.44	85,58.63
ब्लॉक पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायतो को सहायता	सामान्य	1,00.00	1,00.00	(-) 3.31 *	..
माध्यमिक शिक्षा का कम्प्यूटराईजेशन	सामान्य	19,24.53	10.53	20,06.55	10.04	20,06.55	10.04
	ज.जा.उ.यो.	4,07.89	1.89	4,07.88	1.73	4,07.88	1.73
	अ.जा.उ.यो.	5,82.58	2.58	5,82.20	2.15	5,82.20	2.15
सर्वोत्तम लड़कियों हेतु प्रोत्साहन (गार्गी पुरस्कार)	सामान्य	27,60.00	20,70.00	33,47.98	24,15.00	33,47.98	24,15.00
	ज.जा.उ.यो.	5,40.00	4,05.00	6,55.15	4,72.50	6,55.15	4,72.50
	अ.जा.उ.यो.	7,00.00	5,25.00	8,49.26	5,52.14	8,49.26	5,52.14
शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालय की कक्षा IX की लड़कियों को साइकिल वितरण	सामान्य	72,79.88	58,20.00	1,16,57.94	15,49.94	1,16,57.94	15,49.94
	ज.जा.उ.यो.	11,84.57	11,80.00	21,51.77	2,96.02	21,51.77	2,96.02
	अ.जा.उ.यो.	15,35.55	15,00.00	23,29.45	5,12.62	23,29.45	5,12.63
शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालय की कक्षा IX की लड़कियों को यातायात वाउचर	सामान्य	7,59.00	7,39.00	10,35.00	5,52.00	10,35.00	5,52.00
	ज.जा.उ.यो.	1,48.50	1,44.00	2,02.50	1,08.00	2,02.50	1,08.00
	अ.जा.उ.यो.	1,92.50	1,87.00	2,62.50	1,40.00	2,62.50	1,40.00
सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को दुर्घटना बीमा	सामान्य	1,80.20	1,94.54	1,49.25	1,80.20	1,49.25	1,80.20
	ज.जा.उ.यो.	34.68	34.68	34.68	34.68	34.68	34.68
	अ.जा.उ.यो.	47.61	47.61	47.61	47.61	47.61	47.61
महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स	सामान्य	8,16.00	5,20.00	5,14.54	3,85.00	5,14.54	3,85.00
	ज.जा.उ.यो.	1,62.00	2,80.00	79.12	70.38	79.12	70.38
	अ.जा.उ.यो.	2,22.00	4,00.00	1,58.22	1,42.76	1,58.22	1,42.76
नाबार्ड सहायता द्वारा वानिकीकरण कार्य	सामान्य	31,54.50	29,83.27	51,57.35	71,57.36	51,55.05	71,47.42
	ज.जा.उ.यो.	7,67.50	5,87.95	12,06.78	15,80.00	12,06.78	15,80.00
	अ.जा.उ.यो.	8,51.05	7,83.93	13,74.08	18,21.66	13,74.08	18,21.66

* ऋण व्यय अवशेष राशि जमा कराने के कारण हैं।

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
मौसम परिवर्तन तथा रेगिस्तान बढ़ाव को रोकना	सामान्य	15,43.57	14,65.36	14,60.75	13,78.76	14,60.75	13,78.76
	अ.जा.उ.यो.	10,91.04	12,93.74	10,57.10	12,40.97	10,57.10	12,40.97
संस्कृत महाविद्यालय	सामान्य	2,07.68	2,39.43	1,22.73	1,58.79	1,22.73	1,58.78
	ज.जा.उ.यो.	0.04	0.04
तकनीकी शिक्षा निदेशालय का सुदृढीकरण	सामान्य	1,01.15	97.10	60.95	57.06	60.95	57.06
नये आई टी आई भवनों का निर्माण	अ.जा.उ.यो.	45,16.54	37,16.30	44,27.10	16,63.21	44,27.11	16,63.21
केन्द्रीय सरकार सहायता से बहुशिल्प का प्रारम्भ	सामान्य	13,85.00	9,81.00	11,27.47	10,37.55	11,27.48	10,37.55
महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज का प्रारम्भ	अ.जा.उ.यो.	4,26.00	5,42.52	2,71.50	1,26.11	2,71.50	1,26.12
अल्पसंख्यक क्षेत्रों में नये आई टी आई की स्थापना	सामान्य	24,36.09	45,84.90	13,79.28	15,05.09	13,79.28	15,05.08
पॉलिटेक्निक हेतु अन्य सेवाएं	सामान्य	1,00.01	2,25.00	1,25.50	85.00	1,25.50	85.00
शाहबाद में नई आई टी आई का भवन निर्माण	ज.जा.उ.यो.	28,89.62	28,22.61	29,03.14	8,22.45	29,03.14	8,22.43
शिक्षा का अधिकार (आर टी ई) के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को पुर्नभुगतान	सामान्य	1,64,96.01	1,64,96.01	1,64,42.66	1,38,52.24	1,64,42.65	1,38,52.02
	ज.जा.उ.यो.	59,20.01	59,20.01	58,95.16	47,28.44	58,95.16	47,28.44
	अ.जा.उ.यो.	76,80.00	76,80.01	76,88.28	63,26.54	76,88.28	63,26.53
आयुर्वेद अस्पताल तथा औषधालय (ग्रामीण)	सामान्य	7,04.08	4,26.58	7,18.59	6,46.69	7,18.59	6,46.68
	ज.जा.उ.यो.	1,83.67	1,65.62	1,75.61	1,64.76	1,75.59	1,64.76
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण)	सामान्य	1,40,76.03	1,16,69.03	1,31,33.65	1,18,51.92	1,31,32.00	1,18,49.37
	अ.जा.उ.यो.	25,24.14	30,27.14	19,51.40	17,98.36	19,50.28	17,98.35
स्वास्थ्य उप केन्द्र (ग्रामीण)	सामान्य	52,11.53	45,16.03	50,88.85	45,78.70	50,88.44	45,78.70
	अ.जा.उ.यो.	7,05.03	6,34.03	5,24.59	4,77.12	5,24.59	4,77.12
होम्योपैथी अस्पताल तथा औषधालय (ग्रामीण)	सामान्य	2,62.95	2,45.58	3,03.62	2,21.82	3,03.62	2,21.82
	ज.जा.उ.यो.	1,24.81	1,11.26	70.57	56.55	70.58	56.56
ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामान्य	1,50,23.03	96,25.03	1,46,18.95	1,34,36.86	1,46,14.50	1,34,36.50
	अ.जा.उ.यो.	20,05.04	23,09.04	12,95.43	9,63.37	12,95.42	9,63.37

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
यूनानी अस्पताल तथा ओषधालय (ग्रामीण)	सामान्य ज.जा.उ.यो.	2,20.85 62.34	1,05.84 26.28	2,00.91 24.43	1,83.94 19.52	2,00.91 24.43	1,83.93 19.53
युवा सेवाएं	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	85.33 38.40 36.22	1,37.71 1,23.50 33.75	67.92 33.90 41.71	29.58 .. 44.99	67.63 33.90 41.71	29.58 .. 44.99
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	51,80.77	46,33.10	45,14.00	40,00.00	45,14.00	40,00.00
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत निजी विद्यालयों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	2,92.05	1,55.94	3,03.65	1,73.53	3,03.64	1,73.53
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत खेल छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	3,94.00	3,24.76	4,07.40	3,09.48	4,07.39	3,09.50
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	4,16.80	2,92.26	3,67.08	2,50.24	3,67.09	2,41.54
जन कल्याण निधि के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के छात्रों को शैक्षणिक उत्प्रेरण	ज.जा.उ.यो.	17,53.50	15,13.50	22,14.39	17,17.12	22,14.39	17,17.12
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में टी.आर.आई. के द्वारा कोचिंग	ज.जा.उ.यो.	80.00	73.00	1,19.41	70.79	1,19.41	70.79
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में आश्रम छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	14,60.92	13,24.16	6,51.23	9,58.79	6,51.23	9,58.79
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में आवासीय विद्यालयों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	2,26.64	1,46.60	1,73.65	1,16.10	1,73.63	1,16.10
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया हेतु आवासीय विद्यालयों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	2,18.21	1,15.06	3,86.84	1,38.93	3,86.83	1,38.94
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	2,90.00	2,01.54	4,48.36	2,09.34	4,48.36	2,09.34
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु माध्यमिक शिक्षा छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	1,14.00	1,03.50	72.47	1,03.19	72.47	1,03.19

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं--(क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु महाविद्यालय शिक्षा छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	1,20.00	79.00	95.00	1,05.80	95.00	1,05.80
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	10,19.36	10,41.44	8,39.15	10,41.44	8,39.15	10,41.44
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बिखरे क्षेत्र में छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	4,49.38	3,72.90	1,72.79	3,28.42	1,72.79	3,28.42
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में काठोड़ी विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	1,45.41	1,46.61	80.52	88.69	80.52	88.69
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बिखरे क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	2,78.00	1,78.68	4,35.64	1,75.49	4,35.64	1,75.49
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	3,67.70	2,85.94	3,20.38	3,04.80	3,20.38	3,02.44
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माँ-बाड़ी भवनों का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	1,97.40	..	1,97.40
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय भवनों का निर्माण तथा पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	9,00.00	10,00.00	..	5,99.96	..	5,99.96
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत आश्रम विद्यालयों का निर्माण तथा पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	0.01	5,00.00
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में छात्रावासों का निर्माण तथा पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	1,60.00	2,75.00	..	2,12.94	..	2,12.94
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बिखरे क्षेत्र में छात्रावासों का निर्माण तथा पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	3,40.00	1,68.18	45.66	1,77.60	45.66	1,77.60
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया क्षेत्र में छात्रावास भवनों का निर्माण तथा पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	1,07.40	..	1,07.40

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं--(क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में महाविद्यालय छात्रों के लिए शैक्षिक उत्प्रेरक	ज.जा.उ.यो.	16,35.00	15,43.00	19,50.99	17,37.76	19,50.99	17,33.71
नये राजस्थान उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर का निर्माण	सामान्य	35,00.00	20,52.00	20,00.00	15,52.00	20,00.00	15,52.00
राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर हेतु भवन का निर्माण	सामान्य	2,61.45	2,50.00	..	2,50.00	..	2,50.00
सैनिक विद्यालय, चित्तौड़गढ़	सामान्य	49,00.00	33,00.00	33,00.00	17,78.59	33,00.00	17,78.59
कृषि शिक्षा हेतु लड़कियों को प्रोत्साहन	सामान्य	4,90.00	4,46.00	7,08.42	7,38.62	7,08.42	7,38.62
	ज.जा.उ.यो.	91.00	88.00	90.86	86.27	90.86	86.27
	अ.जा.उ.यो.	1,19.00	1,16.00	1,18.70	1,14.01	1,18.70	1,14.01
किसान सेवा केन्द्र मय गाँव ज्ञान केन्द्र का निर्माण	सामान्य	43,90.00	77,75.00	19,88.57	58,16.65	19,88.57	58,16.65
	ज.जा.उ.यो.	4,00.00	14,15.00	3,99.64	8,85.90	3,99.64	8,85.90
	अ.जा.उ.यो.	16,10.00	17,10.00	4,38.68	14,39.08	4,38.68	14,39.08
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से निःशुल्क ड्रग वितरण योजना	सामान्य	2,88,44.07	2,46,39.99	4,47,79.87	2,01,17.15	4,47,77.55	2,00,99.69
	ज.जा.उ.यो.	54,21.66	49,68.15	90,60.62	40,04.84	90,60.63	40,04.84
	अ.जा.उ.यो.	73,33.55	64,28.05	1,21,11.30	54,01.64	1,21,11.29	54,01.63
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में निर्माण कार्य	सामान्य	5,51.50	4,16.09	3,03.93	3,65.42	3,03.93	3,65.42
पुलिस विकास निधि	सामान्य	20,99.99	19,00.00	10,22.92	6,64.52	10,22.91	6,64.52
राजस्थान यातायात ढाँचागत विकास निधि	सामान्य	1,68,74.45	1,24,50.63	3,82,29.40	1,66,97.35	3,82,29.03	1,66,97.35
	ज.जा.उ.यो.	6,24.47	14,35.13	11,99.08	5,50.95	11,99.08	5,50.95
	अ.जा.उ.यो.	8,55.08	18,64.32	15,86.79	7,99.91	15,86.79	7,99.91
लैपटॉप वितरण (माध्यमिक शिक्षा)	सामान्य	21,40.00	41,40.00	52,90.62	7,89.36	52,90.62	7,89.36
	ज.जा.उ.यो.	8,10.00	8,10.00	10,36.25	3,27.04	10,36.25	3,27.04
	अ.जा.उ.यो.	10,50.00	10,50.00	13,43.30	4,83.37	13,43.30	4,83.36
के.वी.एस.एस.	सामान्य	0.02	0.02	4,75.00	..	4,75.00	..
	ज.जा.उ.यो.	0.02	0.02
	अ.जा.उ.यो.	2,00.02	0.02

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
ग्राम सेवा सहकारी समिति	सामान्य	10,00.01	10,00.01	10,00.00	10,00.00	10,00.00	10,00.00
	ज.जा.उ.यो.	0.02	0.02
	अ.जा.उ.यो.	0.02	0.02
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012	सामान्य	16,60.00	19,15.51	19,12.64	13,85.37	19,12.64	13,85.38
	ज.जा.उ.यो.	3,50.00	4,20.00	1,97.49	1,95.71	1,97.49	1,95.71
	अ.जा.उ.यो.	4,50.00	5,40.00	2,98.73	2,91.76	2,98.73	2,91.76
दंत महाविद्यालय तथा अस्पताल, जयपुर	सामान्य	..	1,98.21	..	1,98.00	..	1,98.00
राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, उदयपुर	ज.जा.उ.यो.	..	4,59.00	..	46.65	..	46.65
मल-जल ट्रीटमेंट संयंत्र	सामान्य	10,30.05	10,99.04	..	3,43.34	..	3,43.34
	ज.जा.उ.यो.	2,02.50	2,15.68	..	67.50	..	67.50
	अ.जा.उ.यो.	2,67.45	2,85.28	..	89.15	..	89.15
बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	सामान्य	8,13.50	2,00.00	6,38.50	72.86	6,38.50	72.86
शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	सामान्य	8,36.00	3,53.76	4,88.00	47.82	4,88.00	47.82
मुख्यमंत्री शहरी बी पी एल आवास योजना	सामान्य	1,25.00	1,33.45	1,13.18	1,12.84	1,13.18	1,12.84
	ज.जा.उ.यो.	..	0.04
	अ.जा.उ.यो.	..	0.04
आर आई डी एफ- XIX के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित सड़कें	सामान्य	1,37.38	6,86.90	9,54.73	8,83.15	9,69.42	9,68.98
	ज.जा.उ.यो.	26.96	1,34.80	91.74	2,28.18	93.18	2,56.75
	अ.जा.उ.यो.	35.66	1,78.30	1,16.22	1,90.38	1,18.05	2,14.22
टी.बी. अस्पताल बाडी, उदयपुर	सामान्य	1,51.00	1,32.83	1,59.89	1,40.51	1,59.89	1,40.50
पॉलीटेक्निक की छात्रावास सुविधा	अ.जा.उ.यो.	91.58	1,00.01	44.39	1,17.60	44.39	1,17.60
मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	सामान्य	8,00.00	5,10.00	2,68.73	1,06.00	2,68.73	1,06.00
टी.बी. तथा आइसोलेशन डिजिज अस्पताल	सामान्य	1,79.35	1,32.85	1,79.02	1,63.18	1,79.01	1,63.17
मुख्यमंत्री भ्रमणशील पशु चिकित्सा इकाई	सामान्य	0.02	0.06	..	3,63.67	..	3,63.49
	ज.जा.उ.यो.	..	0.07	..	36.64	..	36.63
मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना	सामान्य	1,34.63	2,76.54	1,23.46	1,25.02	1,23.45	1,24.95
	ज.जा.उ.यो.	16,26.23	25,68.63	16,68.94	8,39.97	16,68.40	8,39.93
	अ.जा.उ.यो.	18,00.00	31,54.36	16,93.45	32,93.23	16,93.45	32,93.23

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत भवनों का निर्माण	सामान्य	15,16.80	1,37.76	15,17.79	66.74	15,17.79	66.72
जलपूर्ति योजनाओं के पर्यवेक्षण हेतु वाहनों को किराये पर लेना (शहरी)	सामान्य	2,17.74	2,16.00	1,90.38	2,03.80	1,90.38	2,03.66
सुरजपुरा पर 200 एम एल डी जल शुद्धिकरण संयंत्र (शहरी)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	68.70 13.50 17.80	17.18 3.37 4.45	16.22	96.73 19.00 25.06	9.29	96.73 19.00 25.06
शहरी जलपूर्ति योजना-जालोर	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	34.35 6.75 8.90	0.01 0.01 0.01	31.22 6.33 8.79	2,57.61 50.61 66.74	31.22 6.33 8.79	2,57.61 50.62 66.74
नर्मदा परियोजना (डी.आर.) (शहरी)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,71.75 33.75 44.50	1,03.05 20.25 26.70	1,28.82 19.60 33.39	1,02.77 20.25 26.70	1,28.82 19.60 33.39	1,02.77 20.25 26.70
योजनाओं के पर्यवेक्षण हेतु वाहनों को किराये पर लेना (ग्रामीण)	सामान्य	8,88.00	8,88.00	6,16.25	6,01.00	6,16.25	6,00.88
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया हेतु एकीकृत विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	22,00.00	22,00.00	24,57.89	18,00.00	24,57.89	18,00.00
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माड़ा क्षेत्र में माँ-बाडी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	5,33.03	3,85.88	4,99.97	3,85.88	4,99.97	3,85.88
राजस्थान चमड़ा हस्तकला विकास तथा आधुनिकीकरण योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	0.01 0.01 10.00	0.01 0.01 1,00.00 8.44 9.98 8.44 9.98
गुण नियंत्रण-निष्पादन	सामान्य	11,16.21	13,77.92	9,69.98	9,43.38	9,69.98	9,43.38
सरकारी तथा निजी क्षेत्र के मध्य साझेदारी आधार पर महाविद्यालय स्थापना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,80.01 40.01 0.02	2,00.01 40.01 0.02	.. 10.83 ..	19.71 40.00 10.83 ..	19.71 40.00 ..
निदेशन तथा प्रशासन पर्यवेक्षण-कोटा बैराज-सी ए डी	सामान्य	1,90.02	1,79.47	1,82.32	1,69.75	1,82.33	1,69.74

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा तथा आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर	सामान्य	9,35.00	17,75.00	8,44.50	13,16.89	8,44.50	13,16.89
मास्टर योजना तथा अन्य योजनाएं	सामान्य	5,97.91	10,27.19	3,84.29	6,94.86	3,84.29	6,94.86
	ज.जा.उ.यो.	13.50	12.14	12.83	12.06	12.83	12.06
पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर	सामान्य	1,01.38	86.90	1,04.65	95.53	1,04.64	95.32
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति	सामान्य	20,00.00	20,00.00	16,04.54	19,92.14	16,04.54	19,92.04
	ज.जा.उ.यो.	12,50.00	10,50.00	5,38.04	10,42.27	5,38.03	10,42.27
	अ.जा.उ.यो.	18,00.00	15,00.00	16,65.16	14,99.68	16,65.16	14,99.68
फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना (शहरी)	सामान्य	8,11.80	24,04.50	3,57.91	21,55.20	3,57.91	21,55.20
	ज.जा.उ.यो.	2,39.00	4,72.50	44.46	4,23.42	44.46	4,23.42
	अ.जा.उ.यो.	3,49.20	6,23.00	42.44	5,60.70	42.44	5,60.70
चम्बल-बूंदी जलपूर्ति परियोजना कस्बा लिंक ट्रांसमिशन मुख्य तथा अन्य आधारभूत (शहरी)	सामान्य	1,03.05	9,43.25	1,73.86	5,43.23	1,73.86	5,43.23
	ज.जा.उ.यो.	20.25	1,85.36	29.42	1,65.42	29.42	1,65.42
	अ.जा.उ.यो.	26.70	2,44.39	38.81	2,02.97	38.81	2,02.98
केन्द्रीय सहकारी बैंको के लिए अंश पूंजी	सामान्य	0.01	6,91.00	..	6,91.00	..	6,91.00
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01
डी एम एच एस के माध्यम से निःशुल्क जांच योजना	सामान्य	66,37.04	70,15.54	62,68.22	59,80.16	62,68.20	59,77.72
	ज.जा.उ.यो.	18,42.54	16,05.33	15,26.88	13,99.00	15,26.89	13,98.99
	अ.जा.उ.यो.	21,11.45	19,29.48	19,02.60	16,99.44	19,02.27	16,99.35
नाबार्ड द्वारा पोषित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	सामान्य	19,50.00	1,48,00.00	16,37.50	79,12.00	16,37.50	79,12.00
	ज.जा.उ.यो.	4,50.00	30,00.00	3,05.00	15,76.50	3,05.00	15,76.50
	अ.जा.उ.यो.	6,00.00	35,00.00	4,00.00	20,54.50	4,00.00	20,54.50
नाबार्ड द्वारा पोषित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	सामान्य	70,27.00	32,00.00	28,71.00	27,99.19	28,71.00	27,99.19
	ज.जा.उ.यो.	16,21.00	6,00.00	5,23.23	15,75.00	5,23.23	15,75.00
	अ.जा.उ.यो.	21,62.00	8,00.00	6,96.00	16,42.75	6,96.00	16,42.75
नाबार्ड द्वारा पोषित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	सामान्य	27,54.52	3,00.00	16,90.39	13,66.00	16,90.39	13,66.00
	ज.जा.उ.यो.	6,86.87	15,00.00	3,15.00	3,27.70	3,15.00	3,27.70
	अ.जा.उ.यो.	8,58.60	4,00.00	4,13.00	4,32.36	4,13.00	4,32.36

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, जोधपुर के माध्यम से निःशुल्क जाँच योजना	सामान्य	10,65.32	9,95.32	9,71.90	9,37.77	9,71.90	9,37.77
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, कोटा के माध्यम से निःशुल्क जाँच योजना	सामान्य	6,76.13	8,73.02	8,85.23	6,49.28	8,85.23	6,49.27
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, जयपुर के माध्यम से निःशुल्क जाँच योजना	सामान्य	14,50.03	14,00.03	24,24.61	13,88.10	24,24.60	13,88.10
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, अजमेर के माध्यम से निःशुल्क जाँच योजना	सामान्य	7,02.82	5,48.62	6,71.81	6,44.27	6,71.81	6,44.28
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, बीकानेर के माध्यम से निःशुल्क जाँच योजना	सामान्य	5,55.02	6,00.02	7,52.27	5,22.19	7,51.82	5,22.20
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, उदयपुर के माध्यम से निःशुल्क जाँच योजना	सामान्य	6,14.02	9,17.71	6,33.20	6,14.54	6,33.20	6,14.54
इन्दिरा गांधी मुख्य नहर किमी 74 से 189- प्रथम चरण	सामान्य अ.जा.उ.यो.	41.00 9.00	8,20.00 1,80.00	3,39.76 33.72	24.51 ..	3,34.91 33.41	24.49 ..
विशेष प्राथमिकता आधारित सड़कें	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,37.38 26.96 35.66	33.80 7.87 0.01	38.03 8.85 0.01
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम के माध्यम से विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार हेतु अनुदान	सामान्य	6,00.01	6,00.01	4,60.22	4,92.24	4,70.87	4,92.24
पक्षी सहायता केन्द्र	सामान्य	1,97.44	1,71.01	1,56.29	1,89.24	1,56.29	1,89.24
अल्पसंख्यक छात्रों के छात्रावासों का संचालन	सामान्य	2,85.92	95.02	1,95.00	1,29.27	1,95.00	1,29.27

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं--(क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
पुस्तकालय भवन	सामान्य	1,07.99	62.00	99.06	50.75	99.06	50.75
	ज.जा.उ.यो.	2.23	12.00	2.23	9.30	2.23	9.30
	अ.जा.उ.यो.	2.95	15.60	2.95	10.97	2.95	10.97
गैर शासकीय संगठनों के माध्यम से वृद्धा आश्रम गृहों का निर्माण तथा संचालन	सामान्य	1,50.00	1,80.00	1,62.81	1,46.65	1,61.49	1,46.65
पशुधन प्रजनन विकास योजना	सामान्य	10,00.00	3,80.72	3,91.78	..	3,91.78	..
	ज.जा.उ.यो.	5,00.00	3,69.28	3,06.41	..	3,06.41	..
संस्कृत महाविद्यालय भवन का निर्माण	सामान्य	2,31.27	1,81.05	2,31.26	40.55	2,31.26	40.55
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को ऋण	सामान्य	0.01	0.01	6,50.00	1,00,00.00	6,50.00	1,00,00.00
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अनुदान	सामान्य	0.03	0.03	2,39,63.00	..	2,39,63.00	..
पीपलाद जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य	6.87	1,53.20	39.50	3,66.02	39.50	3,66.02
	ज.जा.उ.यो.	1.35	30.11	7.50	61.27	7.50	61.26
	अ.जा.उ.यो.	1.78	39.69	10.20	95.77	10.20	95.77
इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से) (ग्रामीण)	सामान्य	34.35	6,87.00	34.35	34.35	34.35	34.35
	ज.जा.उ.यो.	6.75	1,35.00	6,81.75	6.65	6,81.75	6.65
	अ.जा.उ.यो.	8.90	1,78.00	9.00	8.90	9.00	8.90
ग्रामीण विकास विभाग हेतु नवाचार/नयी योजनाएँ	सामान्य	0.02	10,00.01	..	8,14.37	..	8,14.37
	ज.जा.उ.यो.	0.02	3,14.01	..	2,55.60	..	2,55.60
	अ.जा.उ.यो.	0.02	4,29.01	..	3,50.03	..	3,50.03
मुख्य सिंचाई परियोजनाओं का पुर्नजीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार	सामान्य	5,44.00	6,80.00	6,12.01	8,56.11	6,72.37	8,64.11
	ज.जा.उ.यो.	1,12.00	1,40.00	1,25.99	1,70.40	1,25.99	1,70.40
	अ.जा.उ.यो.	1,44.00	1,80.00	1,50.14	2,10.50	1,64.94	2,11.87
महाविद्यालय शिक्षा विभाग की नवाचार/नयी योजनाएँ	सामान्य	5,00.02	5,00.01	5,00.00	..	5,00.00	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
तकनीकी शिक्षा विभाग की नवाचार/नयी योजनाएँ	सामान्य	0.02	1,02.20
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना	सामान्य	13,00.00	15,00.00	23,32.84	14,99.70	23,32.84	14,85.88
	ज.जा.उ.यो.	1,00.00	..	1,76.66	..	1,76.66	..
	अ.जा.उ.यो.	2,00.00	..	3,99.49	..	3,99.49	..
बाल अधिकारिता निदेशालय का निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	1,41.90	1,29.54	1,16.40	1,14.72	1,16.35	1,14.72
जिला स्तरीय बाल अधिकारिता तथा बाल सुरक्षा इकाई	सामान्य	82.36	1,34.15	75.35	72.40	75.33	72.40
कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत सीकर, झुझुनू तथा खेतड़ी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य	47,44.39	41,22.00	66,63.08	37,09.80	66,63.08	37,09.80
	ज.जा.उ.यो.	15,09.16	8,10.00	13,97.45	8,92.95	13,97.45	8,92.95
	अ.जा.उ.यो.	19,62.45	10,68.00	21,10.67	11,61.20	21,10.67	11,61.20
भीनमाल तहसील तथा भीनमाल कस्बे के 256 गांवों हेतु शहरी जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	13,74.00	0.01	10,30.50	9,74.00	10,30.50	9,74.00
	ज.जा.उ.यो.	2,70.00	0.01	2,02.50	4,19.75	2,02.50	4,19.75
	अ.जा.उ.यो.	3,56.00	0.01	2,67.00	6,06.00	2,67.00	6,06.00
राजस्थान निगम सेवाएं चयन आयोग (अधीनस्थ तथा मंत्रालय)	सामान्य	38.64	31.36	1,39.93	6,78.28	1,39.92	6,78.26
जीवाणुनाशन असफल मामलों हेतु क्षतिपूर्ति	सामान्य	2,50.00	2,50.00	2,93.73	2,98.18	2,93.73	2,98.18
मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना	सामान्य	4,24.00	4,50.00	2,95.98	4,79.99	2,95.98	4,79.92
	ज.जा.उ.यो.	6.00	7.00	4.93	7.64	4.93	7.64
	अ.जा.उ.यो.	24.00	30.00	18.98	27.20	18.98	27.20
अल्पसंख्यक मामलात विभाग कार्यालय, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास सहकारी निगम तथा वक्फ बोर्ड विकास परिषद् इत्यादि हेतु भवन	सामान्य	73.64	3,76.12	98.75	1,76.19	98.75	1,76.19
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड द्वारा पोषित जलपूर्ति योजनाएं (एन सी आर पी बी)	सामान्य	85,61.05	33,96.28	48,89.01	44,91.50	37,87.98	40,67.03
	ज.जा.उ.यो.	22,98.02	6,60.00	6,28.10	11,33.16	4,42.44	10,84.61
	अ.जा.उ.यो.	50,52.21	8,15.00	12,44.04	21,74.39	9,39.53	19,88.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को सहायता (अपेक्स बैंक)	सामान्य	0.01	36,98.00	7,06.00	36,98.00	7,06.00	36,98.00
पुरालेखी संग्राहलय	सामान्य	4,02.98	5,00.00	4,02.96	20.00	4,02.96	20.00
ब्लॉक स्तर पर वीडियो कान्फ्रेंस	सामान्य	8,55.93	7,21.21	8,55.93	7,21.21	8,55.93	7,21.21
	ज.जा.उ.यो.	1,76.22	1,48.49	1,76.22	1,48.49	1,76.22	1,48.49
	अ.जा.उ.यो.	2,26.57	1,90.90	2,26.57	1,90.90	2,26.57	1,90.90
वाई फाई होट स्पोट	सामान्य	1,58.01	96.17	1,57.40	96.17	1,57.40	96.17
	ज.जा.उ.यो.	31.05	18.87	31.05	17.84	31.05	17.84
	अ.जा.उ.यो.	40.94	24.96	40.92	24.94	40.92	24.94
राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड-एच.पी.सी.एल.	सामान्य	2,70,40.00	80,50.01	36,42.69	10.79	36,42.69	10.79
	ज.जा.उ.यो.	10,00.00	..	10,00.00	..	10,00.00	..
	अ.जा.उ.यो.	8,40,00.00	..	20,00.00	..	20,00.00	..
गौपालन निदेशालय	सामान्य	2,49.29	2,28.35	2,71.54	1,80.66	2,71.53	1,80.65
युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना	सामान्य	99.99	1,50.00	3,60.00	1,50.00	3,60.00	1,50.00
कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना	सामान्य	75.00	1,00.00	75.00	93.00	74.90	93.00
	ज.जा.उ.यो.	10.00
	अ.जा.उ.यो.	25.00	..	1.00	..	1.00	..
बी पी एल तथा अन्त्योदय परिवारों को चीनी वितरण योजना	सामान्य	0.01	0.01	..	19,71.62	..	19,71.62
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	3,88.00	..	3,88.00
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	5,11.00	..	5,11.00
वायविलिटी गेप फंड हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अनुदान	सामान्य	20,00.00	20,00.00	..	29,01.65	..	29,01.65
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	सामान्य	19,44.88	25,13.46	18,44.88	15,90.99	18,44.88	15,90.99
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	सामान्य	9,90.67	7,90.68	10,21.49	7,90.69	10,21.49	7,90.69
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	सामान्य	20,43.00	22,09.06	20,18.00	22,40.49	20,18.00	22,40.49
	ज.जा.उ.यो.	7,36.76	5,24.09	7,36.76	4,92.66	7,36.76	4,92.66
राजस्थान राज्य भण्डारण निगम को गोदाम निर्माण हेतु ऋण	सामान्य	50,00.00	1,34,00.00	70,00.00	30,00.00	70,00.00	30,00.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं--(क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
जाखम परियोजना	ज.जा.उ.यो.	1,00.00	10,00.00	42.00	3,64.01	42.00	3,64.01
प्राकृतिक चिकित्सा	सामान्य	1,11.30	1,00.36	1,37.22	1,10.66	1,37.23	1,10.65
बैकएण्ड तथा नयी परियोजना	सामान्य	6,80.01	14,05.76	14,16.37	5,16.70	14,16.37	4,84.73
	ज.जा.उ.यो.	1,40.01	2,90.91	2,59.00	2,05.47	2,59.00	2,05.47
	अ.जा.उ.यो.	1,80.01	3,75.26	15,27.38	2,64.60	15,27.38	2,64.60
गौ शालाओं को अनुदान	सामान्य	82,00.00	0.01	1,24,58.97	62,86.71	1,24,58.97	62,86.53
	ज.जा.उ.यो.	14,30.00	0.01	20,99.30	12,57.01	20,99.30	12,57.01
	अ.जा.उ.यो.	18,70.00	0.01	27,96.28	16,78.23	27,96.28	16,78.23
राजस्थान गाय संरक्षण तथा सर्वद्वेन निधि को स्थानान्तरण	सामान्य	1,15,00.00	1,03,83.63	1,73,68.00	1,03,83.63	1,73,68.00	1,03,83.63
राजस्थान गाय संरक्षण तथा सर्वद्वेन निधि से पुनःभरण	सामान्य	(-) 82,00.00	..	(-) 82,00.00	..	(-) 1,24,58.97	(-) 62,86.53
	ज.जा.उ.यो.	(-) 14,30.00	..	(-) 14,30.00	..	(-) 20,99.30	(-) 12,57.01
	अ.जा.उ.यो.	(-) 18,70.00	..	(-) 18,70.00	..	(-) 27,96.28	(-) 16,78.23
शुभलक्ष्मी योजना	सामान्य	10,64.00	1,17,95.55	10,64.00	1,17,95.55	10,64.00	1,17,95.55
	ज.जा.उ.यो.	2,07.00	22,00.00	2,07.00	22,00.00	2,07.00	22,00.00
	अ.जा.उ.यो.	2,49.00	31,00.00	2,49.00	31,00.00	2,49.00	31,00.00
उपभोक्ता मामलात विभाग	सामान्य	1,54.33	1,68.31	1,82.55	1,00.39	1,82.53	1,00.39
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को कृषि अनुसंधान हेतु सहायता	सामान्य	6,53.49	5,97.35	6,53.49	5,97.35	6,53.49	5,97.35
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा को कृषि अनुसंधान हेतु सहायता	सामान्य	2,14.96	3,11.63	1,84.14	2,33.70	1,84.14	2,33.70
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने हेतु छात्रावासों का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	4,50.00	15,81.73	2,85.45	4,64.51	2,85.45	4,64.51
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में चिकित्सा भवन का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	1,40.00	2,00.00	1,00.14	60.00	1,00.14	60.00
शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति सुधार कार्य	सामान्य	3,59.65	3,57.07	2,22.63	3,57.01	2,22.63	3,57.01
	ज.जा.उ.यो.	70.96	70.21	40.64	70.21	40.64	70.21
	अ.जा.उ.यो.	93.45	92.72	53.48	92.72	53.48	92.72

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
प्राथमिक विद्यालय	सामान्य	3,00.02	2,00.02	17,83.57	2,23.17	17,82.86	2,23.17
	ज.जा.उ.यो.	0.03	0.03
नाबार्ड द्वारा पोषित आर आई डी एफ-XX की सड़कें	सामान्य	3,43.45	54,95.20	3,88.85	25,64.93	1,68.07	27,77.68
	ज.जा.उ.यो.	67.40	10,78.40	1,12.33	4,53.04	1,12.07	4,55.69
	अ.जा.उ.यो.	89.15	14,26.40	64.21	4,59.46	56.97	5,07.19
उद्यान का निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	96.53	96.51	1,10.03	87.66	1,10.02	87.66
निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	62,08.67	51,23.27	56,86.14	52,13.92	56,79.80	52,13.91
	ज.जा.उ.यो.	4,80.40	4,70.54	3,94.83	3,56.07	3,94.06	3,56.09
महात्मा गांधी पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्ष	सामान्य	6,10.08	6,00.00	4,59.36	6,55.73	4,59.36	6,55.73
	ज.जा.उ.यो.	1,60.91	2,00.00	95.67	1,82.43	95.67	1,82.43
	अ.जा.उ.यो.	2,50.61	2,25.00	2,04.25	2,10.85	2,04.25	2,10.84
चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I, पार्ट- II (शहरी)	सामान्य	15,67.50	0.01
	ज.जा.उ.यो.	3,87.50	0.01
	अ.जा.उ.यो.	5,45.00	0.01
जवाई-पाली पाइप लाइन परियोजना फेज- II, पार्ट-बी (शहरी)	सामान्य	1,71.75	7,55.70	1,71.75	9,14.23	1,71.75	9,14.23
	ज.जा.उ.यो.	33.75	1,48.50	33.75	3,70.00	33.75	3,70.00
	अ.जा.उ.यो.	44.50	1,95.80	44.50	4,81.43	44.50	4,81.43
भौगोलिक सूचना प्रणाली	सामान्य	28,82.85	31,87.09	26,69.67	26,01.11	26,69.67	26,01.11
	ज.जा.उ.यो.	6,21.76	11,32.98	5,79.76	5,38.94	5,79.76	5,38.94
	अ.जा.उ.यो.	7,93.69	11,63.18	7,39.69	6,92.93	7,39.69	6,92.93
राज सम्पर्क	सामान्य	8,37.00	10,64.69	8,37.00	7,82.00	8,37.00	7,82.00
	ज.जा.उ.यो.	1,65.00	2,08.94	1,65.00	1,61.00	1,65.00	1,61.00
	अ.जा.उ.यो.	2,18.00	2,76.37	2,18.00	2,07.00	2,18.00	2,06.99
विकास केन्द्र	सामान्य	16,11.37	7,18.39	16,11.37	24,05.45	16,11.37	24,05.45
	ज.जा.उ.यो.	3,31.75	1,64.08	3,31.75	4,88.18	3,31.75	4,88.18
	अ.जा.उ.यो.	4,26.54	2,89.50	4,26.54	6,29.08	4,26.54	6,29.08
राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी को सड़क एवं सेतु के लिए ऋण	सामान्य	0.01	0.01	41,68.00	..	41,68.00	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
ई-कार्यालय	सामान्य	48,51.13	3,60.40	77,34.35	5,50.79	77,34.35	5,50.79
	ज.जा.उ.यो.	9,98.54	65.20	19,22.54	1,11.58	19,22.54	1,11.58
	अ.जा.उ.यो.	12,83.98	84.40	24,71.98	1,47.03	24,71.98	1,47.03
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सुधार सम्बद्ध योजना हेतु सहायता	सामान्य	0.01	1,20,00.00	..	40,00.00	..	40,00.00
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सुधार सम्बद्ध योजना हेतु अंशपूजी	सामान्य	1,00,00.00	3,00,00.00
सरकारी-निजी सहभागिता के अन्तर्गत राज्य राज्यमार्ग सड़कों का निर्माण	सामान्य	6,36.70	13,94.19	5,83.24	4,85.20	5,16.49	5,45.97
	ज.जा.उ.यो.	1,35.00	2,61.29	1,03.18	80.83	1,01.23	51.76
	अ.जा.उ.यो.	1,78.30	3,44.51	1,51.17	1,41.10	1,48.50	1,58.77
राजस्थान हेरिटेज सुरक्षा तथा प्रोत्साहन प्राधिकरण (आर एच पी पी ए)	सामान्य	17,50.86	17,76.93	6,92.93	7,70.63	6,92.93	7,70.63
	ज.जा.उ.यो.	3,55.20	2,89.98	6,40.10	1,35.32	6,40.10	1,35.32
	अ.जा.उ.यो.	4,69.45	5,05.96	1,84.72	2,36.15	1,84.72	2,36.15
मुख्य मंत्री सलाहकार परिषद, राजस्थान	सामान्य	1,71.22	1,31.21	1,56.05	1,37.01	1,56.04	1,37.01
अवेध खनन की रोकथाम	सामान्य	2,28.00	2,28.00	2,22.68	2,27.94	2,22.68	2,27.94
गौपालन निदेशालय का निर्माण	सामान्य	3,79.00	5,00.00	2,40.42	2,37.45	2,44.17	2,66.60
जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा	सामान्य	0.02	9,61.10	38.33	1,98.00	38.33	1,97.99
ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा विद्युतीकरण	सामान्य	8,49.13	17,06.64	5,94.50	4,49.72	5,94.50	4,49.72
	ज.जा.उ.यो.	1,74.81	3,37.15	1,22.39	88.90	1,22.39	88.90
	अ.जा.उ.यो.	2,24.76	4,53.60	1,57.36	1,19.60	1,57.36	1,19.60
गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	सामान्य	85,82.00	68,70.00	85,82.00	68,70.00	85,82.00	68,70.00
	ज.जा.उ.यो.	16,88.00	13,50.00	16,88.00	13,50.00	16,88.00	13,50.00
	अ.जा.उ.यो.	22,30.00	17,80.00	22,30.00	17,80.00	22,30.00	17,80.00
राजस्थान जवाबदेही आश्वासन कार्यप्रणाली (आर ए ए एस)	सामान्य	68.70	68.70	68.69	68.69	68.69	68.69
	ज.जा.उ.यो.	13.49	13.49	13.48	13.48	13.48	13.48
	अ.जा.उ.यो.	17.84	17.84	17.83	17.83	17.83	17.83
बूचड़खाने से बचाये गये पशुओं को राहत	सामान्य	2,00.00	2,00.00	1,66.56	1,55.38	1,66.56	1,55.38

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं-- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
सम्पर्क केन्द्र संचालन	सामान्य	48,82.40	27,88.00	13,29.12	10,53.11	13,29.12	10,53.11
	ज.जा.उ.यो.	10,05.20	4,17.00	11.19	..	11.19	..
	अ.जा.उ.यो.	12,92.40	5,36.00	..	55.30	..	55.30
डाटा केन्द्र तथा नेटवर्क संचालन केन्द्र (नेटवर्क संचालन केन्द्र)	सामान्य	1,33,06.90	50,22.40	1,29,00.65	66,84.32	1,29,00.65	66,74.08
	ज.जा.उ.यो.	13,58.60	7,30.40	12,64.04	13,90.30	12,64.04	13,90.29
	अ.जा.उ.यो.	17,03.50	9,47.20	4,03.54	17,87.55	4,03.53	17,87.55
महिला सुरक्षा तथा सलाह केन्द्र	सामान्य	1,00.26	94.93	74.76	80.83	74.76	80.83
	ज.जा.उ.यो.	19.71	21.02	13.86	13.47	13.86	13.47
	अ.जा.उ.यो.	28.02	28.02	13.01	20.60	13.01	20.60
सामुदायिक विवाह अनुदान योजना	सामान्य	2,88.00	2,88.00	9,27.28	5,62.43	9,26.53	5,60.73
	ज.जा.उ.यो.	72.00	72.00	86.41	95.94	82.48	95.94
	अ.जा.उ.यो.	90.00	90.00	1,95.15	1,76.37	1,83.25	1,72.16
राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाओं के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति	सामान्य	2,26.65	4,60.00	2,96.21	1,93.46	2,96.21	1,93.46
	ज.जा.उ.यो.	59.00	60.00	3.62	1.41	3.62	1.41
	अ.जा.उ.यो.	81.50	80.00	8.25	5.92	8.25	5.92
राजस्थान निवेश संवर्द्धन योजना	सामान्य	1,13,46.98	1,69,19.67	1,27,66.56	1,63,39.52	1,27,66.56	1,63,39.52
	ज.जा.उ.यो.	20,56.06	74.13	13,99.36	3,12.00	13,99.36	3,12.00
	अ.जा.उ.यो.	26,51.00	3,05.19	39,30.00	6,91.33	39,30.00	6,91.33
देहली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर	सामान्य	2,63.50	3,49.13	2,19.71	1,78.45	2,19.72	1,78.45
आर आई डी एफ-XXI के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित सड़के	सामान्य	34,34.50	3,70,92.60	68,45.02	2,13,45.29	69,52.89	2,40,18.34
	ज.जा.उ.यो.	6,74.00	72,79.20	13,46.99	39,14.47	13,68.22	44,25.66
	अ.जा.उ.यो.	8,91.50	96,28.20	17,21.80	52,47.64	17,48.94	59,04.66
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति-2015	सामान्य	30.01	25.01	1,26.32	..	1,26.32	..
सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से सहायता	सामान्य	55,00.00	15,00.00	38,00.00	55,00.00	38,00.00	55,00.00
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, धोलपुर को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	1,00.00	0.01

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांरा को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	1,00.00	0.01
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, करौली को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	1,00.00	0.01
लघु सिंचाई कार्य (वाटर कन्सेप्ट के लिए)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	59,58.80 39,10.35 28,30.85	73,40.21 33,56.10 24,30.00	47,95.79 29,98.23 21,66.67	1,61,69.95 70,95.34 52,70.28	52,32.76 29,89.80 23,79.96	1,65,09.43 70,90.40 53,90.07
जल संरक्षण ढांचा (वाटर कन्सेप्ट के लिए)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	6.80 1.40 1.80	29,00.00 7,00.00 9,00.00
राजस्थान राज्य बस टर्मिनल प्राधिकरण	सामान्य	1,00.00	1,00.03	99.96	85.00	99.96	85.00
राज्य बी पी एल परिवारों हेतु आवास	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	15,75.00 6,30.00 9,45.00	5,90.45 2,95.40 1,64.15	5,90.45 2,95.40 1,64.15
फोर वाटर कन्सेप्ट	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01	9,26.57 2,17.67 2,53.73	20,05.69 3,26.74 2,91.45	9,26.57 2,17.67 2,53.73	20,05.69 3,26.74 2,91.45
टाइगर सफारी	सामान्य	1,00.01	3,00.01	99.99	50.00	99.99	50.00
बायोलोजिकल पार्क, बीकानेर	सामान्य अ.जा.उ.यो.	0.02 1,00.01	0.02 2,99.99	.. 3,50.00 3,50.00
प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता	सामान्य	1,20.00	1,00.00	20.53	22.44	20.53	22.44
पर्यटन प्रशिक्षण, उदयपुर के लिए उत्कर्ष केन्द्र की स्थापना	सामान्य	5,45.92	1,54.06	5,88.55	3,90.61	5,88.54	3,90.61
जन लोक सहभागिता मोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	8,50.01 5,00.01 6,50.01	3,00.01 2,00.01 2,00.01	7,53.05 2,93.02 3,06.07	2,94.55 1,79.81 1,90.28	7,53.05 2,93.02 3,05.13	2,94.55 1,79.81 1,90.28
राजस्थान नदी बेसिन तथा जल संसाधन योजना प्राधिकरण	सामान्य	4,18.70	3,73.69	5,01.10	4,18.20	5,01.10	4,18.20

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
प्रशिक्षु प्रशिक्षण	सामान्य	..	2,00.00
राजकीय महाविद्यालयों की मेघावी लड़कियों को स्कूटी वितरण	सामान्य	4,00.00	4,00.00	3,44.49	3,49.94	3,44.49	3,49.93
	ज.जा.उ.यो.	1,50.00	1,50.00	1,10.61	49.56	1,10.61	49.56
	अ.जा.उ.यो.	1,50.00	1,50.00	1,09.29	84.74	1,09.29	84.74
उत्तम कार्य योजना के लिए पी.आर.आई. को पारितोषिक	सामान्य	0.01	3,74.00	3,74.00	3,74.00	3,74.00	3,74.00
समुदाय आधारित अति-कुपोषण का प्रबंधन	सामान्य	1,99.92	63.89	9.12	59.94	9.12	59.94
	ज.जा.उ.यो.	39.25	12.56	2.48	10.31	2.48	10.30
	अ.जा.उ.यो.	51.92	16.61	2.13	14.51	2.13	14.51
वन धन योजना	सामान्य	77.11	4,06.35	71.70	93.84	71.70	93.85
	ज.जा.उ.यो.	22.89	93.65	5.64	12.66	5.64	12.66
राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना	सामान्य	11,80.68	5,15.23	12,33.22	1,52.63	14,15.22	1,52.63
	ज.जा.उ.यो.	3,52.74	1,33.50	3,52.55	..	3,45.95	..
	अ.जा.उ.यो.	2,66.56	1,01.25	2,65.04	..	2,93.76	..
युवा प्रशिक्षु कार्यक्रम	सामान्य	6,19.20	4,27.51	7,63.20	3,15.59	7,63.16	3,15.58
भामाशाह रोजगार सृजन योजना	सामान्य	18.00	2,60.00	39.97	12.00	39.97	12.00
	ज.जा.उ.यो.	3.00	60.00	2.99	1.42	2.99	1.43
	अ.जा.उ.यो.	4.00	80.00	4.99	2.49	4.99	2.49
कमान और नियंत्रण केन्द्र	सामान्य	55,76.16	48,34.82	55,76.15	98,22.45	55,76.15	98,22.45
	ज.जा.उ.यो.	24,08.35	13,58.01	24,08.34	33,01.91	24,08.34	33,01.91
	अ.जा.उ.यो.	29,28.76	17,46.01	29,28.75	91,22.26	29,28.75	91,22.26
मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान	सामान्य	2,40,34.50	3,02,26.19	2,39,62.94	2,68,69.26	2,39,62.95	2,68,69.26
	ज.जा.उ.यो.	47,25.00	59,40.00	47,14.36	52,92.00	47,14.36	52,92.00
	अ.जा.उ.यो.	62,40.50	78,33.78	62,14.12	69,77.60	62,14.12	69,77.60
जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय	सामान्य	..	0.01	..	1,50,76.37	..	1,50,76.37
जल संरक्षण उपकर निधि से पुनःभरण	सामान्य	(-) 1,50,76.37
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का आधुनिकीकरण	सामान्य	..	1,29.25

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
उदय के अन्तर्गत सभी डिस्कॉम को अनुदान	सामान्य	81,60,00.00	57,60,00.00	81,59,99.99	57,60,00.00	81,59,99.99	57,60,00.00
	ज.जा.उ.यो.	16,80,00.00	12,60,00.00	16,80,00.00	12,60,00.00	16,80,00.00	12,60,00.00
	अ.जा.उ.यो.	21,60,00.00	19,80,00.00	21,60,00.01	19,80,00.00	21,60,00.01	19,80,00.00
उदय के अन्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को इक्रिटी	सामान्य	7,06,55.76	6,74,14.80	7,07,81.86	6,74,14.80	7,07,81.86	6,74,14.80
	ज.जा.उ.यो.	1,45,46.77	1,41,10.07	1,45,72.74	1,41,10.07	1,45,72.74	1,41,10.07
	अ.जा.उ.यो.	1,87,03.00	2,29,94.20	1,87,36.38	2,29,94.20	1,87,36.38	2,29,94.20
उदय के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को इक्रिटी	सामान्य	6,47,22.48	6,21,77.19	6,54,50.64	6,21,77.19	6,54,50.64	6,21,77.19
	ज.जा.उ.यो.	1,33,25.22	1,30,13.83	1,34,75.13	1,30,13.83	1,34,75.13	1,30,13.83
	अ.जा.उ.यो.	1,71,32.42	2,12,07.73	1,73,25.17	2,12,07.73	1,73,25.17	2,12,07.73
उदय के अन्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को इक्रिटी	सामान्य	6,86,21.76	6,39,08.01	6,77,67.50	6,39,08.01	6,77,67.50	6,39,08.01
	ज.जा.उ.यो.	1,41,28.01	1,33,76.09	1,39,52.13	1,33,76.09	1,39,52.13	1,33,76.09
	अ.जा.उ.यो.	1,81,64.58	2,17,98.08	1,79,38.45	2,17,98.08	1,79,38.45	2,17,98.08
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में निवेश	सामान्य	0.01	0.01	..	34,51.49	..	34,51.49
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	6,67.50	..	6,67.50
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	8,81.01	..	8,81.01
उदय के अन्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को ऋण	सामान्य	..	19,45,53.24	..	24,87,46.11	..	24,87,46.11
	ज.जा.उ.यो.	..	3,82,58.83	..	5,72,03.29	..	5,72,03.29
	अ.जा.उ.यो.	..	5,05,86.68	..	6,73,07.85	..	6,73,07.85
राजस्थान डिस्कॉम को वित्तीय स्थायित्व के सुधार के लिए सहायता विश्व बैंक ऋण-जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	सामान्य	0.01	5,09,44.59	..	4,50,09.48	..	4,50,09.48
	ज.जा.उ.यो.	0.01	1,00,18.24	..	88,51.10	..	88,51.10
	अ.जा.उ.यो.	0.01	1,32,46.33	..	1,17,03.12	..	1,17,03.12
उदय के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को ऋण	सामान्य	..	17,94,03.72	..	23,68,56.77	..	23,68,56.77
	ज.जा.उ.यो.	..	3,52,79.68	..	5,56,05.09	..	5,56,05.09
	अ.जा.उ.यो.	..	4,66,47.58	..	6,44,51.12	..	6,44,51.12
राजस्थान डिस्कॉम को वित्तीय स्थायित्व के सुधार के लिए सहायता विश्व बैंक ऋण-जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	सामान्य	0.01	3,94,14.48	..	3,48,23.00	..	3,48,23.00
	ज.जा.उ.यो.	0.01	77,50.84	..	68,47.93	..	68,47.93
	अ.जा.उ.यो.	0.01	1,02,48.34	..	90,54.49	..	90,54.49

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
उदय के अन्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को ऋण	सामान्य	..	18,43,89.96	..	20,93,34.02	..	20,93,34.02
	ज.जा.उ.यो.	..	3,62,60.23	..	4,27,74.62	..	4,27,74.62
	अ.जा.उ.यो.	..	4,79,44.08	..	5,49,40.63	..	5,49,40.63
राजस्थान डिस्कॉम को वित्तीय स्थायित्व के सुधार के लिए सहायता विश्व बैंक ऋण-अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	सामान्य	0.01	4,00,75.93	..	3,53,99.16	..	3,53,99.16
	ज.जा.उ.यो.	0.01	78,80.92	..	69,61.23	..	69,61.23
	अ.जा.उ.यो.	0.01	1,04,20.33	..	92,04.30	..	92,04.30
मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	सामान्य	10,22.84	4,46.56	41,24.17	..	42,06.94	..
	ज.जा.उ.यो.	87.75	87.75	87.62	..	87.62	..
	अ.जा.उ.यो.	1,15.70	1,15.70	2,44.72	..	2,44.72	..
राजगढ़ जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	10,30.50	17,17.50	8,99.64	8,22.70	8,99.64	8,22.70
	ज.जा.उ.यो.	2,02.50	3,37.50	1,68.72	1,42.58	1,68.72	1,42.58
	अ.जा.उ.यो.	2,67.00	4,45.00	3,77.68	2,65.22	3,77.68	2,65.22
यू.डब्लू. एस.एस. किशनगढ़ का पुर्नगठन	सामान्य	13,67.50	27,48.00	10,26.51	20,61.00	10,26.51	20,61.00
	ज.जा.उ.यो.	4,87.50	5,40.00	7,45.46	4,04.97	7,45.46	4,04.96
	अ.जा.उ.यो.	6,45.00	7,12.00	6,63.78	5,34.00	6,63.78	5,34.00
पीने के पानी की हिस्सा लागत नर्मदा नहर	सामान्य	5,49.60	6,87.00	5,49.60	5,15.25	5,49.60	5,15.25
	ज.जा.उ.यो.	1,08.00	1,35.00	1,08.00	1,01.25	1,08.00	1,01.25
	अ.जा.उ.यो.	1,42.40	1,78.00	1,42.40	1,33.50	1,42.40	1,33.50
यू.डब्लू. एस.एस. प्रतापगढ़ का पुर्नगठन	सामान्य	20,48.00	27,48.00	17,03.51	10,27.37	17,03.51	10,27.37
	ज.जा.उ.यो.	8,40.00	5,40.00	6,57.07	1,22.18	6,57.07	1,22.18
	अ.जा.उ.यो.	11,12.00	7,12.00	13,05.77	1,78.00	13,05.77	1,78.00
मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना	सामान्य	21,50,00.00	18,81,55.80	20,78,15.32	21,12,47.81	20,61,48.03	20,95,24.96
अनुसूचित जाति के लिए मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना	अ.जा.उ.यो.	5,00,00.00	4,88,54.20	4,86,60.08	4,96,12.80	4,84,06.66	4,93,73.57
अनुसूचित जन जाति के लिए मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना	ज.जा.उ.यो.	3,80,00.00	3,69,90.00	3,64,98.30	3,75,83.62	3,62,97.44	3,72,52.10
मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना	सामान्य	3,00,00.00	3,02,14.80	3,68,69.04	2,96,06.69	3,66,60.35	2,94,27.33

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
अनुसूचित जाति के लिए मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना	अ.जा.उ.यो.	90,00.00	78,45.20	1,17,07.28	87,09.53	1,16,55.95	86,52.92
अनुसूचित जन जाति के लिए मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना	ज.जा.उ.यो.	57,00.00	59,40.00	67,41.89	55,73.99	67,02.39	55,44.51
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	सामान्य	1,50,00.00	1,51,07.40	2,05,60.27	1,47,90.60	2,04,45.15	1,46,87.35
अनुसूचित जाति के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	अ.जा.उ.यो.	42,00.00	39,22.60	58,86.98	40,26.20	58,61.90	40,05.32
अनुसूचित जन जाति के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	ज.जा.उ.यो.	26,00.00	29,70.00	35,55.32	25,21.85	35,41.39	25,04.22
एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आई पी डी एस)	सामान्य	27,00.00	6,10.00	13,11.00	..	13,11.00	..
	ज.जा.उ.यो.	5,00.00	40.00	2,47.00	..	2,47.00	..
	अ.जा.उ.यो.	7,00.00	50.00	3,42.00	..	3,42.00	..
राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी हेतु अनुदान	सामान्य	7,25.00	10,85.00	4,87.08	..	4,87.08	..
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण	सामान्य	1,01.24	40.00	57.16	49.92	57.17	49.91
स्वाइन फ्लू नियंत्रण कार्यक्रम (डी एम एच एस के माध्यम से)	सामान्य	70.06	1,70.00	34.70	..	34.69	..
	ज.जा.उ.यो.	20.06	35.00	11.69	..	11.69	..
	अ.जा.उ.यो.	35.06	45.00	16.29	..	16.29	..
राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)	सामान्य	3,09,10.40	4,98,90.00	3,30,24.72	60.78	3,35,05.47	68.40
	ज.जा.उ.यो.	60,66.00	1,01,10.00	59,83.88	11.44	60,71.03	12.87
	अ.जा.उ.यो.	80,23.49	1,50,00.00	84,30.14	15.77	85,52.91	17.75
राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना- II (डब्ल्यू.बी.)	सामान्य	0.12	1,33,04.00
	ज.जा.उ.यो.	0.01	26,96.00
	अ.जा.उ.यो.	0.01	40,00.00
राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना- III (जे.आई.सी.ए.)	सामान्य	..	66,52.00
	ज.जा.उ.यो.	..	13,48.00
	अ.जा.उ.यो.	..	20,00.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
आर.आई.डी.एफ.-22	सामान्य	3,42,60.00	51,51.77	3,68,77.78	54,89.54	3,74,41.83	61,77.01
	ज.जा.उ.यो.	67,40.00	10,11.00	55,20.97	10,51.25	56,05.06	11,82.90
	अ.जा.उ.यो.	90,00.00	13,37.26	88,45.96	16,07.72	89,75.97	18,09.06
जिला कार्यालय तथा पशु चिकित्सा अस्पताल का निर्माण	सामान्य	2,00.00	1,00.00	2,00.00	1,00.00	2,00.00	1,00.00
	सामान्य	2,32,71.21	89,20.02	98,23.17	10,52.91	98,20.16	10,52.91
	ज.जा.उ.यो.	41,95.03	33,39.96	7,23.76	2,60.71	7,23.76	2,60.71
खनन क्षेत्र में पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संरक्षण हेतु तथा पारिस्थितिक संतुलन का रखरखाव	अ.जा.उ.यो.	51,68.76	27,40.02	7,48.20	98.89	7,48.20	98.90
	सामान्य	(-) 2,32,71.21	(-) 89,20.02	(-) 2,32,71.21	(-) 89,20.02	(-) 98,20.15	(-) 10,52.91
	ज.जा.उ.यो.	(-) 41,95.03	(-) 33,39.96	(-) 41,95.03	(-) 33,39.96	(-) 7,23.77	(-) 2,60.71
खनन क्षेत्र में पर्यावरण तथा स्वास्थ्य उपकर निधि से पुर्नभरण	अ.जा.उ.यो.	(-) 51,68.76	(-) 27,40.02	(-) 51,68.76	(-) 27,40.02	(-) 7,48.20	(-) 98.90
	सामान्य	2,46.18	0.01	5,38.74	10,45.20	5,38.74	10,45.20
	सामान्य	10,00.00	1,00.00	6,50.00	1,00.00	6,50.00	1,00.00
रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	सामान्य						
राजस्थान अधीनस्थ तथा मंत्रालय सेवाएं चयन बोर्ड भवन का निर्माण	सामान्य						
पशु पालकों के बच्चों के लिए योजना	सामान्य	12,50.00	5,00.00	2,00.00	50.00	2,00.00	50.00
ओरियन्टल रिसर्च संस्थान भवन का निर्माण	सामान्य	1,00.00	1,50.00	..	50.00	..	50.00
अतरू शेरागढ़ जलपूर्ति परियोजना, जिला बांरा (ग्रामीण)	सामान्य	1,71.75	0.01	8,97.19	1,12.40	8,97.19	1,12.40
	ज.जा.उ.यो.	33.75	0.01	1,76.28	27.00	1,76.28	27.00
	अ.जा.उ.यो.	44.50	0.01	2,32.43	60.60	2,32.43	60.60
पेयजल प्रयोजन हेतु सिरोही जिले (ग्रामीण) में बत्तीसा नालहा बांध का निर्माण	सामान्य	..	0.01	..	1,12.40	..	1,12.40
	ज.जा.उ.यो.	..	0.01	..	27.00	..	27.00
	अ.जा.उ.यो.	..	0.01	..	60.60	..	60.60
अतरू शेरागढ़ जलपूर्ति परियोजना, जिला बांरा (शहरी)	सामान्य	1,71.75	0.01	9,94.20	..	9,94.20	..
	ज.जा.उ.यो.	33.75	0.01	6,13.25	..	6,13.25	..
	अ.जा.उ.यो.	44.50	0.01	7,13.05	..	7,13.05	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
पेयजल प्रयोजन हेतु सिरोही जिले (शहरी) में बत्तीसा नालहा बाध का निर्माण	सामान्य	3,43.50	0.01	3,43.50	..	3,43.50	..
	ज.जा.उ.यो.	67.50	0.01	67.50	..	67.50	..
	अ.जा.उ.यो.	89.00	0.01	89.00	..	89.00	..
मुख्यमंत्री राज श्री योजना	सामान्य	1,25,38.98	0.01	1,00,00.00	23,16.17	1,00,00.00	23,16.17
	ज.जा.उ.यो.	30,57.98	0.01	25,00.00	6,34.68	25,00.00	6,34.68
	अ.जा.उ.यो.	40,99.13	0.01	30,00.00	8,18.56	30,00.00	8,18.56
चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट (नोहर साहवा लिफ्ट) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.	सामान्य	..	0.01	..	28,45.11	..	28,45.10
	अ.जा.उ.यो.	..	0.01	..	5,36.04	..	5,36.04
प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण	सामान्य	..	0.01	..	3,38,35.87	..	3,38,35.87
	ज.जा.उ.यो.	..	0.01	..	3,12,78.39	..	3,12,78.39
	अ.जा.उ.यो.	..	0.01	..	1,49,33.81	..	1,49,33.81
नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता-विशेष अनुदान	सामान्य	0.01	..	5,37.11	15,51.27	5,37.11	15,51.27
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन (एन.आर.यू.एम.)	सामान्य	..	32,03.28	..	30,48.77	..	30,48.77
	ज.जा.उ.यो.	..	0.01	..	6,00.07	..	6,00.07
	अ.जा.उ.यो.	..	0.01	..	7,92.83	..	7,92.83
हेलिकॉप्टर/ऐयरक्राफ्ट सम्बन्धी व्यय	सामान्य	70,00.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सड़कें	सामान्य	5,00.00	0.01	72,01.51	..	73,15.01	..
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुविधा और सूचना केन्द्र	सामान्य	1,20.00	0.03	2.86	..	2.86	..
	ज.जा.उ.यो.	54.55	0.03
	अ.जा.उ.यो.	54.55	0.03
विभिन्न श्रेणी के छात्रों के लिए पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति	सामान्य	30.00	..	19.61	..	19.61	..
	ज.जा.उ.यो.	17,50.00	..	15,03.53	..	15,03.53	..
	अ.जा.उ.यो.	18,00.00	..	12,53.98	..	12,53.91	..
अन्नपूर्णा योजना	सामान्य	8,54.08	0.02	7,98.41	1,21.89	7,98.41	1,21.90
	ज.जा.उ.यो.	1,64.44	0.02	1,55.95	23.92	1,55.95	23.92
	अ.जा.उ.यो.	2,17.48	0.02	2,06.28	31.64	2,06.28	31.64
सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का निशुल्क वितरण	सामान्य	70,00.00	..	79,98.79	..	79,98.79	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
आर.एस.आर.डी.सी. को सड़क तथा सेतु के लिए ऋण	सामान्य	0.01	0.01	53,47.56	..	53,47.56	..
आर.आई.डी.एफ.-23	सामान्य	82,34.30	..	1,39,12.56	..	1,41,21.97	..
	ज.जा.उ.यो.	16,17.60	..	46,89.40	..	47,63.31	..
	अ.जा.उ.यो.	21,48.10	..	51,25.69	..	52,06.46	..
राजस्व न्यायालयों की निगरानी प्रणाली	सामान्य	0.01	6,46.38	..	6,45.66	..	6,45.66
न्यास द्वारा संचालित मंदिरों के उत्थान हेतु सहायता	सामान्य	5,18.75	0.01	4,84.27	10,00.00	4,84.27	10,00.00
	ज.जा.उ.यो.	5,74.75	0.01	2,50.00	4,58.56	2,50.00	4,58.56
ग्लोबल सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.प्रयोगशालाएं)	सामान्य	11,70.00
मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना	सामान्य	17,50.00	..	17,49.99	..	17,49.99	..
	ज.जा.उ.यो.	3,25.00	..	3,24.99	..	3,24.99	..
	अ.जा.उ.यो.	4,25.00	..	4,24.99	..	4,24.99	..
सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का निशुल्क वितरण	सामान्य	50,00.00	..	74,98.33	..	74,98.33	..
गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा	ज.जा.उ.यो.	7,50.00	0.02	2,77.50	10.00	2,77.50	10.00
बाड़मेर लिफ्ट नहर परियोजना चरण- II पार्ट-डी	सामान्य	..	0.01	..	36,29.05	..	36,29.05
	ज.जा.उ.यो.	..	0.01	..	8,52.64	..	8,52.64
	अ.जा.उ.यो.	..	0.01	..	11,15.41	..	11,15.41
समर्पित सड़क सुरक्षा कोष के लिए हस्तान्तरण	सामान्य	81,97.00	..	89,42.25	..	89,42.25	..
परिवहन विभाग के माध्यम से सड़क सुरक्षा कोष	सामान्य	81,97.00	..	37,13.97	..	37,13.96	..
राजस्थान समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से पुनर्भरण	सामान्य	(-) 81,97.00	..	(-) 81,97.00	..	(-)37,13.96	..
चाकन बांध जिला बूंदी से इन्द्रगढ़ जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य	1,37.38	..	1,99.03	..	1,99.03	..
	ज.जा.उ.यो.	26.96	..	53.57	..	53.57	..
	अ.जा.उ.यो.	35.66	..	1,43.90	..	1,43.90	..
जाखम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गाँवों के लिए जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य	6,86.90	..	1,71.73	..	1,71.73	..
	ज.जा.उ.यो.	1,34.80	..	28.24	..	28.25	..
	अ.जा.उ.यो.	1,78.30	..	19.77	..	19.77	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं--(क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
चाकन बांध जिला बूंदी से इन्द्रगढ़ जलपूर्ति परियोजना (ग्रामीण)	सामान्य	1,37.38	..	6,29.50	..	6,29.50	..
	ज.जा.उ.यो.	26.96	..	1,24.33	..	1,24.33	..
	अ.जा.उ.यो.	35.66	..	1,63.43	..	1,63.43	..
चम्बल भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना का जिला बूंदी से विस्तार कलस्टर वितरण जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	2,74.76	..	4,61.51	..	4,61.51	..
	ज.जा.उ.यो.	53.92	..	90.59	..	90.59	..
	अ.जा.उ.यो.	71.32	..	1,19.60	..	1,19.60	..
आकड़ बुड फोसिल पार्क	सामान्य	5,00.00	..	0.13	..	0.13	..
तेदुपं परियोजना	सामान्य	7,00.00	..	6,99.99	..	6,99.99	..
सोहन चिड़िया संरक्षण और आजीविका के लिए घास के मैदानों का पुनरुद्धार	सामान्य	2,00.00	..	1,99.64	..	1,99.64	..
बड़े पोथों की तैयारी	सामान्य	2,00.00	..	1,62.66	..	1,62.66	..
छात्रावास साइकिल योजना जिला बांरा	सामान्य	50.00
	ज.जा.उ.यो.	1,50.00
	अ.जा.उ.यो.	2,00.00
लावारिस बोडिज के लिए योजना	सामान्य	2,00.00	..	3.79	..	3.79	..
राजस्थान विश्वविद्यालय आई.एल.डी. कौशल	सामान्य	0.02	..	2,50.00	..	2,50.00	..
सरकारी महाविद्यालयों में स्मार्ट विज्ञान प्रयोगशालाएँ	सामान्य	2,50.00	..	3,37.00	..	3,37.00	..
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रतिभाशाली लड़कों और लड़कियों के लिए एक मुक्त नकद पुरस्कार और स्कूटी वितरण योजना	सामान्य	1,56.72	..	1,56.72	..
माध्यमिक विद्यालय जर्जर भवनों का सुदृढीकरण	सामान्य	23,40.43	..	23,40.43	..
अन्ता-मांगरोल तहसील, जिला बांरा की सोनवा जलापूर्ति परियोजना	सामान्य	9,61.80	..	9,61.80	..
	ज.जा.उ.यो.	1,89.00	..	1,89.00	..
	अ.जा.उ.यो.	2,49.20	..	2,49.20	..
नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIII के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	सामान्य	49,60.00	..	49,60.00	..

परिशिष्ट संख्या V- (समाप्त)

ख- राज्य आयोजनागत योजनाएं- (समाप्त)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-भवन	सामान्य	(-) 1,05.20
जलपूर्ति उंचंत-स्टॉक	सामान्य	4,18.44
एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	44,72.05	43,72.51	34,75.61	29,20.85	35,28.59	29,18.38
	ज.जा.उ.यो.	12,40.20	10,99.33	10,75.89	8,69.38	10,75.37	8,69.13
	अ.जा.उ.यो.	2,93.89	2,94.90	1,74.54	1,62.16	1,76.34	1,59.91
	योग	4,30,90,58.91	4,72,44,86.01	4,01,13,04.92	4,59,11,05.53	4,05,05,98.36	4,64,24,53.59

**परिशिष्ट संख्या VI – राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण
(राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (गेर अंकेक्षित आंकड़े)***

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी #		
			2017-18	2016-17	2015-16
(₹ लाख में)					
नियंत्रक: कृषि					
कृषि गणना एवं सांख्यिकी की एकीकृत योजना	कृषि विश्वविद्यालय	सामान्य	4,40.59	4,58.53	4,89.42
राष्ट्रीय कृषि तकनीकी आधारभूत	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	7,50.00
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100:00)	राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा, जयपुर, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय	सामान्य	..	8.30	1,06.56
कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी सी.एस. पर राष्ट्रीय मिशन	राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण, राजस्थान राज्य बीज निगम, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय	सामान्य एवं जनजाति उपयोजना	13.50	4,02.94	5,17.66
डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय योजना	राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	18,99.84	9,02.39	2,30.15
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड	सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	16,54.57
बीज और पौधारोपण सामग्री पर सबमिशन	राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज और जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण एजेन्सी	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	14,49.90

* भारत सरकार द्वारा जारी राशि बेवसाइट (महालेखा नियंत्रक लेखा के सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पोर्टल) से ली गयी है।

राज्य में स्थित केन्द्रीय निकायों के साथ साथ राजस्थान सरकार के दायरे से बाहर विभिन्न अन्य निकायों को जारी राशियां सम्मिलित नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोग अथवा अनुसूचित जाति उपयोग	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2017-18	2016-17	2015-16
(₹ लाख में)					
नियंत्रक: नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन					
बड़े राजस्व उत्पादन परियोजनाओं को सहायता	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	सामान्य	..	3,27.00	..
आई एच एम एस, एफ सी आई एस आदि को सहायता	खाद्य क्राफ्ट संस्थान तथा राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान	सामान्य	13,37.50	1,05.00	..
सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु केपेसिटी बिल्डिंग	खाद्य क्राफ्ट संस्थान तथा राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान	सामान्य	2,37.80	68.34	1,79.23
तीर्थ यात्रा कायाकल्प तथा आध्यात्मिक वृद्धि पर राष्ट्रीय मिशन	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	सामान्य	11,32.40	..	8,08.86
स्वदेश दर्शन- थीम आधारित पर्यटन सर्किट्स का एकीकृत विकास	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	सामान्य	59,70.12	54,98.00	12,79.27
नियंत्रक: वाणिज्य					
संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना	राजस्थान उद्योग विकास एवं विनियोग निगम	सामान्य	2,82.41	12,07.59	..
कौशल विकास के लिए एकीकृत योजना	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान	सामान्य	1,46.90
मानव संसाधन विकास	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान	सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोग	..	4,85.00	1,80.00
एकीकृत प्रक्रिया विकास योजना/एस.पी.पी.	सांगानेर पर्यावरण परियोजना विकास	सामान्य	..	27,50.00	27,82.23
प्रौद्योगिकी क्रमोन्नत निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.)	(क)	सामान्य	1,35.37

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2017-18	2016-17	2015-16
(₹ लाख में)					
नियंत्रक: उपभोक्ता मामलें और सार्वजनिक वितरण					
पी.डी.एस. के अन्तर्गत चीनी सहाय्य देय	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम	सामान्य	16,14.55
नियंत्रक: संस्कृति					
कला तथा संस्कृति तथा शताब्दी उत्सव की योजना (अन्य मिशन, योजनाएं तथा स्वायत्त संगठन)	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान विश्वविद्यालय	सामान्य	..	4,00.00	6,79.93
कला एवं संस्कृति का संवर्धन तथा बढ़ावा	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	सामान्य एवं जनजाति उपयोजना	7,86.69	8,95.26	8,85.15
अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति संबंध/अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	सामान्य	1,11.74	3,63.08	..
कला एवं संस्कृति विकास योजना	रविन्द्र मंच, शहरी सुधार न्यास	सामान्य	..	8,95.49	..
संग्रहालय	पुरातत्व तथा संग्रहालय	सामान्य	1,02.45
नियंत्रक: पर्यावरण तथा वानिकी					
पर्यावरणीय संरक्षण तथा निगरानी (सूचना, शिक्षा, जानकारी तथा प्रशिक्षण)	राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड	सामान्य	1,05.07	2,21.80	..
नियंत्रक: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग					
खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	(क)	सामान्य	26,31.89

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोगना अथवा अनुसूचित जाति उपयोगना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2017-18	2016-17	2015-16
(₹ लाख में)					
नियंत्रक: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत का विकास	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान	सामान्य	4,83.26	1,25.00	1,59.00
नर्सिंग सेवा का विकास	राजस्थान मेडिकल रिलिफ सोसायटी पी.बी.एम. अस्पताल एवं एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	सामान्य	2,40.00
स्थापना व्यय आयुष	शुष्क वन अनुसंधान संस्था और वन विकास एजेन्सीयां	सामान्य, जनजाति उपयोगना एवं अनुसूचित जाति उपयोगना	3,83.27
स्वास्थ्य सेक्टर तत्परता और प्रबन्धन	एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सामान्य	1,40.00
अस्पताल तथा औषधालय	पुलिस विज्ञान तथा प्रबंध का विकास के लिए केन्द्र	सामान्य	1,59.00
राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (नाको)	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण समिति	सामान्य	31,41.76	33,94.91	..
राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन (100:00)	राजस्थान राज्य औषधीय पादप बोर्ड	सामान्य	4,56.39
महामारी तथा राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबन्धन के लिए प्रयोगशालाओं का राष्ट्रव्यापी स्तर पर स्थापना	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय	सामान्य	..	2,23.90	3,47.00
सांविधिक संस्थाओं को सहायता	राजस्थान राज्य औषधीय पौध बोर्ड, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, वन विकास एजेंसी	सामान्य, जनजाति उपयोगना एवं अनुसूचित जाति उपयोगना	..	4,93.97	..
नियंत्रक: उच्च शिक्षा					
राष्ट्रीय डिजाईन नवाचार हेतु प्रोत्साहन मय डिजाईन नवाचार केन्द्रों की स्थापना, डिजाईन खुला विद्यालय एवं राष्ट्रीय डिजाईन नवाचार नेटवर्क	वार्तालाप प्रौद्योगिकी हेतु केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय	सामान्य, जनजाति उपयोगना एवं अनुसूचित जाति उपयोगना	2,66.25

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2017-18	2016-17	2015-16
			(₹ लाख में)		
नियंत्रक: उच्च शिक्षा (समाप्त)					
अध्यापकों तथा प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय मिशन	(क)	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	2,58.00
तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	(क)	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	3,02.42
नियंत्रक: उद्योग					
नवीन ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना		अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा	सामान्य	1,39.50	..
उद्यमिता और कौशल विकास		विश्वविद्यालय	सामान्य	..	1,50.00
ढांचागत विकास तथा क्षमता निर्माण		राजस्थान औद्योगिक विकास और निवेश निगम तथा उद्यम प्रोत्साहन संस्थान	सामान्य	1,69.56	3,95.64
प्रौद्योगिकी गुणवत्ता की सहायक संस्थाएं तथा कार्यक्रम	(क)	सामान्य	3,27.62
नियंत्रक: सूचना प्रौद्योगिकी					
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम		राज कोम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	..	23,95.47
नियंत्रक: श्रम तथा रोजगार					
राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना		बाल मजदूर परियोजना संस्थान	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	1,79.06	1,33.26

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2017-18	2016-17	2015-16
			(₹ लाख में)		
नियंत्रक: विधि एवं न्याय					
न्याय के लिए कानूनी सुधार राष्ट्रीय मिशन	राजस्थान उच्च न्यायालय	सामान्य	..	23,04.07	..
ई-न्यायालय फेज- II विधि सुधार	राजस्थान उच्च न्यायालय	सामान्य	25,05.24
नियंत्रक: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय					
अल्प संख्यकों के लिए संबद्ध योजना तथा निःशुल्क शिक्षण	(क)	सामान्य	1,17.54
कौशल विकास प्रोत्साहन	(क)	सामान्य	2,12.41
नियंत्रक: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय					
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राजस्थान परिषद	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	..	1,02.21	..
प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षण	राजस्थान कौशल विकास पहल समिति	सामान्य	4,79.69
नियंत्रक: नवीन और अक्षय ऊर्जा					
ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा एमएनआरई	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम	सामान्य	..	14,86.86	40,56.00
सौर ऊर्जा-ऑफ ग्रिड/ वितरित और विकेद्रीकृत अक्षय ऊर्जा	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण लिमिटेड, राजस्थान बागवानी विकास समिति और महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	89,50.63	70,72.95	2,07,96.95

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2017-18	2016-17	2015-16
(₹ लाख में)					
नियंत्रक: पंचायती राज					
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	13,73.02	22,27.00	4,48.00
पंचायतों को प्रोत्साहन	पंचायती राज विभाग	सामान्य	1,46.00	1,66.88	..
नियंत्रक: योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन					
अटल अभिनव मिशन	जिला एआईएम	सामान्य	..	1,41.44	..
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिलाधिकारी	सामान्य	1,82,50.00	1,77,50.00	1,35,00.00
सांख्यिकीय सशक्तीकरण के लिए सहयोग	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय	सामान्य	..	5,03.95	..
नियंत्रक: ग्रामीण विकास					
डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	राजस्थान भू-अभिलेख आधुनिकीकरण समिति, जयपुर	सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	26,45.00	20,00.00	..
आर डी कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना के सुदृढीकरण कार्यक्रम के बदले में प्रक्रिया	इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र	सामान्य	1,27.95	2,27.10	0.01
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	राज्य रोजगार गारंटी निधि, जयपुर	सामान्य	31,89,65.09	31,74,30.27	18,93.78
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सी एस	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	14,25.27	11,23.85	3,41.00
श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन	ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग, जयपुर	सामान्य	1,70.00

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2017-18	2016-17	2015-16
(₹ लाख में)					
नियंत्रक: स्कूल शिक्षा और साक्षरता					
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-साक्षर भारत सी.एस.	राज्य संसाधन केन्द्र आर.ए.ई.ए.	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	..	5,81.13	..
प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास	राज्य संसाधन केन्द्र आर.ए.ई.ए.	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	14.29	..	2,41.14
नियंत्रक: विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी					
सहयोग तथा आर एण्ड डी मिशन	शिक्षण संस्थान	सामान्य	..	1,69.89	3,77.46
विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	शिक्षण संस्थान	सामान्य	84.89	28.60	3,98.72
अन्तरराष्ट्रीय सहयोग एस एण्ड टी	(क)	सामान्य	1,00.73
अनुसंधान एवं विकास सहयोग एसईआरसी	शिक्षण संस्थान	सामान्य	..	94.00	2,93.90
सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शिक्षण संस्थान	सामान्य	4,59.08	22.00	1,29.45
राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शिक्षण संस्थान	सामान्य	..	1,61.00	3,10.33
प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	शिक्षण संस्थान	सामान्य	..	14.23	7,21.72
नियंत्रक: सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता					
निःशक्त जन के लिए क्रय/फीटिंग हेतु सहायता	भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	1,00.00
अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	(क)	अनुसूचित जाति उपयोजना	3,30.29

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2017-18	2016-17	2015-16
			(₹ लाख में)		
नियंत्रक: सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता –(समाप्त)					
दीनदयाल पुर्नवास केन्द्र	(क)	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	1,39.19
सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	(क)	सामान्य	1,76.38
राज्य स्पाइनल चोट केंद्र की स्थापना	सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज	सामान्य	23.85	1,83.00	50.00
नियंत्रक: शहरी विकास और शहरी गरीबी उन्मूलन					
राष्ट्रीय विरासत नगर कार्यक्रम	नगर निगम, अजमेर	सामान्य	7,12.57	18,13.18	1,14.41
नियंत्रक: जल संसाधन					
राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	जल संसाधन विभाग	सामान्य	6,31.00	95.75	..
नियंत्रक: महिला एवं बाल विकास					
तस्करि प्रतिरोधक हेतु व्यापक योजना	(क)	सामान्य	1,07.27
बेटी बचावों बेटी पढ़ाओं	जिला कलेक्टर	सामान्य	2,45.70	36.09	..
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	सामान्य	1,05,68.86
नियंत्रक: युवा मामले और खेल					
खेलों के विकास हेतु खेलों भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान खेल परिषद् मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थान	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	35,40.96	6,72.74	..

(क) कार्यकारी अभिकरण से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट संख्या VI - (समाप्त)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2017-18	2016-17	2015-16
(₹ लाख में)					
नियंत्रक: युवा मामले और खेल - (समाप्त)					
राष्ट्रीय सेवा योजना	राजस्थान राज्य एनएसएस सेल	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	7,36.11	4,41.53	..
राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए)	राजस्थान राज्य खेल परिषद्	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	3,31.08
शहरी खेल बुनियादी योजना	राजस्थान राज्य खेल परिषद्	सामान्य	5,40.00
एक करोड़ से कम की योजनाएं (विभिन्न मंत्रालयों के तहत)		सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	7,32.83	8,20.87	12,66.86
कुल योग			39,46,78.02	37,99,71.46	6,15,47.00

परिशिष्ट संख्या VII - शेषों की स्वीकृति तथा समाधान
(विवरण संख्या 18 में दर्शाये अनुसार)

अनुबन्ध 'क'

कर्जों से संबंधित काफी बड़ी राशि वाले शेषों के सत्यापन एवं स्वीकृति में हुए विलम्ब के उदाहरण, जिसके ब्यौरेवार लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष तथा संस्थाओं के नाम *	प्रतीक्षित स्वीकृतियों की संख्या	पूर्वतम वर्ष जिससे स्वीकृतियां प्रतीक्षित हैं	31 मार्च 2018 को इन मर्दों के प्रति बकाया राशि (₹ लाख में)
1.	6216. आवास के लिए कर्ज	6	1975-76	2.40
2.	6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज	6	1968-69	0.31
		6	1970-71	0.68
		13	1971-72	0.25
		8	1972-73	1.75
		40	1982-83	2.80
3.	7615. विविध कर्ज	2	1968-69	0.16
		1	1969-70	0.05
		10	1970-71	10.00
		5	1991-92	0.35

* संस्थाओं के नाम उपलब्ध नहीं है ।

परिशिष्ट संख्या VII - (समाप्त)

अनुबन्ध 'ख'

शेषों के समाधान में विभागीय/खजाना अधिकारियों से प्रतीक्षित ब्यौरे /सूचना के विवरण

लेखा शीर्ष	पूर्वतम वर्ष जिससे अन्तर सम्बद्ध है	अन्तर की राशि (₹ लाख में)	विभागीय अधिकारियों / खजाना अधिकारियों जिनके साथ अंतर अंक मिलान में है	प्रतीक्षित प्रलेखों का विस्तृत विवरण आदि
7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज				
201. भवन निर्माण अग्रिम	1969-70	69.79 जमा	विभागीय अधिकारी, चित्तौड़गढ़	खजाना अधिकारियों/ विभागीय अधिकारियों तथा सम्बद्ध प्राधिकारियों से पूर्ण विवरण, ब्यौरे/अनुसूचियां आदि, प्रतीक्षित है।
202. मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम	1978-79	0.59 जमा		

परिशिष्ट संख्या VIII - (i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति			वर्ष के दौरान राजस्व में छूट अथवा राजस्व की माफी	वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 एवं 12)	वर्ष के दौरान हुए कार्य चालन व्यय तथा अनुरक्षण			निवल राजस्व जिसमें ब्याज शामिल नहीं है			ब्याज का भुगतान करने के पश्चात् निवल लाभ या हानि	
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष राजस्व	अप्रत्यक्ष प्राप्ति	योग			प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	अधिक व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व (कॉलम 13) का अधिशेष (+) या (कॉलम 13) राजस्व पर अधिक व्यय (कॉलम 16) का अधिव्यय (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर	प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज	अधिक व्यय पर अधिक व्यय (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर अधिक व्यय (-) दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(₹ लाख में)																				
क. मुख्य सिंचाई - वाणिज्यिक																				
1.	भाखड़ा नांगल परियोजना (सिंचाई शाखा भाग)	17,25.56	16.15	17,41.71	91,61.86 (क)	70.98	92,32.84	26,84.34	26.84	27,11.18	..	27,11.18	66,25.80	51.93	66,77.73	(-) 39,66.55	42.96	8,36.92	(-) 48,03.47	52.03
2.	चम्बल परियोजना (सिंचाई शाखा भाग)	42,33.06*	38.36	42,71.42	6,39,74.30 (ख)	4,87.76	6,44,62.06	4,88.81	4.89	4,93.70	..	4,93.70	20,12.45 (घ)	2.97	20,15.42	(-) 15,21.72	2.36	54,39.56 (ड.)	(-) 69,61.28	10.80
3.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	3,85,55.90	2,24.79	3,87,80.69	54,46,53.49 (ग)	23,89.29	54,70,42.78	22,44.92	22.45	22,67.37	..	22,67.37	1,28,39.01	8.32	1,28,47.33	(-) 1,05,79.96	1.93	5,26,04.29	(-) 6,31,84.25	11.55
4.	गुडगांव नहर	46,37.76	20.71	46,58.47	0.34	..	0.34	..	0.34	1,40.76	..	1,40.76	(-) 1,40.42	3.01	4,62.77	(-) 6,03.19	12.95
5.	जाखम परियोजना	42.00	0.41	42.41	1,41,79.39	53.10	1,42,32.49	25.10	0.25	25.35	..	25.35	2,86.63	0.02	2,86.65	(-) 2,61.30	1.84	14,15.84	(-) 16,77.14	11.78
6.	गंग नहर	12,99.91	11.87	13,11.78	6,67,74.85	4,24.27	6,71,99.12	7,70.75	7.71	7,78.46	..	7,78.46	14,06.19	1.78	14,07.97	(-) 6,29.51	0.94	66,15.45	(-) 72,44.96	10.78
योग - क		4,58,56.43	2,91.58	4,61,48.01	70,33,81.65	34,46.11	70,68,27.76	62,14.26	62.14	62,76.40	..	62,76.40	2,33,10.84	65.02	2,33,75.86	(-) 1,70,99.46	2.42	6,73,74.83	(-) 8,44,74.29	11.95

(क) उपनिवेशन से सम्बन्धित ₹ 63.30 लाख शामिल नहीं है।

(ख) विद्युत हिस्से के ₹ 33,32.50 लाख, उपनिवेशन योजनाओं के ₹ 33.26 लाख और जल संग्रहण के ₹ 10.73 लाख का व्यय शामिल नहीं है।

(ग) उपनिवेशन ₹ 2,02.30 लाख, विश्व खाद्य कार्यक्रम ₹ 26.83 लाख, राजस्थान भूमि विकास निगम से फार्म विकास पर वसूली योग्य ₹ 7,47.29 लाख और पूंजीगत ब्याज ₹ 6,18.00 लाख से संबंधित व्यय शामिल नहीं है।

(घ) विद्युत हिस्से से संबंधित ₹ 2,44.28 लाख शामिल नहीं हैं।

(ड.) विद्युत हिस्से पर ब्याज से सम्बन्धित ₹ 3,39.55 लाख शामिल नहीं है।

* विद्युत् हिस्से पर व्यय ₹ 25.35 लाख शामिल नहीं है।

परिशिष्ट संख्या VIII - (क्रमशः)
(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम- (क्रमशः)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां			वर्ष के दौरान राजस्व में छूट अथवा राजस्व माफी	वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 एवं 12)	वर्ष के दौरान हुए कार्य चलन व्यय तथा अनुरक्षण			निवल राजस्व जिसमें ब्याज शामिल नहीं है			ब्याज का भुगतान करने के पश्चात् निवल लाभ या हानि	
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष राजस्व	अप्रत्यक्ष प्राप्तियां	योग			प्रत्यक्ष व्यय	अप्रत्यक्ष व्यय	योग	अधिक व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व (कॉलम 13) का अधिशेष (+) या (कॉलम 13) राजस्व पर अधिक व्यय (कॉलम 16) का आधिक्य (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर	प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज	अधिक व्यय पर राजस्व का अधिशेष (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

(₹ लाख में)

ख. मध्यम सिंचाई - वाणिज्यिक

7.	जवाई नदी परियोजना सेई - डाइवर्जन योजना	6,97.36	12.21	7,09.57	34.88	0.34	35.22	..	35.22	1,33.46	0.15	1,33.61	(-) 98.39	13.87	69.74	(-) 1,68.13	23.69
8.	मेजा परियोजना	45,44.59	8.85	45,53.44	10.40	0.11	10.51	..	10.51	1,63.82	0.09	1,63.91	(-) 1,53.40	3.37	4,54.37	(-) 6,07.77	13.35
9.	पार्वती परियोजना (धौलपुर)	41.92	0.35	42.27	70,93.37	55.74	71,49.11	0.64	0.01	0.65	..	0.65	4,89.30	0.04	4,89.34	(-) 4,88.69	6.84	7,07.13	(-) 11,95.82	16.73
10.	गुड़ा परियोजना	1,63.29	0.20	1,63.49	78.02	0.10	78.12	(-) 78.12	47.78	16.33	(-) 94.45	57.77
11.	मोरेल परियोजना	2,35.54	0.29	2,35.83	1.67	0.02	1.69	..	1.69	1,71.87	0.81	1,72.68	(-) 1,70.99	72.51	23.55	(-) 1,94.54	82.49
12.	अलनिया परियोजना	1,95.06	0.91	1,95.97	0.66	..	0.66	..	0.66	133.35	0.03	1,33.38	(-) 1,32.72	67.72	19.51	(-) 1,52.23	77.68
13.	पश्चिम बनास परियोजना	67.03	..	67.03	2.64	0.03	2.67	..	2.67	21.00	0.05	21.05	(-) 18.38	27.42	6.70	(-) 25.08	37.42
14.	वल्लभ नगर परियोजना	86.37	..	86.37	24.73	0.02	24.75	(-) 24.75	28.66	8.64	(-) 33.39	38.66

परिशिष्ट संख्या VIII - (क्रमशः)
(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम- (समाप्त)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां			वर्ष के दौरान राजस्व में छूट अथवा राजस्व की माफी	वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 एवं 12)	वर्ष के दौरान हुए कार्य चलन व्यय तथा अनुरक्षण			निवल राजस्व जिसमें ब्याज शामिल नहीं है			ब्याज का भुगतान करने के पश्चात् निवल लाभ या हानि	
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष राजस्व	अप्रत्यक्ष प्राप्तियां	योग			प्रत्यक्ष व्यय	अप्रत्यक्ष व्यय	योग	अधिक व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व (कॉलम 13) का अधिशेष (+) या (कॉलम 13) राजस्व पर अधिक व्यय (कॉलम 16) का आधिक्य (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर	प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत ब्याज	अधिक व्यय पर राजस्व का अधिशेष (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<i>(₹ लाख में)</i>																				
ख. मध्यम सिंचाई - वाणिज्यिक- (समाप्त)																				
15.	बड़गांव पाल परियोजना	76.02	..	76.02	0.81	0.01	0.82	..	0.82	24.73	0.05	24.78	(-) 23.96	31.52	7.60	(-) 31.56	41.52
16.	ओराई सिंचाई परियोजना	63.42	..	63.42	0.01	..	0.01	..	0.01	50.85	0.04	50.89	(-) 50.88	80.23	6.34	(-) 57.22	90.22
17.	वागन डार्डवर्जन परियोजना	13,96.62	0.64	13,97.26	0.96	0.01	0.97	..	0.97	62.08	0.03	62.11	(-) 61.14	4.38	1,39.66	(-) 2,00.80	14.37
	योग-ख	41.92	0.35	42.27	1,46,18.67	78.84	1,46,97.51	52.67	0.53	53.20	..	53.20	13,53.21	1.41	13,54.62	(-) 13,01.42	8.85	14,59.57	(-) 27,60.99	18.79
	कुल योग	4,58,98.35	2,91.93	4,61,90.28	71,80,00.32	35,24.95	72,15,25.27	62,66.93	62.67	63,29.60	..	63,29.60	2,46,64.05	66.43	2,47,30.48	(-) 1,84,00.88	2.55	6,88,34.40	(-) 8,72,35.28	12.09

परिशिष्ट संख्या VIII - (क्रमशः)

(ii) विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम

विभागीय स्तर पर चलने वाला कोई विद्युत उपक्रम नहीं है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. गत वर्ष की तुलना में लाभ अथवा हानि के प्रतिशतता में वृद्धि/कमी निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ब्याज की पूर्ति के बाद निवल हानि प्रतिशतता में		वृद्धि (+)/ कमी (-)
		2016-17	2017-18	
1.	भाखड़ा नांगल परियोजना (सिंचाई शाखा हिस्सा)	56.04	52.03	(-) 4.01
2.	चम्बल परियोजना (सिंचाई शाखा हिस्सा)	10.76	10.80	(+) 0.04
3.	इंदिरा गाँधी नहर परियोजना	12.78	11.55	(-) 1.23
4.	गुडगाँव नहर	13.07	12.95	(-) 0.12
5.	जाखम परियोजना	11.81	11.78	(-) 0.03
6.	गंग नहर	12.21	10.78	(-) 1.43
7.	जवाई नदी परियोजना (सेई-डाइवर्जन स्कीम)	6.36	23.69	(+) 17.33
8.	मेजा परियोजना	13.83	13.35	(-) 0.48
9.	पार्वती परियोजना (धौलपुर)	15.46	16.73	(+) 1.27
10.	गुदा परियोजना	60.43	57.77	(-) 2.66
11.	मोरेल परियोजना	43.83	82.49	(+) 38.66
12.	अलनिया परियोजना	79.60	77.68	(-) 1.92
13.	पश्चिमी बनास परियोजना	28.48	37.42	(+) 8.94
14.	वल्लभ नगर परियोजना	56.73	38.66	(-) 18.07
15.	बड़गाँव पाल परियोजना	40.19	41.52	(+) 1.33
16.	ओराई सिंचाई परियोजना	84.52	90.22	(+) 5.70
17.	वागन डाइवर्जन स्कीम	14.88	14.37	(-) 0.51

वृद्धि /कमी के कारण उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VIII – (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियां –(समाप्त)

2. **उत्पादक और अनुत्पादक निर्माण कार्य-** जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यों का 'उत्पादक' या 'अनुत्पादक' वर्गीकरण, उनके प्रत्येक परियोजना से निर्माण संबंधी अनुमानों के संवर्ण दिनांक से दस वर्ष व्यतीत होने पर प्राप्त निवल राजस्व (सकल निर्धारित राजस्व में से कार्य चालन व्यय घटाकर) के अनुसार किया जाता है, चाहे वह निवेशित पूंजी पर निर्धारित वार्षिक ब्याज अंतर्निहित करता हो अथवा नहीं। 2017-18 के दौरान निर्धारित ब्याज की दर 10 प्रतिशत थी। यदि 'उत्पादक' माना गया कोई निर्माण - कार्य तीन क्रमिक वर्षों में निर्धारित प्रतिफल देने में असफल रहे तो उसे अनुत्पादक वर्ग में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार 'अनुत्पादक' माना गया कोई निर्माण कार्य तीन क्रमिक वर्षों में निर्धारित प्रतिफल देने में सफल रहे तो उसे 'उत्पादक' वर्ग में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा कार्यों के वर्गीकरण में उनके 'उत्पादक' अथवा 'अनुत्पादक' होने का कोई संकेत नहीं किया गया (अगस्त 2018)।
3. **जल प्रभार की वसूली की बकाया** - विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनानुसार मार्च 2018 की समाप्ति तक जल प्रभार की ₹ 99,26.84 लाख की वसूली बकाया थी। निम्न परियोजनाओं में बकाया के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं :-

क्रम संख्या	परियोजनाओं के नाम	वर्ष					योग
		2013-14 तक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
		(₹ लाख में)					
1.	भाखड़ा नांगल परियोजना	13,45.80	1,65.75	1,99.31	2,75.75	5,43.72	25,30.33
2.	चम्बल परियोजना	15,66.49	44.04	(-) 98.10	60.28	25.80	15,98.51
3.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना (सी.ए.डी. सहित)	13,12.82	4,31.51	4,22.03	9,23.21	12,38.95	43,28.52
4.	गंग नहर	4,59.88	95.75	1,40.65	1,99.30	2,88.64	11,84.22
5.	जवाई नदी परियोजना	17.30	17.30
6.	मेजा परियोजना	0.20	0.20
7.	मोरेल परियोजना	1.50	0.12	2.20	0.03	4.78	8.63
8.	अलनिया परियोजना	3.22	3.22
9.	ओराई सिंचाई परियोजना	22.01	0.97	0.67	0.42	3.30	27.37
10.	माही परियोजना	23.95	..	0.88	3.22	1.59	29.64
11.	परवन लिफ्ट	1.11	1.11
12.	बीसलपुर परियोजना देवली	1,08.19	63.65	1,71.84
13.	हरीश चन्द्र सागर	5.14	5.14
14.	गुढा परियोजना (वाणिज्यिक)	19.31	19.31
15.	पश्चिमी बनास परियोजना (वाणिज्यिक)	1.55	1.55
	योग	48,86.72	8,01.79	6,67.64	14,62.21	21,08.53	99,26.89

परिशिष्ट संख्या IX- सरकार की वचनबद्धता-
अधुरे पूंजी निर्माण कार्यों की सूची *

अधुरे निर्माण कार्यों का सारांश

(₹ लाख में)

अवधि	जल संसाधन विभाग		लोक निर्माण विभाग				जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		योग	
			भवन		सड़कें					
	कार्यों की संख्या	कार्य की लागत (संशोधित लागत, यदि कोई है, को सम्मिलित करते हुए)	कार्यों की संख्या	कार्य की लागत (संशोधित लागत, यदि कोई है, को सम्मिलित करते हुए)	कार्यों की संख्या	कार्य की लागत (संशोधित लागत, यदि कोई है, को सम्मिलित करते हुए)	कार्यों की संख्या	कार्य की लागत (संशोधित लागत, यदि कोई है, को सम्मिलित करते हुए)	कार्यों की संख्या	कार्य की लागत (संशोधित लागत, यदि कोई है, को सम्मिलित करते हुए)
1995 से पूर्व	1	31,24,00.01	1	31,24,00.01
1995-2000	4	3,91,03.25	4	3,91,03.25
2000-2005	2	78,39.16	2	11,15,69.00	4	11,94,08.16
2005-2010	11	11,56,60.00	2	58,93.00	4	26,44,29.00	17	38,59,82.00
2010-2015	27	34,11,04.06	13	2,47,30.67	11	9,78,10.73	30	1,64,71,64.67	81	2,11,08,10.13
2015-2020	21	23,16,86.85	14	2,82,77.11	87	35,39,36.70	18	23,19,27.31	140	84,58,27.97
योग	66	1,04,77,93.33	27	5,30,07.78	100	45,76,40.43	54	2,25,50,89.98	247	3,81,35,31.52

* यह 31 मार्च 2018 को अपूर्ण कार्यों के संबंध में विभाग द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है तथा परियोजनाएं जिनकी स्वीकृत लागत अथवा संशोधित लागत ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक हैं, सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया धुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग												
1.	नर्मदा, जालौर	4,67,53.00	एफ-3(52) ए एस आई/सैल/ 84/ 350 दिनांक 14/03/94	1993-94	2018-19	86	1,83,09.38	26,20,94.35	..	31,24,00.01	04/08/17	
2.	भवरसेमला, चित्तौड़गढ़ I	11,25.02	एफ-3(49)ए एस आई/ सैल/ 84/225 दिनांक 02/02/96	1995-96	2018-19	92	2,59.99	33,51.82	..	36,30.11	31/03/12	
3.	गरड़दा	81,40.64	एफ -3(41)/ ए एस आई /सैल/ 81/23 दिनांक 04/01/99	1998-99	2018-19	66	21,38.64	1,61,32.29	..	2,46,16.00	07/08/13	
4.	भवनदास नहर	19,83.00	एफ -3(12) ए एस आई/ सैल/96/532 दिनांक 13/07/99	1999-2000	2018-19	81	5.00	38,70.67	..	47,96.00	31/07/08	
5.	होंडा खेरा पिकअप वियर	16,63.00	एफ -3(12) ए एस आई/सैल/ 96/532 दिनांक 13/07/99	1999-2000	2018-19	70	6,22.72	42,63.37	..	60,61.14	23/11/15	
6.	साबरमती	10,23.00	एफ-3(12) /ए एस आई / सैल /96/424-25 दिनांक 19/11/01	2002-03	2018-19	100	5,77.44	30,00.88	..	29,83.00	26/07/11	
7.	खोह	14,68.40	एफ-3(12) /ए एस आई / सैल /96/V/834 दिनांक 23/08/07	2007-08	2018-19	50	21.49	7,10.00	..	14,30.00	20/01/11	

परिशिष्ट IX – (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग – (क्रमशः)												
8.	चाकन	24,67.00	एफ -3(12) /ए एस आई / सैल /96/V-341 दिनांक 15/05/07	2007-08	2018-19	97	12.13	35,29.64	..	36,22.78	05/04/13	
9.	अहमदी	18,97.00	एफ -3(12) /ए एस आई / सैल /96/V-327 दिनांक 15/05/07	2007-08	2018-19	21	1,24.03	6,19.50	..	28,92.65	21/12/11	
10.	घोड़ाखोज	15,44.00	एफ -3(12) /ए एस आई / सैल /96/V-315 दिनांक 15/05/07	2007-08	2018-19	100	1,34.88	19,86.76	..	19,24.00	26/07/12	
11.	कंनवारा	14,26.68	एफ 3 (12) ए एस आई/ सैल/96/ III/360 दिनांक 28/07/04	2004-05	2018-19	62	1,87.22	30,08.55	..	48,56.16	05/01/18	
12.	रेवा	21,55.38	एफ3 (12) ए एस आई/ सैल/96/ IV/816 दिनांक 19/11/05	2005-06	2018-19	59	4,33.84	50,20.92	..	85,60.18	17/04/15	
13.	भीमनी	22,01.45	एफ 3 (12) ए एस आई/सैल/ 96/V/ 300 दिनांक 20/06/06	2006-07	2018-19	98	1,77.87	47,99.77	..	52,51.73	05/01/13	
14.	तकली	51,81.00	एफ 3(49) ए एस आई/सैल/2001/457 दिनांक 19/07/06	2006-07	2018-19	47	14,98.67	1,34,44.21	..	2,85,73.09	14/12/16	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया धुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग - (क्रमशः)												
15.	पीपलाद	33,64.00	एफ 3(29) ए एस आई/सेल/82/3922 दिनांक 05/08/06	2007-08	2018-19	86	..	78,90.19	..	91,20.65	15/01/15	
16.	गागरीन	80,12.00	एफ 3(15) ए एस आई/सेल/81/469 दिनांक 19/07/06	2007-08	2018-19	50	10,50.00	1,42,71.09	..	2,84,79.00	14/12/16	
17.	लहासी	44,73.00	एफ 3(12) ए एस आई/सेल/96/ V/358 दिनांक 15/05/07	2007-08	2018-19	80	4,93.85	1,63,42.35	..	2,04,22.75	10/03/16	
18.	राजगढ़ मीडियम (नाबार्ड)	1,92,12.80	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/836 दिनांक 01/06/12	2012-13	2018-19	55	71,42.75	2,12,88.39	..	3,86,81.60	25/09/17	
19.	दोहरी माइनर	21,30.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/1137 दिनांक 04/07/12	2012-13	2018-19	37	..	7,89.46	
20.	अकोली	11,72.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/3305 दिनांक 21/12/11	2011-12	2018-19	100	1,51.11	12,20.81	
21.	हदमथिया	13,22.68	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/1228 दिनांक 20/07/12	2012-13	2018-19	79	..	2,73.32	
22.	वासा	30,66.19	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/2059 दिनांक 30/11/12	2012-13	2018-19	82	6,35.80	25,27.57	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)						(₹ लाख में)				
क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग - (क्रमशः)												
23.	भंगारा नहर की रीमोडलिंग आर डी 2.50 किमी से 28.50 किमी तथा भंगारा नहर का निर्माण आर डी 0 किमी से 4 किमी ऑफटेकिंग भंगारा नहर से आर डी 28.50 किमी (एम आई एस-1)	60,46.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/823 दिनांक 01/06/12	2012-13	2018-19	45	1,20.82	27,44.74	
24.	आर डी 4 से 8 किमी (एम आई एस-II) से खामेरा नहर का निर्माण	11,45.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/823 दिनांक 01/06/12	2012-13	2018-19	60	..	6,90.07	
25.	आर डी 11 से 14 किमी (एम आई एस-IV) से खामेरा नहर का निर्माण	15,88.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/823 दिनांक 01/06/12	2012-13	2018-19	20	..	3,10.44	
26.	वरुण्डा	11,29.53	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/1263 दिनांक 26/07/12	2012-13	2018-19	100	..	11,90.96	
27.	परवन पीकअप वेरिम (ई आर एम)	25,54.20	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/991-1000 दिनांक 05/04/13	2013-14	2018-19	66	2,90.59	16,75.07	
28.	बडानयागांव	32,40.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/1523-1535 दिनांक 24/4/2013	2013-14	2018-19	29	14,64.60	18,14.93	..	63,56.00	03/11/16	
29.	बी बी एस सी आर डी 105 से 115 किमी (एम आई एस-IX)	42,50.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/1254-1266 दिनांक 18/4/2013	2013-14	2018-19	41	4,58.66	17,51.80	
30.	बी बी एस सी आर डी 92.01 से 105 किमी (एम आई एस- VIII)	44,27.20	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/1241-1253 दिनांक 18/04/2013	2013-14	2018-19	36	3,28.32	15,94.32	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)						(₹ लाख में)				
क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग - (क्रमशः)												
31.	बी बी एस सी आर डी 115 से 118.59 किमी (एम आई एस-X)	15,31.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/1929-1941 दिनांक 03/05/2013	2013-14	2018-19	60	4,61.58	9,12.75	
32.	बी बी एस सी आर डी 118.59 से 120.84 किमी (एम आई एस-XI)	14,22.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/1942-1954 दिनांक 03/05/2013	2013-14	2018-19	1.00	
33.	साबरमती-II	11,58.88	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIV/4150 दिनांक 30/09/13	2013-14	2018-19	79	97.47	9,11.12	
34.	जाखम (ई आर एम)	49,99.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/2113-2125 दिनांक 13/05/2013	2013-14	2018-19	63	42.00	31,26.62	
35.	माही केनाल प्रणाली (ई आर एम)	64,91.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIII/1267-1279 दिनांक 18/04/2013	2013-14	2018-19	100	8,28.73	73,87.42	
36.	परवन	23,60,43.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XIV/3050 दिनांक 30/08/2013	2013-14	2020-21	22	7,14,49.95	14,21,66.15	
37.	हनुमानवाला एनीकट	24,59.04	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96XIII/1433 दिनांक 15/09/2013	2013-14	2016-17	90	68.46	14,79.36	
38.	सोमकमला अम्बा (ई आर एम)	13,81.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 XII/1098 दिनांक 04/07/12	2012-13	2018-19	91	3,81.29	18,12.99	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक	
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)					
क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग - (क्रमशः)											
39.	पांचना गुडिया लिफ्ट योजना (ई आर एम) (एस पी)	13,21.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96 X/332 दिनांक 23/02/10	2010-11	2018-19	60	..	7,98.97
40.	पीड	9,66.99	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/1834 दिनांक 23/08/07	2007-08	2018-19	80	5,58.26	29,55.28	..	53,83.17	31/03/16
41.	बी बी एस सी आर डी 78.88 से 91.01 (एम आई एस-VII) टी ए डी	41,80.00	एफ-13(12) ए एस आई/सैल/96 XIII /979 दिनांक 05/04/13	2013-14	2018-19	76	14,63.44	31,66.69
42.	बी बी एस सी आर डी 105 से 110.37 किमी (एम आई एस-IX)	11,58.04	1255-66 18/04/2013	2013-14	2018-19	100	10.79	9,62.59
43.	बांसवाड़ा जिले के राजस्थान माही नदी बेसिन में स्थित एम आई पी के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक गतिविधियों सहित रूप रेखा, सर्वे तथा जांच को सम्मिलित करते हुए 10 लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण	11,19.75	एफ-13(12) ए एस आई/सैल/96/XIII /5873 दिनांक 24/10/2014	2014-15	2016-17	95	24.37	6,06.70
44.	धौलपुर लिफ्ट	8,52,00.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /1130 दिनांक 22/06/2017	2017-18	2019-20	5.00	39,99.98	39,99.98
45.	अनुपगढ़ शाखा आर डी 0 से 40 सुरतगढ़ शाखा आर डी 19.20 से 48 की रीलाइनिंग तथा रावतभाटा एवं एन डी आर वितरिका की सीधी माइनरस	1,27,13.00	2278-81 24.08.17	2017-18	2019-20	8.00	9,91.00	9,91.00

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक	
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)					
क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग - (क्रमशः)											
46.	जयसमन्द (ई.आर.एम.)	1,47,70.91	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /1030 दिनांक 24/05/2017	2017-18	2018-19	0.31	45.06	45.06
47.	हाथियां देह मध्यम	2,32,53.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /663 दिनांक 14/12/2016	2016-17	2018-19	0.03	6.32	6.32
48.	सावन भादों (ई.आर.एम.)	15,36.60	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /1521 दिनांक 22/02/2016	2016-17	2018-19	30	4,53.99	4,53.99
49.	जेतपुरा (ई.आर.एम.)	21,44.18	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /1519 दिनांक 22/02/2016	2016-17	2018-19	78	16,63.55	16,63.55
50.	सोम कमला अम्बला ई.आर.एम. (नाबार्ड)	20,84.81	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /1132 दिनांक 24/05/2017	2017-18	2018-19	3	66.19	66.19
51.	गोपालपुरा (ई.आर.एम.)	16,51.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /1438 दिनांक 25/09/2017	2016-17	2018-19	62	15,68.48	15,68.48

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक	
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)					
क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग - (क्रमशः)											
52.	छापी ई.आर.एम. (नाबार्ड)	25,04.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII / 1132 दिनांक 22/06/2017	2017-18	2018-19	6	1,46.04	1,46.04
53.	गंभीरी नहर प्रणाली (ई.आर.एम.)	25,00.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /6218 दिनांक 11/11/2014	2014-15	2018-19	19	1,05.31	4,63.08
54.	खारी फीडर नहर 0 से 180 का पुनरुद्धार	14,71.95	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /5017 दिनांक 23/05/2014	2014-15	2018-19	73	37.84	37.84
55.	गुरादिया	67,96.60	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII / 1517 दिनांक 22/06/2017	2017-18	2018-19	18	12,53.80	12,53.80
56.	रोशनबाड़ी (नाबार्ड)	98,72.21	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVIII /74-75 दिनांक 25/04/2016	2016-17	2018-19	30	30,20.48	30,20.48
57.	फलाई लिफ्ट	56,36.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /659 दिनांक 14/12/2016	2016-17	2018-19	0.04	1.98	1.98
58.	गेंनडोली लिफ्ट	67,52.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /661 दिनांक 14/12/2016	2016-17	2018-19	0.03	1.88	1.88
59.	रेन का नाका	43,88.64	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /524 दिनांक 03/11/2016	2016-17	2018-19	0.34	14.99	14.99

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक	
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)					
क. सिंचाई निर्माण-कार्य विभाग - (समाप्त)											
60.	बत्तीसा नाला	2,28,05.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /74 दिनांक 25/04/2016	2016-17	2018-19	5.00	11,13.03	11,13.03
61.	डेरिया	57,95.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /1595 दिनांक 10/03/2016	2016-17	2018-19	11.00	6,62.76	6,62.76
62.	अम्बापुरा लिफ्ट सिंचाई योजना	53,20.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /1589 दिनांक 27/11/2017	2017-18	2018-19
63.	घाटी (नाबार्ड)	11,12.00	एफ-3(12) ए एस आई/सैल/96/XVII /1020 दिनांक 24/05/2017	2017-18	2018-19	0.15	1.69	1.69
64.	अनुपगढ़ शाखा प्रणाली एवं गोविन्द सागर माइनर, गोविन्द सागर की सरबी माइनर कोडीबंध वितरिका, मोमीवाला वितरिका माइनर, खारावाला वितरिका, हिंसम की वितरिका का पुर्नवास	1,10,05.10	2223-34/22.3.18	2017-18	2019-20	13	14,20.71	14,20.71
65.	अनुपगढ़ शाखा (पॉवर पहुच) आर डी 44.000 से से 73.861 का पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण	26,42.41	5578-85/13.12.17	2017-18	2019-20	39	10,22.00	10,22.00
66.	भाखरा नहर प्रणाली उप परियोजना की कानीसिंह वितरिका किमी 3.935 से 33.336 (टेल) का पुर्नवास तथा आधुनिकीकरण	37,04.39	9037-43/19.02.18	2017-18	2019-20	2	85.78	85.78
योग- क						12,97,09.00		58,65,36.09			

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)						(₹ लाख में)				
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन												
1.	कोटा में 1000 दोषी कैदियों के लिए नया जेल भवन	31,12.00	3/4059/जेल/ पी/11-12 दिनांक 07/02/2012	2011-12	0.23	2,18.53	
2.	सी एच सी केकडी का निर्माण (फेज-III)	14,76.92	पी-17/सी एच सी/ जी-2/09 दिनांक 20/04/2011	2011-12	2018-19	..	2,75.40	10,98.78	
3.	महात्मा गाँधी अस्पताल, जोधपुर में अधिक आपातकालीन कमरों का निर्माण	12,00.00	पी पी 18(15)/एम.ई/ ग्रेड-1/ 10 दिनांक 29/04/2010	2010-11	2018-19	..	19.23	12,31.28	
4.	एम डी एम अस्पताल, जोधपुर में स्नातकोत्तर छात्रावास का निर्माण	17,73.00	पी-18(32)एम ई / केम्पस/1/2011 जोधपुर दिनांक 23/11/2011	2011-12	2018-19	..	23.74	17,87.99	
5.	बयाना में राजकीय बालिका कॉलेज तथा छात्रावास का निर्माण	10,63.69	एफ 20 (101)56/प्लान/ 10/2301 दिनांक 09/03/2012	2011-12	2018-19	..	1,89.21	8,23.45	
6.	1000 परीक्षण के अन्तर्गत कैदियों के लिए कोटा में नया जेल भवन	20,54.00	2/4059/जेल/ पी/11-12 दिनांक 07/02/2012	2011-12	0.51	2,18.92	
7.	जिला न्यायालय परिसर, जयपुर में न्यायालय भवन तथा बेसमेंट पार्किंग का निर्माण	49,54.00	7/4059/ज्यू.डी/पी/ सी एस एस/ 12-13	2012-13	2017-18	..	11,75.63	27,78.40	..	67,02.15	24/04/17	
8.	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जोधपुर	13,78.00	01/4202/ एम ई/पी /2013-14 दि. 31.3.2014	2013-14	2017-18	..	34.82	11,97.69	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया धुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः :)												
भवन-(क्रमशः)												
9.	आडीटोरियम तथा परीक्षा हॉल	11,62.91	357/4210/ ई/पी /12-13	2012-13	2018-19	..	3,39.42	5,67.43	
10.	डायनोस्टिक विंग कोटा का निर्माण	10,00.00	28/4210/ ई/पी /13-14	2013-14	0.55	
11.	मेडिकल कालेज कोटा में 100 पी.जी. छात्रों वाले छात्रावास भवन का निर्माण (स्नातकोत्तर सेक्शनों की वृद्धि)	10,94.00	149/4210/एम.ई./ पी/ 14-15	2014-15	2017-18	..	18.77	10,19.97	
12.	डायनोस्टिक विंग अजमेर का निर्माण	10,00.00	26/4210/ एम ई/पी 2013-14	2013-14	3.54	
13.	डायनोस्टिक विंग, जयपुर	17,14.00	30/4210/ एम ई/पी /13-14	2013-14	0.02	
14.	एस एम एस अस्पताल जयपुर में इलेक्ट्रिक कार्य	21,30.03	जॉब नं.2/4210/03 789 एम.ई./पी. /2015-16 3979 दिनांक 28.09.15	2015-16	2018-19	..	1,73.26	18,43.05	
15.	देवनारायण आवासीय कन्या विद्यालय ग्राम मकसदनपुरा देव नारायण मंदिर परिसर (सवाई माधोपुर) (क्षमता-280)	12,91.00	1/425/ डी वी एन/ आवासीय छात्रावास / ओ.बी.सी. / गर्ल्स /प्लान 2016-17	2016-17	2018-19	..	5,36.40	5,90.28	
16.	गंगानगर मे खंडीय कार्यालय का निर्माण	12,92.37	1/4059/ वाणिज्यिक कर/ पी/16-17	2016-17	4.71	
17.	खंडीय कार्यालय कोटा पर यू.आई.टी. द्वारा आवंटित भूमि पर नये भवन का निर्माण	16,62.02	2/4059/ वाणिज्यिक कर/ पी /16-17	2016-17	85.64	1,03.98	..	38,00.00	19/09/17	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक	
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक
		(₹ लाख में)								(₹ लाख में)	
ख.	सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः) भवन-(क्रमशः)										
18.	जोधपुर महानगरीय पर कोर्ट परिसर का निर्माण (40% राज्यांश तथा 60% केन्द्रीय अंश)	16,07.00	26/4059/ जस्टिस/प्लान/ 16-17	2016-17	0.82	4.83
19.	देवनारायण देव डूंगरी आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण (पाली 280 छात्र)	12,91.00	2/4225/ देव आवासीय/ छात्रावास/ओ.बी.सी./प्लान 2016-17	2016-17	2018-19	..	4,66.29	4,69.54
20.	कोटा में केन्द्रीय पुस्तकालय का निर्माण	12,09.95	163/4210/3/16-17	2016-17	2018-19	..	5,54.32	5,54.55
21.	कोटा में 150 छात्रों हेतु यू.जी. छात्रावासों का निर्माण	10,25.14	164/4210/3/16-17	2016-17	2018-19	..	3,62.82	4,21.94
22.	जिला झुन्झुनू में 280 लड़कियों के लिए देवनारायण आवासीय विद्यालय खेतड़ी का निर्माण	12,91.00	1/4225/ देव आवासीय- छात्रावास/ओ.बी.सी./छात्रा/ प्लान/2017-18	2017-18	2019-20	..	60.43	60.43
23.	जिला अजमेर में 280 लड़कियों के लिए देवनारायण आवासीय विद्यालय खेतड़ी का निर्माण	12,91.00	2/4225/ देव आवासीय- छात्रावास/ओ.बी.सी./छात्रा/ प्लान/2017-18	2017-18	2018-19	..	4,34.70	4,34.70
24.	नई दिल्ली में बीकानेर हाऊस भवन का कंसल्टेन्सी सहित होलीस्टीक विकास राशि ₹ 49.97 लाख	10,64.52	8/4059/जी.ए.डी./एस.एफ.एस./ 2017-18	2017-18	2018-19	..	90.66	90.66
25.	जिला झालवाड़ में चोमेला पर सरकारी महाविद्यालय का निर्माण	11,88.00	1/4202/ एच.ई.डी./एस.एफ.एस./ ओ.डी./एस.टी./2017-18	2017-18	2018-19	..	2,90.14	2,90.14

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)						(₹ लाख में)				
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग- (क्रमशः :)												
भवन- (समाप्त)												
26.	राजस्थान हाऊस, नई दिल्ली (फेज- 1) का पुर्नविकास (परियोजना लागत के @ 2% ₹ 117.57 लाख की सलाह प्रभार सहित)	59,96.10	15/4059/ जी.ए.डी./ एस.एफ.एस./2017-18	2017-18	2018-19	..	0.71	0.71	
27.	वाणिज्यिक कर विभाग, खंडीय कार्यालय कोटा के लिए यू आई टी द्वारा आंवटित भूमि पर नये भवन का निर्माण	38,00.00	2/4052/ कामर्शियल टेक्स/पी / 2016-17	2017-18	2019-20	..	1,03.98	1,03.98	
सड़कें												
28.	सुकेत रामगंज मण्डी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	10,00.00	सी.ई./ पी.डब्ल्यू.डी. पत्र स.एफ-7 (1074)/ सेक्सन II /2006/ डी-179 दिनांक 23/08/06	2008-09	2017-18	100.00	3,00.67	24,57.00	..	37,36.00	19/09/13	
29.	धौलपुर सवाईमाधोपुर जी.जी.सी. मथुरी रोड़ (एस एच-1) किमी 230 पर रेलवे पुल का निर्माण	10,00.00	एफ-7(1030)/ सेक्सन II/2005/ डी -316 दिनांक 09/12/05	2007-08	2016-17	100.00	..	21,56.60	..	21,57.00	25/03/13	
30.	रेलवे क्रॉसिंग (एस एच-2) किमी 3 पर मनिया मरेना रोड़ पर पहुँच सहित रेलवे पुल का निर्माण	10,00.00	सी.ई./ पी.डब्ल्यू.डी. पत्र स.एफ-7 (1074)/ सेक्सन II /2006/ डी-39 दिनांक 19/03/07	2011-12	2017-18	100.00	..	23,88.94	..	24,36.00	27/04/13	
31.	राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण सहित दो लेन चौड़ाई, वृद्धि तथा मजबूती मय ज्यामिति सुधार तथा सी डी कार्य का निर्माण/ पुर्ननिर्माण किमी 0/0 से 5/0, 11/0 से 31/0, 51/0, 57/0 से 59/100 तथा किमी 64/250 से 88/500	1,22,08.41	011 ए/ आर जे/ 2009-10/06 दिनांक 12/03/10	2011-12	2016-17	100.00	..	84,47.13	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः) सड़कें - (क्रमशः)												
32.	आसपुर डुंगरपुर सरथुना (एस एच-54) सड़क (7.0 मीटर चौड़ाई) 75 एम एम बी एम तथा 25 एम एम एस डी बी सी किमी 23/0 से 43/0 (जाँब सं. 8/5054/ एस एच डब्ल्यू/ एस आर एफ/ प्लान/ 2012-13)	18,14.00	एफ-7(704) सेक्शन-II/ 2012 डी-361 दिनांक 21/12/2012	2012-13	2013-14	100.00	..	17,55.43	
33.	डुंगरपुर जिले में (किमी 0/0 से 20/0) तथा (किमी 20/0 से 37/0) थाना मेवाड से यू ओ पी से गुजरात सीमा (2 लेन) अपग्रेडेशन कार्य (जाँब सं.1 /5054/ ग्रामीण सड़के/ एस टी/प्लान 2013-14)	45,00.00	एफ-7(1897) सेक्शन-II/ 2013/ 289 दिनांक 14/08/2013	2013-14	2014-15	93.00	..	37,87.26	
34.	बैन्सरोडगढ से एम पी सीमा सड़क किमी 36/0 से 62/0 का पुर्नवास	15,60.00	सी ई सं. एफ-7(1664) सेक्शन-II/2012/ डी-121 दिनांक 15/06/2012	2012-13	2012-13	60.00	..	8,79.77	
35.	बेहरावांडा खांडार करनपुर कैलादेवी करौली मसालपुर जगनेर रोड (एम डी आर-3) किमी 132/0 से 170/0	19,27.74	एफ-50(105) आर आई डी एफ-18/आई एस आर/सेक्शन-II/ 2012-13 डी-133 दिनांक 04/09/2012	2012-13	2013-14	94.00	..	18,50.61	
36.	नादौती-श्री महावीर जी रोड (एम डी आर-67) किमी 1/0 से 22/0 पर सी सी पेवमेन्ट की मजबूती/ पुनरूद्धार तथा निर्माण जाँब सं. 17/5054/ एस एम एण्ड आर/एस टी/प्लान/13-14	16,00.00	एफ-100(2)/ एम डी आर/ 1-14/डी-203 दिनांक 28/06/2013	2013-14	2014-15	100.00	99.17	15,06.49	
37.	आर ओ बी श्री महावीर जी एल सी सं. 195- डब्ल्यू सी आर	18,77.00	एफ-7(1593) सेक्शन- II 2011/457 दिनांक 13/01/2012	2011-12	2014-15	84.00	7,39.00	18,46.00	..	37,56.00	07/04/17	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक	
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक
		(₹ लाख में)								(₹ लाख में)	
ख.	सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः) सड़कें - (क्रमशः)										
38.	राजस्थान राज्य एन.एच.- 15 पर पेवड़ शोल्डर सहित दो लेन की विद्यमान किमी 173/0 से 249/200 की चौड़ाई तथा मजबूती (सुरतगढ-श्री गंगानगर सेक्शन) (पंजाब राज्य की 550 मीटर की स्ट्रीच सहित)	3,83,40.00	एन एच 15/(नया एन एच 62) / राज - 2014-15/ एन एच डी पी II,IV	2014-15	2016-17	100	54,98.31	3,73,15.62
39.	एन.एच.-65 पर पेवड़ शोल्डर सहित चार लेन की विद्यमान किमी 267/500 से किमी 296/070 की चौड़ाई तथा मजबूती (नेतरा गाँव से मण्डोर सेक्शन)	2,69,22.00	65- राज/ एन एच डी पी -IV	2014-15	2016-17	92.36	38,90.60	1,96,18.99
40.	एन.एच.- 12 कोटा-दारा सेक्शन पर सी सी फुटपाथ सहित पेवड़ शोल्डर की फोर लेन की चौड़ाई किमी 256/550 से किमी 289/500 (राजस्थान राज्य में ईपीक मोड पर कोटा- झालावाड़ सड़क)	6,21,43.00	012/आर जे/2015-16-607 दिनांक 11/12/2015	2015-16	2018-19	60.00	2,90,71.00	3,85,03.08
41.	मुन्दरी गाँव पर काली सिंध नदी के पार पहुंच तक किमी 74/200 बांरा-खानपुर-झालावाड़ सड़क (मेगा हाइवे) एस.एच. 1 ए पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	46,46.09	आर डब्ल्यू / एन एच /12030/ 05/2014 पी एस -4 आर जे दिनांक 08/01/2015	2015-16	2016-17	68.80	10,52.17	31,96.57
42.	रेलवे क्रॉसिंग न. सी-64 (लाइनू फाटक) चेनेज 409/300 से 409/400 हेतु रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	36,30.65	आर डब्ल्यू / एन एच /12030/ 05/2014 पी एस -4 आर जे दिनांक 31/03/2015	2015-16	2016-17	71.07	14,18.56	25,80.35
43.	रेलवे क्रॉसिंग न. सी-67 (नागौर फाटक) चेनेज 411/490 से 411/970 हेतु रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	57,79.94	आर डब्ल्यू / एन एच /12030/ 05/2014 पी एस -4 आर जे दिनांक 31/03/2015	2015-16	2016-17	70.03	16,91.97	40,47.62

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः)												
सड़कें - (क्रमशः)												
44.	राजस्थान राज्य में आर्थिक महत्व योजना के अन्तर्गत कुचालमन-डीडवाना-लाडनु सड़क एस एच-7 किमी 110/0 (रहमान गेट से 115/550 हॉस्पिटल चौराहा डीडवाना) की फोर लेन	14,75.54	आर डब्ल्यू / एन एच /12030/05/2014 पी एस -4 आर जे दिनांक 09/03/2015	2015-16	2016-17	100.00	..	11,21.42	
45.	हनुमानगढ़ कस्बा जक्शन किमी 182/0 से 183/0 पर घघ्घर नदी के ऊपर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	40,00.00	सी ई / पी डब्ल्यू डी/एफ.7 (2207) सेक्शन- II/2015 डी-62 दिनांक 28/05/2015	2015-16	2016-17	66.00	4,00.65	13,28.41	
46.	तीजवार चौराहा से सिन्टेक्स चौराहा किमी 24/0 से 20/0 तथा 47/0 से 49/0 पर चार लेन सड़क का निर्माण	15,60.00	61 दिनांक 28.05.2015	2015-16	2016-17	99.00	..	10,47.39	
47.	नहाली-भातार भैरवजी-पीछावा-नाहरपुरा सड़क (एम डी आर-125) पर भैरव जी के मन्दिर के पास अनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	27,46.58	एफ .5/अभि/सीटीएडी/आई भैरव जी ब्रिज /12-13 1244 दिनांक 27/04/2012	2012-13	2017-18	30.00	90.67	9,94.17	
48.	चौमाला से चिश्तीपुरा, बरडिया से बरजी, बेडला से चिड़ी से खेरा छाईयाडा, बरडिया हिरजी से एम पी सीमा पर निर्माणाधीन सड़क की मजबुती	13,24.00	एडिशन सेक्रेटी पी डब्ल्यू डी राज. जयपुर पत्र क्र. एफ.7 (2205) सेक्टें. /II/2015 68 दिनांक 8.6.15	2015-16	2016-17	100.00	2.47	9,19.51	
49.	मोलासर से तोशिना भाग एस एव-87 किमी 16/500 से 43/00 सड़क की मजबुती तथा चौड़ाई कार्य	27,48.91	आर.डब्ल्यू/एन.एच. /12030/05/2014/ पी.एस.-4/ आर जे दिनांक 05.10.2015	2016-17	2017-18	69.45	2,94.48	16,34.12	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः)												
सड़कें - (क्रमशः)												
50.	नागौर-सालासर (एस एच 60) किमी 135/0 से 142/0, 149/0 से 153/0, 165/0 से 180/0, 180/400 से 189/0, 190/200 से 193 सड़क की दो लेन की चौड़ाई तथा मजबूती	51,66.67	आर.डब्ल्यू/एन.एच./12030/05/2014/ पी.एस.-4/ आर जे दिनांक 05.10.2015	2016-17	2017-18	49.44	14,26.77	25,54.53	
51.	निम्बी गनेरी लक्षमगढ़ मुकन्दगढ़ सड़क एम डी आर- (गनेरी, जियोली,गरोडा भाग) पर गनेरी तथा जियोली गाँव में किमी 48/0 से 58/0 ड्रेन सहित सी.सी.फुटपाथ तथा सड़क की चौड़ाई तथा मजबूती	10,83.23	आर.डब्ल्यू/एन.एच./12030/05/2014/ पी.एस.-4/ आर जे दिनांक 05.10.2015	2016-17	2017-18	80.00	..	6,27.59	
52.	सुमेरांज मण्डी से कमलेश्वर महादेव किमी5/0 से 13/525 पर ड्रेन सहित सी सी फुटपाथ का निर्माण तथा सड़क की चौड़ाई एवं मजबूती	19,79.66	आर.डब्ल्यू/एन.एच./12030/05/2014/ पी.एस.-4/ आर जे दिनांक 05.10.2015	2016-17	2017-18	27.41	5,19.51	5,42.72	
53.	टोंक जिले में जिराना-टोडारायसिंह-केकड़ी सड़क (एम डी आर-73) 3 मीटर से 7.00 मीटर चौड़ाई किमी 22/0 से 30/0, 31/200 से 32/200, 37/0 से 40/0, 41/0 से 45/400 एवं 47/0 से 50/0 की चौड़ाई तथा मजबूती	15,40.68	आर.डब्ल्यू/एन.एच./12030/05/2014/ पी.एस.-4/ आर जे दिनांक 05.10.2015	2016-17	2017-18	61.76	8,75.12	9,51.51	
54.	बडागाँव-चनाना-जसरापुर-खेतड़ी-निजामपुर सड़क से हरियाणा सीमा तक 51 किमी में (एम डी आर-93) पर पहुँच सहित चन्द्रावती नदी पार पहुँच तक उच्चत स्तरीय पुल का निर्माण	18,56.51	आर.डब्ल्यू/एन.एच./12030/05/2014/ पी.एस.-4/ आर जे दिनांक 05.10.2015	2016-17	2017-18	45.49	7,75.68	8,44.44	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः)												
सड़कें - (क्रमशः)												
55.	चैनल 1/445, 1/850 तथा 4/050 पर सी डी कार्य का निर्माण तथा उनियारा-इन्द्रगढ़ (एस एच-29) किमी 1/285 से 24/0 सड़क की चौड़ाई तथा मजबुती	24,70.30	आर.डब्ल्यू/एन.एच./12030/05/2014/ पी.एस.-4/ आर जे दिनांक 05.10.2015	2016-17	2017-18	14.90	..	3,68.16	
56.	ढाकोली से मोलासर एस एच-87 के भाग की सीमा तक किमी 0/0 से 16/500 सड़क पर मजबुती तथा चौड़ाई कार्य	15,97.76	आर.डब्ल्यू/एन.एच./12030/05/2014/ पी.एस.-4/ आर जे दिनांक 05.10.2015	2016-17	2017-18	100.00	2,78.27	11,81.06	
57.	सीकर-टाटनवा-बीनझांसी-शाहपुरा-दयालपुरा-डीडवाना-बारगना-आकोड़ा-चौदी-सफेद-आसखा-मनाला-मोदी चारण-बेसरोली-जिंगालिया-हरनावा-गुलेर-भाखड़ी-रीड-पीच-बडीघाटी-पुष्कर रोड (एम डी आर-176) किमी 42/0 से 82/0 की चौड़ाई तथा मजबुती	46,22.83	आर.डब्ल्यू/एन.एच./12030/05/2014/ पी.एस.-4/ आर जे दिनांक 05.10.2015	2016-17	2017-18	69.84	20,17.74	32,28.48	
58.	कोटा जिले में कोटा-सांगोद-धरनवाडा सड़क एस.एच. 51 पर कालीसिंध नदी पर अप्रोच सहित किमी 48/300 में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	37,81.00	आर.डब्ल्यू/एन.एच./12030/05/2014/ पी.एस.-4/ आर जे दिनांक 29.12.2015	2016-17	2017-18	26.77	4,66.90	10,12.27	
59.	डीडवाना में एस एच-60 तथा एस एच-7 डी हेतु किमी 115/550 (हॉस्पिटल-चौराहा) से किमी 119/050 (लाडनू फाटक) तथा एस एच-60 किमी 162/200 (नागौर फाटक) से किमी 164/0 (मदीना मस्जिद) पर 4 लेन सीमेंट क्रंकीट का निर्माण	28,98.00	आर.डब्ल्यू/एन.एच./12030/02/2016/ पी.एस.-4/ आर जे दिनांक 27.09.2016	2016-17	2017-18	48.59	14,08.00	14,08.76	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः)												
सड़कें - (क्रमशः)												
60.	राजस्थान राज्य के ई पी सी मोड़ पर एन एच-65 पर किमी 166/ 260 से किमी 180/500 नागौर बाईपास का निर्माण	1,55,76.00	65(नया एन एच -58 एवं 62) राज. एन.एच.डी.पी. -IV - 2015-16	2016-17	2017-18	24.61	39,98.30	78,31.59	
61.	राजपुरा-टनकवास बजता रोड किमी 0/0 से 12/0	15,12.50	सी.ई. पी.डब्ल्यू.डी राज. जयपुर पत्र क्र. एफ.39 (सामान्य 22) माइन्स रोड/ सेक्सन II/2017 /डी-186 दिनांक 28.04.17	2017-18	2018-19	30.00	1,33.59	1,33.59	
62.	बारोद से शाहजहापुर सड़क	25,74.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	2,46.00	2,46.00	
63.	एन एच-8 से पहाड़ी	17,45.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	1,59.00	1,59.00	
64.	बहरोड़ से भुमारीका रोड़	15,27.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	1,48.00	1,48.00	
65.	हरसोली-किशनगढबास-मोदुका थानागुढा-मुबारकपुर रोड़	63,82.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	2,08.00	2,08.00	
66.	पडीसल-जागला बसानी-रत्ता खुर्द-ईस्माइलपुर-गंज-किशनगढबास रोड़	29,02.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	2,38.00	2,38.00	
67.	विजय मंदिर अलवर से घाटला पडीसल खैरथल हरसोली रोड़	47,93.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	6,73.00	6,73.00	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया धुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)										
						(₹ लाख में)						
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः)												
सड़कें - (क्रमशः)												
68.	तातरपुर चौराहा-श्योपुर खानपुर अहीर जट भगोला बासनी अलीपुर रोड़	55,71.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	6,06.00	6,06.00	
69.	अलवर से मत्सया विश्वविद्यालय हलदीना	19,91.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	0.10	0.10	
70.	अलवर शहर मे विभन्न सड़कें	39,10.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	13.00	4,58.00	4,58.00	
71.	जिला सीमा तक रामगढ़-गोविन्दगढ़-शिकारी नगर रोड़ चिदवाई-गोविन्दगढ़ रोड़	33,56.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	13.00	13.00	
72.	बडोदामियों गन्दुरा लक्ष्मणगढ़	17,94.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	1.00	1.00	
73.	लक्ष्मणगढ़-जलुकी-गोविन्दगढ़ रोड़ (एस एच-35)	16,06.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	39.00	39.00	
74.	टहला राजगढ़ गढ़ी सवाईराम रोड़ एस एच-25 ए किमी 0/0 से 4/500, 26/300 तथा 32/400	11,99.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	1,09.00	1,09.00	
75.	रेनी-मचाड़ी रोड़ किमी 76/0 से 90/0 (एम डी आर-151)	21,33.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	2,52.00	2,52.00	
76.	गोठ की चोकी बीगोटा रोड़ किमी 0/0 से 21/0	16,80.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	0.35	87.00	87.00	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया धुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः)												
सड़कें - (क्रमशः)												
77.	घाट से राजपुर बड़ा बाया देवली किमी 0/0 से 10/800	16,80.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	23.00	23.00	
78.	दौसा टहला सरिस्का रोड़ एस एच-29 ए किमी 8/00 से 38/00	20,69.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	56.00	56.00	
79.	मंडावर-गौरसरना-कथूमर रोड़ किमी 74/00	35,50.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	3,91.00	3,91.00	
80.	खेरली से उदयपुरा	15,03.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	1,57.00	1,57.00	
81.	खेरली से भानोरखार	17,93.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	1,41.00	1,41.00	
82.	मालाखेड़ा-लक्ष्मणगढ़ कथूमर रोड़ किमी 25/0 से 61/0 एस एच-44 (चीमरावली-मोजपुर-लक्ष्मणगढ़-खुडियाना बरेडा कथूमर)	46,51.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	8.15	5,00.00	5,00.00	
83.	अलनपुर-बानसुर-प्रतापगढ़-ढोला ताला रोड़ किमी 25/0 से 70/0 (एस एच-52)	78,07.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	5,89.00	5,89.00	
84.	थानागाजी प्रतापगढ़ ढोला ताला रोड़ किमी 99/0 से 120/200	32,62.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	5,15.00	5,15.00	
85.	प्रतापगढ़-अजबगढ़-बुरजा तिराहा रोड़ किमी 0/0 से 25/0 (एस एच-77)	39,09.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	3,36.00	3,36.00	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया धुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक				
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक			
		(₹ लाख में)											(₹ लाख में)	
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः) सड़कें - (क्रमशः)														
86.	कोटकासिम-बुदिबवाल-टपुकड़ा रोड़ किमी 45/0 से 57/200, 62/900 से 64/500 तथा 74/0 से 76/200	27,11.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	93.00	93.00			
87.	कोटकासिम लाडपुर-तिजारा फिरोजपुर झिरका जिला सीमा किमी 6/0 से 40/0	54,61.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	1.30	3,27.00	3,27.00			
88.	अलीपुर-खेडी खानपुर डेगरानपुर-नीमलाका-कलगाव-हिंगवाहेडा-तिजारा-फिरोजपुर-झिरका रोड़	38,42.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	..	1,07.00	1,07.00			
89.	टपुकड़ा से मिलकपुर किमी 0/0 से 7/500	15,77.00	सी.ई. एण्ड ए. एस. पत्र सं. डी-247 दिनांक 28.12.17	2017-18	2019-20	1.30	88.00	88.00			
90.	मंगरोल-सिसवाली रोड़ (एस एच-51 ए) किमी 0/0 से 14/0 पर सीमेंट क्रंकीट फुटपाथ का उठाव, पुर्ननिर्माण	30,00.00	एफ -7(2)/ एस.आर.एफ. / सेक्शन.-II/2017 / डी -55 दिनांक 15.06.2017	2017-18	2018-19	1.00	39.29	39.29			
91.	भवरगढ़ से नाहरगढ़ रोड़ (एम डी आर-47) किमी 0/475 से 19/0 पर सीमेंट क्रंकीट फुटपाथ का उठाव, पुर्ननिर्माण	45,00.00	एफ -7(2)/सेक्शन.-II/ 2017 / डी -54 दिनांक 15.06.2017	2017-18	2018-19	13.61	2,88.82	2,88.82			
92.	छाबड़ा-कुंभराज रोड़ किमी 0/0 से 28/600 पर उठाव, पुर्ननिर्माण तथा चौड़ाई	40,00.40	एफ -7(1)/ पी/ सेक्शन.-II/ 2017-18 / डी -210 दिनांक 19.06.2017	2017-18	2018-19	26.69	7,81.32	7,81.32			
93.	ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग का विकास	24,71.57	एफ -7(2250)/सेक्शन.-II/ 2015 / डी -55 दिनांक 22.08.2016	2016-17	2018-19	18.00	2,33.00	2,33.00			

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः) सड़कें - (क्रमशः)												
94.	भीलवाड़ा से मोदक (मांडलगढ सलवाटिया भीआसरोड़गढ)	13,75.00	सी.ई. पी.डब्ल्यू.डी राज. जयपुर वाइड पत्र क्र. एफ.39 (सामान्य 22) माइन्स रोड/सेक्सन II/2017 /डी- 186 दिनांक 28.4.17	2017-18	2018-19	25.00	1,86.82	1,86.82	
95.	राष्ट्रीय राजमार्ग-79 से स्वरूप भीलवाड़ा एल सी आर सं. 72 पर रेलवे पुल का निर्माण	39,38.00	सी.ई. पी.डब्ल्यू.डी राज. जयपुर वाइड पत्र क्र. एफ.7 (2209) एस.आर.एफ. सेक्सन II/2015 /डी- 183 दिनांक 10.11.2017	2017-18	2018-19	40.00	6,99.88	6,99.88	
96.	बेगून कटुन्डा रोड़ किमी 1/200 से 7/200 पर चौड़ाई तथा मजबुती	19,99.94	अति. सचिव पी.डब्ल्यू.डी राज. जयपुर क्र. एफ.7(6)/पी/सेक्सन 2/17-18 /डी-208 दिनांक 19.06.2017	2017-18	2019-20	..	1,99.43	1,99.43	
97.	भावलिया चौराहा (एन एच-79) से जलौदा (एस एच-15) वाया डोरिया लिनोटा रोड़ (एम डी आर-210) किमी 0/00 से 38/500 की मजबुती तथा चौड़ाई	45,00.00	एफ -7(2)/ एस.आर.एफ. / वार्षिक.-2/2017 / डी -54 दिनांक 15.06.2017	2017-18	2019-20	..	1,11.17	1,11.17	
98.	भादोडी से बस्सी वाया लालसोट तुंगा रोड़ (एम डी आर-210) किमी 0/00 से 38/500 की मजबुती	21,50.00	एफ -7(2)/ एस.आर.एफ. / सेक्सन.-II/2017 / डी -24 दिनांक 15.06.2017	2017-18	2018-19	..	7,01.15	7,01.15	
99.	दारुहेडा (एन एच-8) से गंगापुर रोड़ वाया तिजारा-अलवर-राजगढ-बांदीकुई-सिकन्दरा-नाडोती-गंगापुर (एस एच-25) पर डोली गुमटी फाटक एल सी सं. 156 पर रेलवे पुल का निर्माण	34,52.00	सी.ई. पी.डब्ल्यू.डी राज. जयपुर एफ.7(2209) सेक्सन II/2015 /डी- 183 दिनांक 10.11.2017	2017-18	2019-20	..	10,79.42	10,79.42	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया धुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः)												
सड़कें - (क्रमशः)												
100.	दौसा-कुन्दल गुढा कटला-बांदीकुई-मंडावर रोड़ (एम डी आर-48) किमी 46/500 से 52/0, 56/0 से 61/0 तथा 69/0 से 74/800 (बी के आई), 78/500 से 83/0 पर मजबुती तथा चौड़ाई	12,00.00	एफ -7(2)/ एस.आर.एफ. / सेक्शन.-II/2017 / डी -55 दिनांक 15.06.2017	2017-18	2018-19	..	4,12.14	4,12.14	
101.	धौलपुर राजाखेडा रोड़ एस एच 2 ए किमी 2/0 से 14/0 तथा 24/0 से 44/200 की मजबुती तथा पुनरुद्धार	52,00.00	डी -55 दिनांक 15.06.2017	2017-18	2019-20	..	2,11.32	2,11.32	
102.	नोहर-पालु-महाजन रोड़ (एम डी आर-34 ए) किमी 0/0 से 67/0 की चौड़ाई, मजबुती तथा पुनरुद्धार	74,00.00	सी.ई./पी.डब्ल्यू.डी/ एफ.7(2)एस.आर.एफ/ सेक्शन II/2017 /डी- 124 दिनांक 24.08.2017	2017-18	2018-19	30.58	16,95.67	16,95.67	
103.	दौसा से कुचामन वाया लवाण-तुंगा-चाकसू फागी- दूदू-सांभर रोड़ (एस एच-2) की चौड़ाई तथा मजबुती	11,50.00	एफ -7(336)/ सेक्शन.-II/ 2017-18 / डी -213 दिनांक 21.12.2017	2017-18	2018-19	45.00	5,13.16	5,13.16	
104.	सांडेराव से मोलासर	10,00.00	59/ 23.06.2017 राज. एन.एच.डी.पी.-IV -2015-16	2017-18	2018-19	30.00	23.12	23.12	
105.	बाप से भादला रोड़ वाया कानासर, नुर की बुर्ज किमी 0/0 से 44/0 पर सिंगल लेन से दो लेन की मजबुती तथा चौड़ाई	38,00.30	एफ -7(215)/ सेक्शन.-II/ 2017 / डी -26 दिनांक 24.05.2017	2017-18	2019-20	16.00	4,61.42	4,61.42	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया धुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः)												
सड़कें - (क्रमशः)												
106.	उदयपुरवाटी-नवलगढ़ मंडावा बिसाऊ रोड़ (एम डी आर-25) किमी 36/0 से 55/0, (मंडावा बिसाऊ खलाइमोन की ढाणी) एस. एच.37 किमी 19/0 झुझंनु जिला पहुँच तक चौड़ाई	10,00.00	डी-2017 दिनांक 23.06.2017	2017-18	2017-18	100.00	6,79.76	6,79.76	
107.	एस एच-13 किमी 98/0 से 111/150 पर चौड़ाई तथा मजबुती कार्य	23,00.00	एफ.7(2)एस.आर.एफ. / सेक्शन.2/2017/ डी -55 दिनांक 15.06.2017	2017-18	2019-20	30.00	3,31.51	3,31.51	
108.	बलवाना गाँव के पास जवाईबांध बलवाना बीसलपुर रोड़ एल सी सं. 88 पर रेलवे पुल का निर्माण	38,41.10	डी-138 दिनांक 31.08.15	2017-18	2019-20	7.00	1,49.80	1,49.80	
109.	जसताना बोनली निवाई रोड़ किमी 20/0 से 32/400 की मजबुती	13,48.58	डी-55 दिनांक 15.06.17	2017-18	2018-19	20.00	1,50.35	1,50.35	
110.	गोगुन्दा माजावाड उवेश्वरजी रोड़	10,04.00	एफ.7(277)/ सेक्शन.2/ 2017/ डी -57 दिनांक 20.06.2017	2017-18	2018-19	38.00	51.53	51.53	
111.	धारियावाड (3 मीटर से 5.50 मीटर) लसाडिया रोड़ (ओ डी आर-20) किमी 0/0 से 30/0 की मजबुती तथा चौड़ाई	18,60.00	एफ.7(1)/पी/सेक्शन.2/ 2017-18/ डी -210 दिनांक 19.06.2017	2017-18	2019-20	7.71	81.83	81.83	
112.	सांचोर रानीवाडा मंडार आबुरोड किमी 97/0 से 123/0 (कुल 19 किमी) एस एच- II (ए) की चौड़ाई, मजबुती तथा सुधार	22,22.00	अति. सचिव/ डी -117 दिनांक 23.08.17	2017-18	2018-19	62.00	5,88.12	5,88.12	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया धुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः)												
सड़कें - (क्रमशः)												
113.	आबू से अम्बा जी रोड़ किमी 2/200 से 16/200 एस एच (ए) की चौड़ाई, मजबुती तथा सुधार	16,35.00	अति. सचिव/ डी -117 दिनांक 23.08.17	2017-18	2018-19	43.00	4,35.90	4,35.90	
114.	सरदारगढ से देवगढ वाया आमेर रोड़ किमी 15/0 से 55/0	46,90.00	अति. सचिव/ डी -2015 दिनांक 30.03.17	2017-18	2019-20	..	0.80	0.80	
115.	केलवा आमेर रोड़ किमी 0/0 से 18/0	21,00.00	अति. सचिव/ डी -2015 दिनांक 30.03.17	2017-18	2019-20	..	56.53	56.53	
116.	डूगरपुर बिछवाडा रोड़ किमी 5/0 से 22/0 (ओ डी आर-7) का निर्माण, मजबुती, चौड़ाई तथा पुनरुद्धार	25,26.00	सी.ई./एफ.7(1)/पी/सेक्शन 2/2017-18/डी-210 दिनांक 19.06.2017	2017-18	2018-19	24.00	89.11	89.11	
117.	जावर कामखेडा रोड़ परवन नदी पर पुल का निर्माण	30,00.00	एफ.7(5)एस.आर.एफ. / सेक्शन.2/2017/ डी -59 दिनांक 23.06.2017	2017-18	2018-19	..	5.65	5.65	
118.	सारडा बिंदली रोड़ गाडाहेडा नदी पर पुल का निर्माण	24,00.00	एफ.7(5)एस.आर.एफ. / सेक्शन.2/2017/ डी -59 दिनांक 23.06.2017	2017-18	2018-19	..	5.65	5.65	
119.	ई पी सी मोड पर राजस्थान राज्य में एन एच-65 पर नागौर बाईपास किमी 166/260 से किमी 180/500 का निर्माण	10,50.00	एफ.7(226)वार्षिक 2 / 2017/ डी -62 दिनांक 27.06.2017	2017-18	2018-19	10.00	97.39	97.39	
120.	परबतसर पीपलाद बस्सी पुष्कर रोड़ की मजबुती तथा चौड़ाई	28,27.00	डी-60 दिनांक 23.06.17	2017-18	2018-19	0.30	2,39.14	2,39.14	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया धुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक	
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)					
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(क्रमशः)											
सड़कें - (क्रमशः)											
121.	कोटा जिले में माइनिंग क्षेत्र में सीमेन्ट क्रंकीट रोड का निर्माण पैकेज सं. आर जे 23-01-एम आर/सेक्शन- II/2017-18	12,50.00	डी-2015 दिनांक 30.06.17	2017-18	2018-19	20.00	1,91.13	1,91.13
122.	ग्रामीण सड़क जिला सीकर के अंतर्गत घासीपुरा गाँव के पास एल सी सं. 85 पर शाहपुरा चिरावा रोड़ (एस एच-13) पर डी एफ सी सी एलाइनमेंट पर रेलवे पुल का निर्माण	28,80.00	एफ.7(1944)/ सेक्शन. II / 2013/ डी -137 दिनांक 31.08.2015	2017-18	2018-19	18.00	2,45.75	2,45.75
123.	ग्रामीण सड़क जिला सीकर के अंतर्गत मांवडा गांव के पास एल.सी.स. 72 पर शाहपुरा चिरावा रोड़ (एस एच-13) पर डी एफ सी सी एलाइनमेंट पर रेलवे पुल का निर्माण	28,80.00	एफ.7(1944)/ सेक्शन. II / 2013/ डी -137 दिनांक 31.08.2015	2017-18	2018-19	41.67	15,42.69	15,42.69
124.	सड़क सुरक्षा योजना 2016-17 के अंतर्गत झालवाड शहर में एन एच-12 पर 4 लेन सी सी रोड़ सुरक्षा सहित फुटपाथ, सर्विस रोड़ जक्शन किमी 326/0 से 334/700 का निर्माण	80,68.54	12- आर.जे. -2016-17- आर.एस.सी.ई.-025 दिनांक 15-12-2016	2016-17	2018-19	..	44,70.98	44,70.98
125.	विद्यमान अजमेर नसीराबाद रोड़ किमी 0/0 से 1/800 पर सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड़ का निर्माण	12,60.00	आर.एस.सी.ई.-007	2016-17	2018-19	..	99.00	99.00

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि है/ संशोधन की दिनांक				
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक			
		(₹ लाख में)											(₹ लाख में)	
ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग-(समाप्त)														
सड़कें - (समाप्त)														
126.	ई पी सी मोड़ पर राजस्थान राज्य में एन एच 325 पर चल रहे परियोजना को छोड़ते हुये बालोतरा से सांडेराव वाया जालौर पर पेवड् सोलडर सहित दो लेन का उन्नयन किमी 58/00 से किमी 91/600 (59.460 से 62.900), (73.120 से 75.920), (82.650 से 83.300 चैनल छोड़ते हुये)	1,79,32.00	एन.एच.-325/ आर.जे. / 2016-17/677	2017-18	2018-19	..	40,00.00	40,00.00			
127.	ई पी सी मोड़ पर राजस्थान राज्य में एन एच 325 पर चल रहे परियोजना को छोड़ते हुये बालोतरा से सांडेराव वाया जालौर पर पेवड् सोलडर सहित दो लेन का उन्नयन किमी 118.900 से किमी 156.955 (151.100 से 154.730 चैनल छोड़ते हुये)	1,63,54.00	एन.एच.-325/ आर.जे. / 2016-17/678	2017-18	2018-19	..	40,75.00	40,75.00			
योग - ख						9,34,71.58		20,77,72.08						

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया धुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)										
						(₹ लाख में)						
ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग												
1.	भरतपुर (यू+आर) चम्बल से	1,66,50.00	पी पी सी 130 दिनांक 06/07/99	2001-02	2019-20	89.00	20,08.00	3,09,66.87	..	5,48,69.00	28/01/13	
2.	चम्बल सवाई माधोपुर नाडोती जलपूर्ति परियोजना	4,78,91.00	पी पी सी 157 दिनांक 22/09/04	2004-05	2019-20	64.00	24,05.00	3,33,57.52	..	5,67,00.00	19/09/13	
3.	उम्मेद सागर ढाबा समदरी-खांडप	3,64,93.00	पी पी सी 174 दिनांक 01/02/07	2008-09	2019-20	74.00	11,35.00	3,61,25.18	..	5,75,46.00	27/09/11	
4.	नर्मदा "एफ आर" परियोजना	3,03,38.00	पी पी सी 174 दिनांक 01/02/07	2007-08	2018-19	92.00	6,06.00	3,28,71.38	..	3,80,17.00	09/12/14	
5.	ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना पोकरण -फलसुन्ड-बालोतरा-सिवाना लिफ्ट परियोजना	9,66,77.00	पी पी सी 162 दिनांक 29/03/05	2008-09	2020-21	85.00	2,03,98.00	11,70,83.18	..	14,54,20.00	27/09/11	
6.	नागौर लिफ्ट परियोजना फेज-I	1,56,88.00	पी पी सी 171 दिनांक 27/08/2006	2011-12	2019-20	73.00	27,59.00	2,90,85.52	..	11,94,26.00	25/04/16	
7.	रेग डब्ल्यू एस एस आर जी एल सी आर डी के अन्तर्गत तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के 264 गाँवों के लिए आधारभूत विकास कार्य	2,34,46.00	पी पी सी 178 दिनांक 11/10/07	2007-08	2019-20	95.00	19.00	1,81,51.97	
8.	चम्बल भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना	7,27,99.00	पी पी सी 187 दिनांक 27/09/11	2012-13	2018-19	98.00	31,47.00	7,10,40.90	..	9,13,80.00	28/6/17	
9.	आपनी योजना फेज-II	1,66,50.00	पी पी सी 130 दिनांक 27/09/11	2012-13	2018-19	98.00	83,83.00	6,52,32.39	..	9,71,21.00	30/05/13	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक				
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक			
		(₹ लाख में)											(₹ लाख में)	
ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग - (क्रमशः)														
10.	शहरी जलपूर्ति योजना ,जोधपुर	5,49,55.00	पी पी सी 181 दिनांक 24/08/09	2012-13	2018-19	54.00	90,98.00	2,79,03.22	..	7,40,50.00	30/05/13			
11.	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना (फेज- II)	2,02,36.00	पी पी सी 187 दिनांक 27/09/11	2012-13	2018-19	38.00	4,13.00	69,71.79			
12.	नर्मदा गुडामलानी जलपूर्ति परियोजना	1,60,00.00	पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12	2012-13	2018-19	72.00	22,86.04	92,05.57			
13.	बीसलपुर टोंक उनियारा देवली जलपूर्ति परियोजना	2,47,00.00	पी पी सी 174 दिनांक 01/02/07	2012-13	2018-19	90.00	66,69.00	2,94,20.15	..	5,42,11.00	24/08/12			
14.	बीसलपुर टोंक उनियारा देवली जलपूर्ति परियोजना से निवाई तथा टोंक तहसील के गांवों हेतु आर डब्ल्यू एस एस	1,12,88.00	पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12	2012-13	2018-19	98.00	15,95.95	98,94.77			
15.	आई जी एन पी से सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर तहसील के 283 गांवों तथा कस्बों के लिए जलपूर्ति परियोजना	8,32,00.00	पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12	2012-13	2018-19	86.00	49,90.00	3,94,65.74			
16.	नागौर लिफ्ट परियोजना फेज-II	29,38,00.00	पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12	2013-14	2020-21	55	6,40,17.62	15,84,15.30			
17.	चम्बल भीलवाडा क्लस्टर परियोजना फेज-II	14,95,68.00	पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13	2013-14	2020-21	42	2,70,98.00	8,49,15.83			
18.	आर डब्ल्यू एस एस नर्मदा से बाड़मेर जिले के शियों तथा रामसर	6,39,50.00	पी पी सी 191 दिनांक 19/09/13	2013-14	2018-19	33.00	35,35.18	1,97,30.50			

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/संशोधन की दिनांक				
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक			
		(₹ लाख में)											(₹ लाख में)	
ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग - (क्रमशः)														
19.	भीनमाल तहसील तथा भीनमाल कस्बे के 256 गांवों के आर डब्ल्यू एस एस की नर्मदा ई आर परियोजना के लिए ट्रकमेन	4,55,16.00	पी पी सी 191 दिनांक 19/09/13	2013-14	2019-20	54.00	35,15.00	1,76,03.46			
20.	जावल क्लस्टर परियोजना फेज- II पार्ट- II	3,66,96.00	पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13	2013-14	2018-19	75.00	46,48.00	2,91,28.97			
21.	आर डब्ल्यू एस एस पांचला घेबरा चैरल परियोजना, कम्बाइन्ड पैकेज	3,96,63.00	पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13	2013-14	2018-19	73.00	70,49.79	2,61,73.25			
22.	माही डेम से बांसवाडा प्रतापगढ जलपूर्ति परियोजना	5,60,00.00	पी पी सी 191 दिनांक 19/09/13	2013-14	2018-19	80.00	90,74.59	3,79,66.74			
23.	बीसलपुर दूध जलपूर्ति परियोजना, फागी (चाकसू, फागी, बस्सी)	2,17,24.00	आर डब्ल्यू एस एस एम बी-66 दिनांक 19/03/13	2013-14	2018-19	78.70	22,18.42	1,54,35.30			
24.	बीसलपुर दूध जलपूर्ति परियोजना, बस्सी (चाकसू, फागी, बस्सी)	2,99,55.00	पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13	2013-14	2018-19	82.00	52,86.30	2,18,27.51			
25.	चम्बल धौलपुर भरतपुर परियोजना फेज- I पार्ट- II	7,20,31.00	पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13	2013-14	2019-20	25	40,10.00	1,74,76.59			
26.	यू डब्ल्यू एस एस हनुमानगढ फेज- II का पुर्नगठन	16,28.94	आर डब्ल्यू एस एस एम बी 13 दिनांक 20/11/12	2013-14	2014-15	5,17.00			
27.	डब्ल्यू एस पी बोरावास मंडाना	1,18,04.00	पी पी सी 187 दिनांक 27/09/11	2011-12	2018-19	74.10	11,51.74	59,85.29			

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया धुगतान	संशोधित लागत, यदि है/ संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)										
						(₹ लाख में)						
ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग - (क्रमशः)												
28.	डब्लू एस पी गागरीन	2,56,56.00	पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13	2013-14	2018-19	76.11	65,00.00	2,17,03.99	..	3,51,48.00	04/10/13	
29.	संडकिया कुन्दनपुरा रामगंज मण्डी जलपूर्ति परियोजना	17,14.00	एस एल एस एस सी 10 दिनांक 17/04/13	2013-14	2016-17	100.00	74.56	14,43.30	..	19,42.00	23/12/16	
30.	यू डब्लू एस एस, कोटा कम्बाइन्ड काम्प्रेन्सिव जमा योजना का सम्पादन	66,88.73	एफ सी 641 दिनांक 07/11/12	2012-13	2018-19	99.50	12,03.44	65,15.91	
31.	ब्यावर ज्वाला क्लस्टर परियोजना	2,31,46.00	पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13	2013-14	2019-20	49.42	33,58.00	1,21,20.46	
32.	सीकर झुझंनु खेतडी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना	9,54,74.00	पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13	2013-14	2018-19	94.00	1,01,71.00	9,51,69.08	
33.	नर्मदा एफ आर क्लस्टर, एफ आर ट्रंक का वितरण	5,09,20.00	पी पी सी 191 दिनांक 19/09/13	2013-14	2020-21	28.00	77,37.00	1,34,20.35	
34.	नर्मदा डी आर परियोजना (क्लस्टर) डी आर ट्रंक का वितरण	2,63,50.00	पी पी सी 191 दिनांक 19/09/13	2013-14	2019-20	31.45	41,95.00	82,86.73	
35.	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना-II पार्ट बी	1,25,00.00	पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12	2013-14	2018-19	58.06	11,32.00	62,80.62	
36.	यू डब्लू एस एस एच एन डी (हिन्डोन)	57,48.00	पी पी सी 191 दिनांक 19/09/13	2013-14	2015-16	66.00	5,88.49	25,85.56	
37.	डीग जलपूर्ति परियोजना (97) गाँव	3,11,49.00	पी पी सी 188 दिनांक 24/08/12	2015-16	2019-20	28.45	51,50.00	90,82.38	
38.	यू डब्ल्यू एस एस प्रतापगढ़ का पुर्नगठन	94,07.00	पी पी सी 195 दिनांक 09/07/15	2015-16	2018-19	74.00	38,86.00	52,17.00	

परिशिष्ट IX - (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया भुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)										
		(₹ लाख में)										
ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग - (क्रमशः)												
39.	यू डब्ल्यू एस एस किशनगढ़, अजमेर का पुर्नगठन	77,29.00	पी पी सी 196 दिनांक 20/10/15	2015-16	2018-19	93.06	24,36.00	54,43.00	
40.	राजगढ़ जलपूर्ति परियोजना, भवानी मंडी	67,17.00	पी पी सी 196 दिनांक 20/10/15	2015-16	2018-19	89.00	14,46.00	39,68.00	
41.	जिला चुरू के 24 गाँवों हेतु विद्यमान चुरू क्लस्टर पम्प हाउस से क्लस्टर जलपूर्ति प्रणाली का उन्नयन	14,78.74	1415 पी पी सी 19 दिनांक 23/12/14	2015-16	2016-17	100.00	..	8,04.78	
42.	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना पार्ट-डी	4,51,57.00	पी पी सी 191 दिनांक 09/09/16	2016-17	2019-20	55.00	1,54,40.00	2,10,37.00	
43.	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना पार्ट-सी	7,00,00.00	पी पी सी 191 दिनांक 19/09/13	2017-18	2019-20	6.17	43,16.00	43,16.00	
44.	बांरा क्लस्टर परियोजना (श्यागढ़ क्लस्टर)	69,76.00	पी पी सी 190 दिनांक 30/05/13	2017-18	2019-20	25.00	31,97.00	31,97.00	..	76,76.00	25/04/16	
45.	अटरू शेरागढ़ जलापूर्ति परियोजना	89,69.00	पी पी सी 197 दिनांक 25/04/16	2017-18	2019-20	45.00	36,26.00	36,26.00	
46.	इन्द्रगढ़ जलापूर्ति परियोजना	73,93.00	पी पी सी 199 दिनांक 28/06/17	2017-18	2019-20	17.77	13,14.00	13,14.00	
47.	चम्बल बूंदी क्लस्टर परियोजना (चम्बल भीलवाड़ा जलापूर्ति परियोजना का विस्तार)	80,80.00	पी पी सी 199 दिनांक 28/06/17	2017-18	2019-20	8.32	6,72.00	6,72.00	
48.	अन्ता-मंगरोल की सोनवास जलापूर्ति परियोजना	1,05,15.00	पी पी सी 199 दिनांक 28/06/17	2017-18	2019-20	13.31	14,00.00	14,00.00	

परिशिष्ट IX – (क्रमशः)

क्र. स.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति दिनांक		कार्य आरम्भ का वर्ष	कार्य पूर्ण का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय	बकाया धुगतान	संशोधित लागत, यदि हो/ संशोधन की दिनांक		
		कार्य की लागत	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक							राशि	दिनांक	
		(₹ लाख में)				(₹ लाख में)						
ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग – (समाप्त)												
49.	शहरी जलापूर्ति योजना धौलपुर (अमृत मिशन)	42,12.36	एफ -16 (अमृत 08) एस.एल.टी.सी. /आर.यू.आई.एफ. डी.सी.ओ. /2015-16/ 345 दिनांक 01.06.2016	2017-18	2019-20	6.65	2,80.00	2,80.00	
50.	यू.डब्ल्यू.एस.एस. एस.एम.डब्ल्यू. के लिए डी.आई. राईजिंग मेन सहित पम्प सेट का स्थापन तथा बनास नदी पर ओ./डब्ल्यू. का निर्माण	18,21.18	पी पी सी 197 दिनांक 25.04.16	2017-18	2019-20	6.00	2.81	2.81	
51.	अमृत शहरी जलापूर्ति योजना सवाई माधोपुर	47,32.00	15.09.2016	2016-17	2019-20	0.50	1,87.17	1,87.17	
52.	निवाई मुख्य कार्य से बोनी कस्बे को पाईप जलापूर्ति परियोजना (बीसलपुर परियोजना)	19,71.00	पी पी सी 195 दिनांक 09/07/15	2016-17	2017-18	80.00	10,38.09	10,38.09	
53.	शहरी जलापूर्ति योजना सीकर (अमृत)	24,27.80	एस.एल.टी.सी. -2 दिनांक 21.03.2016	2016-17	2018-19	36.70	6,26.00	6,26.00	
54.	मनीहारी-डारी-बनवारी क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना	24,92.23	एस.एल.टी.सी. /12/ 26.06.2014 ए.आई. सं. 14	2015-16	2017-18	0.90	15,47.37	15,47.37	
योग – ग						27,90,40.56		1,22,32,90.49				

परिशिष्ट IX - (समाप्त)

अधूरे कार्यों का सारांश

क्रम संख्या	परियोजना/विभाग	परियोजना की संख्या	अद्यतन व्यय (₹ लाख में)
1.	क. जल संसाधन विभाग /परियोजना	66	58,65,36.09
2.	ख. सार्वजनिक निर्माण विभाग /परियोजना	127	20,77,72.08
3.	ग. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	54	1,22,32,90.49
	कुल योग	247	2,01,75,98.66

परिशिष्ट संख्या X – संवेतन एवं गैर संवेतन भाग को पृथक करते हुए रखरखाव व्यय

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
001	राज्य विधान मंडल	2011	02	103			राज्य निधि	..	1,65.25	1,65.25
योग अनुदान 001								..	1,65.25	1,65.25
003	सचिवालय	2052		090	02	01	राज्य निधि	..	16.31	16.31
योग अनुदान 003								..	16.31	16.31
005	प्रशासनिक सेवाएं	2051		103	01		राज्य निधि	..	3.74	3.74
		2070		003	01	05	राज्य निधि	..	15.75	15.75
		2070		003	01	08	राज्य निधि	..	6.89	6.89
		2070		114	06	01	राज्य निधि	..	52.91	52.91
योग अनुदान 005								..	79.29	79.29
008	राजस्व	2029		102	01		राज्य निधि	..	1.27	1.27
		2029		102	02		राज्य निधि	..	0.44	0.44
		2029		103	02		राज्य निधि	..	1,24.13	1,24.13
योग अनुदान 008								..	1,25.84	1,25.84
009	वन	2406	01	001	02		राज्य निधि	..	55.10	55.10
		2406	01	101	07		राज्य निधि	..	2,34.18	2,34.18
		2406	01	101	12		राज्य निधि	..	1.50	1.50
		2406	01	101	13		राज्य निधि	..	1.00	1.00
		2406	01	101	14		राज्य निधि	..	0.10	0.10

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
009	वन - (समाप्त)	2406	01	101	19		राज्य निधि	..	8,33.48	8,33.48
		2406	01	101	20		राज्य निधि	..	96.88	96.88
		2406	02	110	01		राज्य निधि	..	49.88	49.88
		2406	02	110	01		केन्द्रीय सहायता	..	51.46	51.46
		2406	02	110	02		राज्य निधि	..	1,06.79	1,06.79
		2406	02	110	02		केन्द्रीय सहायता	..	1,11.92	1,11.92
		2406	02	110	04		राज्य निधि	..	50.02	50.02
		2406	02	110	05		राज्य निधि	..	42.39	42.39
		2406	02	110	08		राज्य निधि	..	42.36	42.36
		2406	02	110	08		केन्द्रीय सहायता	..	43.89	43.89
		2406	02	110	11	01	राज्य निधि	..	39.57	39.57
		2406	02	111	02		राज्य निधि	..	1,00.00	1,00.00
		2406	02	112	01		राज्य निधि	..	2,29.65	2,29.65
		योग अनुदान 009						..	20,90.17	20,90.17
011	विविध सामाजिक सेवाएं	2250		103	01		राज्य निधि	..	7.88	7.88
		2250		103	02		राज्य निधि	..	2.75	2.75
		3425	01	800	05		राज्य निधि	..	1,96.36	1,96.36
		3425	01	800	09		राज्य निधि	..	0.97	0.97
		3425	01	800	12	01	राज्य निधि	..	0.98	0.98
		योग अनुदान 011						..	2,08.94	2,08.94

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
013	आबकारी	2039		001	01		राज्य निधि	..	1,01.96	1,01.96
योग अनुदान 013								..	1,01.96	1,01.96
014	व्यापार, बिक्री आदि पर कर	2040		001	03		राज्य निधि	..	3.00	3.00
योग अनुदान 014								..	3.00	3.00
016	पुलिस	2055		003	01	01	राज्य निधि	..	37.00	37.00
		2055		101	01	01	राज्य निधि	..	9.96	9.96
		2055		101	01	02	राज्य निधि	..	27.21	27.21
		2055		109	10	01	राज्य निधि	..	34.99	34.99
		2055		109	11	01	राज्य निधि	..	1,42.40	1,42.40
		2055		116	01		राज्य निधि	..	59.16	59.16
योग अनुदान 016								..	3,10.72	3,10.72
018	जन-सम्पर्क	2220	60	102	01	01	राज्य निधि	..	0.98	0.98
		2220	60	106	01	01	राज्य निधि	..	0.17	0.17
योग अनुदान 018								..	1.15	1.15
019	लोक निर्माण कार्य	2059	80	053	01	01	राज्य निधि	32,69.24	20,92.66	53,61.90
		2059	80	053	02	01	राज्य निधि	..	6.47	6.47
		2059	80	053	02	02	राज्य निधि	..	78.49	78.49
		2059	80	053	04		राज्य निधि	..	2,97.45	2,97.45
		2059	80	053	06		राज्य निधि	..	6,56.14	6,56.14

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
019	लोक निर्माण कार्य - (समाप्त)	2059	80	053	07		राज्य निधि	..	76.28	76.28
		2059	80	053	08		राज्य निधि	..	5,00.00	5,00.00
		2059	80	053	09		राज्य निधि	..	10.21	10.21
		2059	80	053	10		राज्य निधि	..	1,81.60	1,81.60
		2059	80	053	12		राज्य निधि	..	9,59.46	9,59.46
		2059	80	053	14		राज्य निधि	..	16.47	16.47
		2059	80	053	17		राज्य निधि	..	89.01	89.01
		2059	80	053	18		राज्य निधि	..	1,73.25	1,73.25
		2059	80	053	19		राज्य निधि	..	58.73	58.73
		2059	80	053	20		राज्य निधि	..	0.98	0.98
		2059	80	053	21		राज्य निधि	..	3,67.06	3,67.06
		2059	80	053	22		राज्य निधि	..	2,56.59	2,56.59
		2059	80	053	23		राज्य निधि	..	2.78	2.78
		2059	80	053	26		राज्य निधि	..	11.16	11.16
		2059	80	053	29		राज्य निधि	..	24.29	24.29
		2059	80	053	30		राज्य निधि	..	18.24	18.24
		2059	80	053	31		राज्य निधि	..	14.60	14.60
		2059	80	053	32		राज्य निधि	..	9.47	9.47
		2059	80	053	34	01	राज्य निधि	..	1,33.70	1,33.70
		2059	80	053	35	01	राज्य निधि	..	2.25	2.25
योग अनुदान 019								32,69.24	60,37.34	93,06.58

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
020	आवास	2216	05	053	01	01	राज्य निधि	13,13.43	..	13,13.43
		2216	05	053	01	05	राज्य निधि	..	3,91.80	3,91.80
		2216	05	053	01	07	राज्य निधि	..	6,45.70	6,45.70
		2216	05	053	01	08	राज्य निधि	..	5,95.92	5,95.92
		2216	05	053	01	09	राज्य निधि	..	7,46.88	7,46.88
		2216	05	053	02	02	राज्य निधि	..	6,19.16	6,19.16
		2216	05	053	03	02	राज्य निधि	..	15.91	15.91
		2216	05	053	05	02	राज्य निधि	..	39.41	39.41
		2216	05	053	07		राज्य निधि	..	1,20.98	1,20.98
		2216	05	053	08		राज्य निधि	..	9,10.50	9,10.50
योग अनुदान 020								13,13.43	40,86.26	53,99.69
021	सड़कें एवं पुल	3054	02	337	01	01	राज्य निधि	..	1,82,62.31	1,82,62.31
		3054	03	337	01	01	राज्य निधि	66,06.29	47,91.68	1,13,97.97
		3054	03	337	02	01	राज्य निधि	51.32	..	51.32
		3054	04	800	01	01	राज्य निधि	30,41.15	30,70.59	61,11.74
		3054	04	800	02	01	राज्य निधि	27,33.46	2,63,10.66	2,90,44.12
		3054	04	800	06		राज्य निधि	5,62.91	5,98.84	11,61.75
		3054	80	107	01		राज्य निधि	..	99.92	99.92
		3054	80	800	04		राज्य निधि	..	1,85.10	1,85.10
योग अनुदान 021								1,29,95.13	5,33,19.10	6,63,14.23

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
022	क्षेत्र विकास	2705		102	01	07	राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2705		102	01	08	राज्य निधि	..	5.09	5.09
योग अनुदान 022								..	5.59	5.59
024	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202	01	112	01	01	केन्द्रीय सहायता	..	0.05	0.05
		2202	02	109	27	01	राज्य निधि	..	2,15.80	2,15.80
		2202	03	103	13	01	राज्य निधि	..	3.77	3.77
		2202	03	103	14	01	राज्य निधि	..	4.29	4.29
		2202	80	004	06	01	राज्य निधि	..	9.97	9.97
		2203		001	03	01	राज्य निधि	..	0.30	0.30
		2203		001	04	01	राज्य निधि	..	0.16	0.16
		2203		105	05		केन्द्रीय सहायता	..	0.16	0.16
		2204		102	01	01	राज्य निधि	..	31.27	31.27
		2205		102	25	01	राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2205		102	26	01	राज्य निधि	..	3.00	3.00
		2205		103	02		राज्य निधि	..	5,31.96	5,31.96
		2205		103	05	01	राज्य निधि	..	5.50	5.50
		2205		104	01	01	राज्य निधि	..	5.00	5.00
		2205		104	01	02	राज्य निधि	..	9.01	9.01
		2205		104	01	03	राज्य निधि	..	2.76	2.76

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
024	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2205		104	01	04	राज्य निधि	..	5.00	5.00
		2205		107	01		राज्य निधि	..	36.79	36.79
	योग अनुदान 024							..	8,65.29	8,65.29
025	कोष एवं लेखा प्रशासन	2054		095	01		राज्य निधि	..	1,02.69	1,02.69
	योग अनुदान 025							..	1,02.69	1,02.69
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210	01	110	01	01	राज्य निधि	..	39.97	39.97
		2210	01	110	01	04	राज्य निधि	..	13.20	13.20
		2210	01	110	01	22	राज्य निधि	..	35.01	35.01
		2210	01	110	01	25	राज्य निधि	..	0.60	0.60
		2210	01	110	01	33	राज्य निधि	..	24.85	24.85
		2210	01	110	01	36	राज्य निधि	..	29.99	29.99
		2210	01	110	01	37	राज्य निधि	..	69.99	69.99
		2210	01	110	01	38	राज्य निधि	..	4.47	4.47
		2210	01	110	01	39	राज्य निधि	..	24.88	24.88
		2210	01	110	01	40	राज्य निधि	..	2.89	2.89
		2210	01	110	01	41	राज्य निधि	..	0.97	0.97
		2210	01	110	01	43	राज्य निधि	..	4,49.98	4,49.98
		2210	01	110	01	44	राज्य निधि	..	5.00	5.00
		2210	01	110	01	45	राज्य निधि	..	14.92	14.92

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई- (समाप्त)	2210	01	110	01	46	राज्य निधि	..	16.00	16.00
		2210	01	110	01	47	राज्य निधि	..	5.34	5.34
		2210	01	110	01	48	राज्य निधि	..	42.97	42.97
		2210	01	110	01	49	राज्य निधि	..	29.98	29.98
		2210	01	110	01	51	राज्य निधि	..	68.96	68.96
		2210	01	110	01	52	राज्य निधि	..	44.96	44.96
		2210	01	110	01	53	राज्य निधि	..	4.00	4.00
		2210	01	110	01	54	राज्य निधि	..	0.49	0.49
		2210	01	110	01	55	राज्य निधि	..	49.88	49.88
		2210	01	110	01	56	राज्य निधि	..	64.88	64.88
		2210	01	110	01	57	राज्य निधि	..	1.25	1.25
		2210	01	110	01	59	राज्य निधि	..	9.99	9.99
		2210	01	110	01	60	राज्य निधि	..	3.00	3.00
		2210	01	110	03	08	राज्य निधि	..	11.17	11.17
		2210	02	101	03	04	राज्य निधि	..	1.99	1.99
		2210	05	001	01		राज्य निधि	..	0.83	0.83
		2210	05	105	01	22	राज्य निधि	..	14.05	14.05
		2210	05	105	01	24	राज्य निधि	..	2.00	2.00
		2210	05	105	01	26	राज्य निधि	..	1.21	1.21
		2210	05	105	01	28	राज्य निधि	..	0.99	0.99

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई - (समाप्त)	2210	05	800	01	02	राज्य निधि	..	49.53	49.53
		2210	06	104	01	04	राज्य निधि	..	0.07	0.07
योग अनुदान 026								..	11,40.26	11,40.26
027	पेय जल योजना	2215	01	101	01		राज्य निधि	..	27.61	27.61
		2215	01	101	02		राज्य निधि	..	19.44	19.44
		2215	01	101	03		राज्य निधि	..	9.91	9.91
		2215	01	101	04		राज्य निधि	..	11.35	11.35
		2215	01	101	05		राज्य निधि	..	39.95	39.95
		2215	01	101	06		राज्य निधि	..	48.86	48.86
		2215	01	101	07		राज्य निधि	..	3,59.58	3,59.58
		2215	01	101	08		राज्य निधि	..	49.58	49.58
		2215	01	101	10		राज्य निधि	..	49.78	49.78
		2215	01	101	11		राज्य निधि	..	50.00	50.00
		2215	01	101	12		राज्य निधि	..	7,79.35	7,79.35
		2215	01	101	14		राज्य निधि	..	1,42.88	1,42.88
		2215	01	102	01		राज्य निधि	..	12,78.39	12,78.39
		2215	01	102	04		राज्य निधि	..	59.81	59.81
		2215	02	001	04		राज्य निधि	..	1.47	1.47

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
027	पेय जल योजना- (समाप्त)	2215	02	107	02		राज्य निधि	..	0.49	0.49
		योग 027 (राजस्व)						..	29,28.45	29,28.45
		4215	01	102	08		राज्य निधि	..	43,77.27	43,77.27
		योग 027 (पूँजी)						..	43,77.27	43,77.27
योग अनुदान 027								..	73,05.72	73,05.72
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202	01	796	08	01	राज्य निधि	..	14.65	14.65
		2202	01	796	08	02	राज्य निधि	..	8.46	8.46
		2202	02	796	17	01	राज्य निधि	..	1.99	1.99
		2202	02	796	17	02	राज्य निधि	..	2.89	2.89
		2202	02	796	17	03	राज्य निधि	..	3.98	3.98
		2202	03	796	04	01	राज्य निधि	..	0.29	0.29
		2202	03	796	11	01	राज्य निधि	..	1.35	1.35
		2203		79	0		केन्द्रीय सहायता	.	0.02	0.02
		2225	02	796	12		राज्य निधि	..	0.99	0.99
		2225	02	796	17	03	राज्य निधि	..	1.97	1.97
		2225	02	796	17	04	राज्य निधि	..	1.80	1.80
		2225	02	796	18	01	केन्द्रीय सहायता	..	14.94	14.94
		2225	02	796	21	02	राज्य निधि	..	1.99	1.99
		2236	02	197	03	02	राज्य निधि	..	6,92.53	6,92.53

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास - (समाप्त)	2406	01	796	04		राज्य निधि	..	2,09.26	2,09.26
		2700	27	796	01		राज्य निधि	..	41.50	41.50
		2700	27	796	02		राज्य निधि	..	47.25	47.25
योग अनुदान 030								..	10,45.86	10,45.86
032	नागरिक आपूर्ति	3456		001	01	07	राज्य निधि	..	24.93	24.93
योग अनुदान 032								..	24.93	24.93
033	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225	01	196	02	02	राज्य निधि	..	3,17.07	3,17.07
		2235	60	105	01		राज्य निधि	..	31.81	31.81
		2236	02	197	01	02	राज्य निधि	..	22,82.85	22,82.85
		2236	80	001	01	01	राज्य निधि	..	4.28	4.28
योग अनुदान 033								..	26,36.01	26,36.01
034	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245	02	106	02		राज्य निधि	..	69,50.58	69,50.58
		3454	02	122	01	01	राज्य निधि	..	2,59.01	2,59.01
योग अनुदान 034								..	72,09.59	72,09.59
035	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	3454	02	203	01	01	राज्य निधि	..	17.10	17.10
		3454	02	203	01	37	राज्य निधि	..	23.39	23.39
		3454	02	205	01	01	राज्य निधि	..	17.45	17.45

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
035	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं - (समाप्त)	3454	02	205	01	06	राज्य निधि	..	1,80.93	1,80.93
योग अनुदान 035								..	2,38.87	2,38.87
036	सहकारिता	2425		001	04	01	राज्य निधि	..	13.40	13.40
योग अनुदान 036								..	13.40	13.40
037	कृषि	2401		103	01		राज्य निधि	..	0.97	0.97
		2401		103	02		राज्य निधि	..	0.15	0.15
		2401		103	15		राज्य निधि	..	0.02	0.02
		2401		105	11		राज्य निधि	..	8.68	8.68
		2401		105	13	01	राज्य निधि	..	0.49	0.49
		2401		107	06		राज्य निधि	..	3.86	3.86
		2401		107	07	02	राज्य निधि	..	0.70	0.70
		2401		107	08	01	राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2401		800	22		राज्य निधि	..	40.00	40.00
		2401		800	35	02	केन्द्रीय सहायता	..	0.81	0.81
		2401		800	35	02	राज्य निधि	..	0.54	0.54
योग अनुदान 037								..	56.72	56.72
038	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	2402		102	02	19	राज्य निधि	..	1.50	1.50
		2702	02	005	01		राज्य निधि	..	6.54	6.54

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
038	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण - (समाप्त)	2702	03	103	01	02	राज्य निधि	..	8,24.92	8,24.92
योग अनुदान 038								..	8,32.96	8,32.96
039	पशुपालन एवं चिकित्सा	2403		101	05		राज्य निधि	..	0.24	0.24
		2403		101	27	01	राज्य निधि	..	10.88	10.88
		2405		101	04		राज्य निधि	..	2.98	2.98
योग अनुदान 039								..	14.10	14.10
042	उद्योग	2852	80	001	04		राज्य निधि	..	8.85	8.85
		2852	80	001	08	01	राज्य निधि	..	2.00	2.00
योग अनुदान 042								..	10.85	10.85
043	खनिज	2853	02	001	02		राज्य निधि	..	0.46	0.46
		2853	02	102	02	01	राज्य निधि	..	29.99	29.99
योग अनुदान 043								..	30.45	30.45
046	सिंचाई	2700	01	101	01	01	राज्य निधि	5,89.38	..	5,89.38
		2700	01	101	01	02	राज्य निधि	..	3,05.49	3,05.49
		2700	01	101	01	03	राज्य निधि	82.06	..	82.06
		2700	01	101	01	04	राज्य निधि	1,90.71	..	1,90.71
		2700	01	101	03	01	राज्य निधि	..	21,91.93	21,91.93

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई - (क्रमशः)	2700	01	101	04	01	राज्य निधि	..	59.68	59.68
		2700	01	101	05	01	राज्य निधि	..	1,11.83	1,11.83
		2700	01	101	06	01	राज्य निधि	..	25,30.62	25,30.62
		2700	02	001	01	06	राज्य निधि	..	14.99	14.99
		2700	02	001	03	01	राज्य निधि	..	4.50	4.50
		2700	02	101	01	01	राज्य निधि	..	23.07	23.07
		2700	02	101	01	02	राज्य निधि	81.03	..	81.03
		2700	02	101	01	03	राज्य निधि	16.13	..	16.13
		2700	02	101	02	01	राज्य निधि	..	99.82	99.82
		2700	02	101	02	02	राज्य निधि	3,41.64	..	3,41.64
		2700	02	101	02	03	राज्य निधि	15.25	..	15.25
		2700	02	101	02	08	राज्य निधि	..	91.75	91.75
		2700	02	101	02	09	राज्य निधि	1,36.53	..	1,36.53
		2700	02	101	02	10	राज्य निधि	7.97	..	7.97
		2700	02	101	02	11	राज्य निधि	56.46	..	56.46
		2700	02	101	02	12	राज्य निधि	40.49	..	40.49
		2700	02	101	03	01	राज्य निधि	..	49.98	49.98
		2700	02	101	03	02	राज्य निधि	2,70.62	..	2,70.62
		2700	02	101	03	04	राज्य निधि	11.19	..	11.19
		2700	02	101	03	07	राज्य निधि	28.89	..	28.89
		2700	02	101	04	01	राज्य निधि	..	20.32	20.32
		2700	02	101	04	02	राज्य निधि	8.32	..	8.32

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई - (क्रमशः)	2700	02	101	04	03	राज्य निधि	8.08	..	8.08
		2700	02	101	04	04	राज्य निधि	6.39	..	6.39
		2700	02	101	05	01	राज्य निधि	..	45.00	45.00
		2700	02	101	05	02	राज्य निधि	1,11.97	..	1,11.97
		2700	02	101	05	04	राज्य निधि	31.24	..	31.24
		2700	02	101	06	01	राज्य निधि	..	6.64	6.64
		2700	02	101	06	02	राज्य निधि	40.12	..	40.12
		2700	02	101	06	03	राज्य निधि	9.31	..	9.31
		2700	03	101	01	01	राज्य निधि	..	76,31.19	76,31.19
		2700	04	001	01	02	राज्य निधि	..	10,54.38	10,54.38
		2700	04	001	02	01	राज्य निधि	1,09.99	..	1,09.99
		2700	04	001	02	02	राज्य निधि	..	37,52.19	37,52.19
		2700	04	001	03	02	राज्य निधि	..	58.84	58.84
		2700	04	101	01	01	राज्य निधि	..	3,01.37	3,01.37
		2700	04	101	01	02	राज्य निधि	5,82.63	..	5,82.63
		2700	04	101	01	03	राज्य निधि	..	35.00	35.00
		2700	04	101	01	04	राज्य निधि	3,37.73	..	3,37.73
		2700	04	101	02	01	राज्य निधि	..	76.29	76.29
		2700	04	101	03	01	राज्य निधि	..	39.90	39.90
		2700	04	101	03	02	राज्य निधि	5,23.39	..	5,23.39
		2700	04	101	07	01	राज्य निधि	29,36.54	..	29,36.54
		2700	04	101	07	02	राज्य निधि	..	2,28.77	2,28.77

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई - (क्रमशः)	2700	05	001	01	01	राज्य निधि	..	5,21.21	5,21.21
		2700	05	101	01		राज्य निधि	..	1,90.00	1,90.00
		2700	05	101	02	01	राज्य निधि	..	56.25	56.25
		2700	06	101	01	01	राज्य निधि	..	1.00	1.00
		2700	06	101	01	02	राज्य निधि	1,16.39	..	1,16.39
		2700	06	101	01	03	राज्य निधि	23.37	..	23.37
		2700	22	101	01	01	राज्य निधि	..	17.00	17.00
		2700	22	101	01	02	राज्य निधि	2,22.05	..	2,22.05
		2700	22	101	01	03	राज्य निधि	47.58	..	47.58
		2700	25	101	01	01	राज्य निधि	..	29.52	29.52
		2700	25	101	03	01	राज्य निधि	..	4,48.75	4,48.75
		2700	26	101	01	01	राज्य निधि	..	29.79	29.79
		2700	28	001	01		राज्य निधि	..	2,00.00	2,00.00
		2700	28	001	02		राज्य निधि	..	1,05.00	1,05.00
		2700	31	101	01	01	राज्य निधि	..	1,39.16	1,39.16
		2700	31	101	01	02	राज्य निधि	4,32.06	..	4,32.06
		2700	31	101	01	03	राज्य निधि	63.32	..	63.32
		2700	31	101	01	04	राज्य निधि	2,26.47	..	2,26.47
		2700	31	101	02	01	राज्य निधि	..	40.00	40.00
		2700	80	800	01	04	राज्य निधि	..	6.74	6.74
		2701	01	101	01	01	राज्य निधि	..	16.60	16.60
		2701	01	101	01	02	राज्य निधि	94.71	..	94.71

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई - (क्रमशः)	2701	01	101	01	03	राज्य निधि	22.15	..	22.15
		2701	02	101	01	01	राज्य निधि	..	9.00	9.00
		2701	02	101	01	02	राज्य निधि	86.52	..	86.52
		2701	02	101	01	03	राज्य निधि	27.19	..	27.19
		2701	02	101	02	01	राज्य निधि	41.11	..	41.11
		2701	03	101	01	01	राज्य निधि	..	3.99	3.99
		2701	03	101	01	02	राज्य निधि	4,04.08	..	4,04.08
		2701	03	101	01	03	राज्य निधि	81.22	..	81.22
		2701	04	101	01	01	राज्य निधि	..	11.00	11.00
		2701	04	101	01	02	राज्य निधि	54.07	..	54.07
		2701	04	101	01	03	राज्य निधि	12.95	..	12.95
		2701	05	101	01	01	राज्य निधि	..	81.05	81.05
		2701	05	101	01	02	राज्य निधि	62.29	..	62.29
		2701	05	101	01	03	राज्य निधि	28.53	..	28.53
		2701	06	101	01	01	राज्य निधि	..	3.00	3.00
		2701	06	101	01	02	राज्य निधि	1,08.22	..	1,08.22
		2701	06	101	01	03	राज्य निधि	22.14	..	22.14
		2701	07	101	01	01	राज्य निधि	..	5.00	5.00
		2701	07	101	01	02	राज्य निधि	12.52	..	12.52
		2701	07	101	01	03	राज्य निधि	3.49	..	3.49
		2701	08	101	01	01	राज्य निधि	..	1.99	1.99
		2701	08	101	01	02	राज्य निधि	18.64	..	18.64

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई - (क्रमशः)	2701	08	101	01	03	राज्य निधि	4.10	..	4.10
		2701	09	101	01	01	राज्य निधि	..	4.99	4.99
		2701	09	101	01	02	राज्य निधि	15.63	..	15.63
		2701	09	101	01	03	राज्य निधि	4.10	..	4.10
		2701	10	101	01	01	राज्य निधि	..	4.00	4.00
		2701	10	101	01	02	राज्य निधि	38.41	..	38.41
		2701	10	101	01	03	राज्य निधि	8.44	..	8.44
		2701	23	101	01	01	राज्य निधि	..	8.49	8.49
		2701	23	101	01	02	राज्य निधि	1.69	..	1.69
		2701	24	101	01	01	राज्य निधि	..	13.41	13.41
		2701	24	101	01	02	राज्य निधि	2,13.38	..	2,13.38
		2701	24	101	01	03	राज्य निधि	45.14	..	45.14
		2701	27	101	01	01	राज्य निधि	..	2.98	2.98
		2701	27	101	01	02	राज्य निधि	48.79	..	48.79
		2701	27	101	01	03	राज्य निधि	10.31	..	10.31
		2701	30	101	01	01	राज्य निधि	..	3.00	3.00
		2701	30	101	01	02	राज्य निधि	54.57	..	54.57
		2701	30	101	01	03	राज्य निधि	11.46	..	11.46
		2701	31	101	01	01	राज्य निधि	..	1.00	1.00
		2701	31	101	01	02	राज्य निधि	38.17	..	38.17
		2701	31	101	01	03	राज्य निधि	7.80	..	7.80
		2701	33	101	01	01	राज्य निधि	..	0.99	0.99

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई - (क्रमशः)	2701	33	101	01	02	राज्य निधि	66.24	..	66.24
		2701	33	101	01	03	राज्य निधि	13.38	..	13.38
		2701	35	101	01	01	राज्य निधि	..	5.87	5.87
		2701	35	101	01	02	राज्य निधि	40.90	..	40.90
		2701	35	101	01	03	राज्य निधि	9.31	..	9.31
		2701	38	101	01	01	राज्य निधि	..	2.00	2.00
		2701	38	101	01	02	राज्य निधि	79.46	..	79.46
		2701	38	101	01	03	राज्य निधि	16.21	..	16.21
		2701	40	101	01	01	राज्य निधि	..	5.82	5.82
		2701	40	101	01	03	राज्य निधि	1.16	..	1.16
		2701	41	101	01	01	राज्य निधि	..	1.99	1.99
		2701	41	101	01	03	राज्य निधि	0.40	..	0.40
		2701	43	101	01	01	राज्य निधि	..	3.00	3.00
		2701	43	101	01	02	राज्य निधि	60.17	..	60.17
		2701	43	101	01	03	राज्य निधि	12.57	..	12.57
		2701	44	101	01	01	राज्य निधि	..	1.99	1.99
		2701	44	101	01	02	राज्य निधि	0.40	..	0.40
		2701	45	101	01	01	राज्य निधि	..	0.91	0.91
		2701	45	101	01	02	राज्य निधि	0.18	..	0.18
		2701	48	101	01	01	राज्य निधि	..	2.00	2.00
		2701	48	101	01	02	राज्य निधि	0.40	..	0.40
		2701	60	101	01	01	राज्य निधि	..	1.53	1.53

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई - (समाप्त)	2701	60	101	01	03	राज्य निधि	0.30	..	0.30
		2701	64	101	01	01	राज्य निधि	..	3,06.85	3,06.85
		2701	64	101	01	02	राज्य निधि	47.44	..	47.44
		2701	64	101	01	03	राज्य निधि	70.52	..	70.52
		2701	65	101	01	01	राज्य निधि	..	3.00	3.00
		2701	65	101	01	02	राज्य निधि	23.10	..	23.10
		2701	65	101	01	03	राज्य निधि	5.19	..	5.19
		2701	80	005	01	02	राज्य निधि	..	40.74	40.74
		2702	01	800	01	01	राज्य निधि	..	5,81.34	5,81.34
		2702	01	800	02		राज्य निधि	..	1.00	1.00
		2702	01	800	03		राज्य निधि	..	4.94	4.94
		योग 046 (राजस्व)						97,34.45	2,16,51.44	3,13,85.89
		4700	04	001	02	01	राज्य निधि	..	57.07	57.07
		4700	04	001	02	13	राज्य निधि	..	7.11	7.11
		4700	04	001	02	15	राज्य निधि	..	4.90	4.90
		4700	04	001	02	17	राज्य निधि	..	9.31	9.31
		4700	04	001	02	19	राज्य निधि	..	5.00	5.00
		4700	04	001	02	21	राज्य निधि	..	10.64	10.64
		4700	04	001	02	25	राज्य निधि	..	56.05	56.05
		योग 046 (पूँजी)						..	1,50.08	1,50.08
योग अनुदान 046								97,34.45	2,18,01.52	3,15,35.97

परिशिष्ट संख्या X - (समाप्त)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
047	पर्यटन	3452	80	001	01	01	राज्य निधि	..	0.50	0.50
योग अनुदान 047								..	0.50	0.50
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगटक योजना	2405		789	02		राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2406	01	789	04		राज्य निधि	..	1,05.92	1,05.92
		2406	01	789	05		राज्य निधि	..	3,99.71	3,99.71
		2705		789	01	01	राज्य निधि	..	19.99	19.99
योग 051 (राजस्व)								..	5,26.12	5,26.12
		4700	04	789	02	01	राज्य निधि	..	58.63	58.63
योग 051 (पूँजी)								..	58.63	58.63
योग अनुदान 051								..	5,84.75	5,84.75
योग (राजस्व)								2,73,12.25	10,58,79.41	13,31,91.66
योग (पूँजीगत)								..	45,85.98	45,85.98
कुल योग								2,73,12.25	11,04,65.39	13,77,77.64

परिशिष्ट संख्या XI- वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय
या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं *

भविष्य रोकड़ प्रवाह के लिये बजट में प्रस्तावित नयी योजनाओं
पर वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों के लिये क्रियान्विति पर विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	नीति निर्णय/नयी योजना की प्रकृति	के लिए लागू			आवृत्ति के प्रकरण में, वार्षिक अनुमानों का निवल नकद प्रवाह पर प्रभाव इंगित		वार्षिक व्यय की प्रकृति के संदर्भ में इंगित				स्त्रोत जहां से नई योजनाओं पर व्यय की पूर्ति हो सके		
		प्राप्तियां/ व्यय/ दोनों	आवृत्ति/ एक मुश्त	यदि एक मुश्त, प्रभाव इंगित	निश्चित अवधि (निर्दिष्ट अवधि)	स्थायी	राजस्व		पूंजीगत		राज्य के स्वयं के स्त्रोत	केन्द्रीय अंतरण	ऋण वृद्धि (विशिष्ट)
							केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि			
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	व्यय	आवृत्ति	1,31,11.95	1,36,64.66	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	..
2.	राज्य राजमार्ग तथा अन्य सड़कों की पुर्नमजबुती तथा पुर्नरूद्धार	व्यय	एक मुश्त	4,00,25.00	स्वयं के स्त्रोत
3.	ब्याज मुक्त कृषि कर्ज योजना	व्यय	एक मुश्त	2,59,16.00	स्वयं के स्त्रोत
4.	केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ब्याज की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान	व्यय	एक मुश्त	1,35,82.00	स्वयं के स्त्रोत

* राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ।

परिशिष्ट XII- सरकार के वचनबद्ध दायित्व *

भविष्य में राज्य के वचनबद्ध दायित्वों/बकाया दायित्वों का विवरण
(31 मार्च 2018 की स्थिति)

क. वचनबद्ध दायित्व

क्र. सं.	दायित्व की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)		प्रस्तावित दायित्वों को पूरा करने के संभावित स्रोत			निपटान का संभावित वर्ष	चालू वर्ष के दौरान संपादित दायित्व	बकाया शेष
		आयोजना	आयोजना भिन्न	राज्यों के स्वयं के स्रोत	केन्द्रीय अंतरण	कर्ज उठाना (निर्दिष्ट करना)			

ख . बकाया दायित्व

क्र. सं.	दायित्व की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)		प्रस्तावित दायित्वों को पूरा करने के संभावित स्रोत			निपटान का संभावित वर्ष	चालू वर्ष के दौरान संपादित दायित्व	बकाया शेष
		आयोजना	आयोजना भिन्न	राज्यों के स्वयं के स्रोत	केन्द्रीय अंतरण	कर्ज उठाना (निर्दिष्ट करना)			

* राज्य सरकार से बार-बार लिखे जाने के बाद भी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

© भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
2018

www.cag.gov.in

agaerajasthan@cag.gov.in